उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ५९

---

७ जुलाई, १९४९ से १२ जुलाई, १९४९ तक ।

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।
१९५०

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने ।
वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये ।

विषय-सूची

बृहस्पतिवार, ७ जुलाई, १९४९ ई०

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—४
प्रश्नोत्तर	५—३४
श्री भूवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद ..	३४—३६
श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद	३६—३९
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दूकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा .	४०
सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविन्सेज स्टोरेज रिक्वीजिशन (कंटिनुएंस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा ..	४०
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा .	४०
सन् १९४९ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीडयोर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा	४१
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनेंस की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना	४१
सन् १९३९ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना	४१
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४१—६०
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (विशिष्ट समिति के अधीन करने के प्रस्ताव पर विवाद जारी)	६०—९१
नत्थियां	९२

शुक्रवार, ८ जुलाई, १९४९ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	९९—१०१
प्रश्नोत्तर	१०२—१२०
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज मेंटेनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही को वैध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना	१२०
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी)	१२०—१६५
नत्थियां	१६६—१७३

शनिवार, ९ जुलाई, १९४९ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. १७५—१७७

प्रश्नोत्तर .. .. १७८—२००

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने का और गांठे बनाने के कारखाने के बिल पर महामान्य गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की घोषणा २००

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैल्टिीज (अमेंडमेंट) बिल पर महामान्य गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की घोषणा .. २००

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी) .. . २००—२६०

नत्थियां . .. . २६१—२६९

सोमवार, ११ जुलाई, १९४९ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. २७१—२७३

प्रश्नोत्तर . .. .. २७४—२९४

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी) . . २९५—३४८

नत्थियां .. . ३४९—३५१

मंगलवार, १२ जुलाई, १९४९ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. ३५३—३५५

असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये श्री अजीज अहमद खां का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत) . .. ३५६

संयुक्त प्रान्तीय डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स एंड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ३५६

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार-जारी) .. .. ३५७—४१९

बुधवार, १३ जुलाई, १९४९ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. ४२१—४२३

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी) .. .. ४२४—५०३

शासन

गवर्नर

हिज़ ऐक्सिलेन्सी श्री हारमसजी पेरोशा मोदी

सचिव-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा अर्थ, न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन सचिव।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, निर्माण सचिव।

माननीय श्री संपूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा तथा श्रम सचिव।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, वन तथा माल सचिव।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन सचिव।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर सचिव।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वशासन सचिव।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अन्न सचिव।

माननीय श्री लालबहादुर, पुलिस तथा परिवहन सचिव।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास सचिव।

सभा-मंत्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

(२) श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

(३) श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण सचिव के सभा-मंत्री।

(१) श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री महफूजुर्रहमान, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल सचिव तथा कृषि सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल सिंह, श्री	..	आगरा नगर।
२—अजित प्रताप सिंह, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एशोसियेशन।
३—अजीज अहमद खां, श्री	..	बरेली-पीलीभीत नगर।
४—अब्दुल गनी अन्सारी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
५—अब्दुल बाकी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
६—अब्दुल मजीद, श्री	..	मुरादाबाद-अमरोहा-चन्दौसी नगर।
७—अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री	..	अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर।
८—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	जिला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)।
९—अब्दुल हमीद, श्री	..	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
१०—अम्मार अहमद खां, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
११—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१२—अलगूराय शास्त्री, श्री	..	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व)।
१३—अली जरार जाफरी, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१४—अल्फ्रेड धर्मदास, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१५—असगर अली खां, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
१६—अक्षयवर सिंह, श्री	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१७—आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	..	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर।
१८—आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय ऐंग्लो इंडियन।
१९—इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री	..	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
२०—इनाम हबीबुल्ला, बेगम	..	लखनऊ नगर।
२१—उदयवीर सिंह, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)
२२—ऐजाज रसूल, श्री	..	जिला हरदोई।
२३—कमलापति तिवारी, श्री	..	जिला बनारस (पूर्व)।
२४—करीमुर्रजा खां, श्री	..	बदायूं-शाहजहांपुर-संभल नगर।
२५—कालीचरण टंडन, श्री	..	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२६—किशनचन्द पुरी, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेंट्स चेम्बर।
२७—कुंज बिहारीलाल शिवानी, श्री		जिला झांसी (उत्तर)।
२८—कुशलानन्द गैरोला, श्री	..	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)।
२९—कृपाशंकर, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
३०—कृष्णचन्द्र, श्री	..	जिला मथुरा (पश्चिम)।
३१—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	जिला सीतापुर (दक्षिण)।
३२—केशव गुप्त, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३३—केशवदेव मालवीय, माननीय श्री		जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
३४—खानचन्द गौतम, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
३५—खुशवक्त राय, श्री	..	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)
३६—खुशीराम, श्री	..	जिला अल्मोड़ा।
३७—खूब सिंह, श्री	..	जिला बिजनौर (पूर्व)।
३८—गंगाधर, श्री	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
३९—गंगाप्रसाद, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
४०—गंगासहाय चौबे, श्री	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४१—गजाधरप्रसाद, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४२—गणपति सहाय, श्री	..	जिला सुल्तानपुर।

४३—गणेशकृष्ण जैतली, श्री ..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
४४—गिरधारीलाल, माननीय श्री ..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४५—गोपाल नारायण सक्सेना, श्री .	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४६—गोविन्द वल्लभ पंत, माननीय श्री	बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं नगर।
४७—गोविन्द सहाय, श्री .	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
४८—चतुर्भुज शर्मा, श्री .	जिला जालौन।
४९—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री .	लखनऊ नगर।
५०—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री .	जिला गोंडा (दक्षिण)।
५१—चरण सिंह, श्री ..	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५२—चेतराम, श्री .	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५३—छेदालाल गुप्त, श्री .	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
५४—जगन्नाथदास, श्री .	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
५५—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री .	जिला सीतापुर (पूर्व)।
५६—जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री ..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
५७—जगन्नाथ सिंह, श्री ..	जिला बलिया (उत्तर)।
५८—जगनप्रसाद रावत, श्री .	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
५९—जगमोहन सिंह नेगी, श्री .	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
६०—जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री .	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६१—जयपाल सिंह, श्री ..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
६२—जयराम वर्मा, श्री .	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६३—जवाहरलाल रोहतगी, श्री ..	कानपुर नगर।
६४—जहीरुल हसनैन लारी, श्री ..	जिला गोरखपुर (पूर्व)।
६५—जहूर अहमद, श्री ..	इलाहाबाद-झांसी (नगर)।
६६—जाकिर अली, श्री ..	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर।
६७—जाहिद हुसन, श्री ..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
६८—जुगुल किशोर, श्री ..	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
६९—त्रिलोकी सिंह, श्री ..	जिला लखनऊ।
७०—दयाल दास भगत, श्री ..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७१—दाऊदयाल खन्ना, श्री .	मुरादाबाद (पूर्व)।
७२—द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री ..	जिला जौनपुर (पूर्व)।
७३—दीनदयालु अवस्थी, श्री ..	जिला इटावा (पश्चिम)।
७४—दीनदयालु शास्त्री, श्री ..	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ्फरनगर नगर।
७५—दीपनारायण वर्मा, श्री .	जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर।
७६—नफीसुल हसन, श्री ..	जिला इटावा और कानपुर।
७७—नवाजिश अली खां, श्री ..	फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर।
७८—नवाब सिंह चौहान, श्री ..	जिला अलीगढ़ (पूर्व)।
७९—नाजिम अली, श्री ..	जिला सुल्तानपुर।
८०—नारायण दास, श्री ..	लखनऊ नगर।
८१—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	जिला मैनपुरी और एटा।
८२—नेहालुद्दीन, श्री ..	जिला बदायूं (पूर्व)।
८३—परागीलाल, श्री ..	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
८४—पुरुषोत्तम दास टंडन, माननीय श्री	इलाहाबाद नगर।
८५—पूर्णमासी, श्री ..	जिला गोरखपुर (उत्तर)।

८६—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती .. जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)।
८७—प्रकाशवती सूद, श्रीमती .. जिला मेरठ (उत्तर)।
८८—प्रयाग नारायण, श्री .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
८९—प्रेमकृष्ण खन्ना, श्री .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
९०—फखरुल इस्लाम, श्री .. जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)।
९१—फजलुर्रहमान खां, श्री .. जिला शाहजहांपुर।
९२—फतेह सिंह राणा, श्री .. जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
९३—फय्याज अली, श्री .. जिला फैजाबाद
९४—फूल सिंह, श्री .. जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
९५—बदन सिंह, श्री .. जिला बदायूं (पश्चिम)।
९६—बनारसी दास, श्री .. जिला बुलन्दशहर (उत्तर)।
९७—बलदेव प्रसाद, श्री .. जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
९८—बलभद्र सिंह, श्री .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
९९—बशीर अहमद हकीम, श्री .. जिला सीतापुर।
१००—बशीर अहमद अन्सारी, श्री .. जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)।
१०१—बादशाह गुप्त, श्री .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
१०२—बाबराम वर्मा, श्री .. जिला एटा (उत्तर)।
१०३—बृजमोहनलाल शास्त्री, श्री .. जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
१०४—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
१०५—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री .. जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)।
१०६—भगवानदीन, श्री .. कानपुर नगर।
१०७—भगवानदीन मिश्र, श्री .. जिला बहराइच (दक्षिण)।
१०८—भगवान सिंह, श्री .. जिला पीलीभीत (दक्षिण)।
१०९—भारत सिंह यादवाचार्य, श्री .. जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।
११०—भीमसेन, श्री .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
१११—मंगलाप्रसाद, श्री .. जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
११२—मसुरियादीन, श्री .. इलाहाबाद नगर।
११३—महफूजुर्रहमान, श्री .. जिला बहराइच (दक्षिण)।
११४—महमूद अली खां, श्री .. देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर नगर।
११५—मिजाजी लाल, श्री .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
११६—मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री .. जिला पीलीभीत (उत्तर)।
११७—मुजफ्फर हुसैन, श्री .. लखनऊ नगर।
११८—मुनफैत अली, श्री .. जिला सहारनपुर (उत्तर)।
११९—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१२०—मुहम्मद असगर अमहद, श्री .. जिला बदायूं (पश्चिम)।
१२१—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री .. जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२२—मुहम्मद इस्माईल, श्री .. जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व)।
१२३—मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री .. जिला अलीगढ़।
१२४—मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री .. जिला मेरठ (पश्चिम)।
१२५—मुहम्मद नबी, श्री .. जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
१२६—मुहम्मद नजीर, श्री .. जिला बनारस और मिर्जापुर।

१२७—मुहम्मद फारूक, श्री .. जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१२८—मुहम्मद याकूब, श्री .. जिला गाजीपुर और बलिया।
१२९—मुहम्मद यूसुफ, श्री .. जिला इलाहाबाद (दक्षिण–पश्चिम)।
१३०—मुहम्मद रजा खां, श्री .. जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)।
१३१—मुहम्मद शकूर, श्री .. बनारस–मिर्जापुर नगर।
१३२—मुहम्मद शमीम, श्री .. जिला रायबरेली।
१३३—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री .. लखनऊ नगर।
१३४—मुहम्मद शौकत अली खां, श्री .. जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१३५—मुहम्मद सआदत अली खां, श्री .. जिला बहराइच (उत्तर)।
१३६—मुहम्मद सुलेमान अदमी, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर–पूर्व)।
१३७—यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री .. जिला बनारस (पश्चिम)।
१३८—रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री .. जिला झांसी (दक्षिण)।
१३९—रघुवर नारायण सिंह, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१४०—रघुबीर सहाय, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१४१—राघवदास, श्री .. फैजाबाद–बहराइच–सीतापुर नगर।
१४२—राजकुवांर सिंह, श्री .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१४३—राजाराम मिश्र, श्री .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१४४—राजाराम शास्त्री, श्री .. कानपुर औद्योगिक फैक्टरी श्रम।
१४५—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री .. जिला हरदोई (मध्य)।
१४६—राधामोहन सिंह, श्री .. जिला बलिया (दक्षिण)।
१४७—राधेश्याम शर्मा, श्री .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१४८—रामकुमार शास्त्री, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर–पूर्व)
१४९—रामकृपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर–मेरठ–हापुड़–खुर्जा नगीना नगर।
१५०—रामचन्द्र पालीवाल, श्री .. जिला आगरा (उत्तर–पूर्व)।
१५१—रामचन्द्र सेहरा, श्री .. आगरा नगर।
१५२—रामजी सहाय, श्री .. जिला गोरखपुर (मध्य)।
१५३—रामधर मिश्र, श्री .. इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्व–विद्यालय।
१५४—रामधारी पांडे, श्री .. जिला गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)।
१५५—रामनारायण, श्री .. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
१५६—रामबली, श्री .. जिला सुल्तानपुर (पूर्व)।
१५७—राममूर्ति, श्री .. जिला बरेली (उत्तर–पूर्व)।
१५८—राम शंकर लाल, श्री .. जिला बस्ती (दक्षिण–पूर्व)।
१५९—रामशरण, श्री .. मुरादाबाद–अमरोहा–संभल–चन्दौसी नगर।
१६०—रामस्वरूप गुप्त, श्री .. जिला कानपुर (दक्षिण)।
१६१—रामेश्वर सहाय सिंह, श्री .. जिला हरदोई (दक्षिण–पूर्व)।
१६२—रुक्नुद्दीन खां, श्री .. जिला प्रतापगढ़।
१६३—रोशन जमा खां, श्री .. जिला गोंडा (दक्षिण–पश्चिम)।
१६४—लक्ष्मी देवी, श्रीमती .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१६५—लताफत हुसैन, श्री .. जिला मुरादाबाद (उत्तर–पश्चिम)।
१६६—लाखनदास जाटव, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१६७—लालबहादुर, माननीय श्री .. जिला इलाहाबाद (गंगापार)।
१६८—लालबिहारी टंडन, श्री .. जिला गोंडा (पश्चिम)।
१६९—लीलाधर अष्ठाना, श्री .. जिला उन्नाव (पूर्व)।

१७०—लुत्फअली खां, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१७१—लालताराम, श्री .. जिला जालौन।
१७२—ब्रजगोपाल, श्री .. जिला फतेहपुर (पूर्व)।
१७३—वंशीधर मिश्र, श्री .. जिला बांदा (दक्षिण-पश्चिम)।
१७४—विजयानन्द मिश्र, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७५—विद्याधर बाजपेयी, श्री .. जिला सुल्तानपुर (पश्चिम)।
१७६—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. जिला एटा (दक्षिण)।
१७७—विनय कुमार मुकर्जी, श्री .. लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक फैक्टरी श्रम।
१७८—विश्वनाथ प्रसाद, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७९—विश्वनाथ राय, श्री .. जिला गाजीपुर (पूर्व)।
१८०—विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी, श्री .. जिला उन्नाव (पश्चिम)।
१८१—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री .. जिला मेरठ (उत्तर)।
१८२—बलवन्त सिंह, श्री .. जिला जौनपुर (पश्चिम)।
१८३—वीरेन्द्र शाह, श्री .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१८४—वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
१८५—शंकर दत्त शर्मा, श्री .. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।
१८६—शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री .. जिला देहरादून।
१८७—शिवकुमार पाण्डेय, श्री .. जिला इलाहाबाद (दोआबा)।
१८८—शिवकुमार मिश्र, श्री .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
१८९—शिव दयाल उपाध्याय, श्री .. जिला फतेहपुर (पश्चिम)।
१९०—शिवदान सिंह, श्री .. जिला अलीगढ़ (पश्चिम)।
१९१—शिवबक्स सिंह, श्री .. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।
१९२—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री .. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)।
१९३—श्यामलाल वर्मा, श्री .. जिला नैनीताल।
१९४—श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री .. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
१९५—श्रीचन्द सिंघल, श्री .. जिला अलीगढ़ (मध्य)।
१९६—श्रीपति सहाय, श्री .. जिला हमीरपुर।
१९७—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती .. बनारस नगर।
१९८—सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री .. बनारस नगर।
१९९—सरवत हुसैन, श्री .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।
२००—सलीम शाकिर खां, श्री .. जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
२०१—साजिद हुसैन, श्री .. अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन।
२०२—सालिगराम जायसवाल, श्री .. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२०३—सिंहासन सिंह, श्री .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२०४—सिराज हुसैन, श्री .. जिला पीलीभीत।
२०५—सीताराम अस्थाना, श्री .. जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२०६—सुचेता कृपलानी, श्रीमती .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
२०७—सुदामाप्रसाद, श्री .. जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२०८—सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
२०९—सुल्तान आलम खां, श्री .. जिला फर्रुखाबाद।
२१०—सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री .. जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२११—सईद अहमद, श्री .. जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२१२—हयातुल्लाह अन्सारी, श्री .. जिला लखनऊ तथा उन्नाव।

२१३—हबीबुर्रहमान खां, श्री .. जिला खीरी।
२१४—हरगोविन्द पन्त, श्री .. जिला अल्मोड़ा।
२१५—हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री .. जिला बाराबकी (दक्षिण)।
२१६—हरप्रसाद सिंह, श्री .. जिला बांदा (दक्षिण)।
२१७—हरिहरनाथ शास्त्री, श्री .. ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र।
२१८—हसन अहमद शाह, श्री .. जिला फतेहपुर और बांदा।
२१९—हसरत मोहानी, श्री .. कानपुर नगर।
२२०—हिफजुर्रहमान खां, श्री .. मेरठ—हापुड़—बुलन्दशहर—खुर्जा—नगीना नगर।
२२१—हुकुम सिंह, माननीय श्री .. जिला बहराइच (उत्तर)।
२२२—होतीलाल अग्रवाल, श्री .. जिला इटावा (पूर्व)।
२२३—हैदर बख्श, श्री .. जिला मथुरा तथा आगरा।
२२४—(रिक्त) .. जिला बाराबंकी, मुस्लिम ग्रामीण
२२५—(रिक्त) .. जिला बांदा (उत्तर), सामान्य ग्रामीण
२२६—(रिक्त) .. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व), मुस्लिम ग्रामीण

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

के

पदाधिकारी

स्पीकर

१—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

डिप्टी स्पीकर

२—श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

सेक्रेटरी

३—श्री कैलाश चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

असिस्टेंट सेक्रेटरी

४—श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए०।

सुपरिन्टेण्डेण्ट

५—श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस०-सी०।

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए०।

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, ७ जुलाई, सन् १६४६ ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली-भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६१)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अदील अब्बासी
अब्दुल ग़नी अंसारी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख़्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद ख़ाँ
अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स
अलगूराय शास्त्री
अल्फ्रेड, धर्मदास
अली ज़हीर जाफ़री
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड, जेम्स कैथम
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
एजाज़ रसूल
करीमुर्रज़ा ख़ाँ
कालीचरण टन्डन
किशनचन्द पुरी
कुंज बिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
ख़ुशवक़्त राय
ख़ुशीराम
ख़ूब सिंह
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय

गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद
जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जमशेद अली खाँ
जवाहरलाल रोहतगी
जाहिद हसन
जुगुल किशोर
जैपाल सिंह
जय राम वर्मा
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
नफीसुल हसन
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निज़ामुद्दीन
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्राणनारायण
परागीलाल
फखरुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फूल सिंह
बदन सिंह
बंश गोपाल
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बशीर अहमद अंसारी
बादशाह गुप्त
बीरबल सिंह
बृजमोहनलाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह [illegible]
भीम सेन
मंगला प्रसाद
मसूरिया दीन
महफूजुर्रहमान
महमूद अली खाँ
मिठाई लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुनफ़ैत अली
मुजफ्फर हुसैन
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नसीर
मुहम्मद फारूक
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद यूसुफ

उपस्थित सदस्यों की सूची

मुहम्मद रजा खाँ
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी
मुहम्मद शौकत अली खाँ
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
रघुवंशनारायण सिंह
राघव दास
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पांडे
राम नारायण
रामबली
रामशंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुकनुद्दीन खाँ
रोशन ज़मा खाँ
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वंशीधर मिश्र
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पाण्डेय
शिव कुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सआदत अली खाँ, मुहम्मद
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
साजिद हुसैन
सालिग्राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह

सुल्तान अहमद खां
सूर्यप्रसाद अवस्थी
सैयद ज़ाफ़र अली
हिफ़्ज़ुर्रहमान
हयातुर्रहमान अंसारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हीरा लाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ७ जुलाई, सन् १९४९ ई०

ताराङ्कित प्रश्न

प्रान्त में गेहूँ, चना, मक्का इत्यादि की उत्पत्ति तथा बाहर से आये हुये अनाज की मात्रा

* १—श्री [illegible] शवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि:—

(क) सन् १९४६-१९४७ व १९४८ ई० के वर्षों में कुल कितनी भूमि पर प्रान्त में कृषि की गई ?

(ख) इन सालों में कितनी-कितनी भूमि पर गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की काश्त की गई ?

(ग) इन सालों में कितनी-कितनी उत्पत्ति गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की हुई ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९३७ ई० से लेकर सन् १९४५ ई० तक प्रतिवर्ष कितनी उत्पत्ति, गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की हुई ?

(ङ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त की वर्तमान जन-संख्या को देखते हुए प्रान्त को प्रतिवर्ष कितने अनाज की आवश्यकता होती है ?

(च) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४६, १९४७ व १९४८ ई० के वर्षों में कितना अनाज बाहर से क्रय किया गया ?

(छ) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन वर्षों में बाहर से क्रय किये जानेवाले अनाज पर प्रान्तीय सरकार को अपने पास से कितना व्यय करना पड़ा ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—

(क) सन् १९४६, १९४७ व १९४८ का कृषि क्षेत्रफल निम्नलिखित है—

साल		क्षेत्रफल
१९४५-४६ (१३५३ फसली)	...	३, ६७, ८०, ९६३ एकड़
१९४६-४७ (१३५४ फसली)	...	३, ६५, ३८, ८५० ,,
१९४७-४८ (१३५५ फसली)	...	३, ६६, ५५, ३८२ ,,

(ख-ग), आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र संख्या 'अ' में प्रस्तुत है।

(ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र संख्या 'ब' में प्रस्तुत है।

(इ) इस प्रकार के अनाजों की खपत का वार्षिक तखमीना १,०२,५८, ४९२ टन है। इस आँकड़े में जो अनाज, बीज और मवेशियों के चारे के लिये रहता है और जो अनाज व्यर्थ हो जाता है, वह नहीं शामिल है।

(च) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र संख्या 'स' में दी हुई है।

(छ) इस बारे में सूचना नहीं मिल सकी, क्योंकि बाहर से मँगाये गये और स्थानीय खरीद से हासिल किये गये गल्ले के सम्बन्ध में लाभ या हानि का हिसाब अलग-अलग नहीं रक्खा गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२ पर)

श्री रामजी सहाय—क्या यह सत्य है कि सन् १९४० में प्रति एकड़ गन्नों की उपज ३२० मन थी, और आज वह १२४ मन प्रति एकड़ रह गयी है?

माननीय कृषि सचिव—मेरे खयाल में यह आँकड़े सही नहीं हैं, मगर मैं इसके मुतअल्लिक सही तौर से जवाब देने के लिये नोटिस चाहता हूँ।

श्री ज्ञानचन्द् गौतम—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४३ से १९४८ तक जो गन्ने की काश्त बढ़ती गई है, उसकी वजह क्या है?

माननीय कृषि सचिव—इसकी कई वजहें हैं। एक तो कीमत का मसला है। जिसमें किसान का ज्यादा फायदा होता है। उसी तरफ किसान जाता है। चूँकि गन्ने की कीमतें बढ़ती गईं, इसलिये ग़ालिबन् रकबा भी बढ़ता गया।

श्री ज्ञानचन्द् गौतम—प्रान्त में अनाज की कमी को देखते हुए प्रान्तीय सरकार ने गन्ने की पैदावार कम करने और उसकी जमीन को अनाज की पैदावार में लाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं?

माननीय कृषि सचिव—गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्यवाही अभी तक नहीं की है। यह एक इकनामिक फैक्टर (आर्थिक कारण) है, जिसके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है।

श्री [illegible]शवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय जो अन्न की कमी है। उसको हम कब तक पूरा कर लेंगे।

माननीय कृषि सचिव—सन् १९५१ तक इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री खान चन्द गौतम—क्या हमारे प्रान्त में क्रप प्लानिंग का कोई सिस्टम जारी है ?

माननीय कृषि सचिव—जी नहीं।

श्री गणेश कृष्ण जैतली—सूबे के अन्दर जो गल्ले की पैदावार है, वह खेती की पैदावार के अनुपात में कितने वर्ष में उस अभाव को पूरा कर देगी ?

माननीय कृषि सचिव—इसका इनहसार उस लगन के ऊपर है। जो जनता में पैदा हो और उस उत्साह के ऊपर है जो किसान में पैदावार की वृद्धि करने में पैदा हो।

प्रान्त में गूँगे और बहरों की शिक्षा का प्रबन्ध

*२—**श्री हरगोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—क्या युक्त प्रान्तीय सरकार ने गूँगे और बहरों की शिक्षा के निमित्त कोई शिक्षणालय खोला है ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—लखनऊ के गूँगे और बहरों के स्कूल के अधिकारियों ने एक शिक्षणालय इस निमित्त खोला है। उसको सरकार से अनुदान मिलता है। सरकार ने कोई शिक्षणालय नहीं खोला है।

*३—**श्री हर गोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—इस शिक्षणालय में कितने अध्यापक शिक्षाक्रम की शिक्षा ले रहे हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव—ग्यारह अध्यापक।

*४—**श्री हर गोविन्द पन्त** (अनुपस्थित)—उक्त अध्यापकों की शिक्षा की अवधि कितनी है ? और किन-किन विषयों में उन्हें शिक्षा दी जा रही है ?

माननीय शिक्षा सचिव—एक वर्ष। नीचे दिये हुये चार विषयों में शिक्षा दी जाती है—

(१) मूक, बधिर शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान।
(२) बोना और बोली पढ़ाना।
(३) मूक, बधिर शिक्षा का इतिहास उनको पढ़ाने की भिन्न-भिन्न प्रणाली।
(४) कक्षा-प्रबन्ध, स्वास्थ्य, शारीरिक और खाद्य विज्ञान।

*५—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—इन अध्यापकों को किस स्थान में ज्ञान दिलाया जा रहा है, और उस संस्था में कितने मूक और बधिर विद्यार्थी हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव—गूँगे और बधिरों का स्कूल लखनऊ, लगभग ३५ विद्यार्थी

*६—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—अध्यापकों का शिक्षण इस समय कौन प्रदान कर रहे हैं ? उनकी योग्यता क्या है और उन्हें क्या वेतन मिलता है ?

माननीय शिक्षा सचिव—श्री शैलेन्द्र नाथ बनर्जी एम० ए०, ग्लाडडेट कालेज अमेरिका। २५ वर्ष का अनुभव डेफ व डम्ब स्कूल में, २७५ रु० मासिक।

*७—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—इस वर्ष की पढ़ाई में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

माननीय शिक्षा सचिव—लगभग १५००० रुपया जिसमें अध्यापकों की छात्रवृत्ति भी सम्मिलित है।

*८—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा का काम सीखने-वाले अध्यापकों को कुछ वजीफा मिलता है ? यदि हाँ, तो कितना ?

माननीय शिक्षा सचिव—जी हाँ। ३० रु० मासिक के हिसाब से।

*९—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—सरकार अध्यापकों की शिक्षा पूरी होने पर उनसे क्या और कहाँ काम लेना चाहती है ?

माननीय शिक्षा सचिव—पुराने और नये खोले जानेवाले स्कूलों में।

किस्मत कुमायूँ में मूक और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध

*१०—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—सन् १९४१ ई० की जन-गणना के अनुसार किस्मत कुमायूँ में कितने मूक और बधिर थे ?

माननीय शिक्षा सचिव—यह सूचना प्राप्त नहीं है।

*११—श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार कुमायूँ में मूक और बधिरों के लाभ के लिए कोई पाठशाला खोलना चाहती है ?

माननीय शिक्षा सचिव—नये स्कूल खोलते समय इस पर विचार किया जायगा।

खीरी में सीमेंट का वितरण

*१२—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में सन् १९४८ ई० में प्रतिमास कितनी सीमेंट आयी ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जितनी सीमेंट आयी, उसमें से कितनी शहरवालों को और कितनी गाँववालों को दी गयी ? उनका अनुपात क्या रहा ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि सीमेंट वितरण के लिए जो हाउसिंग कमेटियाँ जिले जिले में बनायी गयी हैं, उनसे सीमेंट का मिलना सरल नहीं, किन्तु दुष्कर हो गया है ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—(क) फरवरी, १९४८ ई० में ४२० बोरे, अगस्त १९४८ ई० में ११६४ बोरे, अक्तूबर १९४८ ई० में ३८० बोरे, कुल १९६४ बोरे।

(ख) ५०४ बोरे शहरी क्षेत्रों में और ४८२ बोरे देहाती क्षेत्रों में इस्तेमाल में आये। इनका अनुपात $१\frac{२२}{२३}$ है।

(ग) नहीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विदेशी सीमेंट पर कोई नियंत्रण है या नहीं ?

माननीय अन्न सचिव—नियंत्रण इस तरह से तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेड सीमेंट सूबे में आती है, उसकी क़ीमत के ऊपर अब प्रान्तीय सरकार ने ज़रूर नियंत्रण सा कर दिया है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न जिलों में विदेशी सीमेंट के भाव विभिन्न हैं ?

माननीय अन्न सचिव—हाँ, ऐसा है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—यह विभिन्न जिलों में दामों में फ़र्क़ क्यों है ?

माननीय अन्न सचिव—मुख्तलिफ जगहों में सीमेंट मुख्तलिफ दामों पर आते हैं और हमने जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया है कि वे ऐसी मीटिंग्स में कीमत तय करें और उचित मुनाफा निर्धारित करके वहाँ पर सीमेंट के वितरण और बिक्री का इन्तजाम करें।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—यह दाम जिला मैजिस्ट्रेट किस आधार पर कायम करते हैं या उनकी खुशी पर है जितना दाम चाहें निर्धारित कर दें?

माननीय अन्न सचिव—दाम कीमत, ट्रान्सपोर्ट चार्जेज, हैंडलिंग चार्जेज इत्यादि को नजर में रखकर जिला मैजिस्ट्रेट तय करते हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार को पता है कि विदेशी सीमेंट के ऊपर नियंत्रण लगाने से विदेशी सीमेंट की बहुत कमी हो गई है?

माननीय अन्न सचिव—नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जहाँ-जहाँ विदेशी सीमेंट पर जिला मैजिस्ट्रेटों ने नियंत्रण लगाया है वहाँ-वहाँ पर दाम घटे हैं, न कि बढ़े हैं।

विभिन्न जिलों में स्त्रियों को भगानेवाला संगठित गुंडों का गिरोह तथा उसकी रोकथाम

*१३—श्री अचल सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ आदि जिलों में संगठित गुन्डों के गिरोह हैं जो स्त्रियों और लड़कियों को भगाकर लाते हैं और उनका व्यापार करते हैं?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—सरकार को सूचना मिली है कि औरतों और लड़कियों के भगाने के लिये इन पाँच जिलों में गुन्डों के संगठित गिरोह तो नहीं हैं परन्तु आगरा, मथुरा व मेरठ जिलों में कुछ ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं का पता अवश्य चला है जो कि ब्याह कराने के बहाने औरतों को भगाकर बेच देते थे। उनके खिलाफ जाँच हो रही है।

श्री अचल सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो जाँच सरकार इन संस्थाओं और व्यक्तियों की कर रही है उसका क्या नतीजा हुआ?

माननीय पुलिस सचिव—पूरा ब्योरा देने के लिये मुझे नोटिस चाहिये।

*१४—श्री अचल सिंह—क्या सरकार ने इस गुंडेपन की कुप्रथा को रोकने का कोई प्रबन्ध किया है? यदि हाँ, तो क्या?

माननीय पुलिस सचिव—इस प्रकार की संस्थाओं तथा व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है तथा उनके सहायक व साथियों को ढूँढ़ निकालने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। अन्य प्रान्तों में उनकी शाखाओं का पता चलाने के लिये सी० आई० डी० की सहायता ली जाती है।

श्री अचल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की संस्थाओं और व्यक्तियों पर किस प्रकार की कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है और उनको ढूँढ़ने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—प्रयत्न की बात तो मैंने अपने जवाब में बतलाई है कि इन लोगों के कई ऐसी जगहों पर रेडस किये गये। जहाँ इस प्रकार की संस्थाएँ क़ायम हैं वहाँ तलाशी ली गई और कुछ उनके अकम्पिलिसेज भी पकड़े गये। फ़ीरोज़ाबाद वग़ैरह में कई गिरफ्तारियाँ हुईं, मुक़दमें वग़ैरह भी चलाये गये।

श्री अचल सिंह—अन्य प्रान्तों में सी० आई० डी० विभाग से पता लगाने में कहाँ तक कामयाबी हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—इसका पूरा ब्योरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन दूसरे सूबों से पता लगाने का काम तो शुरू किया ही गया है और उनके ज़रिये वहाँ की सी० आई० डी० से सम्पर्क रक्खा जा रहा है। क्या परिणाम हुआ, इसकी सूचना मैं अभी नहीं दे सकूँगा।

सन् १९४७-१९४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरी के पदाभिलाषियों की संख्या

*१५—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४७ ई० व सन् १९४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरी के लिए कितने सब-इस्पेक्टर मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिए भेजे गये ?

माननीय पुलिस सचिव—सन् १९४७ में २७८ तथा सन् १९४८ में ५०० उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिये पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद भेजे गये।

*१६—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सन् १९४७ ई० व सन् १९४८ ई० में जो लड़के सब-इंस्पेक्टरी के लिए मुरादाबाद ट्रेनिंग में भेजे गये, उनमें से कितने, किस-किस जाति के थे ?

माननीय पुलिस सचिव—इसका उत्तर देना जनहित की दृष्टि से उचित न होगा।

शेरपुर, ज़िला गाज़ीपुर के किसानों तथा ज़मींदारों के बीच मनमुटाव

* १७—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि गाज़ीपुर ज़िले में शेरपुर में किसानों पर ज़मींदारों की तरफ से अत्याचार हो रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—(क) जी नहीं, परन्तु अधिकारियों ने जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि गाँव-पंचायत के चुनाव के समय से शेरपुर गाँव के भूमिहारों और छोटी जातवालों के बीच कुछ मनमुटाव चला आ रहा है

(ख) ज़िलाधिकारियों को शान्ति-रक्षा का पूर्ण ध्यान है और वे शान्ति-स्थापना के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रान्त के ज़िलों से खुफ़िया रिपोर्ट

* १८—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यू० पी० के हर ज़िले की खुफ़िया-रिपोर्टें मिलती हैं ?

माननीय माल सचिव—सरकार को सब ज़िलों की उन विषयों की रिपोर्टें मिलती हैं जो उनके जानने योग्य हैं ।

प्रान्त में शरणार्थियों तथा युद्ध से लौटे सैनिकों के लिये भूमि की प्राप्ति

* १९—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रान्त में नई नई गाँव बसाने की योजना कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या वे गाँव परती में बसाये जायेंगे या मज़रूआ ज़मीन में ?

माननीय माल सचिव—ऐसी कोई व्यापक योजना तो नहीं की जा रही है परन्तु कालोनाईज़ेशन योजनाओं के अन्तर्गत नैनीताल तथा मेरठ ज़िले में तराई और गंगा खादर की मज़रूआ परती भूमि पर युद्ध से लौटे सैनिकों तथा शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है । इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये सरकार कुछ आधुनिक ढंग पर नये गाँव बसाने की योजना कर रही है ।

प्रान्तीय रक्षक दल, बुलन्दशहर द्वारा राष्ट्रीय पताकाओं का खरीदा जाना और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचना

* २०—श्री बलभद्र सिंह—क्या यह सत्य है कि गत स्वतन्त्रता दिवस के शुभअवसर पर प्रान्तीय रक्षा दल बुलन्दशहर की ओर से राष्ट्रीय पताकायें श्री गांधी

आश्रम से खरीदी जाकर अधिक मूल्य पर जिले में बेची गयी थीं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की नाप (साइज) और उनकी संख्या क्या थी ? आश्रम से किस दर से खरीदी गया तथा किस दर पर उन्हें बेचे जाने का आदेश दिया गया ? पताकाओं के दाम आश्रम को नकद दिये गये थे या वे उधार ली गयी थीं ?

*२१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रक्षा दल की ओर से यह व्यवसाय (खरीद फरोख्त) किस अधिकारी के आदेश से किया गया था ?

*२२—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पताकाओं की बिक्री से कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

(ख) इस विक्री कार्य में कोई कैशमीमों अथवा रसीद आदि का प्रयोग किया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या प्रमाण है कि बिक्री का कुल रुपया सही तौर से कोष में जमा हुआ ? कृपया उक्त पताकाओं से आय-व्यय का कुल हिसाब बताया जाय ?

*२३—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत अप्रैल मास से नवम्बर, सन् १९४८ ई० तक बुलन्दशहर जिले में प्रान्तीय रक्षा दल के लिए किस किस अवसर पर कितना-कितना रुपया जनता से जमा किया गया ?

(ख) इन चन्दों के लिए सरकार की ओर से क्या रसीदों का प्रयोग हुआ ?

(ग) यदि हाँ, तो रसीदों से प्राप्त रुपया की संख्या क्या है ? इस रुपया के व्यय का ब्योरा क्या है ?

*२४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बीच में जिले में प्रान्तीय रक्षा दल पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और इस में सरकारी सहायता क्या है ?

*२५—(क) क्या यह ठीक है कि जिले में प्रान्तीय रक्षा दल की एक कमेटी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दल के सरदारों के चुनाव के पश्चात् गत ८ मास में अर्थात् मार्च से अक्तूबर सन् १९४८ ई० के अन्त तक उक्त कमेटी की कोई मीटिंग कभी बुलायी गयी ?

(ख) रक्षा दल का कोई हिसाब (आय-व्यय) अब तक उक्त कमेटी के सामने पेश हुआ या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जो सूचना जिलाधीश बुलन्दशहर से प्राप्त हुई थी वह कुछ अंश में अपूर्ण थी। जिलाधीश से शेष सूचना माँगी गई है और उसके मिलने पर उत्तर दिया जायेगा।

गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ पर सरकारी व्यय

.२६—श्री राम कृपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ में कितने विद्यार्थी क्रमशः १९४६—४७, १९४७—४८ व १९४८—४९ में पढ़ते थे और कितना सरकारी खर्चा इन तीन वर्षों में प्रति वर्ष इस स्कूल पर हुआ है ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (श्री महफ़ूजुर्रहमान)—मेज़ पर रखी हुई सूची देखिये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९५ पर)

वनस्पति घी में रंग देने के लिये जनता की माँग

* २७—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कभी यह परीक्षा करवाई है कि जो रंग हलवाई लोग मिठाईयाँ बनाने में प्रयोग करते हैं वे मिठाइयों के सेवन करनेवालों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ।

* २८—श्री बादशाह गुप्त—यदि हाँ, तो क्या उक्त रंग हानिकारक पाये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की परीक्षा करने का इरादा रखती है ?

माननीय अन्न सचिव—परीक्षा करने पर कुछ रंग हानिकारक पाये गये हैं ?

श्री बादशाह गुप्त—कौन-कौन से रंग हानिकारक पाये गये हैं ?

माननीय अन्न सचिव—इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं और न मेरे पास विभाग से कोई जवाब आया है। यदि माननीय सदस्य इसका उत्तर चाहते हैं तो मैं इसकी नोटिस चाहूँगा।

श्री बादशाह गुप्त—जो रंग हानिकारक पाये गये हैं वे सूबे में किसी मिठाई में इस्तेमाल न किये जायँ, इसके लिये सरकार ने क्या क़दम उठाया है ?

माननीय अन्न सचिव—यहाँ से तो कोई हिदायत नहीं की गई। लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है हमारे डाइरेक्टर ऑफ़ हेल्थ, जो इस चीज का निरीक्षण करते हैं, समय समय पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर्स को आदेश देते हैं कि इस तरह के रंग मिठाइयों में सम्मिलित न किये जायँ।

* २९—श्री बादशाह गुप्त—यदि उक्त रंग हानिकारक नहीं हैं, तो उनमें से किसी रंग के वनस्पति घी में सम्मिलित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

※ ३०—क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता की माँग वनस्पति घी में रंग देने की है ? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उसे पूरा करने का इरादा रखती है ?

माननीय अन्न सचिव—वनस्पति घी में रंग देने की व्यवस्था संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य आलेख (बिल) में कर दी गई है। यह (आलेख) बिल अभी विशिष्ट समिति के विचाराधीन है जिसने इस विषय को केन्द्रीय सरकार को लिखा है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि वनस्पति घी को बन्द करने की माँग जनता में बहुत जबर्दस्त है ?

माननीय अन्न सचिव—हाँ, सरकार को इस बात का ज्ञान है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—वनस्पति घी को क़तई बन्द करने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

माननीय अन्न सचिव—अभी वनस्पति घी को क़तई बन्द करने का सवाल तो उठता नहीं है क्योंकि इस तरह की आवाज़ तो नहीं उठी। जो माँग उठाई गई है वह तो यह है कि जो वनस्पति घी बाजार में बिकता है वह रँग दिया जाय जिससे लोगों को असली घी और वनस्पति घी के खरीदने में कोई दिक़त न हो।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि कई बार यह बात उठाई गई कि वनस्पति घी में हल्दी का रंग मिला दिया जाय जो कि हजारों वर्षों से जनता इस्तेमाल करती आई है और उसमें कोई हानि नहीं होगी ?

माननीय अन्न सचिव—इस प्रकार की सलाह प्रान्तीय सरकार के पास आई है और इसके बारे में जानकारों ने यह सलाह दी है कि हल्दी के रंग से कोई नुक़सान नहीं होगा। परन्तु यह बात अभी क़तई तौर से नहीं तय हुई है कि वह रंग बराबर रहेगा। ऐसा मालूम होता है कि थोड़े दिनों के बाद वह रंग डिकलराइज्ड हो जायगा और घी फिर सफेद हो जायगा।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार ने इस बात पर ग़ौर किया है कि वनस्पति घी पर किसी तरह का नियंत्रण रखने से सूबे के रोजगार में कुछ कमी आ जायगी ?

माननीय अन्न सचिव—हो सकता है, लेकिन जनता की माँग तो यह है कि उसको रँगा जाय।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार जनता की इस माँग को जल्द से जल्द स्वीकार करने की कोशिश कर रही है ?

माननीय अन्न सचिव— हाँ, इसी कारण से सरकार ने शुद्ध खाद्य बिल इस भवन में उपस्थित किया है और आगामी सेशन में यहीं पर उसके ऊपर बहस होगी और वह बिल ऐक्ट के रूप में शायद इस हाउस के द्वारा पास किया जायगा।

श्री गणेश कृष्ण जैतली—वनस्पति घी के संबंध में रिसर्च कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है कि यह घी स्वास्थ्य के लिये उपयोगी है या हानिकारक है ?

माननीय अन्न सचिव—इस सिलसिले में प्रान्त में तो कोई रिसर्च हुई नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार बहुत सी बातों की जानकारी इस सिलसिले में कर रही है अभी कतई तौर पर इस सम्बन्ध में वह किसी राय पर नहीं पहुँच पाई है।

श्री ज्ञानचन्द गौतम—वनस्पति घी में रंग मिलाने का अधिकार क्या प्रान्तीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर है या उसके बाहर है ?

माननीय अन्न सचिव—पहले तो यही समझा गया था कि वह प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत है, इसी कारण से उस बिल में, जिसका उल्लेख अभी इस भवन में किया गया है, इस बात का समावेश किया गया था कि जो वेजिटेबिल घी तैयार किया जाय उसमें रंग दिया जाय। इस सिलसिले में कई बातें केन्द्रीय सरकार की तरफ से पिछले महीनों में उठाई गई परन्तु अब केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को इजाजत दे दी है कि वह इस बिल में जो रंग देने की बात है उसकी जो धारा शुद्ध खाद्य बिल में रक्खी गई है वह आगे चलावे।

प्रतापगढ़ सिटी के पास डाकुओं की गिरफ्तारी

*३१—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि लगभग डेढ़ या दो महीने हुए ग्रामवासियों ने प्रतापगढ़ सिटी के पास जंगल में कुछ लोगों को डाकू समझकर गिरफ्तार किया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

*३२—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या यह सही है कि वे लोग जिस समय गिरफ्तार किये गये आपस में कुछ माल बाँट रहे थे ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

*३३—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल**—गिरफ्तार हुए लोग कौन और कहाँ के थे ? क्या सरकार कृपा करके उनमें हरएक का नाम और पता बतलायेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—गिरफ्तार हुये व्यक्तियों के नाम व पते निम्न-लिखित हैं—

१. श्री कुर्बान कुरेशी	केवार, थाना रानीगंज
२. श्री मखदूम पासी	पृथ्वीगंज थाना कोतवाली
३. श्री झंगा पासी	पृथ्वीगज थाना बाघराय
४. श्री भूरे पासी	घर्रा, थाना बादशाहपुर जिला जौनपुर
५. श्री वज्री पासी	मौसूराबाद, थाना नवाबगंज जिला इलाहाबाद
६. श्री काशीराम ब्राह्मण	मुहल्ला सुखईटोला, ग्वालियर

❋ ३४—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल**—क्या गिरफ्तार हुये लोगों के पास कुछ हथियार भी बरामद हुए, यदि हुए तो क्या ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ, एक दो नली टोपीदार बन्दूक ।

❋ ३५—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार उन बहादुर ग्रामवासियों को जिन्होंने उन डाकुओं को गिरफ्तार किया कुछ इनाम देने को सोच रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ ।

श्री खानचन्द गौतम—सरकार ने ग्रामवासियों को जिन्होंने डाकुओं को पकड़ा था, इनाम देने के सिलसिले में निर्णय क्या किया है और उनको क्या क्या इनाम देने को सोचा है ।

माननीय पुलिस सचिव—निर्णय शीघ्र होनेवाला है और इरादा है कि इनाम काफी माकूल दिया जायगा ।

श्री खान चन्द गौतम—क्या सरकार ने उन डाकुओं को पकड़ने के लिये १० रुपया का इनाम जो रक्खा था उससे ज्यादा भी देने का इरादा कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—इरादा तो ऐसा ही है ।

* ३६—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या यह सही है कि उन गिरफ्तार हुए लोगों में से एक अभियुक्त केवल मुचलके पर छोड़ दिया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—बीमारी की वजह से काशीराम मुलजिम को केवल मुचलके पर छोड़ दिया गया था और उसको जमानत देने के लिये एक हफ्ते का वक्त दिया गया था ।

❋ ३७—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या यह सही है कि वह अभियुक्त जो मुचलके पर छूटा अपने साथ कुछ अस्पताल का सामान लेकर भाग गया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

*३८—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस भागे हुए मुलज़िम का अब तक कुछ पता चला कि नहीं?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं।

प्रतापगढ़ ज़िले में डकैतियों की संख्या और उनकी रोक-थाम

*३९—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ ज़िले में १ जनवरी, सन् १९४८ से २८ फरवरी, सन् १९४९ तक कितनी डकैतियाँ पड़ीं?

माननीय पुलिस सचिव—४१ डकैतियाँ पड़ीं।

*४०—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—उपर्युक्त समय के अन्दर डकैती से सम्बन्धित कितने आदमियों का चालान हुआ?

माननीय पुलिस सचिव—इस सम्बन्ध में अब तक ७१ आदमियों का चालान हुआ।

*४१—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—(क) कितने लोगों को डकैती में सज़ा मिली?

(ख) कितने छूट गये?

(ग) कौन-कौन डकैती में चालान हुए लोग ज़मानत पर छोड़े गये?

माननीय पुलिस सचिव—(क) १२ आदमियों को सज़ा मिली।

(ख) ३६ छूट गये।

(ग) विभिन्न डकैतियों से सम्बन्धित ६९ आदमी ज़मानत पर छोड़े गये।

*४२—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ ज़िले में कुल कितने थाने हैं?

माननीय पुलिस सचिव—ज़िले में कुल ११ थाने हैं।

*४३—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक थाने की डकैतियों की संख्या १-१-४८ से १-२-४९ तक कितनी रही?

माननीय पुलिस सचिव—सूचना निम्न प्रकार है—

थाना	डकैतियों की संख्या
१. कोतवाली	२
२. कुन्डा	३
३. बाघराय	२
४. जेठवारा	८
५. रानीगंज	७
६. संग्रामगढ़	४
७. लालगंज	५
८. संगीपुर	४
९. चंदिका	२
१०. कंधई	२
११. पट्टी	२

❀ ४४—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिन गाँवों में डकैतियाँ पड़ीं उनमें या उनके सन्निकट ग्राम में किसी के पास बन्दूक का लाइसेंस था ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

❀ ४५—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—यदि कोई लाइसेंसदार बन्दूक का था तो क्या डकैती को रोकने के लिये उसका प्रयोग किया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—घटना के समय लाइसेंसदारों की अनुपस्थित के कारण बन्दूक का प्रयोग नहीं किया गया।

प्रतापगढ़ में बन्दूक के लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र

❀ ४६—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—प्रतापगढ़ जिले में कुल कितने लोगों ने १-१-४८ से १-३-४९ तक बन्दूक के लाइसेंस की दरख्वास्तें दीं ?

माननीय पुलिस सचिव—कुल १२५ दरख्वास्तें दी गईं।

❀ ४७—**श्री श्याम सुंदर शुक्ल**—उनमें से कितने लोगों का लाइसेंस मंजूर हुआ और कितनों का नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—४६ लाइसेंस मंजूर हुये और ४२ नामंजूर तथा शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

*४८—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—उन नामंजूर हुई दरख्वास्तों पर कितनों के लिये एम० एल० ए० या कांग्रेस के अन्य जिम्मेदार आदमियों की सिफारिशें थीं ?

माननीय पुलिस सचिव—६ दरख्वास्तें जिन पर एम० एल० ए० तथा अन्य व्यक्तियों की सिफारिशें थीं नामंजूर की गई।

प्रतापगढ़ जिले में बाढ़ से क्षति

*४९—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि तथा बाढ़ से कितने और कौन-कौन ग्राम तथा कितने मकानों का नुकसान हुआ ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री चरण सिंह)—अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण १५ ग्रामों तथा २१४ मकानों को क्षति पहुँची। बाढ़-पीड़ित ग्रामों के नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*५०—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ में अधिकांश ग्रामों में फसल और चारे का अधिक नुकसान हो गया है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*५१—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को लगान में कुछ छूट देने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, सरकार ने २०,००० रु० १४ आने की लगान में छूट दी है।

किछौछा शरीफ जिला फैजाबाद में बम-दुर्घटना

*५२—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि किछौछा शरीफ, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद में उर्स के मेले के मौके पर मजमे के अन्दर मशीन के ढले हुए तीन बम टूटे और ५ बम बगैर टूटे मिले ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

※ ५३—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बम टूटने से सात व्यक्ति घायल होकर दाखिल अस्पताल हुए जिसमें दो मर गये ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। बम फटने से सात व्यक्ति घायल हुए जो अकबरपुर के अस्पताल में दाखिल कर दिये गये। इनमें एक ८ वर्ष की बालिका थी जो दूसरे ही दिन मर गई और एक औरत जो लगभग एक महीना बाद मर गई।

※ ५४—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केवल एक व्यक्ति इस बारे में गिरफ्तार हुआ है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

श्री गजाधर प्रसाद—सरकार उस व्यक्ति के मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—अभी तक मुकदमा चलाया नहीं गया है। वहाँ के अधिकारियों की राय है कि बावजूद गिरफ्तारी के मुकदमा बहुत कमजोर है। यहाँ से उनको हिदायत दी गई है कि वह जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

※ ५५—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस बारे में स्थानीय कर्मचारियों ने किसी शख्स के मकान की तलाशी ली या नहीं ? अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—किसी घर की तलाशी नहीं ली गई क्योंकि इस बात का न तो सन्देह ही था और न कोई सबूत ही कि किसी मकान में ऐसे बम छिपाये गये होंगे।

कुन्हटा ज़िला हमीरपुर के जंगल में खेती

※ ५६—**श्री श्रीपति सहाय**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुन्हटा के जंगल का जो ज़िला हमीरपुर में है कितना रक़बा है ?

श्री चरण सिंह—२,७८६ एकड़।

※ ५७—**श्री श्रीपति सहाय**—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त जंगल के कितने रक़बे में खेती होती है और कितना जंगल है ?

श्री चरण सिंह—१७१४ एकड़ रकबे में खेती होती है।

※ ५८—**श्री श्रीपति सहाय**—क्या उक्त जंगल में खेती करने के लिये कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हाँ, तो वे प्रार्थना-पत्र किस-किस के हैं और उन पर क्या-क्या आज्ञायें हुईं ?

श्री चरण सिंह—जिन लोगों ने उक्त जंगल में खेती करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये उनके नाम निम्नांकित हैं और जो आज्ञायें उनके प्रार्थना-पत्रों पर हुईं उनके सामने लिखी हैं—

१. श्री कल्पना शंकर, २. श्री हर चरण लाल..	मंजूर
३. श्री चन्द्र नाथ, ४. श्री श्याम लाल इत्यादि, ५. श्री गौरी शंकर, ६. श्री देवकी, ७. श्री बैज नाथ, ८. श्री भइया लाल, ९. श्री चुनू वाद, १०. श्री इजागर, ११. श्री माता दीन, १२. श्री बिलू सिंह, १३. श्री राम दास इत्यादि, १४. श्री पूरन नाई, १५. श्री सुख लाल सिंह, १६. श्री बखता तथा १७. श्री मथुरा।	नामंजूर

* ५९—**श्री श्रीपति सहाय**—क्या उपरोक्त जंगल अभी हाल में काश्त पर उठाया गया है?

श्री चरण सिंह—९१.३२ एकड़ परती जमीन खेती के योग्य है और उसी का पट्टा हाल में दिया गया है।

* ६०—**श्री श्रीपति सहाय**—क्या सरकार की कोई योजना है कि उक्त जंगल में ट्यूबवेल लगा कर खेती कराई जाय?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

फैजाबाद शहर में शरणार्थियों की गुमटियों के कारण जनता को कष्ट

* ६१—**श्री राजाराम मिश्र** (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को विदित है कि फैजाबाद शहर के अन्दर लगभग एक सौ से अधिक शरणार्थियों की गुमटियाँ (लकड़ी की दूकानें) चौक और बजाजे में सड़क के बीच में अभी भी लगी हुई हैं, जिससे जनता को कष्ट पहुँच रहा है?

(ख) वहाँ की जनता और दूकानदारान की ओर से उपर्युक्त गुमटियों को वहाँ से हटाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(ग) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़कों पर गुमटियों के लग जाने से सवारियों और मोटर आदि के आने जाने से मार्ग में तंगी आ गई है और इस कारण वहाँ छोटी-छोटी कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। वहाँ के रहने वालों ने उन- लकड़ी की दूकानों को हटवाने के

लिए प्रार्थना-पत्र भेजे, परन्तु उन दूकानों के लिए कोई दूसरा स्थान न मिलने के कारण वे अभी तक हटाई नहीं गई हैं।

(ग) सड़क पर गाड़ी इत्यादि चलने के लिए पर्याप्त जगह में कमी अवश्य हो गई है और रास्ता संकरा हो गया है, परन्तु इसके कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

फैज़ाबाद के कमिश्नरी के दफ़्तर को लखनऊ लाने पर विचार

*६२—श्री राजाराम मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार फैज़ाबाद शहर से वहाँ के कमिश्नरी के दफ़्तर को हटा कर लखनऊ लाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों?

माननीय माल सचिव—सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी, बाद में उत्तर दे दिया जायगा।

लखनऊ स्थित कमिश्नर के ऑफ़िस को फ़ैज़ाबाद ले जाने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*६३—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि लखनऊ में स्थित कमिश्नर का ऑफ़िस हटा कर फ़ैज़ाबाद में ले जाने की योजना है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

*६४—क्या यह सही है कि लखनऊ में कमिश्नर के कार्यालय का भवन एवं कम्पाउंड फ़ैज़ाबाद के कार्यालय के भवन से बहुत बड़ा है, और फ़ैज़ाबाद में दोनों कमिश्नरियों के कार्यालयों के रहने की सुविधा नहीं है?

*६५—क्या यह सही है कि लखनऊ के कमिश्नर को लखनऊ में कई संस्थाओं के अध्यक्ष पद की हैसियत से काम करने के लिए प्रायः आना पड़ता है?

*६६—क्या यह सही है कि लखनऊ से कमिश्नर का दफ़्तर फ़ैज़ाबाद ले जाने की अपेक्षा फ़ैज़ाबाद से कमिश्नर का दफ़्तर लखनऊ लाने में कम व्यय होगा?

श्री चरण सिंह—सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी, बाद में उत्तर दे दिया जायगा।

तहसील पड़रौना, ज़िला देवरिया के विभिन्न गाँवों की मालगुज़ारी और लगान

*६७—श्री गजाधर प्रसाद—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बन्नौर, गुनबी, परसौनी जनूबी, हनुमान गंज, नरायनपुर और बाघाचौर, तहसील पड़रौना, ज़िला देवरिया की पृथक पृथक प्रत्येक गाँव की मालगुजारी सरकार और लगान कितना है और प्रति एकड़ क्या दर है ?

(ख) पिछले वर्ष यानी १३५५ फसली में उक्त गाँवों में कितनी रक़म किसानों से वसूल हुई थी ?

(ग) उक्त गाँवों में पिछले वर्ष १३५५ फसली में कितने वारण्ट्स गिरफ्तारी, कुर्की और नीलाम की कार्यवाही के लिये लगान वसूली के सम्बन्ध में निकाले गए थे ?

श्री चरण सिंह—उक्त ब्योरा मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७ पर)

दैनिक पत्र 'उजाला' के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*६८—श्री शिवदान सिंह—(क) क्या सरकार को पता है कि आगरे का दैनिक पत्र 'उजाला' सन् १९४२ के दमन का शिकार हुआ था और १ साल तक बन्द रक्खा गया था ?

(ख) क्या सरकार ने उसकी क्षति पूर्ति के लिये कोई सहायता दी ?

(ग) क्या अब फिर 'उजाला' का प्रेस २९ जनवरी से सील किया गया है ?

(घ) क्या सील करने से पहिले उसे अपराध बताकर कोई जवाब तलब किया गया ?

(ङ) क्या इस विषय में कोई चेतावनी दी गई ?

(च) क्या ज़मानत माँगी गई ?

(छ) क्या किसी आरोप की सत्य-असत्यता बताने का कोई अवसर दिया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) जी हाँ। 'उजाला' प्रेस तथा पत्र अगस्त, सन् १९४२ ई० से अगस्त १, सन् १९४३ ई० तक बन्द रहा।

(ख) उस समय की सरकार ने इस प्रेस की क्षतिपूर्ति के लिये कोई सहायता दी या नहीं, यह पता नहीं है।

(ग) जी हाँ। यह प्रेस जनवरी २६, सन् १६४६ ई० को सील किया गया और मार्च ६, सन् १६४६ ई० को फिर उसके मालिक को लौटा दिया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं।

*६६—**श्री शिवदान सिंह**—(क) क्या सरकार को पता है कि 'उजाला' के लेख कांग्रेस नीति के समर्थक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हरकतों के विरोधी रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो प्रेस को बंद कराने का क्या कारण है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) कांग्रेस के संबंध में उसकी जो नीति रही हो परन्तु दूसरे हिस्से का जवाब नहीं में है।

(ख) सरकार को पता चला था कि इस प्रेस में संघ संबंधी कार्यवाही होती थी और चूंकि संघ अवैध घोषित किया जा चुका था इसलिये प्रेस के विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी समझा गया।

विभिन्न जिलों में अछूतों की सहायता के लिये जिला अफ़सरों की नियुक्ति

*७०—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला अफ़सर नियुक्त करने की कोई योजना करनेवाली है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या काम हुआ है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—(क) जी हाँ। परन्तु इस समय यद्यपि २२ जिलों में जहाँ हरिजन आबादी अधिक है हरिजन-सुधार का कार्य घनिष्ठ रूप से करना निश्चय हुआ है, जिला हरिजन अफ़सरों की नियुक्ति की योजना केवल ६ जिलों के लिये है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखा पढ़ी कर रही है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या प्रत्येक जिले में ऐसे अफसर रक्खे गये हैं?

श्री गोविन्द सहाय—इस प्रश्न के उत्तर लिखे जाने के बाद में काफी तरक्की हो गयी है और हर जिले में यह काम शुरू किया जायगा।

डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफ़सर की योग्यता तथा उनका वेतन

*७१—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) ग्राम पंचायतों को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफ़सर कब तक नियुक्त करेगी?

(ख) उनकी योग्यता और वेतन की क्या क़ैद है?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—यह विषय अभी शासन के विचाराधीन है।

जौनपुर जिले में नये अस्पतालों का खोला जाना

*७२—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—जौनपुर जिले में सरकार कितने नये अस्पताल खोलने जा रही है और कहां कहां?

माननीय अन्न सचिव—इस साल सरकार सूबे के ग्रामीण क्षेत्र में १६० औषधालय खोलने जा रही है। इनमें से कुछ औषधालय जौनपुर जिले में भी खुलेंगे। यह अभी तय नहीं हुआ है कि किस जिले में कितने औषधालय खुलेंगे और कहां कहां।

नये प्रेसों तथा नये अखबारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति

*७३—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—नये प्रेस खोलने और नये अखबारों के निकालने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

माननीय अन्न सचिव—१. बाहर से बहुत सा कागज आ जाने के कारण सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों और प्रान्तीय पेपर कंट्रोलर की सिफारिश पर नये प्रेस खोलने की इजाज़त देना तय किया है।

२. नये अखबार निकालने से प्रान्तीय सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सफ़ेद कागज पर अखबार निकालने की इजाज़त देने का अधिकार केवल

भारत सरकार को ही है। अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) पर अखबार निकालने के लिये किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कागज से कंट्रोल हटा लिया गया है।

जौनपुर जिले में सिंचाई का प्रबंध

*७४—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या सरकार ने जौनपुर जिले में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना की है?

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कार्य किया है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा मंत्री (श्री लताफ़त हुसैन)—(क) सरकार घाघरा नदी के दक्खिन की तरफ़ जौनपुर और दूसरे जिलों में सिंचाई की सहूलियतें पम्प्ड कैनाल्स और ट्यूबवेल योजनाओं द्वारा पहुँचाने की जाँच कर रही है

(ख) अभी सर्वे हो रहा है।

जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्रान्तीयकरण

*७५—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्राविंशलाइज करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जी नहीं।

*७६—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में बेदखलियाँ तथा किसानों को भूमि की वापसी

*७७—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में दफ़ा १७१ क़ानून के अन्तर्गत कुल कितनी बेदखलियाँ हुई थीं? वापिसी के क़ानून द्वारा कुल कितनी जमीन किसानों को वापिस दी गई और कितनी बेदखलियों के बाबत वापसी की दरख्वास्त किसानों ने नहीं दी?

श्री चरण सिंह—यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ की धारा १७१ के अन्तर्गत जौनपुर जिले में कुल १,७४८ बेदखलियाँ हुईं।

९२४.५५ एकड़ भूमि वापिसी के क़ानून द्वारा कृषकों को लौटा दी गई।

८५९ वादों के सम्बन्ध में कृषकों ने भूमि लौटाने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिये।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि बेदखल की गई जमीनों की वापसी का पूरा पूरा प्रोपेगैण्डा न होने के कारण किसान प्रार्थना-पत्र न दे सके ?

श्री चरण सिंह—सरकार को आशा है कि माननीय सदस्य जैसे व्यक्तियों से जो कानून पास किया जाता है उन सबका काफी प्रचार होगा। यह कानून गजट में छपते हैं और अखबारों में भी छप जाते हैं। और इसके अलावा भी माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने किसानों से ऐसी बेदखली जमीन को वापसी के लिये पुनः कोई समय निर्धारित किया है ?

श्री चरण सिंह—कानून के अन्दर ६ महीने की मियाद है, उसके बाद प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते और गवर्नमेंट ने इस मसले पर विचार नहीं किया है।

मड़ियाऊँ-केराकत सड़क का प्रान्तीयकरण

*७८—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने जौनपुर जिले में मड़ियाऊँ से केराकत जानेवाली सड़क को प्राविंशियलाइज कर लिया है ?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं।

७९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[स्थगित किया गया।]

*८०-८३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—[स्थगित किये गये।]

राजनीतिक कैदियों के घरवालों को भत्ता

*८४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—सरकार ने उन राजनीतिक कैदियों को जो नजरबन्द किये गये हैं भत्ता अलाउन्स देने के बारे में क्या तै किया है ? किस-किस तरह के कैदियों के खानदानों को दौरान कैद भत्ता दिया जायगा ?

श्री गोविन्द सहाय—नजरबन्द कैदियों के घरवालों को गुजारे का भत्ता दिया जाता है, यदि नजरबन्दी के पहले घरवाले उस पर आश्रित रहे हों और कैदी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप उसके कुटुम्ब की आर्थिक अवस्था ऐसी हो गई हो कि बिना सरकारी सहायता के उनका काम न चल सके।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि किन किन पार्टियों के कैदियों को राजनीतिक कैदी करार कर दिया है ?

श्री गोविन्द सहाय—यह सवाल नहीं उठता है।

माननीय स्पीकर—यह तो मेरा काम है। पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी अपने ऊपर इसका बोझ न लें कि कौन सा सवाल मुनासिब है और कौन सा नामुनासिब है। उनका अधिकार है जवाब देने का।

श्री गोविन्द सहाय—किसी क़ैदी को पार्टी के आधार पर राजनीतिक क़ैदी करार नहीं दिया जाता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि इस वक्त कितने क़ैदियों के फ़ैमिलीज को एलाउंस दिया जा रहा है?

श्री गोविन्द सहाय—ठीक नहीं बता सकता हूँ, क़रीब ४५ के हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि कितने क़ैदी नज़रबन्द हैं जिनको एलाउंस नहीं दिया जाता है?

श्री गोविन्द सहाय—जितनी तादाद मैंने बताई है उसके अलावा जो हैं उनको नहीं दिया जाता है।

किसानों द्वारा खेतों की सिंचाई करते समय पानी का बेकार बहाना

*८६—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो किसान नहर का पानी अपने खेत में ले जाते हैं, वे प्रायः जितना पानी खेत में लगाते हैं उससे कहीं अधिक पानी गलियारों या गड्ढों में भर देते हैं जिससे दूसरे किसानों को पानी नहीं मिलता?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं, लेकिन सरकार को यह मालूम है कि पानी ले जानेवाली नालियों से जब किसान पानी अपने खेतों की सिंचाई के लिए ले जाते हैं तो उसमें का कुछ हिस्सा गाँव के गलियारों और गडढों में जाया हो जाता है। यह जाया हो जानेवाला पानी खेतों में सिंचाई के काम में आनेवाले के मुकाबिले में बहुत थोड़ा होता है।

*८७—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की रिपोर्ट हल्के का पतरौल देता है कि अमुक किसान ने इतना पानी अपने खेत में लगाया और उससे अधिक खराब किया? ऐसी रिपोर्टों पर सरकार क्या कार्यवाही करती है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—हल्के का पतरौल पानी जाया होने के बारे में जो वाक़यात उसकी नज़र में आते हैं एक रिपोर्ट ज़िलेदार को भेजता

है, जो कि सामने के जांच करता है और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जाया किये गये पानी का अन्दाजा लगाकर किसानों पर प्यूनिटिव रेट लगाया जाता है।

पतरौल का काश्तकारों से रिशवत लेना

*८८—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि पतरौल प्रायः काश्तकारों से रुपया लेकर नल, नहर या बम्बे से उखाड़ कर पानी ले उधर कर दिया करता है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी नहीं। सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

सरकारी विभागों में रिशवतखोरी

*८९—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेंगी कि उसके पास आई हुई सूचनाओं के अनुसार रिशवत किन किन डिपार्टमेंटों में बन्द हो गई या बहुत कम हो गई और अभी किन में जारी है?

माननीय प्रधान सचिव—इन मामलों के सम्बन्ध में जहाँ तक हो सकता था काफी सूचना बजट पर बहस के सिलसिले में दी जा चुकी है। जितनी सूचना इस समय प्राप्त है उनके आधार पर इससे अधिक नहीं कहा जा सकता है। सरकार के सब विभागों को पूर्ण तरह से जाँचने में बहुत समय लगेगा और काफी धन भी खर्च होगा जो कि आवश्यक मालूम नहीं देता।

प्रान्त के विभिन्न ज़िला बोर्डों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*९०—श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त के ज़िला बोर्डों के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के विषय में सरकार ने कोई नीति निर्धारित कर ली है?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ।

श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार सूबे की ऐसी संस्थाओं के सब अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने की कृपा करेगी?

माननीय अन्न सचिव—सरकार ने उन स्थानों के अस्पतालों को जो शहरों में हैं और उन स्थानों में हैं जहाँ रिलीजस फेयर्स इत्यादि होते हैं उन तमाम अस्पतालों को प्रान्तीयकरण की योजना में लिया है और उनका प्रान्तीय-

करण भी कर लिया है। जहाँ जहाँ जिला बोर्डों के अस्पतालों में ठीक इन्तजाम न हो हो रहा है और ऐसे अस्पतालों को जहाँ से अधिक संख्या में जनता फ़ायदा उठाती है उन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न सरकार के सामने है और ज्यों ज्यों सरकार का कोष उनके प्रान्तीयकरण की इजाजत देता है वहाँ पर प्रान्तीयकरण किया जा रहा है।

श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अस्पतालों के अलावा जो अस्पताल हैं उनका प्रान्तीयकरण करने को सोच रही है?

माननीय अन्न सचिव—अभी तक इस बात के ऊपर विचार नहीं किया गया है। इन अस्पतालों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। जब सरकार के पास रिपोर्ट आयेगी और जहाँ जिला बोर्ड अस्पताल चलाने में असमर्थ हैं और जहाँ जहाँ इन्तजाम खराब है उनके प्रान्तीयकरण करने के सिलसिले में भी विचार करेगी।

श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार के पास ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं?

माननीय अन्न सचिव—मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है।

*९१—**श्री हर गोविन्द पन्त**—यदि हाँ, तो क्या सरकार बतलायेगी कि उस नीति के अनुसार प्रान्त भर में कुल कितने अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो चुका है?

माननीय अन्न सचिव—१०१

*९२—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिले अल्मोड़े में जिला बोर्ड के कुल कितने अस्पताल हैं और उनमें से कितनों का प्रान्तीयकरण अब तक हो सका है?

माननीय अन्न सचिव—१४। सदर अस्पताल अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण हो चुका है, १३ ग्रामीण अस्पतालों में से अभी किसी का प्रान्तीयकरण नहीं हुआ है।

*९३—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा के चम्पावत तहसील के लोहाघाट में स्थित अस्पताल के प्रान्तीयकरण के बाबत कोई सिफारिशें आई हैं? क्या इस अस्पताल के आँकड़े भी सरकार के पास पहुँच चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसके विषय में किसी निश्चय पर पहुँच पाई या नहीं?

माननीय अन्न सचिव—ह, ... अभी इस विषय में सरकार विचार कर रही है।

रानीखेत तहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव

*९४—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या रानीखेत तहसील के हेड क्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या प्रान्तीय सरकार का कोई अस्पताल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की वहाँ कोई अस्पताल बनाने की योजना है ?

माननीय अन्न सचिव—(क) नहीं।

(ख) सरकार रानीखेत में एक सिविल अस्पताल बनाने की योजना कर

रानीखेत की छावनी का अस्पताल

*९५—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार को ज्ञात है कि रानीखेत की छावनी के अस्पताल में देहाती जनता के इलाज का पूरी सुविधा नहीं है ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ, सूचनाओं से ऐसा ही प्रतीत होता है।

जिला अल्मोड़ा में ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों की दुबारा नियुक्ति का आधार

*९६—**श्री हर गोविन्द पन्त**—(क) जब प्रान्त में कांग्रेस के मन्त्रिमंडल स्थापित होने पर जिला अल्मोड़ा में ग्रामसुधार विभाग खुला था, उसमें कितने आर्गनाइजर नियुक्त हुए थे और उनमें से कितने राजनैतिक पीड़ित थे ?

(ख) वर्तमान समय में इन राजनैतिक पीड़ितों की संख्या अब कितनी रह गई है ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशव देव मालवीय)—(क) सन् १९४६ में जब कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने पद ग्रहण किया। उस समय सरकार के आदेश के अनुसार ग्रामसुधार आफिसर ने उन १८ सर्किल आर्गनाइजरों को फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया, जिन्होंने राजनैतिक आधार पर त्याग पत्र दिया था। इनमें से कुल १२ आर्गनाइजरों ने चार्ज लिया और ५ आर्गनाइजरों ने चार्ज लेना उचित नहीं समझा।

(ख) छः।

श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि जो आर्गनाइजर राजनैतिक ख्याल के कारण अलग किये गये थे, वह फिर लिये जा सकते हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—कई बार सरकार ने इसका ऐलान किया है कि जो आर्गेनाइजर राजनीतिक विचार के कारण अलग हुए वे फिर से आ सकते हैं। कई बार माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह फिर लिये जायें। इस सम्बन्ध में जब काफी दरख्वास्तें आयेंगी तो सरकार इन पर विचार करेगी।

श्री हर गोविन्द पन्त—क्या इन आर्गेनाइजर्स की संख्या घटने का कारण इन राजनीतिक पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार न होना तो नहीं है?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार को तो ऐसा मालूम नहीं होता है।

* ६७—**श्री हर गोविन्द पन्त**—(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामसुधार का काम अब सहयोग समितियों के पास दे दिया गया है और आर्गेनाइजरों का नाम बदल कर सुपरवाइजर रक्खा गया है, और कुछ नये सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है?

(ख) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये सुपरवाइजरों को कितना मासिक वेतन मिलता है और पुराने आर्गेनाइजरों को कितना?

माननीय उद्योग सचिव—(क) १. जी हाँ।

२. जी नहीं।

३. जी हाँ।

(ख) कोआपरेटिव सुपरवाइजरों का स्केल ३०-६५ रु० है, और हाई स्कूल पासवालों का शुरू में ३६ रु० दिये जाते हैं। इन लोगों को महंगाई भत्ते के अलावा बँधा सफर खर्च ११ रु० कांटिजेंसी १ रु० और बारबरदारी का भत्ता (पोर्टर एलाउंस) १० रु० मिलता है। ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों को भी ३०-६५ रु० का स्केल मिलता है और बँधा सफर खर्च १० रु० और महँगाई भत्ता सरकार के क़ानून के मुताबिक मिलता है। इसके अलावा इन लोगों को ७ रु० सालाना कागज पेंसिल टिकट इत्यादि के लिये भी मिलते हैं।

ग्रामसुधार के सुपरवाइज़र तथा आर्गेनाइज़रों की योग्यता में भेद

* ६८—**श्री हर गोविन्द पन्त**—सुपरवाइजर तथा आर्गेनाइजरों की योग्यता में क्या भेद है?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार ने कोआपरेटिव सुपरवाइजरों और सर्किल आर्गेनाइजरों के लिये जो शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें निर्धारित की हैं, उनमें बहुत कम फ़र्क़ है। इन लोगों को कम से कम हिन्दी मिडिल पास होना चाहिये, हाई स्कूल पासवालों को तरजीह दी जाती है।

टाँडा, जिला फैजाबाद की आटे की चक्कियों का तेल का मासिक कोटा

*९९—श्री जय राम वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि फैजाबाद जिले में टाँडा म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के भीतर जो आटे की चक्कियाँ हैं उन्हें अलग अलग कितना कितना मासिक तेल का कोटा मिलता है?

माननीय पुलिस सचिव—जिलाधीश फैजाबाद, बर्मा शेल कम्पनी लखनऊ, स्टैण्डर्ड वैकुम कम्पनी व इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी कलकत्ता के प्रत्युत्तरों से मालूम हुआ है कि टाँडा म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर १८ चक्कियाँ हैं। इन चक्कियों में से १४ चालू हैं और बाकी नहीं चल रही हैं। इन चक्कियों को अलग अलग कम्पनियों द्वारा मासिक कोटा निश्चित है जिनको माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। चक्की नं० ८ और १० को तेल देना मार्च, १९४९ से बन्द है और चक्की नं० १७ का तेल फरवरी, १९४९ से बन्द है।

*१००—श्री जय राम वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त आटे की चक्कियों में से कुछ गत कई महीनों से बन्द हैं, लेकिन उन्हें बराबर मासिक तेल का कोटा मिलता जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं। बर्मा शेल के कथनानुसार ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि चक्कियों के बन्द होने पर भी उन्हें तेल दिया गया हो।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद

माननीय प्रधान सचिव—श्रीमान् स्पीकर महोदय, मुझे अफसोस है कि हमारी असेम्बली की आखिरी बैठक के बाद हमारा इस असेम्बली के एक प्रमुख सदस्य श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा का स्वर्गवास हो गया। वर्मा जी अपने बाल्यकाल से ही लगन के साथ देश की सेवा करनेवाले स्वतन्त्रता के योद्धाओं में प्रमुख स्थान रखते थे। उन्होंने पहले जब इस देश में गांधी जी का मूवमेंट शुरू हुआ तो पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ में कुछ समय तक शिक्षा पायी थी। वे निरन्तर तब से अपने आखिरी दम तक देश की ही सेवा में व्यस्त रहे और उन्होंने उसी को सबसे ऊँचा स्थान दिया और अपनी ओर जरूरतों और अपने कष्टों का भी उन्होंने कभी किसी तरह से ध्यान नहीं किया और हर तरह की तकलीफें उन्होंने अपनी जिन्दगी में सहीं। वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विशेषज्ञ थे। उन्होंने झाँसी में, इलाहाबाद में और कानपुर में स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्य किया और हमारी इस असेम्बली के वे एक सम्माननीय व्यक्ति थे। हमारे सदस्यों में उनका एक ऊँचा स्थान है। हमारी पार्टी के वे एक पथ-प्रदर्शकों में थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि कम उम्र में ही वह

हमको छोड़कर चले गये। उनके परिवारवालों के साथ इस सारे भवन की पूरी सहानुभूति है और यह मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जो क्षति उनके इस अकाल स्वर्गप्रयाण से हुई, उसको अधिक कहना कठिन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भवन की ओर से उनकी विधवा पत्नी और अन्य कुटुम्बियों को सहानुभूति भेजने की कृपा करें।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, अपने दोस्त वर्मा जी से मेरा काफी जाती ताल्लुक था और उनकी सियासी जिन्दगी के तमाम पहलुओं को मैंने अपने तौर पर देखा, उसमें जो चीज मैंने महसूस की वह यह थी कि वह अपनी जिन्दगी के उसूलों पर सख्ती से कारबन्द हुआ करते थे। चाहे लोग उनसे राजी हों या न हों या उनकी उन बातों को न मानें लेकिन जिन बातों को वे सही समझते थे उन पर सख्ती से कारबन्द होते थे। इसका कभी ख्याल नहीं करते थे कि लोगों का उनके मुताल्लिक क्या ख्याल है। वे अपने दिली ख्यालात का इजहार बहुत ही बहादुरी, बहुत ही सचाई और ईमानदारी के साथ हर एक के सामने कर दिया करते थे, चाहे उनके मुखालिफ या उनके दोस्त उसे पसन्द करें या न करें। मुझे अफसोस है कि आज वे हम में नहीं हैं और इलाहाबाद के लिए खास तौर से यह अफसोस की बात है क्योंकि उनकी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ही शहर में गुजरा। यह ऐसी कमी है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। यह जरूर सही है कि इधर वे कुछ दिनों से कानपुर में रह रहे थे और बीमार थे और हम सब एक दूसरे से मिल न सके लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। मैं भी जनाबवाला, जैसा कि जनाब प्रीमियर साहब ने कहा है, आप से इस्तदुआ करूँगा कि हमारी हमदर्दी उनके पसमान्दगान के पास भेज दें। उनकी मौत से हमें बहुत अफसोस है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, यद्यपि वर्मा जी से मुझे इसी भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ परन्तु इतने दिनों ही में मैं उनकी योग्यता, दूरदर्शिता और सौजन्यता का सदैव प्रशंसक रहा। ऐसे विचारशील और योग्य व्यक्ति का संसार से असमय उठ जाना जनता के लिए ही दुख का कारण नहीं बल्कि राज्य के प्रबन्ध में और इस धारा सभा की कार्यवाही में त्रुटि विशेष रूप से पैदा करता है। मुझको अत्यन्त खेद है कि ऐसा योग्य व्यक्ति इस धारा सभा का ऐसे समय में उठ गया। मैं उनके परिवार के साथ सहानुभूति और माननीय प्रधान सचिव के इन शब्दों से सहयोग करता हूँ।

श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब स्पीकर साहब, हमारे दोस्त और साथी श्री बी० एन० वर्मा के मुताल्लिक जो हमारे आनरेबिल प्रीमियर साहब ने फरमाया उससे हम सबको इत्तफाक है। मैं जाती तौर पर वर्मा जी से बहुत

श्री सुल्तान आलमख़ाँ]

ज़्यादा वाक़िफ़ नहीं था मेरी उनसे मुलाक़ात इसी भवन में हुई थी, लेकिन जो कुछ मुझे उनके मुतालिक़ मालूम हुआ उससे मैं जानता हूँ कि वह एक बहुत वासूल और बड़े कैरेक्टर के आदमी थे। और इस भवन में और इस भवन के बाहर भी उन्होंने जो ख़िदमात अंजाम दी है वह ख़िदमात क़ाबिले लिहाज़ हैं और पसन्दीदा हैं मुझे अफ़सोस है कि आज हमें उनके यहाँ से उठ जाने के मातम करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बराबर जब हम यहाँ पर असेम्बली में बैठने हैं तो हमको किसी न किसी साथी का मातम करना पड़ता है। उनमे आज यह एक और इज़ाफ़ा हो गया है। मुझे यक़ीन है कि हम सब लोग उनके अज़ीज़ों और जिनको यह सदमा उठाना पड़ा है उनके साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। मैं यह भी यक़ीन करता हूँ कि माननीय स्पीकर साहब हम सब की तरफ़ से उनके सब अज़ीज़ों को हमारी हमदर्दी का पैग़ाम पहुँचा देंगे।

माननीय स्पीकर—श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा का इस कम उम्र में चले जाना हमारे प्रान्त के लिए दुख देनेवाली घटना है। वह हमारे पुराने तपे हुए कांग्रेस के सिपाहियों में से थे; उन दिनों में जब कांग्रेस का सदस्य होना अपने ऊपर गवर्नमेंट का क्रोध बुलाना था वह एक बहादुर कांग्रेस के सिपाही थे। अब तो कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गयी है, बहुत लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन दिनों में, जब स्वतन्त्रता की लड़ाई का कुल बोझ कांग्रेसवालों पर था, वह समय था जब कांग्रेस का सदस्य होने का कुछ विशेष अर्थ था। भुवनेश्वरी नारायण वर्मा हमारे उन युवकों में से थे जिन्होंने त्याग की भावना और देश को स्वतन्त्र करने की भावना को सामने रख अपने वैयक्तिक भविष्य को तिलांजलि दी। मैं निजी रीति से जानता हूँ कि उस आदमी में कितनी हिम्मत थी और कितनी पारिवारिक कठिनाइयाँ उन्होंने सही थीं और साथ ही किस मुस्कराहट के साथ वह उन कठिनाइयों के बीच में बरतते थे मेरे साथ वह जेलख़ाने में भी रहे थे और बाहर भी मेरा उनका बहुत आपसी सम्बन्ध था। मेरे लिए तो उनका जाना विशेष रीति से दुःखद हुआ है। हृदय की बात तो सब कही भी नहीं जा सकती। आप सबों की तरफ़ से मैं उनके कुटुम्ब को आपके विचार और आपकी सहानुभूति की सूचना दूँगा। मेरा निवेदन है कि सब मेम्बर खड़े होकर अपना खेद प्रकट करें।

(सदस्यों ने खड़े होकर शोक प्रकट किया।)

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद

माननीय प्रधान सचिव—मुझे सख़्त अफ़सोस है कि ग़ालिबन् सवा महीना हुआ मेरे एक अज़ीज़ दोस्त अब्दुल हकीम साहब जो कि हमारे इस असेम्बली के डिप्टी स्पीकर भी थे, का इन्तक़ाल हो गया। वह एक बहुत मुख़लिस, सच्चे

के थे और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम पायी और उसके बाद वह हमेशा एक सच्चे नेशनलिस्ट बने रहे।

हमारे मुल्क में बहुत से मौके आये और इन मौकों में बहुत मजबूत खम्भे भी हिल गये, मगर वह कमजोर और दुबले पतले जिस्म से होते हुए हमेशा एक पक्के तरीके पर उन्हीं कौमी उसूलों पर जिनको उन्होंने कबूल किया था, डटे रहे और कोई भी बातें जो कि हमारे मुल्क में या बाहर हुईं उनसे वह कभी ढीले नहीं हुए। वह एक बहुत अच्छे वकील थे। उनकी प्रैक्टिस भी, जब वह वकालत करते थे, बहुत अच्छी थी, मगर वह हिन्दुस्तान की मातहती और गुलामी की व्यथा को बरदाश्त नहीं कर सके और आजादी के जंग में उन्होंने पूरा हिस्सा लिया। जेल में भी गये और वहीं से उनकी तन्दुरुस्ती शायद खराब हो गयी। तभी से बारहा उनको दिल की और और तरह की बीमारियों के दुखों को बरदाश्त करना पड़ा, मगर अपनी लगन में वह कायम रहे। एक जमाना था जब अपने सियासी ख्यालात की वजह से उनको बहुत सी मुसीबतों को भी बरदाश्त करना पड़ा। मगर उनको भी, उन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबला करके बरदाश्त किया और अपने इरादे पर कायम रहे। उनकी काबिलियत से, उनकी शराफत से, उनकी दरियादिली से, और उनकी मुल्क के साथ गहरी मुहब्बत से इस हाउस के सभी मेम्बर वाकिफ हैं। हम लोगों के लिए तो उनका जाना एक सच्चे भाई से अलग होने की तकलीफ देनेवाली बात है। वह हमारी पार्टी के एक रुक्न थे और उनसे हम लोग मशविरा पाते थे और जब भी कोई मुश्किल ख्यालात हमारे सामने आते थे, तो उनकी मदद के ख्वाहिशमन्द रहते थे। कुछ दिनों से उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गयी थी मगर वह फिर भी बहादुरी से अपनी बीमारी में भी हिम्मत से काम लेते रहे।

मुझे अफसोस है कि आज वह हमारे बीच में नहीं हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनके घर के लोगों को हमारी तरफ से सहानुभूति और हमदर्दी का सन्देशा भेजने की कृपा करें।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, अब्दुल हकीम साहब की मौत, इस भवन के मेम्बरों के लिए ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस यू० पी० के तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब्दुल हकीम साहब की एक ऐसी मायनाज़ हस्ती थी जिसके मुताल्लिक हर आदमी चाहे वह किसी जमात, किसी पार्टी या किसी ख्याल का हो या सियासी इख्तलाफ़ रखनेवाला हो वह ईमानदारी से यही कहने पर मजबूर होगा कि वह एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही शरीफ़ और अपने ख्यालात को रखते हुए दूसरे मुखालिफ़ की बातों को गौर से सुनने के आदी थे और कभी भी ऐसी बात जिससे बदमज़गी पैदा हो अपनी ज़बान पर नहीं लाते थे।

[श्री अनवारुल इस्लाम]

उस ऐसे दुश्वार गुजार जमाने में जब कुछ ताल्लुकात खराब हों, वह बहुत काफी अर्से तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका कितना असर दूसरे भाइयों के ऊपर था, जिससे वह इस तौर पर अपना काम कर सके थे।

आज हमें अफसोस है कि वह हमारे दरमियान में नहीं हैं, जब कि ऐसे वक्त में उनकी बड़ी जरूरत थी। इसके लिए हम उनके पसमान्दगान से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हैं और जो प्रीमियर साहब ने कहा है उसकी ताईद करते हैं।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—महोदय, अब्दुल हकीम साहब की प्रधानता में मुझे इस धारा सभा में एक अर्से तक काम करने का अवसर, इसके पहले, मिला था। राजनीति में, उनके विचारों की स्वतन्त्रता तथा मानसिक स्वतन्त्रता उनकी एक विशेषता थी। यद्यपि स्वतन्त्रता मनुष्य का प्राणीमात्र का स्वाभाविक धर्म है, तथापि समयानुसार सच्ची स्वतन्त्रता अधिकांश लोगों में पायी नहीं जाती। ऊँचे दर्जे की स्वतन्त्रता का होना और देशसेवा की लगन का होना यह मानसिक बल का द्योतक है।

वह ऐसा विशेषण मनुष्य में है जो उसके अनेक अवगुणों को दबा कर उसको प्रशंसा का पात्र बना देता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की यह विशेषता धारा सभा के कार्य को अति उत्तम बनाने वाली है। आज हम अपने उन स्पीकरों को जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय काय करते हैं उसी श्रद्धा और सराहना के रूप में देखते हैं। खास कर वह ग्रुप्स जिनका नम्बर बहुत कम है वह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की न्यायप्रियता और स्वतन्त्रता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों का कल्याण कर सकते हैं और इस धारा सभा में काम कर सकते हैं। ऐसे पुरुष के महाप्रयाण पर हम अत्यन्त खेद प्रकट करते हैं और माननीय प्रधान मन्त्री से हार्दिक सहयोग करते हैं।

श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब स्पीकर साहब, मौलवी अब्दुल हकीम साहब के मुताल्लिक अभी प्रीमियर साहब और दूसरे मेम्बर साहबान ने जो कुछ कहा है मैं उसके एक एक लफ्ज की ताईद करता हूँ। अब्दुल हकीम साहब हमारे लिए कोई नये आदमी नहीं थे। वह हमारे पुराने साथी रहे हैं और इस भवन के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और बहैसियत डिप्टी स्पीकर के हम में से बहुत से मेम्बरान को उनसे मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बहैसियत डिप्टी स्पीकर के उनको हाउस के तमाम मेम्बरों का पूरा एतबार और भरोसा हासिल था और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वह अपने जिले और सूबे की पब्लिक लाइफ

में बड़ा नुमायाँ हिस्सा लेते थे। बहैसियत चेयरमैन एजूकेशन कमेटी बस्ती में उन्होंने बहुत ही नुमायाँ काम किया है। मुझे इस हैसियत से भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अपनी पब्लिक लाइफ के अलावा अब्दुल हकीम साहब बहैसियत इंसान एक बड़ी खूबी के मालिक थे और बड़े अखलाक के इंसान थे। लोगों को उनसे मिलकर बड़ी खुशी पैदा होती थी और वह इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनसे फिर मुलाकात हो। अगर्चे वह बहुत ही कमजोर इंसान थे लेकिन अपने अन्दर बड़ी कूवत और इनर्जी रखते थे। असेम्बली के पिछले इजलास में जब वह आये थे और वह आखिरी बार आये थे तो कौन समझ सकता था कि उनकी इस भवन के अन्दर यह आखिरी आमद है। बिल-आखिर मौत के जालिम हाथों ने ऐसे शख्स को जिस पर सूबे के लोग फ़ख्र कर सकते थे उनसे हमेशा के लिए छुड़ा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आनरेबिल स्पीकर साहब हमारी सबकी तरफ से उनके पसमान्दगान को और अजीजों को जिनको वह अपने पीछे छोड़ गये हैं हमारी सच्ची हमदर्दी का पैग़ाम पहुँचायेंगे।

माननीय स्पीकर—श्री अब्दुल हकीम साहब को जानने का अवसर मुझे सन् १९३७ ई० में मिला जब वह इस भवन के डिप्टी स्पीकर चुने गये। स्पीकर होने के नाते मुझे उनसे बहुत काम बराबर पड़ता रहा। कई नाजुक अवसर आये जब कुछ ऐसे मसलों पर मुझे आज्ञा देनी पड़ी। जिनके बारे में इस भवन में बहुत मतभेद था। मुझको ऐसे कई अवसर याद हैं जब अब्दुल हकीम साहब ने मेरे कमरे में आकर मुझको मेरे निर्णयों पर हृदय से और प्रेम से बधाइयाँ दीं। मैं उनके हृदय की भावनाओं से देख सकता था कि वह कितने सच्चे आदमी थे और साम्प्रदायिक भावनाओं से कितने दूर थे। वह राष्ट्र के उपासक थे और हालाँकि मुस्लिम लीग उस समय मुसलमानों में बहुत फैली हुई थी और उसका असर था फिर भी अब्दुल हकीम साहब ने बराबर उसका विरोध किया और बराबर उसकी नीति के खिलाफ रहे और उन्होंने राष्ट्रीयता का हिम्मत के साथ पोषण किया। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह से मुसलमानों में वह बदनाम भी हुए। मुझको जब जब कोई जरूरत पड़ती थी, सलाह वगैरा की किसी नाजुक मसले में, जिस पर कि मुझे स्पीकरी की हैसियत से राय देनी रहती थी, मैंने हमेशा उनके विचारों में सफाई और ईमानदारी देखी। सचमुच इस भवन को उनके चले जाने से और केवल इस भवन को ही नहीं, इस सूबे को गहरी हानि हुई है। मैं आपकी इच्छा के अनुसार उनके कुटुम्बियों के प्रति आपकी सहानुभूति भेजूँगा। मेरा निवेदन है कि आप खड़े होकर अपना शोक प्रकट करें।

(सदस्यों ने एक मिनट खड़े होकर शोक प्रकट किया।)

सन् १९४८ के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १९ अक्तूबर, सन् १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ५ नवम्बर, सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति २५ जनवरी, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का पहला ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटिनुएंस ऑफ् पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटिनुएंस ऑफ् पावर्स) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ७ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ९ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति ४ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का चौथा ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २४ नवम्बर, १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी २७ जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति १२ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का पाँचवाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के कोड ऑफ् क्रिमिनल प्रोसीज्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—यह भी मेरी घोषणा है कि सन् १९४९ ई० के कोड ऑफ् क्रिमिनल प्रोसीज्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी २० जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ७ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति ३० मई, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का आठवाँ ऐक्ट बन गया ।

सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज़ इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनेंस की प्रतिलिपि का मेज़ पर रक्खा जाना

माननीय प्रधान सचिव—मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनेंस की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूँ ।

[आर्डिनेंस की प्रतिलिपि छापी नहीं गई है ।]

सन् १९३९ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि का मेज़ पर रक्खा जाना

माननीय पुलिस सचिव—मैं सन् १९३९ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट की धारा १३३ (३) के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूँ ।

[संशोधन की प्रतिलिपि छापी नहीं गई है ।]

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव

***माननीय प्रधान सचिव**—मैं आपकी इजाज़त से संयुक्त प्रान्तीय लेजि-

---

* माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[माननीय प्रधान सचिव]

लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों (United Provinces Legislative Assembly Rules and Standing orders.) में निम्नलिखित संशोधन किया जाय, यह प्रस्ताव करता हूँ

RULES (नियम)

१—नियम २९ (Rule 29) के पश्चात् निम्नलिखित नियम २९-ए० (Rule 29-A) के रूप में जोड़ा जाय :—

"29-A. (1, The Secretary shall send to every member a copy of the message received from the Council asking for the concurrence of the Assembly in a motion passed by the Council that a Bill be referred to a Joint Select Committee of both Chambers.

(2) At any time after the receipt of such message from the Council, a Minister in the case of a Government Bill and any member in the case of a non-Government Bill, may move that the motion passed by the Council be agreed to.

(3) If the Assembly agrees, a motion may be made by the mover mentioned in sub-rule (2) nominating the members of the Assembly who are to serve on the Joint Select Committee. If necessary, an election for the requisite number of representatives of the Assembly on the Joint Select Committee will be made. A message shall then be sent to the Council, intimating the concurrence of the Assembly to the motion passed by the Council and the names of the members, elected by the Assembly for the Joint Select Committee.

(4) If the Assembly does not agree to the motion passed by the Council, a message intimating its disagreement shall be sent to the Council."

STANDING ORDERS (स्थायी आदेश)

२—स्थायी आदेश १ (Standing Order 1) के वाक्य खंड (१) [Clause 1)] में उप-वाक्य खंड (सी०) [Sub-Clause (c)] के पश्चात् निम्नलिखित उप वाक्य (खंड सीसी) [Sub Clause (cc)] के रूप में रक्खा जाय।

'(cc) 'Joint Select Committee' means a Committee of members of the Council and the Assembly to which a Bill is referred under these rules after it has been introduced in either Chamber."

३—स्थायी आदेश ४७ (Standing Order 47) को स्थायी आदेश ४७ (Standing Order 47) का वाक्य खण्ड (१) [Clause (1)] कर दिया जाय तथा निम्नलिखित वाक्य खण्ड (२) [Clause (2)] के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(2) A motion recommending that a Bill should be committed to a Joint Select Committee of both Chambers of the Legislature may be moved at any stage at which a motion for the reference of the Bill to a Select Committee may be moved."

४—स्थायी आदेश ४८ (Standing Order 48) में जहाँ जहाँ शब्द "Select Committee" आये हैं, उनके पश्चात् शब्द "or a Joint Select Committee" रख दिये जायें।

५—स्थायी आदेश ५६ (Standing Order 56) के पश्चात् निम्नलिखित स्थायी आदेश (Standing Orders) "CC—Joint Select Committee" शीर्षक के अन्तर्गत रख दिये जायें।

"CC—JOINT SELECT COMMITTEE."

56-A. (1) If the motion recommending the reference of a Bill to a Joint Select Committee of both Chambers is carried, the Secretary shall send a message to the Council asking for their concurrence to the said motion and, in case of their concurrence, for the nomination of the requisite number of members to serve on the Joint Select Committee. Joint Select Committee.

(2) If a message to the effect that the Council does not concur is received by the Assembly, there shall be no reference to a Joint Select Committee.

56-(B) (a) Unless decided otherwise by the two Chambers by mutual agreement the Joint Select Committee shall consist of 25 members. Election of Members by

(b) The Minister in charge of the Department to which the Bill relates shall be a member of every Joint Select Committee.

(c) Of the remaining 24 members including the member, who introduced the Bill, 16 shall be elected by the Assembly and 8 by the Council.

56-C. The Minister in charge of the Department to which the Bill relates shall be the Chairman of the Joint Select Committee, unless he waives his right, in which case the Committee shall elect a Chairman from among its members. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or a casting vote.

56-D. After the presentation of the final report of a Joint Select Committee on a Bill, the member in charge may move that the Bill as reported by the Joint Select Committee be taken into consideration.

56-E. The provisions of Standing Orders 49(4), 49(5), 49(6), 49(7), 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 shall, *mutatis mutandis*, apply to a Joint Select Committee.

मैंने इस भवन के सामने एक प्रस्ताव रक्खा है, वह एक बहुत सरल और सीधा है। हमारे असेम्बली के नियम और स्थायी आदेशों में अब तक इस बात के लिये किसी तरह का नियम नहीं है कि जिसके जरिये से एक बिल सेलेक्ट कमेटी के एक ज्वाइण्ट (सम्मिलित) सेलेक्ट कमेटी को, जिसमें असेम्बली और कौंसिल के मेम्बर हों, भेज सकें। काउन्सिल के नियम और स्थाई आदेशों में इस किस्म के नियम मौजूद हैं। उनके मुताबिक काउन्सिल में अगर कोई बिल पेश हो तो काउन्सिल ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव कर सकती है। मगर हमारे यहाँ इस तरह का अब तक कोई नियम नहीं हैं। खासकर जमींदारी उन्मूलन बिल के सिलसिले में यह ख्याल हुआ कि यह एक ऐसा महत्त्व का बिल है कि जिसके लिये अगर दोनों भवनों के सदस्यों के प्रतिनिधि मिलकर बैठें और एक मुश्तर्का सेलेक्ट कमेटी के जरिये अपना काम करें, तो सहूलियत हो सकेगी। इसी सिलसिले में इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमारे यहाँ के नियमों में कोई संशोधन किया जाय, ताकि इस किस्म की ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी हम बना सकें। इसी मतलब को हल करने के लिये यह नियम आपके सामने रक्खे गये हैं। यदि इस तरह के नियम बनाये जायेंगे, तो जब भी हम चाहें इसी तरह से ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी कायम करके ऐसा कर सकते हैं। और बिना इन नियमों के काउन्सिल वाले भी अगर ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब तक दोनों भवनों की नियमावली में ऐसे नियम न हों, जिनके द्वारा ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बन सके तब तक एक भवन के नियमों से वह मक़सद हासिल नहीं हो सकता। इसलिये उन नियमों को लागू करने के लिये भी इस किस्म की व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें हमने यह नियम रक्खे हैं कि जब कोई ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव यहाँ पेश हो तो उसकी सूचना काउन्सिल को दी जाय और जब काउन्सिल भी इससे सहमत हो, तब इस भवन और काउंसिल के सदस्य ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये चुन लिये जायँ। इसमें सदस्यों की संख्या २५ रक्खी है। इन २५ में एक तो वह मिनिस्टर होगा, जिसके मुहकमे से उस बिल का ताल्लुक होगा और बाकी

२४ में से १६ असेम्बली के और ८ काउंसिल के होंगे। असल में हम काउंसिल को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वैसे तो काउंसिल के मेम्बरों की संख्या हमारे असेम्बली के मेम्बरों की संख्या से बहुत ही कम है। और उस अनुपात से अगर उनकी तादाद मुकर्रर की जाय तो वह बहुत कम होती है, मगर काउंसिल के सदस्यों की तरफ से यह एक प्रस्ताव किया गया। उनमें से कुछ ने यह चाहा कि इस तरह से जैसा कि हमने इसमें रक्खा है, एक तिहाई उनके सदस्य हो सकें तो अच्छा हो। उनके यहाँ जो नियम बने हुए हैं, उनमें भी यही है कि मिनिस्टर इञ्चार्ज को छोड़ कर जितने सदस्य हों उनमें तिहाई से कम काउंसिल के न होने चाहिये। इसलिये हमें नियमों को ऐसा बनाने की जरूरत है जो उनके नियमों से बेजोड़ न हों और उनसे मिल सकें। इसलिये जो नियम आपके सामने मैंने रक्खा है वह इस तरह का है कि जो उनके नियम से भी मेल रख सकता है और जिसके द्वारा हम जब चाहें ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को कायम कर सकते हैं। बाज़ वक्त जब कोई बिल यहाँ से पास होकर और यहाँ की सेलेक्ट कमेटी में उसपर गौर होकर काउंसिल में जाता है तो वहाँ के सदस्यों की कुछ ऐसी भावना होती है कि उनका कोई हाथ उस बिल के ढालने में और उसको आखिरी शक्ल देने में नहीं रहा और इससे उनको पूरी तरह से बाज मौकों में संतोष नहीं होता। इस त्रुति को भी हम इन नियमों के द्वारा दूर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन नियमों के बारे में यहाँ कोई मतभेद नहीं होगा और उनको भवन स्वीकार करेगा।

*श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, आनरेबिल प्रीमियर ने जो तजवीज हमारे सामने रक्खी है, वह उनके कहने के मुताबिक बहुत मामूली है, लेकिन मुझे बहुत हैरत है कि उन्होंने कैसे ऐसी बात कह दी इस सूबे के अन्दर दो भवन इसलिये बनाए गये हैं कि अगर हमारा लोअर हाउस किसी वक्त जल्दी में कोई तजवीज बगैरह सोचे समझे मंजूर कर दे तभी सेकंड चेम्बर की जरूरत पेश आती है कि वह उसपर अपनी राय का इज़हार कर सके और उसको रोक सके। यह बहुत अहम और जरूरी सवाल है कि आया अब इस सूबे में सेकंड चेम्बर की जरूरत है या नहीं है और एक ही लेजिस्लेशन के मुताबिक कार्यवाहियाँ होती रहें। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं खुशी के साथ आपकी तजवीज को मंजूर करता हूँ। लेकिन कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें यह कहा गया है कि हमें एक सेकंड चेम्बर की जरूरत है और उसके लिये एक खास तजवीज मंजूर की गयी है। जब यह तजवीज हमारे सामने है और जब भवन में यह मञ्जूर कर लिया गया है कि एक सेकंड चेम्बर हो तो मैं नहीं समझता कि एक ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी की क्या जरूरत पेश आती है।

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]

जहां तक जमींदारी अबालीशन बिल का सवाल है उसके लिये अगर आप कोई खास मियाद बताना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सही है कि अपर चेम्बर की यह ड्यूटी है कि वह हमारी कार्यवाहियों पर नुक्ताचीनी करे, उनकी देखभाल करे और उनकी रोकथाम करे जहां तक वह कर सकता है, और अक्सर उसने ऐसा किया है। आनरेबिल मिनिस्टर साहब अभी फरमा रहे हैं, लेकिन वहां से बहुत से बिल वापिस आये हैं और उनपर हमने गौर किया है और मंजूर किया है। यह एक बहुत अहम सवाल है और इसपर इस हाउस को ध्यान देना चाहिये।

जैसा आपने देखा कि इस भवन के अन्दर बहुत से क़ानून चन्द मिनटों के अन्दर खत्म हो गये। नतीजा क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद अमेंडमेंट आए। जो भी जल्दी में बगैर सोचे समझे आप काम करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि टैक्सपेयर का रुपया बरबाद होता है। आपको लेजिस्लेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। कानून बनाने वाले को संजीदगी के साथ सोच समझकर मामलात की तरफ देखना चाहिये। मैं इन हालात के पेशेनजर में समझता हूँ कि यह प्रापोजल (प्रस्ताव) जो प्रिमियर साहब ने रक्खा है, किसी हालत में मुनासिब नहीं है। अगर यह बात है तो सेकंड चेम्बर इस सूबे से हटा दिया जाय। इसकी जरूरत नहीं है। इस के बाद में यह भी कहूँगा कि ऐवान में उस तरफ ज्यादा राय है। अगर यह मंजूर कर लेंगे तो मैं इसमें यह तरमीम लाऊँगा कि जहां तक लोअर हाउस का ताल्लुक है, सोलह की तादाद बहुत कम है। इक्कीस की तादाद होनी चाहिये गो इक्कीस की तादाद भी कम है। इस ऐवान में बड़े-बड़े कितने जिलों और शहरों और कन्स्टीट्यूएन्सियों के नुमाइन्दे हैं। इक्कीस की तादाद में कम महसूस करता हूँ, सोलह कर देना तो किसी तरह जायज नहीं है। जनाबवाला, इसके लिये अगर आप इजाजत दे सकें तो जबानी तरमीम पेश करूँ कि सोलह के बजाय इक्कीस कर दिया जाय, आठ काउन्सिल के और इक्कीस असेम्बली के इस तरह २९ तादाद हो जायगी। उसूली तौर पर मैं इस का मुखालिफ हूँ। आनरेबिल प्रीमियर साहब इस पर गौर करेंगे। हो सकता है कि तैयार हो जायँ।

माननीय स्पीकर—श्री फखरुल इस्लाम ने प्रस्ताव के खिलाफ कुछ कहा। वह समझ में आया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी बीच में कहा कि अगर ऐसा न हो तो ऐसा हो। वह चीज मेरी समझ में नहीं आयी, मैं उसको तरमीम नहीं मानता।

श्री फखरुल इस्लाम—मैं इसको वापस लेता हूँ।

माननीय स्पीकर— वह तरमीम थी ही नहीं। वह गलत तरीका था। आप तरमीम लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं।

***श्री जगन्नाथ बख्श सिंह**—महोदय, उसूलन इस सूरत में मैं इस उसूल से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता कि इस ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को इतना फैलाया जाय कि दोनों हाउसों को अलग सेलेक्ट कमेटी बनाने का मौक़ा न मिले, मगर मैं यह देखता हूँ कि सूरतें ऐसी हैं कि छोटे बिल आते हैं तो सरकार का खर्च बहुत होता है. दो सेलेक्ट कमेटियों में। अगर ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी न करेंगे तो काउन्सिल इस से महरूम हो जायगी कि वह अपनी राय पेश करें। इस सूरत में इस उसूल को मैं बेजा नहीं समझता कि छोटे बिल में बजाय इस के कि काउन्सिल की सेलेक्ट कमेटी अलग हो एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के जरिये से मामलात तय कर लिये जायँ। इससे खर्च कम होगा। मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब है। मगर खासकर जो अहम मसले हैं। उनके लिये दोनों भवनों की ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से जैसा, कि लीडर ऑफ् अपोजीशन ने कहा इस दोनों चेम्बर्स का मकसद फेल हो जायेगा। मगर मैं यह देखता हूं कि इन रूल्स में वह रियायत की गई है यानी असेम्बली जब नामञ्जूर करे या काउन्सिल जब ना मंजूर करे तो ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी न हो। और उस सूरत में दोनों हाउसों में उसका कोई अन्देशा नहीं है। अन्देशा मुझे इस बात का जरूर है कि अव्वल तो जिस तरह की बातें लीडर ऑफ आपोजीशन ने कही हैं। उनकी राय से मैं इत्तिफाक नहीं करता हूँ कि जिमींदारी उन्मूलन बिल इतना छोटा और कम अहम है कि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी की दो कमेटियाँ बनावें। इसको मैं सही नहीं समझता हूँ। मेरा ख्याल बिलकुल उसके बरअक्स है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा बिल है कि शायद इस हाउस की जिंदगी में अब तक इतना अहम बिल नहीं आया है। इस लिहाज़ से नहीं कि यह जमींदारों से ताल्लुक रखता है या जमींदारी उन्मूलन करता है जो बात गालिबन लीडर ऑफ आपोजीशन के जेहन में है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस लिहाज से मैं इसको निहायत अहम समझता हूँ कि यह हमारे सूबे के तमाम खेतों की व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी उलटफेर करता हूँ। इसी लिहाज से इस बिल को मैं निहायत अहम समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल में अगर इस तरह के क़ायदे बना दें तो मुझे ऐसा शुबहा है कि शायद जमींदारी एबालिशन बिल के मामले में इसका निफाज किया जाय। इस बिल के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जमींदारी एबालिशन कमेटी का जो तरीक़ा है, इसका जो अलिफ, बे, क, ख, ग, या ए० बी० सी० है, जिस तरह से यह स्टार्ट (प्रारम्भ) हो रहा है कि इसमें इस तरह का नियम रख दिया जाय जो इतना अहम है यह गलत है। रहा यह कि

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

इसके नुक्त से मैं इनकी मुत्तफिक नहीं करता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि सरकार को यह अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो कौन्सिल को सेलेक्ट कमेटी से महरूम कर दे और अख्तियार है नहीं है, बल्कि टिनेन्सी बिल के मौके पर जब कमेटी बैठी थी तो कौन्सिल की यह ख्वाहिश थी लेकिन उनको सेलेक्ट कमेटी से महरूम कर दिया गया मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमींदारी ऐसे अहम मामले में जो कमेटी हो उसमें कौन्सिल के १६ और ८ के हिसाब से मेम्बर न हों लेकिन इस वसूल से मैं हरगिज इत्तिफाक नहीं करता हूँ कि ऐसी अहम चीज की बुनियाद ही खत्म हो जाय इन कायदों को पढ़कर मैंने यही समझा है कि इसका बुनियादी उसूल यही है कि ऐसे अहम मामले में असेम्बली और कौन्सिल दोनों के मेम्बर मिलकर काम करें इस कानून में क्या जरूरत थी? इसके लिये मैं इतनी गुजारिश कर दूँ कि ५६ बी० ए० में नहीं समझा और रूल में यह है—

56—(b) (a) Unless decided otnerewise by the two chambers by mutual agreement the joint select committee shall consist of 25 members

[५६—(ब) (क) जब तक दोनों सभाएँ पारस्परिक समझौते से अन्य प्रकार का निर्णय न करें, संयुक्त विशिष्ट समिति २५ सदस्यों की होगी।]

यानी यह कि डिसाइडेड बाई म्युचुअल ऐग्रीमेंट, ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी २५ से ज्यादा भी हो सकती है। और उस म्युचुअल ऐग्रीमेंट की परिभाषा और डेफिनिशन क्या है? आया दो चेंबर्स जब हाउस में शामिल हों तब म्युचुअल एग्रीमेंट जाहिर करता है या हाउस के बाहर बिना म्युचुअल एग्रीमेंट के जाहिर करता है। इसका नियम के अन्दर मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर म्युचुअल एग्रीमेंट न हो, तो ४० मेम्बर भी हो सकते हैं। तो क्या बजाय २५ के आप ४० मेम्बर मंजूर करेंगे? और—

अनुपात १६ और ८ के बजाय या २५ के अलावा क्या होगा। ये बातें ५६, बी. ए. में जो हैं, उनको मैं जरूरी नहीं समझता। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधान मंत्री इसको साफ करेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर श्री नफीसुल हसन डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त इस भवन के सामने यह मसला है कि हमारे यहाँ के रूल्स और स्टैंडिंग आर्डर में यह तरमीम कर दी जाय कि जब कभी भी असेम्बली इस बात को मुनासिब समझे तो वह कौंसिल की मंजूरी के साथ और उसकी इत्तिफाक राय लेने के बाद एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बना सके। मैं समझता हूँ कि भवन के सामने जो मोशन है, वह एक बहुत जरूरी मोशन है और इससे ऐवान के वक्त की और रुपये की भी बहुत बचत हो सकती है। जहाँ तक मुझे मालूम है खुद इंगलिस्तान

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

के दोनों हाउसों में, पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लार्ड्स और हाउस ऑफ कामन्स के कायदों में भी यह मौजूद है कि वहाँ ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी जरूरत के वक्त बनाई जा सकती है। हमारे कौंसिल के कवायद में भी यह चीज़ मौजूद है कि ऐसी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बनाई जा सकेगी, लेकिन असेम्बली के कवायद में यह चीज़ अब तक न थी कि इस किस्म की ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी बनाई जा सकती है अगर जरूरत महसूस हो इस मोशन के जरिये इस कमी को दूर किया जा रहा है। जहाँ तक इस कमी को दूर करने का ताल्लुक है, मुझे इससे पूरा-पूरा इत्तिफाक है लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात बहुत सफाई से कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि इस कायदे को बरतने के लिये बहुत सोच समझ कर और बहुत गौर खोज के साथ कदम उठाना चाहिये। यह जरूरी है क्योंकि इस ऐवान में बहुत से ऐसे बिल आते हैं, जिनकी कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती और उसके ऊपर अगर इस ऐवान की एक सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय और उसके बाद अपर हाउस में उसके पहुँचने के बाद वहाँ एक दूसरी सेलेक्ट कमेटी बैठे तो उसमें वक्त भी बहुत सर्फ होगा, रुपया भी बहुत सर्फ होगा और देरी होने का भी इमकान है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस कानून से फायदा उठाना चाहिये और एक ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के जरिये, वह मसला हल कर लेना चाहिये। लेकिन जहाँ तक और बिलों का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि उन बिल्स को हल करने के लिये इन कायदों का इस्तेमाल करके और इसके नफा उठा करके अपर हाउस को उसके खास अख्तियारात से महरूम करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिये जैसा कि अभी चन्द दोस्तों ने अपनी तकरीर में बताया कि अपर हाउस का मकसद है कि लोअर हाउस से जो चीज़ आती है वह उसके सामने जाती है और अगर उसके अन्दर कोई खामियाँ रह जाती हैं, वह उसको दूर करता है। इस तरह से हमारी जल्दी की वजह से वह उस पर पूरी तरह से गौर नहीं कर सकेगा, तो इस किस्म का एक जो चेक (रोकथाम) है, वह ढीला-सा हो जायगा। इसलिये इस सूरत में जो यह हक कौंसिल का है वह कायम रहना चाहिये और कम से कम उन मामलात में जो कोई खास अहमियत के नहीं हैं, बाज़ ऐसे बिल होते हैं, जिनमें एक सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय और उस पर गौर कर ले तो फिर कोई और जरूरत बाकी न रह जाय, ताकि दूसरे ऐवान में एक दूसरे सेलेक्ट कमेटी उसके ऊपर बैठे। ऐसे मामलों में इस कायदे का इस्तेमाल बिलकुल ठीक है और जैसा कि मैंने कहा कि इंगलिस्तान की पार्लियामेंट भी ऐसा कायदा है और इसके अलावा अपर हाउस में भी यह चीज है लेकिन मैं एक मरतबा फिर इस चीज को अर्ज करूँगा कि जहाँ तक अहम मामलों का ताल्लुक है उनमें इस ख्याल से कि थोड़ा सा वक्त बच सकता है यह न किया जाय और इस एतबार से भी ऐसा न किया जाय कि अगर ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय तो इससे इस बात का अन्देशा है कि अपर हाउस का वह

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

अख्तियार जो है वह खत्म हो जायगा इसे न किया जाय। फखरुल इसलाम साहब ने कहा है कि अभी तो हमें इसका फैसला करना है कि आया अपर हाउस की जरूरत है या नहीं। लेकिन जहाँ तक कान्स्टीटुयेंस्ट असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज के देखने से मालूम होता है और आइन्दा भी अपने यहाँ अपर हाउस रक्खेंगे और अपर हाउस की जो जरूरत है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है इसलिये ऐसी सूरत में मैं आनरेबिल प्रीमियर की तवज्जह खास तौर से इस तरफ दिलाऊँगा कि वह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के मोशन को मंजूर तो कर लें क्योंकि हमारे रूल्स में इस किस्म की एक कमी थी लेकिन जहाँ तक अहम मामलों का ताल्लुक है, उसमें यह प्रोसीजर (ढंग) न लाया जाय।

लेकिन जमींदारी खत्म करने के लिये जो खास बिल है, वह बहुत अहमियत रखता है और इस तरह से सेलेक्ट कमेटी क़ायम होने से काफी वक्त उसपर गौर करने में बच सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर अपर हाउस को उसके ऊपर एतराज करने का मौक़ा न दिया जाय, तो यह भी मुनासिब नहीं होगा। बहर सूरत आनरेबिल प्रीमियर साहब ने यह ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी का जो मोशन पेश किया है, मैं इसकी ताईद करता हूँ।

*श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टीस्पीकर महोदय, इससे पहले ३, ४ मेम्बरान ने तकरीरें करके आपके सामने चन्द ख्यालात जाहिर किये हैं। मैं अपने दोस्तों से इत्तफ़ाक करता हूँ। मेरे ख्याल में जब दो हाउस होते हैं और अगर एक हाउस की राय किसी किस्म की होती है और जब वह बिल दूसरे हाउस के सामने जाता है, तो उस पर एक तरह से आजादी से गौर किया जाता है और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी राय हासिल होती है। अलग अलग तरह से उस पर विचार होता है। और सब अपनी राय पेश करते हैं और उससे एक अच्छा नतीजा निकलता है। मैं इसको थोड़े में करके कह दूँ और मेरी यह राय है कि यह ज्यादा अच्छा है कि हमारी जो दो सेलेक्ट कमेटी हैं उनकी एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं होनी चाहिये थी लेकिन इस बात को देखते हुए कि यह प्रस्ताव हमारे आनरेबिल प्रीमियर साहब ने भेजा है और यहाँ पर हमारे सामने पेश किया है और बहुत अहम है, इस बात को सोचते हुए तो यह मालूम होता है कि यह मंजूर तो जरूर हो जायगा लेकिन मैं सिर्फ एक तरमीम इसके अन्दर पेश करना चाहता हूँ और वह यह है कि जहाँ पर लफ्ज २५ मेम्बर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर ३१ मेम्बर उसकी जगह पर कर दिये जाँय और उसके बाद लोअर हाउस और अपर हाउस के रिप्रिजेण्टेटिव की तादाद २० और १० कर दिये जाँय तो यह बहुत आसान हो जायगा और जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप हैं, वह भी उसके अन्दर आ सकेंगे। हमारे यहाँ जनता पार्टी है जो पहले मुसलिम लीग पार्टी थी। उसमें भी

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अब डिविजन हो गया है, कुछ लोग अपने को इंडिपेंडेंट पार्टी के कहते हैं। मैं भी उनको इंडिपेंडेंट समझता हूँ, लेकिन वह उस तरह से मेम्बर नहीं हैं। जैसे कि हमारी पार्टी के लोग हैं।

लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि कई ग्रुप हैं जो कि मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं। जो अच्छा ख्याल रखते हैं, वह अपना ख्याल वहाँ पर पेश कर सकेंगे। मैं यह सोचता हूँ कि इस तरह से आपको सब ग्रुप की राय मिल जायगी। उन सब की राय से आपको बहुत फायदा पहुँचेगा। मेरी गुजारिश यह है कि अगर आप इसको मंजूर कर लें तो बहुत आसानी से यह हिस्सा तरमीम हो जायगा कि २५ की जगह पर ३१ कर दिया जाय और उसको बाद २० और १० की तादाद कर दी जाय।

डिप्टी स्पीकर—इस तरमीम की इत्तिला आपने मुझे नहीं दी। इस तरीके पर तरमीम पेश करने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इसे पेश करूँ।

डिप्टी स्पीकर—मुझे मालूम नहीं कि आपकी तरमीम क्या है। मुझे कम से कम पहले लिखकर भेजनी चाहिये थी।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—बहुत छोटी सी तरमीम है। सिर्फ हरूफ '२५' को '३१' से तरमीम करना है। आपसे दरख्वास्त है कि इसे पेश होने की इजाजत दे दें।

डिप्टी स्पीकर—अगर आप लिखकर दें तो मैं जानना चाहूँगा कि भवन को इसे पेश करने में एतराज है या नहीं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं अभी लिखकर पेश किये देता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—माननीय उद्योग सचिव ने मेरे पास कुछ तरमीमें लिख कर भेजी हैं। वह पेश करें।

माननीय उद्योग सचिव—आपकी इजाजत से मैं कुछ शाब्दिक संशोधन उन संशोधनों में जो माननीय प्रधान मंत्री ने रूल्स और स्टैंडिंग आर्डर्स में पेश किये हैं उनमें पेश करता हूँ।

१. शीर्षक "Rules (नियम)" के नीचे व खंड १ के पहले निम्न-लिखित बढ़ा दिया जाय :—

'नियम २३ (Rule 23) में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee) और "आर" (or) के बीच में शब्द "आर ए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी" (or a Joint Select Committee) बढ़ा दिये जायँ'

और वर्तमान खंड १ को खंड १ (क) किया जाय।

[श्रीमती ...]

... नियम २६—ए के उपनियम ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द 'मेम्बर' ... के स्थान पर शब्द "मेम्बर" (...) रक्खा जाय।

३. ... स्थायी आदेश (स्टेंडिंग आर्डर्स) २ (सी सी 1 CC) की ... के स्थान पर शब्द "स्टेंडिंग आर्डर्स" ... रक्खे जायें।

... स्टेंडिंग आर्डर्स ५६ (बी) 56-3) के खंड ए बी. ... (...) के स्थान पर निम्न लिखित खंड रक्खे जावें:

"ए" (...) के स्थान पर

... otherwise by the ... members by

...) ... ittee sha . consist of .5 membe.s.

"बी" (b) के स्थान पर

... Minister in charge of the Department to which ... e Bill is moved by a member ... member shall be members of ... Joint Select Committee

"सी" (c) की जगह पर

(c) ... remaining members, shall be elected by the ... as the case may be, by the Assembly.

कुछ ... संशोधन भी हैं, जिन्हें मैं उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ वह इस प्रकार हैं—

... नियम ३ ... में जहाँ जहाँ शब्द "Select Committee" आए हैं उनके बाद शब्द "... Joint Select Committee" रख दिये जायँ।

... स्थायी आदेश ६ (३ / ...) व (...) में व स्थायी आदेश २१ के प्रतिबन्ध (...) में शब्द "Select Committee" के बाद शब्द "or ... Joint Select Committee" जोड़ दिये जांय।

यह सब ... संशोधन हैं जो मैंने उपस्थित किये हैं। मैं आशा करता हूँ कि भवन इन्हें स्वीकार करेगा!

डिप्टी स्पीकर—मि० फिलिप्स अब आप की तरमीम आ गई है। अब आप ... अपनी तरमीम पेश कर दें।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—जनाबवाला, आप की इजाजत से मैं यह तरमीम पेश करता हूँ कि रूल ५६ (बी (ए) लास्ट (आखिरी) लाइन।

डिप्टी स्पीकर—यह आपका पेश करने का तरीका सही नहीं है। आप को गालिबन मालूम होगा कि यहाँ कार्यवाही हिन्दी में होती है। और आप हिन्दी में इस तरह से कह सकते हैं कि "आखिरी सतर या पंक्ति में २५ के बजाय ३१ कर दिया जाय।" आप जो चाहते हैं, वह हिन्दी में कहिये।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—गुजारिश यह है कि स्थायी आदेश की ५-६ (बी) (ए) की आखिरी लाइन में जहाँ २५ लिखा हुआ है, वहाँ ३१ कर दिया जाय। और इसी कायदे के मातहत (सी) में, पहली लाइन में जहाँ २४ लिखा हुआ है, वहाँ २०, और दूसरी लाइनों में जहाँ ७ और ८ लिखा हुआ है वहाँ क्रमशः २० और १० कर दिया जाय।

इस की जरूरत के मुताल्लिक दुहराना मेरे ख्याल में बेकार है। मगर अगर यह मन्जूर हुआ तो इस में नुमाइन्दगी का ज्यादा हो जायगी। यह सबसे अहम बात है अगर ऐसा हुआ। अगर यह गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर कर लिया जायगा तो इस में कोई इंजस्टिस (अन्याय) नहीं होगा।

***माननीय प्रधान सचिव**—मैंने श्री फखरुल इस्लाम, राजा जगन्नाथ बख्श सिंह और दो मेम्बरों की तक़रीरों को सुना। मुझे फखरुल इस्लाम साहब की तकरीर को सुनकर एक वकील की दलील याद आई। उन्होंने अपने मुवक्किल की तरफ से जिसे फाँसी की सजा हुई थी या कालेपानी की हुई हो, अपील में बहुत बहस की तो जज ने कहा कि गनीमत है कि मेरे सामने कोई अपील नहीं, नहीं तो आपकी दलील को सुनकर मैं उसको कालेपानी की जगह फांसी की सजा दे देता। मैं उनकी बहस को समझ नहीं पाया। उनकी दो दलीलें थीं। एक तो यह कि कांस्टीटुएण्ट असेम्बली ने यह तय कर दिया है कि अपर हाउस हो। दूसरे यह कि जो बिल यहाँ पर पास होते हैं, वह बहुत उजलत में होते हैं और हाउस को गौर करने के लिये काफी मौका नहीं मिलता।

इन दोनों दलीलों की बुनियाद पर अगर कोई नतीजा निकल सकता हो तो वह यह हो सकता है कि जो तजवीज मैंने की वह उसी को पसंद करते हैं और ताईद करते हैं। मगर उन्होंने वजूहात ऐसे दिये जिससे ताईद होजाती थी मगर यह समझ कर कि उन्हें तो लीडर आफ अपोजीशन की हैसियत को कायम रखना है इस लिये दलील चाहे कुछ भी क्यों न हो, इसका विरोध किया मगर इसका मेरे ऊपर या सुननेवालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राजा साहब की बात को सुनकर मुझे कुछ नाउम्मीदी सी हुई। क्योंकि यह जो तरमीम रक्खी गई थी वह इस गरज से रक्खी गई थी कि उनकी तबियत में अगर किसी तरह की कोई परेशानी

---

* माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया है।

[[illegible]]

[illegible] हम [illegible] के [illegible] से कुछ [illegible] पहुँचे। आज [illegible] भी अच्छे काम दे रहे [illegible] साहब को क्या इतना गर्मी पैदा हुई, क्यों उन्हें यह बात [illegible] नामाकूल मालूम हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। [illegible] बात है और वह यह कि अगर यह हाउस चाहे और कौंसिल [illegible] यह [illegible] अगर दोनों में से एक भी न चाहे तो नहीं बनेगा इसमें क्या उज्र हो सकता है मेरी समझ में यह नहीं आया। अगर यह होता कि ज्वाइंट कमेटी बनाना लाज़िमी होगा चाहे यह हाउस चाहता या न चाहता या दूसरा हाउस चाहता या न चाहता। तब तो डर हो सकता था कि उज्र [illegible] भवनों की रज़ामंदी से कमेटी हो सकेगी तब खतरा किस बात का है सिवाय इसके कि अपने ऊपर एतबार न हो और धोखा खा जायें। इसलिये अपने को बांधकर रखने के अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती।

और दूसरी बात यह है कि इस बिल में ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के बनाने के माना यह होंगे कि उन तमाम लोगों की राय बिल के आखिरी शक्ल लेने के पहले इस में आ सके और इस को सुधारने में सब की मदद होसके और मैं समझता हूँ कि इस के लिए किसी को न किसी तरह का उज्र न होना चाहिए पालिटिक्स (राजनीति) में शुक्रिया की गुंजाइश नहीं होती लिहाजा मैं भी उम्मीद कम रखता हूँ मगर बिना जरूरत जिस बात से अपने को फायदा होता है, उसको ठुकराने से कोई नफा नहीं हो सकता। मान लीजिये कि ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी न हो और इस हाउस से यह बिल कतई तौर पर बन जाय मगर इस से भी तो जमींदारों को कोई ज्यादा फायदा न होगा। मेरा और दूसरे लोगों का सभी का यही ख्याल होगा कि कुछ फायदा इस तरह से नहीं होगा ऐसी हालत में जब आसानी पैदा करने के लिए कोई काम किया जाय और उस पर मुखालफत हो तो इस से तो यह नतीजा निकलता है कि उन के फायदे और नुकसान की क्या बात है यह वह नहीं समझते हैं और अगर ऐसी ही बात है तो किसी बिल की ताईद या मुखालफत करना कोई भी मानी नहीं रखता और न उस का कोई असर होता है। क्योंकि उन को तो इस के समझने में ही दिक्कत होती है कि क्या चीज उन के फायदे की है और क्या बात उनके नुकसान की है। लिहाजा इस तरह से उन की बात की कद्र भी कम हो जाती है और कुछ वक़त नहीं रहती।

जहाँ तक इन की तादाद की बात है मैंने आप से पहले भी कहा था कि अपर हाउस के साथ जिस तरह से उदारता की जा सकती है, वह उदारता का व्यवहार है। १६ यहाँ के और ८ अपर हाउस के मेम्बर हमने रक्खे हैं, गोकि हमारे इस हाउस के मेम्बरों की तादाद ज्यादा है और उस अनुपात से अपर हाउस

वालों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन चूँकि अपर हाउस का कायदा एक तिहाई से कम न होने का है और दूसरे अपर हाउस की तरफ से ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी होने की ख्वाहिश थी, लिहाजा उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यह चीज आप के सामने रखी गई है। मैं समझता हूँ कि राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब के मुकाबले में मैंने अपर हाउस के मेम्बरों की नुमाइन्दगी ज्यादा बेहतर तरीके पर की है लिहाजा इस बिल के मामले में मेरी राय न मानना और उन की राय मानना एक गलती होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक इस संशोधन का ताल्लुक है फिलिप्स साहब ने ३१ की बाबत तजवीज की है। मैं समझता हूँ कि २५ की तादाद काफी है और उसे ज्यादा बढ़ाना फायदेमन्द न होगा। इस में इतनी गुंजायश जरूर रक्खी गई है कि दोनों हाउस वालों को हक होगा कि वह दोनों मिलकर अगर चाहें तो इस को २५ के बजाय ४० या ५० कर दें। पीछे ऐसा होगा जैसे और तमाम कार्यवाही दोनों भवनों की होती है। हमें उम्मेद है कि दोनों हाउस के मेम्बरों के बहसमुबाहिसे के बाद सब की रजामन्दी हो सकेगी और इसलिए इस में कोई खतरे की बात नहीं है। जो संशोधन उद्योग सचिव ने पेश किए हैं वह बिल्कुल लफ्जी हैं और लफ्जों को साफ करने के लिए ही हैं। उनमें कोई नई बात नहीं है। मैं उम्मेद करता हूँ कि इस में किसी को इख्तलाफ न होगा और जिन साहबान ने अब तक कोई मुखालफत की है वह अब यह समझेंगे कि उन का फायदा इसी में है कि वह इसे मन्जूर कर लें। इस के बाद भी हाउस को अख्तयार होगा कि वह इस बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी बनावे या न बनावे और यह भी अख्तयार है कि ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी न बनाकर सब मसले यहीं तै कर दिए जायँ।

यों तो अपने को पूरी आजादी है। हाउस की यह ख्वाहिश हो कि यह जमींदारी एबोलीशन बिल बिना किसी ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किए हुए यहीं फैसला हो जाए तो उसमें मुझे कोई उज्र नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—अब मैं माननीय उद्योग सचिव द्वारा उपस्थित किए गये संशोधनों पर राय लेता हूँ।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैंने जो तरमीम पेश की है, जनाबवाला इजाजत देंगे कि मैं उसे वापिस ले लूँ।

डिप्टी स्पीकर—आप वापिस लेना चाहते हैं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं सोचता हूँ कि यह ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को नामंजूर है। लड़ना बेफायदा है। यह काम तो मुखालिफ पार्टी का है।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि शीर्षक (नियमों) ' Rule" के नीचे व ... के ... यह शब्द बढ़ा दिये जायँ—

... नियम ... ३३) में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee) व शब्द ... के बीच में शब्द "आर ए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी । (or a Joint S... ...) बढ़ाये जायें और वर्तमान खंड १ को खंड १ (क) किया जाये

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि प्रस्तावित नियम २९—A के पीछे नियम ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "मूवर' (mover) को हटाकर "शब्द" "मेम्बर" (...) रक्खा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि नियम ३४ में जहाँ-जहाँ शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (select committee) आए हैं, वहाँ उसके बाद शब्द "आर ए ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी" (or a joint select committee) और बढ़ा दिए जाएँ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि प्रस्तावित स्थायी आदेश ५६ (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय ।

56- —Unless decided otherwise by the two chambers by

(a) The Joint Select Committee shall consist of 25 members.

(b) The Minister incharge of the Department to which the Bill relates, and, where the bill is moved by a member other than the Minister, such member shall be members of every Joint Select Committee.

(c) Of the remaining members 8 shall be elected by the Council and the remaining 15 or 16, as the case may be by the Assembly.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि प्रस्तावित स्थायी आदेश (cc) की तीसरी

पंक्ति में शब्द रूल्स (rules) के स्थान पर शब्द स्टेंडिंग आर्डर्स (standing orders) रक्खे जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि स्थायी आदेश 6 (3) (iii) और (iv) में और स्थाई आदेश २१ के प्राविजो (ए) [Proviso (a)] में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee) के आगे शब्द "आर ज्वाइएट सेलेक्ट कमेटी" (or Joint Select Committee) बढ़ा दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—अब इन संशोधनों के पश्चात् इस प्रस्ताव का रूप इस प्रकार रहता है :—

संयुक्त प्रान्त के लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये जायँ।

RULES (नियम)

१—नियम २३ (Rule 23) में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee) और शब्द " or " के बीच में शब्द "आर ए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी" (or a Joint Select Committee) बढ़ा दिये जायँ

१ (क)—नियम २९ (Rule 29) के पश्चात् निम्नलिखित नियम २९-ए० (Rule 29—A) के रूप में जोड़ा जाय—

"29-A (1) The Secretary shall send to every member a copy of the message received from the Council asking for the concurrence of the Assembly in a motion passed by the Council that a Bill be referred to a Joint Select Committee of both Chambers.

Motion for reference to a Joint Select Committee.

(2) At any time after the receipt of such message from the Council, a Minister in the case of a Government Bill and any member in the case of a non-Government Bill, may move the motion passed by the Council be agreed to.

(3) If the Assembly agrees, a motion may be made by the member mentioned in sub-rule (2) nominating the members of the Assembly who are to serve on the Joint Select Committee. If necessary, an election for the requisite number of representative of the Assembly on the Joint Select Committee

will be made. A message shall then be sent to the Council intimating the concurrence of the Assembly to the motion passed by the Council and the names of the members elected by the Assembly for the Joint Select Committee.

(4) If the Assembly does not agree to the motion passed by the Council, a message intimating its disagreement shall be sent to the Council."

अब इसका दूसरा हिस्सा आता है। अब तक इस संशोधन के संबंध में १ (क) हुआ। अब १ (ख) आता है, वह इस प्रकार है—

"१ (ख) रूल ३४ में जहाँ-जहाँ शब्द "a Select Committee" आए हैं, वहाँ उनके बाद शब्द "or a Joint Select Committee" रक्खे जायँ।

STANDING ORDERS (स्थायी आदेश)

२ स्थायी आदेश १ (Standing Order 1) के वाक्य खंड (१) [Clause (1)] में उप-वाक्य खंड सी [Sub-clause (c)] के पश्चात् निम्नलिखित उप वाक्य खंड (सी सी) [Sub-clause (cc)] के रूप में रक्खा जाय।

"(cc) 'Joint Select Committee' means a Committee of members of the Council and the Assembly to which a Bill is referred under these standing orders after it has been introduced in either chamber,"

२ (क) स्थायी आदेश ६ (३) (iii) व (iv) [Standing Order 6 (3) (iii) and (iv)] में और स्थायी आदेश २१ के प्राविज़ो (ए) [Poriso (a)] में शब्द "a Select Committee" के बाद शब्द "or a Joint Select Committee" बढ़ा दिए जायँ।

३. अस्थायी आदेश ४७ (Standing Order 47) को स्थायी आदेश ४७ (Standing Order 47) का वाक्य खंड (१) [Clause (1)] कर दिया जाय तथा निम्नलिखित वाक्य खंड (२) [Clause (2)] के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(2) A motion recommending that a Bill should be committed to a Joint Select Committee of both Chambers of the Legislature may be moved at any stage at which a motion for the reference of the Bill to a Select Committee may be moved."

४. स्थायी आदेश ४८ (Standing Order 48) में जहाँ जहाँ शब्द "Select Committee" आए हैं, उनके पश्चात् शब्द "or a Joint Select Committee" रख दिए जायँ।

५. अस्थायी आदेश ५६ (Standing Order 56) के पश्चात् निम्नलिखित स्थायी आदेश (Standing Orders) "CC—Joint Select Committee" शीर्षक के अन्तर्गत रख दिए जायँ।

"CC—JOINT SELECT COMMITTEE."

56-A. (1) If the motion recommending the reference of a Bill to a Joint Select Committee of both Chambers is carried, the Secretary shall send a message to the Council asking for their concurrence, to the said motion and, in case of their concurrence for the nomination of the requisite number of members to serve on the Joint Select Committee. *Joint Select Committee.*

(2) If a message to the effect that the Council does not concur is received by the Assembly. there shall be no reference to a Joint Select Committee.

56-(B). Unless decided otherwise by the two Chambers by mutual agreement— *Election for Member by Assembly.*

(a) The Joint Select Committee shall consist of 25 members.

(b) The Minister in charge of the Department to which the Bill relates, and, where the Bill is moved by a member other than the Minister, such member shall be members of every Joint Select Committee.

(c) Of the remaining members, 8 shall be elected by the Council and the remaining 15 or 16, as the case may be, by the Assembly.

56-C. The Minister in charge of the Department to which the Bill relates shall be the Chairman of the Joint Select Committee, unless he waives his right, in which case the Committee shall elect a Chairman from among its members. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or a casting vote. *Procedure of Joint Select Committee.*

56-D. After the presentation of the final report of a Joint Select Committee on a Bill, the member in charge may *Motion after Presentation of repot.*

move that the Bill as reported by the Joint Select Committee be taken into consideration.

56-E The provisions of Standing Orders 49 (4), 49 (5), 49 (6), 49 (7), 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 shall, mutatis mutandis, apply to a Joint Select Committee.

सवाल यह है कि यह संशोधित प्रस्ताव मंजूर किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

*माननीय प्रधान सचिव—मैं सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल उपस्थित करता हूँ।

(छापा नहीं गया)

माननीय प्रधान सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—इस प्रस्ताव में आपको कुछ समय बताना चाहिंगे।

माननीय प्रधान सचिव—इसके लिये तो समय मुकर्रर है।

डिप्टी स्पीकर—दो महीने होंगे।

माननीय प्रधान सचिव—दो महीने से कम नहीं होता है। रूल यह है कि दो महीने से कम न हो।

मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज इस भवन के सामने इस बिल को उपस्थित करने का यह मौका मिला है। जिस बात का हम और कांग्रेस और हमारे सूबे के करोड़ों अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान वर्षों से आशा लगाए हुये थे। जो हमारे आदर्श के अनुसार हमारा एक मुख्य कर्तव्य था। एक दिन के स्वप्नों को हम बहुत दिनों से एक क़िस्म की कल्पना में देखा करते थे, उनको व्यावहारिक रूप देने उनको की आज इस शक्ल में यहाँ पेश करने का यह अवसर मुझे वर्षों के परिश्रम और यत्न करने के बाद आज मिला है। इसके लिये मैं इस हाउस के सब सदस्यों को, जिन्होंने इस काम में सहयोग दिया, धन्यवाद देता हूँ। जमींदारी एबोलीशन कमेटी के सदस्यों को इसके बाद उन सब को जिन्होंने इस बिल को तैयार करने में हिस्सा लिया, सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों को, अपने साथी, सचिवों को और अपने सहकारी पार्लमेंटरी सेक्रेटरियों को विशेषकर चरणसिंह जी को धन्यवाद देता हूँ।

---

* माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुझे आप को इस बारे में बहुत सी बातें कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है मैं समझता हूँ कि यह विषय, यह मसला इतना आम लोगों के सामने आया है कि उसके बारे में बहुत लम्बी तकरीर की जरूरत नहीं है। कम से कम आखिरी बीस साल में बार-बार इसकी चर्चा होती आई है। हमारे स्पीकर महोदय यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने आज से बीस वर्ष हुये जमींदारी उन्मूलन की बात को बड़े जोर के साथ देश के सामने रक्खा था। जवाहरलाल जी ने भी इस आदर्श को हमारे सामने रक्खा था। तब से कांग्रेस की कुछ कमेटियाँ भी हुईं। एक एग्रेरियन कमेटी भी हुई। उससे भी मेरा कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध है। और इस विषय में विचार विनिमय होता रहा। आपको याद होगा, ७ अगस्त, सन् १९४६ ई० को अगर मुझे तारीख ठीक याद है तो इस भवन ने श्री रफी अहमद किदवई के प्रस्ताव पर इस बात को स्वीकार किया था कि जमींदारी खत्म कर दी जाय, मध्यवर्तियों को अलग किया जाय और एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जो इस प्रान्त के उपयुक्त हो। इसी सिलसिले में उस कमेटी ने बहुत दिनों तक काम किया और मैं समझता हूँ कि ९ अगस्त को पारसाल उस कमेटी की रिपोर्ट छपी थी। उस कमेटी में इस भवन के सभी दलों के प्रतिनिधि थे और उस कमेटी ने जिस योग्यता से काम किया, श्री अमीर रजा, श्री झा साहब और उसके तमाम मन्त्री और सदस्यों ने जिनमें श्री अजित प्रसाद जी जैन का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है, उन सब ने उद्योग किया। हमने उसकी रिपोर्ट शाया की। आज वह दिन आया है कि जब कि यह बिल हम उपस्थित कर पा रहे हैं। और इसमें हमारे जुडिशिअल सेक्रेटरी श्री वशिष्ट भार्गव, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री निगम और औरों ने पूरी तरह से सहायता पहुँचायी, तब इस बिल को आपके सामने रखने का मौक़ा मिला। किसी नये क़ानून को बनाना, उसके मसविदे को बनाना काफी कठिन काम होता है। मैंने आपसे कहा कि यह बिल हमारे हौसिले को पूरा करने वाला है, यह कांग्रेस के आदर्शों को पूरा करने वाला है। और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इस देश के जितने जिन्दा दिल लोग हैं, जिनकी जनता के साथ वास्तविक सहानभूति और हमदर्दी है, जो यह चाहते हैं कि इस मुल्क का हर आदमी अपना माथा ऊँचा करके और अपनी कमर को सीधी करके चल सके, जो चाहते हैं कि हर किसी को खाने को मिले और पहनने को मिले, रुहानी जिस्मानी और माली तरक्की हो और हर आदमी शान के साथ यहाँ रह सके, उन सब को इस बिल का स्वागत हृदय से करना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि हमने यदि स्वराज्य प्राप्त किया है तो वह स्वराज्य प्राप्त करने से दो उद्देश्य हमारे सिद्ध होने चाहिये। एक तो यह है कि हमारे यहाँ हर मनुष्य ऊँचे से ऊँचे स्तर को उठा सके, किसी का दबाव उस पर न हो, कहीं रुकावट उसके रास्ते में जिस मंजिल को वह पहुँचना चाहता हो वहाँ पहुँचने में न हो।

[माननीय प्रधान सचिव]
चाहे हरएक आदमी सुखी हो और बड़ा हो, मगर कोई दुखी न हो और कोई छोटा न हो, यह हमारा आदर्श है। इसलिये जमींदारी का उन्मूलन एक एथीकल नेसेसिटी (नैतिक आवश्यकता) चाहे और बात जो भी हो, हो जाता है। इसलिये हमारे यहां का हर एक मनुष्य जो कि मेहनत करता है वह अपने मनुष्यता के हक को पा सके, उसके और सरकार बीच में कोई मध्यवर्ती, मदाखलत करनेवाला न हो; यही उसकी नैतिक उन्नति के लिये परमावश्यक है।

"मैन लिव्ज नाट बाई ब्रेड एलोन" (मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता है) चाहे हमारे किसानों को खाने के लिये सब पदार्थ न भी मिलते हों, मगर उनकी आत्मा को यह सुख हो, उनको यह संतोष हो, उनको यह विश्वास और आश्वासन हो कि वे स्वतंत्र होकर अपने अपने घरों में अपने अपने गांवों में रह सकते हैं और कोई दूसरा उनके ऊपर हावी होने का कोई मौका नहीं रखता है। यह परमावश्यक है। इसलिये इस एथीकल (नैतिक) जरूरत को पूरा करने के लिये जमींदार को खतम करना जरूरी हो जाता है। कोई हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम जमींदारों को भी अपने को मित्र समझते हैं, और उनकी मैत्री को प्राप्त करना हमेशा हमने अपना आदर्श माना है। परन्तु उनकी मैत्री के माने भी यही हैं कि वे कार्य हों, जिनसे हमारे देहात एक नये जीवन से गूँज उठें। उनके भाई और पड़ोसी सब समता के भाव में उनके करीब रहते हुये सुखी हो सकें और आनन्द के साथ, अगर पूरी तरह से नहीं, तो कम से कम आत्माभिमान को बगैर ठेस लगाये हुये गर्व के साथ अपनी दिनचर्या कर सकें। इसलिये उनके आत्माभिमान की सुरक्षा के लिये इस योजना की परमावश्यकता है।

इसके द्वारा हम और भी काम कर सकते हैं। आज हमारे देश में बहुत से सवाल हमारे सामने हैं। जैसा मैंने अभी कहा, यह जमींदारी खत्म करने की बात जब हम पराधीन थे, तब से चल रही है। यह कम से कम बीस तीस वर्ष से हमारे यहां एक प्रेक्टिकल पोलिटिक्स (क्रियात्मक राजनीति) के अन्दर आई हुई बात है और किसी मसले पर अगर पूरी तरह से गौर करने का यत्न और कोशिश की गई है तो वह इस जमींदारी के मसले पर की गई है। इसलिये यह वैसी ही परम आवश्यक है; परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि इस बीच में हमारे देश में और भी बड़े, परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जिससे इस प्रथा का रखना, या ऐसी प्रथा का रखना, जिससे कि एक मनुष्य दूसरे के ऊपर उसके आर्थिक संकट में एक दबाव की हालत को रक्खे, वह अब हमारे इस मौजूदा राजनैतिक क्षेत्र में असम्भव सा हो गया है।

हमने, १५ अगस्त सन् १९४७ ई०, को स्वराज्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक यह आशा करता है कि उस स्वराज्य के

फलस्वरूप उसका स्तर ऊँचा हो, उसको दबानेवाला कोई न रहे, वह सुख के साथ रह सके और एक नागरिक की तरह उसका बराबरी का दर्जा हो और उत्साह के साथ, ज्ञान के साथ, आत्माभिमान की सुरक्षा करते हुये हर जगह पर उसको हासिल हो।

इसलिये १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० के बाद, स्वराज्य प्राप्त करने के बाद, इस तरह की एक प्रथा का जो कि विदेशियों ने इस देश में आरम्भ की थी और जैसा कि बहुत से सदस्यों को मालूम होगा लोगों को इसलिये नियुक्त किया था कि वह उनके लिये लगान जमा करते रहें और उसमें से १० फी सैकड़ा या ५ फी सैकड़ा कमीशन खुद ले लें और ९० या ९५ फीसदी उनको दे दें। यह प्रथा विदेशियों की बनाई हुई एक प्रथा थी और यह हमारे देश के अपने मौलिक जीवन के विपरीत एक प्रथा थी। हमारे यहाँ, वैदिक काल में भी और उसके बाद भी जो लोग यहाँ के साहित्य से परिचित हैं जानते होंगे कि हमेशा धरती पर जोतनेवाले का अधिकार रहा और उसके और शासक के बीच में कोई मध्यवर्ती नहीं रहा। इसलिये आज जो भी कार्यवाही की गई, वह इसलिये की गई कि विदेशी अपना काम निकालने को और लोगों को उसमें डाल देने को और अपना मतलब हल करने के लिये यह प्रथा लाये थे मगर वह कोई हमारी नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रथा नहीं थी। आज जब हमारा स्वराज्य हो गया है, हमें अपने देश में अपनी प्राचीन संस्कृति और उन स्तम्भों को जो कि आज के जमाने में भी हमारे देश को ऊँचा करने में, हमारे देश की अवस्था सुधारने में, कारगर हो सकते हैं, फिर पुनर्जीवित करना है। हमारे यहाँ ग्रामों की अवस्था प्राचीन काल में एक तरह से रिपब्लिक (जन-तंत्र) की - सी हो जाती थी और उनका सब प्रबन्ध विलेज कम्यूनिटी ही किया करती थी। आज हमको जब स्वराज्य प्राप्त हो गया है तो उससे उस स्तर का पूरा अंश हमारे ग्राम-वासियों और खेतिहरों को मिले और उसको मिलने के लिये इस जमींदारी उन्मूलन बिल का बनाना परमावश्यक है। इसलिये भी जब स्वराज्य आ गया, तब जो पहले से हमारा उद्देश्य था जिसको प्राप्त करने में हम लगे हुये थे, जो हमारा आदेश था वह और भी एक प्रबल शक्ति को प्राप्त कर गया और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य हो गया। आपने शायद जो मैंने जिस दिन यह बिल निकला था, उस दिन प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा था सुना होगा। मैंने तब भी कहा था और मैं समझता हूँ कि आज भी यदि मैं उसे दोहराऊँ तो अनुचित नहीं है कि हमारे प्रान्त के इतिहास में पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना सबसे बड़ी बात थी और उसके अनन्तर अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी बात हो सकती थी और है, तो वह जमींदारी का उन्मूलन करना है।

आज हम अपने देश में, अपने यहाँ के पाँच करोड़ लोगों में अपने यहाँ के एक लाख से अधिक गाँवों में, वास्तविक स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। आज

[माननीय प्रधान सचिव]

हम अपने देश के उन लोगों को जिनकी कि जर्जरित अवस्था रही है, जो बहुत से किसी जमाने से यातनाओं को भोगते आये हैं, आज उनको फिर उनके स्वाभाविक स्तर को प्राप्त करने और उसके अनुसार ऊँचे से ऊँचे स्तर का क्षेत्र उनके लिये तैयार कर रहे हैं। इसलिये हमें इस बात को देखना है कि आज हमें इस बिल को यह पेश करने का मौक़ा मिला है। पर यह बिल वैसे भी एक तरीकों का और उन बातों का जो कि समय समय पर होती आयीं, एक स्वाभाविक परिणाम हैं। आप जानते हैं जमींदारों के जो कुछ जब्र थे या उनमें से कुछ के जो थे, उनको रोकने के लिये विदेशी सरकार ने भी समय - समय पर क़ानून बनाये।

पहले जिसको वह चाहते थे, उसको कान पकड़ कर निकाल सकते थे। उसके लिये बेदख्ल करने की मुमानियत की गई। उसके बाद फिर कुछ और क़ानून इस तरह के बनाए गये कि जिस से ७ साल १० साल, १५ साल तक आदमी काबिज़ रह सके। उसके बाद फिर उनको हैरिडिटेरी लाइफ़ टेनेन्सी अवध में दी गई और आगरा में ओकुपेन्सी टेनेंसी के हक़ दिये गये। मगर इन सब बातों के होने पर भी जो कृषक वर्ग था, उसकी कठिनाई दूर नहीं हुई। उनके और जमीदारों के बीच संघर्ष बढ़ता ही गया और आपस में जो माधुर्य का बर्ताव देहातों के अन्दर था वह टूटता गया और उसके बदले में आपस में कड़ुवाहट आ गई। इन सब बातों के करने पर भी और हम लोगों के नये क़ानून बनाने पर भी चंद काश्तकारों को अपने खेतों, अपने पेड़ों और अपनी आबादी के हर तरह के हक़ दिये गये, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली और तसकीन नहीं हुई और आपस में झंझट और झगड़े चलते गये। अब इलाज क्या इलाज रह गया? जितनी दवायें थीं वह सब की गईं लेकिन मर्ज दूर नहीं हुआ। आखिर में एक ही इलाज रह गया और वह था जमींदारी का खतम करना। जमींदारी के किस ढाँचे को रखना चाहिये यह सोचकर जितने भी अधिकार दिये जा सकते थे, वह सब दिये गये। परन्तु उससे मामला सुलझा नहीं। वह झंझट बढ़ता ही गया। इसलिये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक तरीके पर वह जिस तरह से डेवलेपमेंट होता गया, उसके लिये यह एक बिल्कुल जरूरी हो गया कि जमींदारी को खतम किया जाय। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है वह सब इन सब बातों से नहीं कि यह शिकायतें थीं उनको दूर किया जाय बल्कि इसके साथ ही साथ हम तो यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करके आये थे। जिस वक़्त चुनाव हुआ था कांग्रेस ने साफ़ तौर पर यह कह दिया था कांग्रेस की ओर से साफ़ तौर पर यह कहा गया था। कि इंटरमिडियरिज़ (मध्यवर्ग) का दूर करना और जमींदारी प्रथा को खतम करना हमारा आदर्श और उद्देश्य होगा। जो हमारा एलेक्शन मनिफेस्टो था, उसमें कहा गया था The reform of the land system which is so urgently needed in India involves the removal of intermediaries between the

peasant and the State. The rights of intermediries should therefore, be acuired on payment of equitable compensation. (भारत में भूमि व्यवस्था के ऐसे सुधार की तुरन्त आवश्यकता है जिसमें किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ व्यक्ति न रहें। इसलिये उचित हरजाना देकर मध्यस्थ व्यक्तियों के अधिकारों को हस्तगत कर लेना चाहिये।)

हमको काश्तकारों ने वोट दिया और हम से कहा गया और ज़मीदारों ने भी अपने बयान में कहा था कि उन्होंने भी हमको वोट दिया था इस मेनिफेस्टो के आधार पर, जिसके माने यह हैं कि दोनों ने यह मान लिया था कि इस तरीके पर यहाँ इंटर-मिडियरिज़ को दूर करके इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन (उचित मुआविजा) उनको दिया जाय और यही एक उचित रास्ता है और यही होना चाहिये। इस मेनिफेस्टो के आधार पर हम लोग एलेक्शन में कामयाब होकर यहाँ आये और हमने अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनाई, इसलिये भी हम वचनवद्ध हैं और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इस मेनिफेस्टो के आधार पर जिन लोगों ने हमको भेजा तो उसी तरह से करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको पूरा करें। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीदारों को यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस वक्त इस मेनि-फेस्टो के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में कामयाब हुई और जिस वक्त देश ने हमको यह मैंडेट दे दिया कि हम ज़मींदारी को खतम करें तो उसके विरुद्ध कुछ कहना देश में मत दाताओं के विरुद्ध कहना है। जो लोग कहते हैं कि कम्पन्सेशन न दिया जाय उनको यह याद रखना चाहिये कि हम इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन देंगे।

इसलिये जो आज सोशलिस्ट हो गये हैं या जो हमारे साथ नहीं हैं उनको भी यह याद रखना है कि उन्होंने और हमने मिलकर यह चुनाव लड़ा था और उस वक्त हमने इस मेनिफेस्टो के आधार पर, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इससे उनका और हमारा दोनों का यह नैतिक कर्तव्य है कि इन सिद्धान्तों को जिनके आधार पर कि हमने चुनाव लड़ा था, हम पूरा करें और मैं आशा करता हूँ कि जो कोई पहले कांग्रेस में थे और जो चुनाव के वक्त कांग्रेस में थे वे यदि आज इसके विपरीत कोई बात कहेंगे या किसी ने कही हो तो उन्होंने भूलकर कही होगी और जब यह बात उनके सामने आ जायगी कि उन्होंने और हमने इस बात का अपने ऊपर जिम्मा लिया था कि हम जमींदारी खत्म करेंगे और इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन देंगे तो फिर कम्पन्सेशन के ख़िलाफ आवाज़ उठाना उतना ही अनुचित है जितना कि जमींदारों का जमींदारी के खिलाफ आवाज़ उठाना है। इसलिये दोनों को इसको मान लेना चाहिये। क्या कम्पन्सेशन इक्विटेबिल है या क्या नहीं है, इसके बारे में मतभेद हो सकता है। इक्विटी (न्याय संगत) कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कि कोई अपैरेट्स (आला) ऐसा बना हो कि आप नाप कर कह दें

[माननीय प्रधान सचिव]

कि यह इक्विटी होती है। इक्विटी वह चीज है जिसमें मनुष्य दूसरों के साथ उनकी अवस्था को देखते हुए उचित व्यवहार करे। बड़े आदमी को बड़ा समझकर उसके साथ बड़ों का सा व्यवहार करे और छोटे को कमजोर समझकर उसकी कमजोरी का ख्याल करके उसके साथ वैसा व्यवहार करे। उस इक्विटी के प्रिंसिपल (सिद्धान्त) को इस बिल में पूरी तरह से माना गया है।

मगर मैं आपसे कह रहा था कि इस मेनिफेस्टो के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है और इसके बाद जो रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था वह भी इसी मेनिफेस्टो के आधार पर हुआ था। इस रेजोल्यूशन में जो कि ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को इस हाउस ने मंजूर किया, कहा गया था कि—

"This Assembly accepts the principle of the abolition of the Zamindari system in this province which involves intermediaries between the cultivator and the State and resolves that the rights of such intermediaries should be acquired on payment of equitable compensation and that Government shold appoint a committee to prepare a scheme for the purpose."

(इस प्रान्त की जमींदारी प्रथा को जिसमें किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ व्यक्ति रहते हैं उन्मूलित करने के सिद्धान्त को यह असेम्बली स्वीकार करती है और मन्तव्य करती है कि ऐसे मध्यस्थों के अधिकार उचित हर्जाना देकर हस्तगत कर लिये जायँ और सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति की योजना बनाने के लिये एक कमेटी नियुक्त करे।)

जिस समय इस भवन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया उसी समय जमींदारी का अबालीशन हो चुका। अब तो सिर्फ उसको एक कानूनी जामा पहनाना बाकी है और उसको एक कानूनी शक्ल देना है जहाँ तक इस भवन के निर्णय और फैसले का ताल्लुक है। दूसरे इसमें जो कि एक साफ हिदायत की गयी वह यह थी कि इंटरमिडरीज् कोई स्टेट और कल्टीवेटर के बीच में न रहें और तीसरे एक यह थी कि कम्पन्सेशन इक्वीटेबिल हो, मार्केट वैल्यु (बाजार का मूल्य) न हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू इक्विटी से ताल्लुक नहीं रखती इसलिये इक्विटी के आधार पर कम्पन्सेशन निश्चित हो, यह तीसरी बात इस भवन में निश्चित हुई थी। उसके अनन्तर और भी बातें हमारे देश में हुई हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ स्वराज्य आया और उसके आने के बाद हमारे देश में और भी बातें हुईं। हमारे प्रान्त में पंचायतें कायम हुईं और पंचायतों को हमने इसलिये बनाया कि हमारे देश की जो प्राचीन प्रथा थी उसी के अनुसार हम अपने प्राकृतिक आधार पर अपने देश का पुनर्स्संगठन करें। जो क्रान्ति सोवियट रूस में हुई थी, उसी प्रकार की हमारे प्रान्त में पंचायतें हुई हैं। मगर सोवियट के बनाने में लाखों आदमी रूस के खत्म हुए। हमारी पंचायतें प्रेम और सद्भावना के साथ बनी हैं।

आज भी कांग्रेस और हमारा एक उद्देश्य और कर्तव्य है। वह है देश में क्रान्ति का करना। मगर क्रान्ति का शान्तिमय उपायों के द्वारा करना और उस क्रान्ति को करने के लिये जो सबसे आवश्यक है, वह ज़मींदारी उन्मूलन है। अगर हम अपने देश में एक आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके पर अपनी पंचायतों में एक नये जीवन को डालना है और कृषकों में एक नयी भावना को नये हौसले को और नये उत्साह को पैदा करना है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ आज खाने का सवाल है। हमारा देश उतना अन्न पैदा नहीं कर सकता, जितनी कि उस को आवश्यकता है। सौ, सवा सौ करोड़ रुपए हमें विदेशों में इसलिये भेजना पड़ता है कि यहाँ किसी तरह से हम पेट भर सकें। इसके लिये जरूरत यह है कि हर एक मनुष्य जिस का सम्बन्ध ज़मीन से है वह उस से अपनी मुहब्बत रक्खे, वह उसे बिराने की चीज न समझे और वह अपनी सारी शक्ति उसके सुधार में लगा सके। इसलिये इस फूड प्राबलम (खाद्य-समस्या) के सल्यूशन (हल) के लिये भी इस बात की जरूरत है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन हमारे देश में हो। और उसके लिये जो हमारे खेतिहर हैं उन की भावना हो कि वह अपनी जमीन से एक स्थायी सम्बन्ध रखते हैं, और स्वामीत्व करीब करीब प्राप्त है। कोई दूसरा बेदखल कराने वाला नहीं है। इस लिये फूड प्राबलम के सल्यूशन के लिये भी इस बात की जरूरत है। भवन के सदस्यों को मालूम होगा कि विशेषज्ञों की राय है कि जब तक लैंड टेन्योर में उचित सुधार न हो तब तक फूड प्राबलम का प्रभावकारी सल्यूशन नहीं निकल सकता है। इस लिये इस ढंग से इस काम को करना आवश्यक है।

इस के अतिरिक्त आज हमारे देश में इन्फ्लेशन (मुद्रा फुलाव) फैला हुआ है। इन्फ्लेशन की वजह से कुछ मुद्रा के विषम वितरण से ऐसी अनूठी परिस्थिति पैदा हो गयी है, जिस से हमारा आर्थिक जीवन खतरे में है और इस हद तक खतरे में है कि उस से हमारा सामाजिक जीवन और राजनैतिक स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ गयी है। इसलिये हमें उस का भी हल निकालना है। उस के लिये हमें कोई ऐसी शैली निकालनी है, जिस से हम अपने देश के हर एक के स्तर को ऊँचा कर सकें, हर एक के रुपये का सदुपयोग करते हुए, उसको उसे लाभ पहुँचाएँ और देश तथा जन समुदाय को भी लाभ पहुँचाएँ। इसलिये भी इस में जो योजना रक्खी गयी है, वह इस ढंग से रक्खी गयी जिस से हमारे जिनके मौलिक प्रश्न हैं वह सब हल हो सकें। उन के साथ-साथ हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस बिल में जो भी हम प्राविजन (व्यवस्था) करें उस से कमसे कम दिक्कत लोगों को हो और इस विचार से इस बात का यत्न किया गया है कि जो जिस जमीन के कब्जे में है, वह उस से बेदखल न हो। ताकि जो हर एक आदमी की हालत आज है, जो कि उत्पादन का काम करता है, वह आगे भी कर सके। स्वराज्य के माने होते हैं कि हर आदमी पैदा करनेवाला हो।

[माननीय प्रधान सचिव]

इसलिये पैदा करनेवालों को, जो भी तथा जिसके भी कब्जे में जो जमीन है, उसके यथासम्भव हम हटाना नहीं चाहते हैं। और इस बिल में ऐसी योजना की गई है जिससे सबका यथासम्भव कब्जा कायम रहे और किसी को कोई कठिनाई न हो। इस बिल में और हमारे पहले की जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बातों में अन्तर है। उनमें अन्तर करने में हमने सब बातों का विचार किया है सर जगदीश प्रसाद तथा और लोगों की बातों का भी तथा जो बातें अखबारों में निकलीं उनका भी और अन्य जमींदारों ने जो बातें कहीं उन सब बातों का विचार किया है, और उनको अपने ध्यान में रक्खा है। जो जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट में लाखों सब टेनेन्ट्स बेदखल किये जा रहे थे यह उनके साथ जब हो रहा था लिहाजा ऐसी बात हम नहीं होने देना चाहते थे और हमने इसके लिए भी उपाय निकाला है ताकि वह लोग बेदखल न हों। उनके साथ जो हमदर्दी थी उसका असर हमारे ऊपर हुआ है इस तरीके पर हमने यह रक्खा है कि सब टेनेंट्स न सिर्फ पाँच साल तक ही कायम रहेंगे बल्कि जिन जमींदारों को उनके साथ हमदर्दी थी उनको यह सुन कर खुशी होगी कि उनको भी उनके बराबर का दर्जा दिया जायेगा। जब वह भी भूमिधर हो जायँगे। इसलिए इस तरह से यह दिक्कत दूर होगी।

इसके अलावा कुछ बातें मुआवजे के बारे में हुई हैं। मुआवजे के बारे में कुछ उज्र किये गए थे कि जब जमीन एक सी है तो मुआवजा भी एक सा ही होना चाहिये। उसी मुहाल में किसी को ज्यादा और को कम क्यों दिया जाता है। इस बात को हमने माना है और सबके लिये हमने एक सा मुआवजा कर दिया है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो सबको अठगुना मिलेगा। हाँ मुआवजा देने में जरूर हर एक की हैसियत का ख्याल किया गया है और जो कोई खर्च करता है और जो कोई वह टैक्स देता है उन सब को मिनहा करके जो उसकी खालिस मुनाफा होना है उसके आधार पर उनके इस मुआवजे की निकदार कायम की गई है और यही मुनासिब ढंग भी है क्योंकि बगैर खर्चे को काटे हुये खालिस मुनाफा नहीं होता। जो टैक्स लगता है वह तो खर्चा होता ही है। बड़ी आमदनी होने पर ज्यादा टैक्स देने हैं लेकिन जो गरीब हैं उनको इतना नहीं मिलता कि अपना गुजारा भी अच्छी तरह से कर सकें तो फिर वह टैक्स क्या देंगे। इसलिये इन सब बातों का ख्याल करके यह किया गया है।

इसके अलावा इस बिल में एक तरीका यह रक्खा गया है कि इसको सिम्पिल (सादा) बनाने की कोशिश की गई है जिससे सब काम आसानी से हो जाय। हम उम्मीद करते हैं कि अगर सब बातें ठीक हुई तो एक साल के भीतर इस बिल का निफाज होकर जमींदारी खत्म हो जायगी। इसलिये इस बात का उपाय किया गया है कि जहाँ तक मुआवजा कायम करने की बात है चाहे कोई एक रुपये का देनेवाला हो या हजार रुपये का देनेवाला हो उसकी खालिस आमदनी निकाल कर के

अठगुना कर दिया जायेगा। अब उसको खतौनी वगैरह को देख कर एक एक दिन में मुआवजा कायम किया जा सकता है। इससे पहले जो सिलसिला था यानी जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि हर एक की मालगुजारी वगैरह देख कर यह कायम हो सकता था। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता था। इसलिये यह ढङ्ग ऐसा है जो आसानी से अमल में आ सकता है इसके अलावा हमने इसमें यह भी किया है कि जो खेवट में इन्दराज है वह इस ऐक्ट के लिये करीब करीब कतई समझे जायँगे ताकि मुकदमेबाजी की कोई गुंजायश ही न रहे और उसकी बुनयाद पर ही फैसला कर दिया जायगा। इस बिल को अमल में लाने के लिये यह आसान तरीका कायम किया गया है। इसके अलावा आजकल हमारे यहां कई किस्म के टैनेंट्स हैं। कोई फिक्स्ड रेट्स के हैं, कोई एक्स प्रोप्रायटरी हैं और कोई ओकूपेन्सी हैं। इस तरह से बहुत से टेनेंट्स हैं। अब इसमें सबको एक करने का उपाय किया गया है।

हम चाहते हैं कि सब लोगों के बीच में मोहब्बत हो और इसके लिए इस बात की जरूरत है कि एक दूसरे को अपने बराबर समझने लगें। इसलिए इस बिल में इस बात की कोशिश की गई है कि तमाम लोगों को एक तरह से सिर्फ दो दर्जों में बाँटा गया है। एक तो सीरदार और दूसरे भूमिधर। सीरदार वह हैं जो चन्द रोज रहेंगे और फिर भूमिधर हो जायँगे और भूमिधर वह हैं जो हमेशा ही भूमिधर रहेंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि तमाम गाँवों में भूमिधर ही होंगे और सब का बराबरी का दर्जा होगा। और इस में ऐसा तरीका बरता गया है कि सीरदार जो हैं वह भी अपने लगान का दस गुना रुपया देकर भूमिधर के हक को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद से उन का लगान भी आधा हो सकता है, वह अपनी जमीन बेच सकेंगे और जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे और फिर उनके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट न रहेगी सिवा इसके वह अपनी जमीन किसी दूसरे को जोतने को न दे सकेंगे और अगर दे सकेंगे तो भी सिर्फ विधवा अपाहज या पंगु को दे सकेंगे क्योंकि जिन के हाथ पैर हैं उनको काम करना चाहिए। इसी सिद्धान्त को सामने रखकर ऐसा किया गया है और इस तरह से जो जमीन रक्खेंगे वह उस को जोतेंगे और अगर खुद नहीं करेंगे तो वह उसी को देंगे जो खुद उसे जोते इस बिल से हमारा वह ध्येय पूरा हो जाता है जिस से हम चाहते हैं कि सब लोग पैदा करने, काम करने वाले बनें और कोई बेकार न बैठे और हम किसी को उसकी थैली में जबरदस्ती पैसा डालकर बेकार न बनावें।

इसके अलावा इस बात की भी जरूरत थी कि हमारे यहाँ जो जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं वह और छोटे न होते चले जायँ। इसलिए इस बिल में प्राविजन किया गया है कि किसी भी होलडिंग का इस तरह से बटवारा न होगा कि कोई

[माननीय प्रधान सचिव]

भी होल्डिंग साढ़े ६ एकड़ से कम हो सके जिससे आगे और फ्रेगमैनटेशन(टुकड़े) न हो सके और इसकी वजह से जिन के पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन मिले और कमज़ोर भी ज़मीन पा सकें। इस में यह भी रक्खा गया है कि जो कोई ज़मीन बेचे वह उनके हाथ न बेचे कि जिस के पास खेती या और सब ज़मीन मिलाकर ३० एकड़ ज़मीन मौजूद है। इससे गरीब लोगों को भी ज़मीन खरीदने की गुंजायश होगी और हर एक ज़मीन हासिल कर सकेगा। इस के अलावा जैसा कि आप से कहा गया इस बिल में इस बात की भी कोशिश की गई है कि मुआवज़ा इस ढंग से दिया जाय कि जिस को जितनी जरूरत हो उसकी वह ज़रूरत पूरी हो सके। इस गर्ज़ से यह तजवीज की गई है कि कम्पन्सेशन सब के लिए एक ही शरह से हो और वह ख़ालिस मुनाफे की बुनियाद पर ८ गुना रहे और उसको कायम करने में १५ फीसदी जो लगान या कर्जा वसूल नहीं होता उसके हिसाब से कमी कर दी जायगी और जो कोई टैक्स वह देते हैं उस को निकाल कर बाद में जो ख़ालिस निकासी रह जायगी उसका ८ गुना कम्पन्सेशन दिया जायगा। इसके अलावा यह चीज भी की गई है कि जो लोग ऐसे हैं कि जिन को पास इस मुआवज़े के मिलने पर नए कामों के शुरू करने के लिए पूँजी नहीं होगी या जिन्हें पैसे की जरूरत होगी उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी दी जायगी। और यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट २० गुने से लेकर २ गुने तक दी जायगी। जो लोग २५ रु० तक मालगुजारी देते हैं उनका २० गुना रिहैबिलिटेशन मिला कर यानी कम्पन्सेशन समेत उनको खालिस आमदनी का २८ गुना मिला करेगा और जो साढ़े ३ हजार से ५ हजार तक देते हैं उनको ८ गुना मिलेगा। इसका नतीजा यह होता है कि १५०० में से १४९९ जो आज काश्तकारी करते हैं उनको मुआविज़ा मिलेगा और कुछ न कुछ रिहैबिलिटेशन भी मिलेगा सिर्फ १५०० में से १ ऐसा रहता है जिसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप सिर्फ उनको लें जो २५० रु० तक मालगुजारी देते हैं उनको ११ गुना तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट और ८ गुना कम्पन्सेशन यानी करीब करीब २० गुने तक मिलता है और इसमें करीब करीब सब लोग आते हैं, यानी २०० में से १९७ आदमियों को १९ गुने तक कम्पन्सेशन उनके ख़ालिस मुनाफे का मिल जाता है। अब मेरी समझ में कोई यह नहीं कह सकता है कि इंसाफ से इसमें ज्यादा से ज्यादा रियायत मिलने की कोशिश नहीं की गयी है। बाजे लोग समझते हैं कि जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन थी अगर वह ले ली जाती तो अच्छा होता। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स को जो जमीन जोतना चाहता है जमीन मिल सके मगर सिवाय कुछ सोशलिस्ट लीडरों के मैं नहीं जानता कि और लोग भी जमीन को रबड़ समझते हैं या नहीं, मेरे लिए तो जमीन एक महदूद सी चीज है, जितने एकड़ है इस सूबे में उतनी ही समझता हूँ। बाजे लोग समझते हैं कि वह हर एक को २० एकड़ जमीन के दे देते, हर एक को ५ गाएँ दे देते और शायद एक दो हाथी

भी, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ; ज़मीन इतनी है कि अगर सारी ज़मीन का बटवारा किया जाए तब भी हर एक को साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा नहीं पहुँच सकती। इसके अलावा जो हमारी सीर है उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा छोटे ज़मींदारों के पास है। बाजे लोग जमीदारों की तादाद २० लाख कहते हैं, २१ लाख कहते हैं। मैं जानता नहीं कि उनके ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन में कितने लाख मेम्बर्स हैं या आगरा जमीदार एसोसियेशन में इस २२ लाख में से कितने लाख उनके मेम्बर रहे हैं। यह मैं जानता हूँ कि जो लोग ५ हज़ार या इससे ज्यादा मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद १५०० के करीब है और जो २५० रु० या इससे कम देते हैं उनकी तादाद करीब २० लाख है, लिहाजा उनका नाता इतना ही है कि दोनों को जमीदार कहा जाता है मगर इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन में उनको शायद झाँकने को भी न मिला होगा और उस सुनहरी कुर्सी पर बैठने का मौका उन्हें जमाने कदीम से मिला या नहीं मैं नहीं जानता। इसलिए इन बड़ी बड़ी तादादों को कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजा यह है कि उन २० लाख में से २ हज़ार को छोड़ कर या ज्यादा से ज्यादा ५ हज़ार को छोड़ कर बकिया तो ऐसे हैं जो काश्तकारों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं बमुकाबले बड़े २ ज़मींदारों के। वे काश्त करते हैं तभी गुज़र कर पाते हैं। इसलिए उनका तबका बिल्कुल दूसरा है।

असल जो बात है वह तो यह है कि इससे सिर्फ कोई दो या ढाई हज़ार आदमियों को, जो कि आज तक इस ज़मींदारी के ज़रिये से काफी आमदनी करते थे, ठेस पहुँचेगी। मगर उनको और हमें सब को मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जैसे भी उनकी दिक्क़त जितनी भी कम हो सके, वह की जाय। मैंने आपसे कहा था कि मुआविज़ा देने के लिये हमने यह तजवीज़ की है कि अगर वे जो लगान देते हैं, अपने लगान का दस गुना हिस्सा देंगे तो उनका लगान आधा हो जायगा और उन सबको भूमिधारी हक मिल जायगा। यह बात करीब करीब यह हाउस कबूल कर चुका है।

मैंने ज़मींदारी एबालीशन फंड के बारे में जब कि बजट पेश किया था, ज़िक्र किया था और उस सिलसिले में मैंने कहा था —

"The report of the Zamindari Abolition Committee has been before the public for several months. The reform is now overdue and we accordingly propose to bring before the House shortly a Bill to give effect to the scheme of abolition. We hope that the implementation of the policy will herald a new

era in the countryside. In the new scheme, which we have evolved for our province which has a most complicated land tenure system, we have restored the village communities and the cultivators to the position which they deserve and which they held prior to the passing of the country under foreign rule. Out of the current year's surplus we propose to transfer Rs. 1 Crore to a fund called the "Zamindari Abolition Fund." Our tentative idea is that the savings of the tenants should be mobilised for feeding this Zamindari Abolition Fund. A tenant who contributes an amount equal to his 10 years' rent will be entitled to a reduction of 50 per cent on the sum now paid by him as rent and will pay to the state only half of this sum as revenue. This scheme will at once bring together scattered surplus purchasing power into a pool to be utilised for eliminating middle men and reviving agricultural and prosperity. It will exert a healthy downward pressure on inflation by canalizing savings into productive channels. There will remain no legal or other difficulty in our way. There will be no strain on the finances or credit of the Provincial Exchequer and the question of compensation will be settled in a manner that may prove satisfactory to all parties."

("जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट कई मास से जनता के सामने है। यह सुधार बहुत पहिले ही हो जाना उचित था और इसलिये हमारा इरादा है कि उन्मूलन की योजना को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र ही भवन के सामने एक बिल लावें। हमें आशा है कि यह नीति कार्यान्वित हो जाने पर देहात में एक नये युग का आरम्भ होगा। हमारे प्रान्त की भूमि व्यवस्था बहुत उलझन वाली है और इस प्रान्त के लिये हमने जो योजना बनायी है उसमें हमने किसानों का तथा देहात के अन्य लोगों को उस परिस्थिति में पहुँचा दिया है जो उनके लिये उपयुक्त है और जिस में वह उस समय तक थे जब तक कि विदेशी शासन इस देश में नहीं आया था। वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त धन से हम एक करोड़ रुपया उस निधि में हस्तान्तरित करने वाले हैं जिसको "जमींदारी उन्मूलन निधि" कहते हैं। हमारा विचार यह है कि किसानों की बचत को इस निधि में एकत्र किया जाय। जो किसान अपने दस वर्ष के लगान के बराबर रकम दे उसके वर्तमान लगान में ५० प्रतिशत की कमी कर दी जायगी और वह सरकार को केवल आधी रकम मालगुजारी के रूप में देगा। बिखरी हुई क्रयशक्ति इस योजना से तुरंत एकत्र हो जायगी और

उसका उपयोग मध्यस्थ व्यक्तियों का निराकरण करने के लिये तथा कृषि विषयक सम्पन्नता का पुनरुद्धार करने के हेतु किया जा सकता है। ऐसा करने से बचत का धन उत्पादन कार्य में लग जायगा और मुद्रा बाहुल्य भी रुकेगा। हमारे मार्ग में कोई कानूनी या अन्य प्रकार की कठिनाई न रहेगी। प्रान्तीय धन कोष के ऊपर कोई बोझ न पड़ेगा और हरजाना देने के प्रश्न को ऐसी रीति से तय किया जायेगा, जिससे सब दलों में सन्तोष रहे।") यह जमींदारी एबालीशन फंड, जिसके लिये एक करोड़ रुपया बजट में रक्खा गया था यह इस हाउस ने मंजूर किया, उसमें किसी ने कोई उज्र नहीं किया। जाहिर है, इससे नतीजा निकलता है कि इस हाउस को यह तरीक़ा मंजूर है और इस ढंग से चलने से वह फायदा समझता है। इस सिलसिले में मैं आप को यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायगा, मगर इससे पहले ही हम एक बिल और लाना चाहते हैं, जिससे कि हम इस दस गुने रुपये को जमा कर सकें और उस रुपये को जमा करके जमींदारों के लिये एक रकम कायम कर सकें जिससे कि उनको फायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जमींदारों की मदद होगी। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने एक बड़े समझदार और आलिम जमींदार से सुना कि काश्तकारों से यह दस गुना क्यों लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या समझते हैं कि मुआविजा बिल्कुल न दिया जाय। अगर उनकी ख्वाहिश हो कि मुआविजा न लें तो मैं चाहूँगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन और आगरा जमींदार एसोसियेशन रिजोल्युशन (प्रस्ताव) पास कर दें कि हम मुआविजा नहीं चाहते और उन रिजोल्युशनों के पास होने पर हम इस बात पर गौर कर सकेंगे कि मुआविजा देना चाहिये या नहीं।

अगर वे चाहते हैं कि बोर्डों से उनको दिया जाय और उन्हें यही पसंद है तो वह इस तरह का रिजोल्यूशन कर दें। अगर वे यह समझें कि इस तरीके से अड़ंगा लगाने से जमींदारी उन्मूलन नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ कि किसी किस्म का अड़ंगा इस बारे में हमारे सामने नहीं आने पायेगा, चाहे वह ऊपर से कानूनी होकर आये या कोई दूसरी चीज हो। चाहे वह सेंटर हो या कोई और, हमें अपना मक़सद पूरा करने से कोई ताक़त रोक नहीं सकती है। इसलिये किसी तरीके को समझना कि इस तरीके से अड़ंगा लगा कर फायदा हो सकेगा, यह ग़लतफ़हमी की बात होगी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग सोचें कि आखिर में यह तो उनके लिये फायदेमंद ही होगी। काश्तकारों से किसके देने को लिया जा रहा है? आखिर नफा किसको होने वाला है? अगर आप समझते हैं कि हम तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप बिल्कुल छोड़ दें। मैं बहुत गौर से सुनूँगा कि इस बारे में बड़े-बड़े जमींदार साहबान और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स (नुमाइन्दे) जो यहाँ पर हैं, वे कितनी फ़ैयाज़ी के साथ इस बारे में ऐलान करते हैं। अगर उनकी तरफ से यह ऐलान हो जाय कि वे कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं

[माननीय प्रधान मंत्री]

तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जायगी। काश्तकारों ने १० गुना लगान लेकर उनको जो सहूलियत दी जा रही है, उससे तो उन्हीं का फायदा है अगर नुकसान है तो केवल गवर्नमेंट का। हम को जो चार-पांच करोड़ रुपये भी बचत होती वह न हो पायगी। निगोशियेबिल बोन्ड्स और सिंकिंग फंड के तरीके से गवर्नमेंट को काफी बचत हो जाती है, वह न होगी हमारी ९ करोड़ की आमदनी में से जो करीब ४ करोड़ की बचत हम को होती है वह न हो पायेगी। जमींदारी कमेटी ने जो सिफारिश की थी, उससे काश्तकारों को ४ करोड़ रुपया और ज्यादा मिलेगा। इसलिये जो चीज हमने की है उसमें अगर किसी ने नुकसान उठाया है तो वह स्टेट ने। आज गवर्नमेंट को जो आमदनी हो रही है उसमें कमी होने की गुन्जायश तो है लेकिन ज्यादा होने की गुन्जायश नहीं मालूम होती है। इसके अलावा जो खैराती वक़्फ हैं उनको कुल आमदनी गवर्नमेंट एनयुइटी (वार्षिक) के रूप में देना चाहती है जिसमें उनकी आमदनी में किसी किस्म की कमी न हो। इसके अलावा हम एक ऐसा क़ानून भी बनाना चाहते हैं कि जमींदारों पर जो मुआवजा देने की वजह से और जमींदारी उन्मूलन की वजह से जो भी काम किये गये हैं, उससे जमींदारों के ऊपर जो कर्जा हो जायगा उसको भी कम किया जाय। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटियों और अरबन एरिया (शहरी हल्कों) में जो काश्त की जमीन हैं उनके बारे में भी हम अलहदा कानून ला रहे हैं। मैं समझता हूँ यह जमींदारों के लिये फ़ायदे की बात है। काश्तकारों से जो रुपया हम जमा करेंगे वह बुराई नहीं है क्योंकि उससे सब से ज्यादा उन्हीं को फायदा होने वाला है। मगर किसी वजह से अगर यह न भी हो तो भी मैं यह समझता हूँ कि यह समझना कि जमींदारी अबालिशन नहीं होगा यह एक धोखे की टट्टी होगी और जिस धोखे में लोगों को नहीं रहना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि इस बिल में सिर्फ जमींदारी को खत्म करने या कम्पेन्सेशन देने या नये टेन्योर को कर के जो काश्त करता है, उनकी हालत के सुधारने की कोशिश ही नहीं की गई है बल्कि एक नये आर्डर के जारी करने की कोशिश की गई है।

विलेज पंचायतों को, गाँव सभाओं को, और गाँव समितियों को खास हकूक दिये गये हैं। जितने भी चारागाह लैंड (चराई) हैं, वेस्ट लैंड (बेकार भूमि) हैं, वेज (रास्ते) हैं, वेल्स (कुयें) हैं, ट्रीज (दरख्त) हैं बहुत किस्म के उन सब में जो कि आम जगहों में हों विलेज कम्यूनिटी (ग्रामनिवासियों) को हक रहेगा। और उन सब का इन्तजाम करना विलेज कम्यूनिटी के हाथ में रहेगा। इस तरह आज हम फिर सैकड़ों बल्कि हजारों वर्ष के बाद अपने गाँव पंचायतों को वह पूरा हक अपने गाँव के अन्दर उस जमीन में, उस आबादी में, उन घरों में और उन चीजों में दे रहे हैं जो कि उनका कुदरती हक किसी जमाने में था और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें एक सोशल रेसपान्सिबिलिटी का ख्याल,

एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना और आपस में मिल-जुलकर काम करने की और अपने गाँव को ऊँचा उठाने की ताकत पैदा होगी।

मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमने इस बात की कोशिश की है कि आगे कोई फ्रैगमेन्टेशन न हो सके। हमने इस बात को भी इस बिल में रक्खा है कि जहाँ तक जमीन का ताल्लुक है जमीन की विरासत करीब २ इसी ढंग की हो जिस तरीक़े की टेनेन्सी ला में रक्खी गयी है ताकि काश्त करने वाले आसानी से जमीन को पा सकें और दूर-दूर से बिरादरी के नाते से जमीन न चली जाय। इन बातों के अलावा हमने इसमें कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए खास तौर पर गुंजायश रक्खी है। हमने यह तजवीज किया है कि जो अनएकनामिक होलडिंग वाले हैं वह अगर कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहें और दो तिहाई लोग भी चाहें तो सब को उसमें शरीक होकर कोआपरेटिव फार्मिंग करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम अनएकनामिक होलडिंग के मसले को हल कर सकते

बाज लोगों ने यह कहा है कि बाजों के पास जमीन नहीं बाजों के पास अनएकनामिक होलडिंग है, तो जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन है, उनसे लेकर अगर उनको दी जाती तो अच्छा होता। मगर उसमें सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम उस झंझट में फँसे तो यह मसला दस वर्ष तक तै नहीं हो पायेगा। हमें हर एक की जमीन को देखना होगा, उसका नक़्शा बनाना होगा, उसके हिस्सों को अलग २ करना होगा। और फिर किसको कितनी जमींन दी जाय इसका इन्तजाम करना होगा। इसके बाद भी जैसा मैंने कहा यह गैरमुमकिन है कि हम २० परसेन्ट (फीसदी) होल्डिगंज भी एकोनामिक होल्डिगज बना सकें। ऐसा करने में हमारी सारी स्कीम गड़बड़ में पड़ जाती है और हम इस तरह के मसले पैदा कर देते हैं जिनका हल नहीं कर पाते हैं मगर इसका कुदरती इलाज दूसरा रक्खा गया है, जिसका ज़िक्र हमने आपसे पहले किया था और वह यह है कि अनएकनामिक होलिंडग को बेहतर करने के लिए और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने के लिए हर एक शख्स को अपनी जमीन की काश्त खुद करना पड़ेगी। इस तरह अगर किसी आदमी के पास एक हजार एकड़ जमीन है तो उसको काश्त का इन्तजाम करना पड़ेगा और अगर वह इन्तजाम नहीं कर सकेगा तो वह जमीन गाँव के दूसरे लोगों को मिलेगी और उनको मिलेगी जिनके पास जमीन न हो। इस तरह से जमीन भी तकसीम हो जायेगी और उसका कुदरती इन्तजाम भी हो जायेगा। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जब गाँव पंचायतों को हम हक दे रहे हैं तो वह इस बात पर नजर रक्खेंगे कि इन पंचायतों में केवल जमीन ही जोतने वाले नहीं है। लैंडलेस लेबर्स (बेजमीन मजदूर) इस बात पर

[माननीय प्रधान मन्त्रि]
नजर रक्खेंगे। यह बात हम ढकोसले से नहीं कह रहे हैं। इसलिये गाँव-पंचायतों की निगरानी में हर एक चल सकेगा और अच्छे ढंग से कार्यवाही होगी। इधर लोगों से जिन को जमीन की जरूरत है, उनके पास जिस हद तक वह लोग खुद काश्त करते हैं, वह जमीन छिन जायगी।

मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिल से एक नया जमाना हमारे सूबे में आयेगा। मुझे यकीन है कि जो साहबान इस बिल के बारे में शकूक रखते हैं, इससे इख्तिलाफ रखते हैं, उनको तजुर्बा बतलायेगा कि यह सबसे जरूरी चीज है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में दो साल पूरे नहीं हुये कि जो छः सात सौ देसी रियासतें थीं, बड़े २ राजा महाराजा, निजाम, ग्वालियर के सिंधिया बड़े लोग थे, महाराना उदयपुर, रीवा के नरेश आज सब रियासतें हिन्दुस्तान की रिआया के हाथ में हैं। राजाओं ने खुशी के साथ अपने तमाम हकूक और ताकत जिन को सैकड़ों हजारों आदमियों को फाँसी देने और रिआया को जमीन से निकाल देने के अधिकार थे, वह जिससे चाहते थे जमीन छीन लेते थे और उन्हें उन अधिकारों को इस्तेमाल में लाने के पूरे हक थे, वह हकूक उन्होंने खुशी के साथ अपनी रियाया को सुपुर्द कर दिये। क्या कुल जमींदारों की जमीन मिलायी जाय तो निजाम हैदराबाद या सिंधिया ग्वालियर के या ट्रावनकोर के महाराजाओं की जमीन के बराबर आ सकती है? मगर उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने खुशी से अपने हकूक लोगों के सपुर्द कर दिये। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई लोग जो गुलामी की गर्दिशों को झेले हुए हैं और पहले का तजुर्बा कर चुके हैं उन को आज यह मौका मिला है कि वह दरियादिली से काम लें उन भाइयों के साथ जिनकी मदद से आज तक उन्होंने आराम और ऐश किया। उन को गले से मिलायें, बराबरी से अपने साथ बिठला कर मेहमान्दारी करें, उनसे अपनी मित्रता कायम करें। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज चीन की क्या हालत है। लोग समझते हैं कि चीन की यह हालत सिर्फ कम्युनिज्म की वजह से हुई। कम्युनिज्म पनपा क्यों? क्या वजह है? यह हमको मालूम है। च्युमिटाँग ने लोगों को ऊँचा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने जो वेकुअम (खाली स्थान) पैदा किया, कम्युनिस्ट ने आकर किसी न किसी तरह से कब्जा कर लिया। हम कम्युनिस्ट को दबा सकते हैं। उनका जोर यहाँ नहीं चल सकता। हमें और आप को मिलकर यहाँ ऐसी आबो हवा पैदा करना है कि गरीब लोग सुख से रह सकें। उनकी शान ऊँची हो सके। हिन्दुस्तान के हर एक आजाद नागरिक को ऊँचे से ऊँचे दर्जे तक उठने का पूरे तौर से मौका हो। उसके रास्ते में कुछ हायल न हो। देश के आजाद नागरिक होने के नाते उसको यह मौका हो। देश को ऊँचा उठा कर देश की रहनुमाई हासिल करे तो वह दुनिया की रहनुमाई हासिल कर सकता है।

*श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं संशोधन उपस्थित करता हूँ कि उपर्युक्त बिल, ३१ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय।

महोदय, ऐसे प्रस्ताव में बहुधा 'पहला आक्षेप यह होता है कि यह अवरोधक प्रस्ताव है। इस वास्ते मैं पहले इस बात को साबित करने का प्रयत्न करूँगा आया मेरा प्रस्ताव अवरोधक है अथवा सच्चा है आज जो प्रधान सचिव ने एक भावपूर्ण और बड़ी वक्तृता दी, मैं उसकी आलोचना के लिये न तैयार हूँ और न मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में उस पर कुछ आलोचना कर सकता। मैं केवल यह दिखलाना चाहता हूँ कि वास्तव में इस बिल पर इस भवन के बाहर और विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं। आप जानते हैं कि यह बिल १२ जून को प्रकाशित हुआ। आज ७ जुलाई है और अभी एक महीना भी इस बिल को प्रकाशित हुये नहीं हुये। इस बात को बचाने के लिये इस बिल के उद्देश्य में यह लिखा गया है कि जमीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट एक बहुत अरसा हुआ शाया हो चुकी है। लोगों ने जिसके ऊपर विचार किया, प्रेस में भी उस पर आलोचना हुई और प्लैटफार्म पर भी उसके ऊपर आलोचना की गयी। शायद इन शब्दों को इस बिल के उद्देश्य में रखने का यही मतलब है कि फिर इस बिल के ऊपर किसी को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जमीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल निर्धारित है और उस पर काफ़ी विचार एक अरसे से हो चुका है। अगर ऐसा है तो वास्तव में यह विचार सही है कि और वह बिल उतनी जल्दी भवन के सामने आ सकता है। परन्तु मैंने अभी माननीय प्रधान सचिव की वक्तृता में यह सुना, उन्होंने स्वयं अन्त में यह कहा कि रिपोर्ट में और इस बिल में कुछ अन्तर है। और हमने इन बातों को इस बिल के बनाने के लिये काफी बिचार कर लिया है। बल्कि हमारे आदरणीय मित्र सर जगदीश प्रसाद का भी उन्होंने नाम लिया कि हमने उनके कुछ विचारों पर भी विचार कर लिया है और औरों के विचारों पर भी बिचार करके इस बिल को बनाया गया है। मैं यह नहीं समझता कि उन्होंने कहाँ तक इन बातों पर विचार कर लिया है और कहाँ तक इन बातों पर विचार कर लिया है और कहाँ तक उनके आधार पर इस बिल में परिवर्तन किया है। मगर मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनका इन बिल से और उस रिपोर्ट से अन्तर है और वह मुख्य हैं। वह बेसिक है। ऐसी बातें जनता के विचार में इस रिपोर्ट और इस बिल में अनेक हैं, जो बदली गई हैं। मैं उन सबका ज़िक्र भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय भवन अपना अधिकांश कार्य समाप्त कर चुका है और अब कोई लम्बी तकरीर करके उनको अधिक थकित करना

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

मुनासिब नहीं है। मैं आज यहां तक मुनासिब है, खास-खास बातें जो अन्तर की हैं वही कहूँगा। पहली बात तो यही विचारणीय है कि इस रिपोर्ट और इस बिल के अन्तर का वर्णन करते हुए इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह रिपोर्ट जिस पर कि माननीय प्रधान सचिव ने अभी अपना धन्यवाद प्रदर्शन किया, वास्तव में जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस बिल को बनाया, टैक्सपेयर्स का इतना रुपया उस पर खर्च हुआ, वह रिपोर्ट इस भवन के सामने बहस के लिए नहीं रक्खी गई। मैं नहीं समझता कि क्यों यह रिपोर्ट इस भवन में बहस के वास्ते नहीं रक्खी गई। दूसरे सभासद् भी इस बात को जानते हैं कि दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी रिपोर्टें हुई हैं और उनपर बहस हुई है। लिहाजा शायद यही मतलब है कि इन रिपोर्टों से अन्तर करने की आवश्यकता पड़ती है।

एक तो यह बात नोट करने के क़ाबिल है।

अब अगर इस बिल के और रिपोर्ट के अन्तर पर ध्यान देते हैं, तो पहले निगाह हमारी मुआवज़े के ऊपर जाती है। रिपोर्ट के २२१ सफ़े के ऊपर एक तालिका मुआवज़े की दी गई है। मुआवज़ा, प्रधान मंत्री की स्पीच के अनुसार, एक बहुत आवश्यक चीज़ है, जिस पर उन्होंने क़ाफी ज़ोर इस मुआवज़े के सम्बन्ध में रिपोर्ट के और बिल के अन्दर कितना अन्तर है। ४२१ सफ़े पर रिपोर्ट में जो तालिका दी हुई है उसमें किसी रिहेबिलीटेशन ग्रांट का कोई ज़िक्र नहीं है। वे लिखते हैं कि २५ रुपये और दस हज़ार रुपये तक की मालगुज़ारी देने वालों को मुआवज़ा देने के लिये मुख़्तलिफ़ दूसरी दूसरी तरह के स्केल उन्होंने दिखाये हैं। २५ रुपये तक २५ गुना, २५ से ५० रुपये तक २२,११२ गुना, इस तरह से वे एक पूरी तालिका देते हैं। और अन्त में उन्हों ने लिखा है कि दस हज़ार से अधिक वालों को आठ गुना और अगर उनको दस हज़ार से ऊपर कोई आमदनी है तो उसका तीन गुना। पर जो लोग दस हज़ार से अधिक मालगुज़ारी देते हैं, इस पर उसे तीन गुने के हिसाब से मुआवज़ा मिलेगा। यह तो एक स्कीम है।

अब बिल यह कहता है कि आठ गुना सबको मुआवज़ा मिलेगा। जिसके अलावा कुछ को एक रिहेबीलीटेशन ग्रांट के बारे में इस बिल की दफ़ाएँ ७६ और ७९ देखने के लायक हैं। इसके ज़रिये से वह रिहेबीलीटेशन ग्रांट, जो अभी कही गई है कि छोटे ज़मींदारों को हम २८ गुने तक मुआवज़ा देंगे, यानी आठ गुना उनके नफ़े पर और २० गुना उनकी रिहेबीलीटेशन ग्रांट। इसकी सूरत यह है कि जो रिहेबीलीटेशन ग्रांट होगी, उसकी निस्बत यहीं नहीं कहा गया कि वह कब दी जायगी और किस सूरत में दी जायगी। क्या वह नक़द दी जायगी या किसी और तरीके से दी जायगी? रिपोर्ट की ऐसी कोई सिफ़ारिश नहीं है। वे कहते हैं कि हम पूरा मुआवज़ा सबको देंगे।

मैं कहता हूँ कि यह छोटा अन्तर है। अगर आप दफा ७५ को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि यह पुनर्वासन अनुदान भी उस दिनांक से तय होगा, जिसमें मध्यवर्ती तथा उन क्षेत्रों पर जिनमें यह ऐक्ट लागू होता है उन पर सब स्थानों के प्राप्त करने का अधिकार हो। मैं जानता हूँ कि इसकी इबारत ऐसी है जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आ सकती। लेकिन मैं इसका मतलब अर्ज कर सकता हूँ कि यह दफा २९ के पढ़ने से इसमें कुछ थोड़ी सी सफ़ाई हो जायगी। दफा २९ (१) यह है।

जिसको ऐक्ट के आधीन पहले स्थान को हस्तगत करने के निमित्त देने के लिये—

जिस दिन से यह जमीन गवर्नमेंट की वस्तु हो जायेगी, उस दिन से कम्पेन्सेशन का मामला शुरू होगा और जितने दिनों में यह मामला तय होगा, उन दिनों में २॥ फी सैकड़ा रिहेबीलीटेशन का सरकार सूद देगी। मुआविजा कायम होने में कितना समय लगेगा। प्रधान मंत्री के जो आँकड़े हैं, उससे २० लाख के करीब औसत लगाई जाती है तो २०० में १९७ आदमी रिहेबीलीटेशन ग्रान्ट के मातहत हो जायँगे। कितने दिनों तक उनको ढाई रुपया फी सैकड़ा का ब्याज मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं है कि उनको रुपया नकद दिया जाय बल्कि जिस सूरत में मुमकिन हो सरकार उनको रुपया देगी। ऐसा इसका मतलब है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई आलोचना बिल की इस समय नहीं करता। उसके लिये दूसरा मौका मिलेगा, मैं अभी यह दिखा रहा हूँ—

डिप्टी स्पीकर—राजा साहब ! क्या आपने यह कहा है कि आप को इस प्रस्ताव पर दूसरा मौका तकरीर करने का मिलेगा ?

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं समझता हूँ कि मुझे अपने प्रस्ताव पर बोलने का दूसरा अवसर होगा। मैं तो इस समय संशोधन पेश कर रहा हूँ।

डिप्टी स्पीकर—यह ठीक है आप संशोधन तो पेश कर रहे हैं, लेकिन असल प्रस्ताव पर बोलने का आपको अब दूसरा मौका नहीं मिल सकता। आप तो पुराने मेम्बर हैं। इस प्रस्ताव के मुतालिक एक ही मौका आप को तकरीर करने का है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं शायद इस पुराने तरीके को भूल गया हूँगा लेकिन मैं तो अभी अपने संशोधन को पेश कर रहा हूँ कि इस बिल को सरकुलेट किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—यह ठीक है लेकिन, इसके अलावा प्रस्ताव पर बोलने का दूसरा मौका नहीं है। मैं अभी से आपसे कहे देता हूँ, वरना आप इस ख्याल में रहें कि दूसरा मौका तकरीर करने का मिलेगा।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—बहुत अच्छा। आपकी यही राय है तो मैं यही कोशिश करूंगा। मैंने मुआविजे की बात अर्ज की थी कि यह बहुत बड़ी जरूरी चीज इस बिल में है। दूसरे इस बिल में एक रैयतवारी प्रथा जिसको भूमिधर के नाम से कहा है यह कायम किया गया है। यह भी इस बिल की एक खास सूरत है। इस रैयतवारी को जो इस बिल में कायम किया गया है, मैं भवन का ध्यान रिपोर्ट की ओर आकर्षित करता हूँ कि रैयतवारी की प्रथा के बारे में इस रिपोर्ट की क्या राय है? सफा ५०५ ऊपर अपनी शिफारिशों में रिपोर्ट यह कहती है कि रैयतवारी प्रथा की यह बातें खेती की पैदावार बढ़ाने के विरुद्ध हैं। अपनी सिफारिशों में वह यह कहती है कि रैयतवारी प्रथा दोषपूर्ण है, इसलिये उसको काम में नहीं लाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि यह रैयतवारी प्रथा जो यह बिल निर्धारित करता है उसकी रिपोर्ट में इतना विरोध क्यों होता है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी बात है जिसपर अभी विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

तीसरा नुकता वसूल मालगुजारी का और लगान में कमी का है। उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि काश्तकारों का लगान कम कर दिया जाय और उन्होंने उसका एक स्केल सफहा ५२६ में कायम किया है। उसमें उन्होंने दिखलाया है कि छोटे लगान की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उसमें एक आना कम कर दिया जाय। मगर मैं देखता हूँ कि बिल में कोई लगान में कमी नहीं है। मालगुजारी के वसूल करने के मामले में रिपोर्ट और बिल में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। बिल यह कहता है कि गाँव सभा को जो कि मालगुजारी वसूल करेगी और सरकार को देगी उसको पाँच प्रतिशत दिया जायगा। बिल में मालगुजारी के वसूल का हक सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है। जिसको सरकार चाहेगी, उस गांव सभा को यह हक देगी और जिसको नहीं चाहेगी, उसको नहीं देगी। और एक सब से बड़ा उसूल यह भी रक्खा है कि मालगुजारी की वसूल ज्वाइन्ट हो। केवल वह मालगुजारी जो बाकी रह जायगी वह २, ४ गाँव के आदमियों से ले ली जाय। कई आदमियों का मालगुजारी कुछ एक से लेना यह एक ऐसी बात है जिसको हम जरूर कह सकते हैं कि यह कोई इन्साफ की बात नहीं है। कुल आदमियों की मालगुजारी एक या दो से ले ली जाय यह कोई इन्साफ नहीं कहता है। इसकी रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं है। उसके बाद एक अहम बात उस बिल में यह है और जिसका जिकर रिपोर्ट में कुछ नहीं किया गया है वह है टेकसेशन। बिल जो है वह किसी किस्म के टैक्सेशन को तसलीम नहीं करता है चाहे वह हिन्दू ला का हो और चाहे किसी विरासत के तरीके का हो। बिल तो सिर्फ अपने दस्तूर काश्तकारी का कायम करता है। मैं नहीं समझता कि यह बात हमारे सूबे की दुनियाँ कहाँ तक मंजूर करेगी। रिपोर्ट में किसी

तरह से कोई सिफारिश नहीं की गई है बल्कि रिपोर्ट यह कहती है कि उत्तराधिकार काश्तकारों का विलेज ऐक्ट के बमूजिब होगा। यह एक ऐसी बात है जिसका विरोध किया जायगा और अधिक विरोध होगा। और लोग यह जरूर सोचेंगे कि इस तरीके से उत्तराधिकार को एक बिल के जरिये से कानून बनाना यह धर्म पर और मजहब पर आघात है।

और उन सब के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि अभी भी माननीय प्रधान मन्त्री ने अपनी लम्बी तकरीर में यह दिखलाया कि हम छोटे को बड़ा बनाते हैं और बड़ों को छोटा करके सबको एकबारगी बराबर करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही कानून का उद्देश्य रहा है और इसी के आधार पर हम जनता का कल्याण करने के लिये यहाँ आये हैं। मैं देखता हूँ कि इस बिल में यह बात बिलकुल गायब है। जमींदारी आप भले ही कहें, हजार दफा कहें कि उन्मूलन हो रही है मगर भूमिधर और जमींदार सिर्फ एक लफ्ज़ी बदलाव है; ज़मीं मानी भूमि और दार के मानी धर और इस प्रकार एक उर्दू के लफ्ज़ को बदल कर इतना बड़ा वितंडा बनाते हैं। अलबत्ता यह सही है कि २० लाख जमींदारों को मिटाकर आप डेढ़ करोड़ जमींदार बना रहे हैं। क्या दुनिया इस पालिसी को इतना भी नहीं देख सकती है। जमीन आप उसको दे रहे हैं जिसके पास रुपया है। गरीब को आप जमीन नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि सीरदार के पास जब रुपया होगा तब उससे हम १५ गुना लेकर जमीन दे देंगें। यही गरीब को उठाने का तरीका है? मैं समझता हूँ कि हरगिज़ यह गरीब को उठाने का तरीका नहीं है। मैं जरूर जमींदारों की नुमायंदगी करने आया हूँ, मैं गरीब की वकालत करने नहीं आया हूँ मगर इस बिल के जो फर्क हैं उनको कहना मैं अवश्य चाहता हूँ और जो इख्तलाफ़ करते हैं वह इसे साफ़ करें। लेकिन आलोचना और आक्षेप करना आसान है कुर्सी पर बैठे-बैठे। मगर वह उठकर साबित करें कि यह भूमिधर जमींदार नहीं हैं। और यह कि वे मार्केट वैल्यू सरकार को देकर जमीन नहीं खरीद रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई इसे साबित नहीं कर सकेगा, लिहाज़ा जो बेसिक प्रिंसिपिल कानून का है जिसको माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम गरीब को उठाते हैं तो कहाँ वह उठता है? जिसके पास दस गुना देने को है वही मालिक हो जायगा जिसके पास नहीं है वह सीरदार होगा, आसामी होगा या क्या होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता। कहा गया है कि रिपोर्ट और बिल एक ही है, न दुनिया को जरूरत है राय देने की न सरकुलेट करने की। कल ही इसको शाया किया है और आज सिलेक्ट कमेटी को दे रहे हैं। मेरी समझ में यह मामला इतना छोटा नहीं है कि जो इस तरह से अवाम की निगाह से रोका जाय।

मैं कहता हू कि कांग्रेस के किसी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा गया है कि तुम

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

जमींदार काश्तकार को बनाओ उससे जमीन के दाम लेकर। क्या नेकी सरकार किसी काश्तकार के साथ करेगी जब कि आप मार्केट वैल्यू लेकर उसे जमीन देते हैं। आप बेकार इतना बिल बनाते हैं, कहीं भी वह खरीद सकते हैं। मैं देखता हूँ कि जमीन उसको मिल जायगी, पूरे जमींदार के हकूक मिल जायँगे। लिहाजा यहाँ एक ऐसा नुक्स इस बिल में है और जो बातें मैंने दिखलायीं वह महज इस बिल में ऐसी हैं कि जिन पर असल में मेरा यह कहना है कि इस बिल पर काफी गौर करने की जरूरत है

यह बिल आर्थिक दशाओं पर और धार्मिक दशाओं पर भी आक्षेप करता है। इस प्रकार के बिलों के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें सम्मति लिये जाने का अवसर सहर्ष न प्रदान किया गया हो। अभी मैंने देखा कि हिन्दू कोड के ऊपर कितनी सम्मतियाँ आयी हैं। स्टेट्स ड्यूटी बिल पर तमाम मुल्क की सम्मतियों का एक बड़ा सा वाल्यूम है। मैं समझता हूँ कि स्टेट्स ड्यूटी बिल और हिन्दू कोड दोनों का अंश इस में सम्मिलित है। मैंने केवल छः मास का समय रक्खा है। इस छः मास के समय में न तो इस प्रान्त में, परमेश्वर न करे, कोई घोर विपत्ति आ जायेगी और न यह प्रान्त देवलोक में परिवर्तित हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जमींदारों से राय लीजिये। मैं तो चाहता हूँ कि आप काश्तकारों से पूछिये कि इसको मन्जूर करते हैं या नहीं। आपके विशेषज्ञ जो सरकारी अधिकारी हैं, केवल उन्हीं की राय आपने ली है। आप उन माल के विशेषज्ञों से पूछिये जो आप के दबाव में नहीं हैं। कितने विद्वान लोग हैं जो माल के विशेषज्ञ हैं, वे अच्छी तरह से विचार करके इसके ऊपर राय दे सकते हैं और जनता की भी इस के ऊपर राय लीजिये। मैं आज इस बात को करने को तैयार हूँ कि जनता के सामने एक दूसरी स्कीम रखिये और कहिये कि जो काश्तकार दस गुना लगान को देना चाहेगा, उस को जमींदार जमीन दे देगा। इस तरह से एक ऐक्ट सिर्फ दो चार धाराओं का बना लीजिये। अगर आप को यही करना है कि दस गुना लगान दे दे तो काश्तकार और जमींदार आपस में मामला कर लें। मैं समझता हूँ कि आप की मालगुजारी जो ४५ फीसदी है ५० फीसदी उस सूरत में भी रह सकती है। तो यह रुपया आप को बजट में देने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन का जो २०,२२ लाख, रुपया है वह भी रुपया मिलेगा।

मैं इस स्कीम को अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ। और आप से यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कीजिये। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप राय लीजिये कि आया यह साबित स्कीम है जो इस बिल की ३१० धाराओं में है, वह आसान पड़ेगी जब सरकार को, इसी सरकार को कोई काम करना होता है तो उसके पास इतने साधन मुहइया होते हैं कि आम तौर से आदमी उसको समझ नहीं सकता।

प्रधान सचिव ने जमींदारी के ऊपर जमींदारी का ऐतिहासीकरण करते हुये बताया कि जमींदार एक तरह के ठेकेदार थे जो आगे चलकर जमींदार बन गये और एक विदेशी राज्य ने यानी फवरेन गवर्नमेंट ने उनको जमींदार बना दिया। जमींदारी को अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो मैं जानता हूँ कि जमींदारी ने इस प्रांत की स्वतंत्रता की रक्षा करने के वास्ते विदेशी फौज के सामने जितना रक्तपात किया उतना किसी और ने नहीं किया मगर जो लोग इस बात को न मानें उन्हें किसी बात को समझाना बेकार है आप तवारीख को देख सकते हैं, आप उन लोगों को देख सकते हैं, जिनकी रियासत जब्त हो गई और जिनको बगावत करने के लिये फाँसी दी गई। खासकर इसी सूबे में विदेशी फौज का विरोध हुआ। विदेशी राज्य ने इस लालच में उन्हें जमींदार नहीं बनाया कि यह पड़े रहें यह समझें कि इनके बिना शत्रु का आक्रमण नहीं रोका जा सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भूल न जाइये कि अगर राज्य बिना शत्रु के रहता है तो वह बहिश्त के बराबर है लेकिन यह नहीं होता। राजगद्दी पर बैठने पर दुश्मन का सरदर्द २४ घंटे बना रहता है। ऐसी हालत में आपको एक ऐसी संस्था की जरूरत अवश्य पड़ेगी। चाहे आप जमींदारी को मिटाकर दूसरे जमींदार बनायें और मैं जानता हूँ कि इसी लिये आप दूसरे जमींदार बना रहे हैं। लेकिन मैं यह भी कहे देता हूँ कि साल दो साल छ महीने के अन्दर यह आदमी उन हिम्मतों को पैदा नहीं कर सकते जो सैकड़ों पुश्तों से चली आई है। आप जमींदारों को मिटाकर दूसरे जमींदार बनाकर यह उम्मीद करते हैं कि कल को मोर्चे पर वह दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे।

अब फौजी दुश्मनी या हथियार की दुश्मनी नहीं रह गई है। यह मैं जानता हूँ बल्कि आईडियल्स की दुश्मनी है। चीन की मिसाल आपने दी है कि कहाँ बिगाड़ पैदा हुआ है। इसमें क्यूमिनटांग का दोष नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का दोष है क्योंकि अमरीका के रुपये के ऊपर वह उम्मीद करते थे कि हम कम्यूनिस्टों के आईडियल्स को रोक देंगे। लिहाज़ा उनका डाउनफाल हुआ। दुश्मन गवर्नमेंट की कमजोरी से जीतता है। जमींदार, किसान तथा इंडस्टियलिस्ट्स से नहीं जीतता। चाहे लड़ाई आईडियलिस्ट्स की हो या हथियारों की मगर दुश्मन का मुकाबला करना सरकार को लाजिमी होता है ऐसी सूरत में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप भूल न जाइये कि आपको उन लोगों की जरूरत होगी जिन्होंने इस देश के लिये अपना खून बहाया है और शायद फिर भी वह अपना खून बहाने के लिये तैयार हो जायँगे। उन लोगों से आपका काम नहीं चलेगा जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि बंदूक आगे से दबती है या पीछे से? चाहे आप रक्षा दल बनायें चाहे दीक्षा दल बनायें। हर चीज़ पेशेवर के हाथ में रहती है। लिहाजा मैं कोई सरगर्मी पैदा करना नहीं चाहता हूँ। मेरा ख्याल यह है कि इन विचित्र पंखों के होने पर तो ठंडक होनी चाहिये थी लेकिन फिर भी सरकार ने काफी

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]
गर्मी दिखाई है लेकिन मैं सरगर्मी पैदा करना नहीं चाहता हूँ मगर जब डिप्टी स्पीकर महोदय ने आज्ञा दी है कि आगे बोलने का मुझे मौका नहीं दिया जायगा तो मैं थोड़ा सा बयान कर देना चाहता हूँ।

मैं फिर आप से निवेदन करूँगा कि आप इस राय पर मुस्तकिल न हो जाइये आप यह न समझिये कि जमींदारी कमेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में पावर है और हम सब कुछ कर सकते हैं। यह बात नहीं है यह ठीक है कि देश के लोग आपके हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन बेइन्साफी ऐसी चीज है जो इन्सान के दिल को दुखा देती है और बेइन्साफी का ही नतीजा रियासतों का इन्तकाल होता है। अगर इन्साफ ठीक हो, अगर सरकार इन्साफ पर सबनी हो तो रियासत के वैसे भी बागी कुछ नहीं कर सकते और अगर इन्साफ नहीं है तो बागी क्या कोई भी ताकत उसको मिटा सकती है लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि आप जमींदारी मिटाइए, अगर इसी में आपका भला होता है तो जरूर मिटाइए और आप उनको चाहे भले ही भूमिधर या कृषिधर कुछ भी बनाइए, लफ्जों की कोई बात नहीं है लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिए कि आप किस उसूल पर और किस इन्साफ के साथ मुआवजा दे रहे हैं। माननीय प्रधान सचिव ने लफ्ज "इक्वीटेबिल" (न्याय-संगत) को काफी मद्दनजर रक्खा है और मुझे इस बात की खुशी है लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो बतलाया कि वह इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन क्या होगा उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं उनकी परिभाषा और व्याख्या को नहीं समझ सका। जमींदार यह नहीं मान सकते कि प्रधान मंत्री जी ने जो बतलाया है वह इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन है। यह कम्पेनसेशन तो मालियत पर न होकर मालदारों को कम और गरीबों को ज्यादा मिलेगा मैं उनकी इस तरह की परिभाषा को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस बात का फैसला और न्याय कौन कर सकता है कि कितना कम्पेनसेशन इक्वीटेबिल है और कितना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप की आज मैजारिटी है और वह आपके कहने से कुछ भी फैसला इक्वीटेबिल के बारे में कर सकती है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह आप की मैजारिटी के लिए ही किसी वक्त हानिकारक होगा। आप यह न समझें कि सदा सवेरा ही रहेगा कभी शाम भी होगी और आपकी यह मैजारिटी भी एक दिन माइनारिटी होगी और पता न लगेगा और यह जितना मैजारिटी के लिए हानिकारक होगा उतना हमारे लिए नहीं। आप अगर इन्साफ करते हैं तो इस मामले को किसी न्यायालय में भेजिए और जो न्यायाधीश का फैसला हो उसे आप और हम मानें तो हम तैयार हैं। इस हाउस का पुराना मेम्बर हूँ और किसी के आक्षेपों से भी मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ सकता। मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप इस "इक्वीटेबिल" के फैसले के लिए इस बात को मंजूर कीजिए कि इसे न्यायालय के ताल्लुक कर दीजिए। पंत जी खुद मुझसे ज्यादा समझते हैं कि कान्सटीट्यूशन का

ऐक्ट क्या है, २५ आर्टिकिल पास हो गया है जो रेमेडी है उसमें यह दिया है कि फन्डामेंटल राइट्स तै करने के लिए दि रेमिडी वुड बी दि ला कोर्ट, उपचार न्यायालय से होगा, आप इस बात को मान लीजिए कि फन्डा-मेन्टल राइट्स का फ़ैसला करने के लिये आखिरी फैसला न्यायालय का होगा और उसे हम मानने को तैयार हैं। आप अपने बल और मैजारिटी के जोर पर जो चाहें कर लें लेकिन आप दुनिया को ऐसी चीज़ नहीं मनवा सकते और हरगिज तसलीम नहीं करा सकते कि यह फैसला सही है। अब मैं भवन का ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं तो इस से भी कम वक्त अपने बोलने में लेता गो मैं पन्त जी का जवाब देने के काबिल नोट नहीं कर सका हूँ और चूँकि डिप्टी स्पीकर साहब की आज्ञा हुई कि मुझे जो कुछ कहना है वह इसी स्पीच में कह दूँ और आगे फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा।

इस वास्ते मैंने इतना वक्त लिया, फिर भी यह अनुरोध करूँगा कि मेरे इस संशोधन को मंजूर किया जाय वर्ना आप पब्लिक के सामने जवाबदेही न कर सकेंगे। मेरा खास मतालबा इस वक्त यह था कि इस बिल में ६ महीने के अन्दर कोई हर्ज नहीं हो सकता और अवधि को आप चाहें तो कम कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि विशेषज्ञों और काबिल आदमियों से हम राय कम समय में ले सकते हैं तो आप वक्त कम कर दें लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं और खाम ख्वाह सिलेक्ट कमेटी के हवाले करते हैं और जाहिर है कि आप मैजारिटी से पास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी इंसाफ़ नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

श्री रोशन जमा खाँ—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मुझे यह देख कर सख्त हैरत हुई कि राजा साहब हिन्दोस्तान में और दुनिया में तमाम इन्कलाबात को जानते हुए भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे सूबे से जमींदारी का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाय। राजा साहब ने जमींदारों की तरफ से ८ अगस्त, सन् १६४६ ई० को जो रिजोल्यूशन इस ऐवान में पेश हुआ था उस सिलसिले में बहुत जोरों से विरोध किया था लेकिन उनकी यह लड़ाई कारगर साबित नहीं हुई उन्होंने यह भी कहा केवल जमींदार साहबान ही हमारे सूबे की सरकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन राजा साहब जिन हथियारों से हुकूमत की मदद करने की अपील करते हैं वह खुद उनकी तन्जीम के सिलसिले में बड़े जमींदार कामयाब साबित नहीं हो सके। यही नहीं अभी हाल में जो तन्जीम बड़े जमींदारों ने किया था उनके बड़े भारी नेता, एक बड़े भारी मुकर्रिर सर जगदीश प्रसाद हैं। उन्होंने ताल्लुकेदारियों में कहीं कहीं जल्से किये, आसामियों को जबरदस्ती बुलाया गया लेकिन हमने यह नहीं देखा कि उनकी तन्जीम कहीं

[श्री रोशन जमा खाँ]

कामयाब हुई तो छोटे जमींदारों की भलाई करने की बात उन्होंने कही लेकिन वह भूल गये कि जब उन्होंने नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी को आर्गेनाइज किया था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हमारे राजा साहब जो खुशकिस्मती से मेरी बगल में बैठे हुए हैं कुछ कहना चाहते हैं मैं आपके जरिये से यह गुजारिश करूँगा कि अगर वह कुछ सर्जीद कहना चाहते हैं तो मैं अपनी जगह पर बैठ जाने को तैयार हूँ और उनको मौका दूँगा कि वह अर्ज करें।

उन्होंने जो दबी जबान में फरमाया वह यह है कि मैंने तो नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी की तंजीम नहीं की। मुमकिन है कि आप न रहे हों लेकिन मैं जब आपको कहता हूँ तो आपका जिक्र बहैसियत जमींदार और ताल्लुकेदार के नुमाइन्दे के होता है। यह हकीकत है कि हमारे सूबे के जमींदार साहब ने १९३३ ई० में एग्रीकल्चरिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी की तंजीम की थी, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते और उन्होंने उस वक्त यह समझा था कि १९३५ का कानून आने के बाद हम अपनी कार्यवाहियों की मदद से सूबे में हुकूमत बना लेंगे। उस वक्त कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी यह हालत थी कि वे समझते थे कि इनके मुकाबले में ७० सीटों से ज्यादा न मिल सकेंगी। लेकिन जब पं० नेहरू ने इस सूबे का दौरा किया तो २२८ सीटों में आधी से भी ज्यादा तादाद कांग्रेस को मिली। जब आपको उसमें कामयाबी न हुई तो उसके बाद हमारे दोस्त नवाब जमशेद अली खाँ साहब की सदारत में इसी लखनऊ में एक कांफ्रेंस हुई, जिसमें छोटे जमींदार भी बुलाये गये। लेकिन मैंने यह सुना है कि जब छोटे जमींदार बाद को इन बड़े जमींदार के पास पहुँचे तो उन्हें साफ जवाब दे दिया कि आप हजरात अपनी तन्जीम करें। हमारे पास तो हुकूमत बरतानिया के दिये हुए बड़े बड़े कागजात हैं और हम अपना मामला फेडरल कोर्ट या दूसरी जगहों से तय करा लेंगे। यह हमदर्दी आपने छोटे जमींदारों के साथ दिखाई और आज आप कहते हैं कि लोगों को मौका दीजिए वह हमसे जमींदारी को खरीद लें आपके मुँह में जबान है, आपको गरीबों से हमदर्दी करने का अख्तियार है, आप अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आपकी तवारीख बताती है कि जब कभी मौका आया आपने गरीबों का खून चूसा है; आपने गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं की। आज भी आपकी यह हालत है कि इस बिल को दिसम्बर तक के लिये मुल्तवी करवाना चाहते हैं, इस बिना पर कि राय आम हासिल की जाय। यह महज एक तरकीब है। आप चाहते हैं कि गरीबों को अब भी जो कुछ थोड़ी बहुत आसाइशें और आराम मिलनेवाला है वह भी न मिल सके। राजा साहब की यह तजवीज ऐसी है कि एक मिनट के लिये मंजूर नहीं की जा सकती। इस बिल के बारे में राय आम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जमींदारी का मसला ऐसा है जिस पर बहुत दिनों से बहस होती रही है और बहस होती रहेगी। जब तक कि जमींदारी यककलम इस सूबे से खत्म नहीं कर दी जाती तब तक

यह बहस बन्द नहीं हो सकती। राजा साहब शायद यह समझते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट बदला लेने की खातिर यह कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कांग्रेस गवर्नमेंट मजबूर है। कांग्रेस गवर्नमेंट की यह हिम्मत नहीं कि वह जमींदारी के मिटाने को रोक दे और अगर नहीं मिटाती है तो ऐसे वाक़यात दुनिया में मौजूद हैं कि इस जमींदारी को न मिटाने की वजह से इस हुकूमत को खतरे में पड़ना पड़ेगा और देश को भी खतरे में पड़ना पड़ेगा। यह हालात हैं जिनकी बिना पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी दोनों इस बात के लिये जोर दे रही हैं कि जल्दी से जल्दी जमींदारी को खत्म कर दिया जाय। जैसा कि हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया, क्यूमिन्तांग ने चीन में लैंड रिफार्मस नहीं किये, जमींदारी नहीं मिटाई, उसका नतीजा यह हुआ कि उस डिसकन्टेन्ट असन्तोष में कम्युनिस्ट आइडियालजी साम्यवादी सिद्धान्त बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और अब क्यूमिन्तांग के नेता च्यांकाई शेक का हाल यह है कि उसे करीब के समुन्दर में गर्क होना पड़े। यह सूरत है जिसकी बिना पर हम जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं। हम जमींदार साहबों के खैरख्वाह हैं, उनकी भलाई चाहते हैं उनको भी इन्सान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे आराम की जिन्दगी बसर करें, लेकिन हम इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे जानवरों की जिन्दगी बसर करें और वह ऐशोआराम में अपने महलों में रहें। उनका यह तरीका जो बिल के पास होने में रुकावट डाल रहे हैं किसी तरह मुनासिब नहीं।

आज भी उनका यह तरीका कि वे इस बिल के पास होने में रुकावट डाल रहे हैं, किसी तरह मुनासिब नहीं है। अब मैं उस रिजोल्यूशन के बारे में जो हमारे वजीर आजम साहब ने पेश किया है कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ तक वजीर आजम साहब की तक़रीर का सवाल है वह निहायत ही अहम है और उसमें जिस तरह से वाक़आत को पेश करने की कोशिश की गई है मैंने देखा कि हमारे वजीर आजम साहब ने अगर्चे उन्होंने शायरी तो नहीं की मगर उन्होंने आज तक़रीर में शायरी जरूर की। बहरहाल यह मौक़ा ऐसा होता है जब एक शख्स चाहे वह वजीर आजम हो या कोई दूसरा ही आदमी हो जब जमींदारी मिटाने का क़ानून पेश हो रहा हो तो वह अपने जज्बात को नहीं रोक सकता है गो उस तक़रीर की बातों से मुझे इख्तिलाफ है फिर भी वजीर आजम साहब की तक़रीर ऐज ए होल सामूहिक रूप से ऐसी है कि हम उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं। अब मैं वजीर आजम साहब को उनकी उस तक़रीर की याद दिलाऊँगा जो उन्होंने ७ अगस्त १९४६ ई० को जमींदारी अबोलीशन पर इस हाउस में दी थी। जो वक्त ३ बजे का आज है, उस दिन भी ३-४ बजे के दरमियान का वक्त था उन्होंने उस दिन अपनी तक़रीर में फ़रमाया था—

सवाल आपके सामने यह है कि इस सूबे के जो साढ़े पाँच करोड़ या ६ करोड़

आदमी हैं उनमें उनके बारे में क्या किया जा रहा है। ये साढ़े पाँच करोड़ आदमी जो इस सूबे में बसते हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको देखकर तरस आता है। जनाबवाला रोशनी कम होने की वजह से वजीर आजम की तक़रीर का बाकी हिस्सा नहीं पढ़ा जा सकता।

बहरहाल जनाब वजीर आज़म साहब ने उस तक़रीर में जो बतलाया था वह यह था कि ज़मींदारी के मिटाने का असली मंशा यह है कि इस सूबा के गरीबी के मसले को हल किया जाय और वह लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, दवा के लिये कुछ नहीं है, पहनने के लिये कुछ नहीं है, उनका इन्तजाम किया जाय। लेकिन यह जानते हुये भी कि इस सूबे में गरीबी और दूसरी मुसीबतों के बिना असन्तोष है बेचैनी और परेशानी अवाम में बढ़ रही है उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं रक्खी गयी है जिससे सूबे की गरीबी या दूसरी मुसीबतें दूर हो सकें। मैं तो यह कहूंगा कि वजीर आज़म साहब ने जो तक़रीर ७ अगस्त, सन् १९४६ ई० में की थी उसके मुकाबले में ज़मींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट रीऐक्शनरी रिपोर्ट थी और जो बिल आज उन्होंने इस ऐवान के सामने रक्खा है वह उस रिपोर्ट से ज्यादा रीऐक्शनरी है। ज़मींदारी अबालिशन कमेटी के रिपोर्ट के हिस्सा अव्वल का आखिरी पैराग्राफ जो है, वह ज़मींदार साहबान को मुखातिब करके लिखा गया था। लेकिन मैं उस पैराग्राफ के जरूरी हिस्सों को खुद गवर्नमेंट को मुखातिब करते हुये पढ़ना चाहता हूँ—

"The age long simmering discontent, occasionally bursting into acts of open defiance and sometimes of violence in our province and other parts of India, has reached a critical stage. Whatever forbearance and self-restraint we find in the country side among the tenants is due to the hope that those who are running the State will undo the wrong done to them. Once that hope has gone the tenants will be driven to desperation The discontent may develop into revolt and our social security may be threatened by the outbreak of violence.

In the words of Professor J. Laski "To the threat of revolution, there is historically only one answer, viz., the re forms that give hope and exhileration to those to whom otherwise the revolutionaries made an irresistible appeal." One can only hope that the entire Congress and the Congress Government are not blind to the writing on the wall.

(हमारे प्रान्त में तथा भारत के दूसरे भागों में जो असन्तोष दीर्घकाल से परिपक्व हो रहा है और जिसके कारण कभी कभी आज्ञा उल्लंघन और हिंसा के कार्य हो जाते हैं, वह एक भयंकर परिस्थिति को पहुँच गया है। देहात में किसानों के अन्दर जो कुछ भी आत्मनियन्त्रण और सहनशीलता हम देखते हैं, वह इस कारण से है कि इन लोगों को आशा है कि जो लोग शासनारूढ़ हैं वे हमारे प्रति किये गये अन्याय को दूर कर देंगे। यह आशा यदि जाती रही तो किसान लोग दुस्साहस करने पर तुल जायेंगे। असन्तोष से क्रान्ति उत्पन्न होगी और हमारी सामाजिक शांति को अहिंसात्मक कार्यों से भय रहेगा। प्रोफेसर जे लास्की के शब्द हैं—"इतिहास में क्रान्ति के डर का केवल एक उत्तर है और वह उत्तर ऐसे सुधार के रूप में है, जिससे उन लोगों को शान्त किया जा सके जिन्हें क्रान्तिकारियों ने भड़का दिया हो।" केवल यही आशा की जा सकती है कि सभी भूमि रखने वाले सज्जन (कांग्रेस और कांग्रेस सरकार) ऐसी स्पष्ट बातों का ध्यान रक्खेंगे।)

जनाबवाला, वजीर आजम साहब ने अपनी तक़रीर के दौरान में खुद कम्यूनिस्ट का जिक्र किया है और इस नुक्ते निगाह से जिक्र किया है कि जमींदार साहबान को इस बात पर राजी हो जाना चाहिये। खुशी है कि जल्द से जल्द जमींदारी मिटा दी जाय, ताकि मुल्क को कम्यूनिस्ट खतरे से बचाने में आसानी हो।

मैं भी जनाब वजीर आजम साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में से जो इबारत पढ़ी है, उसको देखते हुये यह हकीकत मालूम होती है कि हम जमींदारी मिटाने के बाद जो सोसाइटी इस सूबे में बनाना चाहते हैं, वह ऐसी हो जिससे यह बेचैनी और परेशानी और यह असन्तोष जल्द से जल्द दूर हो जाय। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वजीर आजम साहब ने इस बिल को जमींदारी मिटाने का नाम दिया है, लेकिन मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। हकीकतन आप इस बिल से इस सूबे में जमींदारी नहीं मिटा रहे हैं यह और बात है कि मौजूदा जमींदार साहबान को थोड़ा सा नुकसान पहुँच जाय। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज इस बिल में रक्खी गयी है, उससे तो जमींदारी हमारे सूबे में नहीं मिटती। हाँ, यह और बात है कि एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट (खेती करनेवाले पूँजीपति) का एक क्लास हमारे सूबे में पैदा हो जाय। वह गरीबों का शोषण करे। खून चूसे जिस तरह आज तक जमींदार साहबान इस सूबे में गरीबों का खून चूसते रहे हैं, एक ग्रोह भूमिधर लोगों का बनाया गया है और इस भूमिधर क्लास को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी जोत का बैनामा कर सके, हिबा कर सके, अपने परसनल ला (व्यक्तिगत कानून)

[श्री रोशन ज़मां खाँ]
के मुताबिक वसीयत कर सके। मैं समझता हूँ कि जो अख्तियारात भूमिधर को दिये जा रहे हैं, उनका मतलब यह है कि इस भूमिधर को आप पीजेंट प्रीमाइटर कहते तो ज्यादा अच्छा होता। बजाय इसके कि आप यह कहें कि यह किसान का एक क्लास होगा, वह शोषण नहीं करेगा मैं नहीं मानता, जब इन भूमिधर लोगों को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी जोत और अपनी आराजी को ट्रांस्फर कर सकें, मुन्तकिल और हस्तांतरण कर सकें। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि फिर हिज मैजिस्टी को क्या चीज वेस्ट करेगी। राइट ऑफ ट्रांस्फर (हस्तांतरण करने का अधिकार) न होना चाहिये। इन लोगों को ट्रांस्फर करने का अख्तियार, बैनामा, हिबानामा और वसीयत करने का अख्तियार और सारे अख्तियारात उस जमीन और और आराजी के बारे में रहेगा जिसके वह भूमिधर कहलायेंगे ऐसी सूरत में मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हकीकतन इस बिल से कोई चीज हिज मैजिस्टी में वेस्ट करेगी। जहाँ तक उस आराजी का ताल्लुक है जिस के भूमिधर हमारे सूबे में बनाये जा रहे हैं। यह तरीका तो सही और मुनासिब नहीं कहा जा सकता। कहा यह जाता है कि जो सीरदार हैं वह अगर दसगुना लगान अदा कर दें तो वह भूमिधर बन सकते हैं। यह चीज ऐसी है जिस से गरीबों को नुकसान ही नुकसान होगा। आज किसान गरीब हैं। खुद जमींदारी एबाशिन कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गयी है कि चार एकड़ तक जोतनेवाला किसान इतना कमाता है, जो उसके खाने को काफी हो सकता है। इससे कम जो जोतता है वह इतना कमाता है जिससे उसका पेट नहीं भरता। ऐसी सूरत में मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो गरीब किसान और काश्तकार हैं वह अपनी आमदनी से इतना बचा सकेंगे कि दस गुना मुआविजा यानी दस साल का लगान अदा करके वह भूमिधर हो जायँ। नतीजा क्या होगा? वह बेचारे गरीब लोग इतना कमा न सकेंगे कि कुछ बचायें। और बचाकर भूमिधर हो सकें। उनकी आमदनी उनके खाने के लिए काफी न होगी। नतीजा इसका यह होगा, जब यह शर्त रक्खी गई है कि उनकी मालगुजारी अदा न हो तो बेदखली हो जायगी इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि वह आराजी से महरूम हो जायेंगे और वह यकीनन दूसरे शख्स के पास जायेगी।

ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि जो क्लास आप भूमिधर का पैदा कर रहे हैं, वह हकीकतन इस सूबे के एक्सप्लोआयटेशन को कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ा देगा। आपने जिस चीज को खत्म करने का एलान किया है, वह चीज खत्म नहीं होगी। प्रीमियर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी पर कुछ इशारा करते हुये डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का जिक्र किया और यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो कहती है कि एक आदमी को बीस बीघे जमीन और एक गाय दे दें और शायद इससे ज्यादा भी देने की कोशिश करें। बहरहाल, जहाँ तक प्रीमियर साहब का ताल्लुक

है, उनको यह है कि एक पार्टी जो अपोजीशन में है उसके बारे में वह अपने ख्याल को जाहिर करें। लेकिन मैं भी आजादी चाहूँगा कि सोशलिस्ट पार्टी के नुक्तेनिगाह को इस ऐवान के सामने पेश कर सकूँ।

डिप्टी स्पीकर—अब आप खत्म करें। बाकी तकरीर कल होगी।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर शुक्रवार, ८ जुलाई, १६४६, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रांत।

लखनऊ
७ जुलाई, १६४६

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या १ (क-ग), (घ) और (ङ) के उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

विवरण पत्र संख्या (अ)

फसलों के नाम	रुपये में			टनों में १ टन २२४० पौंड		
	सन् १९४५-४६ (१३५३ फसली)	सन् १९४६-४७ (१३५४ फसली)	सन् १९४७-४८ (१३५५ फसली)	सन् १९४५-४६ (१३५३ फसली)	सन् १९४६-४७ (१३५४ फसली)	सन् १९४७-४८ (१३५५ फसली)
ईख	१,८१८,५०८	२०,५०,७०५	२,२८५,३४०	२,०२३,०००	२,४१०,०००	२,१५६,००० गुड़ के रूप में।
गेहूं	७,३०७,५६२	७,८१४,५०८	७,३२१,३५१	२,२५३,०००	२,२७१,०००	२,४७५,०००
चना	६,१४०,१४७	५,६६०,७२१	५,८७४,६६३	१,४६७,०७०	१,५०८,०००	१,७१९,०००
जौ	४,३६१,४७६	४,४३५,५०८	४,४७३,७४५	१,४०५,०००	१,६६३,०००	१,७१५,०००
चावल	६,६१४,४८५	७,२४७,६६८	७,४२०,२१५	१,७६८,०००	१,७११,०००	१,७७८,०००
मक्का	२,५३६,३२७	२,३६४,१४१	२,२६३,१५०	६६५,०००	७५३,०००	७४७,०००
बाजरा	२,८५५,६०८	२,६०५,०४३	२,६००,६६२	५५१,०००	४६६,०००	५०५,०००
रुई	१५५,३२६	१६८,१७०	१५१,४५६	१०,०००	८,०००	७,०००

विवरण पत्र संख्या 'च'

फ़सलों के नाम	१९३६-३७ १३४४ (फ़सली)	१९३७-३८ १३४५ (फ़सली)	१९३८-३९ १३४६ (फ़सली)	१९३९-४० १३४७ (फ़सली)	१९४०-४१ १३४८ (फ़सली)	१९४१-४२ १३४९ (फ़सली)	१९४२-४३ १३५० (फ़सली)	१९४३-४४ १३५१ (फ़सली)	१९४४-४५ १३५२ (फ़सली)
ईख	१७००,०००	३१९३,०००	२१६६,०००	२१२८,०००	२८४५,०००	१५४१,०००	२५७०,०००	२८५५,०००	२४११,००० गुड़ के रूप में।
गेहूँ	२५३२,०००	२७८१,०००	२६४२,०००	३११४,०००	२७७२,०००	२५५६,०००	२,३३,०००	२४७३,०००	२५६३,०
चना	१३१७,०००	१९४३,०००	१४८१,०००	१६७८,०००	१५६०,०००	१४१७,०००	१३११,०००	१४७२,०००	१६०८,०००
जौ	१५५८,०००	१३०१,०००	११८२,०००	१२१६,०००	१४८८,०००	१२१०,००	१३६४,०००	१३१७,०००	१५२१,०००
चावल	२०५४,०००	२०२४,०००	२००१,०००	२३५६,०००	१७३६,०००	१५०४,०००	१७७१,०००	१८०६,०००	१४७२,०००
मक्का	५३४,०००	७३०,०००	६०७,०००	८३६,०००	६११,०००	५६४,००	४४६,०००	६३२,०००	६५६,०००
बाजरा	३७२,०००	३२३,०००	३०८,०००	४६४,०००	४५१,०००	४८१,०००	६५८,०००	५६६,०००	५४७,०००
रुई	३१,०००	३५,०००	३२,०००	२६,०००	२६,०००	१९,०००	१६,०००	२०,०००	११,०००

विवरण पत्र संख्या 'स'

सन् १९४६, १९४७ व १९४८ के वर्षों में बाहर से अनाज आये हुये का विवरण पत्र

टनों में

सामग्री	१९४६	१९४७	१९४८
गेहूं	१७,०२४	५९,९२६	१,०४,२६०
गेहूं से बनी हुई वस्तुयें	१५,५२७	५,६०२	८२७
चना	१०,०३८	१७.६२१	१४,७३०
जौ	१०,२००	१.२२,६६७	२४,७२७
चावल	३४,९२३	३७,२४२	३,७३२
जुआर	८०१	६२५	...
बाजरा	३४२	...	...
मक्का	५,४९९	३१,८४४	१५,६६०
राई	४,९९९	७.१८८	...
कुल	१, ५९ ५९५	२, ८३,७१५	१,६३,९५६

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

साल	व्यय			विद्यार्थियों की संख्या
	रु०	आ०	पा०	
१९४६-४७	८०,३५६	१४	३	५०२
१९४७-४८	८१,००१	५	२	४८१
१९४८-४९	८४,४५२	५	०	४८०

नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

बाढ़ पीड़ित ग्रामों के नामों की सूची

१. बेन्ती उपरहार
२. बेन्ती ताल्लाब
३. बेनीमऊ उपरहार
४. बेनीमऊ ताल्लाब
५. शाहपुर उपरहार
६. शाहपुर ताल्लाब
७. शाहपुर कछार
८. जवा सुखदेवपुर
९. मोहिउद्दीन नगर उपरहार
१०. मोहिउद्दीन नगर ताल्लाब
११. मोहिउद्दीन नगर कछार
१२. पुरनीमऊ उपरहार
१३. पुरनीमऊ ताल्लाब
१४. जहानाबाद कछार
१५. मऊ दूसरा उपरहार

नत्थी 'घ'

(देखिये प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

ब्योरा	गाँवों के नाम बाधाचौर	हनुमानगंज	परसौनी जनूबी	परसौनी शुमाली	नरायनपुर
गाँव के क्षेत्रफल का जोड़	१०६७.३४	७५१.७८	१२८०.०३	१२२३.६६	८६८.७३
जलमग्नभूमि का क्षेत्रफल	१६३.५६	३०५.१२	८३२.०५	७७५.३५	६०४.२२
बालू से ढकी भूमि का क्षेत्रफल	८०.१०	६०.०५	१३०.०६	१७५.१०	१२१.६०
१३५५ फसली में जोती गई भूमि का क्षेत्रफल	७६६.८२	३१४.६३	२७१.२८	५११.५७	१२६.२७
मालगुज़ारी	८४७।२।५	३१६।४।८	४४०।०।०	८८।०।०	११।८।२
प्रत्येक जोती गई भूमि के क्षेत्रफल की मालगुजारी का परता	१।२।०	१।०।३	१।१०।०	।२।६	०।१।६
नक़द लगान देनेवाली भूमि का क्षेत्रफल	७५३.७१	२४७.५५	१६२.६२	११६.२५	१७२.५४
नक़द लगान	२१७६।४।२	४५२।२।६	४६३।६।६	३२५।६।०	४१३।१०।६
प्रत्येक एकड़ की नक़द लगान का परता	२।१४।०	१।१३।०	३।०।०	२।१२।०	२।६।०
बटाई लगान का क्षेत्रफल	१४.५०	१०६.०६	१५५.३०	५७.०६	०.२६
बटाई लगान में प्राप्त अन्न का मूल्य	२४८।६।०	१३३९।९।०	१७८१।५।९	११४११।३।६	२।०।६
बटाई लगान वाले क्षेत्रफल की प्रत्येक एकड़ का परता	१७।१२।०	११।११।०	११।८।०	२०।०।०	७।८।०
१३५५ फसली की नक़द प्राप्ति	१७४६।३।११	३८५।७।०	४६३।६।६	३११।१।३	४१३।१०।६
१३५५ फसली में बटाई लगान मे प्राप्त अन्न का मूल्य	२४८।६।०	१३५०।६।६	१७७४।६।६	११४११।३।६	२।०।६
वारन्ट गिरफ्तारी	१२	...	...	...	...
वारन्ट कुर्की	१८	...	...	..	...
वारन्ट बिक्री	...	...	...	...	...

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शुक्रवार, ८ जुलाई, १९४९

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८५)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल मजीद
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खाँ
अलगूराय शास्त्री
अली जर्रार जाफ़री
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
एजाज़ रसूल
करीमुर्रज़ा खां
कालीचरण टंडन
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
कृष्णचन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
गजाधर प्रसाद
गणेश कृष्ण जैतली
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बक्श सिंह
जगमोहन सिंह नेगी
जवाहरलाल रोहतगी
ज़ाकिर अली
ज़ाहिद हसन
ज़हीरुल हसनैन लारी
जुगलकिशोर
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा

[illegible]
[illegible]
[illegible] मोदि
[illegible]
[illegible]
[illegible] वर्मा
धर्मदास, [illegible]
[illegible] हसन
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद [illegible], माननीय श्री
निज़ामुद्दीन
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फ़ख़रुल इस्लाम,
फतेहसिंह राणा
फ़ैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
बदन सिंह
बंशगोपाल
बंशीधर मिश्र
बनारसीदास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बृजमोहनलाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवान दीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह

[illegible]
[illegible]
[illegible] प्रसाद
[illegible]
[illegible]
महमूद अली खां
[illegible]
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुज़फ़्फ़र हुसैन
मुनव्वर अली
मुहम्मद [illegible]
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी
मुहम्मद जमशेद अली खाँ,
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद यूनुस
मुहम्मद रज़ा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री
मुहम्मद शौकत अली खां
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवीर सहाय
रघुवंशनारायण सिंह
राघव दास
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह

रामचन्द्र मेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पांडे
राम वर्मा
राममूर्ति
रामशंकर लाल
रामशरण
रामस्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुक्नुद्दीन खां
रौशन ज़मा खां
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी
विष्णुशरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकरदत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिवकुमार पाण्डेय
शिवकुमार मिश्र
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
श्यामलाल वर्मा
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सईद अहमद
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन सय्यद
सालिग्राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुल्तान आलम खां
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
हिफ़जुर्रहमान
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
होतीलाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ता० ८ जुलाई, सन् १९४९ ई०

तारांकित प्रश्न

मेडिकल लाइसेंशियेट संघ के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट

* १-श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)—क्या मेडिकल लाइसेंशियेट संघ का डेपुटेशन माननीय मिनिस्टर चिकित्सा विभाग से नवम्बर सन् १९४८ ई० में अपनी मांगों के लिये मिला था ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां।

* २-श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)—अगर हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और माननीय मिनिस्टर उनकी मांगों को पूरा करने के लिये किस निर्णय पर पहुंचे ?

माननीय अन्न सचिव—उनकी मांगे बहुत विस्तृत थीं। जिनमें मुख्य मुख्य यह थीं कि सभी श्रेणियों की मेडिकल सरविसेज् का एकीकरण हो, ग्राम चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण हो, अखिल भारतीय मेडिकल कौंसिल के रजिस्टर में लाइसेंशियेट भी दर्ज हों, उनको पोस्ट ग्रेजुयेट कोर्स करने की सुविधायें दी जायं, उनके वेतन और पदवृद्धि के लिये प्रचुर सुविधायें हों, इत्यादि इत्यादि। इनमें कुछ मांगें (जैसे अखिल भारतीय मेडिकल रजिस्टर में नाम दाखिल करना) केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखती हैं। बहुत सी मांगें सरकार ने पूरी कर दी हैं जैसे वेतन वृद्धि, कण्डेन्स्ड कोर्स की सुविधा और बहुत सी की जा रही हैं जैसे ग्रामीण चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण। परिस्थिति समझ लेने के बाद डेपूटेशन के सदस्य अपनी सभी मांगों पर संतुष्ट हो गये थे। केवल एक मांग रह गई थी कि बढ़े हुए वेतन-क्रम के लागू होने पर उन पी० एस० एम० एस० अफ़सरों के वेतन क्रम में जिनका वेतन उस समय २०० रु० मासिक के लगभग था कुछ तरक्की दी जा सकती है अथवा नहीं। इस प्रश्न पर भली भांति पूछ-ताछ के पश्चात् देखा गया कि केवल एक ही अफ़सर का वेतन उस समय २०० रु० था। वह अफ़सर अब अवकाश ग्रहण कर चुका है अतएव उसके लिए कुछ करना सम्भव नहीं था। बाक़ी १८ अफ़सर १७५ रु० पुराने वेतन-क्रम में पाते थे और नये क्रम में वे १७६ रु० पायेंगे। पुराने वेतन-क्रम में केवल २ प्रतिशत अफ़सर २०० रु० के ग्रेड में जाते थे और बाक़ी १७५रु० पर ही रुक जाते थे। अब यह सभी अफ़सर १७५ के आगे १२०-४-१६०-८-२०० के वेतन-क्रम में जा सकेंगे। इन सीनियर अफ़सरों में जो योग्य होंगे उनको पी० एम० एस० द्वितीय में कर देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

बाराबंकी के सीमेंट के एजेन्टों द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई

* ३-श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के सीमेंट के एजेन्टों से किस-किस जिले के किस-किस व्यक्ति या संस्था को गत दो वर्षों में कितना कितना सीमेंट देने के परमिट जारी किये गये ?

नोट—तारांकित प्रश्न सं० १ तथा २ श्री दौनो लाल अग्रवाल ने पूछे।

माननीय अन्न सचिव—एक सूची जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है, सम्बद्ध है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६६ पर)

* ४-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या यह सही है कि अल्मोड़ा-गोरखपुर और लैंसडाउन आदि दूर स्थानों के लिये भी बाराबंकी जिले के एजेंटों मे सीमेंट प्राप्त करने के परमिट जारी किये गये?

माननीय अन्न सचिव—जी हां, लैंसडाउन को छोड़कर। बाराबंकी केन्द्रीय स्थान है और ओ० टी० रेल से सम्बन्धित स्थानों के लिये माल लदने का मुख्य स्टेशन है।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि यह स्टेशन ओ० टी० आर० मे नहीं है बल्कि ई० आई० आर० में है? उत्तर में कहा गया है कि जो स्टेशन ओ० टी० आर० में हैं वहां के लिये बाराबंकी से परमिट्स दिये गये हैं लेकिन यह स्टेशन तो ई० आई० आर० मे है ओ० टी० आर० में नहीं है।

माननीय अन्न सचिव—यह तो सरकार को मालूम है कि कुछ उन स्टेशनों को दिये गये है जो ओ० टी० आर० पर नहीं हैं।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या गवर्नमेंट इन असुविधाओं को दूर करने के लिये प्रयत्न करेगी।

माननीय अन्न सचिव—हमेशा ही प्रयत्न करती रहती है।

प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की इजाज़त

* ५-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि युक्त प्रान्त में ऐसे कितने व्यक्ति (ताल्लुक़ेदारान) हैं जिनके हथियार रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)—इस सूबे में इस समय कुल १०५ व्यक्ति (ताल्लुक़ेदारान) ऐसे हैं जिनके लिये हथियार रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

* ६-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—उक्त व्यक्ति किस उसूल पर लाइसेन्स से मुस्तसना किये गये?

माननीय पुलिस सचिव—इण्डियन आर्म्स ऐक्टके शिड्यूल १ में कुछ ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जिनको भारत सरकार ने लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया है। जिनका जिक्र ऊपर किया गया है वे उन्हीं वर्गों में आने के कारण उस ऐक्ट के अनुसार लाइसेंस लेने से मुक्त हो गये हैं।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या प्रान्तीय सरकार ताल्लुक़ेदारों के लाइसेंसों को जारी को रखना पसन्द करेगी?

माननीय पुलिस सचिव—ताल्लुक़ेदारों का रहना ही मुश्किल हो रहा है। लाइसेंसों जारी रखने का प्रश्न तो मुश्किल से उठेगा।

बन्दरों तथा अन्य जङ्गली जानवरों द्वारा फसल की हानि

* ७ **श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार बताने की कृपाकरेगी कि अनुमान से युक्त प्रान्त में प्रति वर्ष बन्दरों से कृषि और फलादि सम्बन्धी कितनी सम्पत्ति का विनाश होता है?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—कुछ प्रान्त में बन्दरों से फसलों की क्षति का अनुमान १५ से २० फी सदी फसल का भाग नष्ट होता है। इस हानि का अनुमान रुपयों में ठीक ठीक नहीं किया जा सकता है।

*८-श्री [illegible]—क्या सरकार इन अन्न संकट के वर्षों में बन्दरों तथा अन्य जानवरों द्वारा हानि को रोकने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

माननीय कृषि सचिव—बन्दरों तथा अन्य जंगली और पालतू जानवरों द्वारा हानि को रोकने के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है। यह योजना पहले ही प्रारम्भ कर दी गई होती किन्तु बन्दरों के प्रति लोगों की प्रचलित भावनाओं से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका। इस बारे में सरकार माननीय सदस्यों के प्रस्तावों का स्वागत करेगी।

श्री [illegible]—वह कौन सी स्कीम है जिससे नुकसान पहुंचाने वाले बन्दरों को पकड़वाया जायगा?

माननीय कृषि सचिव—मालूम हुआ है कि उड़ीसा में गवर्नमेंट ने बन्दरों को पकड़वाया है और जिन लोगों ने बन्दरों को पकड़ा उन लोगों को फी बन्दर ३-४ रुपया इनाम दिया गया है।

सुल्तानपुर जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना

*९-श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला जेल को सेनीटोरियम जेल क्यों बनाया गया है?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविंद सहाय)—सुल्तानपुर जिला जेल में सूबे के क्षय रोग से ग्रस्त कैदियों को वर्षों से रखा जा रहा है। चूंकि उस समय का रिकार्ड अब मौजूद नहीं है, इसलिये यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यही जेल तपेदिक वाले कैदियों के लिये क्यों चुना गया।

सुल्तानपुर जिले में क्षय की रोगियों की सूची

*१०-श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार सुल्तानपुर जिले के क्षय रोग के रोगियों की कोई सूची रखती है?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं।

सुल्तानपुर जिला जेल के मुर्दों के जलाने या दफ़नाने का प्रबन्ध

*११-श्री रामबली मिश्र—सुल्तानपुर जिला जेल में मुर्दे, विशेषकर क्षयरोग से मरे हुए, के जलाने अथवा दफ़नाने का क्या प्रबन्ध है?

श्री गोविन्द सहाय—हिन्दू कैदी की लाश को जेल कम्पाउन्ड के एक कोने में जेल अधिकारियों की संरक्षकता में जला दिया जाता है। मुसलमान कैदी की लाश को अंजुमन इस्लामिया को १५ रु० प्रति लाश की दर से व्यय देकर सौंप दिया जाता है और वह उन्हें शहर के बाहर दफ़न करती है।

दियरा राज्य, जिला सुल्तानपुर के, राजा साहब का सरकार को दान

*१२-श्री रामबली मिश्र—क्या सुल्तानपुर जिले के दियरा राज्य के राजा साहब ने सरकार को अपना माधवकुंज नामक बाग, मैनेजर का बंगला और वहां का अस्पताल दान दिया है?

माननीय अन्न सचिव—राजा साहब दियरा ने निम्नलिखित तीन इमारतें महात्मा गांधी की स्मृति में दान की हैं।

१. [illegible] ३. डिस्ट्रिक्ट [illegible],

[illegible] नहीं है। उन्होंने मैनेजर के खर्चे का दान [illegible]

*१३ श्री [illegible]—[illegible], तो सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया?

[illegible]—[illegible] डिस्ट्रिक्ट [illegible] चला गयी है और उस [illegible] पूर्ण व्यय सरकारी कोष [illegible]

*१४ श्री [illegible] मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि दान देने के पश्चात् उस अस्पताल को राजा साहब ने बन्द कर दिया है?

माननीय [illegible] सचिव—चूंकि अस्पताल अब सरकारी हो गया है, उसके राजा साहब द्वारा बन्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ठीक है कि दान देने के पहले जो धन राजा साहब अपने राज्य के कोष से उस अस्पताल के ऊपर व्यय करते थे अब उन्होंने उसे व्यय करना बन्द कर दिया है।

सूबे में बने हुए हवाई अड्डों को प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना

*१५-श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार सूबे में बने हुए हवाई अड्डों को अपने अधिकार में लेने की कोई व्यवस्था कर रही है?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां, इस मामले में केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है।

*१६श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हवाई अड्डों की बनी हुई इमारतें समुचित देख रेख न होने के कारण धराशायी हो रही हैं?

माननीय पुलिस सचिव—इन हवाई अड्डों की देख रेख का भार प्रान्तीय सरकार पर नहीं है।

जिला अधिकारियों को शासन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में गुप्ताज्ञा

*१७- श्री रामबली मिश्र —क्या सरकार ने कोई गुप्ताज्ञा (डी० ओ०) द्वारा जिलाअधिकारियों को यह सलाह दी है कि वे धारा सभा के सदस्यों की सलाह विशेषकर शासन के मामले में न सुनें?

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं।

सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार

*१८-श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार को विदित है कि सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है?

श्री गोविन्द सहाय—सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

सुल्तानपुर-पुलिस का एक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न

*१९-श्री विद्याधर बाजपेयी (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को यह पता है कि ता० २१. मार्च को लगभग २ बजे रात में सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान डी० एस० पी० शहर कोतवाल गारद के साथ किसी बदमाश की तलाश में शहर तथा कई गांवों में गए और लोगों के घरों की तलाशियां लीं?

(ख) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन [illegible] के [illegible] पुलिस ने [illegible] के अनुसार कोई [illegible] ?

(ग) अगर नहीं, तो [illegible] सूचना देने वालों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने क्या कार्रवाई की ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) सरकार को सूचना मिली है कि तारीख २१ मार्च [illegible] १९ [illegible] लेहड़ी नामक एक डकैत की खोज में [illegible] की [illegible] ।

(ख) जी नहीं।

(ग) [illegible] सूचना देने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की [illegible] तक [illegible] कि सूचना देने वाले ने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे [illegible] सूचना दी है [illegible] जो सूचना मिली थी उसके बारे में यह [illegible] कि बिल्कुल [illegible] इसलिये सूचना देने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा वालंटियरों की भर्ती

४२० श्री विद्याधर वाजपेयी (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड के सिपहसालार अपने पुराने ढंग से वालंटियरों की भर्ती कर रहे हैं और [illegible] में कवायद कराते हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कवायद क्यों होने दी जा रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(ख) [illegible] के विरुद्ध कोई [illegible] उठाया [illegible]।

मेयो मेमोरियल पुस्तकालय की सहायता

४२१-श्री विश्वनाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुस्तकालयों को सहायता देने की जो [illegible] तैयार हुई है उसमें मेयो मेमोरियल पुस्तकालय को कितना रुपया दिया गया है, यदि कुछ नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय शिक्षा सचिव श्री सम्पूर्णानन्द—(क) सम्भवतः मेयो मेमोरियल पुस्तकालय [illegible] में स्थित है। इस पुस्तकालय को १९४८-४९ में कोई सहायता नहीं दी गई।

(ख) शिक्षा संचालक, संयुक्त प्रान्त, ने इस पुस्तकालय को सहायता देने के लिये सिफारिश नहीं की थी।

४२२-श्री विश्वनाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट [illegible] इस पुस्तकालय को कितना रुपया दिया गया था ?

माननीय शिक्षा सचिव—२५० रुपये

कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों के सम्बन्ध में पूछताछ

४२३-श्री गदाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को २०० रुपये से ६५० रुपया तक वेतन दिया जाता है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हां।

*२४-**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या यह भी सच है कि कृषि महाविद्यालय कानपुर, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है ? यदि उत्तर हां में है, तो उनके अध्यापकों को क्यों १५० रुपया से २५० रुपया तक ही वेतन दिया जाता है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हां, यह बात गलत है कि कृषि महाविद्यालय कानपुर के सब अध्यापकों को १२० रु० से २५० रु० ही वेतन दिया जाता है। वहां के प्रिंसिपल का वेतन १०५० रु० से १२५० रु० तक है, तथा प्रोफेसरों को ७०० रु० से १००० रु० तक, असिस्टेंट प्रोफेसरों को २५० रु० से ८५० रु०, लेक्चररों को २०० रु० से ४५० रु०, असिस्टेंट लेक्चररों तथा डिमोन्स्ट्रेटरों को १२० रु० से २५० रु० दिया जाता है।

*२५-**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि-महाविद्यालय में कुल कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ?

माननीय कृषि सचिव—५३।

*२६-**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि-महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रतिदिन काम पर आने जाने का समय क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई का समय प्रातःकाल ६ बजे से ८.१५ तक गर्मियों में तथा ७ बजे से ९.१५ तक जाड़ों में और १०.३० से ४ बजे तक गर्मियों में तथा ११ बजे से ३.४५ तक जाड़ों में है। प्रेक्टिकल और लेक्चर्स दोनों समय होते रहते हैं।

*२७-**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों के लिये रहने की व्यवस्था क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—कृषि महाविद्यालय में अध्यापकों के रहने के लिये कुछ घर भी बने हुए हैं। यह घर अध्यापकों को तथा कृषि विभाग के अन्य कर्मचारियों को एक समिति द्वारा दिये जाते हैं।

*२८-**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकांश अध्यापकों के निवास स्थानों में बिजली का प्रबन्ध नहीं है ?

माननीय कृषि सचिव—कृषि महाविद्यालय के निम्नलिखित घरों में अभी तक बिजली का प्रबन्ध नहीं हो सका है।

१. कृषि महाविद्यालय के डेयरी तथा विद्यार्थी फ़ार्मों के घर।
२. दस सुपरवाइज़रों के घर।
३. एक अन्य घर।

जिला गढ़वाल की ऊन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकाउण्टस् की मुअत्तली

*२९-**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—(क) क्या यह सत्य है कि ज़िला गढ़वाल की ऊन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकांउन्टस् ता० २४ सितम्बर १९४८ ई० से मुअत्तिल हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस अपराध के लिए ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)—(क) हां, यह सत्य है कि जिला गढ़वाल ऊन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकाउंटस् २८ सितम्बर १९४८ से मुअत्तिल किये गये थे।

[illegible] बतलाने की कृपा करेगी [illegible] इन्स्पेक्टर और एकाउन्टेन्ट को [illegible] मुअत्तिल करने से पहले कोई [illegible]

[illegible]

[illegible] मुअत्तिल करने के पहिले [illegible] आवश्यकता नहीं है इसलिए मुअत्तिल [illegible] अवसर [illegible]

*[illegible] श्री [illegible] सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन [illegible] इन्स्पेक्टर और एकाउन्टेन्ट गढ़वाल के विरुद्ध क्या क्या आरोप थे, जिनके कारण [illegible] मुअत्तिल करने की आज्ञा जारी करना पड़ी।

माननीय उद्योग सचिव—इन्स्पेक्टर और एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध आज्ञा-उल्लंघन का आरोप था जिसके कारण तार द्वारा उनको मुअत्तिल करने की आज्ञा देनी पड़ी।

*[illegible]-श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जो आरोप थे उन पर जांच करने के पश्चात् सरकार ने कोई निर्णय दिया है ?

(ख) यदि नहीं दिया है और वे इन्स्पेक्टर अभी भी मुअत्तिली में हैं, तो क्या सरकार इस देरी का कारण बतलावेगी ?

माननीय उद्योग सचिव—(क) आरोप साबित हुए उपरोक्त इन्स्पेक्टर गढ़वाल ऊन योजना से हटा दिये गये और उनकी तरक्की दो साल के लिए रोक दी गयी।

(ख) वे अब मुअत्तिल नहीं हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वे हटा दिये गये और उनकी तरक्की रोक दी गई इसका क्या अर्थ है ?

माननीय उद्योग सचिव—उनको सजा मिली।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनकी मुअत्तिली किस तारीख से हटाई गई ?

माननीय उद्योग सचिव—इसकी तारीख तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं माननीय सदस्य को फिर बतला सकता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के नियमानुसार ६ [illegible] तक वह मुअत्तिल रहे ?

माननीय उद्योग सचिव—ठीक वक्त तो इस वक्त मैं नहीं बतला सकता मगर वह [illegible] तक मुअत्तिल रहे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह अब किस विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—इसकी इत्तिला तो मैं अभी नहीं दे सकता।

महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेंट जुबली कालेज, लखनऊ [illegible]
[illegible] म्यूजिक (संगीत) परीक्षायें

*३३-श्री नारायण दास (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ११ मार्च १९४९ ई० को महिला विद्यालय कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल इम्तिहान अर्थात् कुकिंग और [illegible] तारीख निश्चित थी।

(ख) क्या यह सत्य है कि परीक्षक ता० ७ मार्च को ही आ गये और ८ को परीक्षा ली गई?

यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

(ग) क्या यह सच है कि लड़कियां प्रिपरेशन लीव (तैयारी की छुट्टी) पर थीं और दिक्कत में हुईं?

(घ) क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश था कि ११ मार्च के बजाय परीक्षा ८ मार्च को ही हो जाय?

माननीय शिक्षा सचिव—(क) जी नहीं। निर्धारित तिथियां ७ मार्च से १० मार्च तक थीं।

(ख) जी हां। यह पूर्व सूचित कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

(ग) सरकार को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

*३४-श्री नारायण दास (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट जुबली कालेज, लखनऊ में १० मार्च, सन् १९४९ ई० को म्यूजिक का इम्तहान होने वाला था और लड़के परीक्षा की तैयारी करने की छुट्टी पर थे?

(ख) क्या यह सत्य है कि परीक्षक ८ मार्च को ही आ गये और ९ मार्च को लड़कों को बुला कर इम्तहान लिया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

(ग) क्या सरकार ने उनको इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया था?

माननीय शिक्षा सचिव—(क) (१) जी नहीं।

(२) इस विषय में कोई सूचना नहीं है लेकिन अभ्यासिक परीक्षायें बहुधा तैयारी करने की छुट्टियों के दिनों में ली जाती हैं।

(ख) पूर्व प्रश्न के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

लखनऊ नगर के बहुत से मुहल्लों में रोशनी का प्रबन्ध

*३५-श्री नारायण दास (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि आजकल लखनऊ नगर में बहुत से मुहल्लों में रोशनी के तेल के लैम्प हटाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—जी हां। लखनऊ म्युनिसिपैल्टी ने लैम्प हटा लिये हैं जो या तो आवश्यक न थे या उन स्थानों या ग्रामों में लगाये गये थे जो एक प्रकार से निजी स्थान या ग्राम कहलाते हैं और जहां से न तो बोर्ड को कोई फायदा कर इत्यादि का होता है और न बोर्ड की तरफ से और कोई सफाई इत्यादि का प्रबन्ध होता है।

[illegible] श्री [illegible] अनुसूचित [illegible]—[illegible] मुहल्ले में [illegible] बिजली की [illegible] करने का [illegible] नहीं है ?

माननीय [illegible] सचिव—[illegible] ने निश्चय किया है कि [illegible] [illegible] के लिये [illegible] [illegible] गये हैं, [illegible] [illegible] के लिए [illegible] बिजली का प्रबन्ध न हो।

[illegible] बुलन्दशहर में [illegible] के लिये इलेक्ट्रिक इनर्जी (विद्युत शक्ति)

[illegible] श्री [illegible] सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि [illegible] बताई, जिला [illegible] इलेक्ट्रिक [illegible] में [illegible] है, कोई [illegible] हुई इलेक्ट्रिक [illegible] नहीं। यदि नहीं, तो कितने [illegible] में नहीं है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभामन्त्री (श्री लताफत हुसैन)—[illegible] कर सकने के [illegible] से इन लोगों को [illegible] दरख्वास्तें [illegible] सन् १९४७ में [illegible] हो चुकी थीं कनेक्शन नहीं दिया गया [illegible] मुनासिब [illegible] मुमकिन है कि [illegible] दरख्वास्त पर भी [illegible] किया जा सके।

श्री बलभद्र सिंह—[illegible] दरख्वास्तें [illegible] की गई है क्या उनको तारीख के अनुसार कनेक्शन दिया जा रहा है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं। [illegible] [illegible] टेम्पोरेरी कनेक्शन करनी है उनको [illegible] परमानेन्ट कनेक्शन [illegible] है [illegible] दिये जाते हैं।

श्री बलभद्र सिंह—क्या [illegible] है कि [illegible], सन् १९४७ के बाद भी जो दरख्वास्तें हैं उनके कनेक्शन दिये गये हैं और उनसे पहले की जो दरख्वास्तें हैं उनको नहीं दिये गये हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—[illegible] जो [illegible] दिया है उसमें यह कहा है कि [illegible] [illegible] है और [illegible] नहीं [illegible] है।

[illegible]-श्री भगवान सिंह—[अनुपस्थित किये गये]

[illegible] जिले में अदालती पंचायतों और गांव अदालतों में चुने गये हरिजन

[illegible]—श्री [illegible] प्रसाद [illegible]—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कुल [illegible] अदालती पंचायतों में चुने गये और [illegible] गांव अदालतों में कितने कितने हरिजन चुने गये ?

माननीय स्वशासन सचिव—जौनपुर जिले में कुल [illegible] हरिजन पंचायती अदालतों के [illegible] चुने गये हैं। पंचायती अदालतों के नाम और उनमें चुने गये हरिजन पंचों की [illegible] की सूची [illegible] है।

श्री [illegible] त्रिपाठी—क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित की है कि चुनाव में [illegible] [illegible] सके ?

[illegible] पर छापी नहीं गयी।

माननीय स्वशासन सचिव—कानून के अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स या परिगणित जातियों के सम्बन्ध में उन्हें लिखने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके स्थान सुरक्षित हैं ; बाकी लोगों को यह देने की आवश्यकता नहीं है

गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के नियम

*४८-श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभा के सेक्रेटरी के चुने जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव—माननीय सदस्य का ध्यान पंचायत राज नियम १६५-१६९ की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि माननीय सदस्य को गजट के साथ दिये जा चुके हैं

सन १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़िया तथा खमा ग्रामों की क्षतिपूर्ति

*४९-श्री श्रीपति सहाय—सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़िया ग्राम तथा खमा ग्राम की जो हानि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की।

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को जहां तक मालूम है पहाड़िया और खमा गांव के रहने वालों को अगस्त सन् १९४२ के आंदोलन में कोई सीधा और सक्रिय भाग लेने के सिलसिले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जनवरी सन १९४४ में लड़ाई का चन्दा वसूल करने के सम्बन्ध में इन गांवों वालों तथा तहसील की एक पार्टी में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से इन गांवों के कुछ लोगों पर मुकदमा चला।

श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़िया ग्राम के बैजनाथ सक्सेना और उनकी कांग्रेस पार्टी के १० व्यक्ति सन् १९४२ में नजरबन्द कर दिये गये थे ?

माननीय पुलिस सचिव—जी, हां। सम्भव है ऐसा हुआ हो।

श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या यह सही है कि उस समय के आन्दोलन में जिन लोगों ने स्टेशन जलाये और डकैतियां डालीं वे सब दफ़ा १०९ में दिखलाये गये ?

माननीय पुलिस सचिव—माननीय सदस्य की मंशा मैं स्पष्ट कर दूं। जो सवाल उन्होंने पूछा है उससे कोई खास तात्पर्य जो वह जानना चाहते हैं नहीं निकलेगा। यह जो परिभाषा सन् १९४२ के नुकसान के सिलसिले में मुआविज़े के वास्ते बनाई गई है उस परिभाषा के अन्दर काफ़ी जांच करने के बाद भी यह मामला नहीं आता। इस वजह से गवर्नमेंट को मुआविज़े की शक्ल में कुछ देने में कठिनाई है। फिर भी जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा तो मैंने इस बात की पुनः जांच करवाई कि क्या किसी तरह से अधिकारी वर्ग इसको उस परिभाषा के अन्दर ला सकते हैं या नहीं। उसके बारे में अभी उत्तर नहीं आया है परन्तु फिर भी इसमें कठिनाई होगी। दफ़ा १०९ का कोई सवाल इसमें नहीं उठता क्योंकि यह मामला सन् १९४२ के बहुत बाद का है और सन् १९४२ से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता। इस वास्ते दिक्कत पड़ रही है।

आगरे के थामसन अस्पताल में दांतों के इलाज का प्रबन्ध

*५०-श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या आगरे में थामसन अस्पताल में दांतों के इलाज का कोई इन्तज़ाम है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

[illegible]

[illegible] ... टी० बी० अस्पताल में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज [illegible] किये गये मरीज़ों की संख्या

[illegible] बालचन्द्र मेहरा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि [illegible] टी० बी० के [illegible] के अन्दर कितने टी० बी० के मरीज़ों का इलाज किया गया और कितने [illegible]

[illegible]—निम्नलिखित टी० बी० मरीज़ों की चिकित्सा की गई।

सन् १९५[illegible] ...

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

सन् १९५८ ..

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] १९५७ व १९५८ में क्रमशः [illegible] रोगियों की मृत्यु हुई।

[illegible] गोंडा में चोरियों, डकैतियों और हत्याओं की संख्या

[illegible] श्री गंगा प्रसाद—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला [illegible] सन् १९५६ ई० से दिसम्बर सन् १९५७ ई० तक और जनवरी सन् १९५८ ई० से [illegible] सन् १९५९ ई० तक थानेवार कितनी चोरियां, डकैतियां और [illegible] हुई हैं ?

[illegible] कितने [illegible] का चालान हुआ है ?

[illegible] चोरियों और डकैतियों की तलाशी में [illegible]

[illegible] हुए [illegible] बन्दूकें [illegible] लाइसेन्स [illegible] ।

[illegible] कितने [illegible] बन्दूकें [illegible] कितने [illegible] ?

मा० [illegible] पुलिस सचिव—[illegible] है। [illegible] है।

पुलिस अधिकारियों [illegible] सच्चाई [illegible] और ईमानदारी [illegible] के लिये तरक्की और इनाम

*[illegible]—कितने पुलिस अधिकारियों को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिये तरक्की और इनाम दिया गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—पुलिस के अधिकारियों को तरक्की देने समय सीनियोरिटी (ज्येष्ठता) कार्य कुशलता, ईमानदारी आदि का ध्यान रक्खा जाता है। इनाम देने में भी कार्य कुशलता कोई विशेष कार्य तथा ईमानदारी आदि का ध्यान रक्खा जाता है। यह बतलाना कठिन है कि केवल सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिये कितने आदमियों को तरक्की तथा इनाम दिये गये।

जिला बिजनौर में बन्दूकों के लाइसेन्सदारों की संख्या

*५४-श्री बशीर अहमद अंसारी—(क) जिला बिजनौर में बन्दूकों के कुल लाइसेंसदारों की क्या तादाद है ?

(ख) सन् १९४६ ई० तक इनकी तादाद क्या थी ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) जिला बिजनौर में ३१ मई सन् १९४९ तक १०४९ आदमियों के पास बन्दूकों के लाइसेन्स थे।

(ख) सन् १९४६ में बन्दूकों के कुल लाइसेन्सदारों की संख्या ९६५ थी।

*५५-श्री बशीर अहमद अंसारी—मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के जमाने की तादाद लाइसेंसदार बन्दूकें वगैरह क्या हैं और साबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिब ने अपने चार्ज मे क्या तादाद दी थी ?

माननीय पुलिस सचिव—वर्तमान जिलाधीश के समय में ३१ मई १९४९ तक बन्दूकों इत्यादि के लाइसेन्सदारों की संख्या ११३२ थी और उनके पद-ग्रहण करने के समय उसमें लाइसेंसदारों की संख्या १२८१ थी।

श्री बशीर अहमद अंसारी—क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़माने के मुक़ाबिले मे इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़माने में जो ७७ लाइसेन्स कम हुए हैं इसकी क्या वजह है ?

माननीय पुलिस सचिव—मौजूदा जिला मैजिस्ट्रेट के ज़माने में इस बात की पूरी तरह जांच की गई कि कितने लोगों को ऐसे हथियार रखने का हक़ है क्योंकि पहले जो हथियार दिये

गये थे उनमें नियमों की पूरी पाबन्दी नहीं की गई थी। जांच करने के बाद जब यह पता चला कि बहुत से लोगों को हथियार रखने का हक़ नहीं है उन लोगों के लाइसेन्स कैंसिल कर दिये गये।

श्री बशीर अहमद अंसारी—इन ७७ के अलावा २०० के करीब जो लाइसेन्स दिये गये वे किस आधार पर दिये गये?

माननीय पुलिस सचिव—जो हथियार देने का क़ायदा है उसके आधार पर दिये गये हैं।

फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय का विकास

* ७६-**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—सरकार ने अब तक ऐसे कौन से उपाय किये हैं जिनसे फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय का विकास हो?

माननीय उद्योग सचिव—फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय के विकास का मुख्य आधार वहां की भट्टियों का सुधार है। कांच विभाग ने दो आधुनिक ढंग की भट्टियां आयोजित की हैं तथा उन्हें शिकोहाबाद में जो कि फिरोजाबाद से केवल ११ मील दूर है बनवाया है। इन भट्टियों की विशिष्टता एक निश्चित सत्य है। फिरोजाबाद के बहुत से कारखाने वालों ने इनका निरीक्षण किया है तथा कांच के विशेषज्ञ ने स्वयं इनकी कार्य तथा निर्माण विधि समझाई है। अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस सुविधा का उपयोग करें। यद्यपि कुछ कारखानों ने अपने तरीके से इन रेक्यूपेरेटिव भट्ठियों का अनुकरण किया है परन्तु साधारणतया फिरोजाबाद उद्योग की इन मौलिक सुधारों की ओर रुचि कम है।

सबसे महत्वशाली केवल एक तरीका हो सकता है जिससे कि फिरोजाबाद के उद्योग में मौलिक परिवर्तन हो सकता है और वह है वहां पर एक गैस प्लान्ट का निर्माण करना। इस विषय में लगभग २ वर्ष पूर्व कांच विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था जो कि अभी सरकार के विचाराधीन है। फिरोजाबाद के उद्योग ने कांच विभाग की प्रयोगशाला में निर्माणित भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगीन तथा विभूषित कांच के विकास में विशेष रुचि दिखाई है। गत कुछ वर्षों में कांच विभाग के बहुत से नये नुस्खे फिरोजाबाद उद्योग को दिये हैं।

देखा जाय तो फिरोजाबाद में आजकल आर्थिक विचारों को विकास सम्बन्धित विचारों से अधिक महत्व दिया जाता है। इस समय वहां का उद्योग अत्यधिक फैल गया है। वहां पर ८६ बड़े कारखाने हैं तथा अनगिनत घरेलू कारखाने हैं, जिनके लिए न तो पर्याप्त ईंधन ही है और न यातायात की सुविधायें हैं। इस समय विद्यमान साधन किस प्रकार इस उद्योग को जीवित रख सकते हैं। यह ही समस्या अन्य समस्याओं से अधिक महत्व रखती है तथा कांच विभाग का ध्यान भी इसी ओर आकर्षित है।

श्री रामचन्द्र पालीवाल—क्या यह सही है कि फिरोजाबाद को छोड़ कर शिकोहाबाद में डिमांस्ट्रेशन भट्ठी लगाई गई है?

माननीय उद्योग सचिव—इसकी तो मुझे सूचना नहीं है लेकिन वहां लगाने के लिए कोई कारण मुनासिब समझा गया होगा।

श्री रामचन्द्र पालीवाल—क्या यह सही है कि जो भट्ठी शिकोहाबाद में लगी है वह पहले फिरोजाबाद में लगाने को थी मगर कांच के विशेषज्ञ ने फिरोजाबाद के कारखानों के ऊपर खफा होकर वह शिकोहाबाद में लगा दी।

माननीय उद्योग सचिव—मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह हमारे विशेषज्ञ से इस सम्बन्धमें बात करलें। सम्भवतः वह समझ जायंगे और इस बात को मान लेंगे कि फिरोजाबाद के अलावा ऐसी डिमान्स्ट्रेशन भट्ठी शिकोहाबाद ने ही मुनासिब है जिसको लोग देख कर फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए सरकार यह मुनासिब समझती थी कि वह वहां से कुछ दूर ही लगाई जाय।

श्री रामचन्द्र पालीवाल—क्या गवर्नमेंट फिरोजाबाद में कांच की तरक्की के लिए वहां विज्ञानशाला और अनुसंधानशाला खोलने के लिए तैयार है ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार फिरोजाबाद के कांच के उद्योग में तरक्की देनेके लिए हर प्रकार की तजवीजों पर गौर करने के लिये तैयार है। जहाँ तक भट्ठी का सम्बन्ध है वह शिकोहाबाद में खोल दी गयी है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में हमारे विशेषज्ञ से बात करलें और उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लें।

पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट आजमगढ़ के मातहत (सरकारी) जीप कार का नीलाम

*५७- **श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट आजमगढ़ के मातहत कोई जीप कार (सरकारी) हाल ही में नीलाम की गयी है ? यदि हां तो उसे किसने कितने रुपये में नीलाम में लिया ?

माननीय पुलिस सचिव—सुपरिंटेंडेंट पुलिस आजमगढ़ के मातहत सन् १९४८ में या इस साल कोई सरकारी जीपकार नीलाम नहीं की गयी। किन्तु सितम्बर २,१९४८ को एक ट्रक जो काम के लायक नहीं रह गयी थी आजमगढ़ के ठाकुर श्री चन्द्रबली सिंह जी के हाथ जिनकी बोली सबसे अधिक थी ५९० रू० पर नीलाम की गयी।

श्री गजाधर प्रसाद—जो ट्रक नीलाम हुई है वह किसके नाम नीलाम हुई है ?

माननीय पुलिस सचिव—वह तो बताया गया है। ठाकुर चन्द्रबली सिंह के नाम नीलाम हुई है।

*५८ **श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नीलाम करने की सूचना आम जनता को किस प्रकार दी गयी थी ?

माननीय पुलिस सचिव—इस ट्रकके नीलाम की सूचना बनारस, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आजमगढ़ में मोटर व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को और कबाड़ियों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा दी गयी थी। लखनऊ में कैसरबाग थाना के नोटिस बोर्ड पर इश्तहार भी चिपका दिया गया था।

*५९ **श्री गजाधर प्रसाद**—क्या यह सच है कि उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट का कहीं दूसरे स्थान पर अभी हाल ही में तबादला हो गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां। श्री अवध नारायन सिंह जो उस समय आजमगढ़ में सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पद पर काम कर रहे थे यह ट्रक उनकी मातहती में नीलाम की गयी थी। श्री अवध नारायन सिंह का तबादला १५ नवम्बर सन् १९४८ ई० को कमांडेंट पी० ए० सी० बटेलियन मुगलसराय के पद पर हुआ।

फिशरीज और एनिमल हस्बैण्डरी की नयी योजनायें

*६०-श्री मुहम्मद असरार अहमद—फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी ने कौन कौन सी नयी योजनायें इस साल तैयार की हैं और उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

माननीय कृषि सचिव—आर्थिक वर्ष १९४८-४९ ई० में फिशरीज ऐण्ड एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट (मछली और पशुपालन विभागों) की जो नयी योजनायें मंजूर की गयीं उनकी एकसूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। इन योजनाओं को चलाने में जो सफलता मिली है उसके बारे में संक्षिप्त टीपें नत्थी की जाती हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६८ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जानवरों के रोग को रोकने के लिये अब तक कितने मोबाइल यूनिट्स कायम हुए हैं ?

माननीय कृषि सचिव—मोबाइल यूनिट तो गालिबन एक है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—बजट में कितने मोबाइल यूनिट्स का प्राविजन किया गया था ?

माननीय कृषि सचिव—जहां तक मुझे याद है, एक का।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—कितने ड्राई कैटिल अब तक ऐसे सेण्टर्स में जमा किये गये हैं ?

माननीय कृषि सचिव—इसके लिये नोटिस चाहिये। ऋषीकेश के पास एक कन्सेण्ट्रेशन कैम्प कायम किया गया है जिसकी इन्चार्ज मीराबेन हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—पिछले साल के मुकाबिले मे इस साल जौनसर बावर के सेण्टर पर कितने लाइव-स्टाक हैं ?

माननीय कृषि सचिव—तादाद के मुतल्लिक तो नोटिस चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ५६१ भैंस, २६१ गायें और ८२ बैल की कीमत के अलावा जो कैटिल पर्चेजिंग आर्गेनाइजेशन है उस पर कितना खर्च हुआ है ?

माननीय कृषि सचिव—यह सवाल जो मुअज्जिज मेम्बर साहब कर रहे हैं वे बिल्कुल नये सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिये मुझे इत्तिला इकट्ठा करने की जरूरत है।

गैर सरकारी किराये पर चलने वाली लारियों के किराये की शरह और सवारियों की संख्या

*६१-श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने गैर सरकारी किराये पर चलने वाली सवारी की लारियों के बारे में भी कोई किराये की शरह और तादाद सवारी निश्चित कर रखी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां, सरकार ने किराये की शरह और हर एक लारी के लिये सवारी की तादाद निश्चित कर दी है। किराये की शरह निश्चित करते समय लारी चलाने की लागत, टूट फूट, श्रम के सिलसिले की सब बातों पर विचार किया जाता है।

श्री बादशाह गुप्त—सवारियों की तादाद तय करने के लिये क्या लारी की कैपेसिटी के अलावा और भी किसी बात का ख्याल किया जाता है ?

माननीय पुलिस सचिव—तादाद जब शुरू में मुकर्रर की जाती है तो लारी की कैपेसिटी ही देखी जाती है जिससे लारी अच्छी हालत में रहे।

*६२-**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार को पता है कि इस नियम का पालन आम तौर पर उसके उल्लंघन में ही होता है ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार के पास कभी कभी इन नियमों के उल्लंघन और खास कर स्थिर की हुई तादाद में अधिक सवारी ले जाने के प्रतिकूल शिकायतें आई हैं।

*६३-**श्री बादशाह गुप्त**—उक्त अनियंत्रण को दूर करने के लिये सरकार ने प्रत्येक जिले में क्या प्रबन्ध किया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अधिकार ग़ैर-सरकारी लोगों को भी दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

माननीय पुलिस सचिव—इनके लिये ट्रांसपोर्ट विभाग में एक इन्फोर्समेंट ब्रांच कायम किया गया है। प्रान्त में १६ स्क्वाड हैं और हर एक के आधीन ३ या ४ जिले हैं। इन स्क्वाड्स का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि नियमों का पालन होता है और उनका उल्लंघन न होने दें। इनके अलावा आर० टी० ओज़० और ए० आर० टी० ओज़० और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के प्रधान कार्यालय के अफसरों का भी यह कर्तव्य है कि गलत कामों को रोके। सरकार ने इस संबंध में ग़ैर-सरकारी लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया है।

श्री बादशाह गुप्त—मैनपुरी किस स्क्वाड में है ?

माननीय पुलिस सचिव—यह आगरा में होना चाहिये।

श्री बादशाह गुप्त—मैनपुरी के साथ साथ और कौन कौन से जिले इस स्क्वाड में हैं और उसका प्रधान दफ्तर कहां है ?

माननीय पुलिस सचिव—यह अलग २ रीजन्स हैं और आगरा रीजन के अन्दर कई जिले हैं और उनका प्रधान दफ़्तर आगरा में है।

श्री बादशाह गुप्त—स्क्वाड का जो प्रधान अफ़सर है उसको किस नाम से पुकारा जाता है ?

माननीय पुलिस सचिव—यहां जो हेडक्वार्टर्स पर हैं वे डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट स्क्वाड कहलाते हैं और जो रीजन्स में हैं वे सर्किल इंस्पेक्टर कहलाते हैं। अब जिलों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के रैंक के आदमियों के चार्ज में रक्खे जाते हैं।

श्री गणेश कृष्ण जैतली—क्या सरकार इन लारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—माननीय सदस्य इस बात के क़ायल हैं कि ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज़ किया जाय और चूंकि गवर्नमेंट बहुत जल्द जल्द नये नये रूट्स ले रही है इस वास्ते ग़ालिबन वह पसन्द नहीं करेंगे कि प्राइवेट लारियों को मौका दिया जाय और तीन महीनों के बाद ही उनसे लारियां वापस ले ली जायं या परमिट्स कैंसिल कर दी जाय।

*६४-**श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिससे उक्त लारियों के मालिकों के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा सरकार द्वारा छपाई हुई डुप्लीकेट रसीदों पर किराया वसूल किया जाया करे ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं, सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

*६५-**श्री बादशाह गुप्त**—(क) दो से पांच तक और छै और छै से अधिक स्टेज प्राइवेट और पब्लिक कैरियरों के परमिट रखने वाले व्यक्तियों की संख्या पृथक-पृथक क्या है?

(ख) इनमें से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या पृथक-पृथक क्या है?

(ग) इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से अप्रैल १९४६ ई० के बाद परमिट पाने वालों की पृथक-पृथक संख्या क्या है?

माननीय पुलिस सचिव—(क) एक विवरण पत्र मेज़ पर रख दिया गया है।

(ख), (ग). ऐसी सूचना ट्रांसपोर्ट दफ्तर में नहीं रखी गयी। अगर मा० मेम्बर चाहें तो यह सूचना परमिट पाने वालों से पूछ कर इकट्ठा की जा सकती है परन्तु इसमें बहुत समय लगेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७२ पर)

गाज़ीपुर में वर्तमान बिजली कम्पनी के ठेके की अवधि

*६६-**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाज़ीपुर में मौजूदा बिजली कम्पनी का ठेका कब तक रहेगा?

श्री लताफत हुसैन—जून १४, १९६४ तक।

*६७-**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड गाज़ीपुर ने कई बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि यह ठेका बदल दिया जाय, परन्तु ठेका फिर भी नहीं बदला गया?

श्री लताफत हुसैन—सरकार के पास इस आशय का एक प्रस्ताव जून १९४६ में आया था परन्तु कम्पनी के विरुद्ध इण्डियन एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४ (१) के आदेशानुसार कोई खास खराबी नहीं पाई। इसलिये लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। इसकी सूचना कमिश्नर द्वारा म्युनिसिपैल्टी को भेजी गई थी। बोर्ड ने मार्च १९४७ में फिर लिखा कि कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाय। विद्युति निरीक्षक के जांच करने पर यह पता चला कि वहां के पावर हाउस में कोई खराबी नहीं है। मगर वह मांग को पूरा नहीं कर सकता और इसके लिए दूसरा इंजन लगभग दो साल हुए मंगाने को लिखा था मगर अभी वह आया नहीं है। आने पर २४ घंटे बिजली मिलने लगेगी।

*६८-**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या यह सही है कि गाज़ीपुर में केवल एक सड़क पर ही बिजली की रोशनी है और दूसरी सड़कों पर, जैसे स्टेशन रोड इत्यादि, रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं। मियांपुरा मिश्री बाजार से रेलवे स्टेशन और डाकघर से गोरा बाजार के अलावा लगभग सभी सड़कों पर रोशनी है। स्टेशन वाली सड़क पर बिजली अभी नहीं है, किन्तु म्युनिसिपैल्टी के चाहने पर कम्पनी वहां रोशनी का प्रबन्ध कर सकती है।

*६९-**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या यह सच है कि वर्तमान बिजली कम्पनी ने केवल रोशनी के लिए बिजली दी है और पंखा इत्यादि के लिए नहीं?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं, बिजली रोशनी और पंखे दोनों के लिये दी जाती है।

मिर्जापुर में विद्युत सप्लाई के बारे में पूछताछ

*७०-श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि:—

(क) मिर्जापुर में विद्युत सप्लाई का कार्य किस कम्पनी के द्वारा हो रहा है ?

(ख) उक्त कम्पनी का ठेका कब प्रारम्भ हुआ है और कब तक चालू रहेगा ?

(ग) क्या मिर्जापुर म्यूनिसिपैलिटी के साथ उक्त कम्पनी की कुछ शर्तें निश्चित हुई हैं ? अगर हैं, तो वे कौन शर्तें हैं ?

(घ) वर्तमान बिजली रोशनी की क्या दर है ?

(ङ) क्या रोशनी की दर पंखे, रेडियो, स्टोव, औद्योगिक मोटरों की दर में अन्तर है ? अगर हां, तो कितना और किन रूप में ?

(च) क्या मिर्जापुर की बिजली कम्पनी का दर प्रान्त की अन्य बिजली कम्पनियों की दर से ऊंचा है ? अगर हां, तो किस जिले की किस कम्पनी से कितना ? और नीचा है, तो किस कम्पनी से कितना ?

श्री लताफ़त हुसैन—(क) मेसर्स मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड।

(ख) उक्त कम्पनी का ठेका अगस्त २४-१९२९ को प्रारम्भ हुआ और अगस्त २४-१९७९ तक चालू रहेगा।

(ग) कम्पनी और म्युनिसिपल बोर्ड के बीच में सड़कों पर रोशनी के वास्ते बिजली देने के लिये एक इक़रारनामा है जिसकी शर्तें सरकार को मालूम नहीं है।

(घ) वर्तमान दरें बिजली की रोशनी देने के लिए निम्नलिखित हैं जिन पर आज कल १५ फी सदी वार कास्ट्स सरचार्ज भी लिया जाता है।

१. रोशनी, पंखा, रेडियो और घर के कामों में इस्तेमाल होने वाली मोटरों (जो कि आधा हार्स पावर से अधिक शक्ति की न होंगी) का दर आठ आना फी यूनिट है पर बिल को १५ दिनों के अन्दर चुका देने में २५ प्रतिशत कमीशन दे दिया जाता है। इससे फी यूनिट बिजली की दर छै आना ही होती है।

२. बाजार में दुकानों पर बिजली देने पर जिसकी माप मीटर द्वारा नहीं होती और एक ही ४० वाट का बल्ब जो कि दिन में ५ घण्टे से अधिक न जलाया जाय तो दो रुपया प्रतिमास के हिसाब से प्रत्येक दुकान से लिया जाता है।

(ङ) विभिन्न कार्य के लिए बिजली इस्तेमाल करने के लिए भिन्न-भिन्न दरों की सूची माननीय सदस्य की मेज़ पर रक्खी हुई है।

(च) बिजली देने का दर हर कम्पनी में अलग अलग है। कुछ कम्पनियों का दर मिर्जापुर की बिजली के कम्पनी के दर से ऊंचा है और कुछ में नीचा। किन्तु यह कहा जा सकता है कि मिर्जापुर के बराबर वाले पावर हाउस वाली प्रान्त की अन्य कम्पनियों के दरों में और मिर्जापुर के दर में प्रायः समानता ही है। इसके अतिरिक्त प्रान्त भर की कम्पनियों के विभिन्न कार्य में इस्तेमाल होने के लिए बिजली देने के दरों की एक वृहद तालिका मेरी मेज़ पर रक्खी है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसे देख सकते है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७२ पर)

श्री विद्यानन्द मिश्र—क्या सरकार को ... बोर्ड और बिजली कम्पनी के बीच में निश्चित किये गये इकरारनामे की प्रति को प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—कोई दिक्कत नहीं हुई।

श्री विद्यानन्द मिश्र—क्या सरकार मिर्जापुर बिजली कम्पनी के दर को घटाने के लिये प्रयत्नशील है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—अगर इलेक्ट्रिक रेट का घटना बहुत मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट इंडिया का नया कानून जो है उसके मुताबिक जिस क़दर नफ़ा किसी को मिल सकता है उससे ज्यादा अगर वह न लेता हो तो उसकी दर नहीं घटाई जा सकती है।

४८. श्री विद्यानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली रोशनी तथा औद्योगिक कार्य के लिये विद्युत शक्ति (पावर) प्राप्त करने की कितनी दरख्वास्तें सरकार के या बिजली कम्पनी व्यवस्थापक के पास पड़ी हैं और उन पर किस उसूल से स्वीकृति दी जा रही है ?

श्री लताफत हुसैन—बिजली कम्पनी के पास रोशनी के लिये ८४१ प्रार्थना पत्र १ जनवरी १९४३ से लेकर अब तक आये हैं और इनमें से २८५ प्रार्थियों को बिजली दी जा चुकी है। इसी प्रकार २० जून १९४६ से लेकर अब तक २८८ प्रार्थना पत्र औद्योगिक कार्यों के लिये आये हैं और इनमें से १७ प्रार्थियों को बिजली दी जा चुकी है।

रोशनी के लिए प्रार्थना पत्रों के कम्पनी में प्राप्त होने की तारीख के अनुसार बिजली कम्पनी के द्वारा दी जाती है। उद्योग धन्धों के लिए कम्पनी प्रार्थना पत्रों को इकट्ठा करके सरकार की मंजूरी के लिए भेज देती है और सरकार उन उद्योग धन्धों की आवश्यकता पर विचार करते हुए अपनी मंजूरी देती है। सरकार द्वारा मंजूर किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के अनुसार कम्पनी प्रार्थियों को बिजली देती है।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष तारांकित प्रश्न ९ जुलाई, सन् १९४९ के कार्यक्रम में रख दिये गये।)

सन् १९४९ के यूनाइटेड प्राविंसेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही को वैध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना।

माननीय पुलिस सचिव—मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज़ मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाहियों को वैध करने के) अध्यादेश, मेंटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन) आर्डिनेन्स, की प्रतिलिपि (यहां छापी नहीं गई है) मेज़ पर रखता हूं।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

माननीय स्पीकर—अब हम माननीय प्रधान सचिव के इस प्रस्ताव पर कि संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय विचार करेंगे। कल श्री रोशन ज़मां खां इस पर बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रोशन ज़मां खां—जनाब स्पीकर साहब, हमने जमींदारी की यह बहस हमारे सूबे में एक तारीखी अहमियत रखती है। आज से पहले जो इस सूबे के रहने वालों के साथ किये गये थे

उनके दूर करने के तरीकों पर बहस हो रही है। सच तो यह है कि इस वक्त कांग्रेस आर्गनाइजेशन अपने इम्तिहान की घड़ी से गुजर रही है। कांग्रेस ने क्लासलेस सोसाइटी (वर्गविहीन समाज) बनाने के लिये बार बार वादे किये और अभी इस साल ही जब कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ था उसमें उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी (वर्गविहीन समाज) बनाने का दावा किया है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी एक इम्तिहान के दौर से गुजर रही है इसलिये कि उसने अगस्त सन् १९४६ में जमींदारी को खत्म करने के लिये एक तजवीज पास की थी, और उसने तीन साल तक या तीन साल के करीब तक इस मसले में इल्तवा की, अपोजीशन भी एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहा है इसलिये कि उसकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वह ऐसे अहम मौके पर अपने सुझावों को पेश करे। देखना यह है कि हम जमींदारी क्यों मिटा रहे हैं और जिस तरह से इस बिल के जरिये से जमींदारी मिटाई जा रही है क्या वह अगराज़ और मकासिद पूरे होते हैं जिनके लिये आज जमींदारी को मिटाने की जरूरत पेश आई है या नहीं? जहां तक गोर किया गया है जमींदारी मिटाने के अगराज़ व मकासिद चार हैं। सब से पहली बात तो यह है कि जमींदारी मिटा देने से इस सूबे की पैदावार बढ़ जायगी, दूसरे यह कि जो अदम तमावात, इनइक्वलिटी (नाबराबरी) और एक्स्प्लायटेशन, शोषण और खून चूसना है वह खत्म हो जायगा। तीसरे यह कि जो अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ यानी अनार्थिक या छोटी छोटी खेती है वह खत्म हो जायेगी और उनकी जगह हम एकनामिक होल्डिंग्ज़ यानी आर्थिक खेती कायम करेंगे। भविष्य में सहयोगी खेती की जायगी।

चौथे यह कि जमींदारी अबालिशन के जरिये हम ज़मीन का फिर से बटवारा करेंगे। अगरचे जमीन के बटवारे के मसले को हमने इस फेहरिस्त में आखरी जगह पर बयान किया है लेकिन चूंकि कल मेरी तकरीर के आखिरी हिस्से में जमीन के फिर से बटवारे की बात आ गयी थी इसलिए मैं पहले उसी पर कहूंगा। खुसूसन इसलिए कि हमारे माननीय वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान में मुआवजा और जमीन के फिर से बटवारे के सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी का खास तौर पर जिकर किया और जहां तक जमीन का फिर से बटवारे का सवाल है उसमें उन्होंने हमारी पार्टी का मज़ाक सा उड़ाया। यह सही है कि सोशलिस्ट पार्टी २० बीघा जमीन और एक गाय का नारा लगाती है और यह भी सही है कि सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि जमीन का फिर से बटवारा किया जाय ताकि कोई खानदान, कोई कुटुम्ब हमारे सूबे का ऐसा न हो जिसके पास १२½ एकड़ या २० बीघा पक्का या ६० बीघा कच्चा न हो और ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग जो खेत का रकबा हो वह सोशलिस्ट पार्टी ने ३० एकड़ माना है। हमारे वज़ीर आजम साहब ने फरमाया था कि जमीन कोई रबर नहीं है। मुमकिन है कि हमारे वज़ीर आजम साहब ने किसी खास लहजे में यह बात कही हो और ताना दिया कि सोशलिस्ट पार्टी २० बीघा और एक गाय बल्कि हाथी भी देगी। लेकिन मैं इस बात को कहने में शर्म महसूस नहीं करता कि सोशलिस्ट पार्टी की यह कोशिश है कि हमारे सूबे के हर आदमी के पास न सिर्फ २० बीघा जमीन और एक गाय हो बल्कि एक हाथी और एक घोड़ा और एक मोटर भी हो। बहरहाल हमारी यह कोशिश जारी है और देखना यह है कि हम कहां तक इसमें कामयाब होते हैं। अब मैं जमीन के बटवारे पर आता हूं। कल हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि अगर जमीन का फिर से बटवारा किया जाय तो एक खान्दान के लिए साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा का

[श्री [illegible]]

[illegible] मुझे अफसोस है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उन अदाद व शुमार को [illegible] उनको मिले हैं उन्हीं को बहस में लिया है। [illegible] अदादोशुमार इनके खिलाफ हैं उनको नज़रन्दाज़ कर दिया है। यह सही है कि [illegible] मज़रूआ रकबा ४१३ लाख एकड़ का है जो जोता जाता है और यह भी सही है कि १२२ लाख काश्तकार [illegible] हैं जिनका नाम कागजात में दर्ज है। और इसी अदादोशुमार [illegible] साहब ने यह कहा था कि साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा पड़ता नहीं [illegible] लेकिन [illegible] वज़ीर आज़म साहब ने [illegible] की जो रिपोर्ट है उसके अदादो शुमार को नज़रन्दाज़ कर दिया। हमारे सूबे की जो सेन्सस रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे सूबे में १२५ लाख [illegible] हैं जो मज़दूरी का काम करते हैं, उनमें से ९० लाख खेती का काम करते [illegible] इन ९० लाख के लिए किस तरह से हिसाब लगाया जाय ताकि बटवारे का [illegible] हो सके। इन ९० लाख वर्किंग हैंड्स के सिलसिले में जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट [illegible] कहना है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक खानदान में [illegible] ४.० आदमी हो वर्किंग हैंड्स २-२ होते हैं। अगर तकसीम किया जाय तो मालूम होता है कि हमारे सूबे में ४१ लाख खानदान हैं। हमें इस बात पर सख्त एतराज है कि जो १२२ लाख काश्तकार हैं जिनके नाम कागजात में दर्ज है उन्हीं को खानदान मान लिया गया। हकीकत यह है कि अगर समिति की रिपोर्ट और सेन्सस की रिपोर्ट पढ़ी जाय तो जो ९० लाख वरकिंग हैंड्स हमारे सूबे में हैं वह ४१ लाख खानदानों में तकसीम हैं जैसा कि हिसाब लगा कर अभी बताया [illegible]।

[illegible] आराज़ी का सवाल है, यह सही है कि वह कुल ४१३ लाख एकड़ [illegible] लेकिन जब हम [illegible] का बटवारा करते हैं तो जो आराज़ी परती पड़ी हुई है उनको नजर-अन्दाज नहीं कर सकते वह [illegible] आराज़ी और ऐसी गैर मज़रूआ आराज़ी का रकबा जिसमें न [illegible] है न [illegible] है, न कोई और ऐसी चीज़ है जो जोतने में रुकावट हो ५ करोड़ एकड़ के [illegible] हैं। अब ४१ लाख खानदान को अगर ५ करोड़ एकड़ आराज़ी देना चाहें तो हम [illegible] कि [illegible] जिस तरह से बंटवारा करना चाहती है [illegible] और [illegible] खानदान को हम १० १२ एकड़ दे सकते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि [illegible] की रिपोर्ट में ज़मीन के फिर से बटवारे के सवाल को बहुत अहमियत [illegible] और यह कहा गया कि वह ज़रूरी है, इसमें सोशल जस्टिस का सवाल है और यह होना चाहिये, [illegible] रि-डिस्ट्रीब्यूशन (पुनः वितरण के लिये बहुत मज़बूत [illegible] है) यह भी कहा गया कि यह होना बहुत ज़रूरी है और अगर यह नहीं किया जाता है तो इसके मानी यह है कि जो सेशन [illegible] हो रही है वह बेकार है। लेकिन जिस बिना पर ज़मींदारी अबालीशन रिपोर्ट ने इस चीज़ से गुरेज़ किया गया वह यह था कि बड़ा डिस्कन्टेंट होगा, बड़ी बेचैनी होगी। मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि जमीन का बटवारा जरूरी है, फिर से बटवारा इन्साफ के मुताबिक है तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा डिस्कन्टेंट, असन्तोष या बेचैनी की वजह से गुरेज़ नहीं करना चाहिये।

इस बटवारे के सिलसिले में बटवारे के मुताल्लिक जब कमेटी ने राय का इज़हार किया तो उसके बाद उसने चन्द चीज़ों का ख्याल रखकर यह लिखा है कि यह तो प्रैक्टीकल शेप नहीं अख्तियार कर सकता लेकिन मैं प्रवर समिति से अर्ज़ करूंगा कि हुकूमत को चाहिये कि जमीन के अज़सरे नौ बटवारे के मसले को फिर से तय करे और इस चीज़ के लिये जहां तक हो सके इस बिल में गुंजाइश हो। अगर फैमिली होल्डिंग के लिये यह बात मान भी ली जाय कि हर आदमी को साढ़े बारह एकड़ नहीं मिल सकता तो भी इससे हुकूमत के मुजरने को कोई मज़बूती नहीं हासिल होती है। आपने जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में १० एकड़ को एकोनामिक होल्डिंग्स मानी है। अब इस बिल में एकोनामिक होल्डिंग्स की कोई तारीफ़ ही नहीं दी है, लेकिन जब बटवारे के मसले का ज़िक्र आप इस बिल में करते हैं तो कहते हैं कि सवा छः एकड़ से कम आराज़ी का बटवारा नहीं हो सकता। इससे अगर यह नतीजा निकल सकता है कि आप सवा छः एकड़ आराज़ी को एकोनामिक होल्डिंग मानते हैं तो भी आपके लिये जरूरी है कि आप फिर से बटवारा करें। आप यह कहते हैं कि हमारे सूबे में सबको आराज़ी नहीं मिल सकेगी। अगर सबको देना चाहें तो ४१ लाख काश्तकारान को आज एकानामिक होल्डिंग्स नहीं दे सकते हैं लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर आप २० ही लाख काश्तकारों को तो आप हिसाब के मुताबिक एकोनामिक होल्डिंग्स दे सके तो भी देना जरूर कीजिये। क्योंकि इससे आपका कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ेगा जो मुनासिब है और जिसका एक अच्छा असर पैदा होगा, जिसके जरिये से हमारे सूबे में बहुत बड़ा इन्क़लाब होगा और बहुत बड़ी तरक्की पैदा होगी। अगर जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता है तो उससे न तो जमींदारी खत्म करने का जो मकसद है वह पूरा हो सकता है और न इससे और कोई फ़ायदा हो सकता है।

अब मैं दूसरे मसायल पर आता हूं। लेकिन कब्ल इसके कि मैं उन मसायल पर आऊं मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पूरा बिल पढ़ने के बाद और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरे ऊपर जो असर हुआ वह यह था कि:

'थी खबर गर्म कि ग़ालिब के उड़ेंगे पुर्ज़े, देखने हम भी गये थे पै तमाशा न हुआ।'

इस बिल को पढ़ने के बाद जो नतीजा निकलता है वह यह है कि हुकूमत को सबसे ज्यादा जो फ़िक्र है वह यह है कि जमींदार साहबान को, बड़े जमींदार साहबान को खुश करना है, मुआविजा ज्यादा देना है। और इस ज्यादा मुआविजा देने के लिये कहीं न कहीं से रुपया लाना है। यह एक सबसे बड़ा नुक्तेनजर था। इसी नुक्ते नजर से उन्होंने सारे बिल को तैयार किया और जिस तरीके से मुमकिन हो सका उन्होंने रुपया जमा करने की कोशिश की। चुनाञ्चे इससे पहले जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में मुनाफ़े का एक ग्रेडिंग स्केल रखा गया था। उसमें यह था कि बड़े जमींदार का मुनाफ़े का तीन गुना मुआविजा दिया जायगा। अब आठ गुना कर दिया गया है। और छोटे जमींदारों के लिये पहले पच्चीस गुना रखा गया था वह अब सिर्फ़ आठ गुना कर दिया गया है और रिहेबिलिटेशन ग्रांट के नाम से जो दिया गया है छोटे जमींदारों के लिये वह भी कम है। इससे नतीजा यह निकला कि आप [(एक आवाज) उस पर भी मैं अर्ज करूंगा, आप घबराएं नहीं।] जनाबवाला, तक़रीर का सिलसिला खराब करने की कोशिश हमारे लायक दोस्त कर रहे हैं। तीन गुना और दस गुना की बात नहीं है। पहले आपने बड़े जमींदारों के लिये आठ गुने से कम मुआविजा रखा था। लेकिन आज आपने उस फैसले को बदल

[श्री मोहनलाल गौड़]

दिया है। समिति की रिपोर्ट में पहले आपने २०० रु० मालगुजारी देने वाले को छोटा जमींदार माना था, लेकिन अब आप पांच हजार रु० मालगुजारी देने वाले को छोटा जमींदार मानते हैं और उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देते। रिहैबिलिटेशन ग्रांट ने, आपने सोशलिस्ट पार्टी से लिया है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उनके मुताल्लिक मैं बाद में अर्ज करूंगा। बीच बीच में बोलने से आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है और यह न समझें कि इससे मैं डर जाऊंगा और तकरीर न करूंगा। आपको भी मौका मिलेगा। इस वक्त, मैं साफ साफ कह देता हूं कि, आपको अख्तियार होगा कि जिस कदर मुझे सुनाना चाहें सुनाएं और मेरी पार्टी की तजवीजों में जिस कदर खामियां हों बताइये मैं निहायत शुक्रिये के साथ कबूल करूंगा। ऐसा वही होता है जिसका मुकद्दमा कमजोर होता है। बहरहाल, जनाबवाला, मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से कम्पेन्सेशन के मामले में हुकूमत ने यह कोशिश की कि जिस तरह से मुमकिन हो रुपया हासिल किया जाय। यह बात इस वजह से भी है कि प्राविन्शियल हाई कमांड में जमींदारों का बहुत ज्यादा जोर है। इसके अलावा बड़े जमींदारों ने जो कुछ एजीटेशन इस सूबे में किया है उसका बहुत काफी असर हमारी हुकूमत के ऊपर पड़ा है। यह था नतीजा है जिसकी बिना पर हुकूमत ने अपने उस फैसले को बदल दिया जो उसने समिति की रिपोर्ट में पहले अख्तियार किया था।

हम इस हद तक गवर्नमेन्ट के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने रिहैबीलिटेशन ग्रांट के मसले को सोशलिस्ट पार्टी से लिया। यह जरूर है कि इसने जिस तरह से इस सवाल को पेश किया था उसकी शक्ल व सूरत बदल दी है लेकिन वह वही चीज़ है और यह निहायत खुशी की बात है कि आपने आखिर रिहैबीलिटेशन ग्रांट के मसले को लिया तो सही। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब सोशलिस्ट पार्टी ने रिहैबीलिटेशन ग्रांट की बात कही थी तो उस वक्त जो पूरी बात थी वह यह थी कि हम इस सूबे के किसी जमींदार को ग्रासरटी कम्पेंसेशन देने को तैयार नहीं हैं लेकिन रिहैबीलिटेशन कम्पेंसेशन देना चाहते हैं, लेकिन इस बिल में वह चीज नहीं रखी गई है। और यह भी कहा था कि चूंकि इस सूबे में जमींदारी मिटाने के लिये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कोशिश करनी चाहिये इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने यह भी कहा था कि हम किसी शख्स को किसी भी हालत में एक लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार नहीं हैं। सोशलिस्ट पार्टी की पूरी बात जो थी उसको तो हुकूमत ने नहीं लिया लेकिन बहरहाल रिहैबीलिटेशन ग्रांट के नाम से एक चेप्टर कायम जरूर किया गया है और इस बात की कोशिश की है कि रिहैबीलिटेशन ग्रांट के नाम से मुआवजा देना चाहिये। जैसा कि मैंने अर्ज किया है।

इस रिहैबीलिटेशन ग्रांट के बारे में दो बड़े एतराज़ यह हैं कि जो लिमिट रखी गई है कि कौन छोटा जमींदार है और कौन बड़ा जमींदार है और कौन वह लोग हैं जिनको रिहैबीलिटेशन ग्रांट मिलना चाहिये और कौन वह लोग हैं जिनको वह न दिया जाये। इस बारे में मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सख्त एतराज़ करता हूं। आपने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में छोटे जमींदारों की यह तारीफ की थी कि जो २५० रुपये तक मालगुजारी देते हैं वह सब छोटे जमींदार हैं। उनकी तादाद ९८ दशमलव कुछ थी यानी साढ़े अठानवे फीसदी बताई थी। अब आपने इस बिल के जरिये से सिर्फ ८०४ जमींदारों को छोड़ा है। आपने यह भी बताया है कि

जो ५००० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद ८०४ है। अब आपने इस बिल के जरिये से ८०४ आदमियों को छोड़ दिया जो प्रापर्टी कम्पेन्सेशन पायेंगे। बाकी सब आदमियों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट देते हैं। मैं यहां पर यह गुजारिश करूंगा कि जो २५० रुपये तक मालगुजारी देते हैं उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलनी चाहिये बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिये।

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस इस बिल में कुछ अजीब-अजीब बातें रखी गई हैं जो एक दूसरे को कांट्रेडिक्ट करती हैं और कुछ नामुनासिब बातें भी हैं। इस बिल में यह भी कहा गया है कि जिस कदर जमींदारी है वह एक नोटिफिकेशन के बाद महा मुहिम यानी हिज़ मैजेस्टी में वैस्ट करेगी। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हिज़ मैजेस्टी के बजाय यह होता कि जिस कदर जमींदारी है वह सब इंडियन यूनियन में वैस्ट करेगी तो बात ठीक थी। एक तरफ़ तो आप यह कहते हैं कि हुकूमत बरतानिया से हमारा बरायनाम ताल्लुक है और हम सावरेन रिपब्लिक हैं। ऐसी सूरत में जमींदारी सब नोटिफिकेशन के बाद हिज़ मैजेस्टी में वैस्ट करेगी कोई मानी नहीं रखती और इस बात का प्रोवीज़न होना चाहिए कि सारी आराज़ी सावरेन इंडियन रिपब्लिक के नाम में वैस्ट करेगी। हां इसमें एक सवाल उठ सकता है वह यह कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट यह कहता है "हिज़ मैजेस्टी (सम्राट) देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं" और यह कहता है कि सबको एक ही रेट्स से आराज़ी के दाम दो, वगैरह वगैरह। लेकिन यह कमज़ोरी है। क्योंकि "जहां इरादा है वहां रास्ता निकल भी आता है"। अब तो सब अख्तियारात हिंदुस्तान के आदमियों के हाथ में हैं। आज सूबे से लेकर सेंट्रल तक, सब जगह कांग्रेस की हुकूमत है। अगर कांग्रेस अपने "मैनीफेस्टो" का लिहाज़ करती है तो उसको इस पर अमल करने के लिये तैयार होना चाहिये। जब कांग्रेस अमल करने को तैयार हो जायगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो सकती है। आप कंस्टीटुएन्ट असेम्बली में एक बिल लाइये जिसके जरिये से आप गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट को तब्दील कर दें। अगर आप ऐसा कर देंगे तो जो ज़रूरतें हैं वह सब पूरी हो जायंगी।

दूसरी चीज़ जो काबिले एतराज़ है वह यह है कि दफ़ा ५ और ६ के पढ़ने से यह नतीजा निकलता है कि ज़मींदारी को सूबे से मिटाने के लिये चले तो हैं लेकिन एक साथ सारे सूबे में नहीं मिटाना चाहते हैं। क्योंकि आप फरमाते हैं कि इस ऐक्ट का निफाज उन हिस्सों में और उन ज़िलों में होगा जहां हुकूमत मुनासिब समझेगी और जब कभी जहां के लिये हुकूमत नोटीफिकेशन जारी करेगी उस पर एप्लाई होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह चीज़ गलत है। इसमें फेवरटिज्म होने का अन्देशा है। और जो मुल्क में डिस्कन्टेन्मेंट फैला हुआ है उसमें इज़ाफ़ा होने का अन्देशा है। इसलिये सारे सूबे में जमींदारी एक साथ मिटाइये न कि टुकड़े टुकड़े करके मिटायें।

तीसरी बात यह है कि यह कतई नामुनासिब है कि जो टिलर्स आफ़ दि स्वायल हैं उनको कोई सिक्योरिटी आफ़ टिन्योर नहीं दिया गया है। यह जरूर है कि आप भूमिधर को प्रोप्राइटर बना रहे हैं ओर आप उसे बेचने, हिबा करने और वसीयत करने का अख्तियार दे रहे हैं मगर जैसा कि मैं आगे अर्ज करूंगा, वह भी महफ़ूज़ नहीं हैं। आप जिस तरह से मालगुजारी वसूल करना चाहते हैं उससे मैं समझता हू कि उसका भला नहीं है लेकिन मैं खास तौर से आदिवासी काश्तकारों के वास्ते अर्ज करूंगा कि उनके लिये जो प्राविज़न किया गया है वह काफ़ी नहीं है। आपको ऐसा कानून बनाना चाहिये कि बकाया लगान में भी बेदखली न हो सके।

[illegible]

[illegible] है [illegible] कि [illegible] हुकूमत को [illegible]

[illegible] के बारे में हुकूमत [illegible] इस बात के लिए [illegible] है, [illegible] कर दिया जाय। इस बात [illegible] जो कुछ [illegible] में [illegible] दिया जाय। इससे [illegible] है कि [illegible] जो [illegible] कमेटी [illegible] होता तो वहाँ [illegible] जो [illegible] हूँ कि [illegible] वजीर आजम [illegible] के बाद [illegible] के मुकाबले में [illegible] थी।

[illegible] के [illegible] था कि [illegible] इसके [illegible] सिलेक्ट कमेटी [illegible] कि क्या तरमीमें होना चाहिए। [illegible] बड़े हैरत की है कि [illegible] उनके बारे में इस बिल में कोई [illegible] नहीं किया गया है। [illegible] कमेटी [illegible] है उसमें खेतिहर मजदूरों के साथ बड़ी हमदर्दी का इज-हार किया गया है और फिर अपनी दिक्कतों का [illegible] करके यह बतलाया है कि हम मजबूर हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि आपको खेतिहर मज-दूरों के बारे में [illegible] करना चाहिए और आपने कोई [illegible] इनके बारे में नहीं किया तो उसका नतीजा यह होगा कि [illegible] और इससे हमारे सूबे को निहायत नुक-सान पहुँचेगा। इसके अलावा एक और खतरा है कि अगर खेतिहर मजदूरों ने अपना संगठन कर लिया तो फिर [illegible] हुकूमत को ही बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ [illegible] है कि अगर इन भूखे, नंगे और बीमार खेतिहर मजदूरों को मुल्क के

हुकूमतों ने अपने हाथ में ले लिया तो मुल्क की बहुत खिदमत होगी तो ज्यादा। लिहाजा मैं अर्ज करता था कि कैपिटल सरकुलेशन का मसला इतना मामूली मसला नहीं है कि आप उसको जमींदारी एबोलिशन बिल से दरगुजर कर दें और आप उस पर गौर न फरमायें, एक और चीज निहायत इन्टरेस्टिंग है और वह यह है कि अगर भूमिधर लोग अपनी आराजी तीन न जोतें, दो साल तक या तीन साल तक न जोतें तो उनके लिये कोई पेनल्टी नहीं है लेकिन जब आसामी का सवाल आता है तो इस बिल में यह लिखा गया है कि अगर वह दो साल तक न जोतें, जानवरों की परवरिश न करें तो वह अपने हक से महरूम हो सकता है। मैं इसको बहुत सख्त काबिलेएतराज समझता हूं क्योंकि यह बेइंसाफी पर मबनी है। यह मुनासिब नहीं है कि आप इस बिना पर सिर्फ आसामियों को उनके हुकूक से महरूम कर दें कि उन्होंने दो साल तक नहीं जोता। यह उसूली चीज हो सकती है कि किसी शख्स को यह हक न होगा कि वह आराजी ले ले और फिर उसको न जोते लेकिन यह केवल आसामियों पर रखा जाना मुनासिब नहीं है, भूमिधर पर भी इसको लागू होना चाहिए और सिलेक्ट कमेटी स्टेज पर हम इसके पर गौर करना चाहिए। एक चीज हमारे सूबे में चली आ रही है। अगर मौरूसी काश्तकार मर जाय और उसके हुकूक खत्म हो जायं तो ऐसी सूरत में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट और दूसरे कानूनों में यह कायदा रहा है कि जो उसके शिकमी हों उनके भी हुकूक खत्म हो जायं।

मुझे अफसोस है कि इस बिल में भी वही पुराना रिवाज रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस मसले पर भी हुकूमत को सेलेक्ट कमेटी में निहायत संजीदगी के साथ गौर फरमाना चाहिये। एक और मुसीबत जो हमारे सूबे में ८ अगस्त १९४६ के बाद से हो गई है वह यह कि जब इस असेम्बली ने यह कानून पास कर दिया कि यहां पर जमींदारी खत्म कर दी जायगी तो उसके बाद खलिहान, तालाब या दूसरे ऐसे मुकामात जो मुश्तरका इस्तेमाल हो सकते हैं, जो गांव भर के इस्तेमाल के लिये थे, जो किसी एक आदमी की आराजी नहीं थी, उसको भी जमींदार साहबान ने लगान लेकर लेट कर दिया, लगान पर उठा दिया। ऐसे पट्टों को बिल्कुल मन्सूख हो जाना चाहिये और वह आराजी जल्द से जल्द फिर उसी तरह से विलेज कम्युनिटी या पंचायतों के हाथ में दे देना चाहिये।

श्री साजिद हुसैन—ग्रो मोर फूड कम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन) के सिलसिले में दी गई है।

श्री रोशन जमा खां—हमारे बगल में बैठे हुये दोस्त साजिद हुसेन साहब जो ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन के मेम्बर भी हैं, फरमा रहे हैं कि ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में दी गयी है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे लायक दोस्त को पैदावार बढ़ाने की बड़ी फिक्र है। बहरहाल देखना यह है कि उनके दिल में इस सूबे की पैदावार बढ़ाने का कितना खयाल है और उनके जमींदारों को गरीबों के साथ कितनी हमदर्दी है।

एक और बात, जो उसूली तौर पर गलत है इस बिल में रखी गई है वह यह है कि असामियों का जो जमींदार से तयशुदा लगान है वही लगान उनको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुल्क जिस स्टेज से गुजर रहा है और दुनिया के जो हालात सबको दिखाई दे रहे हैं, उससे यह मुनासिब नहीं है। यह साफ है कि जमींदार साहबान ने हकों का गलत इस्तेमाल किया और जो मालदार तबका है उसने गरीबों से फायदा उठाया। रफ्ता-रफ्ता ऐसे दर (रेट) बने जो

[श्री [illegible] खां]

[illegible] रेंट या इकानामिक रेंट कहे जाते हैं उस रेंट के बमूजिब जो [illegible] जाय। मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी इस पर गौर फरमाये। [illegible] को [illegible] है, वह किसी तरह मुनासिब नहीं। क्योंकि [illegible] यह है कि [illegible] आसामी है और इनके हकूक का [illegible] चाहिये। १९४६ ई० में जो प्राविंशल असेम्बली में पेश की गई थी [illegible] को उनके हकूक दिलायें और उनके हकूक किसी तरह [illegible] सोशलिस्ट पार्टी का रेंट के बारे में कहना है कि एकानामिक रेंट लेना चाहिये, और वह रेंट ऐसा हो कि जो उनके खाने पीने से मुनाफ़ा हो, बचत हो, उसी को [illegible] अभी तो फ़र्क़ केवल इतना है कि पहले जमींदार के अहलकार लगान वसूल करने जाते थे और अब गवर्नमेंट का आदमी जायगा। इससे काश्तकारों को किसी इन्क़िलाब का एहसास नहीं हो सकता। फिर जो सोशलिस्ट पार्टी अब भी यही कहती है कि जो लगान आसामियों के लिये, या जो मालगुजारी भूमिधरों के लिये आप मुकर्रर कर रहे हैं वह ज्यादा है, उसको कम कीजिये [illegible] और दूसरे लोगों के लगानों को भी आपको कम करना चाहिये, ताकि उनको यह एहसास हो सके कि आज जमींदारी खत्म हुई है और उन्हें वाकई तौर पर फायदा पहुंचा है।

मैं महसूस करता हूं जैसा कि मैं अभी आगे अर्ज करूंगा कि इसमें सारी बुनियादी ग़लती यह है कि कम्पेन्सेशन देने और कम्पेन्सेशन ज्यादा देने की बात ध्यान में रखी गई है उसी ने यह सब खराबी कराई है। जमींदारी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि छोटे खाने वाले किसानों के लगान में कमी कर दी जायगी लेकिन यह कमी भी मौजूदा बिल में नहीं रखी गई है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह सब चीज़ उस डामीनेटिंग आइडिया से आई कि कहीं से वह रुपया लाया जाय जिससे ताल्लुकेदारों को खुश किया जा सके। इसलिये इस बुनियादी ग़लती के बिना पर और सब ग़लतियां हुई हैं। इस बिल में यह कहा गया है कि इस सूबे में बंदोबस्त ४० साल के बाद होगा। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह चीज़ ज्यादा मुनासिब नहीं है। यह ठीक है कि आप बन्दोबस्त रोज़ाना नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि २० साल की मुद्दत तो होनी चाहिये। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब आप इतने बड़े कानून को इस सूबे में लागू करेंगे कि जिसके ज़रिये से पुरानी ज़मींदारियां खत्म हो जायंगी, पुराने समाज की जगह नये ढंग का समाज आयेगा, ऐसी सूरत में यह मुनासिब है कि इस बिल के नाफ़िज़ होने के बाद इस सूबे में जल्द से जल्द बन्दोबस्त करायें। और इसके बाद जो बन्दोबस्त करायें उसकी जो मुद्दत हो उसमें अगर दो-चार साल की कमी होगी तो कोई बात नहीं है।

यह बात भी समझ में नहीं आती है कि जब आप कहते हैं कि हर किसान अपनी अपनी आराज़ी का मालिक होगा, प्रोप्राइटर होगा, तो फिर मालगुज़ारी के लिये ज्वाइन्ट लाइबेलिटी होने के क्या मानी हैं। आज तक सूबे में जो प्रथा चली आई है मालगुजारी वसूल करने की उस में हर हिस्सेदार की जिम्मेदारी ज्वाइन्ट और सेवरल रखी है। यह सरकार के हाथ में है कि वह किसी एक आदमी से वसूल कर ले या सबसे अलग अलग वसूल करे। यह चीज़ सरकार बरतानिया के ज़माने से चली आ रही है लेकिन वह हमारे लिये दलील नहीं हो सकती कि वह अब भी

कायम रहे। वह बातें उस ज़माने की थीं। वह ज़माना ही ऐसा था लेकिन आज के ज़माने में हम लोग जो मौजूदा हिन्दोस्तान को बनाने वाले हैं उनकी तामील करें और वैसे ही करें यह मुनासिब नहीं है लेकिन आप अगर बीते हुए ज़माने की बीती हुई बात को अब भी कायम रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं नामुनासिब बात है।

इस मालगुज़ारी के साथ एक निहायत ही तकलीफ़देह और ख़तरनाक चीज़ और आ गई है जो एक हद तक काले कानून, कहा जा सकता है वह यह है कि भूमिधर से जो रेवेन्यू वसूल किया जायगा उसके वसूली के तरीके में कुर्की, गिरफ्तारी वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हुकूमत कांग्रेस ने १९३७ ई० में हुकूमत में आते ही बन्द कर दिया था उनको अज़सरेनौ जारी किया जा रहा है। यह चीज़ आपके लिये मुनासिब नहीं है। इसलिये जो तरीका मालगुज़ारी का आपने बताया है वह ग़लत है। उसके सिलसिले में जो गिरफ्तारी आपने रखी है वह बन्द कर दीजिये। दूसरे तरीके हैं जिनसे मालगुज़ारी वसूल की जा सकती है। हमारे कांग्रेसी दोस्त जो हमारे पास बैठे हुए हैं कहते रहे हैं कि वसूलयाबी डंडे के सहारे ही होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप अवाम के सहारे रहें और कांग्रेस कमेटियों के सहारे रहें और उन पंचायतों के सहारे रहें जिनका चुनाव अभी आपने किया है, तो फिर वे दिक्कतें जो आपके सामने आती हैं नहीं आयेंगी। आप इस प्रीज़म्पशन को लेकर क्यों चलते हैं कि सब लोग जानवर ही हैं और वे केवल डंडे की बात ही सुनेंगे। आप तो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ़ आतंक फैलाकर, डर फैला कर लोगों को नाथ ले सकें। लेकिन यह तरीका ग़लत है। ताल्लुकेदार साहबान और ज़मींदार साहबान ने यह तरीका अख्तियार किया था लेकिन इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। भविष्य इसका नतीजा आपको दिखायेगा। सवाल यह नहीं है कि आप मालगुज़ारी वसूल न करें। आप पैसा पैसा, कौड़ी कौड़ी वसूल करें। लेकिन किसी शख्स को उसके लिये गिरफ्तार करना या उसकी फसल की कुर्की करना मुनासिब नहीं है। इसलिये इस पर आप सेलेक्ट कमेटी की स्टेज पर गौर फ़रमायें। बहुत से तरीके हो सकते हैं और आप उनसे अपनी मालगुज़ारी वसूल कर सकते हैं।

एक और चीज़ जो निहायत ही सरप्राइजिंग है वह यह है कि यह लिखा गया है कि अगर कोई भूमिधर आराजी को मारगेज या रेहन कर दे तो ऐसी सूरत में वह मारगेज इल्लीगल होगा, ख़िलाफ़ कानून होगा, नाजायज होगा लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि ऐसे मारगेज को ही इस बिल के मुताबिक बैनामा मान लिया गया है और उसके ज़रिये सारे हुकूक मारगेजी को मिल जायेंगे। मैं यह कहूंगा कि इस तरह से आप कानून तोड़ने वालों की हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे लेकिन मेरा सुझाव यह है कि कानून तोड़ने वालों को फायदा नहीं पहुंचना चाहिये।

आप इकानामिक होल्डिंग के मसले को लीजिये। जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि १० एकड़ की आराज़ी इकनामिक होल्डिंग होती है लेकिन इस बिल में कोई चीज़ साफ़ नहीं है। इसके लिये ख़ासतौर पर कोशिश करना है कि हमारे सूबे की जो होल्डिंग हैं वह इकानामिक बन सकें। कोअपरेटिव फार्म्स का जो प्राविज़न इस बिल में किया गया है उसमें ज़रूर इस बात की कोशिश की गयी है कि होल्डिंग्ज़ जो अनइकनामिक हैं वह इकनामिक हो जायें लेकिन वह चीज़ काफी नहीं है। मेरी मंशा यह है कि इसके अलावा भी आपको सोचना है कि अनार्थिक खातों को किस तरह से आर्थिक खाता बनाया जा सकता है।

[श्री [illegible]]

[illegible] जो इस बिल पर किया जा सकता है वह यह है कि जमींदार साहबान [illegible] उनके साथ नहीं होना चाहिये।

[illegible] कम्पेन्सेशन के सिलसिले में किया था [illegible] सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी [illegible] यह है कि इन्टैंजिबिल कम्पेन्सेशन को जो [illegible] पहना रहे हैं [illegible] इन्टैंजिबिल कम्पेन्सेशन जो दिया जा रहा है वह भी [illegible] नहीं दिया जा रहा है कि इनको देना है। [illegible] कम्पेन्सेशन [illegible] सोशलिस्ट पार्टी [illegible] इस [illegible] पर मानी [illegible] होगा।

हम [illegible] हैं कि हम जमींदारी को जल्द से जल्द इस सूबे से मिटाना है। हम [illegible] जमीन के बंटवारे का मसला हम हल नहीं कर रहे [illegible] नहीं होना है। आपने जमींदार साहबान के [illegible] मैं इनके एक रुख और एक हिस्से पर रोशनी डाल चुका हूं। आपने [illegible] का अख्तियार दिया है कि वह [illegible] और जमींदार के जरिये अपने हुकूक को [illegible] कर सकते हैं। उनको [illegible] आफ ट्रांसफर है। दूसरी चीज यह है कि उन के जो [illegible] इन्टैंजिबिल हैं उनको मैक्सीमम लिमिट नहीं कायम की गई है। यह बड़ी [illegible] बात है जिसकी [illegible] कि हमारे सूबे में एकनामिक होल्डिंग नहीं बन सकी। [illegible] मालूम है और मैं कहूंगा कि मालूम है कि जब से जमींदारी मिटाने का मसला इलेक्शन के बाद अवाम के सामने आया है उस वक्त से जमींदार साहबान ने बराबर यह कोशिश की है कि जितने असामियों को जिस तरह मुमकिन हो बेदखल किया जा सके बेदखल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा [illegible] उनका अपनी खुदकाश्त में कर लें और वह उनकी जोत में हो जाय और उन जोतों को जितने जल्द मुमकिन हो वह फार्म में तब्दील कर सके, लेकिन यहां बड़ा मसला यह है कि जो छोटे फार्म होते हैं उनसे मुनासिब मुनाफा नहीं होता। उसी तरह बड़े फार्मों से भी फायदा नहीं होता। इस मसले पर भी हमें गौर करना है। आप जमींदार साहबान को मुनासिब फायदा उठाने का मौका देंगे या नामुनासिब। ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद किसानों के साथ बराबर ज्यादती होती रही है। जमींदारों ने कानूनन या इल्लीगल जिस तरह मुमकिन हुआ किसानों को बेदखल करने की कोशिश की है। आपको इस बारे में यह तय करना चाहिये कि जो आराजियात ऐसी थीं जिनसे जमींदार साहबान ने चालाकी से किसानों का बेदखल किया है वह उन लोगों को वापस की जायं। दूसरे यह कि लिमिट कर देनी चाहिये। मैं इस वक्त एक बड़े नाजुक मसले की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिला रहा हूं कि एक मैक्सिमम लिमिट खाने की आराजी की जोत की नहीं रक्खी है। सोशलिस्ट पार्टी ने ३० एकड़ मैक्सिमम रकबा एक होल्डिंग का बतलाया है। आपने कुछ नहीं बतलाया इसका नतीजा यह आज और इस वक्त यह हो रहा है कि किसानों को जिस तरह हो बेदखल किया जाय और लोगों को सही तौरपर फायदा नहीं पहुंच रहा है। आप एक आर्डिनेंस के जरिये से इस बात का हुक्म दे दें कि कानूनी और गैरकानूनी बेदखली नहीं की जायगी। आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितनी भी हमदर्दी आप वाकई इस बिल के जरिये

से अदा करते हैं वह नहीं होगी। आपने इस बिल में उन लोगों को जो दूसरासमी हैं उनको कुछ ज्यादा हुकूक देने की कोशिश की है। इस बिल में आपने यह नहीं किया है कि फलां तारीख से जो बेदखल हो चुके हैं उनको जमीन वापस दी जाय जैसा आपने यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में किया था, आखिरकार आप जमींदारी अबालिशन इस शक्ल में क्यों नहीं ले रहे हैं कि किसी किस्म की बेदखली कानूनी या गैरकानूनी आज की तारीख से नहीं हो सकती! अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप दि कास्तकार को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। इस तरह से रियायत आपने सिर्फ जमींदार साहबान के साथ की है यह नामुनासिब है सेलेक्ट कमेटी के स्टेज में आपको इस पर गौर करना है और गलत कायम करना है।

इसवक्त हुकूमत ने यह नई अमल यानी जमींदार साहबान के साथ इतनी ज्यादा रियायत इसलिये की है कि उनको अन्देशा है कि उसे गरीबों की हमदर्दी शायद न हासिल हो सके और इसलिये वह बड़े जमींदारों और बड़े किसानों का सहारा लेकर जिन्दा रहना चाहती है। मैं अर्ज करूंगा कि आपको इस मसले पर दोबारा गौर करना है और इस नियत से गौर करना है कि जो बुराइयां हैं वे दूर हो जायं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपसे गरीब भी खुश रहेंगे और अमीर भी खुश रहेंगे। हम सब की खुशी चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह नहीं देख सकते कि किसी को गरीबों का एक्सप्लोइटेशन करके अमीर बनने का मौका मिले। और इस तरह से अमीर बनकर अमीरलोग गरीबों का ज्यादा एक्सप्लाइटेशन कर सकें। लिहाजा ऐसी सूरत में आपको इस बारे में कोशिश करनी है कि जो रियायतें आप ने जमींदार साहबान को दी हैं उसमें जितनी ज्यादा कमी आप सेलेक्ट कमेटी के स्टेज पर कर सकें वह जरूर करें।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बज कर २ मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री रोशन जमां खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल से यह मालूम होता है कि यह बिल महज रुपया पैदा करने का जरिया बनाया गया है, मनी मेकिंग डिवायस है, जिसके जरिये से रुपया जमा किया जायगा। आप ख्याल फरमाइये कि सीरदार से यह कहा जाता है कि तुमको हम भूमिधर का हक दे देंगे अगर तुम १० साल का लगान पेशगी अदा कर दोगे और उसके लिये दो लालच दिये जाते हैं। एक लालच यह है कि उनको इंतकाल करने का हक दे दिया जायगा। दूसरा यह कि वह अपना लगान आधा अदा करेंगे। अब आप जरा गौर फरमाइये कि एक तरफ तो आप उनको लालच देते हैं कि तुमको हम इससे बेहतर हक देंगे। यह हक तो, हकीकतन यह है कि, आज ही उनको देना चाहिये। अगर आप भूमिधर के हक को सबसे बड़ा हक मानते हैं तो जितने सीरदार हैं उनको आप आज ही भूमिधर का हक जरूर दे दें। अगर यह मान भी लिया जाय कि उनके सामने आप टुकड़ा फेंक रहे हैं तो भी यह आपके लिये मुनासिब नहीं है कि आप उनसे निस्फ लगान वसूल करते जायं। आप १० साल का लगान आज ही ले लेते हैं और फिर २० साल तक आधा लगान लेंगे तो आपने उनके साथ क्या रियायत की? यह बेइन्साफी है, अन्याय है। क्योंकि अगर वह शुरू में ही मामूली तौर पर लगान अदा करते तो उसी तरह से उनको लगान देना पड़ता। और आप जो यह १० साल का लगान लेंगे तो कब से इसका साल शुरू होगा वह दसवें साल शुरू होगा, या ११ वें साल शुरू होगा या आज ही शुरू होगा। लेकिन जहां तक मैं गवर्नमेंट का मन्शा समझता हूं वह यही है कि जो १० साल का लगान आज ही अदा कर देंगे

[श्री [illegible] खां]

उनको १० साल तक आपको [illegible] देना होगा। मैं समझता हूं कि आप इस तरह से उनको [illegible] देते हैं और आप उनके साथ कोई [illegible] नहीं कर रहे हैं और यह तरीका मुनासिब नहीं है [illegible] तक जमींदारों का ताल्लुक है आप उनको भी [illegible] देते हैं। उनसे कहा जाता है कि अगर तुम १० [illegible] साल के [illegible] में तुमको [illegible] बना दिया जायगा और उसमें एक अजीब [illegible] इसमें [illegible] से गवर्नमेंट के साथ [illegible] करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि बिल में यह [illegible] जो अख्तियार किया गया है मुनासिब नहीं है। फिर यह भी मालूम होता है कि आपके [illegible] पर [illegible] गया है, चूंकि व्यवस्था बिल का नाम दिया गया है, लेकिन कोई भी तरीका [illegible] कोआपरेटिव हो, और जिससे किसान का फायदा हो उसमें अख्तियार नहीं किया गया है जिससे [illegible] कि मुल्क और जनता के मुताबिक कोई तर्मीम [illegible] करना चाहते हैं कि जिसके जरिये से इस सूबे के रहने वालों का फायदा हो सके। [illegible] के तौर पर इस बिल में कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए भी कम्पलसरी नहीं रखा गया है कि वह इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग करें, आप यह फरमाते हैं कि जो एकानामिक होल्डिंग्स हैं वह एक साथ से अपना कोआपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अन एकानामिक होल्डिंग्स वालों की तादाद दो तिहाई हो जाय तो एक तिहाई को मजबूर किया जा सकता है, तो जिस तरीके से यह काम किया जा रहा है उससे कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे सूबे में नहीं हो सकेगी। फिर कहा जाता है कि हमारे सूबे की पैदावार कम हो गयी है। हकीकत है कि पैदावार कम हो गयी है, उसके लिये एक तरीका था जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी ने बताया था और बताया है और अगर हुकूमत उस चीज को अमल दरामद नहीं करती है तो खुद पार्टी उस काम को अपने जिम्मे ले लेने को तैयार है यह एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तजवीज थी। अब जरूरत यह है कि आप ऐसे तरीके को अख्तियार करें जिससे पैदावार बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ऐलान कर दिया है कि सन् १९५१ ई० के बाद हम बाहर से गल्ला नहीं मंगायेंगे और अगर दुनिया की सियासियात को देखा जाय तो यह सही तौर पर मालूम होता है कि साल दो साल या उससे भी दो एक साल ज्यादा के अर्से में यकीनन रूस और एंग्लो अमरीकन ब्लाक में जंग छिड़ जायगी और हमारा मुल्क उसमें न्यूट्रल रहे या किसी ब्लाक का साथ दे उसे गल्ले की जरूरत पड़ेगी। अगर पैदावार की कमी रही तो हमारा मुल्क बरबाद हो जायगा इसलिये हमको अपनी पैदावार जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिये। गवर्नमेंट का यह ऐलान है कि बाहर से गल्ला नहीं आयेगा और हमारा मुल्क इतना सेल्फ सफी-श्येंट हो जायगा कि हम अपने मुल्क की सारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसके लिये आपको इस बिल में इस बात का इंतजाम करना चाहिये था कि माडर्नाइज्ड कल्टिवेशन यानी काश्तकारी के जो मौजूदा तरीके हैं उनको अख्तियार किया जाय। मगर उसके बारे में आपने कोई चीज इस बिल में नहीं रखी। फिर यही सूरत जो जोत के बारे में है वही हार्टिकल्चर यानी बागात के बारे में है। इस बिल में बागात के बारे में और जानवरों के बारे में कुछ नहीं किया गया है और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस सूबे में बिना सिंचाई के बढ़े हुए, बिना पानी को बढ़ाये हुए हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती। आज हमको सबसे बड़ा रोना यह है कि हमारी पैदावार बारिश के ऊपर मुनहसिर है। अगर बारिश ठिकाने से और वक्त से हो गयी, ज्यादा न हुई और न कम हुई, तो

फसलें तभी अच्छी होती हैं, वरना अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। इसलिये हमारे लिये यह जरूरी है कि हम यहां आबपाशी के जो जरिये हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी हुकूमत ने इस तरफ कदम बढ़ाया और यह किया कि तालाब खुदवाने की एक स्कीम जारी की जिसमें जहां तक मेरी मालूमात हैं कलम के हल से कागज पर बहुत से कुएं और तालाब खोदे गये लेकिन जमीन पर बहुत कम खोदे गये और उसमें सरकार का बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो गया।

मैं यह चाहता हूं कि सिंचाई का भी कुछ न कुछ इन्तजाम इस बिल में जरूर होना चाहिये। जहां तक मुझे याद है गालिबन माननीय वजीर आजम साहब ने अपनी ७ अक्तूबर वाली प्रेस कान्फ्रेंस में या हाल ही में जो प्रेस कान्फ्रेंस हुई है उसमें कहा था कि हम इस सूबे में क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह इस बिल के जरिये से उसे कैसे बना सकते हैं। आपने खुद चार क्लासेज रखे हैं, जिनमें से दो को आपने बड़ा और दो को छोटा माना है। भूमिधर को सीरदार से बड़ा हक दिया है, सीरदार को असामी से बड़ा हक दिया है, और असामी को अधिवासी से बड़ा हक दिया है। ऐसी सूरत में जो चार क्लासेज बने हैं, वे एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में स्ट्रगिल आफ एग्ज़िस्टेंस हमारे सूबे में शुरू हो सकती है। इस बिल के जरिये से आप एक क्लास स्ट्रगिल पैदा कर रहे हैं जो किसी तरह मुनासिब नहीं है।

अब मैं चन्द अल्फाज़ में कम्पेन्सेशन के बारे में सोशलिस्ट पार्टी का नुक्तेनजर साफ तौर से बयान कर देना चाहता हूं। सोशलिस्ट पार्टी कम्पेन्सेशन के उसूल को कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक रिहेबिलिटेशन ग्रांट का सवाल है वह तैयार है। लेकिन इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी यह चाहती है कि २५० रु० तक मालगुजारी देने वाले जमींदार को पुनर्वास अनुदान और ज्यादा दिया जाय और आप जो बड़े बड़े जमींदारों को कम्पेन्सेशन दे रहे हैं उसको खत्म कर दें। जब तक आप यह नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, जो सही मकसद इस जमींदारी अबालिशन बिल का है वह पूरा नहीं हो सकता। जनाबवाला, मेरे लायक दोस्त, कांग्रेस बेंचेज से पूछना रहे हैं कि आप कितना देना चाहते हैं। अगर आप अखबारात देखते हों, सोशलिस्ट पार्टी के जल्से में जाते हों तो आप निहायत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी ने यह कहा था कि हम एक शख्स को एक लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं और यह उस सूरत में जब कि अपनी जमींदारी अबालिशन कमेटी ने दस लाख मुआविजा देना तजवीज किया था। इसके साथ साथ यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि इस सूबे भर में सब लोगों को मिलाकर पचास करोड़ से ज्यादा न दिया जाय। इस तरह सोशलिस्ट पार्टी ने पचास करोड़ और एक लाख का तरीका बताया था, जिसके लिये गवर्नमेंट एक प्लानिंग के साथ आये, एक नक्शा बनाये जिसके जरिये से इंडस्ट्री या दूसरे तरीकों से रुपया वसूल हो। अगर ऐसा न हो सके तो कम्पेन्सेशन टैक्स लगाया जाय जो मालगुजारी के आधे से ज्यादा न हो। सोशलिस्ट पार्टी इन चीजों को बता चुकी है। जहां तक कम्पेन्सेशन के उसूल का सवाल है सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और रिहेबिलिटेशन ग्रांट उस सूरत में मानने को तैयार है कि २५० रु० तक के मालगुजारी देने वाले जमींदार को रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी जाय और बकिया को कुछ न दिया जाय।

[श्री गेंदासिंह जी]

अगर आप घंटियां बजाके यह चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं तो यकीन रखिये कि मेरी तकरीर खत्म हो जायेगी। मैं जानता हूं कि हाउस में नोऑफिशल मेम्बरान तकरीर करने के मुस्तहिक़ हैं और इस तरह से उनके हुकूक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बहरहाल, जहां तक सोशलिस्ट पार्टी के फैसले का सवाल है मैंने उसके मुताबिक़ तकरीबन सारी बातें अर्ज कर दिया है और अगर सिलेक्ट कमेटी के बाद यह बिल इस हाउस में आयेगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस बिल पर क्लाज वाइज, सेक्शन वाइज, अपनी और अपनी पार्टी की राय का इज़हार करूंगा। लेकिन कब्ल इसके कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं मैं कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों से इस वर्गहीन और शोषणहीन समाज के नाम पर अर्ज करता हूं जिसका ज़िक्र [illegible] ने [illegible] कांग्रेस में [illegible] किया है। जो कुछ तजवीज़ें सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दी गई हैं उन पर संजीदगी से आप गौर फरमायें। हम उम्मीद नहीं करते कि आप हमारी हर चीज़ से इत्तिफाक करें लेकिन अगर आप अपने मकसद को सामने रखेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम और आप इत्तिफाक कर सकते हैं। आपने जिस इन्किलाब को लाने का वादा किया है उसकी बिना पर हमें उम्मीद है कि आप संजीदगी के साथ गौर फरमायेंगे। जिस तरह ज़मींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में और मौजूदा बिल में सोशलिस्ट पार्टी के सुझावों से कहीं दूर जाके ले लिया है उसी तरह से कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिसकी बिना पर आप इन तजवीज़ों पर गौर न फरमायें। ज़ाहिर है कि हमारी इस हाउस में तादाद कुल तीन है और हम फिलहाल वक्त में किसी तरह इस हाउस से जीत नहीं सकते हैं लेकिन एक चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिये वह यह है कि अगर हमारे सुझाव या तजवीज़ ठीक हैं तो इस हाउस के बाहर जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वह आपको और हमको दोनों को देख रही है। उसका इम्तहान हो रहा है और साथ ही साथ हमारा भी इम्तहान हो रहा है। अगर आपने नामाकूल तरीके पर हमारी तजवीज़ों को ठुकरा दिया तो आपको नुकसान होगा हमको कुछ नहीं होगा। हम अपोज़ीशन से अपील करते हैं कि वह भी इस सूबे के [illegible] हैं। वह इस सूबे के रहने वालों के खादिम हैं। इसलिये वह इन तजवीज़ों पर संजीदगी से गौर फरमायें और जिनको मुनासिब समझें उनको लें। हम ज़मींदार पार्टी से भी इस हाउस के नाम पर अपील करते हैं कि हुकूमते बरतानिया ने ज़मींदारी सौंपते वक्त इन लोगों को ट्रस्टी बनाया था और मैं यह चाहता हूं कि वह अमानत में खयानत नहीं करेंगे और [illegible] से [illegible] नहीं करेंगे। जो कुछ उनसे उम्मीद की गई थी उसको वह पूरा करें और गरीबों के लिये, [illegible] के लिये, भूखों नंगों के लिये आज वह अपनी तरफ से जरूर थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे, लेकिन वह है कि ज़मींदार साहबान को आज सिर्फ एक हिस्सा देकर उस चीज़ के हिस्से से महरूम किया जा रहा है जिससे उनको लगान मिलता था। ऐसी सूरत में मैं मानता हूं कि अगर हुकूमत चाहती तो इस तरह का इंतजाम कम्पल्सरी कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट बनाकर पूरा कर सकती थी लेकिन हुकूमत ने ज़मींदारी अबालीशन ऐक्ट का नाम इसको दिया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ज़मींदार पार्टी कम्पेन्सेशन पर ज्यादा जोर न दे और भूखों नंगों के नाम पर उस अमानत को पूरा करे जो उनको हुकूमते बरतानिया की तरफ से सुपुर्द की गई थी।

इतना कहने के बाद मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूं वह यह है कि अगर हम लोग उम्मीदों से पूरे न उतरे, कांग्रेस पूरी न उतरी और हाउस के मेम्बरान पूरे न उतरे तो वह हाल होगा कि (The writing on the wall cannot be obliterated) यानी यह दीवाल पर लिखी हुई चीज़ है जो कभी मिट नहीं सकती है। देश में ऐसे एलीमेंट्स अब भी मौजूद हैं जो भूखे नंगों को लेकर इस मुल्क को खतरे में डाल सकते है। इसके अलावा आपको इस बात को भी सोच लेना चाहिये कि आप इस मुल्क में हाकिम की हैसियत से नहीं हैं बल्कि खादिम की हैसियत से हैं। अगर आपने इस खिदमत से गुरेज़ किया तो सूबे की जनता आपको इस खिदमत से महरूम कर देगी।

*श्री कृष्ण सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मसौदे का हार्दिक स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इस मसौदे को पेश करते समय यह सही बयान किया कि राजनीतिक स्वराज्य के बाद यह मसौदा इस देश में आर्थिक स्वराज्य भी कायम करने जा रहा है। आर्थिक स्वराज्य इस कानून से ही इस देश में हो सकेगा कि जिसका मसौदा आज सदन के सामने है। इस मसौदे की बड़ी अहमियत इसलिये है कि यह कानून जो इस मसौदे की बिना पर बनने जा रहा है इस देश के ज्यादा से ज्यादा आदमियों पर लागू होने वाला है। करीब ६२ लाख किसानों और १७ लाख बड़े जमींदार जो अपनी जमीन पर खुदकाश्त करते हैं इस कानून से फायदा उठाने जा रहे हैं। इनके अलावा ४० लाख वह मज़दूर जो खेती से गुज़र-बसर करते हैं, उनको भी इस कानून से लाभ होने जा रहा है। अलबत्ता २ लाख के करीब ऐसे लोग भी हैं जिनको इस कानून से कुछ नुकसान पहुंचेगा लेकिन इस वक्त देश ऐसी जगह पहुंच चुका है कि अगर जमींदारी के तरीके का कोई खातिरख्वाह हल नहीं निकाला जाता है तो देश की तरक्की रुक जायगी। मैं इस सिलसिले में जो मौजूदा स्थिति जमींदारी की है उस का जिक्र करना चाहता हूं। अगर आप इस तरफ ध्यान दें तो यह मालूम होगा कि इस देश में बेशुमार ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं है कि जिस को जोत कर वह अपनी गुज़र कर सकें। जमींदारों में भी ऐसे जमींदारों की तादाद ज्यादा है। कुल जमींदार जो इस सूबे में रहते हैं उनकी तादाद २० लाख है जिनमें से १७ लाख जमींदार ऐसे हैं जिनकी मालगुजारी कुल २५ रुपया सालाना है। २५ रुपये से ५० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों की तादाद डेढ़ लाख के करीब है और वह जमींदार जिनकी मालगुजारी ढाई सौ रुपये से ज्यादा है महज़ २०,००० हैं। वह बड़े जमींदार जिनकी मालगुज़ारी ५,००० रुपये से ज्यादा है महज़ ८८० हैं। अगर आप जमीन की तकसीम को देखेंगे तो मालूम होगा कि वह ९८.२१ फी सदी जमींदार जिनकी मालगुजारी २५० रुपये से कम है उनके पास महज़ ४२ फी सदी जमीन है। वह १.७९ फी सदी जमींदार ५८ फी सदी जमीन के मालिक हैं और वह ८०० जमींदार जिन की मालगुजारी ५,००० रुपये से ज्यादा है वह २७ फी सदी मालगुजारी अदा करते हैं, यही नहीं दूसरे मानी में वह लोग एक चौथाई हिस्से पर काबिज़ हैं और इससे भी काश्तकारों की दशा खराब है। वह काश्तकार जिनके पास एक एकड़ जमीन से कम है कुल तादाद का ३४ फीसदी है।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह]

अगर १० एकड़ ज़मीन को एकनामिक होल्डिंग मानें तो फिर ९९ फी सदी के करीब काश्तकार ऐसे निकलेंगे जिनके पास अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ हैं। ऐसी दशा में कोई ताज्जुब नहीं कि इस देश में अन्न की पैदावार घट जाये और यहां अन्न की कमी की वजह से लोग भूखे मरने लगें। मैं इस कमेटी का, जिसने यह रिपोर्ट लिखी है, आभारी हूं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं जिनसे उन सभी गलतफहमियां जो पब्लिक में फैल गयी थीं दूर हो जाना चाहिये। मसलन एक चर्चा लोगों में यह है कि किसान के पास तो आज इतने नोट हैं कि वह छप्पर भर सकता है। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि ४० फीसदी गेहूं पैदा करने वाले लोग इतना गेहूं पैदा करते हैं कि उनके पास बेचने को कुछ नहीं रहता। इसके अलावा २३ फी सदी लोग ऐसे हैं जो अपना सब गेहूं बेच कर अपनी मालगुज़ारी अदा करते हैं और महज़ २२ फी सदी ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ अनाज है जिसको वह बेच सकें। इस किताब में यह भी चर्चा है कि खेती करने वालों ने खेती करने के जो मज़दूर हैं उनके दाम लगाये जायं तो यह मालूम होगा कि बहुत सी फसलों पर खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। एक मिश्रा साहब ने कानपुर के एक गांव का सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट है कि ज्वार पर तो ४२ रु० फी एकड़ नुकसान है, लेकिन गेहूं पर फी एकड़ मुनाफा ७, ८ रु० के करीब है और चने पर यह मुनाफा ८ आने फी एकड़ है। तो यह हालत हमारी खेती की है और जब तक कोई खातिरख्वाह इस्लाह नहीं अख्तियार किया जाता इस देश की खूराक का मसला हल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के लिखने वाले का मैं आभारी हूं। उन्होंने इस बात का जिक्र और किया था वह यह कि १० एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिनके पास हो जायगी उनकी पैदावार घटती चली जायेगी। तो इस हालत में यह ज़रूरी है कि ज़मींदारी के कानून में कोई न कोई चीज़ लाएं जो एक बड़ी ज़रूरत थी जिसके लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जमात मुद्दतों से कोशिश करती चली आई है और वह यह था कि ज़मीन ज़मीन जोतनेवालों के पास महफूज़ कर दी जाये। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी ज़रूरत है जो इस ऐक्ट से पूरी की जा रही है। कल श्री जगन्नाथ बख्श सिंह साहब जब इस बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का नज़ाहरा करने की कोशिश की कि यह बिल दरअसल ज़मींदार को खत्म करने का बिल नहीं है बल्कि ज़मींदार नाम के बजाय भूमिधर नाम के ज़रिये उस वर्ग को इस बिल की रूह से खड़ा कर दिया जायगा। यह कहने की मैं ज़ुर्रत करूं कि अगर ज़मींदार को ज़हरीला सांप कहा जाय तो भूमिधर को आप खड़ का सांप कह सकते हैं। जो दिक्कतें और जो जुल्म ज़मींदारी सिस्टम में थे वह सब भूमिधर से निकाल दिये गये हैं मसलन ज़मींदार को यह हक था कि वह अपनी ज़मीन औरों को जोतने को दे सकता था। यह हक भूमिधर से लेकर इस दिक्कत को खत्म कर दिया गया है। दूसरी दिक्कत जो ज़मींदारी प्रथा की वजह से थी वह यह कि काश्तकार को ही नहीं बल्कि तमाम रियाया को बेगार करनी पड़ती थी, ऐसी सब चीज़ों को भूमिधर को न देकर गांव पंचायत को दे दिया गया है। राजा साहब का यह ख्याल था कि अच्छा होता कि कानून इस तरह से बनता कि अगर कोई काश्तकार अपने लगान का १० गुना ज़मींदार को अदा कर दे तो वह उसका भूमिधर हो जायेगा। मगर राजा साहब ने यह नहीं फरमाया कि अगर यह कानून बन जाता तो उन काश्तकारों का क्या होता जो अपने लगान का १० गुना जमा न कर पाते।

लेकिन मसूदे को इसका भी ख्याल नहीं था। यदि यह कानून राजा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बनता तो गांव की आबादियों पर, चरागाहों पर, श्मशानों पर, कब्रिस्तानों और बंजरों पर, इन सब जगहों पर तो जमींदार का अख्तियार बना ही रहता। इन सब बातों को सामने रख कर मैं समझता हूं कि जो तब्दीली इस सरकार ने की है वह काफी इन्कलाबी है और उस तब्दीली से जो देश की मौजूदा दिक्कतें हैं वे रफा हो जायेंगी। इस कानून ने एक खास बात मुआविजे की है, कम्पेन्सेशन की है, कम्पेन्सेशन के मुताल्लिक दो तरह के ख्यालात बयान किये जा रहे हैं। एक फरीक तो यह है जिसका कहना है कि जमींदारों को कोई मुआविजा न मिलना चाहिये। दूसरे लोग जो अभी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से तकरीर फरमा रहे थे, उनका तो कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मुआविजा एक अरब हो और कुल मुआविजा ५० करोड़ हो। ५० करोड़ हो या ६० करोड़ हो, इसमें कोई बुनियादी बात नहीं। एक ऐसा फरीक भी है जिसका कहना है कि मुआविजा बिल्कुल न होना चाहिये। जो फरीक यह कहता है उसका यह भी कहना है कि जमीन की मिल्कियत भी किसी को न मिलनी चाहिये। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो फरीक मुआविजे की मुखालिफत करता है वह जमींदारों की मुखालिफत करता है, काश्तकार की मुखालिफत करता है। उस फरीक से किसी को हमदर्दी नहीं हो सकती है। दूसरे लोग जो मुआविजे के मुताल्लिक शिकायत करते हैं उनकी शिकायत कई तरह की है। राजा साहब ने कल जो तकरीर की उसमें इस बात की चर्चा की कि जो मुआविजा जमींदारी रिपोर्ट में लिखा था वह बहुत मौजूं था और वही कायम रहना चाहिये था। मैं राजा साहब का ध्यान इस चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर आप उस मुआविजे के नक्शे की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि २५ रु० तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को २५ गुना मुआविजा मिलता। अगर २५ रु० मालगुजारी हो तो ६२५ रु० हो गया और अगर २६ रु० देना हो तो उसे उसका २३॥ गुना मिलता, इसके माने उसका ५८५ रु० मुआविजा हो जाता है। यानी २५ रु० वाले को ६२५ रु० और २६ रु० वाले को ५८५ रु० मुआविजा मिलता। इसी तरह से आप हर कदम पर देखें। जिसकी ५० रु० हैसियत है उसको ११२५ रु० मिलेगा। और मिलेगा और ५० रु० से ५१ रु० मालगुजारी होती तो उसे १०२० रु० मिलेगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मसौदा इस जमींदारी रिपोर्ट में दर्ज है वह नाकिस था और उस स्कीम से लोगों को काफी दिक्कत पैदा होती। लिहाजा वह स्कीम काबिले कबूल नहीं है। एक दूसरी बात जो शायद राजा साहब भूल गये वह यह है कि जमींदारों की मालगुजारी के अलावा एक आइटम और है जो मालगुजारी में शामिल होता है और उसका नाम है अक्वायर्स रेन्ट। यह उन जमीनों पर देना पड़ता है जिनमें आबपाशी होने लगी है और जिसका बन्दोबस्त नहीं हुआ है, लेकिन इस मुआवजे में अक्वायर्स रेन्ट को नहीं रखा गया है और इस लिहाज से जमींदारों को काफी मुनाफा है।

मुझे एक बड़ी बुराई जो इस कानून में मालूम होती है वह यह है कि इसमें काश्तकारों या भूमिधरों को कोई हक नहीं रखा गया है जिससे वह अपनी जमीन दूसरे को दे सके। पिछली सालों की तवारीख को देखने से मालूम होता है कि जो पहले जमींदार थे वे नहीं रहे उनके ऊपर कर्जा हो गया और साहूकार ने उस जमीन को खरीद लिया और वे केवल एक काश्तकार रह गये। कल तकरीर के दौरान में राजासाहब ने एक बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कहना

[श्री फूलसिंह]

गलत है कि जमींदार महज़ ठेकेदार थे बल्कि राजा साहब ने कहा कि इनमें कुछ जमींदार ऐसे भी थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जानें दीं। मैं अर्ज करता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो आजादी के लिए कुरबान हो गये मगर उनको जमींदारी खत्म हो चुकी है उनको इस कानून से नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अलबत्ता ऐसे जमींदार हैं जिनको ज़मींदारियां इस बिना पर मिली हैं कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। इस कानून में एक खामी है वह यह कि इसकी रू से ऐसे ज़मींदार भी मुआवज़ा पा जाने वाले हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। हम चाहते हैं कि उन लोगों से जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है कोई मुआवजा न दिया जाय और उनसे ज़मीन ले ली जाय और उन लोगों को जिन्होंने देश की ख़िदमत की है उनको बिला मुआवजा जमीन दी जाय। जमींदार कमेटी की रिपोर्ट में यह मौजूद है कि और दूसरे देशों में जो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में देश के साथ गद्दारी करते रहे उनको उनकी ज़मींदारी के एवज में कोई मुआवज़ा नहीं मिला। इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम उन ज़मींदारों को जो देश के खिलाफ़ लड़ते रहे कोई मुआवज़ा नहीं मिलना चाहिये। शायद राजा साहब भी इस सुधार को पसन्द करेंगे। काश्तकारों को जमीन नहीं उठानी चाहिये यह बात सही है। लेकिन इसमें भी मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत मालूम होती है। ऐसा अक्सर होता है कि बाज़ साल किसी वजह से कोई काश्तकार इस काबिल नहीं रहता कि वह अपनी ज़मीन को जोत सके। इसी साल ऐसा हुआ कि मवेशियों के अन्दर बीमारी फैल गई। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि गांवों में आग लग जाती है। एक गांव में दो दफा आग लगी। लोगों के पास पहनने के कपड़े तक नहीं रहे। ऐसी हालत में यह मुमकिन है कि उस गांव के काश्तकार अपनी जमींन को न जोत सकें और उसका अच्छा इन्तजाम न कर सकें। अब अगर कानून में यही रखा गया कि कुछ भी हो काश्तकार किसी को अगर जमीन दे देगा तो जमीन उससे निकल जायगी तो उसका एक नतीजा हो सकता है वह यह कि वह ज़मीन खाली पड़ी रहेगी या काश्तकार उसका पूरे तौर से बन्दोबस्त नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में देश में पैदावार बढ़ने के बजाय घटने का अन्देशा है। मैं समझता हूं कि इस कानून में ऐसे मौके रहने चाहिये कि अगर कोई काश्तकार किसी खास वजह से किसी साल अपनी जमींन में काश्त न कर सके तो वह एक साल के लिये अपनी जमीन को और को जोतने के लिये नहीं दे सकता है और जो इस ज़मीन को जोतेगा वह उस ज़मीन में भूमिधर या सीर के राइट्स नहीं पायेगा। इसके लिये अगर ६ माह का समय भी रख दिया जाय तो मेरे ख्याल में वह भी ज्यादा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वह जो जमीन को जोतने वाला है अगर वह यही समझेगा कि यही फसल मुझे मिलने वाली है तो वह उस जमीन की कोई तरक्की करने को तैयार नहीं होगा अगर ऐसा न हुआ तो इससे देश की पैदावार में कमी पड़ेगी और इसीलिए मैं समझता हूं कि यह जो काश्तकार के न उठाने वाला कानून है उसमें इतना हेर-फेर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती में किसी को शामिल कर लेते हैं। अगर उस साझी को शामिल करने के माने यह हो जायें कि उसके भी हुकूक पैदा हो जायंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई आदमी किसीको खेती में शामिल नहीं करेगा और उसका यक़ीनन पैदावार पर असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस कानून का मंशा यह नहीं है कि ऐसे साझियों के कुछ हकूक पैदा हों लेकिन फिर भी यह जरूरत है कि यह बात साफ कर दी जाय।

तीसरी बात यह है कि जहां खेती अच्छे पैमाने पर होती है वहां अगर किसी काश्तकार के पास खेत नहीं होता है तो वह दूसरे से खेत लेकर खेती करता है। अगर इस कानून का असर यह हो जाय कि जो काश्तकार दूसरे से खेत लेकर बोये वही उसका मालिक हो जाय तो यकीनन कोई काश्तकार किसी को खेत नहीं देगा और इससे खेती की पैदावार में नुक्स पहुंचेगा। इस कानून में तबादिले का हक तो नहीं है लेकिन वह एक आरजी तबादिला है और मैं यह समझता हूं कि ऐसे तबादिलों के लिए इस कानून में जगह रखनी चाहिये।

दरख्तों के मुताल्लिक इस कानून के अन्दर बहुत कुछ मामला तय हो गया है लेकिन फिर भी इसमें दो तीन दिक्कतें हैं। एक दिक्कत यह है कि जब यह कानून पास हो जाय और जब इसका गजट हो जाय उसके बाद फिर यह तय होगा कि उसके बाद कोई जमींदार कोई दरख्त नहीं बेच सकेगा, मगर जमींदार होगा तो इस कानून के पास होने तक सब दरख्तों को साफ कर डालेंगे। तो मेरा यह कहना है कि सरकार को फौरन कोई ऐसा आर्डर निकालना चाहिए जिससे दरख्तों का कटना बन्द हो जाय वर्ना सब दरख्त कट जायंगे और इलाके खाली हो जायेंगे। जहां दरख्तों की मिल्कियत गांव पञ्चायतों को दी गई है वहां एक किस्म के दरख्तों की मिल्कियत काश्तकारों को मिलनी चाहिये और वह वह दरख्त हैं जो खेतों की मेंड़ पर हैं। जो पिछला कानून काश्तकारों के लिये सन् ३९ में बना था उसमें हमने यह रक्खा था कि खेत के अन्दर के दरख्त काश्तकारों को दिया और खेत के बाहर के दरख्त जमींदारों को दिया। मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलती थी। आज वक्त है कि हम उस गलती को दुरुस्त कर दें। दो खेतों की मेंड़ पर अगर कोई दरख्त होता है तो वह दोनों खेतों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिये अगर ऐसे दरख्त का कोई मालिक हो सकता है तो वही हो सकता है जो उन दोनों खेतों का मालिक हो और अगर उन दोनों खेतों के दो मालिक होंगे तो वह मुश्तरिका मिल्कियत होगी। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे दरख्त काश्तकारों को मिल जायं तो जो गलती हमने सन् ३९ में की थी उसकी तलाफी हो जायगी। जमींदारों के बारेमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जमींदारों के हमने दो तीन तरह के ग्रेड बनाये हैं, एक तो हमने यह किया है कि जो मौजूदा जमींदार हैं वह चाहे जितनी जमीन जोतते हों वह उनके ही पास रहेगी। अच्छा यह तो सही है कि ५० एकड़ तक जमीन के वह भूमिधर हो जायंगे लेकिन बाकी जमीन अगर वह जोतते हैं वह उनके कब्जे से जायगी नहीं। मैं समझता हूं कि इससे देश की पैदावार को नुकसान पहुंचता है। मैंने जैसा शुरू मे अर्ज किया कि इस जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जितना जितना रक़बा जमीन का जमींदारों के पास बढ़ता जायगा उतनी ही पैदावार कम होती जायेगी। जो होशियार जमींदार हैं वह रक़बा बढ़ाते हैं लेकिन पैदा कुछ नहीं करते हैं। मैंने एक जमींदार को देखा कि उसके पास ३ हजार बीघा जमीन थी लेकिन बैल सिर्फ १५ थे। जहां जरूरत होती थी वहां वह बैल भेज देता था। एक भैंस उसकी तहसीलदार के यहां थी और वही भैंस उसकी सारी खेती कराती थी। अगर पैदावार बढ़ाना है तो हमको जमीन की अपर लिमिट फिक्स करना चाहिये। जैसे हम लोअर लिमिट फिक्स करने के हक में हैं वैसे ही हमें अपर लिमिट भी फिक्स करना चाहिये।

[श्री फूलसिंह]

बहुत से जमींदार जो दूरन्देश कहे जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सी जमीनों में बाग़ लगा कर छोड़ दिये हैं। मैं समझता हूं कि जो अपर लिमिट (ऊपरी हद) की बात है वह इन बागों के मुतल्लिक भी होना चाहिये। एक एक आदमी ने कई कई हजार बीघे बाग खड़े कर दिये हैं जो कि उन बागों को न वह तरक्की कर सकते हैं और न उनसे देश का कुछ फायदा हो सकता है। कितनी जमीन किसके पास हो इसके मुताल्लिक दो तीन बातें मुझे अर्ज करना है।

इस कानून में ३० एकड़ की कैद लगायी गयी। जो शख्स जमीन खरीदे तो इस तरीके से कि खरीदी हुई जमीन और पहिले की जमीन मिला कर ३० एकड़ से ज्यादा न हो। लेकिन जिनके पास पहले से मौजूद है उनके लिए कोई कैद नहीं लगाई, मेरा सुझाव यह है कि ५० एकड़ की कैद लगाना चाहिये उन सब जमीनों के लिये जो खुद काश्त जमीनें हैं, बागीचे हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि २३ सौ जमींदार ऐसे हैं जिनके पास ३½ लाख एकड़ है और ? हजार जमींदार ऐसे हैं जिनके पास ६९ लाख एकड़ है। अगर ५० एकड़ के हिसाब से आप सबको जमीन दे दें तो फालतू जमीन में आप एक लाख नये आदमी ६½ एकड़ के हिसाब से बसा सकते हैं। बची हुई थोड़ी जमीन जिनके पास है वह थोड़ी है। इतनी जमीन है जिससे गुजर बसर कर सकें। जिनकी होल्डिंग अनइकानामिक है तो २ लाख खानदानों को इससे नफा पहुच सकता है और दो लाख खानदान के माने दस लाख आदमी, यह एक बड़ी तादाद है जिससे देश को फायदा होगा। जहां तक जमीन के इंतकाल का ताल्लुक है वे करने के माने इस कानून में यह किये हैं कि ६½ एकड़ की तकसीम नाजायज़ होगी। जिसके पास जमीन है वह बेचना चाहे तो कितनी जमीन बेच सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी होनी चाहिये। इसमें यह खतरा है कि हमारे दोस्त शायद यह प्रोपेगेंडा करें कि जमीन की मिल्कियत के क्या माने हुए, वह कहेंगे कि कांग्रेस सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से छीन लेती है। इसलिये जमीन के बंटवारे में हमारी सरकार हिचकिचाती है। मेरा कहना है कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसान जो जमीन हासिल कर सकता है वह हासिल न कर सकेगा। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी लगाई जाय तो काश्तकार को नफा होगा। पाबन्दी किसी किस्म की हो। मेरा सुझाव है कि कोई आदमी ६½ या कम का बैनामा करना चाहे वह आदमी बेचे जिसके पास पहले से जमीन हो और जिसका खाता अनइकनामिक न हो। एक खाता जो कम होगा वह इकनामिक हो जायगा। अगर यह पाबन्दी की जाय तो देश का नफा होगा। बैनामे के मुताल्लिक मैंने अर्ज कर दिया।

यह चर्चा भी हुई थी कि कोआपरेटिव फार्मिंग हो। मेरे दोस्तों ने कहा, जो मेरे दोस्त सोशलिस्ट पार्टी की नुमाइन्दगी करने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग कम्पलसरी (अनिवार्य) कर दी जाय। उनको कोआपरेटिव के माने याद नहीं रहे। कोआपरेटिव अपनी मर्जी से काम करना है कम्पल्सरी तो कोआपरेटिव का मुतजाद है। उनका बरअक्स है। देश भर में कोआपरेटिव फार्मिंग हो या कम्पलसरी फार्मिंग हो इसके नतायज खतरनाक होते हैं। यह प्रोपगैंडा से, तालीम से हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह कोआपरेटिव फार्मिंग मुफीद चीज़ है। इससे बड़ा नफा होगा। कल तकरीर करते वक्त राजा साहब यह फरमा रहे थे कि कोआपरेटिव इस देश में कभी कामयाब नहीं हुआ। उनको शायद मालूम नहीं है गन्ना जो कुछ बिकता है हमारे प्रान्त में कोआपरेटिव के

जरिये से बिकता है। कोई शख्स गल्ला नहीं बेच सकता। जितनी गल्ले की दूकानें हैं वह कोआपरेटिव की हैं। हमारे देश में कोआपरेटिव तरक्की कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि पूरा मौका मिले तो बहुत जल्द छा जाय।

एक बात मैं और अर्ज करूं। कम्पेन्सेशन के मुताल्लिक जो यह कहा जाता है कि बिला मुआविजा की जमीनें ले ली जायं तो मैं समझता हूं कि इसमें एक खामी है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि गालिबन दो लाख ६ हजार जमींदार हैं और दो लाख किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है। यह सही है कुछ लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन किसी को दे रखी है। मगर अगर इतने आदमियों की जमीन बिना मुआविजा दिये हुए ले ली जाती है तो फिर इतने आदमियों को रिहैबिलिटेट करने का सवाल पैदा होता है। सरकार का यह मन्शा नहीं है कि किसी फिरके को इस मुल्क के, बेघरबार कर दिया जाय बल्कि मन्शा तो यह है कि जो पिछले लोग हैं, यहां पर पहले से बसे हुए हैं, और जो मोटे हो गये हैं वह पतले हो जायं ताकि उनको कोई बीमारी वगैरह न हो और जो बहुत दुबले पतले हैं वह ज्यादा मोटे हो जायं। तो इस तरह से सही तौर पर मुआविजे की बात जरूरी है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें कुछ चीजें और हैं। इस कानून में मुझको दो बातों को चर्चा और कर देनी चाहिये। एक तो कर्जे के मुताल्लिक है और एक है जमीन के इंतकाल के मुताल्लिक। मैं समझता हूं कि यह न तो मुनासिब है और न यह कानूनी बात है। रहा यह कि आज के बाद जितने बैनामे वगैरह होंगे, जितने ठेके वगैरह होंगे, यकीनन उन अनपढ़ और गांव के भोलेभाले लोगों की नावाकफियत मे नाजायज तौर पर होंगे और उनसे रियासतें नाजायज फायदा उठायेंगी। मैंने सुना है कि कुछ रियासतें अभी से काश्तकारों को ठेका दे रही हैं। इस तरह से गांव के भोले भाले काश्तकार अपना सब रुपया निकाल कर जमींदार को दे देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को फौरन यह कदम उठाना चाहिये जिसमें आज के बाद सब इन्तकाल बन्द हो जाय। ताकि जमीन का बैनामा, क्या ठेका, क्या पट्टा तमाम कोई शख्स, कोई जमींदार न उठा सके। जब तक इस कानून का निफाज न हो मुमकिन है कि जमींदार काश्तकार के ऊपर जितनी दीवानी में नालिशों की डिग्रियां हैं जमीन नीलाम कराने के मुताल्लिक हैं उस फंडामेंटल राइट्स के मुताल्लिक सब जमीनें नीलाम हो जायंगी तो फिर तो इस कानून का मंशा ही फौत हो जायगा। यह भी हो सकता है कि कुछ जमींदार चालाकी से झूठा नीलाम करा लें तो यह भी नामुनासिब है। अच्छा तो यही होगा कि जब तक यह कानून नाफिज न हो तब तक के लिये ये तमाम डिग्रियां रोक दी जायं। इस कानून का निफाज तमाम प्रान्त में होगा लेकिन म्युनिसिपैलिटियां, टाउन एरियाज, नोटिफायड एरियाज, कैंट्नमेंट्स वगैरह सब इससे बरी रहेंगे। मेरे खयाल में उन काश्तकारों को जो टाउन एरियाज में रहते हैं, जो म्युनिसिपैलिटियों में रहते हैं उनके ऊपर यह एक किस्म का जब्र है। कानून में यह लिखा है कि जब तक वेस्टेड एरिया में कानून के नाफिज होने के वक्त तक टाउन एरियाज बन जायंगी तब वहां भी यह कानून लागू हो जायगा। मैं चाहता हूं कि यह कानून टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटियों और नोटीफायड एरियाज में साथ ही साथ लागू होना चाहिये। मैं यह नहीं जानता कि यह कानून इस स्टेज में भी लागू होगा या नहीं होगा। मेरे दोस्त जो देहरादून के श्री शान्ति स्वरूप शर्मा हैं उन्होंने इस बात को देखा होगा कि उनके

में जो टी गार्डन है, वहां के जो मजदूर हैं उनके मवेशियों के गोबर को वे लेते हैं लेकिन

[श्री फूलसिंह]

चारे का दान उनको देना पड़ता है। यह कानून टी गार्डन ही नहीं बल्कि सारे स्टेट के लिये ही लागू हो जाय तो मैं समझता हूं कि इससे सब किसान पूरा नफा उठा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि श्री रोशनज़मां खां ने कहां तक इस चीज़ पर गौर किया था। उन्होंने यह कहा था कि असानियों को वे राइट्स हो जाने चाहिये जो भूमिधरों को हैं। उनको शायद यह मालूम है या नहीं कि दो तीन किस्म के लोग उसमें हैं यानी अंधे लूले लंगड़े जो जमीन को जोतते हैं उनका भी जिक्र उसमें है। उनका मंशा था कि उनको भी हक दिया जाय तो फिर मैं पूछता हूं कि क्या अंधे, लूले लंगड़ों को खत्म कर देना चाहिये। फिर दूसरी बात जो उसमें है वह है उनको जो रिवर बेड्स को जोतते हैं। उस जमीन में किसी को हक देना मैं समझता हूं कि उस जमीन को बेकार कर देना है। यह एक तयशुदा बात है कि रिवर बेड्स बदलते रहते हैं और इस तरह अगर एक साल एक जगह एक को हक दिया जाय मैं समझता हूं कि यह उनकी गलतफहमी थी जिसकी बिना पर उन्होंने ऐसा कहा था। फिर उनका यह कहना कि क्लासलेस सोसाइटी तो गवर्नमेंट बनाना चाहती है लेकिन इस कानून में चार किस्म के काश्तकार कर दिये गये हैं। लेकिन सीरदार तो फौरन ही १० गुना देकर भूमिधर होता है और तीसरा जो है वह ५ साल के बाद १५ गुना देकर उस हक को पा सकता है। और चौथा जो असामी है वह एक ऐसी चीज़ है जो रहनी चाहिये। तो उनका जो चार क्लासेज़ का ख्याल था वह गलतफहमी पर मबनी था। फिल्हकीकत उसमें दो ही क्लासेज़ काश्तकारों के रह जायंगे। मैं समझता हूं कि इस कानून से इस किस्म की सारी दिक्कतें रफा हो जायंगी। ठेकेदारों और मुर्तहिनों को जो हक दिया है उन पर फिर दोबारा गौर करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस कानून में जो मुख्तलिफ हद रखी गई है वह ठीक नहीं है। ठेकेदारों को इस कानून में तीन दर्जों में बांटा गया है। इसमें भी बहुत भेद रखा गया है। सब के लिए हद अलग अलग रखी गई है। मैं समझता हूं कि कानून सबके लिये एक सा होना चाहिये वह चाहे ठकेदार हो या मुर्तहिन हो या असल मालिक हो। ठेकेदार के लिए जो शर्त रखी गयी है कि ५० एकड़ ज़मीन से वह ज्यादा नहीं रख सकता है लेकिन मुर्तहिन के लिये दूसरी शर्त है कि अगर राहिन की सीर मुर्तहिन के कब्जे में है तो वह राहिन की सीर खुदकाश्त हो जायगी लेकिन अगर राहिन की जमीन खुदकाश्त नहीं थी और अगर मुर्तहिन उसे जोतता है तो वह तमाम ज़मीन को रख सकता है। मैं समझता हूं कि यह तफरीक ठीक नहीं है। एक ही पैमाना होना चाहिये हर शख्स के लिये कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ज़मीन रख सकेगा। और कम से कम कितनी ज़मीन रख सकेगा। इस कानून से जो बहुत बड़ा फायदा होगा वह थोड़ी जमीन वालों को होता है ताकि वह जमीन में इज़ाफा कर सकें लेकिन असल तो नफा तब होगा कि जब उसकी चकबन्दी हो जायगी। इस कानून में चकबन्दी की ज्यादा गुन्जाइश नहीं है अलावा कोआपरेटिव फार्मिंग होने के चकबन्दी भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार अनकरीब ही चकबन्दी का कानून लावेगी। मैं समझता हूं कि इस मामले में सब लोगों ने ध्यान दिया है और मैंने भी चन्द बातें जो इस कानून के मुखालिफ थीं आपके सामने अर्ज कर दीं। मगर मैं बिला किसी खौफ के यह कह सकता हूं कि यह कानून अपने किस्म का एक बड़ा लाजवाब कानून है और बावजूद इसके कि जो नुक्ताचीनी इस पर की गई और दूसरे साहबान ने भी इस पर की और मैंने भी

कुछ कहा इस सब नुक्ताचीनी के बावजूद भी यह कानून देश के रहने वालों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। रोहानजमां साहब ने एक बात कही कि दस गुना आप लगान तो ले लेते हैं लेकिन उससे किसान को फायदा क्या पहुंचता है। लेकिन उनको यह शायद मालूम नहीं कि किसान क्या चाहता है। शायद वह खेती नहीं करते हैं और खेती करने वालों से उनका वास्ता कुछ कमोबेश मालूम होता है। किसान तो अपनी हिफाजत चाहता है जो सबसे जरूरी बात उसके लिए है वह यही है कि उससे कोई ज्यादा वसूल न कर ले। किसान उससे परेशान न हो। अगर उससे १० गुना लगान लेकर उसको मिल्कियत दी जाय तो वह खुशी से इसके लिये तैयार हो जायगा और खुशी से इस मिल्कियत को लेने के लिये तैयार है और उसको अपनी मिल्कियत मिलने के लिये रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कानून बहुत जल्द ही इस हाउस में पास हो जायगा। मेरे वह दोस्त जो जमींदार हैं और जो इस कानून की मुखालफत करना चाहते हैं मैं उनसे कहता हूं कि उनको इसकी मुखालफत नहीं करना चाहिये, उनका तो इसमें नफा है। इसलिये उनको चाहिये कि वह इसकी मुखालफत न करें। आज यह गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वह इस बात के लिये क़ायल है कि आपको इसका मुनासिब मुआविजा दिया जाय और अगर कोई और दूसरी गवर्नमेंट आई तो वह बिला मुआविजे के ही आपसे जमीन ले लेगी और आपको इसका कोई मुआविजा भी नहीं देगी। इसलिये बाज वक्त यह देर करने वाली बात आपका बहुत नुक्सान देनेवाली बात हो जायगी। आपका इसमें नफा है कि आप जल्द इस कानून को पास कराने में मदद दें और जो कुछ आपको मिलने वाला है वह आपको मिलने वाला है वह आपको मिल जाय और वक्त गुजरने पर जो थोड़ा बहुत मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं कि यह बिल जो पेश किया गया है किसानों के लिये बहुत मुफीद है।

श्री मुहम्मद यूसुफ़—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बहुत बड़ी कोई तूलानी तकरीर करने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई तूलानी तकरीर इस पर की जाय तो दरअसल दो दिन इसमें लग जायंगे। मैं उन प्वाइंट्स को लेता हूं जिनको मैं समझता हूं कि बहुत अहम हैं और जो ऐसे प्वाइंट्स हैं जिनके ऊपर जरूर, बिल जरूर, गौर व गौर करने की खासतौर पर जरूरत है और जिनको हमारे भाइयों को समझना चाहिये और देखना चाहिये ताकि इनको इस हाउस में उनको हमदर्दी हासिल हो सके। इस उसूल को मान लेने से किसी को और हमारे प्रीमियर साहब को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रीमियर साहब को जिन्होंने निहायत काबलियत और बहुत तजुर्बे के साथ इस बिल को पेश किया है। यह बिल बहुत ही एक्सपीरियन्स के साथ दूरन्देशी के साथ और नवाजुन ख्यालात के साथ जो कि हर स्टेट्समैन को अपने सामने रखनी चाहिये वह सब समझ कर रखा गया है। हमारे प्रीमियर साहब, मैं जानता हूं कि कोई मामूली हस्ती नहीं हैं। बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं जिनके ऊपर हमारे सूबे को नाज़ है, और सारे हिन्दुस्तान को नाज़ है और जिनके नुक्ते ख्याल निहायत वसीह हैं और जो सब मसलों पर नज़र डालते हैं और हर मसले को तय करते हैं। यह खुली हुई बात है कि इस वक्त हमारे दिल निहायत ही भरे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमें इसको मानना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हैं, ख्वाह हम पामाल हो जायें, हमारी रोटी छिन जाय, ख्वाह सड़कों के भिखमंगे हो जांय लेकिन वह चन्द टुकड़े चांदी के

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

जो आप हमको देंगे उससे कोई हमारा प्राबलम साल्व नहीं होगा। इन पैसों से कोई हमारी दुश्वारियां दूर हरगिज़ नहीं होंगी और न यह इतने ही होंगे कि हमारे प्राबलम को साल्व कर सकें। आप अगर हर आदमी की जिन्दगी का कोई प्लान बनाते हैं तो आप फख्र कर सकते हैं लेकिन जहां आज एक करोड़ आदमियों की जिन्दगी वाबस्ता है उसको आप तबाह किये देते हैं। आप ने कहा कि बार बार हमने उसपर गौर किया लेकिन फिर गौर कीजिये, फिर गौर कीजिये, क्योंकि जमाना ऐसा है कि कुल हालात पर नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है। देखिये कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के निज़ाम में आज तब्दीलियां हो रही हैं लेकिन जो मुल्क कि आज डिमाक्रेसी का सबक दे रहा है जैसे कि इंगलिस्तान, वहां पर अबालीशन आफ जमींदारी अब तक नहीं हुई। यह एक एकनामिक प्राबलम है। आपको गौर करना है कि एकनामिक प्वाइंट आफ व्यू से, मुल्क की बेहतरी के प्वाइंट आफ व्यू से, यह चीज़ सही होगी या नहीं। यह कहना कि नेशनलिज्म एक बड़ी जबरदस्त चीज है, सोशलिज्म एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है तो सोशलिज्म का जो घर है, डिमाक्रेसी का जो घर है वहां भी अबालीशन आफ जमींदारी नहीं हुआ। यह कह देना कि अरे यह तो राक्षस हैं, यह तो खून चूसने वाले हैं और यह कह कर आप ठण्डे दिल से किसी की तबाही और बरबादी देखें, क्या यह जायज़ है? जमींदारों ने चाहे कोई भी गल्तियां की हों लेकिन आप उनको इस तरह से तबाह व बरबाद नहीं कर सकते। आप मसावात के हामी हैं, आपके ऐक्शन में नान वाइलेंस होना चाहिये, ख्यालात में नान वाइलेंस होना चाहिये। हम लोग एक क़ौम के हैं, एक मुल्क के हैं। एक शख्स दूसरे की तबाही और बरबादी का निहायत सकून के साथ, निहायत सुकून के साथ मज़ाक उड़ाये, क्या यह कहीं जायज़ है? क्या यह जायज़ है कि हम सब महात्मा गांधी के तरीके पर न चलें? तशद्दुद के जो हामी हैं वह हम पर हमला करें, हमारी इक्तसादी मौत लाने की कोशिश करें बेईमानी से, दगाबाज़ी से, गद्दारी से, मक्कारी से, फरेब से, जाल से यही नहीं बल्कि बहैसियत एक चोर के और बहैसियत एक ठग के हमारी तमाम दौलतें जो रूहानी हैं छीनने की कोशिश करें। यही नहीं बल्कि वह हमारी इक्तसादी हैसियत इस तरीके से कर दें कि हम दुनिया में मुंह दिखाने और फर्ज़ क़ौमी अदा करने के काबिल न रहें। जोतने वाले तुम वहीं रहो और हम तुम पर हुकूमत करेंगे। हमको तुम्हारी कोई इक्तसादी मंशा नहीं है, तुम अपनी गरीबी में रहो मगर दूसरा नज़रिया यह भी है कि तुम्हारी सारी जो पैदावार है वह हम तुम्हारे पास सिर्फ खाने के लिये छोड़कर बाकी सब ले लेंगे। यह गल्त है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी ज़िंदगी से बहुत आदमियों की ज़िन्दगी वाबस्ता है, ख्वाह वह रिश्तेदार हों, ख्वाह वह डिपेंडेंट्स हों, ख्वाह वह वह लोग हों जो हमसे ताल्लुक रखते हैं। यह ऐसे लोग सब मिलाकर करीब एक करोड़ के हैं, जिनका मसला है। यह कोई मज़ाक नहीं है। आप कह सकते हैं कि जरा देखिये यह लाइक ए डाइंग डक खड़ा हुआ है। इसको देखकर आप हंसिये। लेकिन अगर हंसेंगे तो आप अपने बुलन्द फिलसफे ज़िंदगी पर हंसेंगे, अपने मुल्क पर हंसेंगे और जितनी भी बुलन्दी आपने हासिल की है उसको खत्म कर देंगे। आपका वह फिलसफा है जिसकी शिक्षा राम, कृष्ण और महात्मा गांधी ने दी थी, आप उसको खत्म कर रहे हैं। क्या यह आप की बलन्दी है कि एक शख्स दूसरे शख्स को जालिमाना तरीके से बर्बाद करे? ख्वाह वह फर्द हो, तबक़ा हो या क़ौम हो। आप ज़िन्दगी को ऊंचा उठाएं, इक्त-

माली हालत को दुरुस्त करें, लेकिन मिनइंमुल क़ौन कीजिये, नहीं तो आपका एक पेटी फिलसफा रह जायगा, अपना पोलिटिकल एंडस को पूरा करने के लिये, और अपने वोटों को हासिल करने के के लिये, और आप उसी फिलसफे के हामी रह जायेंगे, और दगा के हामी हो जायगे। आपका इन्सान का फिलसफा, ख्वादारी का फिलसफा, सच्चाई का फिलसफा, खिदमत का फिलसफा और सब बात का फिलसफा है। मसावात के मुताल्लिक दो अल्फाज़ कह देना चाहता हूं। खुदा के सामने मसावात है, जस्टिस और सिविक राइट के सामने मसावात है, मगर इक्तसादी और माली मसावात नहीं है और न होगी। आप लोग इतने आदमी यहां पर बैठे हैं लेकिन आप लोगों में से कोई साहब एक ही माली हालत नहीं रखते। माली हालत एक नहीं हो सकती, जब तक दिमाग का फर्क है, अक्ल का का फर्क है, तजुर्बे का फर्क है इल्म का फ़र्क है, और ईमानदारी का फर्क है, तबतक मसावात का मसला माल्दियत के लिहाज़ से नहीं हो सकता। इक्तसादी मसावात का कानून कुदरत से नहीं माना है। जब आपको जरूरत होती है वोट्स लेने की तब तो आप यह कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए यह किया है वह किया है लेकिन अब यह कहते हैं। यह चीजें थोड़े ही दिन तक चल सकती हैं। यह खुली हुई बात है। इसमें सब बराबर होने चाहिये। इसको इक्वालिटी कहते हैं। जनाबवाला, डेमोक्रेसी के माने आप समझिये। यह वह दिन होगा जब ख्वायेदारी का तरीका होगा, अखलाक का तरीका होगा, हर शख्स को ईक्वल अपरचुनिटी मिलेगी। यह शक्ल रही तब तो ठीक है वर्ना हमारे सामने एक खतरनाक नक्शा होगा।

डेमोक्रेसी में डिफेक्ट यही है कि यह चीज शुरू में तो अच्छी होती है लेकिन आखिर में जा कर डेमोक्रेसी अथारीटेरियन हो जाती है यानी डेमोक्रेसी फासिज़्म हो जाती है, नाज़िज्म हो जाती है। इसलिये अगर आप लोगों के दिलों में एक कैफियत पैदा कर देंगे तो वह अपनी ड्यूटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपना फर्ज समझेंगे कि मुल्क के मुताल्लिक उनका क्या फर्ज है और उन्हें किस तरह से उसको निभाना है। आपको वही रास्ता अख्तियार करना चाहिये जो महात्मा गांधी जी ने आपको सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ को बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश किया है। इसको हम हिंदू धर्म की जान भी कह सकते हैं। यही चीज हमारे मजहब में भी बुलन्द है और ईसाइयों के मज़हब में भी यह एक खास चीज है। इसका नेचुरल बेसिस होना चाहिये कि हम सब एक बड़ी फेमिली हैं, उनके रहन-सहन का चाहे कैसा ही तरीका क्यों न हो, कैसा ही सिवलीज़ेशन क्यों न हो। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो खबरदार रहिये कि यह चीज बहुत जल्द होने वाली है। जहांतक मयनीरिटीज़ (अक्ल चले) के राइट्स (हक़) का ताल्लुक़ है उसके मुताल्लिक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको ही फैसला करना है। हम लोगों ने अपनी आज़ादी को अपने हुकूक को आपके सिपुर्द कर दिया है और आप से पूरी पूरी तवक्कोह रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह सच्चाई और ख्वायदारी जो कि महात्मा गांधी जी ने आप लोगों की ही नहीं बल्कि सारे जमाने को सिखाई है उसकी बिना पर हम लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। यह सच है कि आपको हक है आप जो सिस्टम चाहें ले लें लेकिन इसको लेने में आप यह हर्गिज न सोचें कि यह मैजारिटी का है या यह मायनारिटी का है। इसमें सबका फायदा होगा। जमींदारी का भी फायदा होगा। इसलिये आपको ख्वायदारी का तरीका अख्तियार करना चाहिये। लेकिन आप हमारी माली मौत करते हैं इस हद तक कि हमारी विदेशी मुल्क

[श्री मुहम्मद यूनुस]

ने कंटेस्ट हो। हम एक सिविलीज़ेशन को रिप्रेजेन्ट करते हैं। रूस में भी आज वही इन्क़लाब हो रहा है। अमरीका में बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट हैं और इसी तरह से इंगलिस्तान में भी हैं वह इंडस्ट्रीयल मैगनेट्स हैं। अगर आप उन पर २० फ़ीसदी भी टैक्स बढ़ा दें तो कोई असर उन की इक्तसादियात पर नहीं पड़ता। वहां के मजदूरों की हालत आप के यहां की लोअर मिडिल क्लास के बराबर है और वह लोग ४ या ५ सो डालर पाते हैं। उनका आप का क्या मुक़ाबला हो सकता है, उनकी तो इक्तसादी बलन्दी हो चुकी है। आपकी तरक्की जब ही हो सकती है कि जब आप अपने लेबर से यह मंजूर करा लें कि वह एक फेयर शेयर लेगा और मुल्क की बहबूदी को मद्देनजर रखेगा और कौम की खिदमत को करते हुए ख्याल की रोटियां खा देगा और जो उनके मुनाफ़े का मुनासिब हिस्सा होगा सिर्फ़ वही लेगा और जो कैपिटलिस्ट हिस्सा वे देगा उसे मंजूर करेगा। गांवों की इक्तसादी हालत तो आपके यहां एक अजीब व ग़रीब चीज है। आप कह रहे हैं कि गांवों में जितना लेबर क्लास है उसको हम जमीन दे देंगे। अगर आप ६¼ बीघा जमीन उसे दे देंगे तो उसका क्या भला होगा, वह उस जमीन को जोतेगा या कि आप के कोआपरेटिव फ़ार्मिंग में शामिल होगा? हमारे दोस्त चरणसिंह साहब जिनकी नजर वसीह है और उनका ख्याल सही है कि बड़ी फ़ार्मिंग खतरनाक चीज है और अगर वह तरीक़ा किसी वक्त फ़ेल होता है तो उसका मुल्क की. माली हालत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनका यह कहना क़तई ठीक है कि स्माल होल्डिंग्ज़ पर कामयाबी ज्यादा होती है क्योंकि उन पर इनडिविजुअल काश्तकार शौक़ व अरमान के साथ अपना काम करता है उनकी ज्यादा सीक्योरिटी होती है। और आप पहले ही आकुपैन्सी बना चुके हैं और सबको सीक्योर कर चुके हैं और आप के कानून से ५ साल तक तो कोई भी किसी काश्तकार को नहीं निकाल सकेगा। इन लोगों में से बहुत सों के पास तो रोटियां खाने को भी जमीन नहीं है। आप बतलाइये कि आपने हमारे लिए क्या सोचा है। उनको जो इस तरह के लोग हैं जमीन पर प्रापरटी मिलना चाहिये। और जमीन जो सबटीनैन्ट्स को दिलवा दी गई है वह पहले जमींदारों को मिलनी चाहिये। इस ५ बरस में हम खायेंगे क्या? हम तो आप की नजरों में हकीर हैं और ज़लील हैं। आप समझते हैं कि हम लोग रईस हैं, ताल्लुकेदार हैं, और हमारे पास रुपया ज्यादा है। मुमकिन है कि कुछ के पास जो इंडस्ट्रीयलिस्ट हों या बहुत बड़े जमींदार हों कुछ रुपया हो लेकिन उन की शक्ल दूसरी है और उनकी तादाद भी बहुत कम है। असल में हमारे पास कुछ नहीं है काश्तकारों के पास भी कुछ नहीं है कि वह स्टेट को दे और माली हालत दुरुस्त कर सकें। रुपया कहां है? सरकार किस तरह से रुपया देगी। दरअसल जब तक आप काश्तकारों को एग्रीकल्चरल फ़ैसीलिटीज, मैन्योर और सीमेंट न देंगे तबतक उनकी इक्तसादी हालत नहीं सुधर सकती है और न आपकी 'ग्रो मोर फूड' की कोई स्कीम ही कामयाब हो सकती है। अगर किसी काश्तकार ने जबरदस्ती कोई जमीन जो लिया तो आप के कानून से उस पर उसका कब्जा हो जायगा। यह भूमिधर और सीरदार तो अलबत्ता आपको कुछ दे देंगे लेकिन जहां तक बिला लगानी का ताल्लुक है वह आपको कुछ नहीं देंगे। आप हमारी जिन्दगी को बरबाद करते हैं, खराब करते हैं, सिर्फ़ इस वास्ते कि आपके पास कुछ फंड्स हो जायेंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि आपको रुपया मिलना चाहिये,

इतने रुपये के आप कैसे हुकूमत चलायेंगे ; यह जमींदारों का ही जिगरा है जो ४० से लेकर ६० फीसदी तक आपको मालगुजारी और सेस देता है, इसके अलावा जो अनरियलाइज्ड लगान रह जाता है वह अलग चीज है। मुलाजमीन की अजीबोगरीब हालत है। वह सिर्फ यही समझते हैं कि उन्हें इतना मारना और मर जाना है। अलावा इसके वक्फ अलल औलाद हैं इनको भी मुआवजा उसी तरह से देना चाहिये जैसा कि अउट ऐन्ड आउट पब्लिक वक्फ में समा गया है। इनकी रहा हो क्या। ऐसी हालत में आप हमारे ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लादना चाहते हैं। जब आप मुआवजा तय करें तो उसमें आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स न रखें। आपने जो बजट बताया है उसमें २ करोड़ ५ लाख की सेविंग होती है वह आप हमें दीजिये। आपको सिस्टम बदलने का अख्तियार है लेकिन यह अख्तियार नहीं है कि आप हमें बिल्कुल बरबाद कर दें, हम मुंह दिखाने के लायक न रहें। कुछ साहबान कहते हैं कि मुआविज़ा बिल्कुल न दिया जाये। उनके ऊपर यह मुसीबत आती तो उन्हें पता चलता। लोग हैरत से सुनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लड़ाइयां होंगी। मैं तो यही कहूंगा कि जीतने वाला भी बेवकूफ है और हारने वाला भी बेवकूफ है। कोई लड़ाई नहीं होगी, न इक्तसादी लड़ाई होगी और न लड़ाई तबके तबके, ब्रदर ब्रदर या भाई भाई में ही होगी। गांधियन प्रिन्सिपिल पर हमें चलना चाहिए। यह तोहफा जिसे हमने गैर मुल्कों के सामने पेश किया है जिससे उम्मीद है कि तमाम मुल्कों की जंग खत्म हो जायेगी, मोहब्बत की फिजा पेदा होगी, माली हालत दुरुस्त होगी और एक दूसरे का काम करना अपना फर्ज समझेंगे। जो कुछ भी हमारा हश्र हो जब भी मुल्क का मामला आयेगा, जहां आनर का मामला आयेगा वहां हम जान से कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह चीज है जो कि आपके सामने मैं पेश करता हूं। मेहरबान इस पर गौर कीजिये। इक्तसादी मसलों पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि हमको कत्ल कर दें हमको बरबाद कर दें। एक दफा हमने कहा था कि आपको अख्तियार है कि किसानों के मुफाद के लिये बिल लायें, लेकिन आप तो कहते हैं कि यह किसानों की डेमोक्रेसी के लिये है। यह कौन सी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो पीपुल की हुआ करती है, लोगों की हुआ करती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हुआ करता है, रेडिकल सोशलिज्म हुआ करता है और हर किस्म के इज्म हैं। जिसको जो चाहे आप बना लें, लेकिन यह गलत तरीका है। स्लोगन्स पर गवर्नमेंट नहीं चला करती, आप क्या समझते हैं कि आप स्लोगन्स से ही हम सब को मिटा देंगे। एक दिन मैं बैठा था कि मैंने स्लोगन सुना कि "जमींदारों का नाश हो"। मेरे साथ एक दूसरे शख्स बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि नवाब साहब देखा आपने। मैंने कहा मुझको तो दिखाई दिया ही; फिर उन्होंने कहा कि इस फैसले से आपका दिल तो दहल गया होगा, मैंने उनको जवाब दिया कि शर्म से नजर गिर गई। क्या हम लोग इतने गिर गये हैं, इतने ज़लील हैं, इतने खूंख्वार हैं कि जानवरों की तरह से चीख और नफरत के नारे लगायें। मैं जानता हूं कि आपकी मेजारिटी है और यह मेजारिटी की जंग है। लेकिन मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी मुल्क की खिदमत की है, जिन्दगी कुर्बान की है। हमने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। आजादी दिलायी है लोगों की हालत को दुरुस्त करने के लिये, उनको खत्म करने के लिये नहीं। डेमोक्रेसी के माने यह नहीं है कि मासेज आपको लीड करें बल्कि यह कि आप मासेज को लीड करें। वह उसी को कायम रखेगी जो कि सच्चे हैं, जिनमें तजुर्बा है, जिनमें मुत्तफिक ख्यालात हैं। जब हम

[श्री मुहम्मद यूनुस]
पुरानी चीजों की तारीफ करते हैं तो सिर्फ इसलिये कि उनमें कुछ चीज है। हम उसके फंडामेन्टल प्रिन्सिपल्स की तारीफ करते हैं, इंडिव्युजलिज्म और उस अनडेवलप्ड स्टेट की नहीं। लेकिन उसी में हमारे नबी, राम, कृष्ण, ईसा वगैरा रहे हैं, उसे हम कन्टेम्प्ट की निगाह से कैसे देख सकते हैं! उस जमाने के जज़बात की भी कद्र करनी पड़ेगी। वह राइट टाइप का फिलसफे जिन्दगी था। वह सच्चाई पर, मोहब्बत पर, टिकी थी। हमको भी चाहिये कि कुरबानी कर सकें और सच्चे बन सकें।

यह मसला कि हम आपको ग्रेट दे सकते हैं। हम आपको क्या ग्रेट देंगे। हम तो खुद इस समय अपने दिन गिन रहे हैं, याद रखिये कि जब आप एलेक्शन जीते तो हमने जमींदारों ने, छोटे जमींदारों ने एलेक्शन कराके आपको जिताया। यह ख्याल करके कि ये अपने भाई हैं, गैर लोगों की हुकूमत से इनकी हुकूमत जरूर दुरुस्त होगी। यह हमारी माली हालत को दुरुस्त करेंगे, हमारी तकलीफों को रफा करेंगे। हमने ही प्रोपेगेन्डा किया था कि इनको वोट दो, हम गुलाम हैं, आजादी हासिल करो। पर हम देखते हैं कि हमें ही कत्ल किया जा रहा है, हमें ही बरबाद किया जा रहा है। वे यह नहीं समझते कि हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। अगर आप यह समझते हैं कि किसानों से यह कहने में हमारा बड़प्पन होगा कि तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम तो यह गलत चीज होगी। इससे वह अपनी जिम्मेदारियों को भूल जायंगे। चीज यह है कि इज्जत के साथ रहने के माने वह यह समझते हैं कि लाठी लेकर घूमें और बत्तमीजियां करें। आपकी इस पालिसी से बदमाश डंडे लेकर घूमेंगे। क्या आपको मालूम नहीं इलेक्शन के जमाने में कलकत्ते में क्या हालत हुई? जो कोई इस इलेक्शन की फ़िजा में आया कि डण्डे चले। डण्डेबाज इतने घूमते हैं और कोई पूछे तो कहते हैं कि हम लीडर हैं। मैं कहता हूं इस तरीके से काम नहीं चला करते। जिस जहनियत को आप पैदा करेंगे जिस तरीके को आप आर्गेनाइज करेंगे वैसा ही होगा। जो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं उनका दिमाग आप दुरुस्त कीजिए। सिर्फ एक दिन आपको यानी वोटों के दिन आपको उनका बड़प्पन मानना पड़ेगा और आपको साफ तौर पर कह देना चाहिये कि अगर आप हमको अहल समझते हैं तो हमको आप वोट दीजिए। और बाकी दिनों में आपको उनको समझाना चाहिये और उन्हें गाइड करना चाहिये, और उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए आपको कह देना चाहिये कि मुल्क के लिये जरूरत होगी वह करेंगे। वह जमाना चला गया जब कि देहात में लोग पड़े सड़ा करते थे। आप मेजारिटी पार्टी को अपने साथ जरूर रखिये, लेकिन जो चीज अनजस्टीफाइड है उसको खत्म कर दीजिये।

मैं मशकूर हूं जनाब प्रीमियर साहब का कि उन्होंने हमारी तरफ से यह आर्गूमेंट पेश किया और सोशलिस्ट भाइयों से यह कहा कि आपने इसी बिना पर इलेक्शन जीता है। आपके इलेक्शन का मेनीफेस्टो यही है कि आप एडीक्वेट कम्पेन्सेशन (काफी मुआविजा) दें। लेकिन मैं कहता हूं कि वह आपको नजर आता होगा, लेकिन बकरी को खुद कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इसे बलिदान का बकरा न समझें और हमारे फन्डामेंटल हकूक की हिफाजत करें। उसके बाद आप मेजारिटी की तरफ देखिये। यह डेमोक्रेसी कुछ अजीब चीज है। तीन आदमी हैं और उनमें से दो आदमी यह कह देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा तो

सब चीज खत्म ही हो गयी। यह सब गलत प्रिंसिपल है। सोशलिस्ट साहबान ने रिडिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम पेश की। आपकी हुकूमत के जो हेड्स हैं उनके पास उनकी फैक्ट्स और फिगर्स आई होंगी। लेकिन क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन १० बरस तक हो जायगा? १० बरस में क्या होगा कौन जानता है। दो साल में तो यह हो गया। मेल्ड कल्टीवेशन इस कदर खूबसूरत चीज है लेकिन रुपया कहां से आयेगा। क्या आप देंगे?

यह जरूर है कि इनसे आप काफी रुपया लेंगे। जो फन्डामेंटल नीड्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं।

विलेज पञ्चायतों को लीजिए। इस मुहकमे से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। बहुत दिनों तक मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूं। मैं इसकी हालत को खूब अच्छो तरीके से देख चुका हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोगों की जहनियत और तङ्ग-ख्याली एक दिन में नहीं दूर हो सकती है। धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोपेगैंडा होते होते यह चीज एक जनरेशन के बाद दूर हो सकती है। बहरहाल जो कुछ हम लोगों ने किया है, चाहे सही किया है चाहे गल्त किया है, वह एक एक्सपेरीमेंट है। अगर गांधियन फल्सफा कामियाब होता है तो बेड़ा पार है और अगर नफ़रत के फल्सफा की तरफ लोग झुकते हैं और लोगों में एक दूसरे को तबाह करने का अरमान होता है तब तो खुदा ही हाफ़िज है।

अब मैं इन्फलेशन सिचुएशन की तरफ आता हूं। मैं बिल्कुल ऐग्री करता हूं प्रीमियर साहब से कि जहां जहां तक इन्फलेशन सिचुएशन का ताल्लुक है "इट इज वेरी डेन्जरस" यानी यह बहुत ही खतरनाक है और इससे तमाम तबाहियों के मज़ाहिरे हमारे सामने आ रहे हैं। इन्फलेशन की वजह से गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने ग्राण्ट वाली स्कीम को खत्म कर दिया जिससे ४ करोड़ रुपया आपको मिलता। कम्पेन्सेशन आपको देना पड़ेगा कानून यह कहता है। जूरिस्प्रूडेंस है और ला है। जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, मैं निहायत मश्कूर हूं कि इसका फैसला आपने स्लैब बेसिस पर किया है। एबालिशन कमेटी की दूसरी स्कीम यह है कि कम्पेन्सेशन का विभिन्न आधार पर दिया जाना गलत है। आप कहीं हमारी जिन्दगी को तबाह और बर्बाद न कर दें। हमारी कौम को तबाह न कर दें। अब जो एलेक्शन होगा उसमें कहीं जमींदार सोशलिस्टों से न मिल जायं। हम अपनी कौम के लिये और मुल्क के लिये जान दे देंगे। हमारे पास रुपया न हो और हम रुपये से चाहे मदद न कर सकें लेकिन हम जान की कुरबानियां देने के के लिये हर वक्त तैयार हैं। आपके साथ खुदा की रहमत है और महात्मा जी की दुआयें। कश्मीर में आप कामयाब रहे तो खुदा की इमदाद थी। हैदराबाद में कामयाब होने की वज़ह से आपका सदर्न डिफेन्स बहुत मजबूत हो गया। उसी तरह आपका ईस्टर्न डिफेन्स भी मजबूत हो गया। आज कल जो मसायल हैं उन पर आपको ठंडे दिल से गौर करना है। बंगाल की हालत अभी काबिल इत्मीनान नहीं है जहां तक कि उसका ताल्लुक जालिम पबलिक से है। लोगों की शिकायतें हैं, आपको देखना चाहिए जब तक आप बढ़ने के लिये तैयार न होंगे वह सर झुकाने के लिए आमादा न होंगे। यह कम्यूनिज्म बंगाल में क्यों आया इस पर आपको गौर करना चाहिये। और शान के साथ उसको खत्म करना चाहिये। हमारी आइडियालोजी हमारे साथ होगी। फौजें भी हमारे साथ होंगी। हम जानें लड़ा देने के लिए तैयार होंगे। हर शख्स अपने मुल्क की भलाई के लिए जान लड़ा देगा। यह हमारा मुल्क है। आज कल यहां तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं।

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

इंसाफ का कोई सवाल नहीं, हमदर्दी और रवादारी का कोई नज्जारा नहीं दिखाई देता। ऐसी हालत में हर शख्स पूछता है कि क्या करें ? हम जमींदार भी इस मुल्क के बाशिन्दे हैं। आप हमारे साथ रवादारी और बुलन्दी और मुहब्बत दिखलाइये। इस तरह जब आपने हमसे कहा कि तुम भी रवादारी से काम लो। आपकी सेवा है रवादारी, यह आपका कर्तव्य और फर्ज है। रफी साहब ने फरमाया कि सीर और खुदकाश्त के काश्तकारों को टीनेन्सी बिल पांच बरस के लिये रहने दो। हमारा दिल भर आया, हमारी आंखों में आंसू आ गये कि उनको नुकसान पहुंचता है। हमने मान लिया कि यह जिंदगी दूसरे तरीकेसे बदल लें। काटेज इंडस्ट्रीज सीख लें, नौकरी कर लें और अपनी माली हालत ठीक कर लें और हमारी जमीन हमको दे दें। यह आपका गलत खयाल है। और अगर आपने किसानों को जबरदस्ती ज़मीन जोतने दिया और खाने में उनका गल्ला इंतराज कराने दिया और इस तरह अगर आपने उनको बिना लगानी बना दिया तो आप उनसे गल्ला वसूल नहीं कर सकते। और आपकी 'ग्रो मोर फूड' की स्कीम आगे न चलने पायेगी। तीन साल के बाद मुमकिन है कि आपके सामने कोई और शक्ल निकल आवे। इस तरह की स्कीमें तो कोआपरेशन से हुआ करती हैं, मुहब्बत से हुआ करती हैं। जो चीज आप पैदा करें वह मुहब्बत से पैदा करें, एक दूसरे की जरूरतों को देखें। अपने मफाद को देखें और दूसरे के मफाद को भी देखें। हर आदमी के साथ हुकूमत इन्साफ करे। अगर आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेजारिटी की अहमियत क्या रही ? यह अजीबोगरीब मेजारिटी है कि आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं समझते हैं। आपको यह नहीं करना चाहिये कि माइनरिटी को कुरबानी का भेड़ा बना कर, फल फूल चढ़ा कर उसे मेजारिटी पर चढ़ा दे। यह क्या कंसेप्शन है आपका ? डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है कि अगर मेजारिटी है तो वह सबको जिन्दा रखने का उपाय करे।

मैं आपको यकीनी मुबारकबाद देता हूं। आप यकीन जानिये मैं किसी खास मकसद से यकीन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मेरे लिये तो दिक्कत यह है कि अगर अंग्रेजी में तकरीर करूं तो दिक्कत, अगर उर्दू में तकरीर करूं तो दिक्कत। उर्दू की तो बात ही नहीं, हिन्दुस्तानी में अगर बोलूं तब भी दिक्कत। यह अजीब तीतर बटेर का मामला हो रहा है। अगर बटेर की टूटी हुई टांग वाली उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोलूं जो इस मुल्क में बोली जाती है और किसी दूसरे मुल्क में नहीं बोली जाती है तब भी बड़ी दिक्कत है। मेरे सामने यह बड़ी मजबूरी है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं ? इसे मैं अपनी बदकिस्मती ही समझता हूं। मैं प्रीमियर साहब को पूरे तरीके पर यकीन दिलाता हूं कि जहां तक कंपेन्सेशन के सिस्टम यानी तरीके का ताल्लुक है मैं उनको बधाई देता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वह इस उसूल को काम में लाये हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कानूनी मजबूरियों की वजह से किया है। लेकिन फिर भी मैं जमींदारों और ताल्लुकेदारों की तरफ से उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं कि हम लोगों के रिप्रेजेन्टेशन की वजह से आपने किया।

श्री एजाज रसूल— किसके रिप्रेजेन्टेशन से ?

श्री मुहम्मद यूसुफ हम लोगों के, और उसमें मैं शामिल हूं। क्योंकि मैं आगरा प्राविंस जमींदार एसोसियेशन का प्रेसिडेंट हूं और हमने गवर्नमेंट के सामने कोई दिक्कतें नहीं पैदा की

है। हम कोई एलेक्शन यनिग बाडी नहीं हैं। हमें कोई युद्ध या जंग करना नहीं है। जो सियासी कुव्वतें होंगी, जो पार्टियां होंगी वे अपनी पालिसी के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन मैं कम्युनेल्ट इस्टट्रोमिन्ट सेक्शन क साथ देने के लिये हरगिज तैयार नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि नये जज़बात होंगे, नया तखय्युल होगा, तमद्दुन होगा, गौर होगा, फिक्र होगी, मुहब्बत की लहर दौड़ेगी और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और जहां तक डिफेन्स का ताल्लुक है दुनिया के मुकाबिले में सभी खड़े हो जायेंगे। मगर जहां तक खिदमत का ताल्लुक है माइनारिटी की सबसे ज्यादा और सबसे पहिले फिक्र करेंगे। जहां तक होगा ह्यूमन राइट्स और फन्डामेंटल राइट्स के बेसिस यानी बुनियाद पर दुनिया के तमाम माइनरटीज़ के मसले हल किये जायेंगे। दुनिया से बैनुलअक्वामी जंग को महात्मा गांधी के उसूल पर खत्म कर देंगे। तबके तबके और पार्टी पार्टी के दरमियान जो झगड़े हैं वे खत्म कर देंगे। गलत स्लोगन से आप एलेक्शन में अब कामयाब नहीं हो सकते।

आज हमारा आजादी खतरे में है। इस वक्त हमें सच्चे माने में मुल्क की खिदमत के लिये तैयार रहना चाहिये। वार कन्डीशन्स के लिये भी तैयार रहना चाहिये। हमारे यहां आइडियालोजीकल इन्वेज़न भी हो सकता है और फिज़ीकल इन्वेज़न भी हो सकता है उन सबके लिये आपको लोगों को तैयार करना है। लेकिन जब तक आप सब बातें समझ कर सबको एकजा और इकट्ठा न करेंगे तब तक आप उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा लेकिन मैं यह कम से कम जरूर कहूंगा कि एक कौम जिसकी इकतसादी मौत होने जा रही है, एक तबका यानी जमींदार जिसने इतनी खिदमात की हैं उनको कोई तारीफ भी नहीं होने जा रही है और वह तबाह और बरबाद होने जा रहे हैं इस तबके के साथ आप मुहब्बत करें, इन्साफ का तरीका अख्तियार करें उनसे कहें भाई आ जाओ मिल जाओ, वे सर झुका देंगे आपके आगे और कहेंगे कि हम खिदमत करेंगे अपने मुल्क की, अपनी कौम की और अपनी जानों को भी उसी के लिये खपा देंगे। अब यह खुली हुई बात है कि यह खतरे का जमाना है और हमको अपने को इसको देखते हुए बदलना है, कांग्रेस आर्गेनाइजेशन को बदलना है, उसके तखइयुल को बदलना है, उसकी पालिसीज़ को भी बदलना है। नफरत के फिलसफे से हम और आप पनप नहीं सकते, न कोई मुल्क पनपा है। आप देख लीजिये जर्मनी बदला, इटली बदला और चीन भी आज बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। (एक आवाज आप नहीं बदल रहे हैं)। मेरी नजर में तो जो हर रोज़ बदला करता है वह किसी काम का आदमी नहीं होता। खैर मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और न हाउस को ज्यादा दिक करना चाहता हूं। (एक सदस्य : नवाब साहब, जरा कम्पेन्सेशन पर भी रोशनी डालिये।) आपका तखइयुल ही यह हो गया है कि बिला खून की होली खेले रिवोल्यूशन नहीं होता, वाहरे, आप हैं रिप्रेजेन्टेटिव गांधी जी के। यह कैसा तुम्हारा ढङ्ग है। तुमको चाहिये तो यह था कि मुहब्बत की बिना पर, इन्साफ की बिना पर, रवादारी के बिना पर और हमारे भाई की बिना पर हमसे कहते कि आओ मुल्क की खिदमत करो और मुल्क के लिये कुर्बानी करो और अपनी जान को भी निसार कर दो। यह सब चीज़ आपके सामने है, आप इन पर गौर करें। लिहाज़ा मैं इस्तदुआ करता हूं कि हम लोग बहुत गरीब हैं और तबाह हाल हैं। किसी गुरबत के यह माने नहीं हैं कि गरीब वही है कि जिसकी माली हालत कमजोर हो या १०, २० कहीं से अपनी गुज़र औकात के लिये पैदा करता हो।

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

लेकिन हमने जो उस की खिदमात की है, पुराने आईने को आप देखिये कि हमने इस सूबे के लिये क्या नहीं किया। हमने अस्पताल और स्कूल, कालेज वगैरह में बहुत ही ज्यादा खिदमत इस सूबे की की है जो कि और किसी सूबे ने नहीं की है। हम यह कह सकते हैं कि महज़ हम ही लोग थे जिन्होंने इतनी जबरदस्त खिदमत सूबे की की है। सूबे की जिन्दगी से हमारी जिन्दगी वाबस्ता रही है। हो सकता है कि जुल्म भी किये हों और मजलूम भी रहे हों लेकिन यह हिस्ट्री ही बतला सकेगी, आप चाहे इसको नज़रन्दाज़ कर दें कि हमने सूबे के लिये क्या किया है और हमारा ताल्लुक इस सूबे से कितना रहा है। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

* श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जमींदार साहबान की खिदमत में चन्द फ़िक़रे नज़्म के अर्ज़ करना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर—जो प्रस्ताव ज़ेरे बहस है आप उसी के मुताल्लिक कहना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल—जी हां, उसी के मुताल्लिक यह है।

मेरे जज़्बे मुहब्बत में बला की है फिरावानी,
रहा करती है दिल को जुस्तजूए दर्दे इन्सानी,
इसी में मुद्दतों राहे वफ़ा की खाक है छानी,
रहे कैदे सितम में मुद्दतों तक बन के जिन्दानी,
वह दिन फ़ज़्ले खुदा से जो मयस्सर हमको आया है,
अगर सच पूछिये तो जान देकर इसको पाया है। १।

किसानों की हमें उजड़ी हुई दुनियां बसाना है,
जमींदारी की दुनियाए मजालिम को मिटाना है,
सितमरानों के पन्जों से गरीबों को छुड़ाना है,
हमें दस्तेकरम से एक आईना बनाना है,
वह आईना कि जिसमें एक सी सूरत नज़र आए,
नतीजे रस्मी आक़ा की दुनियां खत्म हो जाए।२।

ज़माने में किया बदनाम किसने आदमियत को,
लगा दी आग किसने "शाद" दुनियाए मुहब्बत को,
घटा के क़ौम की इज्जत बढ़ाया किसने ज़िल्लत को,
छुपाया किसने दुनिया की निगाहों से हकीकत को,
जमींदारी की यह सब शिद्दतों का बोल बाला है,
इसी के जोर ने देहात में गुरबत को पाला है।३।

कलेजा थाम लेंगे अहले दिल सुन सुन के अफ्साना,
हमारा जिक्र क्या, रोता है जो सुनता है बेगाना।
नज़र आता है वीराना जहां कल था परीखाना,
ज़मींदारी के हाथों लुट गया इज्जत का काशाना,
ज़मींनों के हैं फूल और आसमानों के ये तारे हैं।
किसान अपनी हुकूमत को ज़माने भर से प्यारे हैं।४।

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

किसानों की यह हालत बद से बदतर किसने कर डाली,
मयस्सर ही नहीं होती उन्हें दुनिया की खुशहाली,
जमींदारी की कुव्वत ने मुसीबत उनपे यह डाली,
कि जिससे रात दिन होती रहे इन सब की पामाली,
सितम का जोर है गुरबतज़दा आफ़त के मारे हैं।
यह फरियादी मजालिम के हुकूमत के सहारे हैं ॥ ५ ॥

हुकूमत का है फर्ज़ अव्वलीं फरियाद सुन लेना,
रिआया परवरी करना रिआया को मदद देना,
हमें अब चाहिये है दामने उम्मीद भर देना
जो वादा कर लिया है उसको पूरा आज कर देना,
जमींदारी को कर दें खत्म दुनिया में उजाला हो।
किसान आज़ाद हों और कांग्रेस का बोलबाला हो ॥ ६ ॥

फ़िज़ाए गुलशने आलम की यह खामोश तसवीरें,
मजालिम की हदों में आ गई थीं जिनकी तकदीरें,
खुदा ने बख्श दीं उनकी दुआओं में वह तासीरें,
निकलवा दीं हज़ारों साल के कब्ज़े की जागीरें,
पलट डाला जमींदारी का नक्शा उनकी आहों ने।
जमींदारों को बेकस कर दिया उनके गुनाहों ने ॥ ७ ॥

किसान आज़ाद होकर कुव्वतें अपनी बढ़ायेंगे,
सियासत में तदब्बर में यह आगे बढ़ते जायेंगे,
तिजारत में तरक्की करके दुनिया को दिखायेंगे,
उलूमे मशरिकी से फ़ैज़े रूहानी उठायेंगे,
नज़र आयेंगे जलवे हर तरफ़ हिन्दोस्तां भर में,
हर एक फन में तरक्की होगी हर देहात के घर में ॥८॥

खुदा हाफिज रहे ऐ "शाद" इस बज़्मे हुकूमत का,
कि जिसने नाम रोशन कर दिया क़ौमी सियासत का,
यह बिल का पास हो जाना नमूना है लियाकत का,
ज़माना भर मोअर्रिफ होगा इस फ़ेहमो फ़रासत का,
दिखाई शाहिदे मक़सूद ने शक्ले मसीहाई।
लगा दें साकिया होठों से मेरे जामे सेहबाई ॥ ९ ॥

जनाब वाला, अभी दो शेर और हैं। ये शेर जमींदार पार्टी के दफ्तर पर कुन्दां थीं। शायर की हैसियत से जहां गरीबों के मुहल्ले में जाता हूं, वहां राज दरबार में भी गुज़रने का इत्तिफाक होता है। मुलाहिज़ा कीजिये, शेर अर्ज़ करता हूं :

"बीमार की आंखों का इशारा है दमे नज़ा,
जाती हुई दुनिया हूं मुझे देख लो आके।
फ़रियाद है ऐ शहरे खामोशां के मकीनों,
तुरबत ने दबाया है अकेला मुझे पाके ॥

* श्री फ़ख़रुल इस्लाम—जनाब वाला, यह बिल हमारे सामने ७ जुलाई को रखा गया था। वह दिन इस ऐवान की तारीख़ में एक यादगार का दिन रहेगा और सिर्फ इस ऐवान में ही नहीं बल्कि इस ऐवान की बरसरे इक्तदार पार्टी यानी कांग्रेस की तारीख में एक तारीखी हैसियत रखेगा। और इस ऐवान के बाहर, इस मुल्क के रहने वाले गरीब और अमीर दोनों के सामने एक नज़रिये हयात रखा गया जो यकीनन तीन हैसियतें रखता है, और रखेगा एक सियासी, दूसरी इक्तसादी, जिस में जमींदारों की इक्तसादी, तंगी और खराबी और काश्तकारों की बहुत हद तक भलाई और बहबूदी होगी। और तीसरी इस बिल के अन्दर एक सोशयल पहलू भी है और मैं समझता हूं कि वह बहुत ही अहम और जरूरी है। जब जमींदारी अबालिशन के मुताल्लिक तजवीज इस हाउस में पेश हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास के जमींदार, बड़े जमींदारों के लिये नहीं कहता, बल्कि मिडिल क्लास के जमींदार यह महसूस करते हैं कि वह अपने पैरों और हाथों को ज्यादा जरूरी और मुनासिब कामों की तरफ नहीं लगा सकते जिससे वह अपनी तरक्की कर सकें और मुल्क के अन्दर एक नायनाज़ जगह हासिल कर सकें। दुनिया में जहां तक तिजारत का ताल्लुक है, उसमें हर एक शख्स नज़र रखता है कि अपनी अक्ल और होशमन्दी बढ़ावे, किसी तौर पर काहिल न हो और तरक्की कर सके। लेकिन जमींदारों का ऐसा होसला और तरीका रहा है कि जिससे इन्सान बेकार, काहिल और बहुत हद तक खराब हो जाया करता है। इसलिये जहां तक मिडिल क्लास का ताल्लुक है इससे उन लोगों की बहुत ही बुलन्दी होगी और उनमें जो कुछ भी खराबियां और काहिली पैदा हो गई हैं वह दूर हो जायगी। यह जरूर है कि इनसे उनकी आमदनी कम हो जायगी और उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हर तकलीफ में राहत और हर इनकलाब में एक नयी जिन्दगी है, एक नई रूह है। इसलिये मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास जमींदारों के लिये यह इनक़लाब की झलक है उसे खुशामदीद कीजिये। आज से वह अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी कूवत और बाज़ू के जोर से अपनी रोजी कमायेंगे।

जहां तक इसका सियासी पहलू है वह बहुत ही अहम और जरूरी है। जब से ब्रिटिश साम्राज्य की कूवतें आयीं, उन्होंने अपने चन्द उसूल मुरत्तब किये। उन्होंने सबसे पहले जिलों में बुनियाद रखी। वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक बहुत बड़ी पोस्ट रखी उसके बाद एन० डी० ओ०, तहसीलदार, स्टेशन आफिसर और उसके बाद गांव के अन्दर एक जमींदार, एक पटवारी, एक चौकीदार और एक मुखिया को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी। इस तौर से इस मुल्क की गरीब जनता के ऊपर उन्होंने हुकूमत शुरू की। मैं तमाम जमींदारों के लिये नहीं कहता, लेकिन आम तौर से ये जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के आलाकार रहे। और इस तरह से खानबहादुर और रायबहादुरों के ज़रिये से मुल्क के अन्दर हमारे सामने रिएक्शनरी फोर्सेज (प्रतिक्रियावादी शक्तियां) आईं, और वह हमारे सामने हैं। मैं जानता हूं कि जमींदारों ने इस सूबे की तालीमी और कल्चरल (सांस्कृतिक) हालत को बढ़ाने में मदद की। यह इस ऐवान को खुद मालूम है। यह सही है कि इसके मुताल्लिक उनके बहुत बड़े कारनामे हैं। लेकिन उनके सियासी कारनामे जो हैं उनको न तवारीख भूल सकती है, और न यह ऐवान भूल सकता। इसलिये

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मैं समझता हूं कि सियासी तौर पर यह बिल खास अहमियत रखता है। मुझे डर था, मुझे ख्वाब था कि कहीं कांग्रेस भी पावर में आने के बाद, उनकी दावतों और मोटरों और जैसा कि बाज जिलों के अन्दर हुआ है, उसके जोर से अपनी राय बदल दें और, जमींदारी के खात्मे को रोक दें। जमींदारों की तवारीख बतलाती है कि इन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता था कि ये कांग्रेस के इसलिये मुखालिफ हैं और खद्दर पहनना इसलिये गुनाह समझते हैं कि कांग्रेस के उसूलों को गलत समझते हैं। लेकिन जब से आप बरसरे इक्तदार आये हैं मैं यह महसूस करता हूं कि आज उनके दिमागों के अन्दर कांग्रेस की अहमियत घुस गई है और मिनिस्ट्री की खुशामद करना और उनके चश्मे आबरू पर चलना यह लोग अपना दीन और ईमान समझते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज के ऐसे अफराद को हमारा फर्ज है जिस तरीके से भी हो, मैं उनके खिलाफ नहीं कहता बल्कि इस ज़हनियत को कुचलना चाहिये। इस ज़हनियत को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिये ताकि इससे नई फ़िजा हमारे मुल्क में पैदा हो और इंसान की जो सही राय है उसका इजहार हो। लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, यह नहीं बल्कि उसकी एक राय होनी चाहिये। लेकिन आपने हवा के साथ ही अपना रुख बदल दिया। आज यह बुनियादी चीज है कि हर आदमी कहता है कि जमींदारी खत्म होनी चाहिये ताकि मुल्क में नई फिजा पैदा हो। जहां तक इसका सियासी पहलू है वह मैंने आपके सामने रख दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मुनासिब और जरूरी इकदाम है जिसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट और हमारा हाउस आगे बढ़ा है।

जहांतक जमींदारों का ताल्लुक है उनके दिल में भी एक अहसास है। वह सही है और वह हक बजानिब है। बावजूद इसके कि मैंने उनके खिलाफ इतनी बातें कही हैं लेकिन मैं मजबूर हूं यह कहने के लिये कि कम्पेन्सेशन इक्विटेबिली मिलना चाहिये। यह बिल्कुल मुनासिब है। इसलिये नहीं कि उन्हें मार्केट प्राइस (बाजारू कीमत) मिलनी चाहिये। इसलिये नहीं कि मैं इस का हामी हूं। मैं तो इसका मुखालिफ हूं। गवर्नमेंट जब अपनी पालिसी को सही और मुनासिब तरीके पर चलाना नहीं चाहती है, वह अपनी सोसाइटी के स्ट्रकचर (ढांचे) को जिसकी बदौलत वह इतनी आगे बढ़ी है नहीं बदलना चाहती है। अपने उसूलों से आगे नहीं बढ़ना चाहती है तो मैं समझता हूं कि जमींदारों का, यह कहना कि कम्पेन्सेशन मार्केट वैल्यू के लिहाज से मिलना चाहिये, सही है। अगर आप चाहते हैं किसी में कोई फर्क न हो, अमीर गरीब का कोई फर्क न रहे और सबको एक लेविल (सतह) पर लाना चाहते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपके जमींदारों ने कौन सा ऐसा कसूर किया है कि आप उनको सबसे पहले लेते हैं। इसकी कोई बुनियाद होनी चाहिये। आज आप जमींदारों के खिलाफ बोल रहे हैं उनके दिल में यह चीज चुभी और उनके दिल में एक किस्म का गुस्सा और नाराजी पैदा होती है। जब आप यह समझते हैं कि इस मुल्क के अन्दर के गरीब और अमीर का तफर्का मिट जाना चाहिये। अगर यही चीज होती तो जमींदारों को कोई एतराज न होता। लेकिन आज कैपीटेलिस्टस तो मोटरों पर चढ़े फिर रहे हैं और बिचारे जमींदार जो कल तक नवाब थे उनको आप कह दें कि फकीरी अख्तियार कर लो। यह कैसे मुमकिन है। उनके दिल में इससे एक गुबार पैदा होता है। मैं समझता हूं कि इस पर जल्द से जल्द तवज्जुह होना चाहिये। यह नाइंसाफी क्यों है। अगर आप कैपिटेलिस्ट्स को खत्म

[श्री मंजूरुल इस्लाम]

करते हैं तो जमींदारी को भी खत्म कर दें। इसमें कम्पेन्सेशन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आप कम्पेन्सेशन देकर उन लोगों को फिर से जिन्दा रखना चाहते हैं और उनकी मौत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब एक प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) तै हो गया तो उसको जारी करना चाहिये और देखना चाहिये कि उसके नतायज क्या होते हैं। तमाम स्कीमें साथ ही साथ चलाई जायं तो सही नतायज निकलेंगे और एक एटमास्फियर (वातावरण) बनेगा। एक लायक दोस्त ने कहा कि वह सब कम्युनिस्ट हो जायंगे, ऐसा ख्याल दुरुस्त हो सकता है। आप को सोचना है कि जमींदारों के बच्चों का क्या इन्तजाम होगा और यह स्टेट का फर्ज है वर्ना यह सही है कि वह कम्युनिस्ट और रिवोल्यूशनरी बनेंगे। आप उनकी दुश्मनी में यह ऐक्ट नहीं लाये हैं और उनको अच्छे नागरिक बनाने के लिये लाये हैं और आपको सोचना है कि आप उन की भलाई के लिये क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस बिल के पढ़ने के बाद कहीं पर भी यह नहीं देखते कि जो मकरूज हैं जिनकी जायदादें रेहन हैं उनका क्या हश्र होगा। इसका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है लेकिन आनरेबिल प्रीमियर साहब ने अपनी तकरीर में इशारा किया था कि इस के मुताल्लिक दूसरा बिल आएगा ता उससे सन्तोष हो जायगा। और जो जायदाद हमारी ली जा रही है उसके एवज़ में कर्ज में भी कोई रिआयत हो सकेगी। ऐसा होता तो उनके सामने भी दूसरा नजरिया होता और उनको कुछ इत्मीनान होता। लेकिन बहरसूरत जो वक्त का तकाजा है इस वक्त जमींदारों की बाबत सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप ही इस मुल्क और सल्तनत के सबसे प्यारे और दुलारे रहे हैं, आप भी वज़ीर रह चुके हैं और हुकुमत कर चुके हैं, यकीनन आज नहीं हैं लेकिन आप एजूकेशन के पायनियर हैं और आप को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिये कि आप इस सूबे में इक्तसादी दुनिया में पायनियर्स (अग्रगामियों) की हैसियत रखते हैं और आज भी आप दुनिया को दिखला रहे हैं कि हम अपनी उस जायदाद को जो हम अपने खून पसीने से बनाई थी कम मुआवजा लेकर ही दे रहे हैं। आपको इस बात पर गौर करना चाहिये कि इससे किसानों की माली हालत पर क्या असर पड़ेगा और काश्तकारों की जो आपसे तवक्को थी वह कहां तक पूरी हुई। इस बात पर आप को गौर करना है और यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है और जरूरी पहलू है और इससे हमारे मुल्क की इक्तसादी हालत पर क्या असर पड़ता है। काश्तकारों के लिए यहां सन् २१, २६ और ३९ में काफी रिफार्म हुए, आपके पहले भी हुए और आपके जमाने में भी हुए। और सन् २६ का एक्ट जमींदारों ने अपनी हौसलामन्दी से ही लागू किया था और बहुत से हकूक काश्तकारों को दिये थे। देखना यह है कि जमींदारों के हटने से काश्तकारों को क्या फायदा होता है। कुल बिल को देखने के बाद यह पता नहीं लगता कि जमींदारों के हटने के बाद आखिर वह कौन सी एजेन्सी के होगी जो इन इण्टरमीजियरीज को हटा कर इनकी जगह लेगी। कौन होगी आप बतलाइए? एक जगह यह जरूर लिखा है कि यह चीज रूल्स के जरिये से मुरत्तिब होगी और बताया जायगा कि फलां फलां रूल्स से होगा। मैं यह नहीं समझता कि यह कहां तक मुनासिब है कि इस मामले को एवान में न लाकर आप रूल्स के जरिये से बतलावें कि आप किस एजेन्सी के जरिये से अपना काम चलावेंगे और उस एजेन्सी का जिक्र तक इस बिल में मौजूद नहीं है और न कोई हवाला ही है और न अमल में लाने का कोई तरीका ही दिया गया है जिससे इस हाउस के मेम्बरान उस पर गौर कर सकते

और आई और तरमीम या बेहतर तरीका आप के सामने पेश कर सकते। अगर मैं यह समझूं कि आपने वही तरीका तहसीलदारों, कोर्ट आफ वार्ड्स या कुर्क अमीनों का अख्तियार किया वसूली का, तो मैं अदब से गुजारिश करूंगा आपने एक मामूली जमींदार को हटा कर जबरदस्त जमींदार को जगह दे दी है। इस ऐवान में बहुत से मेम्बरान को कुर्क तहसीलदार या कुर्क अमीन का तजुर्बा होगा किस तरह से वह तहसीलों में जाकर रुपया वसूल करते हैं। हर शख्स जानता है कि वह उस तरह से, जिस तरह से जमीन्दार नजराना लेता है, रसीद लिखता है तो लेता है, यह तमाम कार्यवाहियां करते हैं और हजारों गवाहियां आपको इस सिलसिले में मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह निहायत नाइन्साफी है। मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर विचार किया जायगा और बेहतर यही होगा कि गांव पंचायत या गांव समाज के सुपुर्द ही आप काम को कर दें। जब वह लोकल फन्ड्स रेज (मुकामी चन्दा वसूल) करेंगी तो कलेक्शन (वसूली) का काम भी बहुत आसानी से कर सकती हैं और उन पर ट्रस्ट (एतबार) किया जा सकता है कि वह रुपये को वसूल करके गवर्नमेंट ट्रेजरी (खजाने) में जमा कर दें। कुर्क अमीनों का जो तरीका मैंने बताया काश्तकारों के लिए मुफीद साबित नहीं होगा।

दूसरा सवाल एक और है जो बहुत अहम और जरूरी है वह यह कि कम्पेन्सेशन का तरीका क्या होगा इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। कम्पेन्सेशन आप किस तरह से देंगे, आया वह बांड की सूरत में होगा या कैश (नगद) होगा, इसके मुताल्लिक आप बिल्कुल खामोश हैं। इसका कोई जिक्र बिल में नहीं है। आप कह सकते हैं कि बड़े जमीन्दार इस मुल्क के ऐसे हैं जिनके पास कुछ सरमाया है और वह उसे खा पी सकते हैं लेकिन जैसा कि आप कहते हैं २० लाख का तादाद ऐसे जमीदारों की है जो छोटे जमींदार हैं, जिनको जमींदार कहना गलत है। उनके लिए आपने क्या तरीका सोचा है। आप उनको कैश देंगे या बांड देंगे। मैं समझता हूं कि आप उनको कम्पेन्सेशन कैश दें ताकि वह किसी दूसरी लाइन में जा सकें और अपने कामों को मुनासिब तौर पर कर सकें और सोसाइटी पर एक बार न हों।

अब मुझे यह देखना है कि काश्तकारों की भलाई के लिए आपने इस बिल में क्या किया है बजुज़ इसके कि आपने टेनेन्ट्स २ किस्म के बना दिये। एक को १० फीसदी देने के बाद आप उनको ट्रान्सफर राइट्स देते हैं। यह एक ऐसी डिमांड थी जो काश्तकार और इस मुल्क की जनता और यहां की सियासी जमातें और आप लोग भी यह कहते थे कि मौजूदा टेनेंसी ला के अन्दर ट्रान्सफर राइट्स दे देना चाहिये अगर आपने ऐसा किया तो कोई बड़ी निआमत आपने काश्तकारों को नहीं दे दी जब कि यह आम मतालबा था और हमेशा से था कि ट्रान्सफर राइट्स को हर हालत में मिलना चाहिए, चाहे वह १० फीसदी दे या न दे। यह तो वही मसल हुई कि एक घोड़े के सामने एक गाड़ी लाकर खड़ी कर दी और कहा कि पहले दस फीसदी दो तब हम ट्रान्सफरेबिल राइट्स देंगे। यह तो कोई अच्छी चीज़ काश्तकारों के लिये नहीं है। मैं तो समझता हूं कि अगर उसे परमानेंट राइट्स मिलते हैं तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा ५ परसेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये। अगर स्टेट को कोई नुकसान होता है तो जो इन्टरेस्ट (सूद) स्टेट एक्युमुलेट (जमा) करेगी, उससे वह कम्पेन्सेट (पूरा) कर लेगी। इससे जमींदारों को जो कमिटमेंट (वादा) है उसमें भी पूरा करने में कोई दिक्कत न होगी।

[श्री फ़ज़लुल इस्लाम]

इसी सिलसिले में मैं यह भी कह दूं कि काश्तकारों के लिये आपने जो तरीका रक्खा है वह गौर तलब है और उन पर देखना और सोचना है। उनसे काश्तकार कहां तक फायदा उठा सकते हैं और यह रेमीशन जो आपने रक्खा है वह कहां तक मुनासिब है। आप इस पर भी गौर करें कि आपने इस सूबे के ज़मींदारों के लिये कुछ न कुछ दिया है या बड़े बड़े काश्तकारों के लिये आपने कुछ इन्तज़ामात किये हैं, लेकिन आपने उन काश्तकारों के लिये क्या किया जो आज सूबे में सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं, जो समाज के लिये, सोसाइटी के लिये एक भार है और जिनकी हालत देख कर हर इन्सान खून के आंसू रो देता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर इनकी हालत कब दुरुस्त होगी। इस बिल के अन्दर उनके लिये न कोई मदद है न कोई सहारा, जिससे कि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकते, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वे अपने बच्चों का नाम स्कूलों में लिखा सकें, या उनके खाने पीने का इन्तज़ाम कर सकें। अगर आप देहातों में जायें तो हज़ारों बच्चों को आप नंगे देखेंगे, आंखें दबी हुई हैं, खून तो बदन में जैसे है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप उन काश्तकारों के लिये क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट जिस पर आपने हज़ारों रुपया बरबाद किया है बिल्कुल बेकार है और इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। जब कि आपने उन गरीब और मुसीबत ज़दा काश्तकारों के लिये कुछ नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट फिर किसके लिये है। इसे तो ज़रूर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। (आवाजें—खूब, खूब) उस तरफ से आवाजें आ रही हैं जिससे मालूम होता है कि वे इस रिपोर्ट के बड़े हामी हैं। मुझे वह बतलाने की कोशिश करें कि इसमें क्या बात रक्खी है। कम्पेन्सेशन के बारे में क्या डिसीशन (फैसला) है, टेनेन्सी के बारे में क्या स्कीम है और दूसरे मामलों पर क्या डिसीशन है। यह ज्यादा अच्छा होता कि अमीर रज़ा साहब अपने कमरे में बैठ कर एक रिपोर्ट तैयार कर देते और हमारे सामने रख देते। वह डिपार्टमेंटल रिपोर्ट होती जिसमें स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) होते और उनकी बिना पर हम कुछ समझ सकते। मैं फिर पूछता हूं कि इस बिल के अन्दर उन मुसीबतज़दा किसानों के लिये कुछ ज़िक्र किया गया है? जहां तक अनएकोनामिक होल्डिंग का सवाल है और छोटे लोगों के रिलीफ (इमदाद) का सवाल है वह कहां तक दिया गया है कितना दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। और क्या वह रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है? (एक आवाज—शायद आपने बिल को नहीं पढ़ा है) इस तौर पर मैं समझता हूं इन काश्तकारों की तरफ आपको कुछ तवज्जह देनी चाहिये और गौर करना चाहिये कि ऐसे लोगों को जो २ रु०, ३ रु० या ४ रुपया लगान देते हैं उनके लगान में आप को रेमीशन (छूट) करना चाहिये। आप ८ आना रुपया, ४ आना रुपया या २ आना रुपया कुछ भी रेमीशन करें लेकिन मैं यह कहूंगा कि रेमीशन की ज़रूरत है। अब भी अगर आप कर सकते हैं तो करें कोई हर्ज नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में उसे करा दीजिये।

सबसे आखिर में जो सवाल है वह लैंडलेस लेबरर्स का है। उनके लिये भी इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। कहीं भी उनका ख्याल नहीं रक्खा गया है। अभी मेरे एक दोस्त ने एक शेर पढ़ा। शायद उसका मतलब यह था कि ऐसे लोगों की ऐसी हालत कुछ दिनों के लिये और रहने दी जाय ताकि वे उनके ऊपर हुकूमत कर सकें और उनको गलत या सही रास्ते पर जिस पर वे ले

जान चाहें ले जा सकें। मैं नहीं समझता हूं कि लैंडलेस लेबरर्स के लिये कोई तजवीज़ इस बिल में की गई है। आखिर वह कहां जावें। आखिर उनके लिये समाज में क्या जगह होगी। लेकिन इस बिल के अन्दर उनको कोई जगह नहीं है। और न यही बताया गया है कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जायगा। आप खुदकाश्त की हद मुकर्रर कर दीजिये।

कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार मेम्बर और काश्तकारों के बड़े हमदर्द अभी यह फरमा रहे थे कि काश्तकारों को यह मौक़ा दिया जाय कि -अगर एक साल वह चाहें तो दूसरे किसी किसान से काश्त करा ले और वह बेदखल न हो। मैं तो कहता हूं कि जो आदमी ६ महीने भी काश्त नहीं करता है वह बेदखल होना चाहिये। किसी शख्स को हक़ हासिल नहीं कि वह खुद काश्तकारी न करे और उससे फायदा उठाये। जिसे ज़मीन में कोई हक़ नहीं होगा उसे ज़मीन से क्या मोहब्बत होगी, क्या जोश होगा और कैसे खेती बढ़ सकती है। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी खेती करे और दूसरा उससे फायदा उठाये। (एक आवाज़—अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आप का बैल मर जाता है तो आप क्या करेंगे।) एक आदमी के बीमार होने से कोई काम नहीं रुक जाता है। दूसरे आदमी रहेंगे, उसके मुलाजिम रहेंगे। भाई भतीजे रहेंगे और आजकल की बीबियां भी काम कर सकती हैं। यह कोई सवाल नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि लैंडलेस लेबरर्स की तरफ आप को तवज्जुह देनी चाहिये। उनकी तरफ आपको गौर करना चाहिये। उनके लिये आप क्या करते हैं आपको तो यह देखना है। वे दबे हुये लोग हैं। उनके लिये अवश्य ही कोई मुनासिब और जरूरी सहारा होना चाहिये। तभी वे मुनासिब तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरह पर हमारी और हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इस तरह से मोटी मोटी बातें आपके सामने मैंने रख दीं और आशा है कि आप उन पर ध्यान देंगे और आप सोचेंगे कि इन बातों पर आप क्या कर रहे हैं।

एक और बात यह है कि गांव सभा और गांव समाज क्या चीज है इस चीज को मैं समझ नहीं सका। यह क्या है? क्या वे पंचायत राज सभा से डिफरेंट (मुख्तलिफ) होंगे, क्या उनका नाम यह रख दिया जायगा। इनका इलेक्शन कैसे होगा? ये सब बातें इस बिल में नहीं पाई जातीं कि ये लोग किस तरह से आयेंगे और किस तरह अपने काम का सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

फिर इसके बाद मैं और मसायल पर बोलूंगा। अभी मेरे एक सोशलिस्ट दोस्त ने यह बतलाने की कोशिश की है कि वक्फ के मसले में यह बिल मुनासिब कार्यवाही नहीं करता है। मैं समझता हूं कि जहां तक वक्फ का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट ने बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर तरीका अख्तियार किया है। मुझे भी वक्फ बोर्ड में काम करने का मौक़ा मिला है। तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि आजकल औकाफ की बहुत ही खराब हालत है। उनका हिसाब किताब, उनकी आमदनी और उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मुतवल्लियान बहुत ही नाजायज और गलत तरीका अख्तियार करते रहे हैं। आपने एक मुनासिब कदम यह उठाया है कि जितना चैरिटेबिल और रेलीजस परपजेज (खैराती और धार्मिक कार्यों) के लिये वक्फ होगा, चाहे वह १० हजार हो या ५ हजार हो, उतना आप मुतवल्लियान को देदेंगे। और वह उसको सर्फ़ करेंगे। इस सिलसिले में मैं इतना चाहूंगा कि वह रुपया वक्फ बोर्ड या जो हिन्दू समाज या बोर्ड या असोसियेशन हो उसके ज़रिये से मुतवल्ली के पास जाय। ऐसा करने से वक्फ बोर्डों को हिसाब किताब को देखभाल करने में आसानी होगी। कास्ट आफ मैनेजमेंट (प्रबन्ध के खर्च) के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि इसमें

[श्री ख़ुशवक़्त राय]

कोई रुकावट न लगाई जाय कि जो वक्फ के अग़राज़ हैं वही मिट जायं। वक्फ की बुनियाद यह है कि एक आदमी एक जायदाद को अपने खानदान वालों के लिये वक्फ करता है और जब उस खानदान में कोई फर्द बाक़ी नहीं रहता है तब वह जायदाद किसी रेलीजस परपज़ के लये डेडीकेट (समर्पण) हो जाती है। आप अपनी स्कीम के मुताबिक़ कुल रुपया मुतवल्ली को दे देंगे और वह मुतवल्ली जिस तरह चाहेगा उसको खर्च करेगा लेकिन इससे डेडोकेटर (समर्पण करने वाले) की जो ख्वाहिशें थीं वह खत्म होती हैं। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है आप हर एक बेनीफ़िशियरी को एक यूनिट तसलीम कर लें और जितनी बेनीफ़िशियरीज़ हों उनको अलग २ कम्पेन्सेशन दें। मेरे ख्याल में यह ज्यादा मुनासिब होगा।

आख़िर में मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने जो क़दम उठाया है वह बहुत ही मुनासिब और बेहतर क़दम है लेकिन यह कहना कि यह एक बहुत बड़ी सीढ़ी है मेरी समझ में किसी हालत में सही नहीं है। हमें यही कहना चाहिये कि यह फर्स्ट स्टेप आनवर्ड (आगे पहला कदम) है गो कि इस दफा में यह शुबहा पैदा होता है या हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप आनवर्ड न हो।

Provided that the Provincial Government may, by notification in the gazette. extend the whole or any portion of this act to any such area or state subject to such extensions, additions or modifications as it thinks fit.

(किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार गज़ट में विज्ञप्ति करके इस पूरे ऐक्ट या इसके किसी भाग को, ऐसे विस्तारों, वृद्धियों या परिवर्तनों की पाबन्दी के साथ,जिनको वह उचित समझे, ऐसे किसी क्षेत्र या रियासत पर लागू कर सकती है।)

यह कहा जाता है कि बिहार गवर्नमेंट के ऐक्ट में जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अमेंडमेंट कर दिया है उससे ऐसा ख्याल पैदा होता है। यह कहा जाता है कि बिहार सरकार ने एक तरमीम की और हिन्द सरकार ने भी तरमीम की। इसी तौर से आपने रक्खा है ऐसा ख्याल होता है। आपकी बाज स्कीमें लखनऊ और कानपुर में चल रही हैं जैसे प्रोहिबीशन की स्कीम चन्द जिलों में जारी है। जुडिशरी और एक्जिक्यूटिव के सेपरेशन की स्कीम दस जिलों में है। इसी तरह से मोटर ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कुछ जगहों में बसें चल रही हैं और बकिया सड़कों को छोड़ दिया है। बस वाले जिनका रोजगार मारा गया है वह आपको गालियां दे रहे हैं। कमायूं ट्रांसपोर्ट चल रहा है उनके ओनर्स (मालिक) मजा कर रहे हैं। जिस तरह नशाबन्दी दस जिलों में हो रही है उसी तरह आप इसको भी करने का इरादा करें तो यह किसी हालत में मुनासिब नहीं है कि आगरा में किया जाय और अवध में न किया जाय। मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है और जो कुछ करने का इरादा किया है उसकी तरफ जल्द से जल्द कदम उठायें। उसकी खानापुरी में देर न कीजिये। उसे पीसमील (टुकड़ों में) न कीजिये। गुस्सा और नाराजगी पैदा हो रही है। यह जमींदार और कारखाना के मालिक और वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं, यह सब एक साथ होंगे। इन सबको मिटाना चाहिये। इसमें देर न करना चाहिये। इसमें तरक्की करना चाहिये। इस वक्त जो कदम आपने उठाया है, उसके लिए आप काबिले मुबारकबाद हैं। हम वादा करते हैं कि हमारा कोआपरेशन, हमदर्दी और सहयोग आपके साथ होगा।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—श्रीमान् स्पीकर महोदय, यह जो जमींदारी विनाश बिल है, इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातेंकही गयी हैं। कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं कि यह बिल जितना आगे जाना चाहिये था, नहीं जाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस प्रकार का समाज हम आगे बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का समाज पूरे तौर से आगे बना हुआ दिखाई नहीं देता है। कुछ जमींदार बन्धु हैं, वह इस बात को कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा भारी जुल्म किया जा रहा है। जो मुआविजा इनको दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें इस पर पेश की गयी हैं। पहली बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वह यह है कि यह बिल भारतवर्ष में जो इस प्रान्त में पेश किया गया है वह ऐसा बिल है जिसके कारण हमारे संयुक्त प्रान्त का मस्तक बहुत ऊंचा हो गया। अन्य प्रान्तों में जमींदारी विनाश बिल पेश हुये हैं परन्तु उनका वह स्वरूप न था जैसा इस बिल का है। दूसरे प्रान्तों में जो वहां के काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। वे यह कहते थे कि हमारे यहां का बिल बहुत असन्तोषजनक है। मैंने मद्रास का भी बिल देखा और बिहार का भी बिल देखा। मगर उनमें जो बातें हैं वे बातें अभी तक उस प्रकार की नहीं है जैसी हमारे बिल में हैं। इस बिल में जो बातें हमने मुख्यतः रखी हैं वे ये हैं कि हमारे भारतवर्ष का पहला सिद्धांत अध्यात्मवाद है। उसकी बुनियाद इसमें पायी जाती है। हमारे भारतवर्ष में समय समय पर जितने ऋषि मुनि हुये, जितने साधु सन्त हुये, जितने राजनैतिक कार्यकर्ता हुये, उन्होंने भारतवर्ष के मनुष्यों को रात दिन इसी बात को कह कर जगाया कि देखो, यह जगत इस प्रकार का नहीं है कि एक मनुष्य के पास अधिक वस्तु हो और दूसरे मनुष्य के पास कम वस्तु हो। यह समाजवाद और साम्यवाद बिल्कुल अधूरावाद है क्योंकि अभी इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। केवल इस बात को कहने से कि हम सब मनुष्यों को बराबर समझते हैं समाज में सभी मनुष्य बराबर हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। केवल इस बात को कहने से कि देखो, प्रत्येक मनुष्य को बराबर अन्न और कपड़ा मिलना चाहिये, इससे मनुष्य का मस्तिष्क और दिल संतुष्ट नहीं होता है। हमारा अध्यात्मवाद यह कहता है कि हम उस परमात्मा, परमब्रह्म, और उस परम तत्व को,प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जीव में एक सा देखना चाहते हैं। इसी का नाम अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद कहता है कि चाहे चाण्डाल हो या गाय हो या हस्ती हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जो इस जगत् में है उसको हम एक सा देखना चाहते हैं। हमारे संयुक्त प्रान्त ने इस बिल को सामने रख कर उस अध्यात्मवाद की तरफ पहला कदम उठाया है और भारतीय संस्कृति को कायम किया है। अभी हमारे एक मित्र ने राम कृष्ण का नाम लेकर यह कहा कि भारतीय सभ्यता के यह बिल विरुद्ध है। लेकिन मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में किसी जगह ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के पास लाखों बीघे जमीन हो, लाखों रुपये हों और वह ऊंचा हो और लाखों गरीब हों। इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में कभी नहीं थी। हमारे भारतवर्ष में वही मनुष्य सर्वोच्च मनुष्य समझे जाते हैं जिनके पास कम से कम भूमि हो, जिनके पास कम से कम मकानात हों, जिनके पास कम से कम धन हो किन्तु उन्होंने सबसे ऊंचा त्याग किया हो, तपस्या की हो। हमारे यहां के राजाओं में अगर किसी की गिनती की जाती है तो राजा जनक की की जाती है। हमारे यहां सबसे बड़ा मनुष्य और कोई माना जाता है तो राजा हरिश्चन्द्र माना जाता है जिसने सत्य के

[श्री रघुनाथविनायक धुलेकर]

ऊपर अपने को न्योछावर कर दिया। अपना राज पाट दे दिया, अपनी स्त्री को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और उस सत्य का पालन करने के लिये अपने को डोम के घर बेच दिया। हमारे यहां जितने साधु सन्त हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐ मानव जाति, इस बात को देखो कि रुपये, पैसे और धन में तुम्हारी उच्चता नहीं है। तुम्हारी उच्चता नैतिक उच्चता ही में है। और हमी जानते हैं कि जब कांग्रेस का आंदोलन प्रारम्भ हुआ तो यही नैतिकता है जिसके बल पर सफलता प्राप्त हुई। जितने लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि ५०, ६० वर्ष में जितने राजनैतिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं वे सभी इसकी कदर को जानते हैं। और यदि उनमें उच्चता पायी जाती है तो आप इस बात को देखेंगे कि उनकी त्याग और तपस्या का ही फल है कि आज प्रत्येक मनुष्य कांग्रेस को और उसके कार्यकर्ता को एक उच्च दृष्टि से देखता है। अगर आज कांग्रेस कार्यकर्ता कोई गलती करता है तो सभी उसकी तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि यह ऐसा है वैसा है। आखिर इसका कारण क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाय कि मनुष्य स्वयं अपना स्तर (स्टैन्डर्ड) अच्छा से अच्छा निर्धारित करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो मनुष्य इस बात का दावा करता है कि वह बड़ा उच्च है तो उसको उसी तरह का कार्य करना चाहिये जिस तरह की लोग उससे आशा करते हैं। खासतौर से कांग्रेस से लोग उसी तरह की आशा करते हैं। आज बहुत से पापी लोग हैं, अनेकों पतन के गड्ढे में गिरे हुए हैं लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली उठा कर कुछ नहीं कहता है। परन्तु हर एक आदमी कांग्रेसमैन की तरफ उंगली उठाता है। आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेसमैन एक अमानत है। कांग्रेसमैन नैतिकता का आधार है। कांग्रेसमैन नैतिकता का आंदोलन करने वाला है। उसके साथ इस बात का दावा करने वाला है कि वह इस जगत् में मानवता को फैलाने वाला है, मानवता को ऊंचा करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज हमने यह सच्चा कदम उठाया है कि हम इस बिल के जरिये से ऊंच और नीच की जो व्यवस्था, जो व्यवहार इस भारतवर्ष में था उठा दें। हमारे ही युक्त प्रान्त में लाखों रुपये रखने वाले हैं जो न पढ़े न लिखे हैं, न उनमें सदाचार है, न उनमें किसी तरह का आचार है और न कोई और बात है उनके पास लाखों रुपये हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और छोटे-छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ५० वर्षों से गरीबी को अपनाये हुये हैं, गरीबी को गले में बांधे हुये हैं। हमारे जमींदार लोग कहते हैं कि आज हमको पूरा पूरा प्रतिकार नहीं दिया जाता है, आज हमको पूरा दाम नहीं दिया जाता है। हम उनसे इस बात की प्रार्थना करते हैं, हम उनसे करबद्ध प्रश्न करते हैं कि जब दुनिया जाग रही थी तब आप क्यों सो रहे थे। जब ५० वर्षों से यह आंदोलन चल रहा था और बार बार यह कहा जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी को हिन्दुस्तान में पैदा किया है, जमींदारों को लार्ड कार्नवालिस ने पैदा किया है, जमींदारों से उन्होंने ऐसा कंट्रैक्ट कर लिया है कि तुम काश्तकारों से रुपया वसूल करो, और हमको दो तब आपने हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की। पहले दलाली करके ६० साला बन्दोबस्त बनवाया, आपका इतिहास यह जाहिर करता है कि आप केवल १० फी सदी लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ९० फी सदी देते थे, फिर धीरे धीरे खुशामद करते करते, ३० फीसदी, ४० फीसदी और ५० फीसदी और ५५ फीसदी तक आप लेने लगे और बाकी अंग्रेजों को देने लगे। अंग्रेजी राज को कायम

रखने में आपने इतनी बड़ी सहायता की। हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हमने इस भारतवर्ष में पैसा लगाकर बहुत सी चीजें क़ायम कीं। वह कहते हैं कि संगीतशास्त्र हमने क़ायम किया, अच्छे मकान हमने बनवाये और अगर कोई सभ्यता या कोई तहजीब है तो हमने ही हिन्दुस्तान में कायम रखी। बाकी लोग मामूली तौर से जो बसे हुये थे वह गंवार थे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सूबे ने, संयुक्त प्रान्त में, जमींदारों ने कौन सी ऐसी बड़ी इमारत बनाई है कि जिसके कारण हम इस बात को कहें कि निर्माण कला उन्होंने कायम रखी। हम उस आर्ट को देखना चाहते हैं जो जमींदारों ने यहां कायम किया। (श्री वीरेन्द्रशाह-यूनिवर्सिटी बनवाई।) मेरे मित्र कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनवाई। मैं पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी किस कला का इज्हार करती है। कौन सी कला उसमें है? अंग्रेजों ने बनवाई। अगर आप बहुत अच्छे थे तो क्या आपने दूसरे मुल्कों की तरह कुछ किया? रूस में जैसे जमीन के अन्दर अंदर तमाम चारों तरफ रेलें दौड़ रही हैं क्या आपने वैसी कोई चीज यहां कायम की? या जो कि सेक्रेटेरियट है जिसे अंग्रेजों ने बनाया उस प्रकार की कोई बिल्डिंग क्या किसी जमींदार ने पहले बनवाई। आज रेडियो के गाने हम सुनते हैं और जो वर्तमान संगीत कला मानी जाती है क्या वैसी कोई भी संगीत कला किसी जमींदार ने कायम की? नहीं की। कभी कभी शादियों में नाच और गाने करा लेने से क्या आप समझते हैं कि आपने संगीत को कायम रखा है, क्या आप यह बतला सकते है कि आपने संगीत पर कोई पुस्तक लिखवाई है? और दूसरी बातें भी जो अंग्रेजों के जमाने मे हुई उनमें भी आपने कौन सा हिस्सा लिया है। आज जितनी कम्पनियां आपको दिखाई देती हैं, जितनी अंग्रेजों के जमाने में यहां खुली हैं, अगर उनमें देखा जाय तो सारा कैपिटल दूसरे लोगों का है। जमींदारों का तो उनमें ५ फी सदी भी नहीं लगा हुआ है। वकील, कंट्रेक्टर, डाक्टर और दूसरे लोगों का ही सारा रुपया उसमें लगा हुआ है। जब कि स्वदेशी की मूवमेंट चली तो इन लोगों ने रुपया लगा कर यहां पर मिलें खोलीं और देशी कपड़ा तैयार करके लोगों को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो जमींदारी बिल आज आपके सामने है यह तो वक्त की जरूरत के ऊपर ही यहां पर आया है और जो कांग्रेस ने तय किया था उसके मुताबिक ही है, और यह तो इस प्रकार की घटना है कि जब धीरे धीरे जमींदारों के पैर उखड़ने लगे और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं रहा तब वक्त की जरूरत यह हुई कि इस बिल को यहां पर लाया जाय और उसी तरह से जमींदारी का विनाश किया जाय। आज कहीं पर, किसी जगह पर, कोई आदमी, कोई तबका, कोई फिरका जमींदारों की मदद करने को तैयार नहीं है और न यह कहने के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जमींदारी प्रथा को ५ मिनट के लिये भी कायम रखा जाय। जो मौका जमींदारों को हिन्दुस्तान में मिला उस मौके को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। मैं जमींदारों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस आंदोलन में हजारों, लाखों लोगों ने, विद्यार्थियों ने और दूसरे लोगों ने, डाक्टरों ने, वैद्यों ने, वकीलों ने २५ वर्ष तक अपने जीवन को बरबाद कर दिया, अपने जीवन को मिटा दिया और अपने को तबाह कर दिया, खुद गरीब बन गये। क्या जमींदार ने कभी यह सोचा कि इसके पीछे देश की कौन विचारधारा काम कर रही है। क्या कभी उन्होंने अपनी आमदनी का ८ गुना, १० गुना या १५ गुना मांगा। आज जो २५ वर्ष से आन्दोलन चला आ रहा था जिसका नेतृत्व

[श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर]

गान्धी जी ने किया था और आपको बतलाया था कि यह अनातन है, यह चीज सब आपके पास बगैहर हैं। उस वक्त आप समझते थे कि यह कोई दूरन्देशी की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने "क्विट इंडिया" रेजोल्यूशन उपस्थित किया था और फिर उसके पहले जब २६ जनवरी को बराबर शपथ पढ़ी जाती थी और इसी तरह की और बातें हुई तो क्या कभी आपने सोचा। अगर आप इन सब बातों को सोचते होते और इन पर विचार करते होते तो यह चीज आज इस प्रकार न होती और न आपको इस प्रकार से तकलीफ गवारा करनी होती। मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं कि आप अपनी जमींदारी के लिये दुहाई देते हैं। क्या कभी आपने महाराजा बीकानेर, महाराजा कोचीन, महाराजा इन्दौर, महाराजा ग्वालियर की जमींदारी का भी विचार किया है कि उनकी करोड़ों की जायदाद क्या कीमतें रखती थीं, लेकिन उन्होंने एक मिनट के अन्दर अपनी लाखों करोड़ों की सम्पत्ति सब जनता के हवाले कर दी और न्योछावर कर दी। फिर भी अगर कोई यू० पी० का जमींदार यह कहे कि मेरी जमींदारी बीकानेर के महाराजा से ज्यादा कीमत रखती है तो यह बड़े ताज्जुब की बात है। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने कांग्रेस के कहने पर अपना करोड़ों की जायदाद को कांग्रेस के और जनता के हवाले कर दिया। क्या आप अपनी जमींदारी को कोचीन के महाराजा और बीकानेर के महाराजा के बराबर समझते हैं। यह जो आप खड़े होकर कहते हैं कि हाय हम मर गये। अरे आप की तो अक्लमन्दी इसी में थी कि जिस तरह से इतने बड़े बड़े राजाओं ने इंडियन यूनियन के सामने सर झुका दिया और सब कुछ समर्पण कर दिया, उसी तरह आपको भी यही चाहिये था। वे राजे जिनकी करोड़ों रुपये की आमदनी थी, इतने बड़े प्रीवी पर्स, करोड़ों की जायदाद जिनकी थी जब वक्त आया और हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उन्होंने अपने को हटा दिया लेकिन आपने तो हैदराबाद की तरह, दूसरे मुल्कों की तरह समझ लिया कि हम बहुत बड़े हैं और लड़ते ही जा रहे हैं। आपको मालूम है कि इतने बड़े राजाओं को क्या कम्पेन्सेशन मिला? महाराजा ग्वालियर को २.१२ लाख दिया गया है, उनके लड़के नौकरी कर रहे हैं। आपसे जो हजारहा दर्जे बड़े लोग थे जिनके पास आपसे हजारों दर्जे अधिक जायदाद थी और मिल्कियत थी उन्होंने बिला चूं व चरा के नेशनल गवर्नमेंट को समर्पण कर दी लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि हम खुशी से जमींदारी को खत्म करते हैं।

डिप्टी स्पीकर—वक्त हो चुका है। अब आप अपनी तकरीर कल जारी रखेंगे। कल के मुताल्लिक माननीय प्रधान सचिव बतलायें कि इजलास होना चाहिये या नहीं।

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—मैं दरख्वास्त करता हूं कि कल असेम्बली की बैठक की जाय क्योंकि कल ही से शुरू हुई और कल फिर न करना बुरा लगता है, खाली बैठे क्या करें?

डिप्टी स्पीकर—मेरा ख्याल है कि कल बैठक हो, क्योंकि पहले एक निर्णय इस बात के लिये हुआ था कि सनीचर को न हुआ करे लेकिन चूंकि कल से ही शुरू हुई है इसलिये कल

भी होनी चाहिये और कल न करना मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि सब भवन की यही राय है। अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १ मिनट पर दूसरे दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ: कैलास चन्द्र भटनागर,

८ जुलाई, १९४९ मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,

संयुक्त प्रांत

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या *३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

बाराबंकी ज़िले के एजेंटों द्वारा भिन्न भिन्न ज़िलों में सीमेंट के वितरण का (चार्ट)

क्रम संख्या	परमिट संख्या व दिनांक	परमिट पानेवाले का नाम व पता	बोरों की संख्या	संचयकर्ता का नाम	टिप्पणियां
१.	संख्या ३३३३, दिनांक २२-११-१९४८	महन्त सालिग राम दास, फैजाबाद	२५० बोरे	सर्वश्री राम किशन सीताराम, जैदपुर	
२.	,, ३४५८ ,, २५-११-४८	डिविजनल फारेस्ट आफिसर, गोरखपुर डिवीजन, गोरखपुर	१०० बोरे	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता	
३.	,, ३४६० ,, २५-११-४८	,, ,, बहराइच डिवीज़न, बहराइच	८० बोरे	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता	
४.	,, १००३ ,, ८-१२-४८	लाला केशव देव, सीतापुर	२०० बोरे	हाजी बादशाह हुसेन, नवाबगंज	
५.	,, १००४ ,, ,,	श्री लोकराम तम्बाकू के थोक विक्रेता, सीतापुर	५० बोरे	सर्वश्री रामलाल फतेहचन्द, सफ्दरगंज	
६.	,, १००५ ,, ,,	श्री अम्बिका प्रसाद, सीतापुर	८० बोरे	सर्वश्री रामलाल फतेहचन्द, सफ्दरगंज	
७.	,, १००७ ,, ,,	श्रीमती कृष्णा देवी, सीतापुर	१०० बोरे	सर्वश्री मोहम्मद अली नवाब अली, रुदौली	
८.	,, ३९१८ ,, ९-१२-४८	श्री एल.एन. भटनागर, मजिस्ट्रेट तथा असिस्टेन्ट कलेक्टर, सीतापुर	५० बोरे	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता, नवाबगंज	
९.	,, १०१२ ,, १०-१२-४८	श्री भगवती प्रसाद, सीतापुर	४० बोरे	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता, नवाबगंज	
१०.	,, १०१३ ,, ,,	श्रीमती सितारी देवी कपूर, सीतापुर	१०० बोरे	सर्वश्री भगीरथ मन्नालाल, नवाबगंज	
११.	,, १०१४ ,, ,,	,, राजेश्वरी देवी, सीतापुर	४० बोरे	,, ,, ,, ,,	
१२.	,, १०१५ ,, ,,	बाबूराम गुल्जारीलाल गुप्ता, सीतापुर	१०० बोरे	,, ,, ,, ,,	
१३.	,, १०१६ ,, ,,	सर्व श्री भोलानाथ बैजनाथ टंडन, सीतापुर	१०० बोरे	,, ,, ,, ,,	

१	२	३	४	५	६
१४.	,, १०१७ ,, १०-१२-४८	श्रीम औतार अग्रवाल, सीतापुर	१०० बोरे	,, ,, ,, ,,	
१५.	संख्या ३६१० दिनांक १०-१२-४८	एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ	५३६ बोरे	सर्वश्री बंशीधर रघुनाथ प्रसाद, रुदौली	
१६.	,, ३९१२ ,, ,,	,, ,, ,,	४७४ बोरे	,, रामकिशन सीताराम, जैदपुर	
१७.	,, ३९१५ ,, ,,	,, ,, ,,	५९० बोरे	,, रामलाल फतेहचन्द, सफदरगंज	
१८.	,, ३९२४ ,, ,,	श्री मुहम्मद इशाक, लखनऊ	१०० बोरे	,, रामकिशन सीताराम, जैदपुर	
१९.	,, ३९६८ ,, ११-१२-४८	जनरल मैनेजर;अपर कूपर पेपर मिल्स लखनऊ	१५५ बोरे	,, मूलचन्द हरीचन्द, टिकैतनगर	
२०.	,, ३९६२ ,, १३-१२-४८	अल्मोड़ा इंटर कालेज, अल्मोड़ा	१४० बोरे	,, रामलाल फतेहचन्द, सफदरगंज	
२१.	,, १०५८ ,, १६-१२-४८	सर्वश्री हॉरस, ज्वेलर्स व घड़ीसाज़, लखनऊ	५० बोरे	,, बादशाह हुसेन. नवाबगंज	
२२.	,, ४६०९ ,, २९-१२-४८	कमान्डेन्ट ११ बटैलियन, पी.ए.सी. सीतापुर	२०० बोरे	,, मूलचन्द हरीचन्द, टिकैतनगर	
२३.	,, ४७०३ ,, ७-१-४९	श्री लल्ला, सीतापुर	६० बोरे	,, रामकिशन सीताराम, जैदपुर	
२४.	,, ४८७१ ,, १४-१-४९	कुंवर सत्यजीत सिंह, सीतापुर	२०० बोरे	सर्वश्री बंशीधर, रघुनाथ प्रसाद, रुदौली	
२५.	,, ५०७२ ,, १५-१-४९	श्रीमती सेवापति देवी, सीतापुर	३०० बोरे	,, मुहम्मद अली, नवाबअली, रुदौली	
२६.	,, ४८२८ ,, १६-१-४९	श्री गनेश प्रसाद, लखनऊ	१५० बोरे	,, बंशीधर रघुनाथ प्रसाद, रुदौली	
२७.	,, १५५५ ,, ७-२-४९	श्री के. डी. सिन्हा, लखनऊ	८० बोरे	,, दौलतराम माखनलाल, भिटरिया	
२८.	,, १५८० ,, ९-२-४९	प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच	१५५ बोरे	,, मूलचन्द हरीचन्द, टिकैतनगर	
		कुल	४५८० बोरे		

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे प्रश्न संख्या ९६० का उत्तर पृष्ठ ११६ पर)

मछली और पशुपालन विभागों Fisheries and Animal Husbandry Deptts.) की उन नयी योजनाओं की सूची जो आर्थिक वर्ष १९४८-४९ ई० में तैयार की गयीं।

१. दूर दूर की जगहों में जाकर मवेशियों के रोगों को रोकने के लिये एक मोबाइल यूनिट कायम करना।

२. भरारी, बबूगढ़, माधुरीकुंड, मझरा और हेमपुर के मवेशियों की नस्लकशी के सरकारी फार्मों (Govt. Cattle Breeding Farms) और नीलगांव तथा चिकलेट के सरकारी फार्मों के यन्त्रीकरण (Mechanisation) की योजना।

३. मवेशियों की खरीद करने वाली एक संस्था (Cattle Purchase Organisation) कायम करना।

४. मथुरा जिले में गोशालाओं का विकास।

५. बूढ़े और अनुत्पादक (unproductive) मवेशियों के लिये देहरादून, हरद्वार, ऋषीकेश इलाके में एक कन्सेन्ट्रेशन कैम्प (ऐसा कैम्प जिसमें ऐसे मवेशी लाकर रखे जाते हैं) कायम करना।

६. देहरादून, हरद्वार, ऋषीकेश इलाके में ऐसे मवेशियों के लिये जिनका दूध सूख गया हो (dry cattle) एक रक्षा केन्द्र (Salvage centre) कायम करना।

७. गोरखपुर जिले में सांड़, मेड़ों का एक केन्द्र (Stud Ram Centre) कायम करना।

८. फतेहपुर और मथुरा जिलों में भेड़ों और उनके उद्योग का विकास।

९. अलीगढ़ में एक सेंट्रल डेयरी फार्म खोलना।

१०. गाजीपुर में कृत्रिम रूप से गाभिन करने का एक केन्द्र (Artificial Insemination Centre) कायम करना।

११. देहरादून जिले में जौंसार-भावर परगने में पशुधन (livestock) को बढ़ाना।

१२. मछली विभाग (Fisheries Deptt.) की योजनायें।

अब तक की गई उन्नति पर टीपें (Notes)

१. दूर दूर की जगहों में जाकर मवेशियों के रोगों को रोकने के लिये एक मोबाइल यूनिट कायम करना

जब इर्द गिर्द की जगहों के मवेशियों में छूत की और दूसरी अप्रचलित बीमारियां एकाएक फैल जायं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन जगहों में जहां बीमारियां फैली हों तुरन्त पहुंचा जाय तथा बीमारी का निदान किया जाय और उनको फैलने से रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां की जायं। यह तभी हो सकता है जब वेटेरीनरी असिस्टेंट सर्जन के अधीन एक ऐसा 'मोबाइल वेटरनरी यूनिट' जिसके पास पूरी दवाइयां हों, कायम किया जाय। शुरू में यह प्रस्ताव था कि इस मोबाइल यूनिट को मेरठ में रखा जाय। अब यह विचार है कि इस यूनिट को लखनऊ में रखना और भी फायदेमन्द होगा जो एक केन्द्रीय स्थान है और जहां वैक्सीना

(vaccines) को कोल्ड स्टोरेज में रखने की सहूलियतें हैं। जिस वेटरीनरी इन्वेस्टीगेशन अफसर के संचालन तथा निरीक्षण में यह मोबाइल यूनिट काम करेगा उनकी सेवायें भी उपलब्ध होंगी। इस सम्बन्ध में जिस गाड़ी की जरूरत होगी उसके लिये एक उपयुक्त ढाँचा (chassis) देने का निवेदन वाहन विभाग (Transport Deptt.) से किया गया है। ज्यों ही यह मिल जायेगा त्यों ही गाड़ी को तैयार करने की कोशिश की जायगी।

२. भरारी, बाबूगढ़, माधुरीकुंड, मझरा, हेमपुर के मवेशियों की नस्लकशी के सरकारी फार्मों और नागला तथा चिकलेट के सरकारी फार्मों के यन्त्रीकरण (mechanisation) की योजना।

इस वर्ष का वर्णन करने योग्य खास बात मवेशियों की नस्लकशी के फार्मों का यन्त्रीकरण (mechanisation) है। प्रान्त में अनाज, चारे और दूध की पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उद्योग को आधुनिक रूप देने के लिये सरकार द्वारा यन्त्रों से खेती करने के तरीके काम में लाये गये। इन सात फार्मों का कुल रकबा १२,००० एकड़ है जिनमें से ५० प्रतिशत खेती करने के योग्य है। आर्थिक वर्ष में जो कि समाप्त हो गया है कुल खेती योग्य रकबे के आधे भाग में अनाज और चारे की खेती की गई है। और यह आशा की जाती है कि बचे हुये भाग में भी अगले कुछ महीनों के भीतर ही फसलें तैयार की जायंगी। इन फार्मों में सुधरी नस्ल की भेड़ों, बकरियों, और मुर्गियों इत्यादि की संख्या बढ़ाने के लिये जोर शोर से काम शुरू कर दिया गया है।

३. मवेशियों की खरीद करने वाली एक संस्था (Cattle Purchase Organisation) कायम करना।

आर्थिक वर्ष सन् १९४८-४९ ई० में खरीद करने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है और सितम्बर, १९४८ ई० से पशुपालन विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर के अधीन मवेशियों की खरीदारी के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला एक दल पूर्वी पंजाब में तैनात किया गया है, इस दल को दिसम्बर, १९४८ ई० तक ५६१ मुर्रा भैंसों, २१४ हरियाना गायों और ८२ नस्लकशी के काम में आने वाले सांडों को खरीदने में सफलता प्राप्त हुई है। खरीदारी का काम अभी जारी है, और यह आशा की जाती है कि साल में कुल जितनी खरीदारी की जाने वाली है वह साल के अन्त तक करीब करीब हो जायगी।

४. मथुरा जिले में गोशालाओं का विकास

प्रान्त की गोशालाओं के (उत्पादक) मवेशियों को अनुत्पादक बेकार मवेशियों से अलग रख के उन्हें उपयोगी मवेशियों की नस्लकशी की और डेरी का काम करने वाली संस्थाओं में बदलने के लिये एक योजना चालू की गई है। शुरूआत में सरकार ने आरम्भ में मथुरा जिले की ६ गोशालाओं को आधे दाम पर वर्ष में यानी १९४८-४९ ई० में १२० शुद्ध नस्ल की हरियाना गायें दीं।

५. बूढ़े और अनुत्पादक (unproductive) मवेशियों के लिये देहरादून, हरद्वार, ऋषिकेश कन्सन्ट्रेशन कैम्प (ऐसा कैम्प जिसमें ऐसे मवेशी लाकर रखे जाते हैं) कायम करना।

श्रीमती मीरा बेन की देख रेख में सरकार ने हाल ही में बूढ़े और बेकार मवेशियों के लिये देहरादून, हरद्वार, ऋषिकेश इलाके में एक कन्सेंट्रेशन कैम्प चलाया है। चूंकि यह योजना अभी हाल ही में चालू हुई है इसलिये अभी कोई यथार्थ परिणाम नहीं निकला है।

६. ऐसे मवेशियों के लिये जिनका दूध सूख गया हो (Dry cattle) **एक रक्षा केन्द्र** (Salvage Centre) **कायम करना।**

भरण पोषण के भारी खर्च के कारण बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गायें दूध सूख जाने की अवधि में बधगृहों (slawghter-houses) में पहुंचा दी जाती हैं। इससे प्रान्त के पशु-धन में भारी कमी हो जाती है। इस भारी नुकसान को रोकने के लिये विभाग ने ऋषीकेश में देहरादून, हरद्वार, ऋषिकेश के इलाकों के लिये श्रीमती मीराबेन के चार्ज में, दूध सूखे हुए मवेशियों की रक्षा के हेतु एक फार्म खोलने की मंजूरी दी है। इस फार्म में कुछ इमारतें और शेड (sheds) बनाये गये हैं। इमारती सामान के मिलने में कठिनाइयां होने के कारण इस फार्म में मवेशियों का जाना रुक गया है।

७. गोरखपुर जिले में सांड़ भेड़ों का एक केन्द्र (Stud Ram Centre) **कायम करना।**

स्थानीय भेड़ों से तैयार किये जाने वाले ऊन की मिकदार और किस्म में सुधार करने के लिए गोरखपुर जिले में भेड़ों के झुण्ड में शुद्ध नस्ल के बीकानेरी भेड़ों के रखने की एक योजना तैयार की गई है। इन मेंढों (Rams) को वहां रखने के सम्बन्ध में सभी प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं। मेंढ खरीदे जा चुके हैं और उरई के भेड़ों के फार्म में रख दिये गये हैं जहां से वे रेलवे अधिकारियों द्वारा उनके भेजने का प्रबन्ध कर दिये जाने पर गोरखपुर भेज दिये जायंगे।

८. फतेहपुर और मथुरा जिलों में भेड़ों और ऊन के उद्योग का विकास

गोरखपुर की तरह फतेहपुर और मथुरा में भी भेड़ों और ऊन के उद्योग के विकास के लिये एक योजना तैयार की गई है। भेड़ (Ewes) और मेंढ (rams) खरीदे जा चुके हैं और बांटे जाने वाले हैं।

९. अलीगढ़ में एक सेंट्रल डेयरी फार्म खोलना

१ नवम्बर १९४८ ई० को सरकार ने अलीगढ़ की मशहूर फर्म एडवर्ड कीन्टर लिमिटेड खरीदी और उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। इस फार्म का नया नाम, सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ (Central Dairy Farm Aligarh) रखा गया है। इस फार्म में एक नवीनतम डेरी सुअरखाना (piggery) और डेरी तथा मुर्गीखाने का साज सामान बनाने के लिए एक कारखाना है। इस डेरी में पूर्वी पंजाब से खरीदी हुई ३०० मुर्रा भैंसें हैं और वह अब अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से प्रति दिन २० मन दूध और १००० से १२०० पोण्ड तक मक्खन तैयार कर रही है।

१०. गाजीपुर में कृत्रिम रूप से गाभिन करने का एक केन्द्र (Artificial Insemination Centre) **कायम करना।**

इस साल का कार्यक्रम मेरठ, बरेली, लखनऊ और देवरिया में ४ कृत्रिम रूप से गाभिन

करने के केन्द्र खोलना था। पूर्वी जिलों मे इस काम को बढ़ाने के लिये गाजीपुर जिले मे कृत्रिम रूप से गाभिन करने का एक अतिरिक्त केन्द्र खोलने की मजूरी दी गई है। और वह वहां कायम किया जा रहा है। कृत्रिम रूप से गाभिन कराने के काम के लिये आवश्यक सख्या मे सांड़ा और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और आवश्यक सज्जा की खरीद के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

११. देहरादून जिले में जौंसार-भावर परगने में पशुधन (Livestock) को बढ़ाना

देहरादून जिले मे जौंसार भावर परगना इस प्रान्त के उन इलाकों में से है जो कई बातो मे पिछड़े हुये होने पर भी विकास के लिये काफी क्षमता रखते हैं। इसलिये १९४६-४७ ई० में एक योजना चालू की गयी जिसका उद्देश्य पशु-धन की कार्यवाहियों का विकास करना था। सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रति अफगान सांड के लिये १५० रु० प्रतिवर्ष और प्रति मेंढा के लिये ४८ रु० प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी गयी। १९४७-४८ ई० में इस इलाके मे चार लोहानी सांड भेजे गये और उनके भरण पोषण के लिये १५० रु० प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी। १९४७-४८ में मेंढों से दो सौ नब्बे भेड़ें गाभिन करायी गयीं और ४५ गायें गाभिन कराई गईं।

१९४८-४९ ई० में विकास के काम के लिये दो और यूनिट खोले गये हैं और आर्थिक सहायता के आधार पर गाभिन कराने के काम के लिये उन्हें ६ सांड और २० मेढ़े दिये गये।

१२. मछली विभाग

विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही तालाबों मे मछली पालने के काम का विकास करना और उनमें मछली जमा करना (stocking) है। भारत सरकार से मिलकर बेकार तालाबों (Idle tanks) में और अधिक संख्या में मछलियों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये इस वर्ष उनमें मछली जमा करने का काम जारी रखा गया। विकास और मछली जमा करने के लिये अब तक इन जिलों में आठ सौ सत्ताईस तालाब चुने गये हैं।

तराई और भावर के मछली पालने के स्थानों की अजीब समस्यायें हैं क्योंकि युक्त प्रांत की जो आम तौर पर खाई जाने वाली मछलियां हैं वे न इस इलाके में पाई जाती है और न पैदा ही होती है और खाई जाने वाली दूसरी उपयुक्त मछलियों के सम्बन्ध मे प्रयोग किये जा रहे हैं

जल-विद्युत विभाग के निवेदन पर मछली पालने के स्थानो के सम्बन्ध मे और इस किस्म के फिश लैडर (Fish ladder) के सम्बन्ध मे जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है जो मछलियो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये होना चाहिये।

नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न संख्या *६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

किस प्रकार का परमिट	२ से ५ तक परमिट रखने वालों की संख्या	६ या ६ से अधिक परमिट रखने वालों की संख्या
स्टेज कैरेज	२५७	३६
पब्लिक कैरियर	२७०	४१
प्राइवेट कैरियर	१६२	२७

(नत्थी 'ब')

(देखिये प्रश्न सख्या *७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल के लिये दी जाने वाली बिजली के दर की सूची।

वर्तमान दरें बिजली की रोशनी देने के लिये निम्नलिखित हैं जिन पर आज कल १५ फीसदी वार कास्ट्स सरचार्ज भी लिया जाता है।

१. रोशनी, पङ्खा, रेडियो और घर के कामों में इस्तेमाल होने वाली मोटरों (जो कि आधा हार्स पावर से अधिक शक्ति की न होंगी) का दर आठ आना फी यूनिट है पर बिल को १५ दिनों के अन्दर चुका देने में २५ प्रतिशत कमीशन दे दिया जाता है। इससे फ़ी यूनिट बिजली की दर छः आना ही होती है।

२. बाज़ार में दुकानों पर बिजली देने पर जिसकी माप मीटर द्वारा नहीं होती और एक ही ४० वाट का बल्ब जो कि दिन में ५ घण्टे से अधिक न जलाया जाय दो रुपया प्रति-मास के हिसाब से प्रत्येक दुकान से लिया जाता है।

३. रेफ्रीजरेटर, कुकर, पम्प और हीटर्स के दो आना छः पाई फ़ी यूनिट की दर से लिया जाता है।

४. सिनेमा के लिए तीन आने तीन पाई फ़ी यूनिट की दर से लिया जाता है।

५. बैटरी चार्जिंग के लिये जिसका इस्तेमाल केवल कुछ घण्टों के लिये ही हो सकता है दो आना छः पाई फ़ी यूनिट की दर से लिया जाता है और चौबीसों घण्टे इस्तेमाल के लिये तीन आना छः पाई फ़ी यूनिट की दर से लिया जाता है।

६. औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली का दर ईंधन के मूल्य सम्बन्धी नियम के अनुसार होता है।

विद्युत शक्ति का सीधा दर (Power on Flat Rate)

क. उद्योग धन्धों के लिये शाम के ५ बजे से रात को १० बजे तक के समय के अलावा मोटर का इस्तेमाल करने पर दो आना छः पाई फ़ी यूनिट।

ख. चौबीसों घंटे मोटर के इस्तेमाल पर तीन आना छः पाई फ़ी यूनिट के हिसाब से।

द्विविध शुल्क (Two Part Tariff)

बिजली की अधिकतम मांग पर सात रुपया आठ आना प्रति के० वी० ए० प्रति मास तथा इसके ऊपर एक आना प्रति यूनिट के हिसाब से।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शनिवार, ९ जुलाई, सन् १९४९ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष— श्री नफ़ीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८८)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खाँ
अलगूराय शास्त्री
अली जर्रार जाफ़री
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ऐजाज़ रसूल
करीमुर्रज़ा खां
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द्र पुरी
कुशलानन्द गैरोला
कृपा शंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुश वक्त राय
खुशी राम
खूब सिंह
गजाधर प्रसाद
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगा धर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद, अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह

जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
ज़ाकिर अली
ज़ाहिद हसन
ज़हीरुल हसनैन लारी
जुगुल किशोर
जयकृष्ण श्रीवास्तव
जयपाल सिंह
जैराम वर्मा
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
धर्म दास, एल्फ्रेड
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निहालुद्दीन
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्राग नारायण
परागी लाल
प्रेम किशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फ़तेह सिंह राणा
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
बदन सिंह
बंश गोपाल
बंशी धर मिश्र
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बृज मोहन लाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवान दीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
मंगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खाँ
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुज़फ्फ़र हुसैन
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ शेरवानी
मुहम्मद जमशेद अली खाँ
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद युसुफ़
मुहम्मद रज़ा खाँ
मुहम्मद शकूर हाजी
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी
मुहम्मद शौकत अली खाँ
मुहम्मद सुलेमान अधमी
मुहम्मद सुल्तान आलम खाँ
यज्ञ नारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर

रघुवीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राघव दास
राज कुमार सिंह
राजा राम मिश्र
राजा राम शास्त्री
राधा कृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
[illegible] सिंह
रामचन्द्र सेहरा
राम चन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
राम धारी पांडे
राम नारायण
रामवली
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रुक्नुद्दीन खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन
लाखन दास जाटव
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल विहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुबलिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पांडे
शिवकुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिव दान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिव मंगल सिंह कपूर
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंहल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खाँ
साजिद हुसैन
सालिग राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीता राम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हर प्रसाद सत्यप्रेमी
होतीलाल अग्रवाल
हैदर बख्श
त्रिलोकी सिंह

प्रश्नोत्तर

शनिवार, ९ जुलाई, सन् १९४९ ई०

(शुक्रवार, ८ जुलाई, सन् १९४९ ई० के शेष प्रश्न)

——❀❀——

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर ज़िले के बीज गोदामों के विषय में विवरण

❀७२—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर ज़िले के किस-किस स्थान में कितना गल्ला बीज गोदामों का बक़ाया है ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—माननीय सदस्य की मेज़ पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। विवरण पत्र में बक़ाया गल्ले की तौल की जगह उसकी क़ीमत दी गई है, क्योंकि प्रतिवर्ष ३१ मई के बाद जब क़िस्म में गल्ले की वसूली समाप्त हो जाती है, तो बक़ाया गल्ले का हिसाब रुपयों की शक्ल में रखा जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६१ पर)

❀७३—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार निम्नलिखित विवरण सहित एक नक़्शा मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

(क) ज़िले में कितने बीज गोदाम हैं ?

(ख) किस बीज गोदाम के अन्तर्गत कितना गल्ला, कितने मूल्य का बक़ाया है ?

(ग) बक़ाया गल्ला किस-किस सन् का है ?

(घ) उक्त सन् में तत्सम्बन्धी बीज गोदामों के कौन-कौन सुपरवाइज़र इंचार्ज थे ? उनके नाम क्या हैं ? वे इस समय कृषि विभाग या सहकारी विभाग की सेवा में हैं या नहीं ? अगर नहीं तो वे अब कहाँ हैं ?

माननीय कृषि सचिव—

(क) प्रश्न ७२ के उत्तर में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में ज़िले के सब बीज गोदामों के नाम दे दिये गये हैं।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न ७२ के उत्तर में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) माननीय सदस्य की मेज़ पर † विवरण पत्र प्रस्तुत है।

(घ) माननीय सदस्य की मेज़ पर एक † विवरण पत्र प्रस्तुत है।

*७४—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर ज़िले में अत्यधिक बक़ाया रहने का क्या मुख्य कारण है ?

माननीय कृषि सचिव—अत्यधिक बक़ाया के मुख्य कारण एक सूची में लिखे हुये हैं जो माननीय सदस्य की मेज़ पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६२, २६३ पर)

*७५—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत सन् १९४६-४७ ई० और १९४८ ई० की भीषण बाढ़ से मिर्जापुर के परगने किरियात सीखड़, हवेली चुनार, भुइली, अर्द्ध भगवत, कसिवार, तप्पा, कौन, तप्पा छानवे और तप्पा चौरासी पूर्ण विनष्ट हो गये हैं और इस हिस्से के किसान बीज गोदाम का क़र्ज़ चुकता करने में पूर्ण असमर्थ हो गये हैं ?

माननीय कृषि सचिव—सन् १९४६, १९४७ और १९४८ के बाद से किसानों को जो हानि हुई वह सरकार को विदित है। उस हानि में सहायता पहुँचाने के विचार से सरकार ने यह आदेश जारी किया कि ज़िला मिर्जापुर के पीड़ित क्षेत्रों को बीज गोदामों से जो बीज उधार दिया गया था वह बिना सूद सवाई व पिनाल्टी के गल्ले या उसके दाम के रूप में वापस ले लिया जाय।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इन क्षेत्रों में सहायता पहुँचाने का आदेश दिया था उसका पालन किया गया ?

माननीय कृषि सचिव—अगर उसका पालन न करने के खिलाफ़ कोई शिकायतें पेश की जायँ तो हुकूमत उसका जवाब दे सकती है।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर में बहुत अधिक अनाज बाकी रह जाने के कारण कृषि की उन्नति में बाधा पड़ रही है

माननीय कृषि सचिव—जी, हाँ।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार किसानों के इस कष्ट को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ।

श्री इंद्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार के पास किसानों की तरफ़ से ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि गल्ला अदा करने पर भी रसीद नहीं दी जाती और उनके नाम बक़ाया में लिख कर वसूल करने की कोशिश सुपरवाइजर करते हैं ?

---

†यहाँ पर छापा नहीं गया।

माननीय कृषि सचिव—जो शिकायतें इस क़िस्म की गवर्नमेंट के पास आई हैं उन पर कारवाई की गई है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ख़िलाफ़ महकमे ने कार्रवाई की है

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो किसान गल्ले के क़र्ज से लदे हुए हैं उनके क़र्ज को दूर करने के लिये सरकार कौन सा उपाय कर रही है ?

माननीय कृषि सचिव—यह मेरे महकमें से ताल्लुक़ नहीं रखता। जो मदद किसानों को दी जाती है वह ज्यादातर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दी जाती है। कृषि विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—क्या मैं यह समझूँ कि इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट की जानिब से देने को कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर माल के विभाग से इसका सम्बन्ध है तो माल की तरफ़ से इसका जवाब दिया जा सकता है। जब मैंने सवाल की इजाजत देदी है तो जवाब देना चाहिए।

माननीय कृषि सचिव—जो इस क़िस्म की दरख्वास्तें आई हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने विचार किया है और जहाँ किसानों को मदद देने की जरूरत थी वहाँ दी गई है।

मिर्ज़ापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि

*७६—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार को पता है कि मिर्ज़ापुर जिला लगातार तीन वर्षों से अर्थात् सन् १९४६ ई० से ही गंगा एवं अन्य पहाड़ी नदियों की बाढ़ से पीड़ित हो रहा है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मन्त्री (श्री चरणसिंह)—जी हाँ।

श्री अचलसिंह—गंगा नदी में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री चरणसिंह—बाढ़ किसी नदी की रोकी नहीं जा सकती। बाढ़ आने से नुक़सान कम से कम हो, उसके लिये प्रयत्न किया जा सकता है और वह किया जा रहा है।

*७७—**श्री विजयानंद मिश्र**—क्या सरकार को पता है कि बाढ़ प्रकोप से खरीफ़ और ओला वृष्टि से रबी फ़सलों की भी भीषण बरबादी विगत वर्षों में हुई है ?

श्री चरणसिंह—मिर्ज़ापुर एवं चुनार दोनों तहसीलों में बाढ़ के कारण क्षति हुई। किंतु चुनार तहसील के हवेली परगने के कुछ ग्रामों को छोड़कर रबी की फ़सल को क्षति नहीं पहुँची। इन थोड़े ग्रामों को ओले से नुक़सान पहुँचा और उनको छूट दी गई।

* ७८—श्री विजयानंद मिश्र—क्या सरकार बता सकती है कि—

(१) विगत सन् १६४८ ई० की बाढ़ में जन-रक्षार्थ सरकार ने बाढ़ के समय क्या-क्या सहायतायें जनता को किन-किन क्षेत्र में पहुँचाई ?

(२) कौन-कौन सरकारी अधिकारी और जन-सेवक ने किस-किस क्षेत्र में सेवा और सहायता का कार्य किया ?

(३) जनता को कितना अन्न व भूसा बाढ़ के समय और बाद पशु-प्राणी रक्षार्थ बाँटा गया ?

(४) कितनी तक़ावी बाँटी गई ?

(५) गृह-निर्माण सहायतार्थ बाढ़ पीड़ितों को कितना रुपया बाँटा गया ?

(६) कितने मल्लाहों की सेवा ली गई और उन्हें पारिश्रमिक मिला या नहीं ?

श्री चरणसिंह—(१) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये तहसील मिर्जापुर १० भागों में विभाजित किया गया—

१—बाली पुरवा, २—चील्ह, ३—मवैया हरसिंहपुर ४—बबुरा, ५—अकोढ़ी, ६—कनतित, ७—नेवघिया, ८—मटौली, ९—छटहा, १०—खमरिया।

तहसील चुनार तीन भागों में बाँटा गया।

१—सीखड़, २—चुनार एवं ३—नारायनपुर।

२—मिट्टी का तेल, नमक, दियासलाई और अनाज दोनों तहसीलों में बाँटा गया था। अनाज मुफ़्त बाँटा गया था और दूसरे पदार्थ उचित मूल्य पर दिये गए थे।

मनुष्य, और पशुओं को निरापद स्थान में पहुँचाने में सहायता दी गई।

३—(१) इसके लिए छोटी और बड़ी नावों का प्रयोग किया गया।

(२) दोनों तहसीलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी और जन-सेवकों ने दुखियों को बाढ़ से बचने के लिए बहुत परिश्रम किया।

(३) तहसील मिर्जापुर में ३०० मन अन्न और तहसील चुनार में ३६६७ रुपया का अन्न सहायता के रूप में बाँटा गया था। तहसील मिर्जापुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में १५९ वैगन भूसा बाँटा गया। जितना भूसा प्राप्त हो सका, तहसील चुनार में बाँटा गया।

(४) बोर्ड ने ५० हजार रुपया तकावी बाँटने की स्वीकृत जिलाधीश को प्रदान कर दी है।

(५) मकान बनाने के वास्ते कोई रुपया नहीं दिया गया।

(६) तहसील मिर्जापुर में ३०० और तहसील चुनार में २१६ मल्लाहों से सेवा ली गई थी और उन्हें ५००० रुपया पारिश्रमिक दिया गया।

श्री विजयानन्द मिश्र—सरकारी अधिकारियों में से जिन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सेवा की, क्या उनमें से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान भी थे?

श्री चरणसिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या मिर्जापुर बाढ़ क्षेत्र में कोई आदर्श ग्राम बनाने की व्यवस्था की गई है या नहीं?

श्री चरणसिंह—इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विजयानन्द मिश्र—जो भूसा बाढ़ क्षेत्र में बाँटा गया वह बाढ़ खत्म होने के कितने दिनों बाद बाँटा गया?

श्री चरणसिंह—बाढ़ खत्म होने के फौरन ही बाद बाँटा गया।

*७९—८३—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी** [स्थगित किये गये।]

नायर नदी में बाँध बाँधने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट

*८४—**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—(क) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा नियत किए गए ५ विशेषज्ञों ने नायर नदी में मरोड़ा बांध बांधने के पक्ष में रिपोर्ट सरकार के पास पेश कर दी है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखेगी?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा-मंत्री (श्री लताफत हुसैन)—

(क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट की केवल एक ही नकल आई है और यह विभाग के विचाराधीन है। रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय और चीफ इन्जीनियर की टीकाओं का ध्यान रखते हुये सरकार अपने फैसले पर पहुँचेगी। इस हालत में कोई नकल मेज पर नहीं रखी जा सकती है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह विशेषज्ञों की रिपोर्ट कब पेश हुई थी और कब तक गवर्नमेंट इस पर अपना अन्तिम निर्णय देगी?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—मेम्बर साहब ने जवाब से यह नहीं समझा कि वह रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँची।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या यह बात सही है कि प्रान्त में जो अन्य डैम बनाये जा रहे हैं उनसे केवल एक ही चीज अर्थात् पावर काम में लाई जायगी और इस डैम से विद्युत शक्ति और सिंचाई दोनों का काम होगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—यह तो हाउस में बहुत सी दफा बयान किया जा चुका है कि बिजली बनेगी और इर्रीगेशन होगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं यह जानना चाहता था कि इस डैम के बनने पर क्या इससे दो चीजों का लाभ प्रान्त को होगा, यानी सिंचाई का काम भी होगा और पावर का भी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—मैंने जो जवाब दिया उसके माने यह हैं कि इरीगेशन भी होगा और बिजली भी बनेगी।

श्री भवँर सिंह रिटायर्ड इंसपेक्टर, पशु विभाग की पेंशन का भुगतान

*८८५—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह सही है कि पशु विभाग के इंस्पेक्टर श्री भँवर सिंह लगभग ५ वर्ष हुए रुग्णावस्था में पेन्शन पर नौकरी से अलग (रिटायर) हुए थे ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ।

*८८६—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह भी सत्य है कि पेन्शन का आज तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ। इसमें देर होने की वजह के बारे में जो †रिपोर्ट महकमे से आई है वह माननीय मेम्बर की मेज पर रख दी गई है। आशा है कि अब एकाउंटेंट जनरल इसमें जल्द ही कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेण्ट को जो देरी हुई है उसका अफ़सोस है।

श्री बलभद्र सिंह—क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि अभी इसमें कितना समय और लगने की आशा है ?

माननीय कृषि सचिव—इसका ठीक कहना मुश्किल है। मामला एकाउंटेंट जनरल के हाथ में है।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार को पता है कि यह अधिकारी एक अर्से से बीमार हैं और इस वक़्त बिस्तरे मर्ग पर हैं ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ। मगर मुवज्जिज़ मेम्बर को मालूम हुआ होगा कि इस बात में जो देरी हुई है उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी श्री भँवर सिंह जी पर खुद है। उन्होंने मिलिटरी डिपार्टमेंट में जब नौकर थे तो वहाँ कुछ उम्र बताई और सिविल में दूसरी बताई। इसकी तहक़ीक़ात करने में काफ़ी छानबीन करने की ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक उनकी बीमारी का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट को उनसे बहुत हमदर्दी है और जो भी जल्दी गवर्नमेंट इस काम कर सकती है वह करने की कोशिश कर रही है।

श्री बनारसी दास—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलने में प्रायः इस प्रकार की देरी होती है ?

---

†यहाँ पर छापी नहीं गयी।

माननीय कृषि सचिव—मुझे सिर्फ उन केसों के मुताल्लिक़ मालूम है जो गवर्नमेंट की नोटिस में आये हैं। बाक़ी हज़ारों आदमियों को पेंशनें होती हैं, उनकी तरफ़ से कोई शिकायत इस सिलसिले में नहीं आई।

श्री बनारसी दास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस देरी की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है?

माननीय कृषि सचिव—बहुत हद तक तो भँवर सिंह जी के ऊपर खुद है और उसके अलावा जो सवालात एकाउन्टेंट जनरल के यहाँ से किये गये उनके मुताल्लिक़ मेरे पास कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जिससे मैं यह समझूं कि इस मामले में कोई ख़ास कर्मचारियों की तरफ़ से देर हुई है।

मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवन्यू अफ़सर के सम्बन्ध में पूछताछ

*८७—**श्री बादशाह गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू आफ़िसर के सम्बन्ध में नीचे लिखे नक़शे के अनुसार सूचना देने की कृपा करेगी?

नं० क्रम	नाम स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू आफ़िसर	मुक़द्दमों की संख्या जो फ़ैसल किये			संख्या मुक़द्दमात जिनमें अपील हुई			संख्या मुक़द्दमात अपील मंजूर होने की		
		१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—मेज़ पर रखी सूची में सूचना दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६४ पर)

*८८—**श्री भगवान सिंह**—[स्थगित किया गया]।

*८९-९०—**श्री कृपा शंकर**—[स्थगित किये गये]।

सचिवालय में हिन्दी का प्रयोग

*९१—**श्री कृपा शंकर**—क्या यह सच है कि सचिवालय के जो असिस्टेंट हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से उनके उच्चाधिकारी रोकते हैं?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—अब तक ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—अभी तक सचिवालय में पूर्ण रूप से हिन्दी में क्यों नहीं काम किया जाता है ?

श्री गोविन्द सहाय—इस सिलसिले में अभी तक कोई स्टैंडर्ड हिन्दी नहीं बन पाई है। इस वजह से देरी करनी पड़ती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सचिवालय में हिन्दी किस हद तक प्रयोग में लाई गई है ?

श्री गोविन्द सहाय—जिस हद तक सम्भव हुआ उस हद तक प्रयोग में लाई जा रही है।

श्री इंद्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार उन अहलकारों को जिन्होंने अब तक हिन्दी का काफ़ी ज्ञान हासिल नहीं किया है हिन्दी सीखने के लिये और मौक़ा देने को तैयार है ?

श्री गोविन्द सहाय—इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ।

श्री बनारसी दास—क्या सचिवालय के सब सेक्रेटरी हिन्दी जानते हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—इसकी मुझे कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो नहीं भी समझते होंगे वे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं।

फ़िरोज़ाबाद में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बेंच बनाने के विषय में पूछताछ

*८९२—**श्री गंगाधर**—क्या यह सही है कि सरकार ने फ़िरोजाबाद के लिये एक आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच बनाना निश्चय किया है ?

श्री चरण सिंह—जी, नहीं।

श्री रामचंद्र पालीवाल—गवर्नमेंट ने जो कहा है उसका खुलासा करना चाहता हूँ फ़िरोज़ाबाद में कोई बेंच क़ायम करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री चरण सिंह—अगर कहीं कोई बेंच क़ायम करना हो तो जिला मैजिस्ट्रेट एक सेलेक्शन कमेटी बुलाते हैं और वह कमेटी आदमियों का चुनाव करती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा था कि वहाँ बेंच क़ायम करना मुनासिब नहीं है। इसलिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

श्री रामचंद्र पालीवाल—क्या यह सही है कि फ़िरोज़ाबाद में एक बेंच खोलने का इरादा था ?

श्री चरण सिंह—अगर यह इरादा न होता तो कमेटी बुलायी नहीं जाती। पहले उनका विचार था कि वहाँ एक बेंच खोल दिया जाय, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। शुरू में कमेटी बुलाना नहीं चाहिए था।

श्री रामचंद्र पालीवाल—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाद में जो बेंच न बनाने का इरादा बदला वह किन कारणों से बदला ?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब बताना मैं पब्लिक इंट्रेस्ट में उचित नहीं समझता ।

*९३—**श्री गंगाधर**—क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेटों की सिफारिश करने वाली कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट थे, तीन नाम सर्वसम्मिति से तय किये हैं ?

श्री चरण सिंह—कमेटी ने तीन नाम सर्वसम्मिति से तय किये थे ।

*९४—**श्री गंगाधर**—क्या सरकार के पास उन नामों की सिफ़ारिश आ गयी है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

*९५—**श्री गंगाधर**—क्या यह सही है कि जिस मीटिंग में ये नाम तय हुए थे उस मीटिंग को क़रीब तीन महीने हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

*९६—**श्री गंगाधर**—क्या यह सही है कि कमेटी के सिफारिश किये हुए आगरे ज़िले के अन्य बेंचों के आनरेरी मजिस्ट्रेटों के नाम गजट हो चुके हैं और वे बेंच बराबर काम कर रही हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

*९७—**श्री गंगाधर**—क्या यह सही है कि फ़िरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि जिन नामों की सिफारिश ज़िला कमेटी ने आनरेरी मजिस्ट्रेटों की फ़िरोज़ाबाद बेंच के लिए की है उससे बोर्ड को असन्तोष है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

*९८—**श्री गंगाधर**—क्या सरकार बतायेगी कि बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में क्या कारण बतायें हैं ?

श्री चरण सिंह—बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में असंतोष का कोई विशेष कारण नहीं बताया है । केवल यही कहा है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद के लिये अधिक अनुभवी और प्रौढ़ पुरुषों को चुना जाय ।

मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता

*९९—**श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ने मैनपुरी डेवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव कर लिया है ? यदि हाँ, तो किसको चुना और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)—जी हाँ। श्री धर्मलाल पांडे ये जिला ग्राम सुधार के भूतपूर्व चेयरमैन थे। ये कृषि कार्य और ग्राम उद्योग में अधिक दिलचस्पी रखते हैं और जिला सुधार कार्यों में शुरू से हाथ बँटाते रहे। ये मैनपुरी जिले के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं।

*१००—**श्री बादशाह गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी शिकायत आयी है कि जब से उनकी नियुक्ति की गयी है वे अस्वस्थ हैं और कोई भी सार्वजनिक काम के लिए असमर्थ हैं? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं। प्रश्न उठता नहीं।

पब्लिसिटी वान्स का ज़िलों में काम

*१०१—**श्री बादशाह गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पब्लिसिटी वान्स ज़िलों में भेजी गयी हैं वे किस काम के लिए भेजी गयी हैं?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—पब्लिसिटी वान्स ज़िलों में प्रचार कार्य में उपयोग के लिए भेजी गई हैं।

सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ समाचार-पत्र निकालने की योजना

*१०२—**श्री बादशाह गुप्त** (अनुपस्थित)—सरकारी योजनाओं की सूचना जनता तक पहुँचाने के लिए क्या सरकार के विचाराधीन कोई समाचारपत्र ज़िले या प्रान्त से निकालने की योजना है?

माननीय प्रधान सचिव—नहीं।

फ़तेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन १९४९ ई० को कम्यूनिस्टों की संख्या

*१०३—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फ़तेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में तारीख १७ व १८ मार्च, सन् १९४९ ई० को कितने ऐसे क़ैदी थे जो कम्युनिस्ट होने के कारण जेल में थे?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)—आठ क़ैदी ऐसे थे।

*१०४—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—इन पर जो डिटेंशन (नज़रबन्दी) नोटिस लगायी गयी थी क्या उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ रिप्रेज़ेंटेशन (प्रार्थना पत्र) किया? यदि किया, तो वह क्या था?

माननीय पुलिस सचिव—हाँ हर एक ने किया। इसके बाद चार क़ैदी छोड़ दिये गये और चार की दरख़्वास्त नामंजूर कर दी गई है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—जब नज़रबन्दों की दरख़्वास्तें आती हैं तो उन पर ज़िला के किन किन अधिकारियों की राय प्राप्त की जाती है?

माननीय पुलिस सचिव—ज़िला से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय आती है और उनकी राय पर ग़ौर किया जाता है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--गिरफ़्तारी क्या पुलिस या उनके अधिकारियों द्वारा होती है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—अगर कोई नज़रबन्द इन अधिकारियों से अपने को पीड़ित समझें तो उनके पास कौन-सा चारा है कि सरकार के पास अपनी राय पहुँच सके ?

माननीय पुलिस सचिव—हर डिटेनू को इस बात का मौक़ा दिया जाता है कि जो चार्जेज उसके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं उनका वह जवाब दे सकें और उसके ख़िलाफ़ जो कहना चाहें कहें। जब डिटेनू अपना रिप्रेजेन्टेशन भेजता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या कोई और अधिकारी उसको रोक नहीं सकता और वह यहाँ गवर्नमेंट में आता है और फिर होम सेक्रेटरी और उसके बाद इस ख्याल से ताकि एक जुडिशल व्यू भी उसका लिया जा सके जुडिशल सेक्रेटरी उस पर ग़ौर करते हैं और रिप्रेज़ेन्टेशन में दिये हुये जवाब को देख कर फिर फ़ैसला करते हैं।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—जो दरख्वास्तें सरकार के पास आई हैं उनमें से कितनी में यह कहा गया है कि वे कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर नहीं हैं और उसके कार्य का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ?

माननीय पुलिस सचिव—चार में।

*१०५—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—क्या यह सच है कि इन लोगों में से केवल चार कम्युनिस्ट हैं और बाक़ी सब साधारण रेलवे कर्मचारी हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—कुछ रेलवे कर्मचारी हैं परन्तु वे भी कम्युनिस्ट के प्रभाव में हो सकते हैं और उनके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

आगरा ज़िले की हाउसिंग कमेटी में फ़िरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व

*१०६—**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि आगरे में हाउसिंग कमेटी है ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हाँ।

*१०७—**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि जिले की हाउसिंग कमेटी में फ़िरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ. फ़िरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड का एक ही प्रतिनिधि इस कमेटी पर है और वह चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड आगरा है।

प्रान्त में नये विधान के अनुसार मतदाताओं की सूची

*१०८—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे प्रान्त में नये विधान के अनुसार बाल-मताधिकार के बिना पद मतदाताओं की सूची तैयार हो गयी है ?

श्री चरण सिंह—इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—इन सूचियों और बैलेट के छापने में क्या काग़ज़ की कमी का कोई डर है ?

श्री चरण सिंह—ऐसी कोई बात नहीं है।

*१०९—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—यदि नहीं, तो कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

श्री चरण सिंह—नये विधान के अनुसार मतदाताओं की सूची इस वर्ष के अन्त तक छप कर तैयार हो जाने की आशा है। फिर कुछ समय आपत्तियों के निर्णय करने में लगेगा और इसके बाद सूची तैयार समझी जा सकेगी।

*११०-११२—**श्री वंशीधर मिश्र**—[स्थगित किये गये।]

सन् १९४८-४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिये शिक्षा के मद में निर्धारित रक़में

*११३—**श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य**—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिए सन् १९४८-४९ ई० में शिक्षा के मद में अलग-अलग कितना रुपया निर्धारित हुआ था ?

(ख) निर्धारित रक़मों में से कितना कितना ख़र्च हुआ और किस-किस ढंग से ख़र्च हुआ ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री (श्री महफूज़ुर्रहमान)—(क) सन् १९४८-४९ में पिछड़ी जातियों, परिगणित और मोमिनों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित धन निर्धारित हुआ था:—

पिछड़ी जातियों के लिये	...	९०, ७९० रु०
अछूतों के	...	११, ३१, २१५ रु०
मोमिनों के लिये	...	५१, ६७२ रु०

(ख) क़रीब-क़रीब सभी निर्धारित रक़में जो ऊपर दी गई हैं ख़र्च हो गई। जिस जिस ढंग से यह रक़में ख़र्च हुई उनका विवरण संलग्न †सूची में दिया गया है।

† यहाँ पर छापी नहीं गयी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उनका निर्णय कौन अधिकारी करता है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—दसवें क्लास तक तो जिला इंसपेक्टर करता है और इंटरमिडियेट क्लास की यहाँ से दी जाती है ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—उनके निर्णय का आधार क्या है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—जो मुस्तहक़ हैं उनको दिया जाता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुस्तहक़ होने का फ़ैसला किन वजूहात से किया जाता है।

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—डिप्टी इंसपेक्टर्स उसकी जाँच कर लेते हैं और डाइरेक्टर आफ एजुकेशन भी इसकी जाँच कर लेते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुस्तहक़ होने के बारे में सरकार ने कोई क़ायदा भी बनाया है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—इन परिगणित जातियों में जो गरीब है और जो क़ाबिल हैं उनको दी जाती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जो रुपया निर्धारित किया गया है उसका क्या कोई जिलेवार हिस्सा भी क़ायम किया गया है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—जिले जिले के लिये तो कोई मुस्तक़िल कोटा नहीं है।

*११४—**श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—[स्थगित किया गया]

बनारस ज़िले के इंटरमीडियेट कालेजों में सैनिक शिक्षा

*११५—**श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—बनारस ज़िले के इंटरमीडियेट कालेजों में से कितने विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती है ? इन शिक्षार्थियों को पहनने के लिये क्या क्या सामान दिया जाता है और उसका क्या दाम है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—५४९. इनको निम्नलिखित सामान पहनने के लिये दिया जाता है। दाम प्रत्येक सामान के सामने लिखा हुआ है :—

सामान		दाम
१ शर्ट खाकी ड्रिल (कमीज़)	...	... ५ रु०
२ शार्ट „ „ (जांघिया)	...	... ४ रु० ८ आना
३ बेरेट „ „	...	... २ रु०
४ ऊनी मोज़ा	...	... २ रु० ८ आना
५ ऊनी होज़टाप	...	... २ रु० ८ आ
६ ऐंकेलेट या पट्टी	...	... ३ रु० या ५ रु० ८ आना
७ पेटी.........	...	... ४ रु० ८ आना
८ काला बूट	...	... ८ रु०
९ ऊनी जरसी	...	.. १४ रु०

राष्ट्रभाषा विद्यालय, बहराइच

*११६—**श्री लाल विहारी टण्डन**—क्या सरकार को ज्ञान है कि बरहज जिला देवरिया में पूज्य बापू जी द्वारा स्थापित राष्ट्र भाषा विद्यालय संस्था है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जी हां।

श्री लाल विहारी टण्डन—पूज्य बापू जी ने इस संस्था की स्थापना कब की थी ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जहां तक याद आता है सन् १९३७-३८ में इसकी स्थापना हुई थी ?

श्री लाल विहारी टण्डन—इस संस्था की स्थापना के बाद यू० पी० सरकार के माननीय सचिव तथा सभा सचिव निरीक्षण करने के लिए कब वहाँ गये थे ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जिन जिलों से बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं और वहाँ की संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं। इस संस्था से कोई आवेदन नहीं आया इसको देखा जाय।

*११७—**श्री लाल विहारी टण्डन**—क्या गवर्नमेंट जानती है कि उसमें अब तक बर्मा, सिलान, कम्बोडिया, स्याम, बंगाल, आसाम, उत्कल, आंध्र, मद्रास, त्रावंकोर, गुजरात, महाराष्ट्र आदि देश तथा प्रान्तों से आये हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र भाषा की शिक्षा दी गयी है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जी हाँ।

श्री इंद्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि प्रश्नकर्ता ने जिन जिन देशों का नाम लिया है उनके आज भी विद्यार्थी इस संस्था में मौजूद हैं।

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—जी, हाँ। जहाँ तक इत्तिला है शायद इन सब देशों के विद्यार्थी मिलाकर केवल ५, ६ हैं।

*११८—**श्री लाल विहारी टण्डन**—क्या सरकार इस संस्था को सहायता देती है ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—सरकार इस संस्था को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती। इसका कारण यह है कि इसके लिए संस्था ने कभी आवेदन-पत्र नहीं भेजा।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार ने बिना प्रार्थना पत्र भेजे ही संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है या नहीं ?

माननीय शिक्षा सचिव—जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इस संस्था में अब यू० पी० के अलावा दूसरे सूबों के लड़के बहुत कम आये हैं।

(*शनिवार, ९ जूलाई सन् १९४९ ई० के लिये रक्खे गये प्रश्न*)

ताराङ्कित प्रश्न

परगने मंगलौर की मुन्सिफ़ी, देवबन्द ज़िला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा

*१—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह सही है कि परगने मंगलौर की मुन्सिफ़ी, देव बन्द जिला सहारनपुर में है ?

श्री चरण सिंह—सही है।

*२—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह सही है कि मंगलौर से देवबन्द का फ़ासला १४ मील है जिसमें एक मील पुख्ता बाक़ी कच्चा है ?

श्री चरण सिंह—मंगलौर से देवबन्द सवा तेरह मील है जिसमें मंगलौर के पास की सवा मील सड़क पक्की है।

श्री अब्दुल हमीद—क्या बाक़ी कच्ची सड़क पक्की बनाने का इरादा है ?

श्री चरण सिंह—जी, हाँ। इसको पक्की बनाने की योजना बन चुकी है।

*३—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह ठीक है कि इस रास्ते में डाकखाना नहीं है और काली नदी पर पुल भी नहीं है ?

श्री चरण सिंह—ठीक है।

*४—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह ठीक है कि इस रास्ते पर कोई मोटर या घोड़ा ताँगा नहीं चल सकता ?

श्री चरण सिंह—मोटर और ताँगे नदी के किनारे तक जा पाते हैं पर वह उसे पार नहीं कर सकते हैं क्यों कि वर्ष भर नदी और नालों में पानी बहता रहता है।

*५—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह सही है कि मंगलौर से देवबन्द आने जाने में जनता को बहुत तकलीफ़ होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सुविधाजनक बात सोच रही है ?

श्री चरण सिंह—ठीक है। सरकार ने इस संबंध में यह निश्चय किया है कि देवबंद की मुंसिफ़ी तोड़ दी जावे और उसकी जगह पर सहारनपुर में एक एडीशनल मुंसिफ़ी बढ़ा दी जावे।

श्री अब्दुल हमीद—एडीशनल मुन्सफ़ी कब तक बन जायगी ?

श्री चरण सिंह—यह निश्चय हो चुका है बहुत जल्द बन जायगी।

न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेंस का फरनीचर

*६—**श्री अब्दुल हमीद**—क्या यह सही है कि न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेन्स में फ़रनीचर वग़ैरह किराये पर मँगा कर रखा गया है ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी हाँ। न्यू रेजिडेन्स में ज्यादातर फ़रनीचर किराये पर मँगा कर रखा गया है।

*७—श्री अब्दुल हमीद—क्या मेहरबानी करके हुकूमत बतायेगी कि कब से यह फ़रनीचर किस तादाद में और किस-किस किराये पर मँगाया गया और अब तक कितना रुपया किराये पर खर्च हो चुका है ?

श्री लताफ़त हुसैन—एक नक़शा जिसमें माँगी हुई सूचना दी हुई है मेज़ पर रखा है इन मद में मार्च १९४९ तक का कुल खर्चा ७१५८ रुपया था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६५ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—कौंसिलर्स रेज़िडेन्स के लिये अभी तक नया फ़रनीचर क्यों नहीं ख़रीदा गया है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—इसलिये कि अभी तक इसके लिये कोई स्टैंडर्ड क़ायम नहीं किया गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह स्टैंडर्ड कब तक क़ायम किया जायगा ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जिस वक़्त तक कमेटी से फैसला होगा।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकांश फ़रनीचर गन्दा और टूटा हुआ है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—मुझे मालूम नहीं है, मुमकिन है कोई टूटा हुआ हो ?

श्री बशीर अहमद अंसारी—यह जो ७,१५८ रुपये किराये के दिये गये हैं क्या यह इसी गन्दे फ़र्नीचर का है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—यह तो जवाब दिया जा चुका है।

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व इस साल में शहर बदायूं और उजहानी के रहने वालों को सीमेण्ट व लोहे के परमिट

*८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—शहर बदायूं और उजहानी (ज़िला बदायूं), के रहने वालों को सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० और साल हाल में नये मकान आदि बनाने के लिये ज़िलों के आफ़िसरों से और प्राविंशियल कण्ट्रोलर, कानपुर से कितना सीमेंट और लोहे के परमिट दिये गये हैं ? यह सूचना निम्नलिखित प्रकार दी जाय ?

(१) जगह का नाम—उजहानी या बदायूं।
(२) परमिट लेने वाले का नाम मय पता।
(३) किस चीज़ का परमिट मिला—सीमेंट का या लोहे का।
(४) किस क़दर लोहे या सीमेंट का।
(५) किस काम के लिये परमिट दिया गया।
(६) इन परमिटों के देने की किसने सिफ़ारिश की।
(७) यह परमिट किन तारीख़ों को जारी हुये।

(छोटे-छोटे कामों के परमिट जो जिलों के आफिसरों ने दिए हों, और जो छोटे-छोटे और मरम्मत के लिये दिये गये हों उनकी सूचना की आवश्यकता नहीं है।)

माननीय अन्न सचिव—प्रश्न में पूछी गई सूचना सम्बद्ध परिशिष्ट में दिखाई गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६६, २६७ पर)

*९—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या परमिट देने वाले अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ऊपर लिखे हुए जो परमिट दिये गये उनके माल परमिट वालों ने उसी काम में लगाये जिस काम के लिये वे दिये गये थे ?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं। १९४६-४७ और १९४७-४८ ई० में जारी किये परमिटों के बारे में इस बात की जाँच नहीं की गई है, और इतनी देर हो जाने पर यह जाँच संभव भी नहीं है। १९४८-४९ में जारी किये गये परमिटों के दुरुपयोग का कोई उदाहरण बताया जाय तो उसके बारे में जाँच की जायगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—नई इमारतों के बनाने के लिये गवर्नमेंट ने कितने लोहे और सीमेंट का मेक्सिमम मुक़र्रर किया है ?

माननीय अन्न सचिव—नई इमारतें जितनी बनेंगी उनमें १२००० रुपये से ज्यादा लोहा और सीमेंट नहीं खर्च किया जा सकता है। इस तरह की हिदायत सीमेंट कण्ट्रोलर और आयरन-कण्ट्रोलर को दे दी गई है। और जो हाउसिंग कमेटी सिफ़ारिशें भेजती है उनसे भी कहा गया कि वे इस बात को अपने सामने रख लें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—सन् १९४६-४७ और ४८ के परमिट्स के रिकार्ड्स क्यों जाया हो गये हैं और किसके हुक्म से ?

माननीय अन्न सचिव—परमिटों के रिकार्ड्स तो नहीं जाया हुए हैं लेकिन जिन-जिन बातों की जानकारी आप चाहते हैं उसमें तो समय लगेगा और समय बेकार खर्च होगा।

विभिन्न विभागों के इन्तज़ाम में सरकार के अधीन नुमाइशें

*१०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—(क) सन् १९४६-४७, सन् १९४७-४८ ई० और इस साल में सरकार के अधीन किस-किस विभाग के इन्तजाम में किस-किस जगह और किन-किन तारीखों में नुमाइशें हुईं ?

(ख) हर एक नुमाइश पर अलहदा-अलहदा विभागों ने कितना खर्चा किया ?

माननीय उद्योग सचिव—(क) एक † नक़शा जिसमें माँगी गई सूचना दी गई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) यह सूचना † नकशे में दी हुई है।

---

† यहाँ पर छापा नहीं गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह नुमाइशें किस गर्ज से की जाती है ?

माननीय उद्योग सचिव—गाँव में नुमाइश करने का यही मतलब होता है कि जो तरक्की हम चाहते हैं किसान उसको देखें और उसे क़बूल करें ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—आम तौर से रुपया बड़े शहरों में नुमाइशों में बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल किया गया है और गाँवों की नुमाइशों में बहुत मामूली रक़म खर्च की गई है । इसकी क्या वजह है ?

माननीय उद्योग सचिव—ऐसा तो नहीं है । अब ज्यादा गाँवों में नुमाइशें ज्यादा हो रही हैं और शहरों में बहुत कम ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और मेरठ की नुमाइशों में हज़ारों हज़ारों की तादाद में रुपया खर्च हुआ है और गाँवों में सिर्फ १०० या पचास के क़रीब ?

माननीय उद्योग सचिव—जहाँ भी नुमाइशें ठीक तौर से की जाती हैं वहाँ ज्यादा रुपया लगता है और जहाँ ठीक तौर से नहीं हो सकतीं वहाँ रुपया की मदद करना ठीक नहीं है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट हर जिले में गाँव और शहरों में रोटेशन के हिसाब से नुमाइश करने का इन्तज़ाम करती है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं । कोई ऐसी योजना नहीं है ।

रोडवेज़ की मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में पूछताछ

*११—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ ई० के प्रारम्भ से अब तक कितनी मोटर गाड़ियाँ रोडवेज़ के लिये क्रय की गई हैं ?

(ख) इन गाड़ियों में से कितनी चल रही हैं और कितनी ख़राब या बेकार हो गई हैं ?

(ग) उपरोक्त गाड़ियों के क्रय पर सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज़ के प्रारम्भ, अर्थात् १ मई, १९४७ से ३१ मार्च, १९४९ तक १५६५ मोटर गाड़ियाँ रोडवेज़ के लिये ख़रीदी गईं ।

(ख) इन गाड़ियों में से ११०५ गाड़ियाँ चल रही हैं । ३८६ गाड़ियों की मरम्मत हो रही है और ७४ गाड़ियाँ जो राशनिंग विभाग की पुरानी गाड़ियाँ थीं बेकार हो गई हैं ।

(ग) उपरोक्त गाड़ियों को ख़रीदने में सरकार का कुल १,६७००७७९ रुपया खर्च हुआ ।

श्री खुशवक्त राय—जो मोटरों की तादाद दी गई है उनमें से कितनी नई ख़रीदी गईं और कितनी विभिन्न विभागों से आईं ?

माननीय पुलिस सचिव—क़रीब ३०० गाड़ियाँ राशनिंग डिपार्टमेंट से आई। [illegible] की गाड़ियाँ नई ख़रीदी गई हैं लेकिन जो रेल रोड कोआर्डिनेशन स्कीम जो पहले चलन की थी उस वक्त रेलवेज़ की तरफ़ से ५०० गाड़ियाँ ख़रीदी गई थीं और वह लेनी पड़ीं जो काफ़ी अच्छी हालत में मिलीं।

श्री खुशवक्त राय—जो नई गाड़ियाँ खरीदी गई हैं उनमें से कितनी चल रही हैं और कितनी नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—इनमें से बिल्कुल ठीक तादाद तो मैं नहीं बता सकता लेकिन नई गाड़ियाँ जो ख़रीदी गई हैं क़रीब-क़रीब सभी इस वक्त सड़क पर हैं। शायद ही एक की सदी ऐसी हों जो ख़राब पड़ी हों।

*[illegible]—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज़ पर वार्षिक व्यय क्या है और वार्षिक आय गत दो वर्षों में क्या हुई ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो धनराशि रोडवेज के मूलधन पर लगी है वह सरकार की निजी है या ऋण लेकर लगायी गयी है ?

(ग) यदि यह धनराशि ऋण लेकर लगाई गयी है, तो उस पर सरकार को क्या सूद देना पड़ता है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवज़ संचालन के प्रथम वर्ष में (मई सन् १९४७ से ३१ मार्च. १९४८ तक) रु० ३२,०२,०३४) और दूसरे वर्ष में (अप्रैल सन् १९४८ से ३१ मार्च १९४९ तक) रु० १,४८,१५,४०१) खर्च हुआ। मई, सन् १९४७ ई० से ३१ मार्च सन १९४८ ई० तक रु० ३६,५७,३६६) और अप्रैल, सन् १९४८ से मार्च सन् १९४९ ई० तक रु० १,६२,१३,४१०) की आमदनी हुई।

(ख) जो धनराशि रोडवेज़ के मूलधन पर लगी है वह सरकार की निजी है।

(ग) हालांकि रोडवेज़ में कर्ज़ लेकर कोई रक़म नहीं लगाई है और सारी रक़म सरकारी है मूलधन के ऊपर ३ रुपया सैकड़ा सूद हर साल नफ़ा नुक़सान के हिसाब के लिये निकाल लिया जाता है।

*१३—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज़ की गाड़ियों के सुधार के लिए सर्विस और मैन्टीनेंस स्टेशन कितने और किन-किन स्थानों पर हैं ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन स्टेशनों में किस प्रकार की मरम्मत की जा सकती है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज की गाड़ियों के सुधार के लिये २९ मैण्टीनैन्स स्टेशन्स हैं जिसकी सूची साथ नत्थी है।

(ख) इन २६ स्टेशनों में केवल प्रथम श्रेणी की तथा बहुत ही साधारण देख भाल का प्रबन्ध है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३८ पर)

५१४—**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज की गाड़ियों की बड़ी से बड़ी मरम्मत करने वाले कितने कारखाने रोडवेज विभाग के अन्तर्गत हैं और वह किन-किन स्थानों पर हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कारखानों में कितना रुपया प्रति मास व्यय होता है ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन कारखानों में पृथक-पृथक कितने आदमी और किस-किस वेतन पर काम कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि ये कारखाने मिलाकर एक दिन में केवल ५ या ६ गाड़ियाँ ठीक कर पाते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज गाड़ियों का खास और बड़ा कारखाना कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आठ और रीजनल कारखाने हैं जहाँ मामूली मरम्मत होती है।

१.	रीजनल वर्कशाप	कानपुर	५.	रीजनल वर्कशाप	आगरा
२.	,, ,,	लखनऊ	६.	,, ,,	बरेली
३.	,, ,,	इलाहाबाद	७.	,, ,,	गोरखपुर
४.	,, ,,	मेरठ	८.	,, ,,	काठगोदाम

(ख) इन कारखानों में प्रतिमास कुल मिलाकर ७६९५९ रुपया व्यय होता है।

(ग) इन कारखानों में काम करने वालों की तादाद और वेतन की सूची बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य उसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

(घ) जी नहीं। कुल रीजनल कारखानों में प्राय सौ (१००) गाड़ियों की रोजाना मरम्मत होती है और सेण्ट्रल वर्कशाप कानपुर में रोजाना तीन गाड़ियाँ दुबारा खोल कर पूरी बनाई जाती है। इस के अतिरिक्त वहाँ अन्य नये पुर्जे आदि भी बनते हैं और दो बसे (बस बाडी) रोज नयी तैयार होती हैं।

गाँव कुर्था, तहसील सदर, ज़िला गाजीपुर के बाढ़पीड़ितों की व्यवस्था

*५१५—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से गाँव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़-पीड़ितों के बसाने के लिए कोई व्यवस्था हो रही है ? यदि हाँ, तो वह क्या ?

श्री चरण सिंह—सरकार की ओर से कुर्था गाँव के निकट छावनी, लाइन ग्राम में एक अच्छ स्थान पर आदर्श ग्राम बनाने की कार्यवाही हो रही है, जिसके लिये सरकार के द्वारा जमीन ली गई है उस और स्थान पर मकान इत्यादि के लिये स्थान बाँट दिया गया है। कुछ लोगों ने मकान बनाने की नींव भी डाल दी है।

*१६—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बाढ़ पीड़ितों के बसाने के लिए सर्व प्रथम इन्जीनियर ने गांव कुर्या में हो ब्रह्म स्थान और बेर वाली बाग के बीच वाली जमीन को पसन्द किया था और उसी की नाप की थी ? यदि जवाब हां में है, तो उस जगह उन्हें बसाने में क्या कठिनाई है ?

श्री चरण सिंह—बेरवाला बाग व ब्रह्मस्थान के बीच वाली भूमि जिसको इन्जीनियर साहब (फ्लड् रिलीफ) ने पहिले देखा था गाँव के निकट की उपजाऊ भूमि थी। श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी और दूसरे कृषकों ने इस भूमि के लेने के विरोध में अर्जी दी। उन लोगों का कहना था कि उक्त भूमि बहुत उपजाऊ है उसको लेने से कृषकों को बहुत हानि पहुँचेगी। जाँच करने पर ये बातें ठीक प्रतीत हुई। अतः बाढ़ वाली भूमि जो कि ऊसर है और बेकार पड़ी थी, ली गई। इसका कुल क्षेत्रफल १६ बीघा ७ बि० ७ धूर है जिसमें से १० बीघा ८ बि० १७ धूर गैर मजरुवा है और ८ बीघा १८ बि० १० धूर मजरुवा है। यह भूमि ऊँची है, सड़क के किनारे है और गाँव बसाने के लिये आदर्श स्थान है।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस जमीन को पहले इंजीनियर साहब ने पसन्द किया था उसका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये सवाल १७ का जवाब देखें।

*१७—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गाँव कुर्या के बाढ़ पीड़ितों के पुराने घरों से इन्जीनियर द्वारा पसन्द की गयी जमीन कितनी दूर है ?

श्री चरण सिंह—बेर की बाग वाली जमीन जो इन्जीनियर साहब ने पसन्द किया था, बाढ़ पीड़ितों के पुराने घरों से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है और उसका क्षेत्रफल २ बीघा से ज्यादा नहीं है।

*१८—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन अब पसन्द की गयी है, उस जमीन के कितने किसान किस-किस जाति के हैं और उनकी कितनी जमीन ली जा रही है और ले लेने के बाद उनके पास जीवन निर्वाह के लिए कितनी-कितनी जमीन बच रही है ?

श्री चरण सिंह—एक विवरण पत्र मेज पर प्रस्तुत है जिसमें कृषक और खेत का ब्योरा दिखलाया गया है। सरकार जाति सम्बन्धी सूचना देना उचित नहीं समझती।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६९ पर]

*१९—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार के पास मौजूदा पसन्द की हुई जमीन ले लेने के खिलाफ उस जमीन के किसानों ने कोई प्रार्थना पत्र ता० ३ जनवरी, सन् १९४८ ई० को दिया था ? यदि जवाब हाँ में है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के समय भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका था और चूँकि प्रार्थना पत्र में कोई कारण विशेष न था अतः प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई।

प्रान्त में जिलेवार गुण्डों की संख्या

*२०—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४५ ई० में जिलेवार कितने गुण्डे इस सूबे में थे?

*२१—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ता० ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० को जिलेवार कितने गुण्डे इस सूबे में थे?

*२२—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ता० ३१ दिसम्बर सन् १९४८ ई० को जिलेवार कितने गुण्डे थे?

माननीय पुलिस सचिव—गुण्डा शब्द की कोई सहज व्याख्या नहीं जा सकती। परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन की पुलिस निगरानी करती है उनकी संख्या संयुक्त प्रान्त में १९४५ ई० में लगभग ७८४० थी, ३१ मार्च सन् ४८ को लगभग १३६८२ और ३१ दिसम्बर सन् ४८ को लगभग १५६६२ थी। जिलेवार संख्या निश्चित रूप से नहीं बतलाई जा सकती।

*२३—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि थाना बलुवा, जिला-बनारस के अन्तर्गत कितने गुण्डे ३० अप्रैल, सन् १९४८ ई० के पहले थे और अब कितने हैं?

माननीय पुलिस सचिव—थाना बलुआ जिला बनारस के सम्बन्ध में जो सूचना सरकार को मिली थी वह कुछ अंश में अपूर्ण थी। पूरी सूचना सीनियर सुपरिण्टेण्डेण्ट बनारस से मांगी गई है उसके आने पर उत्तर दिया जायगा।

बलुवा, ज़िला बनारस के थानेदार के ख़िलाफ़ शिकायत

*२४—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या यह सच है कि इस थाने के थानेदार के ख़िलाफ़ आम जनता की शिकायत आयी है? यदि हाँ, तो वह शिकायत क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार की जानकारी में थानेदार बलुआ के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है।

गुण्डों की संख्या बढ़ने के कारण

* २५—**श्री गजाधर प्रसाद**—क्या यह सच है कि आजकल गुण्डों की संख्या बढ़ गई है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

माननीय पुलिस सचिव—पिछली लड़ाई के जमाने में हालत पहले से बदलने लगी। लड़ाई के बाद वह और बिगड़ गई। गैर क़ानूनी हथियार भी काफ़ी संख्या में लोगों के हाथ में पहुँच गए। १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जो

स्थिति पैदा हुई उसका भी असर पड़ा। स्वराज्य का अर्थ कुछ लोग स्वच्छन्दता लगा रहे हैं निर्णय को पसन्द नहीं किया जाता। पुलिस को बहुत सतर्कता और कड़ाई से काम करने की जरूरत है। यदि सब राजनैतिक दल तथा जिम्मेदार व्यक्ति जनता का सही नेतृत्व करें और क़ानून व व्यवस्था के प्रति जनता में आदर उत्पन्न करें तो गुण्डों की संख्या में काफ़ी कमी हो जायगी।

(प्रश्नों का समय समाप्त होने पर शेष प्रश्न ११ मई १९४९ के कार्यक्रम में रख दिए गए)

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांत के रुई ओटने और गाँठें बनाने के कारखानों के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

डिप्टी स्पीकर—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और गाँठ बनाने के कारखानों के बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ अक्टूबर, सन् १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १७ जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति ३१ मई, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का नवाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय म्युनिसिपैलिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

डिप्टी स्पीकर—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय यूनाइटेड प्राविंसेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ अमेंडमेंट बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ३० नवम्बर, सन् १९४८ ई० की बैठक में, तथा संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १९ जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में कुछ संशोधनों सहित स्वीकार किया था, जिन संशोधनों को संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ९ मार्च, सन १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति २७ मई, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांत का सातवाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी)

डिप्टी स्पीकर—अब माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय, तथा श्री जगन्नाथ बख्श सिंह के संशोधन पर कि उपरोक्त बिल ३१ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय, विचार जारी रहेगा।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर कल अपना भाषण दे रहे थे। कृपया वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं, कल संध्या समय, यह निवेदन कर रहा था कि जमींदारों और राजाओं में कितना भेद है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भारत के इतिहास में जिन राजाओं ने भारत सरकार के साथ अपना आत्म समर्पण करके एक-एक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया है, उनमें कितनी सद्भावना, कितना त्याग, और कितनी देशभक्ति दिखाई देती है। यदि इसी प्रकार हमारे जमींदार भी ऐसा ही करते तो नतीजा अच्छा होता लेकिन उन्होंने यह समझकर कि एक झगड़ा मचा कर और यह समझ कर कि इस जमाने में यदि हम इसके विरुद्ध प्रोपेगेण्डा करेंगे तो कदाचित् इनको कुछ सफलता होगी लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, कि जैसा कि कल मैंने बताया था कि यह एक ऐसी घटना है, जिसके ऊपर किसी का भी दखल नहीं हो सकता। यह तो एक प्रकार की ऐसी घटना है जिसका करना हमारे लिये, तथा प्रांतीय सरकार के लिए बिल्कुल आवश्यकीय था। किंतु मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ जिससे हमारे जमींदार यह बात समझ जायँ कि जो कुछ उनको कम्पेन्सेशन मिल रहा है वह उनके साथ एक बहुत बड़ी रियायत है। जब कि आप लोग यह कहते हैं कि इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन होना चाहिये अर्थात् औचित्य और न्याय को देख कर कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर औचित्य के ऊपर जायँ तो कांग्रेस सरकार को इस बिल में फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा और आपका कम्पेन्सेशन जो आपको दिये जाने वाला है उसको घटा करके शून्य रखना पड़ेगा।

आप देखें कि राजाओं और महाराजाओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है। राजे और महाराजे इसलिए स्थिर नहीं रहे कि बृटिश राज्य की उनके ऊपर कोई खास मेहरबानी थी। यदि आप प्रत्येक राज्य का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आप देखेंगे कि क्या जैपुर, क्या जोधपुर, क्या पटियाला, क्या उदयपुर, क्या कोल्हापुर, क्या शोलापुर और क्या आपकी ग्वालियर तथा इंदौर इन सब राजों के पीछे एक बड़ा इतिहास है। जिस वक्त भारतवर्ष में विदेशियों के आक्रमण हुए उस समय इन लोगों ने क्या किया था। आप शिवा जी को देखिये, गुरु गोविन्दसिंह को देखिये, रणजीतसिंह को देखिये और महाराणा प्रताप को देखिए। आप यह कदापि नहीं कह सकते कि वह गद्दी की लालसा से विदेशियों का मुक़ाबला करने के लिये खड़े हुये थे। उस समय जो भारत के जवांमर्द थे उन्होंने विदेशियों का सामना किया था। वह भारत की प्रतिष्ठा तथा संस्कृति को बचाने के लिये खड़े हुये थे। यदि राज्य की लालसा से यह लोग खड़े हुये होते तो महाराणा प्रताप इससे ज्यादा अच्छी तरह से रह

सकते थे। उनके लड़के तथा लड़कियों को घास की रोटी कदापि न खाना पड़ती। शिवा जी तथा अन्य महापुरुषों को जो जो यातनायें भुगतना पड़ीं, वह उन्हें न भुगतना पड़तीं आपको मालूम है कि भारतवर्ष पर जब अंग्रेजों द्वारा आक्रमण हुये तो उस समय भारतवर्ष की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में इंदौर, ग्वालियर तथा पटियाला का विशेष हाथ रहा है। आप सब लोग भली-भाँति जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने विदेशी राज्य से टक्कर ली थी। अंग्रेज अनेक प्रयत्नों के बावजूद उन्हें बरबाद न कर सके। इसलिए अंग्रेजों को दबकर उनसे सन्धि करना पड़ी। आगे चलकर ज्यों-ज्यों अंग्रेजी राज्य मजबूत होता गया यह राज्य उनके अधीन होते गये। इस हजार वर्ष के अन्दर देशी राज्यों ने अगर कोई काम किया तो वह यह कि एक तिहाई भारतवर्ष का हिस्सा भारत के हाथ में रखा। आज भी उन्होंने सब कुछ भारत राज्य के हाथ में सौंप दिया है। जमींदार वर्ग इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उनके अधिकार भी उतने ही बड़े थे जितने कि देशी राजाओं के और जो सुविधायें उनको दी जा रही हैं वह उनको भी दी जायँ। मेरे कुछ जमींदार मित्रों ने यह कहा था कि ग्वालियर और इंदौर को तो अनेक सुविधायें दी जा रही हैं। मैं यह कहता हूँ कि आप इस बात को बतलाइए कि क्या आपके १५,२० लाख जमींदारों ने भारतवर्ष की ओर से लड़ाइयाँ लड़कर के यह जमींदारियाँ क़ायम की हैं ? या बंगाल में जिस समय परमानेण्ट सैटिलमेंट हुआ उस समय आपने कोई लड़ाई लड़ी थी ? उस समय अंग्रेज अपना राज्य मजबूत करना चाहते थे, आपने उनसे यह वादा किया था कि आप हमको अपने बीच में रखें। हम आपकी तरफ़दारी कर सकते हैं। हम अपने नौकर रखेंगे और हम बेगार लेंगे और आपको कुछ निश्चित रुपया दिया करेंगे।

अब दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, और यह एक इतिहास की बात है कि गवालियर, पटियाला आदि जितनी भी रियासतें थीं और उनकी जो कुछ भी आमदनी थी उस में से एक हिस्सा उनकी फौज पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर सड़कों पर म्यूनिसपैलिटी पर खर्च होता था लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि जमींदारों की आमदनी में से भी कोई पैसा ऐसे कामों में खर्च होता है ? आप अगर बलरामपुर के बारे में कहते हैं तो मेरे ख्याल में ६० लाख की आमदनी में से वह इस पर ज्यादा से ज्यादा २ लाख ४ लाख खर्च कर देते होंगे। आप में से कितनों ने अपनी आमदनी का कितना हिस्सा अस्पतालों, स्कूलों सड़कों और अदालतों पर खर्च किया है ? आप कहते हैं कि बलरामपुर अस्पताल खोला गया है लेकिन मैं कहता हूँ कि जो राजा १ करोड़ रुपया ले रहा है, अगर उसने लाख २ लाख या चन्द रुपया इस तरह से दे भी दिया तो कोई खास बात नहीं। वह तो आप लोग अपने नाम के लिये, सर और आनरेबिल कहलाने के लिये और यहाँ पर कुर्सियाँ लेने के लिये किया करते थे। आप का नाम ही 'ताल्लुकेदार' है इसी से साफ़ जाहिर है कि आप का

तअल्लुक़ बड़े-बड़े नवाबों से रहने के कारण आप 'तअल्लुकेदार' कहलाये वर्ना तअल्लुकेदार के मानी तो मेरी समझ में कोई खास नहीं होते। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब ने एक संशोधन पेश किया था कि इस बिल को आप ४ महीने के लिये टाल दें और पब्लिक की राय जानने के लिये छोड़ दें। मैं आप से पूछता हूँ कि आप पब्लिक की राय किसको कहते हैं? इस भवन के ८ या १० मोअज्ज़िज़ दोस्तों के सिवा इस भवन के किस हिस्से से आप को मदद मिल रही है? मैं समझता हूँ कि आप के एक ग्रुप के अलावा जो ८, १० मेम्बरों का ही है, वह तमाम मेम्बर जो एक-एक १० लाख आदमियों की तरफ से नुमाइन्दे होकर आये हैं आप की मदद नहीं दे रहे हैं। रोशन ज़मां खाँ साहब आप की मदद नहीं करते, फ़ज़्लुल हसन साहब ने भी आप की मदद नहीं की और मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी के लीडर लारी साहब जो आज अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वाले हैं वह भी यह नहीं कहेंगे कि जमींदारी प्रथा रहनी चाहिये। चैम्बर आफ कामर्स वालों ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वह व्यापारी वर्ग भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ है। यूनीवर्सिटी का रिजोलूशन, स्टूडेण्ट कांग्रेस, मजदूरों किसानों, बार एसोसियेशन सभी की तरफ से कहीं भी कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि जमींदारी एबालिशन नहीं होना चाहिये। अगर कहीं से भी इस तरह की आवाज़ उठाई गई होती तो आप का यह दावा हो सकता था कि इसे पब्लिक की राय के लिए भेज दिया जाय।

मेरा कहना यह है कि जो मनुष्य अपनी किसी बात का दावा पेश करता है उसको चाहिए कि पहले सबूत इस बात का पेश करे कि आपकी राय, आप की चीज पब्लिक सुनने के लिए भी तैयार है या नहीं। मैं समझता हूँ कि जमीन से लेकर आसमान तक कोई तबक़ा ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो। कोई भी शख्स जमींदारों का साथ नहीं दे सकता। इसलिये आपका यह कहना कि ४-५ महीने के लिए और रोक दिया जाए व्यर्थ है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब सन् ४६ में एक प्रस्ताव पेश हुआ था कि जमींदारी यहाँ से हटा दी जाय यदि आप उसी वक्त उसको मान लेते तो मैं समझता हूँ कि आपको २०-२५ गुना कम्पेन्सेशन मिल जाता लेकिन आपने इसको टालना चाहा और उसका नतीजा यह हुआ कि हजार आँखें उस पर पड़ीं। नतीजा यह हुआ कि एग्रीकल्चुरल इनकम टैक्स और लगा दिया गया इसलिए आपकी इनकम जो है वह अब इस टैक्स को काट कर लगाई जाती है। अगर उस वक्त रजामंद हो जाते जब कि यह एग्रीकल्चुरल टैक्स नहीं लगता था उस वक्त आपको ज्यादा मुआविजा मिल जाता। आप इसे अब ४-५ महीने और टालना चाहते हैं तो मैं आप से कहे देता हूँ कि शायद नया बिल इस बात का आ जाए कि जो हिस्सा आपलोगों का बचता है उसमें से १० परसेण्ट आपको मिलेगा और ९० फ़ीसदी सरकार के पास चला जायेगा। वक्त बढ़ा-बढ़ा कर, मैं आप से कहता हूँ, कि आप अपने ही साथ शत्रुता कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। अब

[श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर]

आप कहते हैं कि राय ले ली जाए इस बात की कि जमींदारी रखी जाये या न रखी जाए, लेकिन आज यह स्पष्ट है कि हर शख्स समझता है कि जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं या अन्य सदस्य बोल रहे हैं इसलिये नहीं बोलते कि भवन के अन्दर जो सदस्य मौजूद हैं वह समझ लें कि जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये। वह इसलिये बोल रहे हैं कि पब्लिक इस बात को समझ ले कि जमींदारी रहना चाहिये या न रहना चाहिये। इस वजह से मैं दो चार मिनट और लेना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि आप अच्छी तरह से समझ ले और पब्लिक इस बात को समझ ले। किसी भी मुल्क में काश्तकार के ऊपर जो जमीन का टैक्स लगता है जिसे लगान कहते हैं मसलन् १० रुपए में से ४ रुपए तो एक आदमी को दे दिए जायें और ६ रु० दूसरे आदमी को दे दिए जायें तो जो चार रु० सरकार के पास पहुँचे उन पर तो उसका अख्तियार है कि वह उनका प्रबन्ध कर सके लेकिन जो ६ रु० बचे उन पर उसका कोई अख्तियार प्रबन्ध करने का नहीं है। जमींदारी में जितना लगान जमींदार को मिलता है उसमें से जो हिस्सा सरकार को जाता है उस पर तो प्रजातंत्र के अनुसार इस बैठक में, इसके बाहर चर्चा हो सकता है। उसके हिसाब को देखा जा सकता है, जाँच पड़ताल की जा सकती है। हर एक आदमी जो यू० पी० में रहता है वह उसको जाँच सकता है लेकिन जो हिस्सा जमींदार को जाता है उस पर किसी को अख्तियार नहीं है यह देखने का कि वह किस तरह से खर्च किया जाता है। आप मोटर पर खर्च करते हैं, मकानात में खर्च करते हैं, शादियों में खर्च करते हैं, किसी को अख्तियार नहीं कि वह आप से पूछ सके। स्वराज का अर्थ यह है कि जो मनुष्य भारतवर्ष में पैदा हुआ है और वह सरकारी गैरसरकारी किसी भी रूप में टैक्स देता हो उसको पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए यह पूछने का कि वह टैक्स किस प्रकार खर्च किया जाता है। आप हमें बतलाएँ कि आपको जो ६० फीसदी रु० मिलता है पिछले ३० वर्ष में जो आमदनी आपको हुई उसका आपने क्या किया? भारतवर्ष के लिये आपने क्या किया, उसके उत्थान के लिये आपने क्या किया? मैं पूछता हूँ कि आपने इन ३० सालों के बीच में किसानों के लिये गरीबों के लिये और यहाँ की निरीह जनता के लिये क्या किया? हम नहीं चाहते कि आप किसानों के बीच में रहें और बिना उनका कुछ लाभ किये हुये आराम की जिन्दगी बसर करते रहें।

आप कहते हैं कि अगर लैंड एक्वीजीशन के अन्तर्गत किसी से अगर कोई मकान लिया जाता है तो उसे उसकी क़ीमत दी जाती है, उसी तरह से हमने भी मेहनत की है और हमें भी मुआविजा मिलना चाहिये। मैं आप से पूछता हूँ कि यह मुक़ाबिला कैसे हो सकता है। जो मकान बनवाता है, वह अपनी मेहनत से रुपया कमाता है, उसके बाद सीमेंट खरीदता है, लोहा

खरीदता है. दिन-दिन भर खड़ा रह कर मकान बनवाता है. सारा इंतजाम उसके बनवाने का करता है लेकिन आप क्या करते हैं। मकान में जो रहता है वह कुछ नहीं करता. सिर्फ किराया देकर रहता है, जो कि केवल मकान मालिक की लगाई हुई पूंजी और मेहनत का मुनाफा होता है। जब मकान की मरम्मत करानी होती है तो वह मकान मालिक करवाता है। जमींदार की वह स्थिति नहीं है जमीन आपने नहीं बनाई. जमीन तो ब्रह्मा ने बनाई। आप उस पर खेती भी नहीं करते, आप खाद नहीं डालते आप बैल वगैरह भी नहीं देते। वह तो काश्तकार है जो कि दिन रात जमीन की देख-भाल करता है. दिन भर पसीने को बहा कर, चिलचिलाती धूप में उसको जोतता है। रात भर पानी में भीग कर भी वहीं बैठा रखवाली करता रहता है। फिर भी आप कहते हैं कि इनको मुआविजा दिया जाय. [illegible] कर दिया जाय. क्योंकि आप ऐसी हालत में किसी भी मकान के मालिक का हक। मैं तो कहता हूँ कि आपकी स्थिति उस तमाशबीन की है, जो समुद्र की लहरें गिनता है। समुद्र तो परमात्मा ने बनाया है, फिर भी वह तमाशबीन कह सकता है कि इसको उसको देखने और गिनने का मेहनताना दिया जाय, इसे उसका दाम दिया जाय। मेरा तो यही कहना है कि जमीन परमात्मा ने बनाई है. आप तो केवल उसके द्रष्टा हैं। आपने सिर्फ यह दिखा कि तू जमीन जोत ले, और फिर अपने महल के अन्दर खस की टट्टियों में आराम से पड़े रहे। मैं कहता हूँ कि अब इस तमाशबीनी का जमाना चला गया। इसके सिवा जो हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे महान पंत जी और हमारी यह महान कांग्रेस सरकार दिल रखती है। आपकी इन काली करतूतों के बावजूद भी वह आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। आप कांग्रेस का शुक्रिया अदा कीजिये. महात्मा गांधी का शुक्रिया अदा कीजिये, कि हम कम से कम यह तो कहते हैं कि अगर यह कुछ भी पाने लायक नहीं हैं तो भी यह हमारे भाई हैं, और इन्हें कुछ दो। हम तो अहिंसा के ऊपर चल रहे हैं। बार बार इस बात की दुहाई दी जा रही है कि हिन्दुस्तान इसलिये आजाद नहीं हुआ है कि किसी खास तबके को एकदम मिटा दिया जाय।

आप जानते हैं दूसरे मुल्कों में रिवोल्यूशन्स हुए हैं। क्या वहाँ पर वैसी हालत में कोई आदमी कह सकता था कि जनाब जमींदारी जा रही है आप हमें दाम देते जाइये। रूस में क्या हुआ, लाखों और हजारों आदमी जो जिन्दा कहे जाते थे दूसरे ही दिन सब खाक में मिला दिये गये। खून की नदियाँ बह गईं। क्या आप उनको बुलाना चाहते हैं और जल्द बुलाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप दृष्टि रखते हैं, यदि आप केवल चर्म चक्षुओं से ही नहीं देखते हैं तो आप देखिये कि इन तीन साल में भारतवर्ष में क्या हुआ। एक रात में ही सब कुछ हो गया। जो जहाँ सोया था वहीं रहा लेकिन जिन्होंने इसे तलवार के बल पर जीता था वे क़लम से देकर चले गये।

[श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर]

प्रात स्मरणीय महात्मा गांधी की मेहरबानी से ही यह सब कुछ हो गया जिसके कारण आज जमींदार लोग सुरक्षित हैं। इतना विरोध करते हुये भी आपकी जान का खतरा नहीं है। अब भी जब कभी कोई सोशलिस्ट यह कहता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप वाह-वाह करते हैं कि यह बिल चन्द दिनों को टल जाय लेकिन अगर टल जायगा तो कहा नहीं जा सकता कि इस भारतवर्ष में आपकी दशा क्या होगी। हमारे दोस्त नवाब साहब ने कहा कि उनसे खुश अखलाकी और रवादारी से बात कर ली जाय। हम भी यही कहते हैं और अहिंसा के आन्दोलन का पहिला उद्देश्य ही यही है कि जो विरोधी हो पहिले हम उससे बातें करेंगे और उसे संतुष्ट करेंगे, उसे मनवायेंगे और जब उनके गले में वह बात उतर जायगी तभी कुछ कार्य करेंगे। आपको जो कम्पेन्सेशन मिल रहा है वह बहुत काफी मिल रहा है। और आपको कुर्तहन भी समझा जावे और हिन्दोस्तान की जमीन को आपने यहां रहन भी समझा जावे जो उसमें २० वर्ष का हिसाब देना पड़ता है। सूद दर सूद से उस जमीन के बीस साल के मुनाफे का हिसाब लगा लीजिये। इन बीस सालों में आपने हिन्दोस्तान के लिये क्या किया और अगर नहीं किया है तो आप व्याज दर व्याज से उसे वापिस कीजिये। इसको आप नोट कर लीजिये और फिर विचार कीजिये कि जमींदारों के साथ कितनी रिआयत बरती गई है। मेरे दिल में ऐसी ही एक रियायत थी जिसे मैं हाउस के सामने इसलिये नहीं कहना चाहता कि कहीं ऐसा न हो जाय कि इसी हाउस के हमारे कुछ दोस्त ऐसी दरख्वास्त पेश कर दें और कोशिश करें जो कुछ आपको मिला है वह भी न मिले (आवाजें—रहने दीजिये, न कहिये)।

आप यह देखें कि दूसरे लोग भी इन्सान हैं। उनके लिये यह शर्त है कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं जोत सकेगा। सवा छै एकड़ जिन्दगी का मियार समझा गया है। लेकिन आपके यहाँ का जो घसखोदा है वह भी उतना कमा सकता है जितनी आमदनी इन सवा छै एकड़ में होती है। लेकिन यह सब भी आपकी वजह से करना पड़ा है क्योंकि यदि आपके १ हजार एकड़ का फार्म है तो आप भूमिधर हो जायेंगे। हर गाँव में आपकी सीर हो जायेगी और सब आपका हो जायगा और आप फिर भी मौज में रहेंगे।

जरा फराखदिली देखिये कांग्रेस की। पहले कहा जाता था कि छोटे जमींदार ढाई सौ रुपया तक समझे जाने वाले हैं लेकिन अब ढाई सौ से पाँच हजार हो गया है। कांग्रेस ने आप लोगों पर रियायत करके पुनर्वासन अनुदान पाँच हजार तक दे दिया है। अब आप देखिये कि इतनी बड़ी रियायत के होते हुये आप कहते हैं कि इस बिल में हमारे साथ ज्यादती हुई है।

एक चीज और कहकर मैं समाप्त करूंगा। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह बात बड़ी जोरदार कही गई है कि हमको यह चाहिये था कि हम जमीन का बटवारा दुबारा कर देते। मेरा कहना यह है कि आप बटवारे की बात तो

करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं कि बटवारा किस तरह होना चाहिये। आप यह चाहते हैं कि पहले हम यह कह दें कि सब जमीन जब्त की गयी और फिर हम बटवारा करें और इस बीच हम इस बात के लिए लड़ते रहें कि किस को जमीन मिले और किसको न मिले। मैं तो यह कहूंगा कि कमेटी ने यह बहुत बुद्धिमानी की है कि उसने यह कहा है कि जो जमीन जिनके क़ब्ज़े में है वह उन्हीं के क़ब्ज़े में रहें। जब लोग पहले काबिज़ कर दिये जायेंगे उसके बाद यह सोचने का मौका रहेगा कि कौन-कौन सी और बाते हैं। मैं उन आदमियों में नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि जमींदारी के सिलसिले में यह अनियमित बिल है हिन्दुस्तान में जो एक बड़ा भारी जुल्म मध्यवर्तियों के जरिये चला आ रहा था उसके हटाने के लिए हमने पहला क़दम उठाया है। जो काश्तकार जो सीरदार जो जमींदार जिस जमीन पर क़ाबिज़ है उसको उसी जमीन पर काबिज़ कर दिया है और जो जमीन बाकी बची उसको ग्राम समाज को दे दिया है।

यह भी कहा गया है कि महामहिम के बजाय रिपब्लिक या इण्डियन यूनियन शब्द होना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि महामहिम का शब्द रखना केवल एक फ़ार्मेलिटी है। अभी बिल चल रहा है और लोग मई में के अंदर अगर विधान परिषद् ने रिपब्लिक डेक्लेयर कर दिया तो यहाँ इण्डियन यूनियन शब्द कर दिया जायेगा।

जमीन का सारा इन्तजाम हमने जनता के हाथ में रख दिया है। अभी तक जो जमीन जिनके पास थी उन्हीं को वह जमीन हमने दे दी है। अब जो जमीनें बाक़ी हैं उनका बटवारा हम इस तरह करेंगे कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको जमीनें देंगे।

इसके बाद आप यह देखेंगे कि सहकारी खेती संस्था की योजना कितनी उच्च कोटि की है। यदि १० काश्तकार चाहते हैं कि वह मिलजुल कर सहकारी खेती संस्था बना लें तो वह बना सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मंडल के दो तिहाई लोग यह चाहते हैं कि वह सहकारी खेती संस्था द्वारा खेती करें तो वह कर सकते हैं और उनके साथ एक तिहाई बाक़ी लोगों को भी शरीक होना पड़ेगा। धारा ... के जरिये उनकी मालगुजारी कम करदी जायेगी सुविधायें दी जायेंगी। जिससे भूमि की तरक्क़ी की जा सकती है।

अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस वक़्त यह जमींदारी बिल काम में आयेगा, उस वक़्त लाखों अर्जियाँ कागजात की दुरुस्ती और सेहत को गुजरेंगी। यह भी इस वक़्त का क़ानून है कि १५ आने का टिकट हुआ करे। इसमें कई लाख रुपये का खर्चा होगा। तलबाना का लाखों रुपया होगा सब से जरूरत की कार्यवाही और बुरी बात यह है कि इस के अन्दर जितनी कार्रवाइयाँ हैं वह अदालती कार्रवाइयाँ हैं। मैं कहता

हूँ कि हमारा गरीब किसान तो मर गया। इसलिए उचित समय पर इस बात का सुझाव करूंगा और अब भी सुझाव करता हूँ कि इस बिल के अन्दर यह घोषणा हो जाना चाहिये कि जो कार्रवाइयाँ इस बिल में हों वह अदालती कार्रवाइयाँ न समझी जायें। उनके ऊपर टिकट और स्टैम्प लगे तो एक आना दो आने था। इस प्रकार कर सकते हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वकील समाज पहले से ही अजगर की तरह मुँह बाए बैठे हुए हैं कि यह बिल आने दो। जमींदार बिल से लाखों मुकद्दमें होंगे और लाखों रुपया हमारी जेब में आयेगा। मुकद्दमा होगा, अपील होगी, सपील होगी लाखों रुपया हम कमायेंगे। मेरा सुझाव है कि इन कार्यवाहियों में वकील का प्रवेश न होना चाहिये। जिस प्रकार पंचायत राज्य ऐक्ट में कोई वकील नहीं जाता है उसी तरह वकालतनामा लगाकर कोई शख्स नहीं जा सकेगा। इसके बाद जो हिस्से गरीब हिस्से हैं जैसे कि बुन्देल खंड वहाँ के काश्तकारों के साथ रिआयत होना चाहिये। ६। एकड़ बहुत कम हैं। मैं उचित समय पर इस बात को पेश करूंगा। अन्त में प्रीमियर साहब और विशेष कर अपने साथी चरण सिंह जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। चरण सिंह जी ने जमींदारी अबालिशन कमेटी में रात दिन मेहनत की और कोशिश करके इसकी रिपोर्ट और इस बिल को तैयार किया। मैं समझता हूँ कि यह अथक परिश्रम जिसके कारण मौजूदा बिल इस सूरत में आया और जिन्होंने इस सम्बन्ध में काम किया है, उन सब की प्रशंसा करता हूँ। उन सबकी बड़ी भारी सद्भावना रही है। अन्त में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में जमींदार विनाश शब्द रक्खा है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। कान को खरखरा मालूम होता है। महात्मा गांधी भी 'जमींदारों का विनाश' शब्द नहीं चाहते थे। मैं कहूँगा कि 'जमींदारी का विनाश' उठा दीजिये केवल 'भूमि की सुव्यवस्था बिल' इसका नाम रक्खा जाय। वह ज्यादा अच्छा है। मैं यह कह कर क्षमा चाहता हूँ।

*श्री ज़हीरुल हसनैन लारी—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मोहतरम वज़ीर आज़म की तजवीज़ की जो उन्होंने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की पेश की है ताईद करता हूँ। जमींदार पार्टी की जो तरमीम है उसकी मुखालफत करता हूँ।

जहाँ तक तरमीम का सवाल है चन्द जुमलों में इसका जवाब दिया जा सकता है। जमीन्दारी का मसला बीस बरस से मुल्क के सामने है। हर जमाअत ख्वाह वह कांग्रेस से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह जमींदार तबके से ताल्लुक रखती हो, सब ने अपने-अपने नुक्ते ख्याल को मुल्क के सामने रखा है। इस मसले पर बेश्तर हज़रात ने अखबारों, रिसालों और

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

किताबों में अपने ख्यालात का इजहार किया है। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट एक बरस से मुल्क के सामने है। मैं नहीं समझता कि ऐसा बिल जिसको इन्तजारी करोड़ों को मुद्दत से थी और जो खुदा-खुदा करके आज इस ऐवान के सामने आया है ताकि वह क़ानून की शक्ल अख्तियार कर सके, यह कहाँ तक मुनासिब होगा कि इसको पास करने में एक मिनट की भी देर की जाय? अलावाबरीं मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा देर करना जमींदार भाइयों के भी खिलाफ होगा। जो मेहरबानी आज जमींदार भाइयों के साथ यह कांग्रेस गवर्नमेंट कर सकती है वह कल को आने वाली एक दूसरी गवर्नमेंट करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगर दूसरा चुनाव हुआ और उसके बाद एक जमात आयी तो मैं समझता हूँ कि उसका फ़ैसला जमींदार भाइयों के खिलाफ़ बहुत हद तक होगा इसलिए जो लोग जमींदार भाइयों से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी जमींदारी का खात्मा इस तरीके से किया जाय कि वे बिल्कुल मुफ़लिस न हो जायँ तो मैं समझता हूँ कि वे इस जमींदार लीडर के इस तहरीक की क़तअन मुखालफ़त करेंगे और जमींदार भाइयों को समझावेंगे कि जो मेहरबानी आज इस मसविदे क़ानून में हो रही है उससे ज्यादा कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसलिये आपको चाहिये कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। खास कर के जब मैंने प्रीएम्बिल को देखा तो मुझे बड़ी ख़ुशी हुई। प्रीएम्बिल में यह लिखा हुआ है "चूँकि यह अम्र क़रीने मसलहत है कि सूबे मुतहद्दा में काश्तकार और हुकूमत के माबैन दरमियानी अशखास के हकूक खत्म करने और उनके हकूक़ हक़ मिल्कियत और इस्तहक़ाक हासिल करने और क़ब्जे आराज़ी से मुताल्लिक़ ऐसे क़ानून की इसलाह करने के लिये जिस पर ऐसे खात्मे और उसूल का असर पड़ेगा और उनसे मुताल्लिक़ दीगर उमूर की बाबत इन्तजाम किया जाये। इसलिए मुन्दरजे जैल क़ानून बनाया जाता है।" प्रीएम्बिल अपनी जगह पर बेहतरीन है कोई भी जीहोश आदमी इसकी मुख़ालिफ़त नहीं कर सकता है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ और दफ़ा ६ बी० को देखता हूँ तो जो ख्याल इस प्रीएम्बिल को देखने के बाद पैदा हुआ था उसमें कुछ कमी हो जाती है और कुछ मायूसी का ख्याल भी दिल में पैदा हो जाता है। दफ़ा ६ बी० में यह है... "सूबेजाती हुकूमत को जायज होगा कि अगर वह ऐसा करना जरूरी समझे तो तहती दफ़ा १ में मुतजकिरा इश्तहार सिर्फ ऐसे रक़बा या रक़बेजात की बाबत वक़्तन फ़वक़्तन जारी करे जिसकी या जिनकी तशरीह इश्तहार मजकूर में कर दी गयी हो।" गोया अगर यह दफ़ा क़ायम रखते हैं तो यह क़ानून सिर्फ कहने के लिये ही क़ानून रह जाता है। यह गवर्नमेंट के अख्तियार में हो जाता है कि वह जमीन्दारी को खत्म करने के लिये जिस तरह की कार्यवाही करना चाहे करे। यह उस पर मुनहसर है कि वह एक तहसील ले या एक जिला ले या कब्जे में न आने वाले एक जमीन्दार को ले या एक ज्यादा इंडिपेंडेंट (आजाद) ताल्लुकेदार को ले। यानी इसका पता नहीं है कि गवर्नमेंट कब तक इसका

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

निफाज करें। मुझे तो [illegible] नहीं [illegible] भी तो वही हश्र नहीं होगा जो प्राहिबिशन (मद्यनिषेध) का हुआ है? हमने प्राहिबिशन को सन् १९२६ ई० में शुरू किया [illegible] पालिसी अख्तियार की है लेकिन आज तेरह बरस के बाद [illegible] निहायत आसानी से गिन सकेंगे। कहा जाता है कि [illegible] मैं यह कह रहा था कि इस दफा के रखने से जो ख्यालात मेरे दिमाग में पैदा हुये थे उसमें थोड़ी सी कमी पैदा हो गयी है। [illegible] है। इस दफा को देखने के बाद जब मैं आखिरी दफा पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मेरी मायूसी कुछ और शदीद हो जाती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप जमीन्दारी के बजाय स्टेट लैंडलार्डिज्म को लायेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सारा सूबा कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत आ जाय और उसका कुछ नतीजा नजर न आये? इन तीन बातों को सामने रखते हुये मैं समझता हूँ कि बहस मजमूई का एक अगला क़दम उठाया गया है और इसलिये मैं इस मसविदे क़ानून का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी इन तमाम खामियों पर जो इस मसविदे क़ानून में हैं ग़ौर करेगी और यह प्रीएम्बिल कोई फ्राड नहीं होगा बल्कि प्रीएम्बिल का निफाज कराने पर ही सही तौर पर मसविदा क़ानून होगा।

मैं जमींदारी का खात्मा जैसा कि हमारे लायक़ प्रीमियर ने कहा था इसलिये नहीं चाहता कि मैं जमींदारों का कोई दुश्मन हूँ बल्कि मेरे नज़दीक जमींदारी का खात्मा एक सामाजिक जरूरत है। पहली चीज तो यह है कि यह एक सामाजिक जरूरत है, दूसरी यह कि तारीखी लाज़्मावादियत (हिस्टारिकल इनएविटेबिलिटी) जरूरत है और तीसरी यह कि यह एक एकनामिक नेसेसिटी (इक़्तसादी जरूरत) है। अगर इन तीन बातों के लिहाज से देखा जाय तो ग़ालिबन जमींदारी का खात्मा जरूरी है। अगर सामाजिक जरूरत को मैं आपके सामने पेश करूं तो १२ साल के तजुर्बे से आपको यह बतलाता हूँ कि जमींदार तबका एक क़दामत परस्त तबका है और सरकार परस्त तबका है और हमेशा रहा है। जाहिर है कि आज़ाद मुल्क ऐसी जमाअत का, एक ऐसे निज़ाम का जो क़दामत परस्ती पैदा करता है, जो हुकूमत परस्ती के ख्यालात में पैदा करता है मेरे ख्याल में उसका रहना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। यह खुद जमींदारों के नौजवान तबके के खिलाफ़ है। जाहिर है कि एक निज़ाम जो उनको कन्ज़रवेटिव (दकियानूस) बना दे, जो उनको क़ाबिल न करे कि मुल्क की बढ़ती हुई लहर में भी वह अपने शाने शायाँ हिस्सा ले सकें, ऐसा एक समाज जो हमारे सामने है उसका खात्मा जरूरी हो जाया करता है। दूसरी चीज़ जो हिस्टारिकल इनएविटेबिलिटी की है। मुमकिन है कि मेरे दोस्त इस पर मुझसे मुख्तलिफ़ राय के हों जमींदारी निज़ाम क्यों वजूद में आया लेकिन मैं अपनी जगह पर तमाम किताबों के मुताले के बाद इस नतीजे पर

पहुँचता हूँ कि जमींदारान महज टैक्स कलेक्टर [illegible] है कि यह पोज़ीशन बाहरी हुकूमत ने [illegible] थी कि [illegible] ऐसा वास्ता न था जो कि [illegible] हुकूमत [illegible] एक गैर हुकूमत के चले जाने के बाद, [illegible] हुकूमत के चले [illegible] बाद उनका वजूद जिस-जिस तरह से [illegible] वह खुद इस बात का [illegible] है कि उनका वजूद खत्म हो जाय। [illegible] सबसे बड़ी वजह एक [illegible] है। सवाल यह है कि क्या यह मसविदा क़ानून इन [illegible] को पूरा करता है या नहीं अगर आप गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमारे मुल्क के प्रोडक्शन को आज बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है। क्या वजह है कि इस मुल्क की पैदावार और मुल्कों के मुक़ाबिले में कम है। हमारे पास आराजियात काफ़ी हैं लेकिन उनकी पैदावार बहुत ही कम है। क्या वजह है ? जिन लोगों ने इसकी एनालेसिस की है वह कहते हैं पहली वजह तो यह है कि टिलर आफ दि स्वायल (ज़मीन जोतने वाले) का कोई इंटेरेस्ट (लगाव) अपनी लैंड (ज़मीन) में नहीं है। वह समझता है यह ज़मीदार की ज़मीन है उसे महज़ यह हक़ दिया गया है कि उसकी काश्त करे। इसलिये उसकी कोशिश सिर्फ़ यही होती है कि वह इतनी पैदावार पैदा कर सके कि वह खुद खा-पी सके. लगान दे सके लेकिन उसका यह जज़बा नहीं होता और वह उसको अपनी मिल्कियत या कम से कम जनता की मिलकियत है। इससे अपनी चीज़ समझ कर उसमें पैदावार बढ़ाने की कोशिश करे। पहली चीज़ तो यह है। दूसरी वजह यह बयान की गई है कि उस पर रेण्ट का बरडेन (बोझ) बहुत काफ़ी है, लगान का बोझ बहुत काफ़ी है और चूंकि बेशतर आराज़ियात अनएकनामिक हैं इसलिये वह लगान थोड़ा सा मालूम होता है लेकिन जो पैदावार होती है उस एकनामिक होल्डिंग से उसमें उसके लिये कुछ भी बचता नहीं है। इसलिये लगान का भार उसपर बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरी वजह यह बयान की है। और तीसरी वजह यह दी जाती है कि चूंकि इनकी होल्डिंग्ज़ अनएकनामिक है इसलिये उनमें खर्च तो ज़्यादा पड़ जाता है लेकिन पैदावार कम होती है। अब देखना यह है कि अगर यह ख़्याल सही है कि पैदावार इन वजूहात से कम हुई तो हमें देखना यह है कि आया यह मसविदा क़ानून के टेनेण्ट के इंटेरेस्ट (हित) को बढ़ाता या नहीं ? टेनेण्ट के बरडेन (बोझ) को कम करता है या नहीं ? तीसरे अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ को ख़त्म करने का तरीक़ा पैदा करता है या नहीं ? अगर टेनेण्ट का इंटेरेस्ट वही रह जाता है जो पहले था, अगर उसका बरडेन वही रहता है जो पहले था, अगर अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ अपनी जगह पर क़ायम रहती है तो मैं पूछता हूँ कि इस दूसरे निज़ाम से जो आपने पेश की है उससे मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचेगा ?

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आप निज़ाम जो बनाने जा रहे हैं वह किस रूप में है। बहरहाल यह बात तो साफ़ है कि दूसरा निज़ाम

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

चाहे जैसा भी हो जमींदारी का खातमा होना लाज़िमी है लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि जो निज़ाम आप आज पेश कर रहे हैं वह कहाँ तक मुफ़ीद है। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि आपने टेनेण्ट के इण्टरेस्ट को कहाँ तक बढ़ाया है इस वक़्त निज़ाम क्या है ? एक वह कल्टीवेटर (खेतिहर) है जो सीर की खुदकाश्त रखता है वह जमींदार है वह सीरदार है। दूसरा उन काश्तकारों का तबक़ा है जिनको पज़ेशन के पूरे हक़ हासिल हैं जैसे आकुपेन्सी और हेरिडिटरी के राइट जिनको हासिल हैं। तीसरे वह तबक़ा है जो महज़ असामी है जो जब चाहे तब निकाला जा सकता है। चौथा तबक़ा है जो सीर की काश्त करता है वह क़ानून से उसमें से निकाला जा सकता है लेकिन आपने कानून बनाया उससे उनको बेदखल करने से ममनून क़रार दिया। यह चार क्लास इस वक्त टेनेण्ट की है। अब इस बिल में जो आपने बनाया है क्या पैदा होता है। भूमिधर और सीर वाले में कोई फ़र्क नहीं है जो खुद मालिक बन जायेगा उसी को आप भूमिधर कहेंगे। दूसरा तबक़ा सीरदार का आता है वह कौन है वह वही काश्तकार है जिसको पाज़ेशन के राइट हासिल हैं आकुपेन्सी राइट वग़ैरा जिसको हासिल होता है। तीसरा तबक़ा असामी का है यह वह है जिसको आज भी जमींदार निकाल सकते हैं। चौथा तबक़ा है अधिवासी जिसको आप कहते हैं वह सीर की काश्त करने वालों का तबक़ा है जिसको आप ५ वर्ष के लिये हक़ मक़ाबज़त दे रहे हैं। वह ज़मीन से ५ वर्ष तक निकाला नहीं जा सकता। गोया यह चार सूरतें आपने टेनेण्ट की अपने यहाँ रखी हैं जो कि मैंने आपके सामने अभी बयान की। आप उसी चीज़ को दूसरे अलफ़ाज़ में दूसरे नाम से क़ायम रख रहे हैं। तो आपने क्या अख्तियार दिये। आप यह कहेंगे कि इसमें दो फर्क हैं एक तो यह है कि अगर सीरदार चाहे तो वह १० गुना लगान देकर भूमिधर हो सकता है और दूसरा यह है कि अधिवासी १५ गुना लगान देकर सीरदार हो सकता है। तो यह अख्तयार तो उनको पहले से ही हासिल है जो सीरदार के हक़ हैं वह भी उसको पहले से हासिल हैं। आपका यह क़ानून अपनी जगह पर अपने ज़रिये से कोई अख्तियार नहीं देता है। यह सवाल कि वह अपना हक़ हासिल कर सकेंगे या नहीं यह दूसरी बात है। अगर किसी सीरदार के पास पैसा नहीं है और आपको वह १० गुना लगान अदा नहीं कर सकता है तो वह सीरदार ही रहेगा। और अगर अधिवासी अपना १५ गुना लगान अदा नहीं करता है तो वह ५ साल के बाद उससे अलग कर दिया जायगा। तो जो कुछ इस क़ानून के ज़रिये से उनको हक़ मिलता है वह सिर्फ़ यह मिलता है कि वह एक खास क़िस्म के हक़ अपनी ज़मीन पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आप यह देते हैं कि गाँव समाज को यह अख्तियारात अगर गवर्नमेंट चाहे तो दिये जा सकते हैं जैसे कि लैंड का इन्तज़ाम आबादी का इन्तज़ाम करना। लेकिन उनके ऊपर निगरानियत स्टेट की रहेगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यह अख्तियार उनको यानी गाँव समाज को मुन्तक़िल

कर सकती है। तो यह कहना कि हमने बहुत राइट उनको दे दिये यह गलत है। आप यह नहीं कहते कि जिस रोज़ ज़मींदार हट जायँगे तो जो हकूक हैं, जो टेनेन्ट में वेस्ट होंगे वह कौन से हैं जो कि उनके लिये वसीय किये जायेंगे। फिर आप की तरक्की का सवाल पैदा होगा। बाज़ गाँव में आप देंगे बाज़ में नहीं देंगे बावजूद इसके कि आप यह कोशिश करें कि अनइम्पलाइमेंट पैदा हो। जैसा सप्लाई डिपार्टमेंट ने करप्शन को बढ़ाया कहीं वही हालत न पैदा हो जाय। इन दफ़ात के अन्दर दफ़ा ७ और दफ़ा ११७ में। इसी लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि टेनेन्ट को अख्तयार देने का क्या सवाल है और आपने क्या उनको दिया आपने ज़मींदारी अबालिशन रिपोर्ट में इस बात से इख्तलाफ़ किया है। ज़मीन के टेनेन्ट जो दो क़िस्म के हैं उनको तमाम अख्तियार हासिल हैं जैसे कि भूमिधर और जैसे असामी को होंगे। हाँ यह खराबी उसमें थी कि आपने सीर के टेनेंट को और सब टेनेंट को कोई अख्तियार नहीं दिया था। मिनिट आफ़ डिस्सेंट में मैंने कहा था कि उनको अख्तियार मिलना चाहिये लेकिन आप क्या करते। एक तरफ़ तो आपने उस अख्तियार को जो ज़मींदारी अबालीशन कमेटी दे रही थी कि बिला रक़म दिए वह ज़मीन पर क़ाबिज हो जाँय, उसे छीन लिया दूसरी तरफ़ आपने कहा कि हम इस शर्त को तो मानते हैं कि सब टेनेंट को मिलना चाहिये लेकिन वह लगान का १५ गुना अदा करे। अब सवाल यह है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि रुपया देहातों में फटा पड़ा हुआ है, दौलत की वहाँ कसरत है, अफ़रात है। उसमें खासकर हमारे चरण सिंह साहब हैं जो कहते हैं कि काश्तकार बहुत आसानी से यह रक़म दे सकेगा। लेकिन मैं आपकी तवज्जह खुद ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि यह कहाँ तक ठीक है। अगर आप ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा ५९१ की तरफ़ देखें तो आपको मालूम होगा। सेंसस रिपोर्ट जो सन् १९३१ ई० में हुई थी उसमें यह कहा गया था कि:—

"Yet even the debt-free peasant is desperately poor. We have seen that a considerable proportion of cultivators are working on uneconomic holdings from which even in favourable years they can scarcely derive sufficient to keep body and soul together."

(इस पर भी जिस काश्तकार पर ऋण नहीं है वह अत्यन्त निर्धन है। हम ने देखा है कि काश्तकारों का एक बड़ा भाग ग़ैर इक़्तिसादी जोतों पर काम कर रहा है जिनसे अच्छे वर्षों में भी वे बड़ी कठिनाई से इतना पैदा कर सकते हैं कि जिससे उनका पेट भर सके।)

यह तो रिमार्क सन् ३१ का था अब सन् ४८ में भी ज़मींदारी अबालीशन कमेटी क्या कहती है। उसके फाइंडिंग्स यह हैं:—

"The high prices of food-grains and commercial crops really benefited only the substantial landlords and the small section of the peasantry which held economic holdings; for the poor peasants and agricultural labourers, the war really meant further pauperisation. It may, therefore, be safely said that they did not get any advantage as a result of the rise of prices."

(खाद्य पदार्थों और तिजारती फसलों की ऊँचे दामों से वास्तव में केवल बड़े-बड़े ज़मींदारों का और उन थोड़े से काश्तकारों को ही लाभ पहुँचा है जिनके पास इक्तेसादी जोतें हैं। निर्धन काश्तकार और खेतिहर मजदूर तो लड़ाई में और भी निर्धन हो गए हैं इसलिए यह आसानी के साथ कहा जा सकता है कि दामों के बढ़ने से उनको कोई फायदा नहीं पहुँचा।)

तो यह फाइंडिंग है सन् ४८ की। सन् ३१ से लेकर ४८ तक यह हालत है। टेनेंट की कि जो अनएकानामिक होल्डिंग के टेनेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है। इसी कमेटी की फाइंडिंग यह है कि क़ार्फ़ी फ़ीसदी टेनेंट की होल्डिंग ५ एकड़ से कम है। ८१ फ़ी सदी ऐसे टेनेंट्स हैं जिनकी ५ एकड़ से कम है। ६७ फ़ी सदी ऐसे टेनेंट्स हैं जिनकी १० एकड़ से कम है। ३८ परसेंट टेनेट्स ऐसे हैं जिनकी होल्डिंग एक एकड़ से कम है। इसके मानी यह हुए कि अगर यह भी आवज़रवेशन्स जो मैंने आपके सामने पेश किये हैं सही हैं तो ८५ परसेंट पीज़ेंट्स इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि वह आपको रेंट दे सकें। अगर वह नहीं दे सकते तो टेनेंट्स का जो लाट था वह वहीं पर क़ायम रहना। वह एक इंच भी नहीं बढ़ता। हाँ हमें यह तरक्की ज़रूर होती है कि ज़मींदारी ज़रूर खत्म होती है और हुकूमत को यह इत्मिनान हो जाता है कि वह सारा रेंट हमारे काफ़र में आयेगा, हमें मौक़ा मिलेगा कि हम कारखाने क़ायम कर सकें और बजट में इज़ाफा दिखला सकें। आप यह तो ... अब एकानामिक होल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं उनको नहीं देना पड़ेगा या उनके लिये कोई तरीका निकालते। अगर नहीं करते हैं तो नतीजा क्या होगा कि जितने बड़े बड़े टेनेंट्स हैं, ५० एकड़ के और ३० एकड़ के हैं वह तो इस क़ाबिल होंगे कि वह भूमिधर के हुकूक हासिल कर सकें लेकिन वह टीमिंग मिलियंस जिनकी धंसी हुई आँखों की तरफ आप इशारा किया करते हैं उनके हुकूक वहीं रहेंगे जो पहले थे। अभी मौक़ा है। अभी तो यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है। आपकी तवज्जह की ज़रूरत है कि आप टेनेंट के हुकूक़ को बढ़ायें।

अब आप दूसरी बात देखें। टेनेंट पर बरडिन (बोझ) क्या कम हुआ ? रेंट......

डिप्टी स्पीकर—अब आप वक़्फ़े के बाद अपनी तक़रीर जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजे भवन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ज़हीरुल हसनैन लारी—जनाब वाला, मैं लंच टाइम से पहले इस ऐवान के सामने यह अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ तक टिलर्स के हुक़ूक़ का सवाल है यह मसविदा क़ानून उन के हुक़ूक़ में कोई इज़ाफ़ा नहीं करता। अब मैं दूसरी बात लेना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस मसविदा के मातहत टेनेंट पर जो लाइबिलिटीज़ या बर्डेन है उस में कोई कमी होती या नहीं। लेकिन क़ब्ल इस के कि यह सवाल पैदा हो कि बर्डेन में कोई कमी हुई है या नहीं आप लाज़िमी पूछेंगे कि क्या कोई बर्डेन भी उस पर है। अगर टेनेंट इस वक़्त इस क़ाबिल है कि जो उसकी जिम्मेदारी रेंट की शक्ल में है वह अदा कर सकता है तो किसी बर्डेन के कम करने का सवाल पैदा नहीं होता। जो हज़रात ज़मींदारी अबालिशन कमेटी के मेम्बरान थे वह मुझ से इत्तिफ़ाक़ करेंगे कि वह काफ़ी नताइज जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि वह टेनेंट्स जिनकी होल्डिंग्स छोटी हैं, उन पर बर्डेन ज्यादा है और उसमें कमी करने की ज़रूरत है। चुनान्चे उन्होंने यह तय किया था कि रेंट में इज़ाफ़ा न किया जाय, जिन के पास कम ज़मीनें हैं उन के रेंट में ... कम कर दी जाय, इस सिफ़ारिश को बिल खत्म कर देता है और जो मौजूदा रेंट है वही हर शख्स को अदा करना पड़ेगा।

हमारे लायक़ वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह बिल, हमने जो वादे काश्तकारों से किये थे, उन को पूरा करता है, जो हमारी प्लेजेज़ हैं उन को पूरा करता है। मैं पूछता हूँ कि क्या यह वाक़या नहीं है कि कांग्रेस ने काश्तकारों से यह प्लेज किया था कि काश्तकारों की वह तमाम अनएकोनामिक होल्डिंग्ज के रेंट को माफ़ कर देंगे? मेरे दोस्त ग़ालिबन भूल न गये होंगे कि सन् १९३१ ई० में कांग्रेस कमेटी ने इसके मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात शुरू की थी। उस वक़्त जो कमेटी ऐग्रेरियन डिस्ट्रेस कमेटी के नाम से हुई थी उसने कहा था कि रेंट ख्वाह उस को कोई भी नाम दिया जाय जो पैदावार किसी होल्डिंग से होती है, जो खर्चा और खाने पीने के बाद जो बचता है उस से तो रेंट लिया जा सकता है। रेंट जो है सर्प्लस का जुज़ है जो खर्चा पड़ता है उसका जुज़ नहीं है उन्होंने यह अल्फ़ाज़ कहे थे, "Rent should be the first-charge on surplus but it can be a charge on surplus alone."

(बचत से सबसे पहले लगान लेना चाहिये किन्तु यह केवल बचत से लिया जा सकता है)।

यह उन के अल्फ़ाज़ थे। उस के बाद सन् १९३६ ई० में जब कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी बैठी, ग़ालिबन उस के मेम्बर हमारे क़ाबिल वज़ीर आज़म भी थे, और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन भी थे, उन्होंने जो कहा था मैं उन अल्फ़ाज़ को आपके सामने पढ़ता हूँ।

"The correct theory of rent ought to be that a tenant should pay only that amount as rent which remains after meeting his personal and family expenses and the prime cost of production."

(लगान का ठीक सिद्धान्त यह होना चाहिये कि किसान लगान के रूप में केवल वह रुपया दे जो उसके अपने और घर भर के खर्चे और पैदावार का ठीक-ठीक खर्चा पूरा करने के बाद उसके पास बच रहे।)

इसके बाद उन्होंने यह सिफ़ारिश की थी कि हमें एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिये जिसकी रू से अनइकोनामिक होल्डिंग्स का रेण्ट कतअन माफ़ कर दिया जाये। उनकी सिफ़ारिश यह भी थी कि—

"It is essential that the existing burden of rent shoud be reduced and uneconomic holdings exempted from rent."

(यह आवश्यक है कि लगान का मौजूदा भार कम किया जाय और ग़ैर इक़्तेसादी जोतों को लगान से बरी किया जाये।)

यह वह वायदा है जो कांग्रेसी हज़रात ने यू० पी० की इस बसनेवाली जनता और खेती करने वाली जनता के साथ किया था। मैं पूछता हूँ कि क्या इस वायदे के मुताबिक़ उनकी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स बाकी नहीं रह गई है। खुद इस कमेटी की रिपोर्ट है कि १० एकड़ से कम ज़मीन अनइकोनोनिक होल्डिंग्स है। हमारे पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी श्री चरण सिंह जी का भी यही ख्याल था कि साढ़े छै परसेण्ट एकड़ से कम एरिया जिनके पास है वह अनइकोनामिक होल्डिंग्स है। अगर हम उनकी तजवीज़ मान लेते हैं तब भी बहुत काफ़ी अनइकोनामिक होल्डिंग्स है। सोशलिस्ट व्यू (समाजवादी विचार) के लिहाज़ से मानें तब भी जिनके पास १२ एकड़ से कम एरिया है वह सब अनइकोनामिक होल्डिंग्स है। ज़मींदारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़ जिनके पास १० एकड़ से कम एरिया है वह अनइकोनोमिक होल्डिंग्स है। मैं इन सबको छोड़े देता हूँ। सिर्फ़ केबिनेट के एक मिनिस्टर के तख़मीने को लेता हूँ जो यह फ़रमाते हैं कि जिनके पास साढ़े छै फ़ीसदी एकड़ से कम एरिया है वह अनइकोनोमिक होल्डिंग्स है। अगर इसको सही मान लेते हैं और कोई वजह नहीं है कि यह सही न हो तो ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके लिहाज़ से ८७ फ़ीसदी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं। अगर आप फिर भी रेण्ट में कमी नहीं करते हैं तो इसके माने यह हैं कि

आप ज़मींदारी एबालिशन कमेटी की सिफ़ारिशों को पसेपुश्त डाल देते हैं क्या आप जनता के साथ किये हुये वायदों को पूरा करना नहीं है। क्या जनता की मुश्किलों को दूर करना नहीं है। हाँ एक ख़ास तबक़े को आप कह सकते हैं जो कि सब्सटैन्शल टेनेन्ट्स (पर्याप्त किसान) हैं उसके अलावा और किसी हद तक तकलीफें दूर हो जाती हैं लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत इस सूबे के रहने वालों की तकलीफें हर्गिज़ नहीं दूर हो सकती। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा और जैसा कि मैंने प्रिन्टेड प्रोसीडिंग्स में भी लिखा था कि डेढ़ करोड़ रुपया कम करना मुनासिब नहीं था। दूसरी वजह यह देखिये कि हमारे कांग्रेसी भाई हमेशा यह कहा करते थे कि इन २० वर्षों के अन्दर ज़मींदारों ने एक बड़ी हद तक रेन्ट में इज़ाफ़ा कर दिया है और यह चीज़ सही भी है। जो फ़िगर्स मुहय्या किये गये हैं उनसे पता चलता है कि सन् १९२३-२४ एक दो सौ चौबीस हज़ार रेन्टल था वह ४४-४५ में वह एक लाख चार सौ तिरासी हज़ार हो गया। यानी ५५९ लाख का इज़ाफ़ा हो गया। यानी बरख़िलाफ़ इसके रेवन्यू पहले ५ लाख ९३ हज़ार था अब ६ लाख ९८ हज़ार हो गया, इस तरह से चार करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ। कहा यह जाता था कि ज़मींदार बड़े ज़ालिम हैं। इन्होंने पहले ज़मींदारी के उसी तनासुब से मालगुज़ारी अदा करके हर साल चार करोड़ रुपया अपनी जेब में रक्खा। इंतज़ाम सही था। लेकिन जब ज़मींदारी ख़त्म हो रही है और इसका इन्तज़ाम स्टेट के हाथ में पहुँच रहा है तो क्या स्टेट का यह फ़र्ज़ नहीं था कि वह यह कहे कि जो दग़ा के ज़रिये हासिल किया गया है मैं उसकी वसूल नहीं करूँगा।

तो फिर क्या वजह है कि आज यह गवर्नमेंट नहीं कहती कि हम इस ४ करोड़ रुपये को अपने ख़ज़ाने में नहीं लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। आप ग़ौर करें कि ख़ुद ज़मींदारी एबालिशन कमेटी ने कहा था कि डेढ़ करोड़ की कमी इस में कर दी जाय लेकिन आज आप उसको भी नहीं मानते। आप जिसको टेन्टेड मनी कहते थे उसको आप हर साल अपनी ट्रेजरी में वसूल करते हैं और पहले से आप कहते चले आते थे कि टीनेन्ट्स पर बार ज़्यादा है तो आप का यह रुपया आज भी बदस्तूर वसूल करना कहाँ तक जायज़ हो सकता है? जहाँ तक अनएकानामिक होल्डिंग्ज़ का ताल्लुक़ है, आज जब आपको पूरा मौक़ा मिलता है और ज़मींदारी एबालिशन कमेटी भी सिफ़ारिश करती है कि उनको एकानामिक बनाया जाय लेकिन आप उसको भी रद्द कर देते हैं और आप के लिये वह सिफ़ारिश नाकाफ़ी और रद्दी हो जाती है। इसलिए साफ़ नतीजा यह निकलता है कि जहाँ तक किसानों पर बरडेन का ताल्लुक़ है उसमें किसी तरह की भी कमी नहीं हुई है।

अव्वल तो यह चीज़ मैंने आप को बतलाई कि उनके हक़ूक़ में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ और दूसरे यह कि उनके बरडेन में कोई कमी वाक़े नहीं हुई। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वह यह है कि इस क़ानून से फूड प्रोडक्शन

[श्री ज़हीरुल हसनैन लारी]
में कमी बेशी के क्या कद इमकानात हो सकते हैं और कहाँ तक इससे आइन्दा की पैदावार फ़ी एकड़ बढ़ सकेगी। अगर कोई प्राबलम ऐसी है कि जिसका असर यहाँ की रियासत पर पड़ सकता है और मुस्तक़बिल पर पड़ सकता है तो वह यही मसला है। ज़मींदारी एबालिशन कमेटी के सेक्रेटरी ने जो फ़िगर्स आंकड़े तैयार किये थे उनका नतीजा यह था कि जब तक कोई होल्डिंग ५० एकड़ तक रहती है तो उसकी पैदावार के रिज़ल्ट्स अच्छे रहते हैं और जब वह बढ़ जाती है तो उसकी पैदावार कम होने लगती है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा होता कि अव्वल तो किसी भी टेनेंट या ज़मींदार की होल्डिंग की तादाद मुक़र्रर कर दी जाती कि ५० एकड़ से ज्यादा किसी की होल्डिंग न हो। कहा जाता है कि हमारे पास ज़मीन कहाँ है जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि वह स्कीम कहाँ है जिसके ज़रिए से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इस रिपोर्ट की रूह से आपको ४५ लाख एकड़ ज़मीन मिलती है और इसके अलावा आप और ज़मीन रिक्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप १० एकड़ भी फ़ी आदमी तक़सीम कर दें तो आप इस तरह से ढाई लाख टेनेण्ट्स को एकनामिक बना सकते हैं और १० लाख की ज़िन्दगी का माकूल इन्तज़ाम आप कर हैं और जबकि शरणार्थियों का सवाल है और जिनकी वजह से मुल्क में काफ़ी डिस्टरबैंस मौजूद है और आज जब कि कहा जाता है कि लैण्डलैस लेबरर के लिये ज़मीन नहीं है तो क्या ऐसी हालत में १० लाख आदमियों की ज़िन्दगी को इस क़ाबिल बनाना कि वह आराम से रह सकें और ज़िन्दगी बसर कर सकें सूबे की ख़िदमत करना नहीं होगा? कहा जाता है कि आज हमारे यहाँ रिफ़्यूजी प्राबलम है और हम इन पंजाब के लाखों आदमियों को बसाने में काफ़ी परेशान हैं। आप उनको क्यों नहीं इस तरीके से बसाने का इन्तज़ाम करते? इससे आप हर काश्तकार को ज़मीन दे सकेंगे और जो देहाती रिफ़्यूजीज़ हैं उनको भी बसा सकेंगे। मैं आप से कहता हूँ कि आप ने जो यह स्कीम बनाई है उससे मुल्क के मर्ज़ का इलाज नहीं होता। आपने जो चैप्टर रखा है, कोआपरेटिव और कंसालिडेशन (चकबंदी) के बारे में, उस तरह की चीज़ तो पहले से ही स्टेट्यूट बुक में मौजूद है जिसकी रू से जो भी चाहे कनसालिडेशन करा सकता है लेकिन तजुर्बा बतलाता है कि उससे कुछ भी नहीं हो सका है।

इसलिए आप जिस चीज़ को अपना चुके हैं और आज़माने के बाद कोई फ़ायदा मुल्क को नहीं पहुँचा उसी को आप लाते हैं। ज़रूरत यह थी कि आप एकानामिक होल्डिंग्ज़ की तादाद मुक़र्रर कर दें, एरिया मुक़र्रर कर दें कि इससे ज्यादा किसी के पास नहीं रहेगी। मान लीजिये वह ५० बीघा है, मेरा अन्दाज़ा है कि आपको ४० लाख के क़रीब लैंड मिलेगा और उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे इब्तिदा होगी सोशलाईज़ेशन की।

मैं इस ऐवान के सामने तीन इसलाह पेश करता हूँ। पहली चीज़ यह है कि सीरदार और अधिवासी को यह लाज़िमी न हो कि वह १५ गुना या

१० गुना रेन्ट अदा करे तभी उसको भूमिधर के हुकूक मिल सकते हैं, उनको आउट राइट हुकूक पूरे मिलना चाहिए जो कि आपने भूमिधर को दे रखे हैं। अगर आप समझते हैं कि यह नामुमकिन है तो मैं कहूँगा कि कम से कम वह सीरदार और वह दूसरे सब टेनेण्ट्स अधिवासी जिनके पास अनएकानामिक होल्डिंग्ज हैं उनके लिए कीजिए कि उनको १० गुना या १५ गुना न देना पड़े जो इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि वह उनको अदा कर सकें उनको मजबूर करना कि वह दें तभी हुकूक हासिल होंगे मेरे नज़दीक उन हुकूक से इंकार करना है। दूसरी तजवीज़ यह है कि ३ एकड़ से कम जिनके पास होल्डिंग्ज हैं उन पर कोई रेन्ट न होना चाहिए मेरे कुछ दोस्तों ने तो साढ़े ६ एकड़ तक कहा है लेकिन मेरा जो तखमीना है उनमें मैंने यह दिखलाया है कि जिनके पास ३ एकड़ से कम ज़मीन है वह इतनी पैदावार कर सकते हैं कि अपना गुजारा कर सकें उनके पास कोई सरप्लस नहीं है, किसी रेन्ट का उनसे वसूल करना सरीह ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी है। तीसरे यह कि होल्डिंग्ज के साइज की लिमिट होना चाहिए और किसी के पास ख्वाह वह टेनेण्ट हो या जमींदार ५० एकड़ तक की इजाजत होना चाहिए और उससे जो जमीन बचे जो कम से कम २५ लाख एकड़ होगी उसको आप तकसीम करें १० एकड़ के हिसाब से लैंडलेस लेबर और रिफ्यूजीज में। इस तरह से आप १५ या २० लाख आदमियों को नये सिरे से जिन्दगी गुजारने का मौक़ा देंगे।

अब कम्पेनसेशन का सवाल पैदा होता है। मुझे सोशलिस्ट प्वाइंट आफ़ व्यू (दृष्टि कोण) से काफ़ी हमदर्दी है। नोट आफ़ डिसेण्ट में भी मैंने इसका तज़किरा किया है लेकिन जो क़ानून इस वक़्त इस मुल्क में रायज हैं और ग़ालिबन हर शख्स को उससे वाकफ़ियत होगी, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट के मुताबिक़ इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन देना लाज़िमी है अगर कोई क़ानून बिला इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन दिए जमींदारी को एबालिश करने का लाया भी जाता है तो हर हाईकोर्ट उसको रद कर देगी। जो मसविदा हमारी इस असेम्बली में इस वक्त पेश है और जिस पर ग़ौर किया जा रहा है उसका आर्टिकिल २४ जो है वह भी कहता है कि किसी की प्रापर्टी उसी वक्त ली जा सकती है जब इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन अदा कर दिया जाये। जो विधान बन रहा है, जो गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट इस वक़्त है उसके मातहत तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कम्पेनसेशन दें या न दें। हाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि यह विधान ज़ेरे ग़ौर है और जो पार्टी आज यहाँ ताक़त में है वही पार्टी वहाँ भी ताक़त में है वह आर्टिकल २४ को इस तौर पर रख सकती है कि बिना इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन दिए हुए ही कोई प्रापर्टी हासिल की जा सकती है लेकिन यह उसूल तो सिर्फ़ जमींदारों पर ही नहीं लागू किया जा सकता। फिर तो जो प्रापर्टी सरकार चाहे बिना मुआविजा दिए ही उसे एक्वायर कर सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है वह एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है वह ख्वाहिश नहीं करेगी कि आर्टिकिल २४ को

[श्री ज़हीरुल हसनैन लारी]
बदले और इसके लिए हम चाहते हैं कि ज़मींदारी को बिना कम्पेनसेशन दिये ही वह ज़मींदारी को हासिल कर सके।

क्योंकि अगर एक दफ़ा इस वसूल को माना गया तो इसका असर इण्डस्ट्रियलिस्ट्स (व्यवसायिकों) पर पड़ेगा और अगर ऐसा विधान आ जायगा तो आगे जो नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) होगा इंडस्ट्री और दूसरी चीज़ों का, उस पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि हमारी अक्सरियत जो इस वक़्त मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों पर क़ाबिज़ है, वह अपनी पालिसी के मातहत, जो कि बहुत हद तक कैपिटलिस्ट (पूंजीपतियों) की है, इस बात के लिये मजबूर है कि वह आर्टिकिल २४ (धारा २४) को रक्खे। और अगर वह आर्टिकिल २४ को रखती है तो मेरा यहाँ बहस करना कि कम्पेनसेशन (मुआविज़ा) दिया जाय या न दिया जाय, बेकार है। हाँ बहैसियत एक वकील के मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर यह इक्यूटेबिल कम्पेनसेशन (सामान्य अधिकार) न देंगी, तो ज़ाहिर है कि इस आर्टिकिल के रखते हुये ज़मींदारी को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके माने यह होंगे कि ज़मींदारी को ७ वर्ष के लिये और क़ायम रक्खा जाय। हमारे सोशलिस्ट, जैसा कि रोशन ज़माँ साहब ने अपनी तक़रीर में कहा कि कोई मुआविज़ा न देना चाहिए, इस नज़रिए को छोड़ देते हैं। हाँ यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी तो मस्विदा बन रहा है उसमें तरमीम करने की कोशिश की जाय। अगर वहाँ पर यह तरमीम हो सकी तो सेलेक्ट कमेटी में हम ग़ौर करते हैं कि आया मुआविज़ा देना मुनासिब है या नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ तक इस असेम्बली का ताल्लुक़ है वह सिर्फ़ इस बात पर ग़ौर कर सकती है कि क्या कम्पेनसेशन इक्विटेबिल होगा। जब तक कि आर्टिकिल २४ में तब्दीली की जाय, उस वक़्त तक केवल एक सूरत है कि इक्यूटेबिल कम्पेनसेशन देने के बारे में यह असेम्बली ग़ौर करे। अगर कोई अनइक्विटेबिल कम्पेनसेशन रक्खा गया तो इसके माने यह होंगे कि तीन वर्ष तक हाईकोर्ट में मुक़दमा चलेगा और हो सकता है कि यह क़ानून रद्द करार दे दिया जाय और ज़मींदारी बदस्तूर क़ायम रहे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने अपने वकीलों से मशविरा ले लिया होगा कि किस हद तक कम्पेनसेशन देना इक्यूटेयिल समझा जायगा. क्योंकि यह ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वह यह ख़्याल रक्खे जिससे कि आगे चल कर यह क़ानून नाक़िस न हो सके।

दो तीन बातें और अर्ज़ करनी हैं। पहली चीज़ यह है कि यह क़ानून म्यूनिसपैलिटीज़, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया वग़ैरा पर लागू न होगा और वादा यह किया है कि आइन्दा कोई क़ानून इसके मुताल्लिक़ न लाया जायगा। मैं पूछता हूँ कि क्या ख़ुसूसियत है उन ज़मींदारियों की जो कि म्युनिसपैलिटीज़, टाउन एरिया वग़ैरह में वाक़ै हैं कि उनमें और देहात की ज़मींदारियों में फ़र्क़ किया जाय। क्या इसकी यह वजह नहीं है कि वे

कैपिटलिस्टों की है इंडस्ट्रियलिस्टों की है। यह फ़र्क करना मुनासिब नहीं मालूम होता। आप देखें कि शहरों में प्राबलम और भी ज्यादा है। एक बँगला बनवाने के लिये ज़मीन नहीं मिलती और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ४०, ४० कोठियां हैं, और हर एक में ४, ४ या ५, ५ एकड़ ज़मीन है, न वह खेती के काम आती है और न उस पर मकान ही बन पाते हैं। क्या वजह है कि वहाँ के ज़मींदारों को इस तरह की आसानी दी जाय, सिर्फ़ इसलिये कि वहाँ पर ज्यादातर वे ज़मींदार हैं जो कैपिटलिस्ट ('पूँजीपति') हैं, जिनका काश्तकारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहुत से ऐसे भी हैं जो साहूकार हैं। मैं इलाहाबाद की हालत जानता हूँ, वहाँ वे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके दीगर ज़रिये मास भी है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह फ़र्क क्यों किया गया। यह मक़सूद हो सकता था कि जनाब मिडिल क्लास से बहुत बार नाउम्मेद हो चुके हैं, शहरी लोगों ने तो हमें कई मरतबा मायूस किया है। एक बार, दोबारा और सेबारा नहीं बल्कि कई बार वह हमसे नाराज़ हो चुके हैं। देहात में अभी ग़नीमत है वहाँ पर इसके असरात अभी कम हैं। लेकिन इंसाफ के लिहाज़ से मैं पूछता हूँ कि मिडिल क्लास भी तो इन्सानी जमाअत ही है। फिर टाउन एरिया और म्युनिसिपल एरिया को सबसे बरी क्यों किया है और अगर बरी किया है तो दूसरा क़ानून अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं लाये। जब आपने ज़मींदारी बिल का रिज़ोल्यूशन पास किया था उस वक़्त, जैसा कि हमारे दोस्त फखरुल इस्लाम साहब ने कहा, एक और दूसरा रिज़ोल्यूशन भी पास किया गया था जिसमें नेशनलाइज़ेशन आफ़ अदर सोर्सेज़ (दूसरी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण) भी था। ज़मींदारी अबालीशन बिल से जो असरात होने वाले हैं उन पर भी आपने ग़ौर नहीं फ़रमाया और अगर फ़रमाया तो उसके बारे में अभी तक अमल क्यों नहीं किया। ज़ाहिर है कि जो आप ज़मींदारों को कैश (रुपया) देंगे वह सब कर्ज़े की अदायगी में साहूकार के पास चला जायगा। अगर आप लाने का वायदा करते हैं तो आप इस सैशन में क्यों नहीं लाये। आपने कमेटी भी बनाई लेकिन उसने अभी तक क्या किया। जो प्राब्लम्स ज़मींदारी अबालीशन से पैदा होंगी उनका हल आप हमारे सामने अभी तक क्यों नहीं लाये। आपने डेट (ऋण) के मुताल्लिक़ क्या किया। जैसा कि मैंने अपने नोट आफ़ डिस्सेन्ट में कहा था कि आप एक बिल तो लैजिस्लेचर में ला रहे हैं और २ को बाक़ी रख रहे हैं। एक म्यूनि० के मुताल्लिक़ और दूसरा डेट (ऋण) के मुताल्लिक़। इस बिल के लाने में आपने क़ाफ़ी तसादुली की है। जिस तरीक़े से आप चल रहे हैं उससे तो हमें उम्मीद कम मालूम होती है कि आप इलेक्शन से पहले ज़मींदारी का अबालीशन कर लेंगे। ताकि आप पब्लिक के सामने जा सकें कि क़ानून तो अब पास कर दिया है आप हमें वोट दे दीजिये आगे जाकर हम उसे लागू कर देंगे। इस तरह दो तीन बरस

मेरे ख्याल से इसमें लग जायेंगे। वे तमाम क़वानीन जो इकोनौमिक हालत के लिये जरूरी थे, जो कि इस बिल से पैदा होने वाली थीं, आपको साथ में ही लाने चाहिये थे। हम इस बिल की ताईद इसलिये करते हैं कि आपने वादे किये हैं कि हम जमींदारी को खत्म करेंगे और साथ ही साथ ऐसे क़ानून बनायेंगे जिनसे जनता को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इन दोनों बातों में मुझे खतरा नजर आता है। पहिला खतरा दफ़ा ६ (ब) से मुझे लगता है। बहुत से असहाब को तो इसकी वाक़फ़ियत भी नहीं है। अबालीशान कमेटी की रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। उसने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इस काम को जिले जिले या स्टेट-स्टेट में काम में लाया जाय। बहुत से मेम्बरों को तो यह देख कर ताज्जुब हुआ। गौर सेलेक्ट कमेटी में इस पर फिर ग़ौर होना चाहिए। और इसे दूर कर देना चाहिए। मुझे इसके रहने से बहुत बड़ा डर रिश्वत सितानी का लग रहा है। इसके होने से उसके लिये एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जायगा। किसी एक रियासत को जिसे १५ लाख रुपया सालाना की आमदनी है उसे यह मालूम हो जाय कि एक लाख रुपया खर्च करने से हमारी जमींदारी दो साल के लिये बच जायेगी तो वह ऐसा करने के लिये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। आप यूँ ही परेशान थे कि इस सप्लाई डिपार्टमेंट ने पब्लिक के मारल को गिरा दिया है। और आप ने यह रखा तो रिश्वत सितानी का दरवाजा फिर खुल जायगा। मेरी गुजारिश है कि आप इसे रोक दीजिये ताकि कम से कम इस काम में तो नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म और रिश्वत सितानी को मौक़ा न मिले।

इन तमाम खराबियों को दूर करने की कोशिश कीजिये, टेनेण्ट्स को पूरे हक़ूक़ दीजिये वर्ना जैसा कि अभी कई आदमियों ने कहा है कि स्लोगंस का जमाना गुजर गया है और अब स्लोगन्स से काम नहीं चलेगा। जाहिर है कि अब पब्लिक ज्यादा होशियार हो गई है। वह हमसे उम्मीदें रखती थी और अब हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम कहें कि फलाँ फलाँ रुकावटें हैं। अपोजीशन की तरफ़ से भी कोई रुकावट नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करूँगा कि आप ऐसा कीजिये कि टेनेण्ट्स को पूरे हक़ूक़ मिलें, इकनामिक होल्डिंग्ज ज्यादा से ज्यादा वजूद में आयें जिससे जनता को सकून हो और उनको वाक़ई महसूस हो कि हमें इक़्तसादी आजादी मिली है। यह ठीक है कि सियासी आजादी हमको मिल चुकी है और इक़्तसादी आजादी हमको अभी तक नहीं मिली है लेकिन इक़्तसादी आजादी का ताल्लुक़ जमीन की पैदावार से है और किसानों की बहबूदी से है। यह सच है कि यह मसविदा इंक़लाबी है लेकिन जिसे आप इंक़लाबी तजवीज कहते हैं वह इंक़लाबी तरमीम की मुस्तहक़ है। जब तक आप इंक़लाबी तरमीमात नहीं करेंगे यह एक बिल्कुल बेजान चीज होगी और इससे सूबे को और जनता को ज्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैं उम्मेद करता हूँ कि आप सेलेक्ट कमेटी में ऐसे बाहोश अश्खास रक्खेंगे जो यह समझें कि हमें ऐसा क़ानून बनाना है जिससे काश्तकारों का जजबा फिर से

ऊँचा हो जाय ताकि हम उनसे यह कह सकें कि हमने सियासी आज़ादी लेने के बाद अब तुम्हारे लिये इक्तसादी आज़ादी हासिल की है।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे सामने एक इतना महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है और मुझे भी इस पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर मिला है। मैं इस शिष्टाचार में जाना नहीं चाहता कि मन्त्रिमंडल को बधाई दूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि मन्त्रिमंडल का कर्तव्य था कि वह जल्द से जल्द इस बिल को धारा सभा के सामने लावे और ज़मींदारी उन्मूलन-कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करे। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और जिस बिल की प्रतीक्षा सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि हमारा समस्त प्रान्त और प्रान्त ही नहीं बल्कि समस्त देश कर रहा था उसको पेश करके यहाँ की जनता को अनुगृहीत किया है। हमें मालूम है कि लगभग १०० वर्ष से हम तीन अभिशापों से ग्रस्त हुये थे, हमारे ऊपर तीन बोझ लदे हुये थे। पहला बोझ था अंग्रेजी साम्राज्यवाद का, दूसरा ज़मींदारी प्रथा का और तीसरा पूंजीशाही का। ९० या उससे कुछ अधिक साल हुये जबसे कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे सूबे में आयी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ ज़मींदारी-प्रथा भी हमारे सिर पर लादी गयी। उसके बाद पूंजीशाही भी आयी और ९० वर्षों तक हम बराबर इन तीनों अभिशापों से—इन तीनों बोझों से लदे हुये रहे।

इसमें सन्देह नहीं कि जब तक अंग्रेजी साम्राज्य हमारे बीच में था यह असम्भव था कि हम बाकी दो अभिशापों से अपने को मुक्त कर सकें। इसलिये देश ने सबसे पहले यह कोशिश की कि हम जल्द से जल्द अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करें ताकि राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने और स्वाधीन होने के बाद आर्थिक स्वाधीनता और समानता अपने देश में क़ायम कर सकें। हमें खुशी है कि कांग्रेस की कोशिशों से, महात्मा गांधी की कोशिशों से तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से जिन्होंने अपनी जान हमारी स्वाधीनता के लिये दी। आज हम स्वाधीन हो गये। आज इस स्वाधीनता की झलक गाँव-गाँव में दिखलाई दे रही है। यह ज़रूर है कि जिस समय हमको स्वाधीनता मिली, वह बड़ा उपयुक्त समय नहीं था। इसलिये जितनी झलक इस स्वाधीनता की दिखलाई देनी चाहिये थी, उतनी नहीं दिखलाई दी, क्योंकि जिस समय स्वाधीनता हमें मिली, हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। पिछली लड़ाई के कारण हमारी दशा और संसार की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ी में पड़ गई थी और अब भी पड़ी हुई है।

हमारे देश में हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हुए। काश्मीर और हैदराबाद की समस्याएँ आईं। हमारे देश में छः सौ देशी रियासतों की समस्या उपस्थित हो गई। इन बातों की वजह से जितना आनन्द स्वराज्य की झलक से लोगों को होना चाहिये था, उतना आनन्द दिखलाई नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
इसमें सन्देह नहीं कि एक नयी भावना पैदा हो गयी और अब राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर आर्थिक स्वाधीनता भी स्थापित कर सकेंगे।

हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का और जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूँ, राजनीतिक स्वाधीनता के सिलसिले में। वह इसलिये कि उसका सम्बन्ध इस बिल से है जो आज हमारे सामने पेश है। कुछ दिन हुये मुझे याद है कि माननीय प्रधान मन्त्री पंत जी ने मुझसे यह सवाल किया कि क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वराज्य की झलक नहीं प्राप्त हुई है जिन्होंने महसूस नहीं किया है कि हम अब स्वाधीन हो गये हैं। और हमारा देश आजाद हो गया है। मैंने उस समय कहा था कि अब तो कोई ऐसा नहीं मालूम होता जिस के पास यह सन्देश न पहुँच गया हो, जिसके पास स्वाधीनता की झलक न पहुंच गई हो। लेकिन इस बिल के देखने से यह जरूर मालूम होता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ स्वाधीनता की झलक अब तक नहीं पहुँची है। मुझे एक मिसाल याद आती है। सन ३४ में कुछ लोग साइबेरिया में गये। वहाँ के जंगली और रेगिस्तानके निवासियों ने बात चीत में कहा हमारे देश में जार की हुकूमत चली आ रही है। उनको यह नहीं मालूम था कि १७ वर्ष पहले ही जार की हुकूमत समाप्त हो गयी है, रूस में क्रांति हो चुकी है और नये समाज की स्थापना हो चुकी है। साइबेरिया के रहनेवालों में से बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यह झलक नहीं मिली थी। यहाँ भी एक कोना है जिनको आजादी की झलक नहीं मिली है वह है प्रान्तीय सरकार का सेक्रेटेरियट। आपने देखा होगा कि वहाँ अब भी अंधेरा रहता है और दिन में भी रोशनी करनी पड़ती है। वहाँ स्वराज्य की रोशनी नहीं पहुँची। यही कारण है कि जब हम बिल पढ़ते हैं तो जहाँ पर इण्डियन रिपब्लिक अथवा प्रान्तीय सरकार होना चाहिये उसके स्थान पर 'हिज मैजेस्टी' शब्द आता है। मैं माननीय मन्त्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि जरा वह बिल जो हमारे सामने पेश होते हैं उन्हें स्वयं देख लिया करें।

माननीय प्रधान सचिव—चूंकि आपको जो ठेस लगी है वह कुदरती है और मैं आपकी उस भावना को समझता हूँ इस लिए मैं चाहता हूँ कि जरा इसको साफ़ कर दूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इस वक्त गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट के मुताबिक "हिज मैजेस्टी" लफ्ज लिखना लाजिमी है। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा ऐक्ट पास होगा तब तक सावरेन इण्डियन रिपब्लिक लिखने का मौक़ा हमें मिल जायगा।

श्री विश्व दयालम्भर त्रिपाठी—मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने उस विषय को स्पष्ट कर दिया और हम आशा करते हैं कि जब तक इस क़ानून को पास करने का मौक़ा आवेगा उस समय तक "हिज मैजेस्टी" का नाम इस क़ानून से निकल जायेगा।

श्री ज़हीरुल हसनैन लारी—क्या मेरे दोस्त को नहीं मालूम है कि इसका ऐलान २६ जनवरी सन् १९५० को होगा ? क्योंकि वे भी कांस्टीटुएण्ट असेम्बली के मेम्बर हैं ?

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—मगर मैं अब भी यही समझता हूँ कि अगर मसविदे में यह शब्द नहीं रखा जाता और रिपब्लिक लिख दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं होता। बहरहाल जब हमारे प्रधान मन्त्री जी कहते हैं और इसके लिये यक़ीन दिलाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम उनकी बात को न मानें। हमें पूरी आशा है कि वह शब्द उससे हट जायगा और उसके स्थान पर प्रान्तीय सरकार या सावरेन इण्डियन रिपब्लिक आ जायगा।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लगभग ९० साल तक अँग्रेजी हुकूमत हमारे सर पर लदी रही। जब से अँग्रेजी हुकूमत आयी उसने हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा का विकास किया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके पहले भी हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा थी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ज़मींदारी प्रथा अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर क़ायम की है वह प्रथा अँग्रेजों के आने से पहले यहाँ नहीं थी। यह मैं मानता हूँ कि सौ दो सौ वर्षों से नाम के लिए बीज-मात्र स्वरूप ज़मींदारी का प्रारम्भ हो गया था, अगर अंग्रेजी हुकूमत न आयी होती तो शायद वह बीज भी समाप्त हो गया होता और ज़मींदारी प्रथा जो इस समय हमारे सामने है यहाँ पर क़ायम नहीं हुई होती। मैं आपको दूर इतिहास में नहीं ले जाना चाहता और न आपका समय बेकार नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे बहुत से ज़मींदार लोग इस बात की दोहाई देते हैं कि ज़मींदारी प्रथा पुरानी है इस लिये इसको नष्ट नहीं करना चाहिये—पुरानी होने की वजह से इसमें पवित्रता है, इस लिए मैं इतिहास के अन्दर दूर तक न जाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि न तो कभी प्राचीन काल में और न मध्य कालीन समय में ही ज़मींदारी प्रथा थी और जो कुछ उसके बीज मात्र मौजूद थे वह भी समाप्त हो गये होते, अगर अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर न आई होती। आप कहेंगे कि पैतृक आधार पर कुछ लोगों को रेवेन्यू फार्मिंग लगान वसूल करने का अधिकार था, यानी पिता के बाद पुत्र के हाथ में रेवेन्यू फार्मिंग जाती थी और वे पैतृक आधार पर लगान वसूल करते थे। यह बात ठीक है। बंगाल और अवध में भी कुछ समय तक ऐसा रहा कि पिता के बाद पुत्र राज्य की ओर से मालगुजारी वसूल करता था, लेकिन साथ ही साथ यह भी होता रहा कि जब कभी राज्य चाहता था तो उसको बरखास्त भी कर देता था और तनख्वाहदारों को रेवेन्यू फ़ार्मर मुक़र्रर कर देता था इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ज़मींदारी प्रथा का विकास आज जिस तरह हुआ है उस तरह से न तो अवध के नवाबों के जमाने में और न बंगाल या दूसरी जगहों में ही था। ऐसी सूरत में अगर ज़मींदारी के समर्थन में दोहाई दी जाती है तो यह बिल्कुल ग़लत है। ऐतिहासिक दृष्टि से

गलत है। अंग्रेज़ जब यहाँ आये तो उन्होंने देखा कि यहाँ गाँवों का संगठन बहुत मज़बूत है और उसने यह भी देखा कि अगर हमें अपना आतंक गाँवों में क़ायम करना है तो ग्राम-संगठन को नष्ट करना चाहिये। और इसीलिये उन्होंने यह चाहा कि गाँवों में जो पंचायतें पहले से क़ायम थीं उन्हें मिटा दिया जाय। पंचायती संगठन के कारण यहाँ के निवासियों ने कभी यह परवाह नहीं की कि कौन सा शासन हिन्दुस्तान में क़ायम है और कौन सा नहीं है। अंग्रेजों ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। वे एक तरफ़ तो उनका नाश करते गये और दूसरी तरफ़ ज़मींदारी की प्रथा को क़ायम करते गये। सच बात तो यह है कि ज़मींदारी प्रथा और जनसत्तात्मक शासन एक दूसरे के विरोधी हैं और इसीलिए जब हम फिर जनसत्तात्मक शासन की स्थापना कर रहे हैं और उसके अनुसार देहातों में फिर से पंचायतें क़ायम कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि या तो ज़मींदारी प्रथा रह सकती है या हमारी पंचायतों का तरीक़ा ही रह सकता है। मैं आपका ध्यान आजकल के समाज की ओर दिलाता हूँ। मैं किसी की अच्छाई और बुराई की दृष्टि से नहीं कहता लेकिन सच तो यह है कि जो ज़मींदारी प्रथा आज हमारे गाँवों में है वह जनसत्तात्मक शासन के बिलकुल विरुद्ध है। आज गाँवों में जो ज़मींदार हैं वही लम्बरदार भी हैं, वही गाँव का मुखिया भी है। उसी की राय से पटवारी मुक़र्रर होता है, और उसी की राय से चौकीदार भी मुक़र्रर होता है अगर कोई कानूनगो वहाँ पर आता है तो उसी के यहाँ ठहरता है और कोई सब-इन्सपेक्टर पुलिस भी आता है तो वह भी उसी के वहाँ ठहरता है। इस तरह से ज़मींदार आज गाँव के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का केन्द्र है। मैं अच्छाई और बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक वास्तविक स्वरूप आपके सामने रख रहा हूँ। आज के समाज में ज़मींदार हमारे ग्रामीण आर्थिक जीवन का केन्द्र है। अब अगर आर्थिक जीवन का केन्द्र ज़मींदार को न बनाकर, एक आदमी को न बनाकर आप यह चाहते हैं कि वहाँ की पंचायत, वहाँ की प्रजा, वहाँ का जनसमुदाय ऐसा केन्द्र हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप ज़मींदारी की प्रथा को समाप्त करें। पंचायत राज के सम्बन्ध में मैंने हमेशा यह कहा है कि जब तक ज़मींदारी प्रथा क़ायम है और ज़मींदार के हाथ में शासन की शक्ति और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति केन्द्रित है उस समय तक प्रजासत्तात्मक शासन देहातों में नहीं हो सकता और पंचायतें वहाँ पूरी तौर से सफल नहीं हो सकतीं। लिहाजा अगर पंचायतों को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम एक आदमी के हाथ से वहाँ की सारी शक्ति जो इस समय केन्द्रित है निकाल लें और उसे वहाँ की जनता के हाथ में दे दें। जब हमने यह क़दम उठाया कि हम गाँवों में पंचायतें स्थापित करें तो हमारा मतलब यही था कि हम यहाँ की निरंकुश शक्तियों को खत्म करना चाहते हैं। इसमें न तो कोई संदेह हो सकता है और न है। अतः वर्तमान ज़मींदारी प्रथा को जो इस समय

६० साल से हमारे यहाँ इस स्वरूप में चली आती है, हमने खत्म करने का निश्चय किया है। इसका भी एक इतिहास है। लगभग तीस वर्ष हुये जब यह आवाज हमारे देश में और खास तौर से हमारे प्रान्त में उठी कि हमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी ने शायद पहले पहल यह आवाज उठाई कि हमें अपने प्रान्त से और अपने देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। साथ ही साथ हमारे देश के और हमारे प्रान्त के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी यह आवाज उठाई कि हमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। परन्तु वह उपयुक्त समय नहीं था, और इसलिये जब तक कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर रही तब तक यह सम्भव नहीं था कि हम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर सकते। लेकिन अब जब अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हुआ है तब यह आवश्यक है कि जो प्रतिगामी शक्तियाँ ऐसी थीं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी शक्ति को संगठित करने के लिये, उसकी रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिये क़ायम किया था वे सभी समाप्त हो जाँय जब कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से खत्म हो चुकी हो। हाँ, अगर हम यह समझते कि कोई ऐसी शक्ति अंग्रेजों ने यहाँ क़ायम की है जो हमारे देश के हित के लिये है तो हम उसको क़ायम रखें इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि जमींदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो दुनियाँ से समाप्त हो रही है और क़रीब क़रीब समाप्त भी हो चुकी है। इस प्रथा को सभी अर्थ-शास्त्रियों ने, समाज-शास्त्रियों ने यह मान लिया है कि वह आजकल के समाज के लिये उपयुक्त नहीं है और समाज को पीछे खींचने वाली है। ऐसी दशा में उस प्रथा का क़ायम रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है। आज यह कहा जाता है कि आखिर जमींदारी प्रथा को ही क्यों पहले समाप्त किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ पूंजीशाही प्रथा को भी क्यों समाप्त नहीं करते। मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह दलील बिलकुल ग़लत है। हम अभी तक अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में लगे हुए थे, हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद को समाप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। लेकिन इसी प्रकार अंग्रेज लोग यह कह सकते थे कि आपके लिये पूंजीशाही और जमींदारी प्रथा भी उतनी ही हानिकर हैं, पहले इनको समाप्त क्यों नहीं करते। यह दलील बिलकुल ग़लत है, यह तो हमारे देशवासियों के लिये है कि हम कब एक को समाप्त कर दूसरी समाप्त करना उपयुक्त समझते हैं। अंग्रेजी सरकार को पहले समाप्त करना था क्योंकि वह इन दोनों की समर्थक थी। जब तक अंग्रेज यहाँ पर थे, तब तक इन दोनों को समाप्त करना मुश्किल था। पहले हमने उस जड़ को समाप्त किया। अब दूसरी की बारी आई है,—अब जमींदारी समाप्त करने की बारी आई है, और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत जल्द वह समय भी आयेगा जब हम पूंजीशाही को इस प्रान्त से और इस देश से

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
समाप्त कर सकेंगे। इस बिल में जो योजना हमारे सामने पेश की गई है उसको सब से अधिक महत्वपूर्ण मैं इसलिये समझता हूँ कि हमारे प्रान्त के लिये कोई दूसरा प्रस्ताव हमारे सामने इतना महत्वपूर्ण अभी तक न तो आया है और न आयेगा। जहाँ तक अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त करने का सम्बन्ध था उसमें हमारे प्रान्त ने हिस्सा लिया और हमारी धारा सभा ने भी उसमें कुछ हिस्सा लिया, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह भारतवर्ष भर का प्रश्न था। हम स्वयं किसी एक प्रस्ताव से अंग्रेजी हकूमत को समाप्त नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से पूंजीशाही का भी मसला है। हमको उसके लिये भी जो कुछ करना है वह अवश्य करेंगे लेकिन वह एक अखिल भारतीय प्रश्न है, पर तो भी उसमें हमारा हिस्सा होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसको अखिल भारतीय आधार पर ही समाप्त करना होगा। इसलिये उसके उन्मूलन का श्रेय प्रान्त के आधार पर केवल आंशिक रूप में ही इस धारा सभा को हो सकेगा। यह तीन सामाजिक अभिशाप हैं। इन में से जमींदारी का एक ऐसा अभिशाप है जिसको हमारी धारा सभा अपने क़ानून द्वारा समाप्त कर सकती थी। वह उसको समाप्त करने जा रही है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना अभी तक हमारी धारासभा के सामने न आई है और न भविष्य में आ सकती है।

अब जहाँ तक इस बिल के गुण-अवगुण का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में हमारे बहुत से मित्रों ने उस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। मेरा ख्याल यह है कि चाहे कहीं एक दो जगहों पर मेरा मतभेद हो लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो योजना इस बिल के अन्दर हमारे सामने पेश की गई है उससे अधिक अच्छी योजना मौजूदा परिस्थित में पेश नहीं की जा सकती थी। अभी हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि इस बिल के लाने में बड़ी देर की गई। सब से ज्यादा लोगों का एतराज़ और खास तौर पर लारी साहब का एतराज़ इसी बात पर है कि दो साल या तीन साल इस बिल के लाने में लग गये। मैं उनके विचारों से हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन शायद अगर उनकी सहानुभूति इसमें मिली होती तो इस बिल को हम और पहले ला सकते थे। जिस तरह से भी हमारे देश की प्रगति को रोक सकते थे, उन्होंने और उनके साथियों ने रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से हमारी तमाम विकास की योजनायें अभी तक रुकी रहीं। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश न की होती और हमारे काम में सहायता की होती तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत पहले हमारी सरकार इस बिल को हमारे सामने ला सकती थी। आपने देखा कि इस बीच में क्या-क्या हुआ ? किस तरह से हमारे देश के टुकड़े हुये ? किस तरह से हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हुये ? किस तरह से देशी रियासतों की समस्या हमारे सामने आयी ? किस तरह से काश्मीर

इत्यादि की समस्या हमारे सामने आयी ? किस तरह से शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने आयी, ऐसे तमाम जटिल मसले हमारे देश के सामने एकाएक आ गये जिसके कारण यह असम्भव हो गया कि हम इस चीज़ को जल्दी पूरा कर सकें। ऐसी सूरत में यह दोष लगाना कि हमारे मन्त्रिमण्डल ने इस योजना को लाने में देरी की, मैं समझता हूँ, बिल्कुल निरर्थक है। लारी साहब तो यह अभियोग लगा ही नहीं सकते जब कि उन्हीं के कारण यह देरी हुई। अगर वह कामों में बाधा न डालते, देश की प्रगति में बाधा न डालते तो इसमें सन्देह नहीं कि हम इस क़ानून को, इस योजना को, यहाँ जल्द ला सकते थे और इसको कार्यान्वित कर सकते थे।

अभी हमारे इसी भवन में तीन तरह की आलोचनाएँ की गईं। एक ओर तो हमारे ज़मींदार लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ़ से सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आलोचना हुई है। जहाँ तक ज़मींदारों की आलोचना का सम्बन्ध है मैं बहुत अधिक कहना नहीं चाहता। अब जब कि ज़मींदारी की प्रथा समाप्त हो रही है तो इस संबंध में ज़मींदारों के खिलाफ़ ज़्यादा कहना कुछ बहुत मुनासिब नहीं मालूम होता। यद्यपि आज भी उनके ख़िलाफ़ कहने को बहुत सामग्री मेरे पास मौजूद है। आज ज़मींदार लोग यह कहते हैं कि आख़िर ज़मींदारी को ख़त्म करने से किसानों का क्या लाभ होगा ? लगान तो कम नहीं हो रहा है, खाली ज़मींदार हट जायँगे, उनकी जगह सरकारी कर्मचारी हो जायँगे। यह एतराज़ ज़मींदार लोग करते हैं। लेकिन आज भी जो कुछ वे देहातों में कर रहे हैं, वह अत्यन्त शोचनीय है। उससे उन्हें आश्चर्य तो क्या होगा क्योंकि वे स्वयं जानते ही होंगे यद्यपि वे यहाँ इसका इज़हार नहीं करेंगे कि देहातों में क्या हो रहा है। लारी साहब ने भी कहा कि आखिर काश्तकारों को क्या फ़ायदा होगा ? मैं लारी साहब की इत्तिला के लिए और ज़मींदार लोगों की भी इत्तिला के लिए बतला देना चाहता हूँ कि एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, सिर्फ़ ५ - ६ दिन हुए जब कि मेरे पास दो काश्तकार आए। एक काश्तकार से ४ सौ रुपया और दूसरे काश्तकार से १४०० रुपया इस तरह दोनों से मिलाकर १८०० रुपया ज़मींदारों ने नज़राना लिया और इसके अतिरिक्त २०० रुपया पटवारी ने लिये। ज़मीन थी सिर्फ़ साढ़े ३ बीघा। मैं यों ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने उन दोनों ज़मींदारों को भी अपने सामने बुलाया और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने १८०० रुपया लिया। यह हालत आज भी बाक़ी है। तो क्या आप यह समझते हैं कि ज़मींदारी ख़त्म होने पर किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा? मैं आपको बतलाऊँ कि आज भी ऐसे ज़मींदार हैं जिनके गाँव में एक इंच ज़मीन काश्तकार के नाम नहीं लिखी है। आख़िर वह ज़मीन क्या की जाती है। आज भी एक ऐसे ज़मींदार हैं—मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्हें ८ हज़ार रुपये का ग़ल्ला प्रोक्योरमेंट में देना था। उनके नाम बहुत सी ज़मीन लगी हुई है; परन्तु उसमें से अधिकांश ज़मीन वास्तव में किसान

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
किये हुये हैं, परन्तु उनके नाम काग़ज़ों में दर्ज नहीं हैं। कुछ ज़मीन सो रही है अर्थात् ज़मींदार महोदय न तो ख़ुद कर पाते हैं और न किसानों को देते हैं। बाकी ज़मीन ख़ुद किये हुये हैं। किसान लोग तब तक ग़ल्ला देने को तय्यार नहीं हैं जब तक कि ज़मींदार का नाम काटकर वह ज़मीनें उनके नाम दर्ज न कर दी जायँ। एक नहीं सैकड़ों ऐसी मिसालें मैं अपने ज़िले की दे सकता हूँ। दर्जनों मिसालें तो मैं अभी गाँव और नाम के साथ बतला सकता हूँ। यह हालत आज भी ज़मींदारों की है। तो मैं लारी साहब से पूछता हूँ कि जब ज़मींदारी नहीं रहेगी, जब ज़मींदार बहैसियत ज़मींदार के नहीं रह जायँगे तो क्या काश्तकारों को फ़ायदा नहीं होगा ? इस प्रकार यह कहना, कि यह क़ानून जब पास होगा तो ज़मींदारी तो ख़त्म हो जायगी लेकिन काश्तकारों को कोई लाभ न होगा, यह बड़ी ग़लत बात है।

यह तो सिर्फ़ काश्तकारों को बहकाने की बात हुई। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप की इन फिकरे-बाज़ियों से काश्तकार बहकेंगे नहीं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़मींदारी को ख़त्म करने की आवाज़ किसने उठाई, वह जानते हैं कि मौरूसी हक़ किसने दिया, वह जानते हैं कि उनका बक़ाया लगान किसने माफ़ कराया, वह यह भी जानते हैं कि जब हम लोग जेलों में थे और हमारे बहुत से दोस्त बाहर मौजूद थे, उस वक़्त कितनी बेदख़लियाँ हुईं। सन् १९४१ ई० से १९४५ ई० तक क़रीब आठ सौ खाते बेदख़ल कर दिये गये। जो आज बड़े हमदर्द बन कर आये हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, कोई सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, कोई ज़मींदार पार्टी के नाम से और कोई जनता पार्टी के नाम से उनमें से अधिकांश लोग जेलों के बाहर मौजूद थे। लेकिन उनके होते हुये भी आठ सौ खाते बेदख़ल कर दिये गये। तब आपने क्या किया ? तब आपकी देशभक्ति कहाँ गयी थी ? तब तो आप बराबर अंग्रेज़ों का साथ देते थे, उनके पीछे-पीछे चलते थे। हमारे ज़मींदार भाई लड़ाई के ज़माने में काश्तकारों से ज़बर्दस्ती चन्दा वसूल करवा रहे थे, और आज देशभक्त बन कर हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि ज़मींदारी ख़त्म करने से काश्तकारों को क्या लाभ होगा। आप से क्या मतलब ? आप अपने मुआविज़े के लिये लड़िये। आप इसके लिये लड़िये कि ज़मींदारी ख़त्म न हो। आप बेकार में काश्तकारों के बड़े हमदर्द बनते हैं काश्तकार बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप कैसे हमदर्द हैं। यहाँ पर आप सिर्फ़ इस लिये फ़िकरेबाज़ी कर रहे हैं कि यह बातें कांग्रेस के ख़िलाफ़ काश्तकारों के कान में पड़ें और काश्तकार कांग्रेस से भड़कें। मैं आप को बतला देना चाहता हूँ कि काश्तकार कभी भी भड़कने वाले नहीं।

सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर रोशन ज़मां ख़ाँ साहब ने बड़ी लम्बी चौड़ी तक़रीर की। वह इस वक़्त मौजूद नहीं हैं। उनकी तक़रीर केवल एक प्रचार मात्र थी। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा)

जमींदारों को न देना चाहिये। और फिर कहा कि हाँ कम्पेन्सेशन तो नहीं देना चाहिये, लेकिन रिहेबिलिटेशन ग्रांट (पुनर्वासन अनुदान) जरूर दे देना चाहिये। कितना देना चाहिये? पचास करोड़ देना चाहिये। यह भी कहा कि जो २५० रु० से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार हैं उनको ज्यादा रिहेबिलिटेशन ग्रांट देनी चाहिये, ताकि छोटे जमींदार खुश हो जायँ। आज मैं इस हाउस में यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त में और देश में इस पार्टी के नेता आचार्य नरेन्द्र देव हैं या रोशन जमाँ साहब? मैं किसकी बात मानूं? मैं आपके सामने आचार्य नरेन्द्र देव की राय पेश करता हूँ। इसीलिये जब हमारी जमींदारी अबालिशन कमेटी (जमींदारी उन्मूलन समिति) की बैठक हुई थी तो उसमें जितने राजनैतिक दल हैं उन सब के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा, इन सब के नेता आये थे।

आचार्य नरेन्द्रदेव, स्वामी सहजानन्द और डाक्टर अहमद साहब आये थे। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ और आप देख भी सकते हैं कि उनके दस्तखती कागज मौजूद है। यह उनका लिखित बयान है। आचार्य जी ने यह पेश किया था कि दस गुने से लेकर पच्चीस गुने तक जमींदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने एक बात और रखी थी और वह यह कि किसी को ५ लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा न दिया जाये। आज सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से रोशन जमा खाँ साहब आते हैं और कहते हैं कि किसी को भी एक लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं देना चाहिये और यह भी कहते कि छोटे जमींदारों को जो २८ गुना रखा गया है उससे भी ज्यादा देना चाहिये क्यों कि यह बहुत कम है। लेकिन उनके नेता आचार्य जी ने जो हमारे भी मित्र हैं सिर्फ २५ गुना रखा था। १७ लाख छोटे जमींदारों के लिये उससे कहीं ज्यादा हमने रखा है।

फिर दूसरी बात वह यह कहते हैं कि बड़े जमींदारों को मुआवजा बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिये। हम तो सिर्फ आठ गुना रखते हैं; परन्तु आचार्य जी ने तो उनके लिये दस गुना रखा था। हमने आठ गुना जो रखा है वह एग्रीकल्चरल टैक्स (कृषि कर) को निकाल कर रखा है लेकिन आचार्य जी ने उस वक्त जो आमदनी थी उस का दस गुना रखा था। इस प्रकार आचार्य जी की राय के अनुसार बड़े जमींदारों को हमारी योजना से कम से कम ड्योढ़ा दिया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि हम लोग आचार्य जी की राय सोशलिस्ट पार्टी की राय मानें या रोशन जमा खाँ साहब की राय को सोशलिस्ट पार्टी की राय मानें। यह तो मैं आप लोगों के जजमेंट (फ़ैसले) पर छोड़ता हूँ।

अभी लारी साहब ने जमींदारों का मुआवजा देने के खिलाफ बहुत कुछ कहा लेकिन अन्त में उन्होंने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया एक्ट है

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
अनुसार कम्पेन्सेशन (मुआवजा) देना आवश्यक है इसलिये अवश्य देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह धारा तरमीम हो जाय तो हम कहेंगे कि कोई मुआवजा दिये जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि धारा २४ जरूर तरमीम हो जायगी और प्रान्तीय गवर्नमेंट को पूरा अधिकार हो जायगा कि अगर वह सार्वजनिक हित के लिये किसी की सम्पत्ति को लेती है तो उसको पूरा अधिकार है कि जितना मुआवजा मुनासिब समझे उतना दे। लेकिन इस धारा के तरमीम हो जाने के बावजूद भी हम मुनासिब समझते कि जमींदारों को मुआवजा दिया जाये और उसका कारण यह है कि १७ लाख जमींदार आपके ऐसे हैं जो २५ रुपये या इससे कम मालगुजारी देते हैं। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि उनको हालत काश्तकारों से अच्छी है। अगर नहीं कह सकते तो क्या आप मुनासिब समझते हैं कि उनको कोई मुआवजा न दिया जाये। सिर्फ फिकरेबाजी करने से काम नहीं चल सकता। आप बड़े जमींदारों को ही ले लीजिये। क्या आप यह चाहते हैं कि वह लोग जो अब तक किसी न किसी तरह से अपनी गुजर करते थे, कल से असहाय हो जायँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जमींदार जो अच्छे काश्तकार या अच्छे नागरिक हो सकते हैं और हमारी योजना के अनुसार होने जा रहे हैं वह बजाय अच्छे नागरिक या काश्तकार होने के असहाय हो जायँ और उनमें से बहुत से लोग मजबूर होकर चोरी-डकैती करने लगें। इससे क्या हमारे समाज में अव्यवस्था पैदा नहीं हो जायगी? अगर हम उनको मुआवजा नहीं देते हैं तो गाँवों में लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा क्योंकि अगर एक आध आदमी चोर या डकैत हो जाता है तो गाँव वालों का रहना मुश्किल हो जाता है और जब इतने आदमी बेरोजगार हो जायँगे तो फिर न जाने क्या होगा? गाँव के लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जायगी। मैं आपको फिर यह बतला देना चाहता हूँ कि शासन-विधान की दफा २४ जरूर तरमीम हो जायेगी और प्रांतीय सरकार को पूरा अधिकार हो जायेगा कि जितना चाहे उतना मुआवजा जमींदारों को दे लेकिन फिर भी हम यही मुनासिब समझेंगे कि उनको उचित मुआवजा दिया जाय ताकि जमींदार भी देश की उन्नति में हमारे साथ-साथ चल सकें और वह हमारे देश के अच्छे और प्रगतिशील नागरिक बन जायँ। क्या आप चाहते हैं कि उनको अच्छा नागरिक न बनाया जाये और वह चोर और डकैत बन जायँ। ऐसी सूरत में मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि दफा २४ के तरमीम हो जाने पर भी हम यह मुनासिब समझेंगे कि जमींदारों को मुआवजा उसी हिसाब से दिया जाय जिस हिसाब से इसमें प्रस्तावित किया गया है।

जहाँ हम यह चाहते हैं कि हम जमींदारों को मुआवजा दें ताकि वे हमारे भावी आर्थिक जीवन में ठीक तौर से अपने को ढाल सकें वहाँ हम यह भी चाहते हैं कि उसका बोझ हमारे समाज और किसानों पर अधिक न पड़े और

यह मुआवज़े की रक़म इतनी न बढ़ जाय कि जिसको प्रान्त अदा न कर सके। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वह इससे ज़्यादा के हक़दार भी नहीं हैं। मैं आपका ध्यान ६० साल पहिले ले जाना चाहता हूँ जब अंगरेजों ने ज़मींदारों को ज़मींदारियाँ दी थीं। उस वक्त ६० फ़ीसदी अंगरेज ले लेते थे और केवल १० फ़ीसदी ज़मींदार के पास रहता था। अपनी शक्ति को मजबूत करने की दृष्टि से अंगरेजों के लिये यह ज़रूरी था कि ग्रामीण पंचायतों की शक्ति को तोड़ें और ज़मींदारों को खुश करें अतः उन्होंने मालगुज़ारी को घटाकर ८० फ़ीसदी किया, फिर ६६ फ़ीसदी, उसके बाद ४० फ़ीसदी और अब आमतौर पर घटाकर ३० फ़ीसदी कर दिया था; परन्तु ऐसा होने पर भी हम आप से उस फ़ायदे का हिसाब नहीं माँगते जो आपने ६० साल तक उठाया है। अगर किसी तरह से दलील दी जाय और हम यह मान भी लें कि यह ज़मींदारियाँ जो अंगरेजी हुकूमत ने आप को दी थीं जायज थी, तब भी आपको १० फ़ीसदी से ज़्यादा सालाना मुनाफ़े का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपको जो मुआवज़ा दिया जा रहा है वह बाज़ार भाव से कहीं ज़्यादा है।

अब मैं आप का ध्यान उन आलोचनाओं की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ जो इस बिल पर यहाँ की गई हैं। अव्वल तो यह कहा गया है कि ज़मींदारी एबालिशन कमेटी (ज़मींदारी उन्मूलन समिति) ने जो रिपोर्ट तैयार की थी और जो रायें उसमें उसने दी थीं वह इस बिल में शामिल नहीं की गई हैं। मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि जो ऐसा कहते हैं उन्होंने या तो बिल को नहीं पढ़ा है, या ज़मींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है या दोनों को ही नहीं पढ़ा है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक फन्डामेंटल उसूलों (आधारभूत सिद्धान्तों) का ताल्लुक है वहाँ तक पूरे तौर से उस रिपोर्ट के सुझाव इस बिल में आ गये हैं। पहली बात तो यह है कि ज़मींदारी और अन्य सभी मध्यवर्ती स्वार्थों को समाप्त करने की योजना इस बिल में पूरे तौर पर रखी गई है। दूसरी बात यह है कि हम ज़मींदारों की सीर, खुदकाश्त और बाग़ों को छोड़कर जितने भी उनके ज़मींदारी अधिकार हैं उन सभी को समाप्त करेंगे। हाँ मुआवज़े की रक़म के मल्टिपिल्स में थोड़ा सा अन्तर ज़रूर हो गया है। आपने देखा होगा कि पहले छोटे ज़मींदारों के लिए मुनाफ़े का २५ गुना रखा गया था और अब इस बिल में वह बढ़ाकर २८ गुना कर दिया गया है। और जहाँ तक बड़े ज़मींदारों का सम्बन्ध है उनके लिए ८ गुना रखा गया है। बड़े ज़मींदारों के मुआवज़े में कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि रिपोर्ट की योजना के अनुसार १० हज़ार मालगुज़ारी तक तो ८ गुना मुनाफ़ा देने की और उसके ऊपर ३ गुना देने की राय थी। इस तरह से अगर ऐग्रीकलचरल इनकम टैक्स (कृषि-कर) का हिसाब लगा लिया जाय तो कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। जो रक़म पहले रिपोर्ट के हिसाब से होती थी उतनी ही इस योजना के हिसाब

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
से भी आती है। इससे छोटे ज़मींदारों का मुआवज़ा ज़रूर बढ़ गया है लेकिन कुल रक़म पर जो सूबे भर में दी जायगी कोई असर नहीं हुआ है और न ख़ास तौर से किसी भी वर्ग के मुआवज़े में ही कोई अन्तर हुआ है।

तीसरी ज़रूरी बात यह है भविष्य में भूमि-प्रणाली किस तरह की होगी। अभी जैसा मैंने बतलाया, हमारे ग्रामीण आर्थिक जीवन का केन्द्र ज़मींदारी प्रथा थी। अब उसके स्थान पर कौन सी प्रथा होगी ? यह भी उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में भी बहुत सी आलोचनायें की गई हैं। लारी साहब और फ़खरुल इस्लाम साहब ने यह आलोचना की है कि आइन्दा भूमि-प्रणाली कैसी होगी इस पर इस बिल में कोई रोशनी नहीं डाली गई है। मुझे अफ़सोस है कि उन्होंने इस बिल को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। उसमें बहुत साफ़ है कि भविष्य में किस तरह की भूमि-प्रणाली होगी। इस बिल की योजना के अनुसार काश्तकार अपनी ज़मीन का क़रीब-क़रीब मालिक होगा और उससे लगान वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जैसे जलाशय, पड़ती, रास्ते, बाज़ार, सायर वग़ैरह वह सब पंचायतों के हाथ में दे दी जायेंगी। तहसील वसूल करने में भी इन पंचायतों का हाथ होगा। लारी साहब ने एतराज़ किया है कि इस क़ानून में प्रांतीय सरकार को यह अधिकार क्यों दिया गया है कि वह जहाँ पर चाहे स्वयं लगान वसूल कर सकती है। मैं समझता हूँ कि यह अधिकार बिल्कुल मुनासिब है। मुझे यक़ीन है कि हमारी ग्राम पंचायतें बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी और लगान वसूली में वह पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध होंगी। लेकिन मैं आप से पूछता हूँ कि अगर कहीं पर गड़बड़ी हो जाये और पंचायतें लगान वसूली में ठीक तौर से काम न कर सकें तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ लगान वसूल न किया जाए और प्रांतीय सरकार को कोई भी अधिकार न हो कि वह वहाँ का लगान किसी दूसरे ज़रिये से वसूल कर सके। मुझे बहुत अफ़सोस है कि लारी साहब इतने चतुर वकील होते हुये भी इस तरह के एतराज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक था कि प्रांतीय सरकार कुछ अधिकार अपने हाथ में रखे ताकि अगर कहीं पर पंचायतों का प्रबंध असफल रहे, अथवा अगर कोई गड़बड़ी हो तो ऐसी दशा में प्रांतीय सरकार किसी दूसरे ज़रिए से उसका प्रबन्ध कर सके। दूसरा एतराज़ लारी साहब ने यह किया है कि दफ़ा ६ में प्रांतीय सरकार ने अपने लिए कुछ ऐसी गुञ्जाइश रखी है कि प्रांत के जितने हिस्से पर चाहे इस बिल को लागू करे। लारी साहब का ध्यान मैं इस ओर फिर दिलाना चाहता हूँ कि जब हम क़ानून तैयार करते हैं तो उसमें बहुत तरह की गुञ्जाइश रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम ज़मींदारी को जल्द से जल्द और एक साथ ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें हमें गुञ्जाइश की ज़रूरत पड़े। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम दो महीनों में आधे

प्रांत का प्रबन्ध करें और दूसरे दो महीनों में दूसरे आधे प्रांत का प्रबन्ध करें और अगर क़ानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है तो सरकार क्या करेगी ? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि न तो सरकार का मंशा है और न काँग्रेस पार्टी का कि हम उसके एक एक अंश को लेकर समाप्त करें । हम तो सभी ज़मींदारी को एक साथ समाप्त करेंगे और मैं लारी साहब को पूरे तौर से यक़ीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें अगर किसी तरह की बाधा पड़ी तो मैं उनके साथ हूँगा।

एक बात उन्होंने और कही है कि ऐसा मालूम होता है कि इस क़ानून के अनुसार इस प्रान्त में स्टेट लैंडलार्डिज्म पैदा हो जायगी, स्टेट के हाथ में सब अधिकार आ जायेंगे। मैं पूछता हूँ कि प्रजासत्तात्मक राज्य में स्टेट और समाज में क्या अन्तर होता है ? लारी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुझे यक़ीन है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया होगा। अगर उन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है तो उन्हें जानना चाहिये कि प्रजा सत्तात्मक राज्य में, यानी जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पर स्टेट और सोसाइटी में कोई अन्तर नहीं होता, राष्ट्र और समाज में कोई अन्तर नहीं रहता। जब यह कहा जाता है कि प्रान्तीय सरकार के हाथ में कोई अधिकार है तो उसके माने यह होते हैं कि वह अधिकार समाज के हैं और समाज की तरफ़ से प्रान्तीय सरकार, या प्रान्त में जो कोई भी वैधानिक संस्था हो, उस कार्य का सम्पादन करती है। अगर आप ज़मीन का पूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति में निहित करते हैं तो क्या आप यह नहीं समझते कि कुल ज़मीन महाजनों के हाथ में चली जायगी। अगर सारे अधिकार अबाध रूप से काश्तकारों को दे दिये जायें तो यह काश्तकारों के लिये हानिकर हो जायगा और उनकी सब ज़मीनें महाजनों के पास चली जायँगी। आप देखें कि ज़मींदारों के पास अबाधरूप से ट्रान्सफर करने के जो अधिकार थे उनका क्या परिणाम हुआ। अभी कुछ दिन पहले ८० प्रतिशत ज़मींदार मक़रूज़ हो गये थे, उनकी ज़मींदारियाँ महाजनों के पास चली गई थीं और अगर पिछली काँग्रेस सरकार क़ानून बना कर उनके इस अधिकार को न रोकती, उसमें बाधा न डालती, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण न लगाती, तो आज सब ज़मींदारी महाजनों के पास चली गई होती। इसलिये अगर अबाध रूप से हम किसानों को सब अधिकार दे देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। कल से किसान बेचारे बेरोज़गार हो जायेंगे, उनके पास ज़मीन न रहेगी और सारी ज़मीन महाजनों के पास पहुँच जायगी। इसलिये उनके हक़ में यह आवश्यक है कि ज़मीन की मिल्कियत स्टेट के हाथ में हो, और स्टेट की तरफ़ से उनको पूरा अधिकार हो, उनको ही नहीं उनके लड़कों, उनके खानदान वालों को, ताकि उस ज़मीन का, जिस पर वह काबिज़ हैं, पूरी तरह उपभोग कर सकें। इससे ज़्यादा अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती है।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यही मसला, अभी क़रीब डेढ़ साल हुये, एक प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन के सामने आया था। मेरे मित्र

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
श्री अलगूराय शास्त्री, जो यहाँ मौजूद हैं उस प्रान्तीय सम्मेलन की स्वागत-कारिणी सभा के अध्यक्ष थे, और सम्मेलन के सभापति थे श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी। यह सम्मेलन आज़मगढ़ में हुआ था जिसमें लगभग दो लाख किसान मौजूद थे। इस ज़मींदारी एबालीशन (उन्मूलन) का मसला जब उसके सामने आया तो वहाँ पर दो तरमीमें पेश हुईं, एक तो यह कि इस प्रस्ताव में "बिना मुआविज़ा" शब्द बढ़ा दिये जायँ और दूसरी तरमीम यह थी कि किसान अपनी ज़मीन का मालिक हो जाय। जब यह दोनों तरमीमें वहाँ पर पेश हुईं तो किसान बेचारे भोचक्के हो गये। क्या बात है, कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो प्रस्ताव पेश होता है उसमें तो यह कहा जाता है कि मुआविज़ा देकर हम ज़मींदारी खत्म करें और दूसरी ओर कुछ कांग्रेसमैनों की तरफ़ से यह तरमीम पेश होती है कि 'बिला मुआविज़ा' ज़मींदारी खत्म होनी चाहिये और 'ज़मीन का मालिक काश्तकार को हो जाना चाहिये'।

मुझे उक्त संशोधनों के विरोध करने का काम सौंपा गया। स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी ने मुझे यह काम सौंपा। मैंने खड़े होकर पेश की हुई दलीलों का जवाब दिया और मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूँ कि २ लाख किसानों में ५०, ६० किसान भी ऐसे न थे जो इन तरमीमों के पक्ष में वोट देते। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से मूल प्रस्ताव के हक़ में वोट दिये जो कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। मैं स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस फ़िक़रे-बाज़ी का अर्थ कि किसान ज़मीन का मालिक हो जाय'। किसान बहुत अच्छी तरह से जानता है वह यह भी जानता है कि उसका क्या हक़ है और यह कि ला महदूद हक़ मिलने से उसका वही हाल होने वाला है जो ज़मींदारों का हुआ है। उसकी तमाम ज़मीन साहूकारों के पास चली जायगी। इसके अलावा यह कहना कि यदि समस्त भूमि पर राज्य का स्वामित्व हो जायगा तो ऐसा करने से स्टेट लैन्ड-लार्डिज़्म पैदा हो जायगी-यह बिलकुल ग़लत है। स्टेट लैन्डलार्डिज़्म डेमोक्रेटिक स्टेट (प्रजासत्तात्मक राज्य) में नहीं हुआ करती है। जनसत्तात्मक राज्य द्वारा उपज के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिये 'स्टेट लैन्डलार्डिज़्म' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि उसके लिये तो 'नेशनालाईज़ेशन' राष्ट्रीयकरण और 'सोशलाईज़ेशन' (समाजीकरण) शब्दों का प्रयोग होगा।

एक ऐतराज़ और बड़े ज़ोरों के साथ किया गया है कि इस बिल में, जिन काश्तकारों की जोतें अनएकोनौमिक हैं, उनको वे अधिकार नहीं दिये गये हैं जिन अधिकारों के लिये खुद कांग्रेस पिछले १८ सालों से लड़ती आई थी। लारी साहब एक बड़े चतुर वकील हैं। उन्होंने काफ़ी चालाकी के साथ इस बिल का समर्थन करते हुये भी कांग्रेस पर आरोप लगाये हैं। उन्होंने बड़ी चतुरता के साथ यह पुरानी बातें कांग्रेस की निकाली हैं ताकि वे हम लोगों को

ग़लत पोज़ीशन में डाल सकें और प्रान्त के लोग कांग्रेस से असंतुष्ट हो जायँ। लेकिन उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वह कौन ज़माना था जब कि अनएकोनौमिक होल्डिंग्स के लिये काँग्रेस ने एक विशेष योजना रक्खी थी। वह ज़माना स्लम्प (मंदी) का ज़माना था। उस समय में आपने देखा होगा कि लोग ज़मीनों को छोड़ने जा रहे थे। वह समय ऐसा था जब कि अन-एकोनौमिक होल्डिंग्स के लिये विशेष कोशिश करना आवश्यक था। जहाँ तक एकोनौमिक होल्डिंग्स का ताल्लुक था, लोग क़र्ज़ा लेकर भी अपने लगान को अदा करते थे। लेकिन जहाँ तक छोटे काश्तकारों का सवाल है वे लोग अपने-अपने लगान को नहीं दे पाते थे और उसका नतीजा यह होता था कि वे बेदख़ल हो जाते थे या उनको स्वयं स्तीफ़ा दे देना पड़ता था। लेकिन क्या आप आज यह कह सकते हैं कि कोई भी काश्तकार ऐसा है जो लगान न दे सकने की वजह से बेदख़ल किया गया हो। छोटे काश्तकारों के पास ज़मीन कुछ ज़रूर कम है लेकिन उसके पास उसके अतिरिक्त दूसरे काम काफ़ी हैं। मान लिया कि ऐसा घर है जिसमें चार लोग हैं। उनमें से एक मज़दूरी करता है, एक स्कूल मास्टर है और बाक़ी दो कोई दूसरा काम करते हैं, और उनके पास दो या तीन बीघा ज़मीन भी है।

ऐसी सूरत में यह बात नहीं है कि उनकी गुज़र नहीं होती है, बल्कि उनकी छोटी सी जोत एक तरह से उनके लिए सप्लिमेंटरी इनकम (अतिरिक्त आय) का साधन है। ऐसी दशा में उसको अनइकोनौमिक होल्डिंग कहना बिल्कुल 'अनइकोनौमिक होल्डिंग' के ग़लत माने लगाना है। यही नहीं मैं आपको यह भी बतला दूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे ख़ासे ज़मींदार हैं लेकिन उनके पास खेती की ज़मीन उस गाँव में नहीं है जिसमें वह रहते हैं। फिर भी वह लोग दूसरे ज़मींदार से एक बीघा, दो बीघा या तीन बीघा ज़मीन लेकर चरी बोते हैं ताकि वे गाय भैंस या दूसरे जानवर को पाल सकें। अगर आप इसको 'अनइकोनौमिक होल्डिंग कहेंगे' तो यह बिल्कुल ग़लत चीज़ होगी। हाई कोर्ट के कमरे में बैठ कर और केवल किताबों को पढ़कर अनइकोनौमिक होल्डिंग की ग़लत डेफ़निशन (परिभाषा) कर लेना बिल्कुल ग़ैर-मुनासिब है। इस तरह से कथित 'जनता पार्टी' के होते हुए भी जनता को भ्रम में डालना कुछ मुनासिब बात नहीं है। हमारे मित्र फ़ख़रुल इस्लाम साहब ने बहुत क्लेवरली (चतुरता के साथ) ज़मींदारी का समर्थन किया है। मुझे न तो लारी साहब की स्पीच से और न फ़ख़रुल इस्लाम साहब की स्पीच से पता चला कि आख़िर जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। फ़ख़रुल इस्लाम साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि ज़मींदारों को कोई मुआविज़ा दिया जाय, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया ऐक्ट में यह लिखा है इसलिये देना ही पड़ेगा और जब देना ही पड़ेगा तो मुआविज़ा बढ़ाकर मार्केट वैल्यू (बाज़ार भाव) के अनुसार देना चाहिये। वह बड़े चतुर वकील हैं, वह ज़मींदारों का समर्थन करते हैं लेकिन दूसरे ढंग से करते हैं। सच बात तो यह है कि यहाँ

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

यह चीज़ सिद्ध हो गई कि अन्त में चरम वाम पक्षी और चरम दक्षिण पक्षी दोनों ही एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं। यह एक राजनैतिक सर्किल है जिसमें भिन्न-भिन्न स्थानों से चलकर दोनों ही अर्थात् एक्सट्रीम लेफटिस्ट और एक्सट्रीम राइटिस्ट आकर एक ही विन्दु पर मिल जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी वाले बड़ी लम्बी-लम्बी बातें करते हैं और ऐसी चीज़ें रखते हैं जो असम्भव हैं। वह यह चाहते हैं कि किसी तरह से ज़मींदारी का ख़ात्मा अभी न हो, क्योंकि वह समझते हैं कि अगर ज़मींदारी का खात्मा कांग्रेस के ज़माने में हुआ तो हमारी स्लोगनबाज़ी खत्म हो जायेगी। (तालियाँ... ।) हमारी जो फिक़रे-बाज़ी या दवा-फरोशी हुआ करती है वह खत्म हो जायेगी। कांग्रेस का मुक़ाबला करने के ख्याल से वह यह चाहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ज़मींदारी खत्म न हो बल्कि जब हम पावर में आयें उस समय ज़मींदारी खत्म हो। मैं तो यह कहूँगा कि अगर उनका रवैया यही है तो १०, १५ या २० साल क्या, वह कभी भी पावर में नहीं आ सकते हैं। कथित सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री रोशन ज़माँ साहब ने कल बड़े ज़ोरों के साथ हमको (कांग्रेस को) चेतावनी दी है और चुनौती भी दी है। जहाँ तक चेतावनी का सम्बन्ध है मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हम चेतावनी बहुतों से सुनते आये हैं। जब से महात्मा गाँधी ने कांग्रेस की बाग-डोर अपने हाथ में ली उस समय से हमने अंग्रेज़ों की चेतावनी सुनी, हमने ज़मींदारों की चेतावनी सुनी, हमने पूंजीपतियों की चेतावनी सुनी, हमने कम्यूनिस्टों की चेतावनी सुनी और अब आप आ गये हैं, आपकी भी चेतावनी सुन लेगें, कोई बात नहीं है।

लेकिन जहाँ तक चुनौती का सम्बन्ध है, इसी साल के अन्दर तीन मर्तबा दे चुके हैं। जब-जब वह चुनौती देंगे तब-तब उसका जवाब दिया जायगा। साल भर के अन्दर हमने पहला जवाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में दिया। वह समझते थे कि काश्तकार हमारी तरफ़ हैं, काश्तकार कांग्रेस को गालियाँ दे रहा है। जगह-जगह कांग्रेस की आलोचना हो रही थी। जिस पार्टी के हाथ में शक्ति (पावर) होती है थोड़ी बहुत उसकी आलोचना होती ही है। उससे वह समझते थे कि वह वाक़ई कांग्रेस को गिरा सकते हैं। वह यह स्वप्न देख रहे थे लेकिन वह खुद ही चारों खाने चित्त गिर पड़े। असेम्बली के चुनाव में भी वही हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन में हुआ था। इसके बाद प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूल) के ज़माने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रक्खी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब उन्होंने यह अच्छी तरह से देख लिया कि ग़ल्ले की फ़रा-हमी रोक नहीं सकते तब खामोश हो गये। उन्होंने एक ओर शहर के लोगों को कांग्रेस से नाराज़ करने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें खाने को नहीं मिलता। कांग्रेस सरकार इतनी ख़राब है कि ग़ल्ला इतना महँगा मिलता है। दूसरी ओर देहात में जाकर कहते थे कि यह कांग्रेसी अपने को काश्तकार के हितू कहते हैं [illegible] ज्यादा [illegible]

तक हुकूमत में नहीं रहेंगे। शहर और देहातों में यह अलग-अलग दो जबानों से बोलने लगे। यह बात ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। फिर कहने लगे कि हम तो ज्यादती दूर करना चाहते हैं। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता ज्यादती दूर करना चाहता है। ज्यादती दूर करने का हमने प्रत्येक यत्न किया। प्रोक्योरमेंट को हमारा कमजोर पोआइंट समझ कर उन्होंने उसको जोर से पकड़ा। और हमें चुनौती दी लेकिन उसका जवाब भी उन्हें उचित रीति से मिल गया। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक किसान का ताल्लुक है उनकी चुनौती का वह स्वयं जवाब देंगे वह जहाँ पर चाहें काँग्रेस का मुक़ाबला कर लें। जिस जिले, जिस लोकैलिटी में चाहें वह काँग्रेस के मुक़ाबिले में चुनाव लड़ लें। आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि शहर के सारे ब्लैक मार्केटियर आर० एस० एस० के समर्थक हैं और देहात में सारे पुलिस दल्लाल और प्रतिक्रियावादी जमींदार सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर होते जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे सोशलिस्ट साथी यह देख लें कि उनकी पार्टी के वह मेम्बरान जो कल तक यह कह रहे थे कि तलवार के जोर से जमींदारी की रक्षा करेंगे। दूसरे ही दिन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। वह जानते हैं कि कांग्रेस में हमारा स्थान नहीं है आज ऐसे सभी लोग सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह हालत सोशलिस्ट पार्टी की है फिर भी वे हमको चैलेंज करते हैं।

श्री मुहम्मद शौकत अली ख़ाँ—मैं जनाब वाला से यह दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि मेम्बर साहब बिल की कौन सी दफ़ा पर रोशनी डाल रहे हैं?

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—जहाँ तक किसानों के हित का सम्बन्ध है, उसके सब पहलुओं पर पूरे तौर से ग़ौर कर के यह बिल इस भवन के सामने पेश किया गया है। इस बिल की योजना के आधारभूत सिद्धान्तों को बहुत ध्यान तथा सतर्कता के साथ निर्धारित किया गया है। और इससे ज्यादा हमारे सही होने का सबूत नहीं हो सकता, जबकि दोनों तरफ़ के यानी एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ़ से और एक्सट्रीम राइट की तरफ़ से हम पर हमले हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें समझ लेना चाहिये कि हमारा दृष्टिकोण बिलकुल ठीक और सच्चा है। अगर कोई शक भी हो सकता था तो वह शक भी आज चला गया जबकि हमने देखा कि एक तरफ़ से सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ़ से हमारे जमींदार लोग हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस क़ानून में देरी हो। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब देर नहीं होने की। अब तो ७, ८ महीने के अन्दर जमींदारी नाम की कोई चीज भी बाक़ी नहीं रहेगी। यह समाप्त हो जायगी और मुझे पूरी आशा है कि इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। आप कहते हैं कि आप काश्तकारों से दस गुना लगान क्यों लेते हैं। यह हम कब काश्तकारों से कहते हैं कि हमें दस गुना रुपया दो? अगर काश्तकार चाहें तो दें, अथवा न दें। हम तो जमींदारी को एक दम खत्म करके सारे हुकूक़ काश्तकारों को देने जा रहे हैं।

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
परन्तु उसके अलावा हम उनको एक और कंसेशन (रियायत) दे रहे हैं अगर एक भी काश्तकार भूमिधर होने के लिये अपने लगान का दस गुना नहीं देगा, तो भी जमींदारी खत्म होगी। इसमें कोई भ्रम न होना चाहिये। जमींदारी तो हर सूरत में खत्म होगी लेकिन काश्तकारों को एक और अवकाश मिला है कि अगर वे चाहें तो दस गुना लगान देकर अपने अधिकार को कुछ और बढ़वा सकते हैं और साथ ही साथ अपना लगान भी आधा करवा सकते हैं। यह तो किसानों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी (जायद आसानी) है। यहाँ पर यह भी कहा गया है, इशारा किया गया है, कि इस चीज़ के खिलाफ़ भी काश्तकारों में प्रचार किया जा रहा है। या किया जाने वाला है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मित्रों को प्रोक्योरमेंट के खिलाफ़ प्रचार करने में असफलता मिली है उसी तरह से रुपये के फराहम न होने देने के प्रयत्न में भी वे बिल्कुल असफल होंगे। मुझे पूरा यक़ीन है कि हमारे प्रान्त के तमाम काश्तकार इसमें हमारा साथ देंगे कई काश्तकारों से मेरी बातचीत हुई। पश्चिम के काश्तकार तो और ज्यादा रुपया देने के लिये भी तैयार हैं, लेकिन अवध या पूरब के कुछ जिलों के किसान ग़रीब हैं फिर भी मुझे पूरा यक़ीन है कि वे लोग भी अपने लगान का दस गुना दे देंगे और दस गुना देकर जमींदारी का नाम जल्द से जल्द समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे। पहले तो हमारा ख्याल था कि जमींदारी का नाम तीस - चालीस साल तक कायम रहेगा और जमींदारों को तीस चालीस साल तक इन्सटालमेंट में मुआविज़ा देने से तीस साल तक जमींन्दारी का नाम चलता रहेगा। लेकिन इस तरह से तो हम नौ, दस महीने के अन्दर ही जमींन्दारी के नाम को समाप्त कर देंगे। मुझे पूरा यक़ीन है कि हमारे प्रान्त के काश्तकार किसी के बहकावे में नहीं आवेंगे, वह बहकाना चाहे जनता पार्टी की तरफ़ से हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी की-तरफ़ से हो, चाहे जमींदारों की तरफ़ से हो। अगर जमींदार साहबान इसमें बाधा डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारा क्या बिगड़ता है? हम कैश (नक़द) नहीं देंगे, बोण्ड देंगे, इन्सटालमेंट अदा करेंगे। जिस तरह से हो सकेगा देंगे, लेकिन जमींदारी अवश्य खत्म होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। हम तो कैश (नक़द) देना चाहते हैं, लेकिन अगर कैश नहीं दे सकेंगे तो भी जमींदारी खत्म होगी। जमींदारी रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जमींदारी को कोई क़ायम नहीं रख सकता है। इसमें किसी को किसी तरह का भी भ्रम नहीं होना चाहिए।

एक बहुत बड़ा एतराज और किया गया है। यह कहा गया है कि जब आप जमींदारी को खत्म कर रहे हैं तो फिर जमीन का बटवारा क्यों नहीं करते हैं? यह चीज़ दूसरी है, वह चीज दूसरी है। जमींदारी के खत्म करने की योजना का लैंड के डिस्ट्रिब्यूशन से क्या ताल्लुक़ है? हाँ, जब हम जमींदारी को खत्म

कर लेंगे तो फिर सोचेंगे और उसके बाद जो पोजीशन होगी उसके मुताबिक़ ज़मीन का बटवारा करेंगे। लेकिन इसका ज़मींदारी एबालिशन (ज़मींदारी उन्मूलन) से क्या संबन्ध है ? यह कोई नई बात नहीं है। एक साहब अपने ऊँट पर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि हम इसको चार आने में बेच देंगे। जब वे उसको चार आने में बेचने में मजबूर हुए, तो उन्होंने एक बिल्ली मार कर उसके गले में बाँध दी, ऐसा करके उन्होंने कहा कि हम ऊँट को तो चार आने में बेचेंगे लेकिन बिल्ली को पाँच सौ रुपये में बेचेंगे, और बेचेंगे दोनों को साथ ही साथ। वही क़िस्सा यहाँ पर भी है। ज़मींदारी खत्म कर मैं नहीं समझता कि ज़मींदारी खत्म करने के साथ ही साथ लैंड डिस्ट्रिब्युशन का क्या ताल्लुक़ है ? सच बात तो यह है कि आप ज़मीन के बटवारे का मसला सामने लाकर ज़मींदारी को खत्म करने की योजना को कुछ समय के लिये टाल देना चाहते हैं।

श्री मुहम्मद शौकत अली खाँ—फिर आपने साँस लिया। अगर आप इसी तरह बोलते रहें तो शाम हो जाएगी।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—आप इसकी परवाह न कीजिये। बोल-बोल कर तो हमने अंग्रेज़ों को खत्म कर दिया और इसी तरह से अब ज़मींदारों को खत्म कर देंगे। खैर, प्रांत भर में तमाम आँकड़े प्राप्त होना तो मुश्किल था तो भी आपको इत्तिला के लिये बता दूँ कि ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में ६ ज़िलों के आँकड़े दिये हैं। वे ज़िले हैं, बिजनौर, मैनपुरी, सीतापुर, बस्ती, बाँदा और गाज़ीपुर। अगर हम दस एकड़ ज़मीन को एकनामिक होल्डिंग मान लें तो इन सब में मिल कर जो ज़्यादा ज़मीन वहाँ होगी वह सिर्फ ६ लाख ७५ हज़ार एकड़ होगी, और जितनी अनएकनामिक होल्डिंग हों उन सबको अगर दस एकड़ पूरा करदें तो १ करोड़ १७ लाख ८३ हजार एकड़ ज़मीन और चाहिए। सबकी ज़ायद ज़मीन छीनने के बाद भी २० होल्डिंग्ज़ (जोतों) में हम एक होल्डिंग को मुश्किल से एकनामिक कर सकते हैं। यह मसला भी हम लोगों के सामने था और इस पर ज़मींदारी उन्मूलन समिति में काफ़ी ग़ौर हुआ। यह न समझिये कि कोई ग़ौर नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस चीज़ को समझते कि इससे कोई असर किसानों की हालत पर पड़ता है तो हमको कोई भी एतराज़ इस बात पर न होता और हम इस बात की सिफ़ारिश अवश्य करते। लेकिन हमने देखा कि यह गुनाह बेलज़्ज़त है। इससे छोटे किसानों की समस्या हल नहीं होती। तब हमने दूसरा उपाय निकाला। कमेटी ने सोचा कि जितनी छोटी होल्डिंग्ज़ (जोतें) हैं उनके लिये जल्द से जल्द हम को-आपरेटिव फ़ार्मिंग का इन्तज़ाम करें। आपने रूस और अमेरिका की कोआ-परेटिव और क्लेक्टिव फ़ार्मिंग का हाल पढ़ा होगा। मेरा ख्याल है कि हम में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा होगा। अगर उन्होंने पढ़ा है तो वह समझ सकते हैं कि सहयोगी आधार पर खेती करने से हमारी पैदावार में कितनी तरक्की हो सकती है। अगर हम नया तरीक़ा अख़्तियार करें और जो

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं उनके आधार पर अगर म खेती करें अर्थात् मिकेनाइज्ड फार्मिंग करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम खेती की उपज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मिकेनाइज्ड फार्मिंग (यंत्रों द्वारा सामुहिक खेती) तभी हो सकती है जब कि हम छोटी-छोटी होल्डिंग्ज (जोतों) को एक में कर दें। लिहाजा जिनको हम अनएकनामिक या छोटी होल्डिंग्ज कहते हैं उनको यदि हम एक में मिला दें और सहयोगी आधार पर कृषि करें तो इसमें सन्देह नहीं है कि हम अपने देश की उपज को बढ़ा सकते है और व्यक्तिगत तौर से भी किसान का फायदा हो सकता है इसलिये जितनी अनएकनामिक होल्डिंग्ज हैं उनके लिये हम लोगों ने सोच कर यह उपाय निकाला कि उनको मिलाकर हम कोआपरेटिव फार्मिन्ग कराने का प्रबन्ध करें ताकि किसानों के लिये भी अच्छा हो, देश का आर्थिक स्तर उठ सके और साथ ही साथ खाद्य की समस्या भी हल हो सके। यह ठीक है कि उसमें तरक्क़ी और प्रगति धीरे ही धीरे हो सकती है। हम यह नहीं चाहते कि जिस तरह से रूस में कलेक्टिवाइजेशन किया गया और जिस तरह से वहाँ पर बन्दूक़ों और संगीनों का इस्तेमाल किया गया वह बन्दूकें और संगीनें हमारे यहाँ इस्तेमाल की जायँ। हम तो काश्तकारों को समझा कर, कोआपरेटिव फार्मिन्ग का प्रचार करना चाहते हैं, और हमें यक़ीन है कि हमारे देश का काश्तकार कोआपरेटिव फार्मिन्ग में आने को संगठित करेगा और संगठित करके अपनी उन्नति करेगा और देश की सम्पत्ति में भी वृद्धि करेगा और हमारे यहाँ इस समय जो अनएकनामिक होलिंडग्ज दिखलाई देती हैं जिनमें कम पैदावार होती है उसमें कम पैदावार नहीं होगी और उनकी उन्नति हो सकेगी।

ऐसी दशा में यह कहना कि इस बात पर हमने विचार नहीं किया बिलकुल ग़लत है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी अवस्था में, किसी स्टेज पर जमीन का बटवारा करना देश के हित के लिये, प्रांत के हित के लिये आवश्यक हुआ तो हमको ऐसा करने में किसी तरह से भी संकोच नहीं होगा। अगर सार्वजनिक हित के लिये हमारे लिये ऐसा करना जरूरी हो जाय तो हम जरूर जमीन का फिर से बटवारा करेंगे।

हमारी योजना में पहली बात यह है कि जमींदारी प्रथा नहीं रहेगी। दूसरी यह है कि हमारे काश्तकारों के वर्ग बहुत सीधे सादे हो जायँगे। एक तो 'भूमिधर', दूसरे 'सीरदार' और तीसरे 'असामी'। 'असामी' शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन 'असामी' में कौन-कौन लोग रखे गये हैं यह अगर वह देखते तो शायद उनको इस बात की आलोचना करने की आवश्यकता न पड़ती। असल में तो हमारे सामने दो ही क्लासेज (वर्ग) रह गये हैं। एक तो भूमिधर और दूसरा सीरदार। असामी क्लास तो कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसकी ज्यादा तादाद हो और जिसके ऊपर ज्यादा महत्व दिया जा सके। जहाँ तक शिकमी काश्तकार का मसला है, मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहा हूँ कि उनको भी अधिकार होना चाहिये, और मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रि-

मंडल ने जो योजना तैयार की है उसमें कुछ अधिकार उनको भी दिये हैं, लेकिन फिर भी शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में फिर से विचार कर लेना चाहिये। अक्सर असली काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी जोत है और वह अपनी थोड़ी जोत शिकमी काश्तकार को उठाये हुए हैं। लेकिन अगर शिकमी काश्तकार से वह हिस्सा ज़मीन का ले लिया जाता है तो उसके पास ज़मीन नहीं रह जाती है या बहुत कम रह जाती है। ऐसी हालत में, शिकमी काश्तकार को उस ज़मीन पर पूरे तौर से मौरूसी हक़ हो जाना चाहिये। यह बहुत आवश्यक बात है। हमारे प्रांत में ज्यादातर शिकमी काश्तकार हरिजन हैं, और हरिजनों की दशा को हमें ऊँचे उठाना है। लगभग १५ फ़ीसदी हमारे प्रांत में शिकमी काश्तकारों की तादाद है, यद्यपि बिल्कुल ठीक संख्या तो बतलाना कठिन है। बहुत से शिकमी काश्तकारों के नाम कागजात में इन्दराज नहीं हैं लेकिन जितने इन्दराजात हैं उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि १५ फ़ीसदी काश्तकार शिकमी काश्तकार होंगे और उन १५ फ़ीसदी काश्तकारों में से तीन चौथाई हरिजन हैं। हरिजनों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना है: इसमें किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं है। ऐसी दशा में, अगर हम उनके आधार को ऊँचा करना चाहते हैं तो हमें शिकमी काश्तकारों के अधिकारों को कुछ और ज्यादा बढ़ाना चाहिये। जब तक हम उनके अधिकारों को और नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम उनकी अवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते। लिहाज़ा मेरा यह सुझाव है कि शिकमी काश्तकारों को कुछ और अधिकार देना चाहिये शिकमी काश्तकार वास्तविक किसान (actual tillers of soil) हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनके अधिकारों पर ध्यान दें और उन्हें भी हम उसी हद तक अधिकार दें जिस तरह के अधिकार सीरदार और भूमिधर को दे रहे हैं। इस तरह की और भी तफ़सील की चीज़ें हैं और उन पर राय देने का फिर अवकाश यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुल बिल पर विचार किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं है कि जो योजना हमारे सामने रखी गई है वह बहुत सुन्दर है और उसके द्वारा हम ९, १० महीने या एक वर्ष के अन्दर ज़मींदारी समाप्त कर सकते हैं और सिर्फ़ ज़मींदारी ही नहीं समाप्त कर सकते हैं बल्कि काश्तकारों के ऊपर जो बोझ लदा हुआ है उसको हटा सकते हैं और हटाकर उनको इस बात का मौक़ा दे सकते हैं कि वह अपनी और देश की उन्नति कर सकें। मैं समझता हूँ कि अब हमें इस मामले में जल्दी करनी चाहिये।

मैं ज़मींदारों से भी अपील करूंगा कि वे अब ज्यादा हठ न करें, उनको चाहिये कि बिला किसी उज्र के वे हमारी इस योजना को स्वीकार कर लें। अभी हमारे नवाब यूसुफ साहब ने हमारे सामने एक ऊँचे सिद्धान्त की बात कही थी और यह कहा था कि हमको चाहिये कि "लिव ऐंड लेट लिव" के सिद्धान्त का अनुसरण करें। मैं समझता हूँ कि जो यह योजना हमारे मंत्रि-

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]
मंडल ने आपके सामने पेश की है उसमें इस सिद्धान्त का पूरे तौर से ख्याल रखा गया है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जमींदार साहिबान इस बात का ख्याल नहीं करते थे। मुझे खुशी है कि नवाब यूसुफ़ साहब को अब यह ध्यान आया कि "लिव ऐंड लेट लिव" के सिद्धान्त पर हमको रहना चाहिये। मेरा ख्याल है कि जमींदार साहिबान ने इस सिद्धान्त को पहले से अपनाया होता तो आज यह दशा नहीं हुई होती। जमींदारी तो समाप्त होती, इसमें शक नहीं, लेकिन जिस बदनामी के साथ जमींदारी समाप्त हो रही है उस बदनामी के साथ समाप्त नहीं होती। मैं पूछता हूँ कि क्या कभी जमींदारों ने काश्तकारों के जीवित रहने का भी ख्याल किया। वह तो अच्छी तरह से रहे, वह तो आराम से रहे, लेकिन उन्होंने कभी यह ख्याल नहीं किया कि जो उनके काश्तकार हैं वह किस तरह से ग़रीबी में पड़े हुए हैं, उनमें कितने रोग भरे हुए हैं, उनकी कैसी खराब दशा है। लेकिन अगर देर में भी इस बात का ख्याल आया, तो मैं नवाब साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ कि भविष्य में वे और उनके जमींदार साथी इस सिद्धान्त पर चलने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमने तो अपनी योजना में इस बात की पूरी गुञ्जायश रखी है कि काश्तकार भी रहें, जमींदार भी रहें, परन्तु समता के आधार पर रहें, समान अधिकार लेकर दोनों आगे बढ़ें और दोनों अपनी और अपने देश की उन्नति करें। आज जमींदार लोग नाराज़ हैं, लेकिन मुझे पूरा यक़ीन है कि १० वर्षों के बाद वह देखेंगे कि जमींदारों की हालत आज की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हो जायगी। आज उनके गले के चारों तरफ़ जमींदारी पत्थर की तरह लटकी हुई है जो उनकी गर्दन को तोड़े डाल रही है। ऐसी हालत में जो पत्थर उनके गले के चारों तरफ़ लटका हुआ है उसको वह फेंक दें ताकि वे गर्दन उठा कर, सीधे होकर चल सकें और खुद भी अपनी जिन्दगी बना सकें और काश्तकारों को भी जो आज उनके और उनके उस पत्थर के बोझ से दबे हुए हैं उन्नति करने का मौक़ा मिल सके।

मुझे आशा है कि आज वे बहुत खुशी के साथ इसस्कीम को स्वीकार करेंगे और देश की उन्नति में उसी तरह से हिस्सा लेंगे जिस तरह से और देशवासी ले रहे हैं।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग सर्व सम्मति से इसे स्वीकार करेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने इस भवन के सामने पेश किया है, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब साहबों को यह बात भली भाँति मालूम है कि यह बिल कितना अहम है कि सब तरफ़ से, विरोधी पार्टी, तथा कॉंग्रेस पार्टी दोनों की ओर से इसकी अहमियत को भवन के सामने रखा गया है।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने यह बतलाया है कि जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट और इस बिल में कितना अन्तर है, जिसके कारण हमको इसके ऊपर जनता की सम्मति लेनी अत्यन्त आवश्यक है। मैं उन्हीं बातों को दुहराना नहीं चाहता। फिर भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैंने यहाँ जो तक़रीरें सुनीं, उनसे मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि यहाँ राजनैतिक पार्टियों के आपस के झगड़े और आपस की होड़ होने की वजह से लैंड-रिफ़ार्म्स का हमारी ग्रामीण जनता पर इस बिल का जो प्रभाव पड़ेगा उसका ख्याल बहुत कम रखा गया है। मैं जमींदार होने की हैसियत से और काश्तकार होने की हैसियत से यह नहीं कहता कि आप जमींदारी को ख़त्म न कीजिये। यदि इससे काश्तकारों का फ़ायदा है। प्रीमियर साहब ने जो भाषण दिया था उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं इतनी योग्यता नहीं रखता कि उनके भाषण की आलोचना करूं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूँगा कि काँग्रेस ने जो एलेक्शन में फेस्टो निकाला था, उसकी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि जो यह कहा जाता है कि जमींदार भी कहते हैं कि उन लोगों ने काँग्रेस की मदद की और काँग्रेसी सदस्य को निर्वाचित कराने में वोट दिये। इस लिये जमींदार भी जमींदारी उन्मूलन के लिये बाध्य हैं। इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सन् १९४६ ई० का एलेक्शन छोटी-छोटी बातों के ऊपर नहीं हुआ था। मैं आपकी इजाज़त से उस मैनिफेस्टो को पढ़ देना चाहता हूँ, आपने एलेक्शन लड़ा था और आप कामियाब होकर आये।

The Congress, therefore, appeal in these elections that other issues do not come in, nor do individuals, not sectarian principles but only one thing counts and it is the independence and freedom of our motherland.

(इस लिये इन चुनावों में काँग्रेस अपील करती है कि इसमें दूसरी समस्यायें नहीं आतीं, व्यक्तिगत प्रश्न या जातीयता के सिद्धान्त नहीं आते, किन्तु सिर्फ़ एक ही बात का महत्व है और वह है हमारी मातृ भूमि की आजादी और स्वतन्त्रता)।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि काँग्रेस की इस अपील पर किसी ने अपने हित का ध्यान न देकर इस बात पर वोट दिये कि हमारी काँग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो स्वतन्त्रता के युद्ध में अधिक कामियाब होने की आशा रखती है। इस लिये हमने आपको वोट दिये। न कि जमींदारी ख़त्म करने के लिये वोट दिये।

आपने जिस समय जमींदारी उन्मूलन बिल के लिये कहा था उस समय श्री पन्त जी ने यह माना था कि (equitable) कम्पेंसेशन देने के बाद जमींदारी ख़त्म की जाय और लैंड रिफ़ार्म्स के बारे में यह कहा कि जब आप लैंड रिफ़ार्म्स करेंगे तब किसानों की सम्मति लेकर करेंगे ऐसी क्रान्तिकारी

[श्री वीरेन्द्र शाह]
चीजें आप आगे करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप Menifesto में यह कहा है—

Any such changes can, however, be made only with the good will and agreement of the peasantry concerned.

(बहरहाल ऐसे परिवर्तन सम्बद्ध काश्तकारों की नेकनियती और समझौने से किये जा सकते हैं)।

आप किसानों की राय के बिना कोआपरेटिव फार्मिंग वगैरा ऐसी चीजें आप नहीं ला सकते हैं। इसके जरिये आप बाध्य हैं। काँग्रेस को चाहिये कि वह इस बिल को भेजकर काश्तकारों से दरियाफ़्त करे। जमींदारी खत्म करने न करने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन इसके साथ साथ जो आप उनको देने जा रहे हैं उसके बारे में उनसे पूछने की आवश्यकता है। आप इसमें बाध्य हैं कि उनसे यह पूछे कि जो चीज आप इसके एवज में उनके लिये ला रहे हैं वह उनके हित की है या अहित की है इस लिये मैं चाहता हूँ कि आपको रिजोल्यूशन के पास किये हुये क़रीब दो साल हो गये हैं। सरकार तो ध्यान नहीं देती। आपको इतनी देर लगी और लगनी भी चाहिये थी क्योंकि यह बिल बहुत अहम है लेकिन अब आप छै महीने का समय देने के लिये तैयार नहीं हैं; जिससे जनता को यह मालूम हो जाय कि आप जो करने जा रहे हैं वह कहाँ तक उनके लिये हितकर होगा। इस तरह से आप जमींदारी के खान्दान वगैरह को मिला कर एक करोड़ आदमियों को बेकार करेंगे और उस समय उनसे यह भी दरियाफ़्त नहीं करते कि उनकी इतनी कुरबानी के बाद उनको क्या फ़ायदा होगा।

दूसरी चीज यह है कि आपने अपनी मैनीफेस्टो में यह कहा है कि लैंड के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसको अलग करने की कोशिश की जायेगी और इन्डस्ट्रीज का केन्द्रीकरण करेंगे। आप एक करोड़ आदमी बेकार कर रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या स्कीम है उनको किस काम पर लगाया जायेगा। आप मुआवजा तथा रिहैबीलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं। इतने आदमी बेकार होंगे उनके लिये सरकार कोई स्कीम नहीं ला रही है जिसके लिये हमें इत्मीनान हो कि हमारा भी काम होगा।

यहाँ पर हमारे श्रीमान् पंडित धुलेकर जी ने जो कहा कि हम जमींदारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया उस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। डा० भगवान दास जो कि एक वयोवृद्ध नेता हैं, उन्होंने एक लेख स्वतंत्र भारत में दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमींदारों ने देश के लिये क्या किया और जमींदारी प्रथा कब से चली आई है। मैं पंडित जी से निवेदन करूँगा कि ये उसको पढ़ें और समझें। इतिहास को कोई गलत नहीं कर सकता है। आप स्वयं अंग्रेजों की बहुत सी चीजें मानते हैं। और उसी कामन वैल्थ में अभी तक चलते चले आ रहे हैं। कारण सिर्फ यह

हो सकता है कि आप यह कहें कि जो काम आज तक जमींदार करते चले आये वह काम अब हमें करना है। जमींदारों ने हर शासन के जमाने में हर तरह का शान्ति रखने में देहात में शान्ति और सहायता पहुँचाने में भरसक प्रयत्न किया है। आप की रिपोर्ट में स्वयं यह बतलाया गया है कि जमींदारों के जरिये ४० की सदी आर्थिक सहायता काश्तकारों को मिलती थी। आज आप कहते हैं कि जमींदार इतने बेकार हैं और यह कि रूरल एरियाज़ में किसी काम के नहीं हैं और उनको अलग हटा दिया जाय उनकी जो जायज़ माँगे हैं उनको भी आप सुनने को तैयार नहीं हैं मैं यह आपसे अर्ज़ करूँगा कि यह जो वातावरण हो रहा है वह सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि काँग्रेस, सोशलिस्ट और दूसरी जो भी पार्टियाँ हैं वे सब यह चाहती हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर जनता के सामने आये जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सकें। राज्य शासन का सुधार और राज्य शासन तथा राजनीति दो बातें हैं। इस प्रकार के वातावरण में आकर आप इस चीज़ को प्लीड करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में कोई गवर्नमेंट हो वह सब देश वासियों की होगी और वह यहाँ के रहने वालों का ख्याल करेगी। इस समय आपको यह फ़र्ज़ है कि आप हर एक को मौक़ा दें और ऐसी चीज़ों में जैसे लैंड रिफ़ार्म्स और जमींदारी एबालीशन इसमें आपको ठण्डे दिल से काम करना चाहिये। सोच समझकर हाथ लगाना चाहिए। ऐसी हालत में ये स्पीचेज़ हो रही हैं कि इसको अभी पास कर दिया जाय या इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में और बिल में इतना अन्तर है और इसमें इतने सुधारों की आवश्यकता है कि इस बिल को आपको कम से कम ६ महीने के लिए ही जनता की राय के लिए भेज देना चाहिए। ताकि वह इसे पढ़ कर और समझने के बाद आपके सामने रिप्रेज़ेण्टेशन रख सके और समझ सके। न कि इसको २० : २१ आदमियों की कमेटी बैठा कर इसका निर्माण करायें।

आप उस काश्तकार को मौक़ा क्यों नहीं देते। वह ज़मीन जो उसने क़र्ज़ में लगा रक्खी है, उसका क़र्ज़ा अदा कर दे तो वह ज़मीन उसको वापिस मिल जानी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उस महाजन को क्यों ज़मीन देते हैं जो इतना ज्यादा सूद खाने वाला है। मैं यह भी अर्ज़ करूँगा कि सरकार ने इधर जितने टैक्स बढ़ाये हैं उनका भी कम्पेनसेशन में मुजरा मिलना चाहिये, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना लोकल रेट बढ़ाया है। एग्रीकलचर टैक्स कमेटी में मैंने यह उज्र किया था कि यह ठीक नहीं है और जहाँ तक मुझे याद है यह आश्वासन भी दिया गया था कि यह बिल इंटरिम टाइम के लिए है। जब तक यह जमींदारी एबालीशन नहीं होता उस समय तक के लिए यह है और उसके बाद इसका असर हमारी जमींदारी कम्पेनसेशन में न होगा। अब मैं देखता हूँ कि इसमें भी कमी की जा रही है। आपके देने के बाँट दूसरे हैं और लेने के बाँट

[श्री वीरेन्द्र शाह]
दूसरे हैं। सरकार को ख्याल करना चाहिए कि छोटे जमींदार या सब के लिये आपने १५ परसेण्ट का फ्लैट रेट खर्चे का काटने के लिये रक्खा है।

सीर खुदकाश्त के लिये भी मैं अर्ज करूँगा कि छोटे जमींदारों ने जो सीर शिकमियों को उठायी है वह आपके ही क़ानून के द्वारा उठाई है और आपने आश्वासन दिया था कि उनको फ़ैसले के बाद जमीन मिलेगी। मैं समझता हूँ कि न्याय होगा कि उन्हें मौक़ा मिले, चाहे वह एक साल का हो या ६ महीने का हो। वह जितनी सीर जमीन रखना चाहते हैं उसको जोतने के लिये उन्हें मौक़ा मिलना चाहिए। यह कोई वजह नहीं कि जो जमीन वह शिकमी उठाए हुए हैं वह उनके हाथ से निकल जाय।

२५० रु० तक के मालगुजारी देने वाले जमींदार को आपने चाहे जितनी सीर रखने की आज्ञा दे रक्खी थी और वह बेचारे इसी क़ानून के जरिये अपनी अच्छी सी सीर-खुदकाश्त की जमीन शिकमियों को उठा रक्खी थी जो क़रीब ८ लाख एकड़ के हैं और क़ाश्तकारों को खुदकाश्त की जमीन भी १७ लाख एकड़ शिकमियों को उठी हुई है। अब आप इन शिकमी काश्तकारों को ५ साल के लिये बेदख़ल होने को रोक कर रहे हैं, और ५ साल बाद वह लोग बहुत थोड़ा सा मुआवजा देकर भूमिधर बना दिये जावेंगे। आप इन छोटे जमींदारों की अच्छी जमीन लिये लेते हैं और उनको कोई मौक़ा नहीं देते कि वह जमीन अपनी जोत में ले सकें। इन लोगों की यही मिलकियत है जिसे सरकार इस तरह से निकाल रही है। एक मौक़ा इन जमींदारों व काश्तकारों को मिलना चाहिये, चाहे वह तीन माह का ही हो कि वह जमीन अपने शिकमियों से वापिस ले सकें।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर डिप्टी स्पीकर के उठ जाने पर, सभापति नालिका के एक सदस्य श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

अब मैं कुछ खास खास बिल की धाराओं के बारे में कहूँगा। मोआवजा—

१. आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ८ गुना मुआवजा जो आप देने जा रहे हैं वह इक्वीटेबुल नहीं है क्योंकि आप रीहेबिलीटेशन ग्राण्ट के रूप में जमींदारों को ११ गुना से लेकर २० गुना तक आप देने जा रहे हैं। यह बात साबित करती है कि मुआवजा इक्वीटेबुल न्यायपूर्ण नहीं है।

२. आज भी जो सरकार एक्वीजीशन ऐक्ट द्वारा जमीन लेती है उसमें १६ गुना मुआवजा देती है, फिर जो नहर के वास्ते जमीन ली जाती है उसमें भी २५ गुना से ३५ गुना तक दिया जाता है।

३. आप ने जो काश्तकारों से उनके लगान का १० गुना माँगा है उससे भी यह साबित होता है कि पूरी का २० गुना मुआवजा माना गया। आप हमारी चीज की क़ीमत ले रहे हैं और हम लोगों को पूरी न दे कर बहुत थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं।

४. दूसरे जहाँ हम मध्यवर्ती (इन्टर मीडिएरी) नहीं हैं वहाँ तो हमसे वह चीजें नहीं ली जानी चाहिये, जैसे परती-जमीनें, दरख्तान-परती, मछली, तालाब, और परती-आबादी। इनका सरकार मुआवज़ा भी नहीं दे रही है।

५. ३ लाख एकड़ जमीन जो जमींदारों ने चाकरी (काम करने वालो को) को लगा रखी है बिला लगानी, उस पर सरकार लगान लगाने जा रही है, पर इस पर मुआवज़ा नहीं दे रही है या तो यह जमीन वापिस दिलाई जावे या इस पर भी जमींदार को मुआवज़ा मिलना चाहिये।

६. आपने ८ अगस्त सन् १९४६ को जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव स्वीकार किया जिस की बिना पर आप आज यह जमींदार-विनाश और भूमि-व्यवस्था का बिल पेश कर रहे है प्रस्ताव के बाद गत वर्षों में सेसेट टू टैक्सेज जो भी नये कर बढ़ाये गये हैं वह हमारी प्रापरटी (जायदाद) की क़ीमत घटाने के लिये किये गये हैं। इसलिये यह नये कर जो अब लगे हैं हमारी आय से नहीं घटाये जाना चाहिये।

१. कृषि-आय-कर यह तो बीच के समय के लिये लगाया गया था, और इसका सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि यह नहीं घटाया जावेगा. पर यह घटाया जा रहा है, जो अन्याय है। ऐसे दूसरे कर भी जो अब लगे हैं उनको भी नहीं घटाया जाना चाहिये। सिर्फ़ मालगुज़ारी, वह वह कर जो प्रस्ताव के पहले लगते थ काटे जाना चाहिये।

२. आप जो लगान-वसूली के खर्चा १५% काट रहे एक सर से वह बहुत बेजा है, जब आप अभी कृषि-आय-कर में हमें १२% अधिक से अधिक दे रहे हैं, यह तो वही बात रही कि चीज़ देने के बाँट दूसरे और लेने के बाँट दूसरे।

बिल की धारा ७१ में यह साफ़ नहीं किया गया किस तरह से (जायदाद) का तबादला होगा जब तक यह बात साफ़ नहीं बताई जाती तब तक जमींदारी का लेने का गज़ट नहीं होना चाहिये। जब मुआवज़ा पूरा नक़द मिलने पर ही ऐसा होना न्याय है।

सरकार जो सम्मिलित-रूप से हर भूमिधर वह सीरदार से एक खाते के रूप से समझ कर लगान ज़िम्मेदारी का डाल रही है यह ठीक नहीं। इस संयुक्त-ज़िम्मेदारी से बड़ा दमन फैलेगा, क्योंकि मेहनती काश्तकार और अच्छे काश्तकारों को सुस्त और नादिहंद काश्तकार का लगान देना पड़ेगा।

मालगुज़ारी वसूल कर के लिये सरकार ने बड़ी सख्ती से वसूल कर के लिये रक्खा है अलावा उन सब तरीक़ों के जो १९०१ के रेवनू ऐक्ट में है यह और रक्खें हैं। १. कलक्टर अपनी आज्ञा से खेत का लुनना या फ़सल का इकट्ठा करना या फ़सल का खेत या खलियान से हटना रोक सकता है। फ़सल काटने या खलियान से हटाने से रोक के लिये (सेहना) चौकीदार नियुक्त कर सकता है। यह आज्ञा गाँव के सारे भूमिधर या सीरदारों पर या कुछ पर

[श्री वीरेन्द्र शाह

लागू की जा सकती है । बिल की धारा २५३) कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह फ़सल को बेचकर मालगुजारी वसूल कर ले । इससे साफ़ जाहिर है कि सरकारी मतालबा बड़ी सख्ती से वसूल किया जायेगा, और इसके लिये कलेक्टर को कहीं अधिक-अधिकार वर्तमान अधिकार से दिये गये हैं ।

यह सब बातें हैं जिन पर हम चाहते हैं कि एक मौक़ा मिलना चाहिये कि ताकि वह समझी जा सकें । इस बिल से प्रान्त की ग्रामीण-जनता पर क्रान्तकारी असर पड़ने जा रहा है । इसलिये मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें उजलत न करे और इसे सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जावे । इन शब्दों के साथ मैं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूँ ।

श्री रघुवीर सहाय—श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहिले इस महत्वपूर्ण बिल को पेश करने पर माननीय प्रधान मन्त्री, श्री चरणसिंह, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, और उनके जरिये सारी गवनमेंट को बधाई देता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत और जाँफ़िसानी और क़ाबलियत के साथ इस बिल को भवन के सामने पेश किया है मुझे इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि जमींदारी को खत्म करने का प्रस्ताव सन् १९४६ में ८ अगस्त को पास हुआ था ।

उसके क़रीब क़रीब २ वर्ष के उपरांत जो जमींदारी अबोलीशन कमेटी मुक़र्रर की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश होने के लगभग एक साल के बाद इस भवन में यह बिल आया है यानी रिजोल्यूशन पास करने के तक़रीबन ३ साल बाद यह बिल भवन में पेश किया गया है । जहाँ तक कि देरी का सवाल है मैं समझता हूँ कि इस देरी में कुछ खूबी भी है । एक अंग्रेजी का मसला है "to every dark cloud there is a silver lining" (दुख के साथ सुख भी सम्मिलित रहता है) । मैं समझता हूँ कि तीन साल के बाद यदि यह बल भवन में आया है तो उसमें भी फ़ायदा ही हुआ है । वह यह है कि तीन साल के बाद जमींदारों में से ९५ प्रतिशत इस बात के हामी हो गए हैं कि जमींदारियाँ जल्द खत्म की जायँ मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो विचार राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने और नवाब मुहम्मद यूसुफ़ साहब ने यहाँ पर रखे हैं वही विचार आम तौर पर जमींदारों के हैं । जिन जमींदारों से मिलने का हम लोगों को अवसर मिलता रहता है वे सभी इस बात को चाहते हैं कि जल्द से जल्द जमींदारी खत्म होनी चाहिये । अगर उनके दिल में किसी क़स्म की कोई फ़िक्र है तो वह इस बात की है कि उन्हें मुनासिब मुआवजा मिल जाना चाहिये और मैं समझता हूँ कि यह ख्याल उनका मुनासिब है । और इस मुनासिब ख्याल को पूरा करने में जहाँ तक गवर्नमेंट कोशिश कर सकती थी उसने कोशिश की है । आठ अगस्त सन् ४६ के प्रस्ताव में यह बात साफ़ है कि जमींदारियों का खात्मा करना चाहते हैं लेकिन मुनासिब मुआविजे के साथ । अगर प्रस्ताव में महज जमींदारी खत्म

करने का मामला होता तो मैं समझता हूँ कि शायद इस बिल के पेश करने में तीन साल की देरी नहीं लगती। इसके साथ साथ और दूसरे भी जरूरी सवालात थे। उन सवालात के हल निकालने में देरी लगी और जरूरी थी। इस बिल को देखने से मालूम पड़ता है कि जो ज़मींदारी अबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट है, अगर्चे वह बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, अगर्चे वह बड़ी योग्यता से लिखी गई है फिर भी मैं समझता हूँ कि कई बातों में यह बिल उससे भी बेहतर है। मसलन ज़मींदारी अबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई है कि जो मुआवज़ा ज़मींदारों को गवर्नमेंट की तरफ़ से दिया जायगा वह बांड्स की शक्ल में होगा और वह बांड्स ४० साल तक चलते रहेंगे। इस चीज़ से काफ़ी बेचैनी ज़मींदारों में पैदा हो गई थी। और उनका एतराज़ था कि इधर तो हमारा खात्मा किया जा रहा है उधर आइन्दा के लिये भी हमारा गला घोंटा जा रहा है। लेकिन इस बिल के अन्दर उनके जायज़ मुतालिबे का ख्याल किया गया है और बिल में बड़ी अक़्लमन्दी के साथ इस बात को लिखा गया है कि ज़मींदारों को मुआवज़ा नक़द दिया जावे और एक मुश्त।

मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिये तमाम ज़मींदारों छोटे और बड़ों को कांग्रेस सरकार का मश्कूर होना चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने जो इस असेम्बली के एक बड़े मोअज़्ज़िज़ मेम्बर हैं और बड़े पुराने पार्लमेंटेरियन हैं, क़ायदे, क़ानून के अन्दर बात करते हैं, रिलिवेंट और इररिलिवेंट का ख्याल रखते हैं, उन्होंने यह कहा कि आप मुआविज़ा काश्तकारों से दस गुना लेकर दे रहे हैं, इसमें तो काश्तकारों की मौत है—इससे क्या फ़ायदा। आप यह ख्याल कीजिये जो नक़द मुआविज़ा दिया जा रहा है, वह ज़मींदारों के मुतालबात पूरा करने के लिये, उनका दिल रखने के लिये, उनको इत्मीनान देने के लिये है। कहा जाता है काश्तकारों का गला घोंटकर रुपया वसूल किया जायगा। राजा साहब और दूसरे ज़मींदारों को मालूम होना चाहिये कि ज़मींदार छोटे बड़े सभी काश्तकारों से बड़ी-बड़ी नज़राने की रक़में लेकर ज़मींनें उठाते रहे हैं! ५०० रु० तक फ़ी बीघा नज़राने का लिया गया है गरज़े कि नज़राने की कोई तादाद नहीं है। इस पर आप को क़लक नहीं आता है। लेकिन आज क़लक इस बात पर है कि सरकार आप को मुआविज़ा दिलाने के लिये, काश्तकार को सहूलियतें देते हुये, उसको ज़मीन का मालिक बनाकर दस गुना लगान माँगती है इस शर्त पर कि जिस वक़्त काश्तकार दस गुना लगान दे देगा तो आइन्दा उसका लगान आधा कर दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी बात एतराज़ के क़ाबिल है। प्रधान मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि बड़े ज़मींदारान अपने असोसिएशन से यह प्रस्ताव पास कर दें कि उन्हें मुआविज़े की ज़रूरत नहीं है तो वह उसका स्वागत करेंगे और छोटे ज़मींदारों के मुआविज़े के बारे में सोचेंगे कि किस तरीक़े से वह अदा किया जा सकता

[श्री रघुबीर सहाय]
है. आया काश्तकार से १० गुना लगान लिया जायगा या नहीं, लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं करते यह एतराज महज एतराज के लिये किया जाता है, इसमें कोई तत्व नहीं है। इसके अलावा हम इस बिल में एक और बेहतरी देख रहे हैं। न सिर्फ़ यह कि मुआविज़ा नक़द में दिया जायगा बल्कि एक एतराज़ जो ज़मींदारों की तरफ़ से किया जाता था यानी मुआविज़े की रक़म में कोई तख्सीस न होना चाहिये। बड़े छोटे का लिहाज़ न करना चाहिये। लिहाज़ा सरकार ने इस ख्याल को मद्देनज़र रखकर छोटे बड़े ज़मींदार सबका मुआविज़ा ८ गुना उनके नेट असेट्स का कर दिया है। यह एक बड़ी चीज़ है। इस के अलावा बिल में एक नयी चीज़ सरकार की तरफ़ से पेश की गई है। रिहेबिलिटेशन ग्रांट। इस का ज़िक्र एबालिशन रिपोर्ट में नहीं आया है। इससे पहले इसका ज़िक्र माननीय प्रधान मंत्री की तरफ़ से किसी बयान में नहीं आया है। इसके पेश करने से यह ज़ाहिर होता है कि सरकार के दिमाग़ में कोई ऐसी बात नहीं है कि वह ज़मींदारों के ख़िलाफ़ कोई बदला लेने का जज़्बा रखती है। बल्कि इससे ज़ाहिर होता है कि वह ज़मींदारों के साथ फ़राखदिली और उदारता का बरताव करना चाहती है। वह चाहती है कि ज़मींदार मुआविज़े की रक़म से अपनी ज़िन्दगी आराम व आसायश के साथ बसर कर सकें। वह किसी रोज़गार में रुपया लगाकर अपनी आइन्दा की बहबूदी का इन्तज़ाम कर सकें।

मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों पर विचार करते हुये ज़मींदारों को बिला किसी शर्त के गवर्नमेंट का मशकूर होना चाहिये। लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ पर मैंने इस बिल का वह रुख इस भवन के सामने रखा है जिसकी वजह से मुझे यह मालूम पड़ता है कि एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से यह बिल बेहतर है मैं यह भी समझता हूँ कि अभी इस बिल में कुछ बेहतरी की और गुञ्जायश है। कांग्रेस हमेशा से और आज तक इस बात का दावा करती आई है, कि जो ज़मींदार ढाई सौ रुपये तक मालगुज़ारी देते हैं वे असल में ज़मींदार नहीं हैं बल्कि वे काश्तकार ही हैं। एक ख्याल इससे पहले यह भी था कि अगर ज़मींदारी को खत्म किया जायगा तो ढाई सौ रुपये तक मालगुज़ारी देने वाले इससे मुस्तसना किये जायँगे। मैं उस चीज को यहाँ पर कहने के लिये तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़मींदारी ख़त्म करने का जो उसूल है वह सब के साथ एक सा बरतना चाहिये, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों। क्योंकि ज़मींदारी का खात्मा इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिन उसूलों की तरफ़ माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अपनी शुरू वाली स्पीच में इस भवन का ध्यान दिलाया था कि उन्होंने मुआविज़ा और रिहेबिलिटेशन ग्रांट देने में बड़े ज़मींदारों के बड़प्पन का ख्याल रखा है और छोटे ज़मींदारों के छोटेपन का ख्याल रखा है। उनकी जो दिक़्क़तें और परेशानियाँ हैं उनका ख्याल रखा है। मैं चाहता हूं कि रिहेबिलिटेशन ग्रांट

देने में आप उन दोनों उसूलों का और ज्यादा ख्याल रखें। मैं किसी तरह पर भी यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो मुआवजे की रक़म आपने मजमुई मुक़र्रर कर रखी है उसमें इजाफा किया जाय या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये जो मजमुई रक़म आपने मुक़र्रर कर रखी है उसमें इजाफा किया जाय। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर आप मुनासिब तरीके पर इन मजमूई रकमात में कुछ कमी करना चाहते हैं तो कमी कर दीजिये। क्योंकि अगर आप इन रक़मात में कमी करेंगे या इजाफा करेंगे तो तमाम बातों पर विचार करके ही करेंगे। जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उनकी तमाम बातों और उनकी तमाम दिक़्क़तों का आपको ख्याल रखना चाहिये। इन ख्यालात को मद्दे नजर रखते हुये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि गवर्नमेंट दोबारा इस पर ध्यान दे कि आया ढाई सौ रुपये मालगुजारी जो लोग देते हैं उनको हम जितना रिहेबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं वह मुनासिब है या नहीं है। मेरा जाती ख्याल यह है कि वह ग्रांट मुनासिब नहीं है। उसमें कुछ इजाफा करने की जरूरत है या जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मजमुई रक़म रिहेबिलिटेशन ग्रांट की आपने मुक़र्रर की है, अगर आप चाहते हैं कि २५० रु० तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट देने में ज्यादा रक़म दी जाएगी तो मैं अर्ज करूँगा कि जो पाँच हजार तक मालगुजारी देने वाले लोगों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट देने का फ़ैसला किया है उसमें थोड़ी सी कमी कर दीजिये। आप ४ हजार तक की मियाद मुक़र्रर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तीन हजार कर सकते हैं। इस तरह से रिहेबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय जिसमें कोई बेकार न रहे। ढाई सौ रुपए तक मालगुजारी देने वालों को इतनी ग्रांट दी जाय जिससे वे अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकें। बहुत से ऐसे जमींदार हैं जो बेकार हैं, बूढ़े हैं, विधवायें हैं, आपको यह भी मालूम है कि बहुत से जमींदार अपनी गुजर बसर सिर्फ़ जमींदारी के ही रुपये से करते चले आये हैं कोई दूसरा रोजगार उनके पास नहीं है। आज रुपये की क़ीमत चौथाई हो गई है अगर उन्हें कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रांट कम देते हैं जिनका कोई जरिया माश नहीं है तो वह कैसे अपनी और अपने खान्दानों की गुजर कर सकेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इन जमींदारों में वे जमींदार भी हैं कि जिनके पास कोई सीर या खुदकाश्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपने जिस दरियादिली और फ़ैयाजी के साथ इस बिल में काम लिया है वह दरियादिली और फ़ैयाजी अब भी जारी रहना चाहिए। उन लोगों का ख्याल रखें और इस बात का ख्याल रखें कि आइन्दा इनकी जिन्दगी दूभर न हो जाय और मुश्किल न हो जाय। बल्कि जहाँ तक इस बिल के जरिये हम उनके लिये आसानियाँ दे सकते हैं वह दी जायँ। रिपोर्ट के पढ़ने से यह मालूम पड़ता है कि ऐसे जमींदार जो कि सौ रुपए से ढाई सौ रुपए तक मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद ५१ हजार ५६४ है। यह बहुत बड़ी तादाद नहीं है और इनमें से वह लोग और भी कम होंगे

[श्री रघुवीर सहाय]
कि जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है बल्कि जिनका गुजारा आमदनी जमींदारी से है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ज्यादह रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने से गवर्नमेंट के पर्स पर कोई ज्यादा असर न पड़ेगा। इसी सिलसिले में एक बात और भी कहना चाहता हूँ। मुआविजे के देने में यह रक्खा गया है कि नेट एसेट्स का अठगुना मिलेगा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी नेट एसेट्स पर स्कीम के अनुसार दी जाएगी। इसी के साथ साथ यह भी रक्खा गया है कि १५ फी सदी जमींदारी के खर्च की रक़म ग्रोस एसेट्स में से निकाल दी जाएगी। अब देखना यह है कि १५ फीसदी खर्चा जमींदारी काटने के बाद २५० रु० तक के मालगुजारों को क्या रक़म मुआवजा व रिहैबिलिटेशन ग्रांट में मिलेगी। मेरा ख्याल है ऐसा करने में उन जमींदारों के साथ बड़ी ज्यादती होगी। क्या यह मुनासिब है कि जो जमींदार ढाई सौ रुपए तक मालगुजारी देते हैं और जिनका कोई खर्च जमींदारी के इन्तजाम में नहीं होता उनसे यह १५ परसेंट क्यों काटा जाय। खर्चा उन लोगों का होता है कि जिनके पास बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी ताल्लुकेदारियाँ हैं और जिन्हें पूरा स्टाफ उसके इन्तजाम के के लिये रखना पड़ता है और जो बग़ैर स्टाफ के अपनी जमींदारी का इन्तजाम नहीं कर सकते। अगर आप उनके ग्रास इन्कम में से इसे निकालें तब तो वह हक़ बजानिब है लेकिन छोटे जमींदारों की ग्रास इन्कम में से यह रक़म काटना मुनासिब नहीं है। उनके लिए एक बहुत बड़ी ज्यादती की बात होगी। इस मसले पर बिल अबॉलिशन कमेटी की रिपोर्ट के सिफारिशों से बेहतर नहीं है क्योंकि रिपोर्ट के सफा ५६७ पर यह कहा गया है —

"Estimated percentage of gross assets to be deducted as cost of management and irrecoverables, varying from 5 percent. in the case of the small Zamindars to 15 percent. in the case of the biggest Zamindars,"

(प्रबन्ध और वसूल न किये जा सकने वाली रक़मों के खर्चे के तौर पर जो कुल पूंजी कम की जायेगी उसके प्रतिशत का अनुमान छोटे जमींदारों की सूरत में ५% से लेकर बड़े जमींदारों की सूरत में १५% तक होगा।

मैं समझता हूँ कि कमेटी की सिफारिश मुनासिब है।

इस के मानी यह हैं कि ढाई सौ रुपये के मालगुजार तक कास्ट आफ मैनेजमेंट सोच विचार करके रखना चाहिये। इन छोटे जमींदारों को कम्पेन्सेशन व रिहैबिलिटेशन आफिसर के सामने जाकर यह मौक़ा मिलना चाहिये कि वह अपने खर्चे जमींदारी के बारे में कह सकें कि कितना खर्चा वाक़ई में उनका होता है जो वाक़ई में होता है वही मिनहा किया जाय बाक़ी नहीं। १५ फी सदी का रेट सबके लिये मुक़र्रर करना किसी तरह पर भी मुनासिब नहीं है।

इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि जमींदारी बिल के लाने का उद्देश्य क्या है। जमींदारी बिल के लाने का उद्देश्य जहाँ तक मैं समझता हूँ

सिर्फ यही नहीं है कि जमींदारी और जमींदार को खतम किया जाय बल्कि जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपनी पहली तक़रीर में कहा था यह भी है कि हम किसानों कि गिरती हुई दशा को उठाकर उनके रहन सहन के स्तर को ऊँचा कर सकें और जो कमी पैदावार आज हमारे मुल्क के अन्दर है जिसकी वजह से चारों तरफ त्राहि त्राहि फैली हुई है उसको पूरा कर सकें। अगर इस जमींदारी अबालिशन के बाद यह दोनों चीजें नहीं हासिल होती हैं तो मैं समझता हूँ कि जमींदारी अबालिशन से कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा हमको इस बिल को इस नजर से भी देखना चाहिये कि आया उन दोनों चीजों को जिनको हमने अपना ध्येय बनाया है उनके हासिल करने में यह बिल मदद देगा या नहीं। यह देखने की बात है। आपने लैंड टैन्योर जमीन किस तरीके से काश्तकारों को दी जायगी उसका ब्योरा इस बिल में लिखा है। आपने बताया है कि हम भूमिधर काश्तकार बनायेंगे, सीरदार बनायेंगे, असामी बनायेंगे, अधिवासी बनायेंगे और आपने यह भी जिक्र किया है कि हम कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को भी तरक्की देंगे और उसके चलाने के लिये जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। ये सब बातें ठीक हैं लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि इनसे फूड प्रोडेक्शन ज्यादा बढ़ जायगा। मुझे शक है और मैं समझता हूँ कि अगर बिल के अन्दर कोई इस क़िस्म की चीज नहीं रखी गई कि जिससे जल्दी से जल्दी फूड प्रोडेक्शन बढ़ाने पर असर न पड़े तो यह सब बेकार होगी। जरूरत इस बात की है कि जहाँ पर काश्तकार को इस बात का इत्मिनान दिलाया जाता है कि अगर तुम लगान देते चले जाओगे तो तुमको जमीन से बेदखल नहीं किया जायगा, तुम्हारे और स्टेट के बीच में कोई तीसरा शख्स नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर ज्यादती कर सके उसके साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिये कि जो पैदावार की दिक्कत इस वक्त हो रही है उसमें इस बिल के पास करने के बाद दूर हो सकेगी या नहीं और मैं समझता हूँ कि इजाफे का सिर्फ एक ही तरीक़ा है और वह तरीक़ा यह है कि जहाँ हम काश्तकारों को इतनी सहूलियत दे रहे हैं और काश्तकारों के साथ पूरी हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं और हमारी हमदर्दी नेकनियती पर मुनहस्सिर है वहाँ पर हम काश्तकार को इस बात के लिये भी तैयार करें कि वह फूड प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के तरीकों को अख्तयार करे वह तरीक़ा यह है कि जो आराजियात काश्तकारों के पास हैं वह क़िस्म जमीन की बिना पर तकसीम की जायँ और काश्तकारों से यह कहा जाय कि वह अपनी जमीन के एक हिस्से पर गेहूँ व चना व खाने में इस्तेमाल आनेवाली चीजों को पैदा करें, बाकी हिस्से में अपनी मर्जी के मुताबिक फ़सल करें। मैं अपनी इस तजवीज की ताईद में आपको पिछला एक तजुर्बा सुनाना चाहता हूँ। आज काश्तकार की अहिलियत क्या है? काश्तकार ने, जहाँ पर वह बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा मेहनती है वहाँ पर उसने बहुत सी कमजोरियाँ शहर वालों से हम लोगों से सीख ली हैं। जो कमजोरी मैं ने देखी है और महसूस की है वह यह है कि वह चाहता है कि ऐसी फ़स्ल बोई जाय कि उससे फ़ौरन नक़द रुपया मिल जाय।

[श्री रघुबीर सहाय]

किसान आज जो आप बोना चाहता है वह फूडक्राप नहीं बोना चाहता आपका ग्रो मोर फूड केम्पेन, आपका ट्रेक्टर्स का केम्पेन, आपका मैन्योर का केम्पेन, इरीगेशन का केम्पेन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली का पहुँचाना यह सब लांगरेंज प्लान है। कौन जानता है कि हमारी जिन्दगी में उसका फायदा मिलेगा और देखेंगे कि उससे तरक्की होगी या नहीं, कोई नहीं कह सकता। ट्रेक्टर्स आवें या न आवें, कामियाब हों या नाकामियाब हों, मैन्योर का तजुर्बा कामयाब हो या नाकामयाब हो? लेकिन मैं इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ जितनी आपकी स्कीम हैं वह सब चल जायें क्योंकि वह नेकनीयती पर मबनी है लेकिन वह चीज क्यों अमल में नहीं लाते जिससे आपको तुरन्त फायदा हो मिलता है। पिछली ग्रेन प्रोक्योरमेंट स्कीम में हमको काफी तजुर्बा हुआ है। हजारों ऐसे काश्तकार हम लोगों के पास आये हैं जिन्होंने यह कहा कि पर्चा रबी के लगान का मिला है लेकिन हमने रबी की ही नहीं यानी हमने गेहूं बोया ही नहीं। हमारे पास दूसरे जिलों से भी खतूत आये हैं। उन्होंने कहा है यह आपकी क्या जबरदस्ती है हमने गेहूँ नहीं बोया, हमने चना नहीं बोया मगर हमसे कहा जाता है कि गेहूँ और चना दो। नतीजा यह हुआ उन हजारों काश्तकारों ने उन फार्म होल्डर्स ने क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट के लिये लाजमी था कि वह रबी के लगान का ग़ल्ला वसूल करती लिहाजा उनको ब्लेक मार्केट से ग़ल्ला खरीदना पड़ा और उस ग़ल्ले को गवर्नमेंट को देना पड़ा। इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा यह निकला कि बहुत से काश्तकार रबी की फस्ल में चना और गेहूं नहीं बोना चाहते। क्यों नहीं बोना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत देर बाद मुनाफा मिलता है गन्ने में फ़ौरन क़ीमत मिल जाती है। अफ़ीम में फ़ौरन क़ीमत मिल जाती है। तम्बाकू में भी ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिये वह आदि हो गये हैं कि ऐसी फ़स्लें बोयें जिससे कि उन्हें फ़ौरन रुपया मिले। इस बात का आज किसान को लिहाज नहीं है, वह समझ नहीं सकता कि अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो गेहूं कहाँ से आयेगा, चना कहाँ से आएगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि आपको इस बिल के अन्दर कोई ऐसा प्रावीजन रख देना चाहिए कि बिल के अमलदरामद होने के बाद काश्तकारों को जमीन को इस तरीके से तक़सीम कर दिया जाय कि जो अच्छे क़िस्म की जमीन है जो गेहूं और चने की फसल के लिये मुनासिब है उसमें के एक हिस्से में उसको गेहूं और चना बोना लाजिमी होगा। बाकी जो जमीन है उसमें जमीन की क़िस्म के मुताबिक़ फस्ल बोयें। जैसे आप कम्पलसरी ग्रेन प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं उसी तरह से इसे भी कम्पलसरी कर सकते हैं और काश्तकार को भी यह नहीं अखरेगा, क्योंकि काश्तकार भी तो आखिर को गेहूं खायेगा, चना खायेगा। उसको ईख की फ़स्ल बोने के बाद ब्लेक मार्केट से गेहूं और चना खरीदना पड़ता है। इसलिये आपको ऐसा प्रोविजन इस बिल में जरूर करना चाहिये कि काश्तकार

मजबूर हो जाय और उसको अपनी आराजी में गेहूँ और चना बोना पड़े। मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी तरमीम कर देते हैं तो आपको बाहर से किसी क़िस्म के गल्ले को मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको राशनिंग वग़ैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो इस सिलसिले में दिक्क़तें उठानी पड़ती हैं वह नहीं पड़ेंगी।

यह चीज़ आसानी से हो सकती है मेरा मशविरा है कि बिल की दफ़ा २०३ और २१८ में इसी क़िस्म की तरमीम कर दी जाय कि क़ायदों के मुताबिक़ ज़मीन की तक़सीम कर दी जायगी और किसान को उसी के मुताबिक़ फ़स्लें बोना पड़ेंगी।

इसके बाद मुझे एक और मसले पर इस भवन की तवज्जह दिलानी है और वह यह कि मालगुज़ारी वसूल करने का जो तरीक़ा आपने इस बिल के अन्दर दिया है वह यह कि आप गाँवों में गाँव समाज और गाँव सभा स्थापित करके उनको यह ज़िम्मेदारी देंगे कि वह मालगुज़ारी वसूल किया करें। जहाँ तक कि गाँव सभा का ताल्लुक़ है बिल की डेफ़िनीशन्स को देखने से यह मालूम पड़ता है कि इस बिल में गाँव सभा वही क़रार दी जायगी जो पंचायत ऐक्ट में गाँव सभा है। लेकिन गाँव समाज एक दूसरी चीज़ है। गाँव समाज में वही लोग शामिल हो सकेंगे जो उस हल्क़े और उस गाँव में २१ वर्ष की उम्र के होंगे। पंचायत ऐक्ट में भी जो गाँव सभा का कांस्टीट्यूशन रखा गया है उसमें भी यही शर्त है कि २१ वर्ष के बालिग़ मर्द और औरत उस सभा में शरीक़ हो सकेंगे। यह दो क़िस्म की सभाएँ और समाजों को स्थापित करने से क्या लाभ है। आपने अभी हाल में पंचायतों को क़ायम किया है। ग़ालिबन उन्होंने अपना काम करना भी शुरू नहीं किया है। हम सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि यह पंचायतें किस तरीक़े से काम करेंगी। परमेश्वर से सब लोगों की यही प्रार्थना है कि यह पंचायतें ठीक तरीक़े से काम करें और हमें उम्मीद है कि यह ठीक तरीक़े से काम करेंगी और उन लोगों की उम्मीदें पूरी न हो सकेंगी जो यह समझते हैं कि यह पंचायतें नाक़ामियाब होंगी। लेकिन फिर भी यह देखते हुये कि गाँव वालों में शिक्षा कम है, क्या यह मुनासिब है कि एक तरफ़ पंचायत ऐक्ट के ज़रिये से गाँव सभा क़ायम करें और दूसरे बिल के ज़रिये से गाँव समाज उन्हीं सब लोगों की बनाई जावे। इस से मैं समझता हूँ कि गड़-बड़ी होगी। आप नये नये नाम गाँव के सामने न लाइये। जिन जिन संस्थाओं को आपने क़ायम किया है उनको कामियाब होने दीजिये। गाँव वालों के दिमाग़ में फ़ितूर पैदा हो जायगा, वह गड़बड़ा जाएँगे कि गाँव सभा का काम क्या है और गाँव समाज का काम क्या है। आपने मालगुज़ारी की वसूली का काम गाँव सभा को दिया है यह बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। बावजूद इसके कि मैं उन लोगों में हूँ जो यह चाहते हैं कि पंचायतें कामियाब हों और मुझे उम्मीद है कि कामियाब होंगी, लेकिन गाँव सभाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा

[श्री रघुवीर सहाय]

जिम्मेदारी डालना यह कोई अक़्लमन्दी की बात नहीं है। जितनी जिम्मेदारी पंचायत ऐक्ट में डाली है वही काफ़ी है। उसका तजुर्बा होने दीजिये। दो, तीन साल देखिये, अगर वह ठीक तरीक़े से अपना काम करे तो यह नई जिम्मेदारी भी डालिये। लेकिन शुरू से ही मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी गाँव सभा के ऊपर डालना मैं समझता हूँ कि एक खतरनाक चीज़ है।

गाँव में रहने वाले बहुत सी चीजों में गड़बड़ी कर सकते हैं लेकिन उनसे स्टेट को ज्यादा नुक़सान नहीं होगा। पर अगर वह स्टेट की मालगुजारी में गड़बड़ी करते हैं तो खतरनाक नुक़सान पैदा हो सकता है। इसलिये बावजूद इसके कि जहाँ पंचायतों के साथ हमारी हमदर्दी है वहाँ हम यह भी चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ महदूद होनी चाहिये। उनकी जिम्मेदारियाँ ला महदूद नहीं होनी चाहिये और मालगुजारी की जिम्मेदारी अहम और ज़बर्दस्त जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ और समझता हूँ कि यह मुनासिब नहीं है कि वह जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाय। यह दरियाफ़्त किया जा सकता है कि क्या और कोई दूसरा तरीक़ा हो सकता है जिसके ज़रिये मालगुजारी वसूल की जाये। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ख्यालात पेश करने का मौक़ा सिलेक्ट कमेटी में आवेगा और जो साहबान वहाँ जायेंगे वह मशविरा व सलाह दे सकेंगे कि मालगुजारी वसूल करने का क्या तरीक़ा बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर भी ग़ौर कर लिया जाय और यह मसला भी सिलेक्ट कमेटी में रखा जाये।

मैं अपनी तक़रीर को अब ज्यादा लम्बी करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि इस भवन में जो बहुत सी तकरीरें मुख्तलिफ़ जमाअतों की तरफ़ से हुई हैं उनमें आप मुझे माफ़ करेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका यह ख्याल है कि आज इस मसले पर हम भवन में बहस नहीं कर सकते हैं कि जमींदारी खत्म होना चाहिए या नहीं। इसकी बहस तो उस वक्त मुनासिब थी जिस वक्त जमींदारी अबोलीशन का प्रस्ताव हाउस के सामने रखा गया था और तमाम बहस और मुबाहिसे के बाद जब यह तय कर दिया गया कि जमींदारी अबोलीशन ही हमारा मक़सद है और होना चाहिए फिर इसके बाद यह बहस ग़ैर ज़रूरी हो जाती है। बहस के दौरान में सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स बताये गए और यह कहा गया कि हमारा यह प्रोग्राम है वह प्रोग्राम है, इन सब बातों की ज़रूरत नहीं थी बल्कि हमें बिल को बिलकुल ठंडे दिल से देखना चाहिए था कि आया जो मक़सद हमने ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० के प्रस्ताव में रखा था वह इससे हल होता है या नहीं। मैं उन में से हूँ जो यह समझते हैं कि बिल के ज़रिए से हमने उस मक़सद को पूरा किया है।

मैं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ जिस में उन्होंने बिल के सरकुलेशन के बारे में कहा है मेरे ख्याल में पब्लिक में

सरक्यूलेट किये जाने की जरूरत नहीं है। और न कोई वजह ही है क्योंकि भवन में बहुत से ऐतराजात हो चुके हैं कि इस बिल के लाने में काफी देरी की गई है और वाक़ई देरी हुई भी है। कोई शख्स इससे नावाक़िफ नहीं है कि जमींदारी अबालीशन की क्यों जरूरत है और क्यों जरूरत नहीं है। इसलिये इस पर बहस करना महज भवन का समय खराब करना है। और पब्लिक के खर्चे को भी खराब करना होगा, अगर यह बिल दुबारा प्रकाशित किया जाता है। अन्त में मैं उस प्रस्ताव का जो राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब ने पेश किया है उसकी मुखालिफत करते हुए जो प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

*श्री निहालुद्दीन—जनाब वाला, इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दूसरे मेम्बरान की बहुत सी तक़रीरें हुईं लेकिन बजुज इसके कि जो स्पीच अभी बदायूं के मेम्बर साहब ने दी और सब में उस मौजूं पर गुफ्तगू की गई कि जो इस मौक़े और वक्त के नामौजूं है। जमींदारी खत्म करने के प्रिंसिपल (उसूल) को तो भवन पहले ही पास कर चुका है। अब उस फिरके के मुताल्लिक़ उस की बुराई का तबसरा करना मैं इस भवन के मेम्बरान के विचार के खिलाफ समझता हूँ और न मौक़े की मौजूमियत रखता है। हक़ीक़तन तो जमींदारी बिल के आने से पहले ही खत्म हो चुकी। सन् ३७ में हमारे नजदीक उनकी हैसियत कुछ थी लेकिन अब वह एक सयासी मुर्दा है। इसलिए इस समाजी मुर्दे का पोस्टमार्टम करना हमारे नजदीक मुनासिब व मुफीद न होगा। जहाँ तक उसूल का ताल्लुक़ है जमींदारी एबालिशन से किसी को एख्तिलाफ़ नहीं है और न सूबे में जमींदारी मौजूद रहने की कोई जरूरत ही है। सिर्फ सवाल यह है कि यह निजाम किस तरह से तब्दील किया जाय। उस के लिये हमारे नजदीक यह बिल एक नाकामयाब कोशिश है। बिल में सब से बड़ा नुक्स यह है कि दो मुख्तलिफ चीजें बिल के अन्दर दी हुई हैं। अव्वल तो यह कि जमींदारी का खत्म करना और उसका मुआविजा देना। दूसरे यह कि नये निजाम का पैदा करना और उनके हक़ूक़ का तहफ्फुज करना। यह दोनों चीजें हक़ीक़तन बिल्कुल अलग-अलग होनी चाहियें यानी जमींदारी के खात्मे का बिल एक अलग ऐक्ट और नये हक़ूक़ जो जमींदारी के बाद पैदा होते हैं वह एक अलग ऐक्ट में आने चाहिए। दूसरी बातों के लिहाज से मौजूदा बिल में जो नुक्स है वह यह है कि हक़ूक़ और उनके निफ़ाज के मुताल्लिक़ जो दफ़ात हैं वह इस तरह से एक दूसरे में मिला दी गई हैं कि उनका अलग-अलग समझना मुश्किल है, अगर इस बिल के दो हिस्से होते तो बेहतर था, अव्वल तो यह कि जो पोसिड्योर से ताल्लुक़ रखता है और दूसरे जिसका ताल्लुक़ सब्सटेंटिव

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निहालुद्दीन]

(खास, अलग) हकूक से है दोनों को एक जगह इकट्ठा करना मेरे नजदीक एक ग़लत प्रैक्टिस है ।

डिप्टी स्पीकर—अब सवा पाँच के ऊपर हो गया है । आप की तक़रीर परसों जारी रहेगी ।

(इस के बाद भवन ५ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, ११ जुलाई १६४६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर,

लखनऊ, मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,

६ जुलाई, १६४६ संयुक्त प्रान्त ।

नत्थी 'क'

(देखिये ८ जुलाई, १९४९ के प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

क्रम संख्या	नाम बीज गोदाम	कुल बकाया जो कि रु० की शक्ल में १-७-४८ को था			क्रम संख्या	नाम बीज गोदाम	कुल बकाया जो कि रु० की शक्ल में १-७-४८ को था		
१	मिर्जापुर	१५,०१४	३	३	३३	सलखन	१०,५६१	१४	९
२	श्री पट्टी	२०,५३०	०	०	३४	अमोखर हरगढ़	१३,९५४	५	३
३	कछवा	१२,६९३	११	०	३५	घोरावल	४६,९७३	१३	६
४	पंडरी	२२,४८२	१२	६	३६	शिवद्वार	२७,९६४	६	६
५	तिलुही	९,९४७	८	३	३७	मैरवा	३७,४६३	१३	०
६	कलवारी	१६,८०६	८	३	३८	शाहगंज	२७,४८५	६	०
७	बघेड़ा	७,५३३	१५	६	३९	जमागाँव	४८,८७७	४	९
८	राजगढ़	३२,७७३	१४	०	४०	तिलौली	३३,४१९	१५	०
९	गयपुरा	२७,३७१	१०	६	४१	कर्मा	२८,५४३	१३	०
१०	लालगंज	१६,९३३	४	०	४२	कवराहो	४४,४२६	४	३
११	बरौंधा	१४,८१०	९	६	४३	दुद्धी	४,०४८	२	६
१२	लहंगपुर	७,००२	३	३	४४	विंढमगंज	१,७३९	४	९
१३	सुखरा	७,५७२	१३	०	४५	म्योरपुर	२,१०६	६	३
१४	कोटा	९,४६३	५	३	४६	गहरवारगाँव	२,९६५	८	३
१५	पथरौर	४,२६७	०	०		पूर्ण योग ...	१०,८६,८१३	४	०
१६	मलवा	८,८९२	५	०		नोट—१-७-४८ से			
१७	चुनार	३८,५६२	३			लगायत २८-२-४९ तक			
१८	सीखड़	३८,४६४	८	९		जो रुपया वसूल हुआ	२,६१,७७६	३	९
१९	इमिलिया चट्टी	११,०२५	६	६		शेष	८,२५,०३७	०	३
२०	जिवनाथपुर	२०,५९८	१०	६		तावान सन् ४७—४८ का			
२१	जमालपुर	१८,०८८	८	०		रबी का ५० प्रतिशत के			
२२	परोरा	४४,३८८	४	३		बजाय १२॥ प्रतिशत होने			
२३	अदलहाट	१९,८२३	८			से जो रु० कम हुआ	६३,३६७	११	३
२४	मुड़ली	४३,९५२	११	०		शेष जो अब वसूली			
२५	चौकिया	२१,२४२	१०	०		करने को बाकी है	७,६१,६६९	५	०
२६	अहरौरा	१६,५३७	३	६					
२७	राबर्टसगंज	८६,६८७	११	३					
२८	बैनी	१६,१४८	०	०					
२९	मधुपुर	२५,८९०	१३	०					
३०	पुरैनियाँ	१७,४८९	९	६					
३१	नई बाज़ार	४९,०९०	११						
३२	राम गढ़	५९,९१०	७	६					

नत्थी 'ख'

(देखिये ८-७-४९ के प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

प्राय गल्ले की वसूली समाप्त होने के सप्ताह में जो रेट तहसील से प्राप्त हुआ वह इतना महँगा रेट था कि बक़ाया जो रुपये की शकल में पड़ा वह बहुत अधिक हो गया। क्यों कि महकमे के क़ानून के अनुसार बक़ाया उसी रेट पर लगाया जाता है जो वसूली के आख़ीरी सप्ताह का होता है। इसके अलावा क़ानून साढ़े बारह फ़ीसदी तावान इसके ऊपर और लगाया गया। इस तरह से बक़ाया कभी डेढ़े या दूने के लगभग हो गया।

२ सन् १९४५-४६ और १९४६-४७ में भी बरसात की कमी होने के कारण पैदावार न हो सकी जिसके कारण बक़ाया अधिक पड़ गया और अधिक दिनों तक यह निर्णय न हो सका कि यह बक़ाया माफ़ कर दिया जाय या वसूल हो और यदि वसूल किया जाय तो किस प्रकार वसूल हो और इस कारण अधिक दिनों तक बक़ाया वैसे ही पड़ा रहा। केवल ४५-४६ का बक़ाया राबर्टसगंज तहसील का कुल बक़ाये का आधा है।

३. गंगा और अन्य सहायक नदियों में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण बहुत अधिक फ़सल का नुक़सान हुआ। मिर्जापुर और चुनार तहसीलों में बहुत अधिक क्षति पहुँची और खेतों में खड़ी फ़सल पानी के अन्दर रहने से काफ़ी सड़ गई और किसान बीज भंडारों से लिया हुआ ग़ल्ला वापस न कर सके। जिसके कारण अत्याधिक बक़ाया पड़ गया।

४. इस जिले में प्रायः पहाड़ी जिला होने के कारण फ़सल देर में बोई जाती है और देर में काटी जाती है। इस प्रकार फ़सल की मड़ाई भी देर में होती है। किसान सवाई पर लिया हुआ ग़ल्ला उचित समय पर बीज भंडारों पर वापस नहीं कर पाते। सन् १९४७-४८ में ग़ल्ले की वसूली की आख़िरी तारीख़ जो १५ जून को हुआ करती थी वह ३१ मई को ही समाप्त हो गई। क्योंकि बीज भंडारों को सहकारी विभाग में स्थानान्तिरित करना था। इस कारण वसूली अधिक न हो सकी और बक़ाया अधिक पड़ गया।

५. प्रायः जाड़े के दिनों में असामयिक और अधिक वर्षा हो जाने से खरीफ़ और रबी दोनों फ़सलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव फ़सल के उचित बाढ़, उचित समय पर पकना और सामयिक मड़ाई पर पड़ता है और किसान प्रायः सवाई पर लिया हुआ ग़ल्ला उचित समय पर वापस नहीं कर पाते। अस्तु अधिक बक़ाया पड़ गया।

६. प्रायः ऐसा भी हुआ है कि बीज गोदामों के सुपरवाइज़रों ने सीमा के बाहर बीजों को बाँट दिया है और वसूली के समय में शत प्रतिशत वसूली न कर सके हैं।

७. इस जिले के अधिकतर कृषि सुपरवाइज़र गल्ले की शत प्रति वसूली करना अपना प्रधान कर्त्तव्य नहीं समझते थे।

८. जब जब बक़ाए की फेहरिस्त रेविन्यू महकमे में वसूली के लिए दी जाती थी तब तब वे इस महकमे की वसूली पर कोई खास ध्यान न देते थे।

९. इस ज़िले में अब तक ४६ बीज भंडार रहे हैं और गोदामों की संख्या दूसरे ज़िलों की बनिस्बत बहुत अधिक रही है इससे बक़ाया बहुत पड़ गया।

१०. इस ज़िले में अधिकतर रुपए के बक़ाएदार प्रभावित जन ही लोग हैं। उन लोगों का यह नियम हो गया है कि वे वसूली को बन्द करने की या क़िस्त बँधाने की आज्ञा प्रदान करवाते हैं जिसके कारण कुर्क अमीन तथा वसूली करने वाले लोग वसूली करने से रहित हो जाते हैं। यही लोग छोटे लोगों पर भी असर डाल रहे हैं जिसके कारण अच्छी वसूली नहीं हो पाती और अत्याधिक बक़ाया पड़ा है।

११. प्रायः प्रत्येक बीज भंडार के कृषक ऋण की वसूली का किसी न किसी बहाने से जैसे हमें गल्ला नहीं मिला है, मैंने बाँड पर दस्तखत नहीं किया है, मेरे दस्तखत फ़र्ज़ी बनाये गये हैं या मेरे नाम के सामने ज्यादा गल्ला लिखा है, विरोध करते हैं। इन कारणों से ऋण की वसूली में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये ८-७-४९ के प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सं० ग्र०	नाम स्पेशल मैजिस्ट्रेट व रेवेन्यू आफ़िसर	मुक़दमों की संख्या जो फ़ैसले किये			संख्या मुक़दमात जिसमें अपील हुई			संख्या मुक़दमात अपील मंजूर होने की		
		४६-४७	४७-४८	४८-४९	४६-४७	४७-४८	४८-४९	४६-४७	४७-४८	४८-४९
१	श्री हेमचन्द्र मिश्र स्पेशल मैजिस्ट्रेट	११७	१५२	१३०	२२	१४	१०	४	-	-
२	श्री राजा लाल स्पेशल मैजिस्ट्रेट	८६	२८७	३४३	१	३०	३२	-	१३	७
३	श्री के० पी० मुवार रेवेन्यू आफ़िसर	१८३१	३२२२	११७४	१३	४९	२६	४	५	६

नत्थी 'घ'

(देखिये [illegible] के प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९३ पर)

नाम फर्नीचर	तादाद	किराया प्रतिमास		कब से किराये पर लिया गया
		रु०	आ०	
१ ड्रेसिंग टेबुल	६	०	८	नवम्बर,१९४७ से जनवरी,१९४८ तक
२ टावेल रैक	१६	०	८	नवम्बर, १९४७ से
३ कमोड	२५	०	८	नवम्बर,१९४७ से नवम्बर,१९४८ तक
४ सोफासेट	१	५०	०	नवम्बर,१९४७ से अगस्त,१९४८ तक
५ बाथ पटरा	१६	०	४	नवम्बर,१९४७ से
६ नेवार बेड	२०	३	०	,, ,, ,,
७ नेवार बेड	२०३	३	०	१६ अक्तूबर, १९४८ से
८ आर्मलेस चेयर	११७	१	०	,, ,, ,,
९ आर्म्ड चेयर	४७	१	८	,, ,, ,,
१० वाशहैंड टेबुल	५	१	०	,, ,, ,,
११ डाइनिंग टेबुल	८	२	०	,, ,, ,,
१२ ड्रेसिंग टेबुल	५४	३	०	,, ,, ,,
१३ फ्राग चेयर	४८	२	०	,, ,, ,,
१४ टी टेबुल	२६	१	०	,, ,, ,,
१५ टावेल रैक	३२	०	८	,, ,, ,,
१६ बाथ बोर्ड	४२	०	८	,, ,, ,,
१७ इनामल जग	२७	१	०	,, ,, ,,
१८ पिलपाट	४०	०	८	,, ,, ,,
१९ बेसिन	१७	१	०	,, ,, ,,
२० स्पिटून	१७	१	०	,, ,, ,,
२१ आर्मलेस चेयर	७०	१	०	फरवरी, १९४९ से
२२ टी टेबुल	३७	१	०	,, ,, ,,
२३ आर्म्ड चेयर	४०	१	८	,, ,, ,,
२४ कमोड	२०	१	८	,, ,, ,,
२५ वाशहैंड टेबुल	२०	२	०	,, ,, ,,
२६ वाशहैंड बेसिन	२०	१	०	,, ,, ,,
२७ नेवार बेड	४७	३	०	,, ,, ,,
२८ राइटिंग टेबुल	३३	२	०	,, ,, ,,
२९ डाइनिंग टेबुल	४	२	०	,, ,, ,,
३० फ्राग चेयर	३७	२	०	,, ,, ,,
३१ ड्रेसिंग टेबुल	१८	३	०	,, ,, ,,
३२ आर्मलेस चेयर	१६	१	०	,, ,, ,,

नत्थी 'छ'

(देखिए ९-७-४९ के प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

नक्शा जिसमें १९४६-४७, १९४७-४८ और १९४८-४९ में मकान बनाने के प्रयोजन के लिये बदायूं और उझैनी में दिया गया सीमेंट और फौलाद दिलाया गया है।

साल	जगह	उन लोगों के नाम और पते जिन्हें परमिट दिया गया।	आया फौलाद का परमिट दिया गया या सीमेंट का सीमेंट, फौलाद	परिमाण	प्रयोजन	जिसको सिफारिश पर परमिट दिया गया	जारी होने की तारीख
१	२	३	४	५	६	७	८
१९४६-४७	बाँटने का काम सीधे भारत सरकार करती थी और कोई रिकार्ड नहीं मिल सके हैं।						
	उझैनी	श्री साहु जदुनाथ सिंह, भूतपूर्व सीनियर वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, उझैनी	फौलाद	२ टन १० हंडरवेट	मकान बनाने के लिये	जि० अधिकारी को	२०/२५-६-४७
	"	जी० टी० आयल, राइस ऐंड दाल मिल्स, उझैनी	"	१ टन १० "	गोदाम बनाने के लिये	"	२७-५-४८
	बदायूं	श्री वहीद अहमद, एम० एल० ए० बदायूं		२ टन	मकान बनाने के लिये	"	२५-४-४८
	उझैनी	गंगाराम राजाराम, उझैनी	"	५ टन १० "	इमारत बनाने के लिये	"	३०-८-४८
१९४७-४८	बदायूं	श्री बहादुर लाल चौधरी बदायूं,	"	२ टन	मकान बनाने के लिये	"	१८-९-४७
	"	सर्वश्री कन्हैयालाल रतनलाल, बदायूं, मोहल्ला मौलवीगंज।	सीमेंट	१०० बोरे	मकान के और तब्दीलियों के लिये। दूसरे इमारती सामान न मिलने के कारण ३२ बोरे काम में नहीं लाये गये।	"	१८-१०-४७
	"	श्री अब्दुल करीम मोहल्ला खाँवसाली	"	१५ बोरे	"	"	१४-१०-४७

		बदायूँ					
	"	श्री बाबूराम, मुख्तार घरौसला रेलवे स्टेशन बदायूँ	"	१० बोरे	"	"	१६- ६-४७
	"	श्री नन्थू मार्फत माल मोहद्दी कराशन के दफ्तर के पास, लास्ट एरिया मोहल्ला पानवारी, बदायूँ।	"	६ बोरे	"	"	१८- ६-४७
	"	श्री हरिहर सरन, मुंशिफ. मार्फत श्री आर० सी० वर्मा, सेशन जज बदायूं	"	५० बोरे	"	"	१०-१२-४७
	बदायूँ "	श्री हरवंस सिंह, पिता का नाम गुलाबसिंह, शरणार्थी कोठी, हकीम सिंह।	फौलाद	(१) टन, १० हंडर	मकान और दुकान किराये के लिए	डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटी	२२-११-४८
	"	श्री शिव दरसन लाल, पिता का नाम बाबूराम, मोहल्ला चौधरी	"	१ टन	"	"	२८-१२-४८
	उझैनी	श्री गजराजसिंह, मार्फत सर्वश्री गजराजसिंह, मथुरा प्रसाद	"	१ टन	"	"	१२-११-४८
१९४८--४९	"	श्री ज्वाला प्रसाद, पिता का नाम, बिहारीलाल मदवारगंज	"	१ टन १० हं०	"	"	२२-११-४८
	"	श्री मोतीलाल, मदवारगंज	"	१० हं०	"	"	२७-१२-४८
	बदायूँ	श्री राम मदन लाल पिता का नाम काशी राम, ब्रह्मपुर	"	४ टन	"	"	३- १-४९
	"	सर्व श्री श्यामचरन बुधसेन, चक्की के पास	"	४ टन १० हं०	"	"	३- १-४९
	"	श्री श्याम चरन चक्की राजाराम के पास	"	२ हं०	"	"	१०- १-४९
	"	श्री आर० पी० टंडन (२ परमिट)	"	५ टन ६ हं०	"	"	१५- १-४९

नत्थी 'च'

(देखिये ६-७-४६ के प्रश्न १३ (क) का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

रोडवेज की गाड़ियों के सुधार के लिये मेन्टिनेन्स स्टेशनों के नाम:

१. गोरखपुर रीजन । अ । बिदघाट । ब । बस्ती । स । कसिया

२. इलाहाबाद रीजन । अ । जौनपुर । ब । बनारस

३. कानपूर रीजन । अ । बिल्लहौर । ब । सराय मीरा । स । घाटमपूर । ख । फतेहपुर । ग । इलाहाबाद । प । महोबा । घ । बांदा

४. लखनऊ रीजन । अ । सीतापूर । ब । सुल्तानपूर

५. आगरा रीजन । अ । मथुरा । ब । अलीगढ़ । स । शिकोहाबाद

६. बरेली रीजन । अ । शाहजहाँपुर । ब । मुरादाबाद । स । बिजनौर । प । पीलीभीत

७. मेरठ रीजन । अ । दिल्ली । ब । खतौली । स । मुजफ्फरनगर । ख । रुड़की । ग । सहारनपूर । घ । हरद्वार

८. कुमायूं रीजन । अ । रामनगर । ब । रानी खेत

नत्थी 'छ'

(देखिये ६—७—४६ के प्रश्न सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

ब्योरा खेत व कृषक जिनका खेत लिया जा रहा है

नाम कृषक	कुल जमीन जो कृषक के पास है।			भूमि जो ली जा रही है।			भूमि जो कृषक के पास बच जाती है।		
	बीघा	बिस्वा	धुर	बीघा	बिस्वा	धुर	बीघा	बिस्वा	धुर
परमानन्द	१	१६	७	०		१२	१	१४	१५
गिरधारीसिंह	२	८	१०	०	१८	०	१	१०	१०
रामचरन	३	३	४	०	५	४	२	१८	०
घूरन	५	१०	१२	०	५	०	१	५	१२
रामनाथ	४	११	१३	१	१२	१६	२	१८	१७
भिखू	२०	३	१	०	५	१२	१६	१७	६
चुल्ली	११	१३	३	०	६	१८	११	६	५
परसोतम	२	१८	१८	०	३	८	२	१५	१०
मु० लडमारी	८	१६	१६	०	५	०	८	१४	१६
धूरा	२	०	६	०	५	०	१	१५	६
बेचू	१७	११	१६	०	१७	८	१६	१४	८
रघुनन्दन	६	२	३	१	१६	८	४	४	१५
सहदेव	७	१६	१०	०	१२	१४	७	३	१६
रामदीन	२	०	०	०	७	१४	१	१२	६
लखन	७	५	१४	०	६	०	६	१६	१४
गनपत	२	१६	१	०	६	१६	२	६	५
योग	१०३	०	१४	८	१८	१०	६४	२	४

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

सोमवार, ११ जुलाई सन् १९४९ ई०

(असेम्बली की बैठक असेम्बली-भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।)

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१७९)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अदील अब्बासी
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद ख़ां
अलगूराय शास्त्री
असग़र अली ख़ां
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ऐज़ाज़ रसूल
करीनुर्रज़ा ख़ां
कालीचरण टंडन
किशनचन्द पुरी
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
ख़ुशवक़्त राय
ख़ुशीराम
खूब सिंह
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगमोहन सिंह नेगी
ज़ाहिद हसन
जुगुल किशोर
जयपाल सिंह
जय राम वर्मा
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, अल्फ्रेड
नफ़ीसुल हसन
नवाज़िश अली खां
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
नेहालुद्दीन
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेम किशन खन्ना
फ़ख़रुल इस्लाम
फ़तेह सिंह राणा
फ़ैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माईकेल
फूल सिंह
बदन सिंह
बंशीधर मिश्र
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बशीर अहमद अंसारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बीरबल सिंह
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन मिश्र
भारत सिंह
भीम सेन
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद उबैदुर्रहमान ख़ां शेरवानी
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल
मुहम्मद जमशेद अली ख़ां
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद फारूक
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रज़ा ख़ां
मुहम्मद शकूर, हाजी
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री
मुहम्मद शौकत अली ख़ां
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राघव दास
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री

राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पाण्डे
राम बली
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुक्नुद्दीन खां
लताफ़त हुसैन
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टंडन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पाण्डेय
शिव कुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
शुचेता कृपलानी, श्रीमती
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन सैयद
सालिग्राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्यप्रसाद अवस्थी
सैयद ज़ाकिर अली
सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन
हबीबुर्रहमान अंसारी
हरगोविन्द पंत
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
होती लाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ जुलाई, सन् १९४९ ई०

(शनिवार, ९ जुलाई, सन् १९४९ ई०, के शेष प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

तहसील नकुर (सहारनपुर) में सिंचाई

*२६. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर व तहसील सहारनपुर में कितने एकड़ भूमि में नहर से सिंचाई होती है और कितने में कुएँ और अन्य ज़रिये से ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—

तहसील का नाम	भूमि की सिंचाई एकड़ में		
	नहर से	कुएँ से	अन्य जरिए से
(१) नकुर	१६,८००	४२,४७३	१,२८८
(२) सहारनपुर	४३,६००	२,३०४	८९६

*२७. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर, ज़िला सहारनपुर में ट्यूब के कुएँ कितने हैं ?

माननीय कृषि सचिव—इस समय तहसील नकुर, ज़िला सहारनपुर, में ६ ट्यूब के कुएँ हैं।

*२८. श्री जगन्नाथ दास – क्या सरकार को मालूम है कि नकुर गोदाम में जो ५२ रहट लगभग दो साल से पड़े हैं अब तक उनमें से दो रहटों की बिक्री हुई इसका मुख्य कारण क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—यह सच है कि अभी तक कुल दो रहटों की बिक्री हुई। शेप रहटों की बिक्री इस कारण नहीं हुई कि किसानों ने उन्हें लेना स्वीकार नहीं किया। इन रहटों में बकेट का और बकेटों के पहिए का नाप उससे भिन्न है जो पहिले से इस्तेमाल में थीं। किसान को यह समझने में समय लगेगा कि नई रहटें पहिली रहटों से हलकी चलती हैं।

श्री जगन्नाथ दास—जिन दो किसानों ने रहट ख़रीदे हैं क्या वे हल्का चलाने की तरकीब सीख चुके हैं या नहीं ?

माननीय कृषि सचिव—इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। उन किसानों से पूछ कर बता सकूँगा।

श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रहट गोदाम में पड़े हैं वे कितने दिनों से पड़े हैं ?

माननीय कृषि सचिव—मैं इसकी ठीक तारीख नहीं बता सकता।

* २९. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर में जिन रहटों से किसान आबपाशी करते हैं उनकी तादाद क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—तहसील नकुर में जिन रहटों से किसान आबपाशी करते थे उनकी संख्या अन्दाज़न २००० है।

ज़िला सहारनपुर के जुलाहों को सरकारी सहायता

* ३०. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार बतायेगी कि ज़िला सहारनपुर में शुद्ध खादी बुनने वाले जुलाहों को सरकार खादी प्रसार योजना के अन्तर्गत कोई सहायता देती है ? यदि हाँ, तो क्या ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)—सहारनपुर ज़िले के जुलाहों को खादा तैयार करने के काम के लिये अभी तक कोई अनुदान या राज-सहायता नहीं दी गई है।

श्री जगन्नाथ दास—जो जुलाहे शुद्ध खादी बुन कर देहातों में अपनी गुज़र करते हैं, क्या सरकार उनको सहायता करने का विचार रखती है ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार शुद्ध खादा तैयार करने वालों की हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है। इसके लिये एक प्रान्तीय खादी प्रचार कमेटी बना दी गई है जो ऐसे तमाम प्रश्नों पर विचार करती है। मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दूँगा कि वह इन जुलाहों का इस कमेटी से सम्पर्क करा दें।

अयोध्या शुगर मिल, राजा का साहसपुर, और उसके नौकरों के बीच समझौता

*३१. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर और उनके नौकरों के बीच में हुआ एक समझौता रीजनल कांन्सीलियेशन बोर्ड (शुगर) बरेली रीजन [Regional Corciliation Board (Sugar) Bareilly Region] के सम्मुख पेश हुआ ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मन्त्री (श्री महफूजुर्रहमान)—जी हाँ।

*३२. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उपरोक्त समझौते की मद ७ में :—

(क) शान्ति स्वरूप, रहीम बख्श, जहांगीर और रामस्वरूप, मिल-कुली, सरकारी आदेश दिनांक २६—६—४९ के अनुसार मिल के रिकार्ड (Record) के आधार पर स्थायी माने गये ?

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों को चार-चार मास का वेतन दिया जाना निश्चित हुआ ?

(ग) यह भी लिखा गया कि जिस समय से उक्त मज़दूर पृथक किये गये और जिस समय वह काम पर फिर से वापिस लिये जायेंगे वह बीच का समय उनकी बिला वेतन की छुट्टी मानी जावेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान—(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ!

(ग) जी हाँ!

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि जो समझौता इस प्रश्न के जवाब में बतलाया गया है वह सरकारी आदेश दिनांक २६ जून, सन् १९४७ के विरुद्ध है ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—ऐसी तो कोई इत्तिला मुझे नहीं है।

*३३. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके उपरोक्त समझौते की एक प्रतिलिपि मेज पर रखेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान—एक + प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई है।

*३४. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि शुगर फ़ैक्टरी बहेड़ी के क्वार्टर्स में रहने वाले मज़दूरों का टाउन एरिया टैक्स पिछले वर्षों में उक्त फ़ैक्टरी ही दिया करती थी ?

श्री महफूजुर्रहमान—यह सच है कि उक्त फ़ैक्टरी १९३५-३६ से लगातार टैक्स देती चली आई थी। टैक्स नोटीफाइड एरिया का था; टाउन एरिया का नहीं क्योंकि बहेड़ी नोटीफाइड एरिया है।

* ३५. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उक्त फैक्टरी ने इस साल उपरोक्त टैक्स देने से इन्कार कर दिया है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ, सन् १९४७ ई० से फैक्ट्री ने यह टैक्स देना इन्कार कर दिया है।

* ३६. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि रीजनल कन्सीलियेशन बोर्ड ने यह सिफ़ारिश की थी कि उक्त फैक्टरी टैक्स को पूर्ववत् स्वयं दे, किन्तु इण्डस्ट्रीयल कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया है और उक्त फैक्टरी टैक्स देना स्वीकार नहीं कर रही है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ, इंडस्ट्रियल कोर्ट ने यह कहा है कि टैक्स देना न देना मिल मालिक की इच्छा पर निर्भर है।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इंडस्ट्रियल कोर्ट के निर्णय से और फैक्टरी की ज़िद से वहाँ के मज़दूरों में घोर असन्तोष है ?

माननीय शिक्षा सचिव—ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है।

केन कोआपरेटिव सोसाइटी पीलीभीत के कर्मचारियों का वेतन

* ३७. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि केन कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, पीलीभीत के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को ५० रु० मासिक वेतन का नोटिस देकर रखा था और उक्त सोसाइटी ने अपने १९४८-४९ ई० के आय-व्ययक में इसी दर के वेतन की व्यवस्था भी की थी ?

माननीय कृषि सचिव—केन कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के असिस्टेण्ट सुपरवाइज़र उसी रूप में हैं जिस प्रकार कि गन्ना विकास विभाग के अन्य कामदार। प्रान्तीय

+ प्रतिलिपि यहां छापी नहीं गई है।

सरकार अभी कामदारों के वेतन को दुहराने के लिये विचार कर रही है। पीलीभीत सोसाइटी ने इस आधार पर कि कामदारों का वेतन ८० रु० मास तक निर्धारित होगा, विचार किया कि असिस्टेन्ट सुपरवाइज़र को ५० रु० कुल प्रति मास की दर से नियुक्त किया जावे और अतः १९४८—१९४९ के आय-व्ययक (बजट) में इसकी व्यवस्था की थी।

*३८. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उक्त असिस्टेंट सुपरवाइज़रों को ५० रु० मासिक न देकर केवल २५ रु० मासिक दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय कृषि सचिव—सोसाइटी के वेतन पाने वाले कर्मचारी उसी वेतन के अधिकारी नहीं हैं जो कि उसी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के हैं। उनका चुनाव करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया तो उनका भी वेतन बढ़ाया जायगा। चूंकि सरकारी कामदार २०-१-२५ रु० के स्केल में इस समय वेतन पा रहे हैं, जो बहुत दिन से निर्धारित है अतः असिस्टेन्ट सुपरवाइज़र २५) वेतन पा रहे हैं।

*३९. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि सुपरवाइज़रों के चपरासी को सुपरवाइज़र से अधिक यानी २६ रु० मासिक वेतन मिलता है ?

माननीय कृषि सचिव—ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज़र को उनके पोर्टर से कम वेतन मिलता है। पोर्टर का वेतन २०-१-२५ रु० के स्केल में है क्योंकि वे देहाती क्षेत्रों में काम करते हैं न कि जिला के हेडक्वार्टर पर।

*४०. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि चीनी मिलों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सरकारी आदेशों द्वारा की गई है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ!

*४१. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उपरोक्त केन सोसाइटी के कर्मचारी उसी शुगर मिल और उसी शकर उद्योग के लिए काम करते हैं जिसके लिये शुगर मिल में काम करने वाले कर्मचारी करते हैं ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ!

*४२. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसी शकर कारखाने और उसी शकर उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले उपरोक्त केन सोसाइटी के कर्मचारियों को वही वेतन और वही सुविधायें जो शकर कारखाने वाले कर्मचारियों को सरकार दिलवाती हैं, दिये जाने का प्रबन्ध सरकार की ओर से न होने का क्या कारण है ?

माननीय कृषि सचिव—केन सोसाइटियों के कर्मचारियों का वेतन, सोसाइटियों की आय पर निर्भर रहता है। सोसाइटियों की आय सीमित है और उसके कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधायें; जो कि चीनी मिलों द्वारा अपने श्रमिकों तथा विशेषज्ञों को प्रदान की जाती हैं, नहीं दी जा रही हैं। केन कमिश्नर ने इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश की है कि वे सुविधायें अवश्य ही सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जावें जो सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी गई हैं।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—जो केन कमिश्नर ने सुविधा देने की कोशिश की उसमें कहां तक कामयाबी मिली।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

*४३. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—शकर के कारखानों और केन सोसाइटियों के कर्मचारियों को समान वेतन, समान सुविधाएं और समान अधिकार दिये जाने के विषय में सरकार की नीति क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—सरकार की नीति तो यह है कि जहां तक मुमकिन हो वेतन बढ़ाया जाय मगर इस नीति के पूरा करने में कठिनाइयां हैं।

रुद्रप्रयाग से भीरी तक की सड़क

*४४. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या इस वर्ष रुद्रप्रयाग से भीरी तक यात्रा-काल के पूर्व मोटर सड़क ठीक हो जायगी और जहाँ पर पहाड़ पड़ गया है, टनल बना दी जायगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा-मंत्री (श्री लताफ़त हुसैन)—जी नहीं। मय सुरंग के सड़क को पूरा करने में कम से कम दो साल लगेंगे।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या यह सच है कि सड़क न होने के कारण यात्रियों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है ?

श्री लताफ़त हुसैन—मुमकिन है ऐसा हो।

ज़िला गढ़वाल में अन्न, बीज और शिक्षा का प्रबन्ध

*४५. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सन् १९४८–४९ ई० में गढ़वाल के तीनों तहसीलों को अलग-अलग कितना ग़ल्ला दिया गया ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—गढ़वाल की तहसीलों में अलग-अलग अप्रैल सन् १९४८ ई० से मार्च १९४९ तक निम्नलिखित मात्रा में सरकारी अन्न वितरण किया गया।

तहसीलें	मात्रा (मनों में)
१. लैन्सडाउन	७६६४१
२. बारहस्यों	५९७०
३. चमोली	१०५६७

ज़िला गढ़वाल की चमोली में गत दो वर्षों में स्थापित सहकारी संस्थाय

*४६. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गढ़वाल ज़िले की चमोली तहसील में कितनी सहकारी संस्थायें गत दो वर्षों में स्थापित हुई हैं और इन संस्थाओं ने किस प्रकार किसानों को सहायता पहुँचाई ?

माननीय उद्योग-सचिव—गढ़वाल ज़िले की चमोली तहसील में अब तक निम्नलिखित सहकारी संस्थायें खोली गई हैं :—

(१)	रजिस्ट्री हुए तहसील फेडरेशन की संख्या	१
(२)	रजिस्ट्री हुए सहकारी यूनियनों की संख्या	१४
(३)	रजिस्ट्री हुयी बहुधन्धी सहकारी समितियों (Multi-purpose Co-operative Societies) की संख्या	९७
(४)	विकास ब्लाकों (Development block) की संख्या।	१५

इन संस्थाओं ने किसानों को निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुँचाई :—

(१) यातायात—३००० रु० १२ विकास ब्लाकों को यातायात की उन्नति के लिए २५० रु० प्रति ब्लाक के हिसाब से दिये गए।

(२) खाद—७६१ मिलवा खाद के गड्ढे खोदे और भरे गए।

(३) विकास—यद्यपि यह काम कृषि-विभाग द्वारा किया जाता है तो भी सहकारी विभाग के फ़ील्ड स्टाफ़ को पेड़ लगाने के तरीकों और साधनों को उन्नत करने के लिये कहा गया था। रिपोर्टों से सम्बन्धित समय में लगाये गए वृक्षों की संख्या नीचे दी हुयी है :—

(१) फलों के वृक्ष	....	४७५
(२) ईंधन के वृक्ष	....	२८००
(३) इमारती लकड़ी के वृक्ष	....	२८७५

(४) कपड़े का वितरण—चमोली तहसील में अब तक लाइसेन्सदार फुटकर व्यापारियों द्वारा लगभग २०० गाँठ कपड़ा बाँटा गया है। जिसमें से १,००,०००रु० का कपड़ा नवम्बर, सन् १९४८ ई० की उद्योग प्रदर्शिनी, गौचर, में बेचा गया था, इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल, नमक और दूसरी राशनिंग की वस्तुएँ भी इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं द्वारा बाँटी गई हैं और ३० जून १९४८ ई० तक कुल ७,६१,०४१ रु० की बिक्री हुई।

(५) प्रदर्शिनी—दो उद्योग प्रदर्शिनियाँ (एक सन् १९४७ ई० में और दूसरी सन् १९४८ ई० में) रिपोर्ट में सम्बन्धित अवधि के भीतर हुई थीं और १००० रु० गोचर प्रदर्शिनी को दिया गया था।

गुप्तकाशी (गढ़वाल) में फलों के बीज के वितरण केन्द्र

*४७. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गुप्तकाशी (गढ़वाल) में फलों के बीज के वितरण करने का केन्द्र स्थापित हुआ है ?

माननीय कृषि सचिव—गुप्तकाशी में फलों के बीज तथा पौध वितरण का केन्द्र खोलने के लिये सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जैसे ही कोई उचित स्थान मिलेगा, कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

चमोली तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल और उन्हें सरकारी सहायता

*४८. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि चमोली तहसील में सन् १९४७-४८ ई० और सन् १९४८-४९ ई० में कितने प्राइमरी लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल हुए और इनको सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता मिली ?

माननीय शिक्षा सचिव—

वर्ष	राजकीय सहायता या व्यय
	रुपया
१९४७-४८	
२४ राजकीय प्राइमरी स्कूल	२४,०००

१ लोअर सेकेंडरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	२,७५१
१९४८-४९	
४० राजकीय प्राइमरी स्कूल	७४,०००
१० लोअर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट, रेकगनाइज़्ड	५,०००

चमोली तहसील गढ़वाल में प्रान्तीय रक्षक दल के केन्द्र

*४४९. **श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि चमोली तहसील (गढ़वाल) में प्रान्तीय रक्षक दल के कितने केन्द्र स्थापित हुए हैं और कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है ?

(ख) क्या नीती के पास में भी इस दल का कोई केन्द्र है ?

(ग) क्या नीती पास के ४३ मील लंबे दर्रे के १५,००० फ़ीट ऊंचे रहने वाले नर-नारियों के रक्षा, शिक्षा का सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या इस दर्रे वाले अपने रक्षार्थ हथियार रख सकते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—(क) तहसील चमोली, जिला गढ़वाल, में प्रान्तीय रक्षक दल के चार केन्द्र स्थापित किये गये हैं और १२६० व्यक्तियों को रक्षक दल की शिक्षा दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। नीती पास के दर्रे के समीप जोशी मठ में रक्षक दल का केन्द्र है और यहीं से नीतीपास के रहने वालों की रक्षा-शिक्षा का प्रबन्ध करने में सुविधा रहती है और कोई उचित स्थान करीब में नहीं है।

(घ) जी हां।

चमोली तहसील गढ़वाल में विकास योजना के अंतर्गत कार्य

*४५०. **श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—विकास योजना के अन्तर्गत चमोली तहसील गढ़वाल में गत दो वर्षों में क्या कार्य हुआ ? और इस कार्य में कितना व्यय हुआ है ?

माननीय उद्योग सचिव—चमोली तहसील जिला गढ़वाल (पौरी) में सन् १९४७-४८ ई० तथा सन् १९४८-४९ ई० में निम्नलिखित विकास-कार्य किये गये।

१. गत दो वर्षों में ३१ मार्च सन् १९४९ ई० तक कृषि-विभाग ने ५९० मन बीज, ७३ मन आइल केक्स तथा २६ मन फर्टिलाइजर्स का वितरण किया। इस विभाग ने ३०९ रुपये के सब्ज़ी के बीज भी बेचे तथा १०१९५ पौदों तथा कलमों का वितरण किया। उक्त विभाग ने ८९० रुपये का व्यय पौदों तथा कलमों के लिये राज-सहायता (Subsidy) के रूप में किया तथा कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये १३० रुपये के इनाम भी बांटे। अस्तु गत दो वर्षों में कृषि-विभाग ने ३९,४५० रुपये का कुल खर्चा किया।

२. पशुपालन विभाग के अन्तर्गत ५,००० रुपये तथा १०,००० रुपये का व्यय भेड़ों के फार्म पीपलकोटी और ग्वालडम के लिये क्रमशः किया गया। १४०० रुपये भेड़ों के प्रदर्शन पर व्यय किया गया। ६३७ रुपये का खर्चा पशुओं के प्रदर्शन और प्रदर्शनी पर

किया गया। इसके अतिरिक्त ६०० रुपये साँड़ योजना पर और २४०२ रुपये पशु-सुधार योजना पर व्यय किये गये। इस अवधि में पशुपालन विभाग ने कुल २०,०३६ रुपये का व्यय किया।

३. इस तहसील में उद्योग-विभाग के १० कताई के केन्द्र, १ बुनाई का केन्द्र तथा २ व्युशनल क्लासिज थे जिन पर ५१,००० रुपये का कुल व्यय हुआ। सहयोग विभाग के अन्तर्गत १५ सहकारी संघ, ६७ बहुधन्धी सहकारी समितियाँ, १ तहसील संघ तथा १५ विकास केन्द्र उपर्युक्त समय में इस तहसील में काय करते रहे। इसके अतिरिक्त ३००० रुपये और १०० रुपये का व्यय क्रमशः गाँवों के रास्तों के निर्माण और मरम्मत तथा प्रदर्शनियों पर किया गया।

४. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा ५ गाँव, अर्थात् रतुग धानपुर, डुंगरी माला नागपुर, कंडई गुरादस्यूं, झारीखाल कोरिया और अलीमंजारी माला चाँदपुर, के लिये सामान खरीदने के निमित्त ६५ हजार रुपया खर्च किया। इन गाँवों में से डुंगरीमाला, नागपुर और अलीमंजारीमाला, चाँदपुर चमोली तहसील में हैं। क्योंकि प्रत्येक गाँव पर किये गये व्यय का ब्योरा नहीं रखा गया है, इस लिये इन दो गाँवों पर जो खर्च हुआ उसका सही ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

५. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ३१४०० रुपया प्राइमरी स्कूल खोलने पर खर्च हुआ। इनके अलावा ११ जूनियर हाई स्कूलों पर ७७५१ रुपया खर्च हुआ।

बनारस तहसील में बाढ़पीड़ितों की सहायता

*५१. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अति वृष्टि और गंगा बाढ़ के कारण बनारस तहसील के किन किन ग्रामों को क्षति पहुँची? सरकार ने क्षतिग्रस्त ग्रामों को किस प्रकार सहायता पहुँचाई?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री चरण सिंह)—बनारस तहसील में अति वृष्टि और गंगा जी की बाढ़ के कारण ८६३ ग्रामों को क्षति पहुँची। हर प्रकार की सहायता शीघ्र ही पहुँचाई गई। बाढ़ पीड़ितों को खाद्य पदार्थ, मिट्टी का तेल तथा दियासलाई और पशुओं के लिये भूसा एवं चारे का प्रबन्ध किया गया। तकावी के लिये पूरे ज़िले में २ लाख रुपये की स्वीकृति हुई। दीन-जनों को बीज-तकावी भी दी गयी। बनारस तहसील के ६० ग्रामों में लगान में ४३,५०० रु० १० आने और मालगुजारी में १२,५३७ रु० ८ आने की छूट दी गयी। अतिवृष्टि एवं बाढ़ के पश्चात् भी पशुओं के लिये कम मूल्य पर चारे की व्यवस्था समस्त क्षेत्र में कर दी गई।

८६३ ग्रामों के नाम की सूची बनाने और छपवाने में सार्वजनिक समय एवं परिश्रम का व्यय उसकी उपयोगिता से अधिक होगा।

बनारस तहसील में नये स्कूल और उनको सहायता

*५२. **श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में बनारस तहसील में कितने प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गये और उनको सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई?

श्री महफूजुर्रहमान—सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से दूध का क्रय व उसके विक्रय का मत

*५३. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा देहाती किसानों से कितना दूध लिया जाता है व किस भाव में और नागरिकों के हाथ वह दूध किस भाव से बेंचा जाता है ?

(ख) सन् १६४७–४८ और १६४८–४६ ई० में इस संस्था को कितना आय व कितना व्यय हुआ ?

(ग) एनिमल हस्बैंडरी द्वारा कितनी गायें खरीद कर यहां के किसानों को दी गयीं और इसमें कितना व्यय हुआ ?

माननीय उद्योग सचिव—(क) सहकारी संस्था बनारस लगभग ३५ मन दूध प्रति दिन के हिसाब से २६ संस्थाओं से १६ रु० प्रति मन की दर से खरीदती है और विश्वविद्यालय को रियायत पर २० रु० प्रति मन तथा जनता को २५ रु० प्रति मन के हिसाब से बेचती है।

(ख) बनारस मिल्क यूनियन की सन् १६४७–४८ ई० की कुल आय १३,८६० रु० थी जब कि सम्पूर्ण व्यय ५०,६७६ रु० था इस प्रकार से ३६,८१६ रु० की हानि हुई। किन्तु सम्बन्धित समितियों को ७०,५३३ रु० का लाभ हुआ जो कि मध्यवर्तीयों को मिलता अगर सहकारी दुग्ध संघ न होता। सन् १६४८–४६ ई० के अंक अभी अप्राप्त हैं क्योंकि सहकारी वर्ष ३० जून १६४८ को समाप्त हुआ है और आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) बीते हुये दो वर्षों में पशुपालन विभाग ने ३४ गायें खरीद कर बनारस तहसील में तकाबी पर किसानों को बाँटी जिस पर कुल व्यय १०,६८३ रु० का हुआ।

बनारस शहर में निजी बधागार व उनमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या

५४. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बनारस शहर में कितने निजी गाय व भैंसों के मारने के बधागार हैं और जो पशु वहां मारे जाते हैं उनकी म्यूनिसिपेल्टी द्वारा डाक्टरी परीक्षा होती है ?

(ख) औसत में इन बधागारों में कितने पशु मारे जाते हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—

(क) केवल भैंसों के मारने के लिये ५ बधागार हैं। बधागार में गायों का मारना बन्द है। म्युनिसिपैलिटी द्वारा उन पशुओं की डाक्टरी परीक्षा नहीं होती है।

(ख) औसतन छः सात सौ प्रति माह

गोशाला के सुप्रबन्ध के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति

*५५. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोशाला के सुप्रबन्ध के लिये जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उसने सन् १६४७–४८ व १६४८–४६ ई० में क्या-क्या कार्य किया और इस अफ़सर के वेतन, दफ़्तर व सफ़र में इन दो वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

माननीय कृषि सचिव—गोशाला डेवलपमेंट अफ़सर के सन् १६४७-४८ई० और १६४८-४६ ई० के कामों के बारे में एक छोटा नोट माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५० पर)

२. गोशाला डेवलपमेंट अफ़सर और उसके अमले के वेतन और सफरी भत्ते में जो खर्चा हुआ है वह नीचे दिया जाता है।

	१९४७—४८	१९४८—४९
वेतन	३७५० रु० ९ आने	४१९९ रु० २ आने
सफरी भत्ता	३२६३ रु० ४ आने	२८०३ रु० ११ आने
मंहगाई और निर्वाह भत्ता	३८१ रु० ६ आने	२३७ रु०

राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और बनारस के बन्दी

* ५६. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गत वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आन्दोलन में :—

(१) कितने पकड़े गये ?

(२) कितने को सज़ा मिली ?

(३) कितने व्यक्ति माफ़ी मांग कर छूटे ?

(४) इनके भोजन वस्त्र में कितना व्यय हुआ व जुर्माना में कितना वसूल हुआ ?

(५) इस समय अब कितने व्यक्ति जेलों में हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—शायद माननीय सदस्य का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्याग्रह आन्दोलन से है जो दिसम्बर ९, सन् १९४८ ई० से शुरू हुआ था। इस आन्दोलन के सिलसिले में जून १५, सन् १९४९ तक।

(१) ९,५८८ व्यक्ति पकड़े गये।

(२) ८,०८० व्यक्तियों को सज़ा हुई।

(३) ३,७५६ व्यक्ति माफी, ज़मानत तथा आगाही देकर छोड़े गये।

(४) ६,६५,६४१ रु० उनके भोजन वस्त्र में खर्च हुआ व लगभग १,६१, ८१० रु० जुर्माने से वसूल हुआ।

(५) जून १५, सन् १९४९ ई० को कुल १७९ व्यक्ति उपर्युक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में थे।

सेंट्रल तथा जिला जेलों के सम्बन्ध में पूछ ताछ

* ५७. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि :—

(१) बनारस के सेण्ट्रल व जिला जेल में कितने क़ैदियों की वार्षिक औसत है और प्रत्येक क़ैदी के खिलाने में कितना औसत व्यय पड़ता है ?

(२) इनके निगरानी में कितना व्यय होता है ?

(३) जेल के व्यवसाय से कितनी आमदनी होती है ?

(४) क्या बनारस सेण्ट्रल जेल में कपड़ा बिनने के लिये केवल ४३ लूम चालू हैं ?

(५) क्या बनारस सेण्ट्रल जेल से लगी क़रीब १०० एकड़ उपजाऊ ज़मीन सिचाई का प्रबन्ध न होने के कारण बेकार पड़ी रहती है ?

(६) क्या इस जेल से सिचाई का प्रबन्ध करने के लिये कोई इस्टीमेट आया है, यदि हाँ, तो उस पर क्या हुआ ?

माननीय मादक-कर सचिव (श्री गिरधारीलाल)—

१. बनारस के सेण्ट्रल और जिला जेलों में कैदियों की दैनिक औसत संख्या ९४९ और ५७६ है।

सन् १९४८ ई० में प्रत्येक कैदी को खिलाने का वार्षिक व्यय सेण्ट्रल जेल मे १८५ रू० १५ आ० १ पाई था और जिला जेल में १५८ रू० १ आ० था।

२. निगरानी पर सेण्ट्रल जेल में १,१५,६७१ रु० और जिला जेल में ३६,७२७ रु० व्यय होता है।

३. पिछले वर्ष व्यवसाय से सेन्ट्रल जेल मे ८३१५ रु० और जिला जेल में १५२ रू० का लाभ हुआ।

४. इस समय बनारस सेण्ट्रल जेल में ४८ करघे चालू हैं।

५. जी हाँ, पर ऐसी भूमि केवल ८० एकड़ है।

६. अभी ऐसा कोई इस्टीमेट सरकार के पास नहीं आया है परन्तु एक इस्टीमेट इन्सपेक्टर जनरल ने इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर के पास भेजा है और उनसे यह प्रार्थना की है कि उसकी तुरन्त जाँच के बाद लौटा दें।

बनारस व गोरखपुर में चने का विक्रय

*५८. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) बनारस व गोरखपुर के रीजनल फूड कंट्रोलर ने कितने हज़ार मन चना बेचने का टेण्डर माँगा था ?

(ख) यह चना उक्त अधिकारी को कब व किस कार्य के लिये दिया गया था ?

(ग) यह चना किस भाव से खरीदा व बेंचा गया ?

माननीय अन्न सचिव—(क) सन् १९४७ ई० का ३८३७६ मन चना नीलाम किया गया था।

(ख) यह स्टाक अक्तूबर से दिसम्बर १९४८ ई० तक आस्टेरिटी प्राविज़निंग स्कीम के अन्तर्गत बनारस रीजन के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वितरण के लिये दिया गया था।

(ग) खरीदने का भाव ८ रु० ३ आना, बिक्री का भाव प्रति मन ११ रु० से ११ रु० ४ आना तक था।

*५९. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बनारस के कोआपरेटिव फेडरेशन ने लगभग ४,००० मन चना १ रु० का ३ सेर ११ छटाँक के भाव से विश्वेसरगंज के बनिया को गत मास बेंचा ?

माननीय अन्न सचिव—१९९५ मन ३४ सेर ७ छटाँक चना रुपये का ३ सेर ११ छटाँक के भाव से विश्वेसरगंज के दो व्यापारियों के हाथ बेचा गया था।

बनारस में बिजली की सप्लाई

*६०. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बनारस की मारटिन इलेक्ट्रिक कम्पनी के पास सन् १९४६ ई० में कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये व कितने को बिजली दी गई ? इसी प्रकार सन् १९४७—४८ व १९४८—४९ ई० में कितने प्रार्थना-पत्र मिले व कितने को बिजली दी गई ?

(ख) अब तक कितनी अर्जियाँ कम्पनी के दफ्तर में पड़ी हैं ?

(ग) बिजली देने के क्या-क्या नियम हैं ?

श्री लताफ़त हुसैन—माननीय सदस्य द्वारा मागी हुई सूचना नीचे दी जाती है।

साल	बनारस की मार्टिन इलैक्ट्रिक कम्पनी के पास कनेक्शनों के लिये दी गई कुल अर्जियों की कुल गिनती	दिये गये कनेक्शनों की कुल गिनती
१९४६	३६३३	५१०
१९४७	१७६५	४८२
१९४८	४३७६	७१०
१९४९ (मार्च ३०, १९४९ तक)	८२२	२८४

(ख) इस समय कम्पनी के पास तक़रीबन ६००० अर्ज़ियां हैं।

(ग) मौजूदा तरीक़े के मुताबिक़ रोशनी पंखों या घरेलू मशीनों के लिये मांगी जाने वाली बिजली की दरख्वास्तों पर बिजली कैम्पनियाँ वग़ैर सरकार को हवाला दिए हुए उसी सिलसिले से कार्यवाही करती हैं। जिस सिलसिले से वे दरख्वास्तें कम्पनियों को मिलती हैं।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को नीचे लिखे हुए मामलों में तरजीह (Priority) के साथ बिजली देने के अधिकार दे दिए गए हैं :—

(१) सरकारी दफ़्तरों और संस्थाओं के लिये।

(२) और दूसरी मंजूर शुदा पब्लिक की जमातों के लिये जैसे स्कूल, कालेज, अस्पताल, लाइब्रेरी, दवाख़ाने, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिर्जाघरों के लिये।

(३) रहने के लिये नई बनी हुई उन इमारतों के लिये जिनसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की राय में मकानों की माग में कमी होने की उम्मीद हो।

(४) उन जगहों में घरेलू मशीनों के लिये जहाँ रोशनी और पंखों के लिये बिजली पहले से ही मिल रही हो।

इण्डस्ट्री और खेती के कामों के लिये बिजली इण्डस्ट्री विभाग या ऐग्रीकल्चर विभाग की सिफारिश पर मंजूर की जाती है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या इन प्रार्थना-पत्रों में स्कूल और कालेज भी शामिल हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहिम)—जी हाँ, शामिल हैं।

बनारस में प्रौढ़ शिक्षा

*६१. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—बनारस में प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये कितनी पाठशालायें कार्य कर रही हैं और इस सम्बन्ध में सन् १९४७—४८ ई० में कितना व्यय हुआ है ?

श्री महफ़ूज़ुर्रमान—बनारस ज़िले में प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये ४५ पाठशालायें हैं। इस सम्बन्ध में सन् १९४७—४८ ई० में १४२२२ रु० व्यय हुआ है।

बनारस शहर में बाढ़ पीड़ा

*६२. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत वर्ष के बाढ़ में बनारस शहर में कितने मकान गिरे ?

श्री चरण सिंह—गत वर्ष की बाढ़ में बनारस में लगभग एक सहस्र घर गिर गये, दो सहस्र घरों को घोर क्षति पहुँची और लगभग चार सहस्र घरों को अल्प क्षति पहुँची।

*६३. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि घसियारी टोला मुहल्ले के कितने मकान गिरे हैं, कितने को सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह—बनारस में घसियारी टोला मुहल्ला में लगभग ५० मकान गिर गये। गीता ज्ञान मन्दिर काशी की ओर से पाँच सहस्र रुपये बाटे गये।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि बाढ़ में गिरे हुए मकानों के बनाने के लिये सीमेंट वगैरह कंट्रोल रेट्स पर नहीं मिल रही है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है।

मैनपुरी की सहकारी समितियों में ग़बन तथा चुनाव सम्बन्धी शिकायतें

*६४. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि ज़िला कोआपरेटिव सोसाइटी, मैनपुरी के कुछ सुपरवाइज़र्स या आर्गनाइज़र्स के सन् १९४६—४७ व १९४७—४८ तथा १९४८—४९ ई० के हिसाबों की आडिट रिपोर्टों में गंभीर ग़बन के अभियोग लगाये गये है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ, सन् १९४६—४७ और १९४७—४८ ई० में समितियों के आडिट करने पर कुछ अभियोग प्राप्त हुए थे। सन् १९४८—४९ ई० का एकाउण्ट अभी आडिट नहीं किया गया है अतः उस वर्ष का कोई विवरण प्राप्त नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—यह ग़बन कितने रुपयों का पाया जाता है ?

माननीय उद्योग सचिव—इसके बारे में अभी ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई हज़ार रुपयों का ग़बन है।

श्री बादशाह गुप्त—यह सन् १९४८—४९ ई० का एकाउण्ट जो आपने कहा है कि अभी तक आडिट नहीं हो पाया है, यह कब तक की रिपोर्ट है ?

माननीय उद्योग सचिव—मैंने तो ५ मार्च तक की बात आप से कही है।

*६५. श्री बादशाह गुप्त—ये अभियोग किन-किन के विरुद्ध लगाये गये हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—(अ) श्री बाबूराम दीक्षित, सुपरवाइज़र सहकारी संस्था।
(ब) श्री विवेकानन्द दूबे, ,, ,, ,,
(स) श्री शिशुपाल सिंह (मृत), ,, ,, ,,
(द) सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के कुछ अस्थाई कर्मचारी।

*६६. श्री बादशाह गुप्त—क्या इनमें से किन्हीं के कागज़ात की जांच पुलिस इन्स्पेक्टर, मैनपुरी के द्वारा भी कराई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुलिस रिपोर्ट की एक कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां, रिपोर्ट की कापी जन-सुरक्षा के हित में प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

श्री बादशाह गुप्त—यह पुलिस इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट क्या सरकार ने देखी है?

माननीय उद्योग सचिव—जी, हाँ। वह तो देखी जाती है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या इस रिपोर्ट से ग़बन की ताईद होती है?

माननीय उद्योग सचिव—इसके बारे में सरकार इस वक्त कोई बयान करना मुनासिब नहीं समझती।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि श्री विवेकानन्द और बाबूरामजी ने अभी तक अपना चार्ज नहीं दिया है?

माननीय उद्योग सचिव—जवाब में तो यह कहा गया है कि वे मुअत्तिल कर दिये गये हैं।

श्री बादशाह गुप्त—अभी तक इन लोगों ने अपना-अपना चार्ज दिया है या नहीं?

माननीय उद्योग सचिव—अभी उन लोगों से जवाब तलब किया गया है और उनमें से कुछ लोग मिलते नहीं हैं और जब तक उनके जवाब न आ जायँगे तब तक ज़ाब्ता की कोई कार्रवाई करने में दिक़्क़त है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री विवेकानन्द मफ़रूर हो गए हैं?

माननीय उद्योग सचिव—इसका जवाब तो मैंने अभी दिया है कि कुछ लोग मिल नहीं रहे हैं।

श्री बादशाह गुप्त—उनकी मफ़रूरी की हालत में और उनका उत्तर या एक्स्प्लेनेशन न मिलने पर सरकार क्या रास्ता अपनाने का इरादा करती है?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार मुनासिब ढंग अख़्तियार कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस मामले में कामयाब हो जायगी। इस मामले में जो अभियुक्त लोग हैं और उनके ऊपर जो अभियोग हैं उन्हें जनहित में यह मुनासिब नहीं है कि भवन के सामने उनका इज़हार किया जाय।

*६७. श्री बादशाह गुप्त—इस पुलिस इन्स्पेक्टर के समकालीन ज़िला कोआपरेटिव आफिसर कौन हैं उनकी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में क्या है?

माननीय उद्योग सचिव—श्री रामबिहारी शुक्ल उस समय डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफ़िसर थे। उन्होंने श्री बाबूराम दीक्षित और विवेकानन्द पर अभियोग लगाये जिनको मुअत्तल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफ़िसर की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि सुपरवाइज़रों ने अपना उत्तर नहीं दिया है।

*६८. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर, मैनपुरी को कपड़े की रिटेलरी का लाइसेंस सन् १६४८–४६ ई० से मिला हुआ है और वह इस काम को कर भी रहा है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ।

*६६. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी में एक राष्ट्रीय सहकारी संघ स्थित है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ।

*७०. श्री बादशाह गुप्त—क्या इस संघ के चुनाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत ज़िला कोआपरेटिव आफ़िसर, मैनपुरी के पास की गई है ? यदि हाँ, तो यह शिकायत कब की गई ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ। शिकायत जनवरी २६, १६४६ ई० को की गई।

*७१. श्री बादशाह गुप्त—क्या ज़िला कोआपरेटिव आफ़िसर ने उक्त चुनाव के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार कृपा कर उक्त रिपोर्ट की एक नक़ल मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां, रिपोर्ट ५ मार्च, सन् १६४६ ई० को भेजी गई। रिपोर्ट मेज पर नहीं रक्खी जा सकती क्योंकि यह मामला अभी न्यायालय के आधीन है।

श्री बादशाह गुप्त—यह मामला किस न्यायालय के विचाराधीन है ?

माननीय उद्योग सचिव—जो न्यायालय मुनासिब है।

ज़िला विकास बोर्ड मैनपुरी तथा उसका खर्चा

*७२. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज़िला विकास बोर्ड मैनपुरी के अध्यक्ष वहाँ के ज़िलाधीश सन् १६४८-४६ में कब से कब तक रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—मार्च ३१,१६४८ से जनवरी ३०,१६४६ तक।

*७३. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ज़िलाधीश के बजाय उसने किन सज्जन को उक्त पद पर नियुक्त किया है और यह नियुक्ति कब और क्यों की गई ?

माननीय उद्योग सचिव—श्री दम्मी लाल पांडे, जनवरी ३१,१६४६ से। ये ज़िला ग्राम सुधार के भूतपूर्व चेयरमैन थे। ये कृषि कार्य और ग्राम-उद्योग में अधिक योग्यता रखते हैं और जिला सुधार कार्यों में शुरू से हाथ बटाते रहे। ये मैनपुरी ज़िले के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि इन सज्जन की नियुक्ति के पूर्व ही उनके विरुद्ध ऐसे अभियोगों की दरख्वास्तें आई थीं वह बहुत बीमार रहते हैं और काम करने के लायक़ नहीं हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—मुझे तो ऐसे अभियोग की सूचना नहीं है और दूसरे बीमारी कोई अभियोग नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—इस रिपोर्ट का आधार सरकार के पास क्या है कि वह एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—माननीय सदस्य और उनके साथियों की रिपोर्ट और वही उनकी समर्थक हैं।

*७४. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार निम्नलिखित नक्शे के रूप में बतलाने की कृपा करेगी कि ज़िला विकास बोर्ड मैनपुरी ने शुरू दिसम्बर सन् १९४८ से आख़िरी जनवरी सन् १९४९ ई० तक कितना रुपया किस काम के लिए और किसको दिया है ?

नक़्शा

१	२	३	४	५	६
नाम उन सज्जन का जिनको रुपया दिया गया है	उनका पूरा पता	उनकी हैसियत लगान माल-गुजारी आदि सम्बन्धी क्या है	कितना रुपया दिया गया	किस काम के लिये दिया गया	संबंधित सज्जन दलित-वर्ग के हैं या नहीं

माननीय उद्योग सचिव—नक़्शा मेम्बर की मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

*७५—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने इस रुपए के बांटने के सम्बन्ध में कोई हिदायत दलित या पिछड़े वर्गों के पक्ष में दी थी ? यदि हाँ, तो क्या ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ। दलित वर्ग को पानी पीने के कुओं के लिये कुल लागत का आधा हिस्सा सरकारी सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी तरह गलियों तथा ग्रामों के सड़क, पुलियाँ इत्यादि बनाने में लागत का तिहाई हिस्सा सरकारी अनुदान दिया जाता है किन्तु जिला विकास बोर्ड हरिजन बस्तियों में लागत का आधा हिस्सा तक सरकारी अनुदान के रूप में दे सकता है।

*७६. श्री बादशाह गुप्त—इस रुपये की सहायता पाने का प्रार्थना-पत्र देने के लिये जनता को सूचना देने का कौन सा साधन व्यवहार में लाया गया था ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकारी अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र भेजने की सूचना ग्राम-सुधार विभाग के ग्राम और सरकिल आर्गनाइजर तथा सहकारी विभाग के सुपरवाईजर तथा इन्सपेक्टरों द्वारा जनता को दी जाती है।

बलरामपुर अस्पताल लखनऊ, के कर्मचारियों की लापरवाही

*७७. श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि स्थानीय बलरामपुर अस्पताल में एक जगह अभी नई सुपरिन्टेंडेंट की बनाई गई है ?

माननीय अर्थ सचिव—जी हां।

* ७८. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—इस स्थान पर कौन साहब नियुक्त किये गये हैं ?

माननीय अन्न सचिव—२६-७-४८, से २८-२-४६ तक इस पद पर डाक्टर हरीकृष्ण रस्तोगी ने कार्य किया तत्पश्चात १ मार्च १६४६ से डाक्टर देवनारायण शर्मा नियुक्त किए गए हैं।

*७६. **श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—इन सुपरिन्टेडेंट साहब के आने के पश्चात् अब तक कितने मरीज़ भर्ती हुए और ठीक इनके आने के पहिले उतने ही समय में कितने मरीज़ भर्ती हुए थे ?

माननीय अन्न सचिव—नये सुपरिटेंडेंट डाक्टर देवनारायण शर्मा के आने के पश्चात् १–३–४६ से ३१–५–४६ तक ७०८ मरीज अस्पताल में भरती हुए। इनके आने के ठीक पहले १–१२–४८ से २८–२–४६ तक ६६३ रोगी इस अस्पताल में भरती हुए थे।

*८०. **श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पान सिह नामक राजनैतिक पीड़ित मरीज की मृत्यु इस अस्पताल में किस प्रकार से हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि पान सिह के आंतो का आपरेशन सर्जन चोधरी साहब ने किया और आपरेशन करने के पश्चात् दो घंटे तक ठीक उसी हालत में आत को खुला छोड़ा और अपने विद्यार्थियो को उस प्रयोग को समझाते रहे जिसमे उनकी मृत्यु हो गई ?

माननीय अन्न सचिव—यह सूचना मिली है कि पान सिह राजनैतिक पीड़ित नहीं था। इसकी मृत्यु आपरेशन के ३६ घंटे के पश्चात हृदय की धड़कन बन्द हो जाने के कारण हुई थी।

(ख) जी नहीं ! आपरेशन आंतों का नहीं था, जिगर की रसौली निकालने का था। पेट खोलने पर मालूम हुआ कि रसौली मैलाइग्नेंट (Malignant) है इस लिए पेट तुरन्त ही बन्द कर दिया गया। इसमें केवल २० मिनट लगे। आपरेशन के बीच में विद्यार्थियों को प्रयोग समझाने वाली बात असत्य है।

*८१. **श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या यह सही है कि श्री पूरनचन्द राजनैतिक पीड़ित रोगी अल्मोड़ा के रहने वाले इस अस्पताल में एक साल से बीमार हैं ?

माननीय अन्न सचिव—जी हा।

*८२. **श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या श्री पूरनचन्द ने अस्पताल के प्रबन्ध की शिकायत डाइरेक्टर मेडिकल विभाग के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं। प्रश्न का द्वारा भाग नहीं उठता।

*८३. **श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या बलरामपुर अस्पताल के प्रबन्ध और डाक्टरों की लापरवाही की दूसरी शिकायतें भी सरकार के पास पहुँची हैं ?

माननीय अन्न सचिव—अभी हाल में दो-तीन शिकायतें आई थी। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उनमें कोई तथ्य नहीं था।

फ़ैजाबाद के हवालाती क़ैदी

*८४. **श्री राजाराम मिश्र**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समय फ़ैज़ाबाद ज़िला जेल के अन्दर कुल हवालाती क़ैदियो की संख्या कितनी है ? उनमें से

कितने काबिल जमानत अपराधों में और कितने बिला ज़मानती अपराधों में हवालात में हैं और वे वहां कितने समय से रह रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—पहली अप्रैल सन् १९४९ ई० को फ़ैज़ाबाद ज़िला जेल में कुल ३५४ हवालाती कैदी थे जिनमें ३४ ऐसे जुर्मों के सम्बन्ध में थे जो जमानत के क़ाबिल हैं, शेष बिना ज़मानती अपराधों के हवालाती थे। कुल अभियुक्तों में से १०१ तीन माह से अधिक हवालात में थे और शेष २५३, तीन माह से कम के थे, सब से पुराना कैदी हवालाती ५-१-४८ से हवालात में है।

*८५. **श्री राजा राम मिश्र**—क्या यह सही है कि हवालाती क़ैदियों की वृद्धि के सम्बन्ध में विशेष कारण यह है कि अदालतों में उनके मुक़दमे बहुत अरसे से चल रहे हैं, परन्तु मुक़दमों का फैसला नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मुक़दमों के जल्दी फैसला किये जाने का उपयुक्त प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह—यह पूर्णतया सही नहीं है कि हवालाती क़ैदियों की वृद्धि के सम्बन्ध में विशेष कारण यह है कि अदालतों में उनके मुकद में बहुत अरसे से चल रहे हैं और मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता है। मुकदमों के मुलजिमों की तादाद में भी काफी वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में हवालातियों की तादाद भी बढ़ी है। मुकदमों में देर होने से भी कुछ बढ़ती हुई है। इस देरी का मुख्य कारण गवाहों के नियत तारीख पर न आने और पहचान की कार्यवाही में सब गवाहों के न आने से अधिक समय लगता है। अभी हाल में सरकार ने मुकदमों को जल्दी फैसला करने के सम्बन्ध में कुछ आदेश जारी किये हैं।

श्री राजाराम मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आज कल गवाहों का नियत समय पर अदालतों में न आने का कारण पुलिस अधिकारियों का मुक़दमों पर ध्यान कम देना है ?

श्री चरणसिंह—ऐसी तो कोई वजह नहीं है ;

श्री राजाराम मिश्र—तो इसका क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री चरणसिंह—एक कारण तो यही है कि पुलिस वालों को यह हिदायत है कि मार पीट कर गवाह पैदा न किये जायँ।

श्री राजाराम मिश्र—सरकार ने मुक़दमों को जल्द फ़ैसला करने के सम्बन्ध में कौन सा आदेश जारी किया है ?

श्री चरणसिंह—सरकार ने अपने ऊँचे अधिकारियों की एक समिति बनाई है। उसकी रिपोर्ट आगई है और उस पर विचार हो रहा है। इसके अलावा ठीक समय पर कोर्ट आने के सम्बन्ध में और इसी क़िस्म के और अहकाम जारी किये गये हैं।

फैजाबाद में मिट्टी के तेल का वितरण

*८६. **श्री राजाराम मिश्र**—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि फ़ैज़ाबाद ज़िले में कुल कितना मिट्टी का तेल आता है ?

(ख) उसमें से कितना देहाती क्षेत्र में और कितना शहरी क्षेत्र में बाँटा जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि देहात में जो तेल विभिन्न हल्कों में दिया जाता है वह उस हल्के की जन-संख्या के अनुपात से नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

माननीय अन्न सचिव—(क) फैजाबाद जिले में प्रति मास ७, ६०० मिट्टी के तेल के पीपे आते हैं।

(ख) उनमें से ५, ३०० पीपे देहाती क्षेत्र में और बाकी २, ६०० पीपे शहरी क्षेत्र में बाँटा जाता है।

(ग) जी नहीं। देहाती क्षेत्र में बाँटने के लिये जो मिट्टी का तेल विभिन्न हल्कों को दिया जाता है वह जन-संख्या के अनुपात से दिया जाता है। हल्कों का कोटा प्रति परिवार को आधी बोतल प्रति मास के आधार पर है।

श्री राजाराम मिश्र—क्या देहाती रकबे में और शहरी रकबे में तेल का अनुपात आबादी के हिसाब से लगाया जाता है ?

माननीय अन्न सचिव—जी, नहीं।

फैजाबाद जिले में चीनी की चोरबाज़ारी

*८७. श्री राजाराम मिश्र—(क) क्या यह सही है कि फैज़ाबाद जिले के मिल्कीपुर थाने के अन्दर बवां क़स्बे के एक चीनी के लाइसेंसी की ६ बोरा के लगभग शक्कर सन् १६४७ ई० में अगस्त या सितम्बर महीने में चोर बाज़ारी में जाती हुई पकड़ी गयी ?

(ख) उस शक्कर के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की और सप्लाई मोहकमे ने क्या किया ?

माननीय अन्न सचिव—(क) जी हां। ४ जुलाई सन् १६४७ में लगभग ८ बोरी चीनी ३ बैलगाड़ियों से जाते हुये पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी।

(ख) पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की। इस बीच में चीनी पर से कन्ट्रोल उठ गया और यह भी सन्देह था कि वह चीनी बिकने के लिये जा रही थी। इस कारण जिलाधीश की आज्ञानुसार जो लोग पकड़े गये थे उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया गया। सप्लाई विभाग ने उस दुकानदार का जिसके यहां से वह चीनी जा रही थी, लाइसेन्स रद्द कर दिया।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलायेगी कि आया वह चीनी ज़ब्त कर ली गई या लाइसेन्सदार को वापिस कर दी गई ?

माननीय अन्न सचिव—चीनी के बारे में यह शक किया गया कि वह बिकने के लिये जा रही है या वैसे जा रही है। इसलिये वह चीनी छीनी नहीं गई।

*८८—६०. श्री बलभद्र सिंह—[स्थगित किये गये।]

शक्कर की उपज में कमी

*६१. श्री बशीर अहमद अंसारी—क्या यह सही है कि शक्कर की पैदावार रोज़-बरोज़ घट रही है।

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं।

*६२. श्री बशीर अहमद अंसारी—अगर सही है तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट यह बतायेगी कि सन् १६४६–४७, १६४७–४८ व १६४८–४६ ई० में इसकी पैदावार क्या थी ?

मानन्नीय उद्योग सचिव—प्रश्न उठता ही नहीं।

धामपुर, ज़िला बिजनौर, के शुगर मिल पर काश्तकारों का कर्ज़ा

*६३. श्री बशीर अहमद अंसारी—(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि धामपुर ज़िला बिजनौर के शुगर मिल पर पिछले साल का कितना क़र्ज़ा काश्तकारों का बाकी रहा? उसमें से कितना दिया गया और अब कितना बाक़ी है?

(ख) सन् १६४६ ई० में ख़रीदारी गन्ने के वक़्त से लेकर अब तक कितने का गन्ना ख़रीदा गया और उसमें से अब कितना रुपया बाक़ी रहा?

माननीय उद्योग सचिव—(क) धामपुर मिल पर पहली नवम्बर सन् १६४८ को पिछले साल का ८,४५,५५७ रुपये ६ आने ६ पाई गन्ने के मूल्य के तौर पर काश्तकारों का बाकी था। इसमें से ७,८५,१३५ रु० १५ आ० ६ पाई का भुगतान कर दिया गया है और ६०,४२१ रु० ७ आने बाक़ी हैं।

(ख) १६४८ और ४६ के सीज़न में मिल ने ३३,६०,०४२ रु० का गन्ना ख़रीदा जिसमें से ३२,८०,०१० रु० १ आ० का भुगतान कर दिया गया है और ८०,०३१ रु० १५ आ० बाक़ी है।

श्री बशीर अहमद अंसारी—मिल वाले जो गन्ना उधार लेते हैं तो ऐसे कब तक चलेगा?

माननीय उद्योग सचिव—यह तो चलता ही रहता है। केन सोसाइटीज़ के ज़रिये गन्ना ख़रीदा जाता है और उनके दाम आमतौर पर दे दिया जाता था। मगर इस वक़्त रुपये की कमी के कारण यह बक़ाया रह गया है।

*६४. श्री बशीर अहमद अंसारी—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि ऐसी कितनी मिलें हैं जिन्होंने १६४८ का रुपया १६४६ में अदा किया है?

माननीय उद्योग सचिव—लगभग सभी मिलों ने सन् १६४८ के गन्ने की कीमत के बक़ाया रुपये का भुगतान सन् १६४६ में किया।

मैनपुरी ज़िला बोर्ड की सब कमेटियों की समाप्ति

*६५. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन विभाग के दिनांक २३ सितम्बर, सन् १६४८ ई० की विज्ञप्ति संख्या ४०३३/६—५३४/४८ के द्वारा सरकार ने मैनपुरी ज़िला बोर्ड की किन किन सब—कमेटियों को समाप्त कर दिया था और इस विज्ञप्ति के अनुसार उसकी कार्यकारिणी कमेटी के कौन-कौन सदस्य बहाल रह गये थे?

माननीय स्वशासन सचिव—विज्ञप्ति संख्या ४०३/६—५३४/४८, दिनांक २३ सितम्बर सन् १६४८ ई० व्यापक प्रभाव की वस्तु थी। किसी बोर्ड विशेष के सम्बन्ध में नहीं। उसके द्वारा पिछली विज्ञप्ति संख्या ३४६८/६—५३४/४८, दिनांक २४ जून, सन् १६४८ का संशोधन किया गया था जिसके फलस्वरूप डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कार्यकारिणी समिति के उन पाँच सदस्यों की सूची में जो दिनांक २४ जून सन् १६४८ की विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित की गई थी, परिवर्तन किया गया था। पहली विज्ञप्ति द्वारा सरकार ने पाँच कमेटियों की एक सूची इस उद्देश्य से प्रकाशित की थी कि उनके प्रेसीडेण्ट बोर्ड की कार्यकारिणी

समिति के सदस्य होंगे। पश्चात् दिनांक २३ सितम्बर सन् १९४८ की विज्ञप्ति द्वारा इस सूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये—

१. "जन स्वास्थ्य तथा सफ़ाई कमेटी" का नाम बदलकर "जन स्वास्थ्य कमेटी" कर दिया गया।

२. दो कमेटियों—चिकित्सा कमेटी तथा अर्थ कमेटी को सूची से निकाल दिया गया और उनके स्थान पर दो कमेटियों की नामजदगी बोर्ड की सिफ़ारिश पर छोड़ दी गई इस विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में उपर्युक्त दो कमेटियों के प्रेसीडेएटों के अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य यथा पूर्व स्थित रहे।

वाहन विभाग का राष्ट्रीयकरण

*९६. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार की नीति वाहन विभाग के धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की है? यदि हां, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अनुमान से पूरे प्रान्त में इस विभाग के राष्ट्रीयकरण करने में कितने वर्ष लगेंगे?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार ने राष्ट्रीयकरण पर अनुसंधान करने के लिये एक ऐडहाक कमेटी बैठाई है जो कि सरकार को सलाह देगी कि राष्ट्रीयकरण को कौन सा रूप दिया जाय और इस योजना की पूर्ति किस प्रकार हो, इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार यह तै करेगी कि राष्ट्रीयकरण कितने दिनों में पूरा किया जाय।

मैनपुरी के नोटीफ़ाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व

*९७. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि नोटीफ़ाइड एरिया, गोला बाज़ार, ज़िला मैनपुरी में जनता के चुने हुए कोई सदस्य नहीं होते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव—गोला बाज़ार कोई नोटिफ़ाइड एरिया नहीं है। यदि माननीय सदस्य का मतलब मैनपुरी सिविल स्टेशन से है तो यह बात ठीक है।

*९८. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की नीति स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत कुल नोटीफ़ाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व देने की है?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हाँ।

*९९. श्री बादशाह गुप्त—सरकार गोला बाज़ार नोटीफ़ाइड एरिया तथा अन्य नोटीफ़ाइड एरियाओं की इस कमी को कब दूर करने जा रही है?

माननीय स्वशासन सचिव—सरकार का विचार मैनपुरी सिविल स्टेशन व अन्य ऐसी नोटीफ़ाइड एरियाओं को समीपवर्ती म्यूनिसिपैलिटियों में शीघ्र ही मिला देने का है और ऐसा हो जाने पर इन क्षेत्रों का प्रबन्ध जनता के सदस्य करेंगे।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न दूसरे दिन की कार्यवाही में रख दिये गये।)

सन् १९४९ ई० का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ×

माननीय स्पीकर—अब आज कार्यक्रम की दूसरी मद पर अर्थात् माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव और श्री जगन्नाथबख्श सिंह के संशोधन पर विचार जारी होगा।

※ श्री निज़ामुद्दीन—जनाब स्पीकर साहब, पिछली बैठक में मैं उस तरीके के मुताल्लिक अर्ज़ कर रहा था जो कांग्रेस बेन्च से और सोशलिस्ट मेम्बरों की तरफ से जमीदारों के मुताल्लिक और जमींदारी को खत्म करने के मुताल्लिक इजहार किया गया था। मैंने अर्ज़ किया था कि हकीकतन जमीदारी का खात्मा हो चुका है, हो नहीं रहा है और सिर्फ इस वक्त जो काम है वह उस वाकया को कानूनी सूरत में लेकर एक तहरीर में कौम के सामने पेश करना है। इस मौके पर जब एक ग्रूप, क्लास या फिर्के का कानूनी खात्मा हो रहा है गाली और बुराई से याद करना किसी तरह इस ऐवान की नौअइयत और रुतबे के जो हम लोग बहैसियत मेम्बरान के रखते हैं, मुनासिब और शायाने शान नहीं है। जमीदारी एक वक्त की जरूरत के मातहत पैदा हुई थी। उन्होंने अपने मौके और वक्त के लिहाज से मुल्क और कौम की खिदमत की थी। आज इस सूबे में और इस सूबे के बाहर मुल्क में जो यूनीवर्सिटियां और अस्पताल वगैरह हैं वह जमींदारों द्वारा की गयी खिदमत के जिन्दा और जीते जागते नमूने हैं।

बाकी रहा यह कि 'हक', 'इन्सान' ये लफ्ज जो इस्तेमाल किये जाते हैं, मेरे नज़दीक हर वक्त और हर मौके पर मुख्तलिफ माने रखते हैं और आज की हकीकतन अमली दुनिया में ये बेमानी लफ्ज हैं। इनका अगर वजूद है तो सिर्फ डिक्शनरी और लुगद में है। यह इन्साफ था और कानून के मुताबिक था कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्जा किया। यह इन्साफ था कि मज़बूत और ताकतवर ने कमजोर को अपने मकासिद, अपने कवायद और अपने अगराज के लिये इस्तेमाल किया। यह भी इन्साफ था कि अगर कोई शख्स एक मकान खाली करके सफर के लिये चला गया तो उस मकान का अलाटमेंट कानून के मातहत दूसरे को दे दिया गया। कानून और इन्साफ में यह हमेशा रहा और आज भी है। काश्तकारों ने जो अपना गल्ला और अनाज पैदा किया उसे अनएकानामिक और ग़ैर इक्तसादी कीमत में कानून के मातहत लिया गया। यह भी इन्साफ था कि सूरजवंशी और चन्द्रवंशी महाराजाओं के राज्यों पर कब्जा किया गया और यह भी इन्साफ है कि जमीदारी का खात्मा किया गया। इस वक्त जब राय आम्मा इस पर मुतफिक है कि जमीदारी को खत्म किया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि दरिया के बहाव को झाड़ू से नहीं रोका जा सकता है। जब राय आम्मा की यह ख्वाहिश है कि हुकूमत के कब्जे में वे तमाम अख्तियारात आयें जो पहले जमीदारों के हाथ में थे तो उसे हकीकी और वाकई समझकर जमींदारों को अपने आप ऐसा करना चाहिये कि मौजूदा निजाम को बरकरार रखते हुये वह जिन्दा रह सकें। यह कहना कि हकूक और इन्साफ के मुताबिक यह ठीक नहीं है, अपने आप को और मुल्क को धोखा देना है। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि किस तरीके से और कैसे इस पर अमल किया जा सकता है। मेरे नज़दीक बिल जिस सूरत में पेश किया

× ७ जुलाई को प्रस्तुत किया गया।

※ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निहालुद्दीन]

गया है उसमें बहुत कुछ तरमीम की जानी चाहिये और इस तरह से तरमीम की जाय कि कम से कम वे मकासिद और अगराज़ जिनके लिये बिल बनाया गया है पूरा किया जा सके।

बिल के दो टुकड़े हैं। अव्वल, जमींदारी का खात्मा करना और दूसरे एक नये और जदीद इन्तजाम का पैदा करना, जो उन लोगों के हुकूक का एतराज करे और तायुयुन करे जिन्हें जमीन के ऊपर कब्जा और दखल मिला है। ये दोनों जुज अपनी-अपनी जगह पर अलग हैं। पहला जुज, जमींदारी खत्म करने के मुताल्लिक है और वह वक्ती होगा। जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुमकिन है एक साल में उसका तखमीना हो जाय और यह कानून बेकार हो जाय। दूसरा जुज कानून का है जो दवामी और इस्तमरारी है। ये दोनों कानून मेरे नज़दीक अलग-अलग सूरत में आना चाहिये था और तुऐयन और मखसूस दफात दोनों अलग-अलग होना चाहिये। इन दो मुख्तलिफ जुजों को एक ही बिल में पेश किया गया है। इसका नतीजा यह होगा कि कुछ सालो के बाद यह बेकार हो जायेगा और उसके लिये रिपीलिंग (रद्द करने वाला) ऐक्ट लाना पड़ेगा।

दूसरा जुज जैसा कि मैंने अर्ज किया, दवामी और इस्तमरारी है। वह इसमें अलहिदा होना चाहिये। मैंने उन लोगों से, जिन्होंने इसे ड्राफ्ट किया था या जिनको इसकी वाकफ़ियत थी उनसे मिलकर इस बात की कोशिश की कि यह बिल किन हालात में ड्राफ्ट किया गया। मुझे बताया गया कि बावजूद कोशिश के जैसा कि मैंने ऊपर बताया उस तरीके से बिल को ड्राफ्ट करना मुमकिन न था। मेरे नज़दीक सैलेक्ट कमेटी में जाने पर एक बार और कोशिश की जाय और इस बिल को दो टुकड़ों में लाकर पेश किया जाय। आबजैक्टस और रीज़न्स (उद्देश्य और कारण) जो बिल के आख़िर में दिये गये हैं उनमें चन्द मसविदा कानून और पेश करने की ओर इशारा किया गया है एक कर्जे के बारे में और दूसरा दीगर ज़मीनों के मुताल्लिक। मेरे नज़दीक और दोनों जुज अलहिदा अलहिदा आना चाहिये और यह भी किया जाय कि जो बिल और आने वाले हैं उनको भी इसके साथ सैलेक्ट कमेटी के सामने रक्खा जाय। जहाँ तक बिल के टैकनिक (कला) का सवाल है उसके दो जुज होते हैं एक हुकूक के तऐयुन की तारीफ़ का जिसे सब्सटेंटिव लॉ (अलहदा कानून) कहते हैं और दूसरा हुकूक के निफ़ाज़ का जिसे प्रासीजरल लॉ कहते हैं। बिल के अन्दर ज़रूर यह कोशिश की गई है कि सब्स्टेन्टिव लॉ ऐक्ट की सूरत में इस भवन के सामने पेश किया जाय। जहाँ तक प्रासीजर और जाब्ते का ताल्लुक है बिल में इस तरह की दफात दी गई हैं कि कायदे गवर्नमेन्ट बाद को बनायेगी और उन्हीं रूल्स के मातहत उन हुकूक का फैसला हो जो इस ऐक्ट के मातहत पैदा हों। मुझे हमेशा इस पर ऐतराज़ है कि इस किस्म के अख्तियारात ऐक्ज़ीक्यूटिव (कार्य-कारिणी) या ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रबंध कारिणी) को दिये जायं। यह जायज़ हक़ किसी लेजिस्लेचर का ही है कि वह सब्सटेन्टिव लॉ बनाये। यह ज़रूर है कि ऐक्ट के आखिर की दफ़ात में यह दिया गया है कि रूल्स जो ऐक्ज़ीक्यूटिव बनायें या कैबीनेट या उसके मातहत अफ़सर लोग बनायें वे इस भवन के सामने बग़रज़ गौर के रखे जावेंगे। यह चीज़ दूसरी है और कानून का बनाना दूसरा। इसके मानी यह हैं कि अख्तियारात कैबिनेट या ऐक्ज़ीक्युटिव को होंगे लेकिन जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रखने के लिये वह हमारे सामने

मेरा ख्याल है कि इसमें [illegible] हैं एक यह कि जहाँ तक इन्साफ का ताल्लुक है वह दो टुकड़ों में हमारे सामने आना चाहिये। दूसरा यह कि कानून बनाने के कुछ अख्तियारात इस भवन को होना चाहिये।

अब बाकी एक बात जो इस बिल के मुताल्लिक कहनी है वह असरात और पालिसी की है। जैसा कि मैंने अर्ज किया जमींदारी खत्म की जाय लेकिन इसलिये नहीं कि यह हक और इन्साफ है लेकिन इसलिये कि वह जबान और तमाम मुल्क की ख्वाहिश है कि जमींदारी खत्म की जाय बिला लिहाज इसके लिये कि उसके असरात क्या होंगे। बाकी यह बात रही कि जब इसने यह तय कर लिया तो जमींदारों को इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन (उचित मुआवजा) दिया जाय। अब सवाल यह है कि कम्पेन्सेशन जिसे इक्वीटेबिल कहा जाता है आप कैसे तय करेंगे कि वह इक्विटेबिल है भी कि नहीं। आनरेबिल वज़ीर साहब ने फरमाया कि इक्विटी किसी मुअइयन कानून के मातहत नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि अब वह लार्ड इल्डन का ज़माना नहीं है जब इक्विटी बदलती रहती थी। इक्विटी (औचित्य) के जो प्रिंसिपल्स (सिद्धान्त) हैं वह न सिर्फ इस सूबा में बल्कि हर एक मुल्क में कानून के साथ तस्लीम किये जा सकते हैं। इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन क्या है उसके लिये इस सूबे में खुद कवानीन मौजूद हैं। लैंड ऐक्वीज़ीशन के मातहत जब ज़मीनें ली जाती हैं तो उसके लिये एक स्टैंडर्ड मौजूद है और वही इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन कहलाता है। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ केसेज़ हाईकोर्ट में पहुँचे और उनमें जो तय किया गया वह है कि उस चीज़ को, कि जो गवर्नमेंट अक्वायर करे बिला मर्ज़ी मालिक की, वह कीमत होनी चाहिये जो बाज़ारी कीमत हो या यूटिलिटी या तसर्रुफ के लिहाज से जो उसकी कीमत मुअइयन हो। बाकी उसके ऊपर १५ फ़ीसदी उस कीमत के और मुआवज़ा दिया जाता है। अब क्या इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन होगा उसके मुताल्लिक मेरे नज़दीक सिलेक्ट कमेटी में और इस भवन में तरमीम करना पड़ेगा। तरमीम इस बुनियाद पर करना पड़ेगा कि इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन वह मुआविजा है जो बाज़ारी कीमत उस जायदाद की जो ली जा रही हो मुकर्रर की जाय ख्वाह बाज जगह वह २४ गुना होगी कहीं ३३ गुना होगा और कहीं ५२ गुना होगी। इसका मियार कि इक्वीटेबिल कीमत एक जायदाद की क्या है इंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के शेड्यूल में आपको जगह बजगह मिलेगी लेकिन वह इस काबिल नहीं है कि उसको आप कुलियतन तसलीम कर लें। क्योंकि वह कीमत उस ज़माने में मुकर्रर की गयी थी जब सिक्के की तब्दीली और सिक्के का मियार उससे मुख्तलिफ था जो इस वक्त है। मगर रहबरी और हिदायत के लिए इंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट मुफ़ीद और कारामद हो सकता है। बिल के अन्दर चन्द बइएन नुक्स और मौजूद हैं मिसाल के तौर में चेरिटेबिल इंडोमेंट ख्वाह वह वक्फ हों या हिन्दू एंडोमेंट्स हों उसके मुताल्लिक दफात निहायत मुबहम, गर वाज़िब और किसी उसूल के मातहत नहीं हैं। इसके बाद बिल में कुछ इन्तकाल जो एक तारीख मुअइयन से हो चुके हैं उन्हें नाजायज करार दिया गया है। या खरीदार को बिल के आने के वक्त या इससे पहले मालूम नहीं था मैं जो अपना रुपया जायदाद पर लगा रहा हूँ, वह बयककलम और बयकवक्त बेकार हो जायगा। फर्ज कीजिये किसी ने एक लाख रुपये की जायदाद खरीदी।

[श्री निहालुद्दीन]
यह हक किसी तरह सूबे की सरकार को पैदा नहीं होता कि वह जायदाद और उसके मुआहिदे को अदम कानूनी करार दे। मेरे नजदीक सिलेक्ट कमेटी से इन दफ़ात को आप को निकालना पड़ेगा। अगर आप ने नहीं निकाला तो वह आदमी जिसकी खता और कसूर सिर्फ़ यह है कि जब जमीदारों से आम बेजारी और नाराजगी है तो वह जमींदार बन गया। उसने एक जायदाद खरीद ली। इसके बाद बिल के अन्दर दफ़ात इस किस्म की रक्खी हैं जिस में जमीदारी यह बिल आइन्दा ऐक्ट बन कर खत्म कर रहा है। उसे वह जमीन जो रहनदारों या ठेकेदारों के कब्जे में है वह वापस हो सकती है यह निहायत महदूद की जाती है मेरे नज़दीक यह दफ़ात तरमीम करना पड़ेगी। जो जमीनें रेहनदार या ठेकेदार के कब्जे में है, उसमें अगर कोई खुदकाश्त या सीर है तो कुल जमीन वापस मिलना चाहिये। और कम से कम एक मोका उसे यह हो कि वह खुद अपनी काश्त कर सके। इन अल्फ़ाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाय और पबलिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट न किया जाय।

श्री अलगूराय शास्त्री—माननीय स्पीकर महोदय, जो प्रस्ताव प्रधान मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है कि यह बिल प्रवर समिति के सामने भेजा जाय मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। श्री राजा जगन्नाथबख़्श सिंह जी ने यह संशोधन किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रकाशित और वितरित किया जाय। मैं उसका विरोध करता हूँ। जितने वादे कांग्रेस ने इस देश के किसानों के सामने किये, जितना पानी गंगा में अब तक बह गया है, इस प्रश्न पर उसको देखते हुए इस पर कार्य करने में कोई विलम्ब न होना चाहिए। मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ जब मेरे मित्र फख़रुल इस्लाम साहब ने यह कहा कि जो जाँच समिति की रिपोर्ट है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाय। जो इस पर धन खर्च किया गया और जो परिश्रम किया गया, वह सब बेकार हुआ। मुझे हैरानी हुई कि किस तरह एक आदमी थोड़ा भी न्याय और बुद्धि रखनेवाला ऐसी बात कर सकता है। जाँच समिति की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी जाय तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं बिना किसी अतिशयोक्ति, मुबालगे और इक्ज़ेजरेशन के कह सकता हूँ कि इसको कृषक और उसकी समस्याओं का विश्वकोष कहा जा सकता है। जितनी बातें किसानों के सम्बन्ध की हैं और उसकी जो प्राबलेम हैं उनका इसमें उल्लेख है इसे किसानों की एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। जितनी मेहनत की गई है और जितने आँकड़े इसमें रक्खे गये हैं जितनी जानकारी एक विद्यार्थी को इन समस्याओं के सम्बन्ध में कहीं एक जगह आसानी के साथ मिल सकती है वह सब जानकारी जिस पुस्तक के अन्दर उपलब्ध होती है, उसके सम्बन्ध में भवन के एक प्रतिष्ठित सदस्य का ऐसा कहना कोई तर्क की बात नहीं है। हम एक चीज़ का विरोध करते हैं तो उसमें दोष ही देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र का इसको ऐसा कहना ठीक नहीं है।

उस रिपोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है और यदि मैं कह सकूँ तो यह कहना चाहूँगा, जैसा हम पढ़ते हैं कि ६२० ई० में सोलन ने अपने रिफ़ार्म के सम्बन्ध में कहा था, आज उसी के शब्दों को हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री और हमारी जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में घोषित किया है। सोलन ने क्या कहा था? वे शब्द ये हैं।

Those who on this earth suffered cruel servitude and trembled before a master, them have I set free.

(इस धरा पर जिन्होंने कठोर अन्याचार सहे हैं, जो अपने स्वामी के सामने काँप उठते थे, उन्हें मैंने स्वतंत्र और बन्धन मुक्त किया है।)

उसने कहा था। यह परिस्थिति थी पुराने ग्रीस और रोम की जहाँ की जनता पर सम्भ्रान्त परिवार के लोग शासन करते थे। उनके हाथ में सारी ज़मीनें थीं, सर्फ़ और स्लेव्ज उनके खेतों में काम करते थे। उनके लिये सुधार की आवश्यकता हुई, क्रान्तियाँ हुई, रक्त क्रान्तियां हुईं। उन क्रान्तियों में लोगों के सर कटते थे। उन क्रान्तियों और विद्रोहों के परिणाम पर ६२० में सोलन ने जो कहा था आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने उन्हीं शब्दों को गर्व के साथ विनय के भाव से कहा। यदि उस कान को देखा जाय तो उसमें भी वही ध्वनि निकलती है कि जो सदियों गुलाम रहे हैं, जिनके खेत बेरहमी से बेदखल कराये गये हैं, जो अपने जानवरों के लिये एक नाद गाड़ने पर भी पीटे जाते थे, जो एक पेड़ लगाने पर भी अपने खेतों से बेदखल कर दिये जाते थे, खास करके अवध में, आज वही आज़ाद होने जा रहे हैं। अब उनके वहाँ जमीन्दार के कारिन्दे मालगुजारी वसूल करने के लिये जाकर ज़्यादती नहीं करेंगे। एथेन्स और स्पार्टा की बात वहाँ पर नहीं होने पावेगी। वहाँ पर मज़दूर जब जमीन्दारों के सामने जाते थे तो काँप जाते थे और नृशंसता और निर्दयता और दासता का जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ पर ऐसे कितने थे जिनको आज़ादी मिली थी। स्पार्टा में दो लाख पचास हजार सर्फ़ और स्लेव्ज थे। वे वहाँ के बड़े बड़े ज़मींन्दारों के खेतों पर जाकर काम करते थे। केवल दो लाख पचास हजार आदमियों को ही वहाँ आज़ादी मिली थी लेकिन हमारे यहाँ जिनको आज़ादी मिलने जा रही है उनकी तादाद ५, ६ करोड़ की आबादी में ८४ फ़ीसदी है। हमारे सूबे की इतनी ज़्यादा तादाद है जो ग्रीस और रोम के आबादी की तीन गुनी चौगुनी तक हो जाती है। इतने ज़्यादा लोगों को हम आज आज़ाद करने जा रहे हैं और वह भी विनयपूर्वक। महीनों के मेहनत के बाद आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आँकड़े आपके सामने हैं। सब कुछ होते हुए भी आप कहते हैं कि इसकी क्या कीमत है इसको रद्दी की टोकरी में डाल दो। मैंने एक किताब में पढ़ा है मुर्गे के सामने मोती डालने से क्या फायदा। इसके सामने ज्वार दो। मुर्गे के सामने मोती बिखेर देने से उसका मूल्य वह नहीं आँक सकता है, उसके लिये उसका कोई मूल्य नहीं है। 'कहा भयो दिनकर विभव, देख्यो जो न उलूक।' वही हालत आपकी भी है। सोलन के शब्दों में हमने उन्हीं को आज़ाद किया है जो सदियों से गुलाम थे, परेशान थे। इस बिल में उनकी आज़ादी घोषित की गई है जो दूसरों के हल जोतते थे। इस बिल में उनको स्वतंत्र बनाया गया है जो दूसरों के पानी भरते रहे हैं। इस बिल में उनको अधिकार दिया गया है जिन्होंने सदियों से अपनी आज़ादी को समझा नहीं था। जो हरी बेगारी और दुनिया भर के अत्याचारों से त्रस्त और पीड़ित थे उनके बन्धन को खोल दिया गया है और उस बन्धन के खोलने की सारी घोषणा इस जाँच समिति की रिपोर्ट में आ गई है। जाँच समिति की रिपोर्ट ऐतिहासिक विकास क्रम से आई है, एकाएक नहीं आई है। किसानों

[श्री अलगूराय शास्त्री]
की समस्या एक जटिल समस्या इस देश में रही है। उसके लिये नारे लगते थे। खेरे का सत्याग्रह हुआ, चम्पारन और मुजफ्फरपुर के किसानों की जो दुर्गति थी उसके लिये सत्याग्रह हुआ।

सन् १९२० में गांधी जी का आन्दोलन चला, अवध के इलाके में बाबा रामचन्द्र का आन्दोलन चला और आपको मालूम है कि सन् १९३०–३१ के आन्दोलन के बाद इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन चला जिसके संचालक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टन्डन और टी० ए० के० शेरवानी इनकी अरेस्टस हुईं। इन आन्दोलनों में हम किसानों को आजाद कराने के लिये बार-बार घोषणा किया करते थे। कांग्रेस की अग्रेरियन कमेटी मुकर्रर हुई। उसने जांच की और किसानों की समस्याओं को देखा। लार्ड लिनलिथगो का ऐग्रीकलचर कमीशन बैठा। उसने किसानों की समस्याओं की जांच की। उसने देखा कि यहां के किसान दरिद्र हैं और ऋण से तबाह हैं। होल्डिङ्ग्ज छोटी-छोटी हैं। कमाते किसान हैं और खाते दूसरे हैं। इन सारी समस्याओं को हमने देखा और देश की मांग थी कि उन समस्याओं को हम हल करें। हमारे कुछ भाइयों ने, मैंने देखा जिनमें बेगम एजाज रसूल साहिबा भी हैं, रिपोर्ट से अपनी असहमति प्रकट की। माननीय लारी साहब ने अपनी असहमति प्रकट की है। मैं देखता हूं कि एक ही चीज बराबर उन दोनों के दिमाग में काम कर रही है। वे दोनों ही एक ओर से इस बात को समझते हैं कि केवल राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही यह सारा का सारा बिल हमारे सामने पेश हुआ है। यह बेगम एजाज रसूल साहिबा का खास तौर से ख्याल है कि जमीदार तबके को कांग्रेस के लोग गद्दार मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं और यह समझ कर ही यह बिल पेश किया गया है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई भी समझदार आदमी इस भावना से प्रेरित होकर इस काम को कर रहा है। हम इतिहास के साथ विश्वासघात करेंगे यदि हम यह समझें कि हम इस भावना को जमीदारों के प्रति अपने हृदय में रखेंगे कि चाहे छोटा हो या बड़ा सब के सब जमींदार देशद्रोही रहे हैं। जिन्होंने मिसेज एनी बेसेण्ट की 'हाऊ इण्डिया फ़ाट फार फ्रीडम (भारतवर्ष ने कैसे अपनी स्वाधीनता का संग्राम चलाया) नामक पुस्तक या पटाभि सीतारमैया का कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है वह यह जानते हैं कि सन् १८८४ में अद्यार में कांग्रेस का जन्म हुआ जहां ७२ आदमी इकट्ठे हुये थे। इन ७२ आदमियों के एकत्र होने का फल था कि कांग्रेस का जन्म हुआ। यह वही कांग्रेस थी जिसने विदेशी हुकूमत से लोहा लिया जो अपने साथ हजारों खराबियां लेकर आई थी, रोमन साम्राज्य से जिसने साम्राज्यवादी प्रथा को सीखा था और जिसने आकर वह बला हमारे मत्थे मढ़ दी थी उस हुकूमत से यहाँ के लोग परेशान हो उठे। सन् १८८५ की कांग्रेस वही कांग्रेस थी जो अजीमुश्शान बनी। अद्यार नदी के किनारे जो कांग्रेस एक छोटी नदी के समान थी वह कांग्रेस बम्बई में आकर विशाल सागर की तरह फैल गई कि अंग्रेजों के होशहवाश उड़ने लगे कि न जाने यह जनसंस्था क्या कर देगी? उसी वक्त से उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश हुई। तीसरा सेशन इलाहाबाद में होने वाला था और तत्कालीन गवर्नर ने अड़ंगे लगाये और कोई जमीन कांग्रेस सेशन

करने के लिये नहीं मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त म अवध के एक ताल्लुकेदार थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिये जमीन दी थी उस हुकूमत को मिटाने के लिये जिसने नवाब वाजिदअली शाह को तबाह किया था जिसने सिराजुद्दौला को तबाह किया था और जिसने कि हमारे टीपू सुल्तान को तबाह किया था, जिस हुकूमत ने ये क़हर यहा बरपा किये थे उसको मिटाने के लिये अवध के ही एक ताल्लुकेदार ने जमीन दी थी। इस जमीन का कोई जर्रा नहीं था जो तैयार न हो कि इस हुकूमत को खत्म किया जाय। तो यह डेमोक्रेट की बात कैसे हो सकती है। स्वार्थ की बात तो हो सकती है। यदि मुझे आज पाच सौ रुपये मिलते हैं तो मुझे ६ सौ रुपये चाहिये। सभी अपने वर्गस्वार्थों के लिये लड़ते हैं। वर्गस्वार्थों की लड़ाई हमेशा संसार में रही है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में अग्रेरियन मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ने से पता चलता है कि किस तरह से अग्रेरियन मूवमेंट वर्ल्ड भर में चला है? आप आयरलैंड का अग्रेरियन मूवमेंट पढ़ लें। आयरलैंड में अग्रेरियन मूवमेंट की शक्ल यह थी कि अमीर आदमी अपने पैसों के बल पर गरीब किसानों की जमीन ले लेना चाहते थे। खूनी क्रांतियां हुई। यह तो एक शक्ल थी अग्रेरियन मूवमेंट की और दूसरी तरफ सूदखोर जमीन को किसानों से ले लेना चाहते थे। तुर्किस्तान और खुर्दिस्तान में जो अग्रेरियन मूवमेंट की शक्ल थी वह यह थी कि वहां सूदखोर किसानों की जमीन छीन लेना चाहते थे। आरमीनियों के विरुद्ध खुर्दिस्तान में और तुर्किस्तान के किसान लोग लड़े और वहा के आन्दोलन को चलाया। यह आदोलन इस्लामी शरियत में सूद के विरुद्ध जो भावना है उसके कारण एक धार्मिक आदोलन बन गया था। अमेरिका में जो अग्रेरियन ट्रबुल हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि वहा जो टैक्सेशन लगने जा रहा था, उस टैक्सेशन की पालिसी किसानों के खिलाफ पड़ती थी। उसका लाभ वहा के पूंजीपतियों को पहुँचता था। इसलिये वहा के किसानों ने उसकी मुखालफत की थी। सन् १६३६ ई० में अमेरिका के व्यपारियों का एक कमीशन कायम हुआ कि किस तरह से ऐग्रीकलचरल रिफार्म किये जायं और किस तरह से झगड़े कम हों। अगर आज हम २५ रुपया मालगुजारी वाले जमीदार को भी मिटाना चाहते हैं तो उसकी वजह यही है कि वह प्रथा नाकिस है और उसके अन्दर दोप भरे हुए है चाहे बरैइया छोटी ही हो लेकिन डंक उसके अन्दर भी रहता है और उस जहर को मिटाना लाजिमी है। उस जहर को हम बिलकुल ही खतम करना चाहते हैं। अगर साप का बच्चा कितना ही छोटा हो लेकिन उसके अन्दर विष भरा रहता है। उसमें सोशल इन्टरेस्ट नहीं रहता है। जमीदारी से सोसाइटी को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। उसका एक वेस्टेड इन्टरेस्ट रहता है उसकी वजह से वह एक निकम्मेपन की शक्ल हासिल करती है जिसके जरिये से फिर मुसीबत पैदा हो सकती है। यही वजह है कि जिससे हम इसको मिटाना चाहते हैं चाहे वह कोई छोटा जमीदार हो या कोई बड़ा जमींदार हो। चाहे कोई २५ रुपये का मालगुजार ही क्यों न हो किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे देशद्रोही हैं। छोटे छोटे जमीदारों के गाज़ीपुर, बलिया और आजमगढ़ में हजारों और सैकड़ों गाँव जला दिये गये। १८५७ में हमारे यहाँ की ठाकुरों की जायदाद दुबारी और लोहरा में ज़ब्त की गई यह सब देशद्रोही नहीं थे। यह सब उच्च कोटि के देश भक्त थे। मैं बेगम एजाज रसूल को यक़ीन

[श्री अलगूराय शास्त्री]

दिलाना चाहता हूँ कि आज जो यह बिल लाया गया है यह इसलिये नहीं लाया गया है कि हमारे दिल में कोई किसी तरह का बुग्ज़ है। आप के किसी आदमी ने हमारे खिलाफ गवाही दी या किसी कमिश्नर से मिल कर कुछ और खिलाफ कार्यवाही करा दी इस लिये हम यह कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत बात है। हम उन सब बातों को नज़रअन्दाज करते हैं। हमारे आन्दोलनों की मुखालफत की गई और भी बहुत तरह से हमारी मुखालफत की गई लेकिन हम किसी बात को भी लेकर ज़मींदारी को मिटाने नहीं जा रहे हैं और न हमारे दिल में कोई किसी तरह का द्वेष है। चूंकि यह तो अमीर और गरीब का सवाल है और सदियों से करोड़ों आदमी गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे थे हम उनको इस गुलामी की जिन्दगी से निकालना चाहते हैं और सोसाइटी का इन्तजाम ठीक तरह से करना चाहते हैं। पहले जमाने में हम यह जानते हैं कि ज़मीदारों ने जो भी किया वह एक विशेष परिस्थिति के अन्दर ही ऐसा किया। इसलिये आपको देशद्रोह क़रार देकर हम यह कानून बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर लारी साहब के या बेगम साहब के दिल में कोई इस तरह की बात हो तो वह फिजूल सी चीज़ है। लारी साहब की बात तो मैं राजनीति की मान सकता हूँ लेकिन बेगम साहब को मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे दिल में किसी तरह का कोई बुग्ज़ नहीं है। गान्धी जी दुनियां से चले गये लेकिन उनके आइडिया आज भी हमारे सामने हैं और उन आइडियाज़ पर बराबर चलने की कोशिश करते आये हैं। हम आज जो कुछ भी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं उसका आधार जस्टिस है, इक्विटी है और न्याय है। और उससे प्रजा का हित होता है, हम यह जानते हैं कि जिसका आधार सत्यता पर नहीं होता है वह चीज़ चल नहीं सकती। हम जो कुछ भी आज करने जा रहे हैं वह जनता के लाभ के लिये है किसी एक आदमी का लाभ उसके अन्दर नहीं है। "त्यजेदेकं कुलस्यार्थे", यह उसूल हमारे सामने है। किसी एक के फायदे के लिये हम यह नहीं कर रहे हैं। हम तो एक आदमी के इण्टरेस्ट से इस चीज़ को हटाकर पूरे गाँव की सेवा करना चाहते हैं। यक़ीनन हम पूरे गाँव का इण्टरेस्ट देखते हैं किसी एक इंडिविजुअल का इण्टरेस्ट हम नहीं देख रहे हैं और अगर गाँव का इण्टरेस्ट हटा कर हम पूरे सूबे और जिले का इंटेरेस्ट कर सकते हैं तो उसको कर देंगे, और अगर एक पूरे सूबे को कुर्बान कर सकते हैं मुल्क के लिये तो कर देंगे। इससे कौमें जिन्दा रहती हैं। अंग्रेजों ने जो हमारे मुल्क के साथ किया वह इस वजह से कि उनके सामने कम्यूनिटी लाइफ थी, लार्जर इंटेरेस्ट था। तो आया हम लार्जर इंटेरेस्ट में करने जा रहे हैं या नहीं, इसको अनालाइज़ करना होगा। इसकी तरफ आप तवज्जह करें। आंकड़े हमने देखे कि १.९९ प्रतिशत जिनकी आबादी इस सूबे में है उनके पास ५७.७७ प्रतिशत जमीन पड़ी हुई है और बाकी लोगों के पास ४२.२३ प्रतिशत! मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी समझ में मुनासिब मालूम होता है कि जो यह डिक्लेअर्ड पालिसी है, दुनिया के सब अर्थशास्त्रियों ने यह बात एक स्वर से मानी है कि लैंड इज़ दि सोर्स आव आल वैल्थ, ज़मीन सारी सम्पत्तियों की आधार है। यह संसार भर के अर्थशास्त्रियों ने और राजनीतिज्ञों ने माना है। मेरे भाई विश्वम्भर दयाल जी मुझे याद दिला रहे हैं कि "रत्न गर्भा वसुन्धरा"। यह भूमि

रत्नों को धारण करने वाली है। वसुधा, वसु सारे प्रकार की सम्पत्ति-धन का नाम है। जिस भूमि का यह रूप है, जो सोर्स आव आल वेल्थ है, आप समझते हैं कि वह किसी इंडिविजुअल की जायदाद बना दी जाय? किसी व्यक्ति विशेष की जायदाद बना दी जाय कि जिससे सारी सम्पत्ति पैदा होती है? जिसमें खेत हैं, पानी है, पानी में कमल है, पानी के बीच में मछली हैं। जितने उद्योग धंधे हैं सारे ज़मीन पर आश्रित हैं। बड़ी बड़ी मिलें जमीन की छाती पर खड़ी होती हैं। अगर लकड़ी का कारखाना है तो जमीन पर ही रख कर आरे से लकड़ी चीरी जाती है। यदि जूट का कारखाना है तो खेतों से ही जूट वहां जाता है। इसी प्रकार कपास और सब चीज़ें तो खेत से ही जाती हैं। तो आखिरश जो सब चीजों की मां हैं जिस पर सारी प्रजा आश्रित है, अवलम्बित है वह किसी एक की जायदाद कैसे हो सकती है? "न अस्माकं ज्येष्ठा सो न कनिष्ठा रुद्रः पिता अदितिर्माता" ऋग्वेद में इतने वेदमन्त्र मिलते हैं, हम में न कोई लहुरा है, न जेठा है, न कोई बड़ा है न छोटा है।" इस्लामी मसावियात की तो आप खूब दाद देते हैं, जरा इस मसावियात को भी देख लीजिये। ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो संसार में मिलती है लिखी हुई, वह ऋग्वेद है, वह इसका परिचय देता है "न अस्माकं ज्येष्ठा सो न कनिष्ठा सः रुद्रः पिता अदितिर्माता" सारी मानवता में न कोई छोटा है, न बड़ा। यह बड़े-बड़े ताल्लुकेदार, यह अदना अकवाम, जो आपने भेद बनाये हैं यह ईश्वर के बनाये हुये नहीं हैं, यह आदमी के बनाये हुये हैं। इनको न मिटाया जाय? एक तरफ तो घी की गगरी ढरक रही हो और दूसरी तरफ होली और दीवाली के त्योहार भी सूने ही रह जांय! इसमें शक नहीं हो सकता है कि यह जो स्ट्रगिल है;एकानामिक स्ट्रगिल लेबर स्ट्रगिल की बातें तो राजाराम बताते हैं। मैं क्या कहूँ स्पीकर साहब, राजाराम पहले बोल लिये होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो अग्रेरियन मूवमेंट की जो शक्ल मैंने बताई वह इस वजह से कि लड़ाई है। लेबर मूवमेंट में यह चीज बहुत सफाई से दिखलाई जाती है मार्क्स ने बतलाया कि यह स्ट्रगिल और झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि लेबर, जो श्रमिक है वह मेहनत करता है। मेहनत का जो घंटा है उसके दो हिस्से होते हैं। अगर एक रेखा 'अ' से लेकर 'स' तक खींच दी जाय तो उसके मध्य में 'द' बिन्दु तक, श्रमिक का अनिवार्य श्रम समय, कम से कम छः घंटे का दुनिया में माना गया है कि इतने घंटे लेबर को काम करना ही पड़ेगा, ताकि मशीनों के टूटने और घिसने, जो मजदूर खाता पीता है, तथा जो कच्चा माल लगता है उसका मूल्य निकल आये। इसके लिये अनिवार्य हैं कि 'अ' से 'द' तक पहुंचना ही पड़ेगा। लड़ाई 'अ' से 'द' तक पहुंचने की नहीं है। लड़ाई तो तब होती है जब वह 'अ' से 'स' तक हांकना चाहता है। बैल को हमने भूसा दिया, खली दी, पानी पिलाया और अब हल में जोतना शुरू कर दिया। और उस वक्त तक जोतते हैं, जब तक कि वह परुआ कर बैठ न जाय। बैठने के बाद भी करामात की जाती है। एड लगाते है, पूंछ मरोड़ते हैं, नथुने में पानी डालते हैं, कितनी ही तरकीबें की जाती हैं। यह लेबर स्ट्रगिल का इतिहास है। जब पूंजीपति चाहते हैं कि 'अ' से 'स' तक वह जाय, वहां लेबर चाहता है कि 'द' की बुनियाद से भी पीछे चला जाय तो अच्छा होगा। वह सेबोटेज तक आ गया है, स्ट्राइक तक आ गया है। आखिर उसने शेखचिल्ली की तरह से कहा कि न काम करेंगे और न काम करने देंगे। स्ट्राइक

[श्री अलगूराय शास्त्री]

पुरानी चीज है। शेखचिल्ली की किताब आपने पढ़ी होगी। काजी साहब से जब समझौता हो गया तो दस्तखत कर दिये। 'बस्ता ले जाना होगा', उन्होंने कहा कि ले जायेंगे। बस्ते की किताबें निकाल कर रख दीं, और उसमें लतरे जूते और ईंटे वगैरह भरकर पहुँचा दिया। बरख्वास्त हो नहीं सकता था! अहमक, ईडियट कह लीजिये। जो लेबर स्ट्रगिल है उसमें यह शक्ल पैदा हो गयी। अब जमींदार क्या चाहता है? जमींदार यह चाहता है कि किसान हमारे लिये कमाता रहे और खाने को कुछ न दें। हमारे यहां चोटा देते हैं। इतनी बड़ी घरिया होती है, उसको चोटही घरिया कहते हैं। यह एक खास माप है। पहले तो शीरा कुछ अच्छा भी मिलता था, आज कल का शीरा तो पीने के बिल्कुल लायक नहीं होता। तो वही एक घरिया चोटा और एक चिखना बोलते हैं, वह देते हैं। मटर, चना अथवा कोई दूसरा मोटा अन्न कच्चा, इसलिये कि आंच भी लगने न पाये, ईंधन खराब न होने पाये। वह हल जोतता था लेकिन किसी को दया नहीं आयी कि उस आदमी का पेट भरता है या नहीं। एक अंगौछा और एक लंगोटी लगा रखी है। चमारिन भीग रही है पानी में लेकिन खेत पर उसका कभी कब्जा नहीं हुआ। हल जोतते हुये सदियां गुजर गईं, तीन पुश्त बीत गईं इस पर भी होता यह था कि वर्षों गुजर जाते थे और जैसा कि पंडित विशम्भर दयाल जी ने कहा था। मैं देखता था कि सौदे होते थे और बहुत ज्यादा नजराना उसको देना पड़ता था अन्यथा वह बेदखल हो जाता था। यह करुण शब्द मेरे कानों में आज तक गूंजते हैं। असाढ़ का महीना है और वह बेदखल हो रहे हैं। वह खेती में खाद नहीं डाल सकता मेंड़ नहीं बना सकता। उसका सब कुछ नजराने में चला जाता है। उसके अलावा उपज की क्या हालत है। एक एक्सपर्ट लिखता है कि सन् १९५१ तक ६२८६ हज़ार टन से ज्यादा घाटा होने का अनुमान किया है। जो इंगलैंड इंडस्ट्रियल कंट्री है वहां की पैदावार ३१.२ बुशल्स फी एकड़ है। पढ़े लिखे आदमी ने यह लिखा है। मधुमक्खी क्या करती है फूलों फूलों से रस लेकर ही तो शहद बनाती है। आपको तो बरैया का छत्ता ही प्यारा है। श्री चरण सिंह ने अपनी कमर तोड़ डाली। वहां की जैसी लाइफ़ है उसी चीज को वह देखता है और अपने अनुभव के आधार पर श्री अमीर रज़ा ने लेबर लगवा दी इसी का यह नतीजा है।

श्री फ़ज़्लुल इस्लाम—आपने ५० हज़ार रुपया नैनीताल में खत्म कर दिया।

श्री अलगूराय शास्त्री—अच्छा तो यह जो कूलर्स यहां पर लगा दिये हैं इनके आप खिलाफ हैं। ऐसी बात आप न कहें क्योंकि जनता यह समझेगी कि यह तो आग में बैठ कर काम करने को तैयार है हम ही को ठंडक चाहिये। ठंडक तो हर एक आदमी को चाहिये। इसलिये कूलर क्लाइमेंट की जरूरत है और काम भी ज्यादा और अच्छा होता है। इंगलैंड में लोग ज्यादा काम करते हैं। अगर ठंडी हवा मिल जाती है तो आप उसकी इस तरह से मुखालफत न करें!

मैं यह कहता हूँ कि इंगलैन्ड में ३१.२ बुशल्स फी एकड़ पैदावार होती है और ६० पौंड का एक बुशल होता है। इंगलिस्तान की पैदावार २५ मन फी बीघा के हिसाब से होती है। जो उद्योग प्रधान मुल्क हैं जहाँ पर जमीन के नीचे कोयला और लोहा है और जहां तरह तरह की मशीनें बनती हैं और लोहे का सामान बनता है और दुनिया भर से व्यापार होता है

उस मुल्क में २५ मन फी एकड़ पैदा होता है और वहां का यह औसत है। हमारे यहां का औसत इन्क्वायरी कमेटी ने निकाला था कि फी एकड़ १० मन पैदा होता है। यह वहां की बात है कि जहां का गैन्जेज़ प्लेन ब्रैज़ीलियन प्लेन के अलावा दुनिया में सब से ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। इटली का किसान लोहे से पत्थर को खोद कर उस में खाद डाल लेता है और नल के जरिए से पानी दे लेता है वहां बहुत तादाद में बढ़िया अंगूर पैदा होता है और इटेलियन मिर्च पैदा होती है। अगर आप चौधरी मुखतार सिंह की किताब "रूरल इंडिया" पढ़ेंगे तो आप को मालूम होगा कि उस में लिखा हुआ है कि यह मुल्क अपनी कुरीतियों की वजह से बरबाद हुआ और पैदावार मारी गई। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम इस मसले को पैदावार के लिहाज से देखें। हुजूर वाला, ५.४० अरब रुपया किसानों के ऊपर कर्जे का १९२१ में आंका गया था। यह सन् ३१ में ९, सन् ३५ में १५ और सन् ३७ में १८ अरब हो गया। यह कर्जा क्यों हुआ? यह एक एकनामिक स्ट्रगिल थी। होता क्या है? होता यह है कि अगर किसी खेत को चमरू जोत रहा है और अगर उस का लगान घुरहू ८ रुपये से १० रुपया कर देता है और नज़राना भी अगर १०० रुपए दे देता है और जो बछेड़ी उस के यहां है और जिस पर जमींदार के कारिन्दे की निगाह है, कि अगर मिल जायँ तो अच्छी सवारी होगी, बस इस लालच में चमरू मारा जाता है और घुरहू को जायद लगान और नजराने पर जमीन छीन कर दे दी जाती है। वहां इसी तरह के "घुरहू" जैसे नाम होते हैं। यहां तक कि मेरा नाम भी अलगू कर के छोड़ दिया गया। महज गरीबी की वजह से ऐसा हुआ है और गाँवों में अकसर इसी तरह के नाम होते हैं पहले जैसे राम और कृष्ण होते थे वह अब नहीं होते। उन के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि सन् ३४ से ४४ तक १ लाख १२ हजार से ज्यादा बेदखलियों के मुकदमे हुए और किसान खेतों से बेदखल किए गए। और इस तरह से लोग उजाड़े जाते रहे हैं और उन को डैज़रटेड विलेज कहना ठीक ही है। इस तरह से किसान बरबाद हुए। मुझे २ लाइन याद आ गईं जो किसान लोग गाया करते हैं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर डिप्टी स्पीकर श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डिप्टी स्पीकर—मुझे यह निवेदन करना है कि किसी बिल पर जब बहस होती है तो उसके लिए कोई समय सीमित नहीं किया जाता, और न मुझे कोई ऐसा अधिकार है लेकिन जो वक्ता साहब इस समय बोल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि भवन के बहुत से अन्य सदस्य भी अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, वह खुद जितना ही कम समय ले सकें उतना ही अच्छा होगा।

श्री अलगूराय शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो बेदखलियाँ १९३४-४४ तक हुई थीं उनके खेतों के निकल जाने के बाद उसके खर्चे और बकाया लगान के लिए किसानों को अपनी दूसरी चीजों से चुकता करना पड़ता था। नतीजा यह हुआ, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, किसानों की औरतें जो गाना गाया करती हैं उसको मैं अर्ज करना चाहता हूँ ताकि वह रिकार्ड में आ जाए:—

[श्री अलगूराय शास्त्री]

"अरे जमीदारन का राज, हमार बाजू बन्दा बिकाय गए। नथिया बिकाय गई, झुलनी बिकाय गई, तरकी बिआजतर आय। हमार बाजू बन्दा बिकाय गए।"

हिन्दुओं के यहाँ यह स्त्री-धन है और उसे बिकना नहीं चाहिए। यही कारण है जिससे इस प्रकार का लोगो पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आपने कहा मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस भवन के माननीय सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रगट करना चाहते हैं किन्तु जितनी अहमियत और जितने महत्व का यह प्रश्न है उसको सामने रखते हुए और खास तौर से छोटे-छोटे जमीदारों की बहुत बड़ी तादाद इस सूबे में है सबके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि जानबूझकर राजनैतिक दृष्टि और दूसरे कारणों, विद्वेष भावना, से कांग्रेसी सरकार उन्हें तबाह कर रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन कारणों की विवेचना की जाए जिन कारणों से यह बिल सामने लाना पड़ा है। हेराल्ड मेनन ने दक्षिणी भारत के सम्बन्ध में बतलाया है कि जहाँ १७७१ में फी आदमी ४० एकड़ औसत आराजी थी वहाँ १९१५ में ७ एकड़ रह गयी और आज हमारे सूबे में औसत आराजी ढाई से सवा तीन एकड़ तक किसानों के पास रह गयी है। अगर ५ आदमियों का परिवार हो या ४ का औसत परिवार हो तो पौन एकड़ भी एक के पास नहीं पड़ती। यह सब है इसलिए कि यह जो प्रथा यहाँ चला दी गयी और थोड़े से हाथों में खेतों को रख दिया गया जिनका दृष्टिकोण यह था जैसा कि मैंने बतलाया कि अधिक से अधिक लाभ अपने वर्ग को पहुँचे दूसरा वर्ग चाहे तबाह हो जाए। उसी का यह नतीजा है।

अदब के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ज़मीदार भाई इस बात को सोचें कि यह एक कुप्रथा है जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है, पैदावार घटती जा रही है। जहाँ पैदावार १२४० लाख टन यहाँ थी, आज वह घटकर ८४ लाख टन हो गई है और यह घटती ही जा रही है। जो आँकड़े हैं उसके मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ६ छटाँक से ज़्यादा लोगों को खाने के लिये मिलना मुश्किल हो जायगा। कुल ज़मीन जो जोती जा सकती है उसमें से १७ प्रतिशत ऐसी है जो खेती के अयोग्य है, १९ प्रतिशत टोटल एकरेज जो खेती में लाई जा सकती है वह परती है या कुल ज़मीन का ३६ प्रतिशत हिस्सा आज जोता बोया नहीं जा रहा है। यह जोताई बोआई तभी की जा सकती है जब जोतने बोने वाले का उस पर अधिकार हो। यह माना हुआ सिद्धान्त है, आइने अकबरी में भी हमने पढ़ा है कि (land belongs to him who tills The land) (ज़मीन पर उसका अधिकार है जो उसको जोता बोता है)। प्राचीनतम समय में भी यही था कि जो भूमि जोतता है, उसे उपजाऊ और सजीव बनाता है, भूमि उसी की है।

श्री वीरेन्द्र शाहजी (राजा जगम्मनपुर)। ने कहा कि यह गलत है कि अंग्रेजों ने ज़मीदारी प्रथा को चलाया। मैं तो इसे ऐतिहासिक तथ्य मानता हूँ। चाणक्य के कौटिल्य अर्थ शास्त्र में ज़मीदारी प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, न आइने अकबरी में ही। हाल्ट मैकेंजी के १८१८ के नोट हैं, जिसके आधार पर १८२२ के रेग्युलेशन नं० ७ के द्वारा एक नई व्यवस्था पैदा कर दी गई जिससे कुछ मुट्ठी भर आदमियों द्वारा आसानी के साथ

लगान, मालगुजारी वसूल किया जा सके और बहुत से आदमियों के पास उसके लिये न जाना पड़े। इसी वजह से ज़मींदारी प्रथा यहाँ प्रचलित हुई जो हमारे सामने है। लार्ड मोरा के शब्द हैं, कि बिहार में, बंगाल, कानपुर और बनारस में हजारों वर्षों से खेती करनेवाले और उस पर अधिकार रखनेवाले उसको जोतने बोनेवाले जिस तरह से इस नई भूमि व्यवस्था के कारण रोने लगे चीखने लगे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

जिन लोगों ने यह प्रथा प्रचलित की थी उनके दिमाग में यह नक्शा नहीं था। परमानेंट सेटेलमेंट का रेग्युलेशन है उसमें दो शब्द हैं जो ध्यान देने के योग्य हैं।

The Governor-General-in-Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by public assessment being fixed permanently will exert themselves in the cultivation of their land.

(अपने सलाहकारों समेत गवर्नर जनरल यह आशा करते हैं कि जमीनों की साधारण तसखीस स्थायी रूप में नियत हो जाने से जमींदारों को जो लाभ हुआ है उस लाभ का ध्यान रख कर जमींदार लोग अपनी जमीनों को जोतने में परिश्रम करेंगे।)

यह उम्मीद की जाती थी कि जिन लोगों पर इतनी मेहरबानी की जा रही है और जिनको इस तरह से फायदा पहुँचाया जा रहा है, परमानेन्ट सेटेलमेंट करके, वे जमीन को जोतेगें, बोयेगें, उसके ऊपर अपनी शक्ति लगायेगें। क्या इसके शब्दों से यह मालूम नहीं होता है कि एक पर्मानेन्ट सैटिलमेंट दिया जा रहा था। जो जमीन की नई व्यवस्था कर रहे थे उनको इस बात का अहसास था वे इस बात को महसूस कर रहे थे कि वे उन जमीदारों पर अपार कृपा कर रहे हैं। वे उनको मुस्तफीद फ़रमा रहे हैं। जब वे यह समझ रहे थे और उन्हें यह मालूम था कि इससे पहिले उन्हें यह लाभ न था जिस समय यह लाभ सन् १८२२ में उन्हें दिया गया इससे पहिले यह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं था। जो अंग्रेज़ लेखक है उनके शब्दों से यह साबित हो जाता है कि राजा साहब जगम्मनपुर की धारणा ग़लत है। यह ताल्लुकदारी प्रथा इससे पहिले इस तरह की नहीं थी। लार्ड कैनिंग को ताल्लुकदारों से जो आशायें थीं वह भी इन लोगों से पूरी नहीं हुई। उस समय जो शब्द उन्होंने कहे थे वे इस प्रकार हैं:—

"The sanads are liable to be confiscated if they fail to promote the agricultural prosperity of their astates."

(यदि वे लोग अपने देश के कृषिविषयक ऐश्वर्य को उन्नत करने में असमर्थ रहे तो सनदें जब्त की जा सकती हैं।)

इन शब्दों के क्या मानी हैं। यह सनद और इस गारन्टी के क्या अर्थ हैं। राजा साहब को यह पता होना चाहिये कि लार्ड कैनिंग साहब का इसके मुतालिक क्या ख्याल था। उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह एक नई व्यवस्था हो रही थी, नया इनाम बांटा जा रहा था। तब यह कहना कि यह प्रथा पुरानी है, आज यह जो नई सरकार कांग्रेस की है यही सारे मजालिम ढा रही है, बिल्कुल नामुनासिब है। आज यह जो नई व्यवस्था हो रही है वह महज एक सोशल मूवमेंट है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिस व्यवस्था

[श्री अलगूराय शास्त्री]
में कमाने वाले को खाना मिल सके। ऐसा न हो कि कमाता कोई रहे और खाता रहे कोई और। किस तरह से यह नई व्यवस्था आई यह हमें समझना चाहिये। यदि जमीदारों के द्वारा देश की सम्पत्ति बढ़ाई गई होती तो ऐसा नहीं होता। सम्पत्ति तो बढ़ी नहीं घटी अवश्य। खेतों के नन्हें नन्हें टुकड़े हो गये जिसका नमूना इस जमीदारी कमेटी की रिपोर्ट की हरदोई ज़िले की एक तालिका में मिलता है। उसमें लिखा है कि ०'१८ एकड़ ज़मीन के भी टुकड़े किये गये। ०'०३ ०'३, ०'२ एकड़ ज़मीन के भी टुकड़े हुये हैं। इस तरह से होता रहा, असामियों को अपने कब्जे में रखने के लिये। एक ही खेत में से दूसरे को हिस्सा दे दिया जाता रहा। अगर दो भाई हैं एक का नाम रखा गया दूसरे का नहीं रखा गया। पटवारियों से मिल कर इस तरह की बहुत सी बातें कराई गईं। जो विदेशी हुकूमत थी उसने उत्पादक जनता को हटा दिया और जो सत्ताधारी लोग थे उनको ज़मीनें दे दीं। उसने इस देश के उद्योग धंधों को नष्ट किया और सारा बोझ खेती के ऊपर आ गया उसने सामूहिक धन संपत्ति को नष्ट किया और शरीरों को नष्ट किया नतीजा यह हुआ कि देश ग़रीब हो गया और जहां आस्ट्रेलिया में वहां की आमदनी का २२ प्रतिशत निर्माण के कामों पर खर्च किया जाता है वहां यहां की सरकार ६६ प्रतिशत खर्च करती है। यदि देश सम्पन्न होता और संपत्तिशाली होता तो यह बात नहीं होती। तब ज़मीदारी प्रथा को नष्ट होना ही चाहिये था। रोटी कपड़े का इन्तज़ाम यदि ठीक तरह से होता तो फिर कोई वजह या आवश्यकता नहीं थी कि इनको निकाला जाता। मगर एक बात है जैसा कि एक फ्रेंच राइटर का कहना है कि सरकार किसी की हो, मालिकों से ज़मीन का लेना उसका अधिकार है। पब्लिक यूटिलिटी के लिये जनता के हित के कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो सरकार किसी की जमीन ले सकती है। लैन्ड एक्वीज़ीशन ऐक्ट इसी बीमारी का इलाज है। सारी दुनिया में यह चीज़ प्रचलित है कि रेल के लिये, अस्पताल के लिये, स्कूलों के लिये और दूसरे जनहित के कार्यों के लिये ज़मीन ली जाती है। वही फ्रेंच आथर कहता है कि अगर जन हित के लिये भूमि का लिया जाना किसी राज्य का अधिकार है तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी और कपड़ा है। यह मैं मानता हूँ कि रेल जरूरी है और अस्पताल भी जरूरी है लेकिन अगर रेलगाड़ी न हो तो आदमी पैदल चल सकता है, अस्पताल न हो तो आदमी चार दिन बीमार रह सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि बिना खाये आदमी कितने दिन भूखा रह सकता है। इसीलिये फ्रेंच आथर लिखता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी और कपड़ा है। अगर रोटी और कपड़े की व्यवस्था के लिये ज़मीन का प्रबन्ध किसी नए ढंग से करना पड़े तो ऐसा करना सरकार का परम कर्तव्य है। इसी दृष्टि से मुख्तलिफ देशों में क्रांतियां हुई हैं। यहां पर जो कुछ हो रहा है उससे जमींदार भाइयों को भी संतोष होना चाहिये। उनको वह दृश्य देखने को नहीं मिला है जो दृश्य दूसरे देशों में देखने में आया है। मैंने सोलन का ज़िक्र किया था। वह बड़ी पुरानी चीज़ है। आप देखिये कि मगारा में क्या हुआ और समोस में क्या हुआ। वहाँ पर बड़े-बड़े अमीरों को लूट लिया गया और उनकी ज़मीनों पर ज़बर्दस्ती क़ब्ज़ा कर लिया गया। इसी तरह

आप देखिये कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या चीज़ उपस्थित करता है और रशन रेवोल्यूशन १९०५ क्या बतलाता है। इसी तरह तुरकिस्तान और अन्य देशों में क्रान्तियां हुई और वह इस लिये हुई कि वह भू-व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर भू-व्यवस्था करने जा रही है। भू-व्यवस्था चाहे लड़ कर कीजिये चाहे प्रेम से कीजिये परन्तु यह निश्चित है कि ज़मीन का एक सामाजिक वितरण होगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति बन कर एक आदमी के हाथ में न सारे कल कारखाने रह सकते हैं, न खानें रह सकती हैं और न सारे खेत रह सकते हैं। उनको कम्यूनिटी की प्रापर्टी होना ही पड़ेगा। जो मौजूदा बिल है मैं उसके मूल्य को समझता हूँ। सदियों के अत्याचार पीड़ित जनता को हम मुक्त करने जा रहे हैं। अगर यह बिल सर्वाङ्ग सुन्दर होता और चांद की तरह इसमें कोई कलंक भी होता जो इसके रुख्सार को खूबसूरत बना देता तब भी हम इसको स्वीकार कर लेते। मगर जब प्रधान मन्त्री ने यह उपस्थित किया कि यह सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय तो यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ खामियां हैं। कहीं बाल उड़ गये हैं कहीं बहुत बढ़ गये हैं इसलिये इसमें कहीं कैंची चलाना ही पड़ेगी कहीं कहीं बाल जमाने पड़ेंगे। प्रवर-कमेटी इसको देखेगी और अगर उसकी रेकमेंडेशन्स ज़्यादा मुनासिब होंगी तो उनको संशोधन के रूप में उपस्थित किया जायगा। यह प्रवर समिति के सामने जायेगा और कई तरीके से इसके अन्दर सुधार करने की कोशिश की जायेगी। दिसम्बर तक इसको टाले जाने की बात मेरे समझ में नहीं आई है। आखिर किस क्षति की सम्भावना करके राजा जगन्नाथ बख़्श सिंह इसको दिसम्बर तक टालना चाहते हैं। मौत मुअइयन है लेकिन सवाल यह है कि जिसको जाना ही है उसको रवाना कीजिये मगर हंसते हंसते। मर्द मैदां ऐसा ही किया करते हैं। आप यह देखिये कि जमींदारी की व्यवस्था की गई परन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि उस व्यवस्था ने ज़मींदारों का चरित्र नीचा कर दिया और उनके लड़कों को निकम्मा बना दिया। कुछ काम करने के बजाय वह केवल लुत्फ़ ज़िन्दगी लेते रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण यह था कि वहां पर एक अरिस्टोक्रैटिक क्लास पैदा होगया था जो परी देश में या पेरिस में रह कर आमोद प्रमोद किया करता था जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने विद्रोह किया। यदि इस बिल में ख़ामियाँ हैं तो प्रवर कमेटी उसको दूर करेगी। मौजूदा बिल में कम से कम किसानों की किस्में रखी गयी हैं। पहले जिन्स १ से १८ तक थे। हर रेवेन्यू अफ़सर को मुश्किल होती थी कि क्या करें, सारे चक्कर थे। अब पटवारी का बस्ता बन्द हो जाने वाला है। एक बड़ा आराम और रिलीफ़ हो जायगा। पटवारी खेतों के इन्दराज करने में काली स्याही से नाम दर्ज किया करते थे और उसके बाद सुर्ख से भी। दूसरे गवाही दोनों तरफ से दिया करते थे। जब पूछा जाता था कि यह क्या है सही इन्दराज कौन सा है तो कहते थे मैं पड़ताल करके आ रहा था यह रास्ते में मिल गए और कहा कि तुम्हारी जान मार डालेंगे मैंने इनका नाम काली स्याही से लिख दिया। बाद में सही इन्दराज लाल स्याही से दिया। ऐसा बयान पटवारी का होता रहा है। इस बिल के पास हो जाने पर इस किस्म की बातों की आवश्यकता न होगी। अभी यह ज़रूरी है आज हम देखते हैं जैसा कि गांडे के एक मित्र ने उन जातियों का वर्णन किया जिनको क्रीमिनल ट्राइब्स के

[श्री अलगूराय शास्त्री]

नाम से पुकारा जाता है। बरार जाति, उनकी जमीनें डी० सी० के नाम से इन्द्राज होता है। उनके नाम से न मौरूसी है न सीर है न खुदकाश्त है। यह ज़्यादती है। वह किस कोटि में आवेंगे। इस तरह के जो खेत हैं उनका किसी तरह का इन्द्राज नहीं है। सबको लेकर एक शक्ल देना है। खेत का जो जोतने वाला है उसको खेत का अधिकार मिले। उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इस किस्म के एतराजों का जवाब देना मेरा फर्ज़ नहीं है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर से कि प्रधान मन्त्री स्वयं इस बिल का संचालन कर रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त चौधरी चरणसिंह जी जिन्होने इसको तैयार किया इसके ऊपर इतनी मेहनत की और परिश्रम किया है। वह लोग इन एतराजो का जवाब देंगे मगर जो चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ कहना पड़ता है। यह सवाल है कि मुआविजा कम मिल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं ज्यादा मिल रहा है। यह तो झगड़े और आन्दोलन की बात है। दोनों को राजी करने के लिए बीच का रास्ता लेना पड़ता है। किसी को कम करना पड़ता है किसी को अधिक। दूसरे सूबों में जो कुछ हुआ, मद्रास में बम्बई में और जगहों में जो चीज़ें पेश हुई हैं उनको उठा कर देखें। उसकी तुलना करें। यहां यूनिफार्मिटी आफ कम्पेन्सेशन और पुनर्वास के लिये जो रकमें दी गई हैं। उन्हें देखिये तो कम नहीं हैं। बाजार भाव का अर्थ यह है जो चीज जितने की है। यदि बाजार भाव का प्रश्न उठाया जाय तो फिर समझौता कैसे हो। कभी नहीं हो सकता है। तभी तो इस पर लड़ाई चलती रहती है। समझौता वहां होता है जहां कुछ आप हटिये। जो खेत को जोतता बोता है और जिसका खेत पर अधिकार नहीं था उसको अधिकार मिल जाय वह इससे प्रसन्न होगा। जिन लोगों के अब तक अधिकार रहे हैं उनको गुजारे के लिये कुछ मिल जाय। इसके हिसाब से तालिका बनाई गई है। जो कुछ दिया जा रहा है मैं नहीं समझता कि कोई खास अत्याचार है। सब को कुछ न कुछ मिलता है। एक दूसरे विचार के लोग हैं वह कहते हैं कि ज्यादा मिलता है। कुछ लोगो को जो अधिकार मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है जैसा कि लारी साहब ने राजनीतिक दृष्टि से जिक्र किया है। उनकी पूरी तकरीर इस सम्बन्ध में राजनीतिक है। एक वर्ग जिसको वह समझते हैं हैवनाट्स हैं गरीब हैं। मुआविजा दे नहीं सकते। पैसा होगा नहीं। मुआविजा मिलेगा नहीं। जमींदारी जायगी नहीं। देखने में गरीब किसान के हामी हैं। पूरी स्कीम के समाप्त करने के लिये वह जो कुछ कह सकते थे कह गये।

अगर आप किसानों से इकट्ठे रुपया नहीं लेते और वे अपनी लगान का दस गुना और पन्द्रह गुना दाखिल नहीं करते तो जो 'पुल' आप बनाना चाहते हैं वह नहीं बन सकेगा। जमीदारों को आप मुआविजा न दे सकेंगे। फिर जमींदारी की प्रथा कैसे जायगी? गवर्नर जनरल बिना मुआविजे के जमीन नहीं लेने देगा। लारी साहब इस प्रकार जमींदारी प्रथा को कायम रखने में सफल हो जायेंगे मैं तो कहूँगा कि आपको खुली छूट दे देनी चाहिये कि जो अधिवासी बनना चाहता है वह अपने लगान का पन्द्रह गुना रुपया जमा कर दे और भूमिधर बन जाय। जहां पर रिपोर्ट में यह लिखा है कि आज किसान बहुत गरीब हो गये हैं और लड़ाई के जमाने में उनकी गरीबी और बढ़ी है, जब मैं उसको पढ़ा रहा

था तो उसी जगह पर मैंने अपना नोट लगा दिया है कि यह आवेश में आकर लिख दिया गया है। रिपोर्ट का यह अंश बेबुनियादी है। और शायद उसका मतलब कुछ दूसरा ही है। मतलब यह है कि अगर कोई यह समझे कि नाज का भाव मंहगा होने की वजह से आज किसान लखपती बन गये हैं तो यह बेवकूफी है। उस अंश का केवल यही अर्थ हो सकता है लेकिन यह सही नहीं है कि आज किसान में यह क्षमता नहीं है कि वह अपनी लगान आधी कराने के लिये अपनी लगान का दस गुना जमा नहीं कर सकते। उसमें दस गुना और पन्द्रह गुना लगान देने की क्षमता है। जो कागज का नोट चला है वह उसके पास भी पहुँच गया है और उसने उसको सम्भाल कर रख भी लिया है, कुछ ने गहने भी बनवा लिये हैं। यह कह कर मैं किसानों से कोई रश्क नहीं करता ? वे हमेशा से गरीब रहे हैं, मगर यदि आज उस आरगूमेंट को इसमें लगाया जाय कि चूंकि वे गरीब हैं और उनमें पैसा देने की क्षमता नहीं है इसलिए उनसे न लिया जाय तो इतनी बड़ी तादाद जो ८५ फ़ीसदी आदमियों की है कि जिनके पास सवा छः एकड़ उत्पादक जमीनें नहीं हैं, और उनके पास अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं, उनसे पैसा न लिया जाय तो फिर पैसा नहीं आवेगा। और अगर पैसा नहीं आवेगा तो अभी जैसा कि हमने विधान परिषद् में पास किया है कि किसी की जायदाद को हम बिना मुआविजा दिये नहीं लेंगे, और वह हम करने जा रहे हैं, तो फिर वह पूरा नहीं होगा। अगर कम्पेन्सेशन नहीं देंगे तो जमीन्दारी हकूक नहीं लेंगे और रुपया नहीं होगा तो लावेंगे कहाँ से ? इन बातों को सोचें तो फिर आज यह इस्तआल देना कि किसान गरीब हैं, वे रुपया कहाँ से देंगे, यह एक चाल है, शुद्ध राजनैतिक चाल है। देखने में तो हितकर मालूम होती है लेकिन है अहितकर। हम खेतिहर समाज को उसके हाथों में उसके खेत दे रहे हैं, हम उनको खेत दे रहे हैं जो उनको जोतते हैं, बोते हैं, कम खेत का बटवारा रोक दिया गया है, लगान आधा कर देने की बात है, छोटे खेतों के अब टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जबरदस्ती की सब बातें रोक दी गयी हैं, घर में रहने वाले सबों को एक साथ काम करना होगा। अगर दो भाई सवा छः एकड़ जमीन को आपस में दो टुकड़े में बाँटना चाहें तो नहीं बाँट सकेंगे। उनको आपस में मिल जुलकर काम करना होगा, सहयोगिता के आधार पर उनको काम करना होगा। जहाँ सवा छः एकड़ से कम जमीनें हैं, अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं वहाँ उनको हम सहयोग द्वारा चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि धीरे धीरे करके मानवता आपस में मिल जुलकर काम करने की प्रेरणा पा रही है। इस बिल का कुल नक्शा अगर शुरू से आखिर तक देखा जाय तो हर समस्या जिस बुद्धिमत्ता के साथ सुलझायी जा सकती थी उसे सुलझाने की चेष्टा की गयी है। सचमुच वे लोग हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस योजना को तैयार किया है। मैं एक चीज अपने समाजवादी भाइयों से कहना चाहता हूँ। मैंने लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में जो मार्क्सवाद का अध्ययन किया है उसके हिसाब से मुझे सन्देह है कि आया पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप को सचमुच नेशनलाइज़ेशन कहा जा सकता है। एक फ्रेंच आथर ने इनसाइक्लोपीडिया में लैंड के बारे में लिखा है कि इसका अन्तिम सुधार यही है एक क्रान्तिकारी सुधार यही है, कि जमीन पर राज्य का अधिकार हो जाय व्यक्ति का अधिकार नहीं हो। राज्याधिकार का यह अर्थ नहीं है कि राज्य का

[श्री अलगूराय शास्त्री]

अधिकार हो गया तो वह थोड़े से आदमियों में बाँट दिया जाय। बल्कि जैसे रूस में बड़े-बड़े फार्म बने हुए हैं जहाँ पर ट्रेक्टर्स चल रहे हैं, ज़ैसा रिफार्म्स सन् १९२८ और ३० के बीच में हुआ है वैसा किया जाय । छोटे-छोटे प्रोप्राइटर जो जमीन जोतते है उनको वे जमीनें दे दी जायँ।

यह जो योजना हमारी है उसमें उसी तरह के छोटे-छोटे पीजेण्ट प्रोप्राइटर्स हैं कि जो खेत जोतते हैं खेत की मिलकियत उनको दी गई है। जमीन पर मिलकियत किसी की नहीं है। प्राचीनतम हमारी भावना यही रही कि राजा भी जमीन को दान में नहीं दे सकता। सारी चीज़ें दे दी नचिकेता के बाप ने, "सर्व वेधसं ददौ" सब कुछ दे दिया, नचिकेता को भी दे दिया यम को लेकिन भूमि को वह भी नहीं दे सके।. इसमें अगर तुलसीदल लेकर भी पंतजी स्वयं चाहें कि ज़मीन का दान कर दें तो नहीं कर सकते। यह उनके बस की बात नहीं है। इकाई किसी एक व्यक्ति की जमीन में नहीं हो सकती वह तो सारे समाज की होती है। इस तरह से अगर आप देखें तो पता चलेगा कि पीजेण्ट प्रोप्राइटरशिप का सारा ढाँचा इसके अन्दर दिखलाई देता है। यदि शुद्ध मार्क्सवादी की दृष्टि से देखा जाय तो मैं नहीं समझता कि कोई समाजवादी किस तरह से इसके ऊपर आक्षेप कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट सोशलिस्ट पार्टी की किसान समिति ने अभी हाल में निकाला है उसमें एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं कहा गया है कि आया जो हम चीज आज पैदा कर रहे हैं वह सन् १९०५ के बाद, सन् १९०६ से लेकर १२ तक रशा में लैण्डरिफार्म्स को जो ऐक्टस बने हैं उनको पढ़ने से या जो यूरोपियन गवर्नमेंट की मातहती में जो ऐक्ट्स बने हैं यह उनसे भिन्न हैं। आज हमारी समाजवादी पार्टी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। वह चुपके से इसे मान लेती है। १९२० से ३० तक रूस में जो भूमि व्यवस्था हुई उसके पक्षपाती वे नहीं हैं ! क्यों ? इस लिये कि हमारे समाजवादी साथी जानते हैं कि यदि किसानों से जमीन लेकर उसे नेशनलाइज किया तो कुल आबादी का ८४ प्रतिशत उनके विरुद्ध हो जायगा। वह कहते हैं कि इसको रिहैबिलिटेशन कहो मुआविजा न कहो। नाक ऐसे न पकड़ो ऐसे घुमाकर पकड़ो। २८ गुना तो दिया जाता है, २० गुना इस नाम से और ८ गुना उस नाम से। वह जानते हैं कि अगर इस तरह से नहीं कहा गया तो वोट का सवाल कैसे हल होगा। बात वही कही लेकिन घुमाकर, "रिन्द के रिन्द रहे, हाथ से जन्नत न गई"। वह जानते हैं कि किसान एक स्वार्थी वर्ग है। वह प्रोपर्टी ओनर है वह जायदाद चाहता है; वह प्रालीटेरियट नहीं है। वह आज नंगा नहीं है कि जिसके पास "तन नाते थरिया और पोसाक नाते करधन" हो। प्रालीटेरियट की यह परिभाषा है कि न उसके पास टूल्स हों और न प्लांटस। सिर्फ शरीर हो और उस शरीर में काम करने की शक्ति। लेकिन यहां का आज का किसान ऐसा नहीं है। किसान के पास उसका हल है, और उसके पास बैल हैं, किसान के पास हंसुआ है, उसके पास हथौड़ा है, उसका गँड़ासा है, उसके पास खुरपी है और उसके पास कुदाल है। उसके पास खेत हैं, उसके पास बगीचे हैं, बाग हैं। उसके पास औरत है और बच्चे हैं। दिन भर काम करता है और रात को ठंढी हवा में सोता है। यह कहा गया कि किसान की ज़मीन को लेकर कलेक्टिवाइजेशन कर दिया

जाय तो वह रेजीमेन्टेशन जो है इस देश में वह नहीं चल सकता। इस देश का अपना एक ढंग रहा है। दूसरा ढंग यह नहीं चल पाया। बौद्धों की समस्या यहां पैदा हुई परन्तु वह टिक नहीं सकी। यहां का किसान प्रोलीटेरियट नहीं हो सकता। यहां उसे अपना मकान चाहिये, जमीन चाहिये, हल चाहिये और बैल चाहिये। हवनकुंड चाहिये और गैया चाहिये जो दूध देती हो और उसके दूध से लोग पुष्ट हो फलें फूलें ऐसे देश में प्रोलिटैरियनिज़्म की क्लास को नहीं चल सकेगी, यह हमारे समाजवादी मित्र कदाचित समझ गये हैं।

कविता—योग ठगोरी ब्रज न बिकैहै ॥
जापै लै आये हो ऊधव वाके उर न समैहै।
यह जाने जो तुम्हारो ऊधव ऐसो ही फिरि जैहै ॥

हमको ऐसा प्रोलीटेरियट नहीं बनाना है। लोग कहते हैं कि तुम कथा कहते हो। मैं कहता हूँ कि यह कथा नहीं है। यह वास्तविकता है। है किसी में हिम्मत जो यहां प्रोलीटेरियट की स्कीम को चला दे। कहां है वह मार्क्सवाद जो इस चीज़ को बना दे। यह चीज़ मार्क्सवाद से यहां बन भी नहीं सकती। लेकिन हमें सन्तोष है कि पीज़ेन्ट प्रोप्राइटरशिप की पूरी स्कीम को हमारे समाजवादी भाई भी मानते हैं। उसमें बड़े-बड़े हमारे आचार्य लोग हैं। यह वही प्रथा है जिसमें हमारे चरणसिंह साहब विजयी हुये। क्योंकि अभी तक कम से कम जो अपने को समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं और जो हमारे देश में सब से मज़बूत पार्टी है उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। कल से इसके बारे में कुछ कहना शुरू करें तो दूसरी बात है। मेरा भी वास्तविक रूप से सोशलिस्ट पार्टी के साथ कुछ ताल्लुक़ था, यह बातें मैंने उसके मुताल्लिक़ कहीं। लिहाज़ा अगर यह स्कीम इस दृष्टि से दूषित नहीं हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मंत्रि मंडल का शुक्रगुज़ार होना चाहिये कि उसने हमको यह योजना दी है और इससे ८४ फ़ीसदी आबादी के लोगों का ताल्लुक़ होगा। उनके पास खेत हैं, बैल हैं और उनके बच्चे और स्त्रियां हैं। वह अब आज़ाद होंगे और सच्चे मायनों में आज़ाद होंगे। मैंने बहुत समय लिया और दूसरे सज्जनों को भी इस पर बोलना है और यह उचित न होगा कि मैं ही सारा समय ले लूं और दूसरों को अवसर न दूँ जो कि इस पर बोलना चाहते हैं। इसी भावना से यह कह कर कि यह स्कीम सब को माननी चाहिये और प्रवर समिति में जल्द से जल्द इसको भेजकर इस भवन में इसको कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिये और किसी प्रकार से समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का और रिपोर्ट का इसके ऊपर परिश्रम करने वालों को धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ—जनाबवाला, दो तीन रोज़ से बराबर इस बिल के ऊपर बहस हो रही है और मैं बड़ी ख़ामोशी के साथ यह देखता रहा हूँ कि हर शख़्स जो सामने आता है वह काश्तकारों की हमदर्दी और हिमायत का गीत गाता है और कोशिश इस बात की जाती है कि हमसे ज़्यादा काश्तकारों का दोस्त और हमसे ज़्यादा काश्तकारों का हमदर्द कोई दूसरा नहीं है। चूँकि मैंने कल देखा कि जनता पार्टी के लीडर साहब ने भी बड़े जोश खरोश के साथ काश्तकारों के साथ हमदर्दी जाहिर की और हिमायत की।

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ]

त्रिपाठीजी ने और भी बड़ी कोशिश की और उनसे भी आगे बढ़ गये। यह तमाशा बराबर जारी है। वजह इसकी यह है कि यह ज़बानी जमाखर्च है। इसमें तकलीफ तो कोई उठानी पड़ती नहीं। जमीदारान जितने यहाँ पर इस एवान के अन्दर मौजूद हैं वह इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वह कोई ग़ैरज़िम्मेदार हैं और काश्तकारों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हजूरवाला, अगर काश्तकारों से रायदेहन्दी होने का हक ले लिया जाय तो फिर मैं देखूँ कि ऐसे कौन-कौन हैं जो काश्तकारों की हमदर्दी में खड़े होते हैं। यह सारी राय देहन्दगी की अक्सरियत है जिसकी बिना पर हरएक इस बात की कोशिश करता है कि वह काश्तकारों का सबसे ज़्यादा दोस्त माना जाय। लेकिन मैं इस बात को यक़ीन के साथ और जोर के साथ कहता हूँ कि जमीदारों ने उस जमाने में जब कि उनकी अक्सरियत थी और जब कि वे बरसरे हकूमत थे। अपने हकूक को निकालकर काश्तकारों को दे दिया। इसकी मिसाल आप इस वक़्त पेश नहीं कर सकते। सात साला पट्टा के मुकाबले में हीनहयाती हक़ काश्तकारों को उस वक़्त जबकि वह बरसरे हकूमत थे दिये और बिला किसी मुवाविजा के उनको जमीनें दीं। उसकी एवज में जो आज यह बिल यहाँ पर पेश होता है यह आपके सामने है। वज़ीरआजम साहब ने अपनी तकरीर के दौरान में फ़रमाया था कि जमींदारो को हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम यह "जमींदारी अबालिशन बिल" यहाँ लाये हैं। जनाबवाला, रहा वज़ीर आज़म साहब को शुक्रिया अदा करने के बारे में, तो चूँकि बराबर एक जागने की जिन्दगी ज़मीदारान के लिये बना दी गयी थी और हर वक़्त सबसे पहले तलवार का वार और सबसे पहले बरछी और खंजर का वार उन्हीं के ऊपर होता रहता था, कभी "एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स" की शक्ल में, कभी अबवाब, कभी लोकल टेक्सेज़ को बढ़ाकर, ग़रज़ कि हर तरीक़े से उनको परेशान किया जाता था और उनकी जिन्दगी बवाल की जाती थी और इस वजह से अगर उनको एक-दम गला काटकर ख़त्म किये देते हैं तो बेशक शुक्रिये के वह मुस्तहक हैं। वह शुक्रिया सिवाय इसके कि इन अल्फ़ाज़ में अदा किया जाय और दूसरे लफ़्ज़ जबान पर नहीं आते।

"खूब ही मुट्ठियाँ भर भर के मुझे मिट्टी दी,
आज तो लाद दिया आपने अहसानों से!"

जनाब वाला, वज़ीर आज़म साहब की लियाकत, काबिलयत, स्टेट्समैनशिप का मैं हमेशा से मौतरिफ हूँ, और मैं क्या बल्कि ज़माना मौतरिफ है, और फख्र है कि वह हमारे सूबे के वज़ीर आजम हैं। लेकिन इस बिल के पास करने में उनको जो क़ुर्बानी देनी पड़ी वह भी बहुत बड़ी थी। "सेंस आव फेयरप्ले, जस्टिस एंड इक्विटी", इन सब चीजों की क़ुर्बानी उनको देनी पड़ी और मैं भी उनकी मजबूरी को समझ सकता हूँ कि किस तरह से मजबूर होकर उनको ऐसी चीजें लानी पड़ीं जो 'इक्विटी और फेयरप्ले', इंसाफ और वाजबियत से कतअन दूर हैं। बहर हाल मुझे उनसे काफी हमदर्दी है कि जिन हालात के अन्दर उन्होंने इस बिल के अन्दर ज़मीदारान के साथ जो सलूक किया, इसके सिवा उनके पास चारा ही क्या था?

कहा जा रहा है कि जमीदारान ने काश्तकारान को तबाह कर दिया और काश्तकारों

के सब से बड़े दुश्मन ज़मींदार हैं। जबान की ४,५ गर्दिश से एक जुमला बना दिया है। आप अपनी जबान मे जो जी चाहे फरमाएं लेकिन मैं तो यह देख रहा हूँ कि जो चीज अंग्रेजों ने पैदा की कि जमींदार और काश्तकार के ताल्लुकात अच्छे न रहे चुनाचे जितने कवानीन और लेजिस्लेशन उन्होंने लगान के सिलसिले मे बनाए वह इसी तरह के थे कि "चोर से कहा कि चोरी कर और मकानदार से कहा कि तेरे घर मे नकब लग रहा है" और इस तरह मे "डिवाइड एंड रूल" की पालिसी पर उन्होंने अमल किया, लेकिन ताज्जुब है कि हमारी 'पापुलर गवर्नमेंट' और 'नेशनल गवर्नमेंट' भी उसी तरीके और वरसे के ऊपर क्यों कायम है और उसे वह क्यों दोहराती है? मैं देख रहा हूँ कि जबकि बार-बार यह तय किया जा चुका है कि हम जमींदारियों को खत्म कर रहे हैं तो चाहिये यह था कि यह खात्मा और एक हाथ मे दूसरे हाथ को तबादला खामोशी के साथ और अमन के साथ हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बराबर हर तकरीर में अब भी गवर्नमेंट का हर जिम्मेदार मेम्बर, वजीर हो या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी चाहे किसी मजमे मे, किसी मौजूं पर तकरीर करे, उसका यह फर्ज अव्वलीन हो गया है कि वह काश्तकारान को यह बतलाए और समझाए कि जमींदारों से ज्यादा तेरा दुश्मन कोई नहीं, और यह सब से बड़ी खौफनाक और हौलनाक चीज हैं जो तेरे लिये हो सकती है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस तमाम प्रोपैगेंडे के बावजूद काश्तकारान और जमींदारान के ताल्लुकात जैसे अब तक खुशगवार रहे वह खुदा का एक इनाम है, वरना तो यह हो सकता था कि काश्तकार जमींदारों के सर कलम कर देते, बलवे होते, खूरेजिया होती और न जाने क्या-क्या होता! इस तरफ की यह सूरत है। दूसरी तरफ मुलाहजा कीजिये। ज़मींदारों को भी कहते हैं कि पूंजीपति हैं। उनको भी पूंजीपतियों के साथ ब्रैकेट किया जता है। मै आप के तवस्सुल से पूछना चाहता हूँ कि कितने मौके ऐसे होते हैं कि मजदूर 'स्ट्राइक' करते हैं जब कि गवर्नमेंट की मशीनरी कोशिश करती है कि स्ट्राइक न हो, और गवर्नमेंट ने इस बात के लिये मशीनरी तैयार कर रखी है कि किसी तरह से लेबर को मुतमईन किया जाय, इसके खिलाफ जमींदारी के साथ यह सूरत क्यों है कि किसानों को उभारा जाता है और तकरीबन मजबूर किया जाता है कि वह उठ कर ज़मींदारों के खिलाफ हो जायें, और ज़मींदारों को अपना दुश्मन समझने लगें। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज जब कि आप ज़मींदारों को ख़त्म करने जा रहे हैं, उस वक्त भी काश्तकारों और ज़मींदारो के ताल्लुकात बहुत खुशगवार और बेहतर हैं।

ऐसे जबर्दस्त बिल के जिसका करोड़ो आदमियों से ताल्लुक हो, किसी पहलू पर कोई नज़र नहीं की जा रही है। मैं तो देखता हूँ कि एक दौड़, एक सूबे और दूसरे सूबे के दरमियान हो रही है और इसकी बराबर कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले ज़मींदारी को कौन ख़त्म करे और कौन इस तुर्रयेइम्तियाज़ को अपने नाम से वाबिस्ता करे कि हमने ज़मींदारों के साथ सबसे ज्यादा सख्ती की और उनको ख़त्म कर दिया। आपने कभी यह ग़ौर नहीं किया कि यह कदीम इक़सादी निजाम जिसको आप दरहम बरहम कर रहे हैं इसके बाद कहीं ऐसी सूरत न पैदा हो जाय जिस पर आप को अफसोस करना पड़े। आज हर तरफ से कहा जा रहा है कि ज़मींदार को अगर दुनिया से ख़त्म कर दिया जायगा, तो

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ]
दुनिया जन्नत बन जायगी, तमाम दुनिया में खराबियाँ एक कलम दूर हो जायगी लेकिन मैं पूछता हूँ कि आपके ख्वाब की ताबीर अगर दुरुस्त न हुई तो क्या होगा? यह इस जमाने के लिये कोई नयी चीज़ नहीं है। आज आप एक चीज़ को बुरा कह रहे हैं, एक चीज़ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या अजब है कि वह दिन आवे जब कि आप कहें कि यह हमारी सख्त ग़लती थी। तारीख इसकी शहादत देती है। सीजर को पब्लिक ने कत्ल किया, और उसी पब्लिक ने उसके कातिलों को कत्ल किया। इसी तरह ने आप जो निहायत मसर्रत के साथ आज जमींदारों के गले पर छुरा चलाना चाहते हैं और उनके साथ बेइन्साफी करना चाहते हैं, क्या अजब है कि कल को आप यही कहें कि आपने सबसे बड़ी ग़लती की। तवारीख के सफहात के ऊपर यह नाम आ जाना किफलां की वजारत के अन्दर ज़मींदारों को ख़त्म किया गया, यह बड़ा तुर्रये इम्तियाज है, यह काफी नहीं होता है। तारीख के अन्दर राम, रावण, नौशेरवाँ, जहांगीर, हलाकू और चंगेजखां सभी के नाम हैं लेकिन देखना यह है कि आइन्दा के मुअर्रिख़ किस को किस लफ़ज के साथ याद करते हैं। फक्त नाम का आ जाना काफी नहीं है

इसके 'प्रिऐम्बिल' में वही पुराना रोना रोया गया है कि ज़मींदारी निजाम तो अंग्रेजों का 'क्रिएशन' है। मैं पूंछता हूं कि इसमें क्या खास चीज है। अगर फर्ज कीजिये कि आपका ही यह कहना दुरुस्त है और चौधरी चरण सिंह जी का यह फरमाना दुरुस्त नहीं है कि सदियों से यह निजाम कायम है। यह कह देने से इसमें क्या फर्क पड़ता है कि यह अंग्रेजी के जमाने से कायम है। क्या यह कह देने से कि कांग्रेस की बुनियाद की पहली ईंट एक अंग्रेज ने डाली थी कोई फर्क आ जाता है। क्या इसमें कोई बुराई पैदा हो जाती है। इसमें कोई बुराई पैदा नहीं होती अगर यह कहा जाये कि यह निजाम ज़मींदारों ने अपनी सहूलियत के लिये कायम किया था लिहाजा इसको बदलना है। अगर आप यह कहते हैं तो आपको बहुत सी चीजें बदलना पड़ेंगी जो अंग्रेजों की बनाई हुई हैं और आप उनको अख्तियार किये हुये हैं। मुझे याद है कि एक साहब ने यह 'आरगू' किया था कि यह निजाम बहुत पुराना फरसूदा हो गया है, बेकार हो गया है इसलिये हम इसको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर हम यह कहें कि ज़मींदारियां अंग्रेजों के जमाने की कायम हुई हैं तो काम नहीं चलता और अगर यह कहे कि यह बहुत पुरानी चली आती हैं तब भी काम नहीं चलता। गरज़ यह कि आप हर तरह से बहस पेश कर सकते हैं।

बहरहाल देखना यह है कि इस बिल के अन्दर ज़मींदारों के साथ कैसा बर्ताव किया गया है और किस तरह से उनको इसमें खींचा गया है। सब से पहली चीज़ जो हमारे सामने है और जिससे ज़मींदारी का सब से ज्यादा ताल्लुक है वह मुआवजा है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है कि मुआवजा ८ गुना दिया जायेगा तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह 'फिगर' किस तरीके से रखी गई है। 'इक्विटेबिल कम्पनसेशन' के ऊपर आनरेबिल प्रीमियर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था और कहा था कि मुनासिब और वाजिब है और हम लोग इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। यह

फिगर' किस कायदे और करीने से सामने आई है। जब आपने खुद 'सीलिंग प्राइस' जमीन की 'ट्वेन्टी टाइम्स' करार दी है क्योंकि आपने फरमाया है कि अगर काश्तकार १० गुना लगान दे दे तो हम निस्फ लगान माफ कर देंगे। इसके मानी यह हैं कि इसकी 'सीलिंग प्राइस' बीस गुनी हो गई फिर आठ गुना मुआवजा किस तरह से रखा है यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है। इसके बाद मिसाल दर मिसाल यह कि आपने फ़रमाया है कि 'कलेक्शनचार्जेज' १५ फी सदी कम किये जायेंगे। यह गलत बात है क्योंकि कल की बात है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल में आपने 'कलेक्शन चार्जेज' १०–१२ फी सदी करार दिये थे, आज किस तरह से आप १५ फी सदी रखते हैं। क्या इसके माने यह हैं कि ख़रीदने के बाँट और बेचने के और, वह गज और जिससे आप कपड़ा लेते हैं और वह गज दूसरा जिससे आप कपड़ा देते हैं। आपकी शान के लिये यह चीज ठीक नहीं है। एक ही बात इस बिल में पास करके दूसरी चीज में फर्क नहीं होना चाहिये।

इसके साथ-साथ कि जिस वक्त 'एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल' जेरे बहस था तो मेरे दोस्तों को बखूबी याद होगा कि यह कहा गया था और हर शख्स यकीन किये हुये था कि जिस वक्त मुआवज़े का सवाल होगा, यह शुमार नहीं किया जायेगा और 'वेल्यूएशन' कम नहीं की जायेगी बल्कि उस वक्त कहा यह गया था कि यह तो 'इंटेरिम' जामने के लिये बनाया जा रहा है यह न समझिये कि इससे मुआवजा कम होगा आज वही 'एग्रीकलचर इनकमटैक्स' हमारे मुआवज़े के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक तरफ सूरत यह है कि तमाम सूबा में उसका रेट आपने ज़्यादा रखा है और दूसरी तरफ आप इस बढ़े हुए रेट को, जो कहीं भी इतना ज़्यादा मुल्क भर में नहीं है, लगाकर हमारे मुआवज़े को कम कर रहे हैं। तो फिर आप बतलाइए कि हम यह कैसे समझें कि आप 'इक्वीटेबिल' मुआवजा देना चाहते हैं? क्या यही आपकी 'जस्टिस और इक्वीटी' है कि जो आप ज़मींदारों, के साथ करने जा रहे हैं? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं इस वक्त तफसील के साथ पेश नहीं करूँगा। इस बिल की खास-खास चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्राइक हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं इस वक्त पेश करूँगा।

इस बिल के अन्दर कहा गया है कि 'नोटिफिकेशन' होने पर फौरन ही उसके बाद जमींदारों को लगान वसूल करने का या जमींदारी के दरख्तों वगैरा पर कोई हक नहीं रहेगा। मुझे ताज्जुब होता है कि जब आप एक चीज़ खरीद रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि बगैर कीमत की अदायगी के कैसे आप मालिक बन सकते हैं। इस तरह से आप मालिक बने जाते हैं और कहते हैं कि बाद में देखा जायगा। अगर एक शख्स है कि जिस के खाने पीने का दारमदार और बाल बच्चों और बीबी की परवरिश का दारमदार ज़मींदारी पर ही है और आप उसकी तमाम जायदाद एक 'नोटिफिकेशन' से ही ले लेंगे और बाद में २½ फीसदी मुआवज़े बढ़ा देंगे और साथ ही कहें कोई घबराने की बात नहीं है तो कैसे काम चल सकता है यह आप को खुद ही सोचना चाहिए। इससे उस भूखे को कैसे सकून मिल सकता है। इसलिए यह चीज जब आपके पास 'सेलेक्ट कमेटी' में जाय तो आप उस पर हमदर्दी और मोहब्बत से इन्सानियत के साथ गौर करके दुरुस्त करें, बहरहाल ज़मींदार भी इन्सान ही हैं।

[मुहम्मद जमशेद अली खाँ]

आखिर में मैं यह अर्ज़ करूँगा कि आप जो यह एक 'एलोबरेट मशीन' इस काम के लिये मुरत्तब करना चाहते हैं जिसके जरिये से आप काश्तकारों को जमीन देना चाहते हैं और मुआवजा वगैरा तै कराना चाहते हैं। आपने एक सेलिंग प्राइस तय कर दी है। अच्छा हो कि आप यह काश्तकारों और ज़मींदारों पर ही छोड़ दें कि वह आपस में ही यह तै कर लें और इस तरह से तमाम क़िस्सा ख़त्म हो सकता है और प्राइवेट तरीक़े पर यह चीज़ तै हो सकती है। अगर यह ख्याल हो कि ज़मींदार इन्कार करेंगे तो कलक्टर मजबूर कर सकते हैं।

गरज यह चीज निहायत सहूलियत और बिला किसी मजीद दिक्कत के हो सकती है। एक जरा सी चीज़ यह भी काबिले गुजारिश है कि जब यह बिल कानून बन जायेगा और उसकी दफात अमल में आयेंगी तो जमीदार के पास कोई बाग़ या मामूली सा सीर का टुकड़ा होगा तो वह भी वहाँ भूमिधर होगा और आपने मालगुजारी वसूल करने का कायदा मुस्तकिल और मुनफर्दन रखा है लिहाजा मुझे डर है कि लगान कहीं दो दफे वसूल न किया जाय। अच्छा हो कि काम आप पंचायतों के सुपुर्द कर दें और वह तमाम लगान वसूल कर लिया करें। यह तमाम चीज़ें मुझे अर्ज करना थीं। अब कोई शिकवा-शिकायत का मौका नहीं है। एबोलीशन का बिल पेश है, ज़मींदारी खत्म होने जा रही है, उसके लिए तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं।

* श्री श्रीचन्द सिंघल—डिप्टी स्पीकर साहब, हर पार्टी ने जो यह बिल पेश है उसका बहुत स्वागत किया है और मैं भी उसका स्वागत करना अपना फर्ज समझता हूँ। ४ दिन से इस पर बहस चल रही है। हर पार्टी के नुमाइंदे बोल चुके हैं। विरोधी दल ने भी इस बिल का स्वागत किया है लेकिन इसके कुछ हिस्सों की आलोचना भी की है। मैं उन आलोचनाओं का जवाब देने को तैयार नहीं हूँ। कारण यह है कि बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है जो क्रिटिसिज़्म कांस्ट्रक्टिव हैं उन पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी और जो आलोचनाएं बेफायदा हैं उनका जवाब देना मुनासिब नहीं है। वह तो सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और मुखालिफों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए की गयी हैं। जो विरोधी दल आज कल जनता पार्टी के नाम से है वह इससे पहले मुस्लिम लीग के नाम से था और जब ज़मींदारी एबोलीशन का विचार दो साल पहले इस भवन में पेश हुआ था तो उन्होंने जोरों से उसकी मुखालफत की थी। मैं देखता हूँ कि हमारे ज़मींदार भाई आज बहुत उदासीन हैं, परेशान दिखाई देते हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है लेकिन मुझे उनसे यह कहना है कि उन्हें समय पहचानना चाहिए।

उन्होने जो संशोधन पेश किया है उस पर जितनी शान्ति के साथ कांग्रेस सरकार विचार कर सकी है उतनी शान्ति के साथ कोई भी पार्टी या सरकार नहीं कर सकती है। अगर किसी और पार्टी का राज्य हो जाता तो मैं समझता हूँ कि उन्हें मुआविजा क्या मिलता बल्कि उन्हें अपने जान के लाले पड़ जाते। ज़मींदारों ने इतनी गद्दारी दिखाई लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने उनके साथ हमदर्दी ही दिखाई है और उनको काफी मुआविजा दिया है।

---

* माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया है।

मेरी तो राजा साहब से प्रार्थना है कि मेहरबानी करके अपने संशोधन को वापिस ले लें अगर वह संशोधन को वापिस नहीं लेते तो मेरा कहना है कि यह उनके खिलाफ ही जायगा।

ज़मींदार भाइयों ने कहा कि हम तो हमेशा से चले आ रहे है, यह प्रथा तो हिन्दुस्तान में हमेशा से चली आई है। मैं कहता हूँ कि यह ग़लत है, यह प्रथा तो अंग्रेजों के साथ आई और अंग्रेजों ने देश के फ़ायदे के लिये नहीं बल्कि अपने फायदे के लिये इसे चलाया और जिस रोज अंग्रेज यहां से चले गये, उसी दिन यह प्रथा भी उनके साथ चली गई थी। मैंने पढ़ा था कि Don't speak ill of the dead (जो आदमी मर गया है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिये) इसलिये मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी राज्य खत्म होते ही ज़मींदारी खत्म हो गई और अब तो उनकी लहाश रह गई है, जिसे इस असेम्बली के जरिये हमें दफनाना है।

अब तक जिन ज़मींदार भाईयों ने किसानों के लिये कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी, वे इस बिल के बहस में उनके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि The wisdom has come very late (बुद्धि देर में आयी है।) अगर यह विज़्डम उनमें पहले आती तो यह दिन न देख पाते और किसी न किसी तरह से उनका वजूद यहां पर रहता।

मैं फिर कहता हूँ कि उनका यह कहना कि ज़मींदारी प्रथा हमेशा से चली आई है ग़लत है। हिन्दुस्तान में यह प्रथा अंग्रेजों के पहले कभी नहीं थी। अगर आप इतिहास को देखें तो पायेंगे कि मनु के समय में प्राचीन भारत में गाँव एक छोटे-छोटे ग्राम राज्य थे। राजा सिर्फ १।६ हिस्सा करके रूप में उपज का लेते थे और गाँववालों को पूरा अधिकार था कि वे जैसा चाहें इंतजाम करें। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने भी इसमें कोई दस्तन्दाज़ी नहीं की थी। टोडरमल का जो बन्दोबस्त हुआ था वह भी बिल्कुल रैयतवारी के ऊपर हुआ था। लेकिन जब अंग्रेजी राज्य बंगाल में आया तो १७९७ में ला० कार्निवालिस ने परमानेण्ट सेटेलमेंट के नाम से एक बन्दोबस्त लागू किया और उस सेटेलमेंट में ज़मीदारों को ठेका दिया। यह ठेका भी इस आधार पर दिया था कि अगर पहली तारीख के शाम तक रुपया वसूल ज़मीदारों से नहीं होता तो उनकी ज़मीदारी नीलाम करके दूसरे को दे दी जाती थी। सरकार ने सोचा कि इस तरह से रुपया वसूल करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसमें अगर कोई बदनामी होती है तो ज़मीदारों की ही होती है और अंग्रेजी सरकार को इससे कोई बुरा भला नहीं कहता। उन्होंने इस तरीके को इस लिये और निकाला कि किसी तरह से अंग्रेजी राज्य की जड़ इन ठेकेदारों की सहायता से पुख्ता बना दी जाय। इस जड़ को पुख्ता करने के लिये उसने लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि देहात में एक इस तरह की क्लास पैदा करे जो अंग्रेजी राज्य से फले और फूले। अगर उसे ताकत मिलती रहेगी तो वे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करते रहेंगे। क्योंकि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही फलेंगे और फूलेंगे। इस तरह से ज़मींदारों को ताकत और कान्ट्रेक्स दिये गये ताकि उनका रुपया भी आसानी से इकट्ठा होता रहे और उनकी जड़ भी जम जाय और सरकार आख़िर तक यही करती रही। सन् १९३६ तक जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य रहा और कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में नहीं आई अंग्रेजों का राज्य इन्हीं दो उसूलों पर चला। जो भी बड़े-बड़े ओहदे होते थे वे सब ज़मींदारों को ही

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

दिये जाते थे और जो कानून आते थे वे सब ज़मींदारों के पक्ष के होते थे। किसानों के हक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इस तरह से ज़मींदारी चली और देश के लिये, जनता के लिये और किसानों के तथा खेती के लिये किसी काम में कोई तरक्की नहीं की गई। जो कुछ उन्होंने किया वह यही कि उन्होने ग़रीब किसानों का खून चूसा और यही कारण है कि ज़मींदार इतने बदनाम हुए। हिन्दुस्थान में जितनी भी रूलिंग क्लासेज़ हुई हैं चाहे वे मुग़ल हों, मंसबदार हों, मरहठे हों या और कोई आज तक हर एक की निशानी मौजूद है। लेकिन ज़मींदार भाइयों के चले जाने के बाद उनकी कोई यादगार शेष नहीं रहती है कि उन्होंने देश में क्या काम किया। उन्होंने न इमारत बनवाई, न किसी कला को जन्म दिया। उन्होने तो केवल एक काम किया और वह यह कि अपने देशवासियों का खून चूसा। अफ़सोस तो यह है- कि इतनी बड़ी प्रथा का अन्त हो गया लेकिन देश में कोई भी आदमी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है। किसी ने भी उनके लिये सहानुभूति के दो आँसू भी नहीं बहाये। हमने जो यहाँ कानून बनाया है उसमें किसी प्रकार की न तो बदले की भावना है और न कोई बात ऐसी है जिससे गुस्सा जान पड़ता हो। हमने तो यह सोचा कि देश के लाभ के लिये इस प्रथा को समाप्त करना लाजिमी है और इसीलिये इस प्रथा को समाप्त किया। लेकिन मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जमीदारों की काफी रक्षा की है। छोटे लोगों और बीच के लोगों को मुआवजा मिलेगा वह तो परियाप्त है ही लेकिन १० हजार रुपये से ज़्यादा के लोग जो करीब ४००। ५०० हैं उनको भी मुआवजा इतना मिल जायेगा कि उनको अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिये कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हाँ यह जो रईसाना ठाठ आज भुगत रहे हैं वह नहीं रहेगा। एक बात और भी है राजाओं ने कितनी आसानी से अपने मसले को हल कर लिया। हमारे ज़मींदारों से भी हमें यही आशा थी कि वे भी अपना मसला इसी आसानी से हल कर लेंगे लेकिन ज़मींदार भाइयों ने इतना नहीं सोचा।

बिल के प्रावीजन दो हिस्सों में तकसीम किये जा सकते हैं। एक हिस्सा तो यह कि सब जमीन सरकार के हाथ में पहुंच जाय और उसके सिलसिले में जो समस्यायें हों उनका हल। दूसरा हिस्सा हमारी रूरल एकोनौमी के बारे में है। मध्यवर्तियों के बारे में उनके अधिकारों के बारे में जो कायदे और कानून हैं उनसे तो मुझे सहानुभूति है लेकिन जो आर्थिक नीति उसमें बताई गई है उसमें मुझे कुछ आपत्ति है इसके बारे में मैं आगे कहूंगा। दफा २५२ में सरकार ने यह अधिकार ले लिये हैं कि किसानों से जिस तरह सरकार चाहे लगान वसूल करे और जो एजन्सी चाहे कायम करे। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अधिकार है। सरकार को इसके बारे में कानून बना कर लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने पेश करना चाहिये। हमें डर है कि जो चीज हम ख़त्म कर रहे थे वही चीज फिर दूसरे रूप में कहीं न आ जाये। अगर किसी तरह से यह अधिकार तहसीलदारों या उनके नीचे के लोगों को मिल गया तो जनता सुखी नहीं होगी सरकार ने यह बतलाया है कि अगर सरकार मुनासिब समझे तो लगान वसूल करने का काम ग्राम पंचायतों को दे सकती है। इसके लिये भी हमारे सामने कायदे कानून आने चाहिये। देहात में जो गांव पंचायतें बनी

हैं वह बहुत अच्छी है लेकिन यह एक नया ऐक्सपेरीमेंट है शायद इसकी वजह से कहीं किसानों को दिक्कत न उठाना पड़े। चैप्टर ७ में सरकार ने ग्राम समाज और ग्राम सभाओं के बारे में बताया है। यह दो चीजें मेरी समझ में नहीं आती हैं। सरकार ने ये दो चीजें क्यों रखी है। दोनों में करीब-करीब ताकतें एक सी हैं तो फिर ये डुप्लीकेशन क्यों किया गया है। इस बात को सरकार को सफाई करना चाहिये और एक बात यह है कि ग्राम समाज को जो ताकतें दी जा रही हैं वह बहुत बड़ी ताकतें हैं। उनको यहां तक ताकतें दी जा रही हैं कि जितनी जमीनें खाली होंगी या खाली हैं या जितने बंजर होंगे, हाट बाजार होंगे सिंगाड़ा वगैरा बोने के पोखरे होंगे उनका इंतजाम ग्राम समाज ही करेंगे। क्या सरकार का यह ख्याल है कि वह इस ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे कर सकते हैं। इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिये कि देहात के आदमी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं।

दफा २६५ में सरकार ने यह बताया है कि अगर १० आदमी मिलकर ५० एकड़ से ज्यादा जमीन में शामिल हो जायेंगे तो उनको सरकारी समिति बनाने का हक होगा। दफा २८८ के अनुसार ऐसी संस्थाओं को कई तरह की सुविधायें मिलेंगी। और भूमि भी मिलेगी परन्तु बड़े-बड़े जमींदारों को जमीन देना मैं गलत समझता हूँ। दफा २६६ के अन्दर जो सोसाइटीज बनेंगी उनमें तो छोटे-छोटे काश्तकार होंगे परन्तु दफा २६५ के अनुसार जो सोसाइटीज बनेंगी उनमें बड़े बड़े जमींदार ही होंगे। मेरी समझ में जो छोटे काश्तकारों की सोसाइटीज बनें उन्हीं को सुविधायें मिलनी चाहिये।

जो गरीब मज़दूर हैं उनके लिये सरकार ने इस बिल में कुछ नहीं किया है। दफा १९५ में जरूर जिक्र आता है कि अगर ग्राम पंचायतें ठीक समझें तो वह बची हुई जमीन या खाली जमीन मजदूरों को दे सकती हैं। मैं समझता हूँ कि यह काफी नहीं है। ग्राम पंचायत में अगर कोई जमीन खाली होगी तो मेरा अन्दाजा यह है कि वह जमीन मजदूरों को नहीं मिलेगी बल्कि सब आपस में बाट लेंगे। इस तरह ज़मींदारों के हटने से मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है। उनको फायदा पहुँचाना सरकार का बड़ा भारी फर्ज है।

अनइकोनामिक होल्डिंग के बारे में भी सरकार ने कोई खास इन्तजाम नहीं किया है। सरकार ने यह जरूर किया है कि जहां अनइकोनामिक होल्डिंग हो वहां अगर दो तिहाई आदमी कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दे कि हम कोआपरेटिव फार्म चाहते है तो कलेक्टर बचे हुये लोगों को बुलायेगा। उनकी दर्खास्त सुनने के बाद वह सोचेगा कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने की पर्मिशन दूँ, या न दूँ। इसके बाद भी उस आर्डर की अपील करने का हक है। जब एक तरह से वह अपील नहीं जीत सकते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटी बन सकेगी। एक तिहाई आदमी रह गए हैं उनको मुआविजा मिल जायगा। सरकार ने सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए इतना सोचा है। जहाँ तक अनइकोनौमिक होल्डिंग वाले हैं यह चाहें तो कोआपरेटिव सोसाइटी बना सकें। इस से देश का भला हो जायगा। आर्थिक उन्नति मेरे समझ में नहीं आई। आर्थिक दृष्टि से फायदा नहीं पहुँचेगा। आर्थिक दृष्टि से ३-४ बातें सोचनी हैं। एक तो देहात में जो गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं। उन्हें साल भर में कुछ दिनों के लिए काम मिलता है और ज्यादातर बेकार रहते हैं। वह परेशान हैं उनके रहने को मकान नहीं है। मजदूरी नहीं है। मै देहात का रहने वाला हूँ। बुरी हालत

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

है उनकी। जमींदारी एबालिशन के बाद उनको फायदा होना है। उनका ध्यान करना है। जो अनइकानामिक होल्डिंग है उसको इकानामिक बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। ६½ एकड़ जमीन को इकानामिक समझा जायगा। मेरी समझ में यह कम से कम १२ एकड़ हो इस से कमती जो जमीन है वह अनइकानामिक डिक्लेअर करना चाहिए। जो इस डेफिनिशन में आ सकती है। फिगर्स देखने से सरकार देखेगी कि १२ एकड़ से कम जमीन इकानामिक हो नहीं सकती है। दूसरे यह कि किसी आदमी की ६-७ एकड़ ज़मीन है और चारों तरफ फैली हुई है। उसकी सरकार को सफ़ाई करना चाहिये। उसकी सफ़ाई के बिला फ़ायदा नहीं है। मुझे अनइकानामिक प्लाट के बारे में कहना है। जिस आदमी के पास २-३ बीघे जमीन हैं क्या वह बैल रख सकता है? अगर रखता है तो चारा कहाँ से खिला सकता है। न उसके पास १२ महीने काम है। थोड़े दिन काम करने के बाद बेकार हो जाता है। फिर जब फ़सल बोने का अवसर आता है सीड नहीं मिलता, कुआँ खोदने के लिए रुपया नहीं है। अगर इन चीज़ों के लिए कर्ज़ लेता है। कोई खाद नहीं है। गोबर खाना पकाने के काम आता है। दूसरी समस्या जो है वह खेती के तरीके हैं। कोई कितनी ही तारीफ़ करे। पुरानी बातें अच्छी समझी जाती हैं। वह तरीके इतने ख़राब हैं कि उनसे देश का कोई लाभ नहीं है। ७५ फीसदी आदमी देहात में रहते हैं। वह खेती के काम में लगे हुए हैं। अफसोस यह है कि इतना करने पर भी और जमीन होने पर भी इतना ग़ल्ला नहीं होता है कि हम अपने प्रांत का पालन कर सकें। पेट भर सकें। मैं आपके सामने आँकड़े पेश करता हूँ कि दुनियाँ में किस हिसाब से किस तरह गेहूँ हो रहा है। हमारे देश में फी एकड़ ५ हंडरवेट, यू० एस० में ५ पौंड ६ हंडरवेट, यू० एस० ए० में ६ हंडरवेट, कनाडा में ६ हंडरवेट, यू० के० में १६ हंडरवेट, चीन में ८½ हंडरवेट आस्ट्रेलिया में ५ हंडरवेट जो बड़े देश हैं जैसे अमरीका इत्यादि, वहाँ पर जो पैदावार है वह करीब-करीब इस देश के बराबर है।

लेकिन डेनमार्क में हिन्दुस्तान के करीब-करीब चौगुनी पैदावार है, यूनाइटेड किंगडम में भी चौगुनी है तथा फ्रांस में भी करीब-करीब इतनी ही है। तो ये आँकड़े बड़ी होशियारी से समझने चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि अमेरिका में हिन्दुस्तान के बराबर पैदावार है। हमें यह देखना है कि हिन्दुस्तान में कितनी जमीन काम में आ रही है और रूस और अमेरिका में कितनी जमीन काम में आ रही है। अमेरिका में एवरेज होल्डिंग १२० एकड़ के है और हिन्दुस्तान में डेढ़ एकड़ के करीब एवरेज होल्डिंग है। तो इस तरह से वहाँ पर जो खेती की जा रही है वह बड़े लम्बे पैमाने पर की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम जहाँ एवरेज होल्डिंग २० एकड़ है वहाँ पर जो खेती की जा रही है छोटे पैमाने पर की जा रही है और वहाँ इन्टेसिव खेती की जा रही है जिससे वहाँ पर उपज प्रति एकड़ ज़्यादा होती है। अमेरिका में जो जमीन जोती और बोई जाती है उसका एरिया हिंदुस्तान से चौगुना है उसमें इतना गेहूँ पैदा होता है कि वह केवल अमेरिका के लिए ही पूरा नहीं होता बल्कि संसार के और देशों को भी एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पर जो ग्रामीण आबादी है वह करीब-करीब दो करोड़ के है। उनमें ८५ लाख लोग ऐसे हैं जो खेती के काम में एक्चुअली लगे

हुए हैं । वहाँ ८५ लाख आदमी इतना खेत जोतते हैं जो हिन्दुस्तान के एरिया से चौगुना है । यू० एस० एस० आर० में ४० फी सदी आदमी देहातों में रहते हैं । वहाँ पर खेती ही नहीं बल्कि इण्डस्ट्रीज में भी काफी तरक्की हुई है। वहाँ पर इण्डस्ट्रीज का कोटा ८० प्रतिशत है।

श्री राजाराम शास्त्री—डिप्टी स्पीकर महोदय, क्या किसी मेम्बर को इस हाउस के सामने टाइप की हुई किताब से पढ़ने का अधिकार है ?

डिप्टी स्पीकर—वे आंकड़े पढ़ रहे हैं। यह तो किताब में होगा या कहीं टाइप किया हुआ होगा है। इनको नहीं रोका जा सकता है।

श्री श्रीचन्द सिंघल—जो २० परसेंट जो एग्रीकल्चर का कोटा बचता है उसमें इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि वह केवल रूस के लोगों के गुजारे के लिए ही काफी नहीं होती बल्कि वे बाहर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में जमीन कम है इस लिए सरकार को चाहिए कि यहां पर एक्सटेंसिव फार्मिङ्ग के बदले इन्टेंसिव फार्मिङ्ग कराये। अगर ऐसा करने की कोशिश की जायगी तो खाने की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। मैं सरकार से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि तीन एकड़ से कम की होल्डिंग किसी की जोत में न हो और तीस एकड़ से ज़्यादा होल्डिंग जिनके पास हो वहाँ पर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर ज़्यादा जमीनें उनको दे दी जायें। इसी तरह से वहां की समस्या हल हो सकती है। जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं जिनकी फील्ड कम है उनकी फील्ड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये जिससे हमारे यहाँ की हालत सुधरे। हमारे देश की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। सन् १९४७ ई० में एक अरब साठ करोड़ का नाज हमारे देश को बाहर से मँगाना पड़ा और ट्रेड बैलेंस भी करीब ७० करोड़ के हिन्दुस्तान के खिलाफ रहा। तो इस पर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिये।

हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, हमारे जो प्रीमियर साहब हैं उनका कहना है कि हमें इस समस्या को पूरी तौर से हल करना चाहिये। अगर यह समस्या नहीं सुलझती तो देश गारत हो जायगा। उन्होंने बतलाया है कि हमको फूड की समस्या को वार फूटिंग पर लाना चाहिये और जब तक हम इसे वार फूटिंग पर नहीं लायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी यही कहना है कि इस समस्या को हल करना हिन्दुस्थानियों का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन यह आसान बात नहीं है। उसमें बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं और हमें उन दिक्कतों को पार करना है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि हमारे किसान भाई खेती के नये तरीकों को नहीं समझते हैं। दूसरे यह कि खेतों की उपज भी कम हो चुकी है। तीसरे होल्डिंग भी अनइकानामिक हैं। उन्हें भी ठीक करना है। हमारे देश के लिये यह एक फायदा रहा है कि हमारे यहाँ बारिश हो जाती है ? दूसरे हमारे देश में यह भी अच्छाई है जो और मुल्कों में कम है या नहीं है कि हमारे यहाँ जमीन के नीचे पानी मिल जाता है जिसे कुओं या दूसरे रूप में हम सिंचाई के लिये काम में ला सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एकनामिक प्लान के लिये इस बिल में ११वाँ चैप्टर लिखा है लेकिन मुझे इससे इख्तिलाफ है। आपने इस बात को मान लिया है कि अगर हम खेत की हद को बढ़ाते हैं तो एक खेत ५० एकड़ का होना चाहिये या ३० एकड़ का हो या जिन आदमियों के पास मिलाकर ५० एकड़ से

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

ज़्यादा जमीन हो वह कोआपरेटिव फार्म बना सकते हैं लेकिन इतना कहने के बाद यह बिल फिर चुप होगया कि आगे क्या करना चाहिये। दूसरी बात जो अनइकानामिक होलिंडग्ज़ के लिये दी है वह भी नाकाफी है। अगर किसी को कोआपरेटिव फार्मिङ्ग करनी हो तो पहले कलेक्टर के यहाँ अर्जी दे और अगर कलेक्टर राजी हो जाय तो वह कोआपरेटिव फार्म चला सकता है। यह जो तरीका सरकार ने रखा है उससे कोआपरेटिव फार्मिङ्ग कभी कामयाब नहीं हो सकती है और न यह एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) काश्तकार करना चाहेगा कि वह अपनी जमीन कोआपरेटिव फार्म्स को दे दे या उसकी जमीन उसके कब्ज़े से चली जाय और कोआपरेटिव फार्मस के पास हो जाय। दूसरे वह अगर चाहे तो भी मैजारिटी और (बहुमत) माइनारिटी (अल्पमत) की वजह से नहीं करेगा क्योंकि अगर उसकी मैजारिटी न हुई तो उसकी मर्जी से कोई काम उसमें न हो सकेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर सरकार इस ढीले ढालेपन से इस स्कीम को चलाना चाहती है तो हम कोआपरेटिव फार्मिङ्ग की स्कीम को आगे बढ़ा नहीं सकते और न हम उपज को ही आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उपज अगर बढ़ सकती है तो सिर्फ एकानामिक होलिंडग की वजह से ही और यह कोआपरेटिव फार्मिङ्ग की स्कीम वालण्टरी होनी चाहिये। लेनिन साहब ने भी एक तकरीर में कहा था कि अगर कोआपरेटिव फार्मिङ्ग वालण्टरी (स्वेच्छापूर्वक) न हो तो उनमें कोई वाइटीलिटी काम करने के लिये नहीं आयेगी लेकिन इतिहास कहता है कि उन्होंने कुछ सख्तियाँ कीं और लोगों को साइबेरिया तक भेज दिया और दबाव डालकर कोआपरेटिव फार्म्स बनाये।

· नतीज़ा यह हुआ कि वह लोगों को इतनी पसन्द आई कि इतना दबाव डालने पर भी आज ३०० आदमियों में से १ आदमी ऐसा है कि जो अपनी इंडिवीजुयल फार्मिंग चाहता है। नहीं तो सब कोआपरेटिव फार्मिंग पसन्द करते हैं। इसी कोआपरेटिव फार्मिंग की वजह है कि वहाँ पर इतनी तरक्की हुई। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यहाँ पर भी वह दबाव डाला जाय और दबाव डालकर इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग खोली जाय। हम लालच जरूर दे सकते हैं और उस लालच के जरिये से किसान कोआपरेटिव फार्मिंग खोल सकते हैं। जो पावर आपने पंचायतों को दी हैं उसमें भूमि का भी कुछ अधिकार उनको दें। जैसे गाँव सभा को आप कुछ अधिकार दे रहे हैं, बाजार का इन्तजाम, हाट का इन्तजाम, पोखर का इन्तजाम, कुओं का इन्तजाम हैं इनको आप गाँव समाज को देने का इरादा कर रहे हैं। अगर यह चीज़ कोआपरेटिव फार्मिंग का इन्तजाम भी उनको सौंप दिया जाय तो वहाँ पर काफी लोग इसमें शामिल हो जायंगे। इसके फायदे को देखकर बहुत लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जायंगे। और कोआपरेटिव फार्मिंग जब एक व दो दफा वहाँ पर चल जायगी तो इतने लोग उसको पसन्द करेंगे कि पूरा गाँव उसमें शामिल होने को तैयार हो जायगा। तो मेरी यह सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को ऐसी बात नहीं देखनी चाहिए कि जनता इसकी तरफ आती है या नहीं जब इसके अन्दर कुछ सचाई उनको दिखाई देगी तो वह खुद ही इसकी तरफ आ जायगी। सच बात तो यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बिना हमारा काम

[illegible] इस बिल के अन्दर जो हमारे सामने पेश किया गया है। [illegible] नहीं देखते हैं, ऐसा तरीका कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि जिस तरीके से [illegible] की [illegible] वृद्धि हो सके। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अन्न की कमी [illegible] बढ़ [illegible] है यह बड़ी चीज देखने की है। सबसे बड़ा काम यही [illegible] उपज कैसे बढ़ सकती है। इस बिल में उसका कहीं थोड़ा सा [illegible] नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर [illegible] के पास [illegible] हैं, उन गरीब काश्तकार के पास २-३ बीघा जमीन [illegible] कहता है कि हुजूर मेरे पास तीन बीघा जमीन है, मैं ज्यादा [illegible] मेरे [illegible] बच्चे हैं। मुझे एक बैल की जोड़ी चाहिए [illegible] बैल हुए मेरा काम नहीं चल सकता, ताकि मैं [illegible] उनके लिए [illegible] यह समस्या आ जाती है तो उसका [illegible] उनसे आप यह नहीं कह सकते कि भाई तुम कोआपरेटिव फार्मिङ्ग [illegible] पूरे गाँव को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके [illegible] उनके साथ ५, ६ आदमी [illegible] भी गये तो क्या उनमें कोआपरेटिव फार्मिङ्ग [illegible] अगर ५, ६ आदमी उनके शामिल भी हो जाय तो क्या वह [illegible] कि उनमें यह [illegible] काम चला सकते हैं। अगर वह दफ़्तर में [illegible] तो वहाँ पर उनको बहुत मुखालिफ़त हो सकती है क्योंकि गाँवों के अन्दर बहुत सी आज कल पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो उसका किसी तरह से भी फेल्योर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आती है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या काश्तकार इस तरह से तैयार हो जायँगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस तरह का जिक्र कोआप-रेटिव फार्मिङ्ग का पर्टिकुलर जिक्र इसके अन्दर कहीं नहीं आया है। हमारी अन्न की समस्या इस तरह की है कि वह बिना कोआपरेटिव फार्मिङ्ग के हल किसी तरह से नहीं हो सकती। तो मेरी सरकार से प्रार्थना यह है कि सरकार यह इन्तजाम करे कि वह हर एक को [illegible] दे, हर काम का इन्तजाम किया जाय और उस काम में हर एक की मदद करे यह जरूरी काम है और बहुत जरूरी प्रोग्राम इसको बनाना चाहिये ताकि फसलें अच्छी तरह से तैयार हों और देश का भला हो। सरकार को चाहिये कि जो सरकारी [illegible] हैं उनको हर एक सर्किल के ऊपर बाँट दें। कोआपरेटिव फार्मिङ्ग के लिये अगर ५, ६ आदमी भी तैयार हो जाय तो वहाँ पर फ़ौरन ही खोल देनी चाहिये और उनको जितनी सहूलियत सरकार दे सकती है उतनी सहूलियत देनी चाहिये ताकि और लोग भी जो उसमें [illegible] न आते हों वह भी कोआपरेटिव फार्मिङ्ग में आने के लिये तैयार हो जायँ और जल्दी ही हमारे सूबे में कोआपरेटिव फार्मिङ्ग का काम शुरू हो जाय जिससे हमारे देश में उपज बढ़ सके और हमारी समस्यायें हल हो सकें। इस इन्तजाम में एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव कमिश्नर होना चाहिये जो कि खेती बाड़ी का इन्तजाम करे। उन लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिये ताकि यह काम आगे बढ़ सके। उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऊपर एक कमिटी की हैसियत से एक बोर्ड होना चाहिये। इसी तरह से उसके ऊपर एक प्राविंशियल कमीशन होना चाहिये जिसके मातहत सारे सूबे का इन्तजाम

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

हो। तब देश का भला हो सकता है। मुझे सरकार से एक बात और कहनी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को आये हुये तीन साल होगये हैं। हमारे देश की समस्यायें दिन बदिन बढ़ती जाती हैं अभी तक हम अपने यहां की हालत दुरुस्त नहीं कर सके हैं और हम इस बात से भी सन्तोष नहीं कर सकते कि हमें स्वराज्य मिल गया है। हमारे प्रान्त की हालत और प्रांतों से अधिक खराब है क्योंकि यहां पर सिवाय खेती करने के और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। न तो और कोई काम है और न खनिज पदार्थ ही है जैसा कि बंगाल वग़ैरा में। हमारे यहां की जनता खेती पर ही मुनहस्सिर है। ७५ फ़ीसदी लोग खेती का काम करने वाले होने पर भी यहां पर हमारे लिये अन्न की कमी हो जाती है यहाँ से जो चीज़ें दुनियाँ के बाहर भेजी जा सकती हैं उनमें चीनी और गुड़ और तमाम तिलहन हैं, इसके अलावा जो बाहर से आती हैं वह करीब करीब अनगिनती हैं यानी करीब-करीब सभी चीजें बाहर से आती हैं। आप रुई को ले लीजिये, हमारे यहाँ जितनी यार्न, (सूत) या कपड़ा पैदा होता है वह करीब-करीब हमारे प्रान्त की जरूरत के मुआफ़िक़ आधा होता है। उस आधे कपड़े और सूत के लिये हमें ५ लाख गांठें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। अगर हमें मकान बनाना पड़ता है तो उसकी ईंटें पकाने के लिये कोल डस्ट भी बाहर से मंगानी पड़ती है। अगर हमें कोयले की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है तो वह बाहर से मंगाना पड़ता है। इस तरह से हमारे प्रान्त की माली हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर माली हालत का सुधार करना है तो सरकार को खादी पर पूरी तवज्जह लगा देनी चाहिये। सब ताकत खादी की तरफ़ पहुँचनी चाहिये और मैं समझता हूँ कि खादी का डेवलपमेंट करने के लिये जो रूस के तरीके हैं, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ रूस में खुली हैं वह सबसे अच्छी हैं, उन्हीं का अनुसरण हमको करना चाहिये। मैं रूस की बहुत सी बातों के बिलकुल खिलाफ हूँ वहाँ पर जो तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं वह बहुत ही निन्दनीय हैं, लेकिन जो तरक्की उन्होंने की है उसकी तारीफ़ किये बिना नहीं रह सकता। देश के हर अंग की तरक्की आवश्यक है इसी प्रकार जैसे कि शरीर के हर अंग की तरक्की जरूरी है। अगर शरीर का कोई हिस्सा तरक्की करता जाय और कोई वैसे का वैसा ही रहे तो शरीर बेढंगा रहेगा। अगर शरीर में एक आँख बड़ी हो जाय और दूसरी ज्यों की त्यों रहे तो कितना भद्दा मालूम होगा तो इस तरह से जब तक शरीर का हर एक हिस्सा तरक्की नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं की जा सकेगी। इसी तरह से जब तक राजनीति का हर एक अंग तरक्की नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं हो सकती। मैंने रशा के बारे में काफी लिट्रेचर पढ़ा। किसी ने रशा की तारीफ की है किसी ने बुराई। मैं उलझन में पड़ गया। सन् १९३१ ई० में कवि रवीन्द्र रूस पहुँचे और उन्होंने जो वहां के बारे में लिखा है वह पढ़कर खुशी होती है। मैं सुनाना चाहता हूँ कि तरक्की किस तरह की होनी चाहिये :—

"जो मूक थे, उन्हें भाषा मिल गई। जो मूढ़ थे उनके मन पर से पर्दा हट गया है, जो दुर्बल थे उनमें आत्मशक्ति जाग्रत हो गई है। जो अपमान के नीचे दबे हुए थे आज वे समाज की अन्ध कोठरी में से निकलकर सबके साथ समान आसन के अधिकारी हो गये हैं। इतने ज्यादा आदमियों का इतनी तेजी से ऐसा भावान्तर हो जायगा, इस बात की कल्पना

करना कठिन है। जमाने से सूखी पड़ी हुई नदी में शिक्षा की बाढ़ आई है, देखकर हृदय पुलकित हो जाता है। देश में इस छोर से उस छोर तक सर्वत्र जाग्रति है। इनकी एक नई आशा की वीथिका मानो दिगन्त पार हो गई है, जीवन का वेग सर्वत्र पूरी मात्रा में मौजूद है। इन तीनों चीजों को लेकर अत्यन्त व्यस्त हैं। शिक्षा, कृषि और यंत्र। इन तीन रास्तों से सम्पूर्ण जातियों को एक करके हृदय, अन्न और कर्मशक्ति को सम्पूर्णता देने के लिये ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश की तरह यहां के लोग भी कृषि जीवी हैं। परन्तु हमारे यहां की कृषि एक ओर से मूढ़ है और दूसरी ओर से असमर्थ, शिक्षा और शक्ति दोनों ही से वंचित। उसका एकमात्र क्षीण आश्रय है प्रथा, बाप दादों के जमाने के नौकर की तरह वह काम करती है कम और कर्तव्य करती है ज्यादा। जो उसे मानकर चलेगा, वह आगे बढ़ नहीं सकता। और आगे बढ़ना ही है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वह लंगड़ाता हुआ चल रहा है।"

तो यह है हमारे कवि सम्राट टैगोर जी का कहना। उन्होंने लिखा है कि रूस ने ८ साल में इतनी तरक्की की है कि आश्चर्य होता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ५, ७ आदमियों को जो विशेषज्ञ हों, उनको रूस भेजे और इस बारे में देख भाल करे कि वहां के लोगों ने कैसे तरक्की की और वही बातें यहां पर भी लागू हों। यह जरूर है कि मैं रूस की तरक्की को स्थायी तरक्की नहीं समझता। वहां पर जो तरक्की है वह है दुनियावी तरक्की, वह है भौतिक तरक्की। जब तक भौतिक तरक्की का आध्यात्मिक तरक्की से मेल नहीं खाता है तो वह स्थायी नहीं रहती है। हमारे उपनिषद् में कहा है कि वह आदमी मूर्ख है कि जो "फ़ाइनाइट" को देखता है, जो सिर्फ़ संसार को देखता है। वह आदमी उससे भी मूर्ख है जो सिर्फ़ इन्फ़ाइनाइट को देखता है, यानी सिर्फ़ परमात्मा को देखता है।

होशियार वही है जो दुनिया की हद तक दुनिया को देखता है और परमात्मा की हद तक परमात्मा को देखता है। हिन्दुस्तान ने जब तक इन दोनों चीज़ों को देखा तब तक हमेशा तरक्की की। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है।

जगते रहु छत्तीस ह्वै, राम चरन छः तीन।
तुलसी देख विचार हिय, यह मत परम प्रवीन॥

अगर हिन्दुस्तान इन दोनों बातों को देखेगा तो बहुत तरक्की करेगा। मैं सरकार को बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा बिल उसने पेश किया है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द पास होगा।

श्री साजिद हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है दो तीन चीज़ें ख़ास हैं। एक सवाल तो यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि ज़मीदार और ज़मीदारी बुरी चीज हैं। लिहाजा उन्हें कम्पेन्सेशन देकर अलग कर दिया जाय और उसे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गल्ला ज्यादा पैदा होगा। अब आप यह देखिये कि जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है मैं तो नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मसला है जिस पर कोई खास बहस की जरूरत पड़ना चाहिये, क्योंकि यह तो अक्सर होता रहता है कि गवर्नमेंट को किसी मकान की जरूरत हुई, किसी जमीन की जरूरत हुई, उसने अक्वायर कर लिया और किसी को कानोकान खबर भी नहीं हुई। अगर बेचने वाला मुतमइन नहीं हुआ तो उस ने अदालत में दादरसी चाही अगर आप

[श्री साजिद हुसैन]
किसी मकान सहन या जमीन को अगर इसी को फैला दें और फ़र्ज कीजिये कि यह तय हो कि लखनऊ के शहर को पूरा गिरा दिया जाय और उस पर एक एरोड्रोम बनाया जाय तो उसके लिये लें तो (अगर वह किसी असरदार आदमी का हुआ तो मुमकिन है कि असेम्बली में सवाल पूछ लिया जाय) शायद उस पर बहस हो जाय या एक रेजोल्यूशन हो जाय और बिल पास हो जाय, तो इस के मानी यह हैं कि सिर्फ डिग्री का सवाल है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मैं इस वक्त इस चीज को नहीं ले रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि ले लेंगे तो फिर उसको यह चीज की आठ गुना देंगे या दस गुना देंगे यह तो मामूली आदमी की बात हुई। लेकिन स्टेट की डिगनिटी का लिहाज होना चाहिये।

अब फर्ज कीजिये कि आप इंटरमीडियरी हटा देना चाहते हैं यानी स्टेट और टेनेन्ट्स के बीच में जो हैं उनको हटा देना चाहते हैं। जंगलों के बारे में और तालाब के बारे में यह चीज नहीं है। इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक नहीं हैं। अगर वर्डिंग्स में कोई बात हो तो उसकी इस्लाह कर दी जाये। जंगलो के बारे में यह है कि गवर्नमेंट और लैण्ड-लार्ड के अलावा और कोई है ही नहीं। क्या वहाँ के जानवरों को टेनेन्ट्स समझा जायेगा। बहरहाल आप देखिये कि इंगलैंड में नेशनलाइज़ेशन की पालिसी एडाप्ट की गई तो वहाँ पर जो सही कम्पेन्सेशन था वह सबको दे दिया गया इसलिये वहाँ कोई डिसैटिसफैशन का सवाल ही नहीं उठा। अगर वह लोग अपनी जायदाद पास रखते तब भी उनको उतनी ही आमदनी होती जितनी कि अब होती है। अगर आप यह मानते हैं कि प्राइवेट प्रापरटी हटा दी जाये और स्टेट प्रापरटी रखना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन ओनरशिप तो किसी न किसी में जरूर वेस्ट करेगी चाहे वह लैंड लार्डस हो या स्टेट हो। मगर स्टेट में और वैसे आदमी में एक फर्क हो जाता है कि स्टेट के हाथ में पावर होती है। अगर स्टेट लेना चाहती थी तो जो मामूली तरीका था, उसी के जरिये लेना चाहिये था। यह बड़ी बेजा बात है। यह स्टेट की डिगनिटी और शान के खिलाफ चीज है।

सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने फ्रूड प्रोडक्शन का है। इसके बारे में मैं आपको चन्द लोगों के रिमार्कस जिनको कि इसमें एक्सपर्ट कहा जाता है, पेश करना चाहता हूँ। जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में से जिसको कि आपको अथारिटी कहना चाहिये उसके कुछ कुटेशन्स पेश करना चाहता हूँ।

"Agricultural inefficiency being one of the principal causes of India's poverty, the improvement of agriculture forms the focal centre of her economic planning."

("कृषि विषयक अयोग्यता भारत की निर्धनता का प्रधान कारण है और इस कारण से उसकी आर्थिक योजनाओं का केन्द्र कृषि की उन्नति ही है।")

और आगे वह कहते हैं कि—

"A consideration of these difficulties has a chilling effect upon the most ardent enthusiast and rules out any facile optimism that the

abolition of zamindari will, by itself, bring in an era of plenty and prosperity by removing all the impediments to increased production and assuring the cultivator a high standard of living."

("इन कठिनाइयों पर विचार करने से बड़े आशावादी व्यक्ति के ऊपर भी निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और वे सब आशायें समाप्त हो जाती हैं जिनको अधिक उपज के मार्ग की कठिनाइयाँ दूर करके और किसान को सम्पन्नतर जीवन की आशा देकर, ज़मींदारी का उन्मूलन, सम्पन्नता और ऐश्वर्य के समय में, उत्पन्न करेगा।")

और फिर आगे वह फ़र्माते हैं कि—

" While it is true that no progress is possible today until this obstacle is removed, we must remember that the zamindari system is only one among a number of factors contributing to agricultural inefficiency. It would be unfair and even risky to blame the zamindar for all the ills from which agriculture suffers."

("यह सच है कि वर्तमान समय में जब तक यह बाधा दूर न कर दी जाय, उन्नति सम्भव नहीं, तथापि हमको यह याद रखना चाहिए कि कृषिविषयक अयोग्यता के कारणों में से यह केवल एक कारण है। कृषि में जो दोष व्याप्त हैं उन सबके लिये केवल ज़मींदार को ही दोषी ठहराना अन्याय होगा और ऐसा करने में डर भी है।")

यह तो आपकी रिपोर्ट है मुझे इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यह यू० पी० आई० की रिपोर्ट है। मि० रतनचन्द्र हीराचन्द्र कहते हैं :—

Mr. Ratanchand Harichand, a prominent industrial magnate of Bombay, who was at Nagpur a few days ago to preside over the first annual session of the C. P. & Berar Electrical Conference, addressing a press conference said that he was of opinion that the abolition of zamindari would defeat its own purpose, in the sense that it would lead to fragmentation of land when the consolidation of land was the need of the hour to ensure large scale farming.

("श्री रतनचन्द्र हीराचन्द्र जो बम्बई के एक प्रमुख व्यापारी हैं और जो कुछ दिन पहले मध्य प्रांत और बरार की इलेक्ट्रिक कान्फ्रेन्स के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में, सभापति बनकर नागपुर गये थे, उन्होंने प्रत्रकारों की कान्फ्रेंस में यह कहा कि उनके मतानुसार, जमींदारी का उन्मूलन हो जाने से वह उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा जिससे उन्मूलन किया जाता है, क्योंकि इससे भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जायगी जबकि बड़े पैमाने पर खेती कराने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि को समाहित रक्खा जाय।")

यह सैशन नागपुर में हुआ था उसमें वह आगे फरमाते हैं :—

He suggested that as an effective solution of the problem it would be better that zamindari areas be run on the basis of a limited concern to be managed by the zamindars under the supervision of

[श्री साजिद हुसैन]

government who should get 10 per cent of the profit, *i. e.*, the government.

Speaking about the labour and agrarian unrest in the country, Mr. Ratanlal said that it was not genuine, but was fomented by leaders with ulterior political motives rather than the professed economic ones.

(उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या को हल करने के लिये यह होगा बेहतर कि ज़मींदारी के क्षेत्रों को लिमिटेड व्यवसाय के आधार पर चलाया जाय जिसका प्रबन्ध ज़मींदार लोग सरकार की देख भाल के अन्तर्गत करें और सरकार को लाभ का दस प्रतिशत मिले ।)

देश में मजदूरों और किसानों की अशान्ति के विषय में बोलते हुये श्री रतन लाल ने यह कहा कि यह झूठी अशान्ति है जिसको नेताओं ने आर्थिक उद्देश्यों की आड़ लेकर, केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उत्पन्न किया है ।

यह उन लोगों का ख्याल है कि जो बिजिनैस वाले लोग हैं और एक सही नजर रखते हैं । एक साहब जो चैम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेन्ट हैं वह फरमाते हैं और जब वह इस दर्जे पर पहुँचे तो उनमें कुछ न कुछ सलाहियत तो जरूर ही होगी । वह कहते हैं :

The President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, in a memorandum submitted to our Prime Minister, said that the Federation also thinks that the abolition of zamindari will have serious repercussions on the financial stability of the country.

(हमारे प्रधान सचिव को भेजे गये एक स्मरणपत्र में फेडेरेशन आफ़ इण्डियन चेम्बर्स आफ़ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री के प्रेसीडेण्ट ने यह कहा कि फेडरेशन का भी ख्याल है कि जमींदारी के उन्मूलन से देश की आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ।)

बहरहाल यही वह नकायस हैं कि जो लोगों ने पेश किये हैं और वही मैंने आपके सामने पेश किये । आपको यह देखना चाहिये कि आप जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं इससे फायदा मुल्क को पहुँचेगा या नहीं । यह कोई खिलौना या घरौंदा तो है नहीं जो जरा देर में तोड़ दिया जाय । आप को इसके अच्छे बुरे नतायज देखने चाहिए । आप इसको अच्छा समझें या बुरा लेकिन यहां ज़मींदारों को इस तरह से बुरा कहना कोई ग्रेसफुल बात नहीं है :—

शेर :—"क़ुसूर ढूँढ के पैदा किये जफ़ा के लिये"

सरकार की इस तरह की पालिसी मुनासिब नहीं है और यह किसी भी स्टेट की डिग्निटी या शान के खिलाफ़ है । कहा गया कि ज़मींदार अंगरेजों के साथ रहे और हमेशा नेशनल एसपीरेशन्स के ख़िलाफ़ रहे । एक साहब ने उनका मुकाबला महाराजा ग्वालियर से करना शुरू कर दिया । एक इंडिपेंडेन्ट स्टेट का और यहां के ज़मींदारों का क्या मुकाबला ?

वह साहब खुद एक वकील होकर ऐसी बात कहते हैं जिससे उनकी काबिलियत का अन्दाज़ा हो जाय। आपके सामने चन्द कोटेशन्स और पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अयोध्या के ताल्लुकेदार का जिक्र करूँगा जिसको सबसे ज्यादा खैरख्वाह ब्रिटिश कहा जाता है। मैं आपको दिखलाता हूँ कि हचिसन के भारतीय गदर के कोटेशन (उद्धरण) के जरिये से मैं आपको दिखलाता हूँ कि वह खैरख्वाही कितनी थी, कितनी नामिनल थी और क्या अहमियत रखती थी।

"I must remark that Man Singh was in confinement on a revenue question. when Captain Alexander Orr., the Assistant Commissioner, who had known him for several years, begged his release, and it was entirely owing to his former long acquaintance with Capt. Orr. under the old regime that Man Singh first offered to save Captain Orr's wife and children and afterwards was induced to extend his protection to the large number he saved"

(मुझको यह कहना पड़ेगा कि मानसिंह एक मालगुज़ारी के सवाल पर हिरासत में था जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन अलेक्ज़ेंडर ओर ने, जो उसको कई साल से जानते थे, उसकी रिहाई के लिये प्रार्थना की। पुराने शासन काल में इतनी पुरानी जान-पहचान के कारण ही मानसिंह कैप्टेन ओर की स्त्री और बच्चों की रक्षा करने को तैयार हुआ और बाद में उन बहुत से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए भी उसको तैयार किया गया जिनको उसने बचाया।)

यानी मतलब यह है कि उनके पर्सनल ताल्लुकात की बिना पर इनसानियत के नाते उन्होंने उनको बचा लिया। इसको समझ लीजिए आप ट्रेचरी या जो कुछ कहिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो आइडिया है पेट्रीयाटिज़्म का उस पर लोगों ने गौर नहीं किया। इसका लाजिकल कानक्लूजन यह निकलता है कि यह भी एक किस्म की सेल्फिशनेस है। इस पर मैं विस्तार से इस मौके पर नहीं कहना चाहता। मैं चन्द बड़ी-बड़ी स्टेटस के मुताल्लिक अर्ज़ करूँगा जैसे महमूदाबाद :—

"At last on the 18th of June, 1857, the troops (rebels) were invited by Rajah Nawab Ali to proceed to his place at Mahmudabad about twentyeight or 30 miles north-east of Lucknow. This Raja was the first of his class in Oudh to raise thes tandard of revolt, and has since shown himself the bitter enemy of the British."

(अन्त में १८ जून सन् १८५७ को फ़ौज (विद्रोही लोगों) को राजा नवाब अली ने अपने स्थान महमूदाबाद में बुलाया जो लखनऊ से उत्तर पूर्व की ओर २८ या ३० मील है। अवध के राजाओं में यह अपने वर्ग का पहला राजा था जिसने विद्रोह को और भी बढ़ा दिया और तब से बराबर वह ब्रिटिश लोगों का कट्टर शत्रु रहा है।)

सुनिये, ओयल के बारे में कैप्टेन हियर्स का सीतापुर की मारकाट और भगदड़ का वर्णन इस प्रकार है।

(श्री साजिद हुसैन)

"We travelled all night and by sunrise arrived at the village of Oel. I was refused admittance into the fort by Raja Anrudh Singh's people, but as the ladies were suffering much from fatigue and want of sleep, I sent a man begging permission to be allowed to rest ourselves for a couple of hours. Even this request, though trifling enough, was refused. With much difficulty I obtained two of his followers, in order to secure us safe passage through his district."

(हम रात भर चलते रहे और सूर्योदय होने तक ओयल नाम के गाँव में पहुँचे। राजा अनिरुद्ध सिंह के आदमियों ने मुझे दुर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, किन्तु चूंकि थकावट से और निद्रा के अभाव से स्त्रियाँ बहुत कष्ट पा रही थीं, मैं ने दो घंटे आराम करने की अनुमति माँगने के लिये एक आदमी भेजा। यह छोटी सी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गयी। बड़ी कठिनाई से मैं उनके दो अनुगामियों को पा सका ताकि वे लोग उनके प्रदेश से सुरक्षापूर्वक हम को बाहर पहुचा दें।)

अब सुनिये नानपारा :—

"They started off at once then northwards in the direction of Nanpara, 22 miles north of Bahraich, the seat of a minor raja. There, however, admission was refused them and they were forced to retrace their steps."

(वे तुरन्त रवाना हो गये और नानपारा की ओर चले जो बहराइच से २२ मील उत्तर की ओर है और एक छोटे राजा की राजधानी है। परन्तु वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया और उन्हें वापस होना पड़ा।)

अब मैं चौड़ा साम्राज्य की निशानी यानी मेरी नान्चीज़ स्टेट पर जो रिकार्ड है वह मैं खुद अंग्रेजों के रिकार्ड से यानी अवध के गजेटियर से पेश करता हूँ।

"The Raja of Kotwara thought that he could oppose the British Army in its successful march across Oudh after the battle of Buxar in 1764. He was defeated and killed,-bayoneted through the flowing pyjamas which, this degenerate Chhattri thought, was a suitable panoply for the battlefield. They rose again and again. Their Chief took up the losing cause in 1857........ and was known as the archrebel of Mutiny."

(बक्सर की सन् १७६४ की लड़ाई के बाद कोटवारा के राजा का ख़्याल था कि वह अवध के बीच से सफलतापूर्वक मार्च करती हुई ब्रिटिश सेना का विरोध कर सकेगा। वह हार गया और मारा गया—वही लहराता हुआ पायजामा पहने हुये मारा गया जिसको यह अवनति प्राप्त क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र के लिये उपयुक्त कवच समझता था। उन लोगों ने बार-बार विद्रोह किया। उनके सरदार ने इस विफल होते हुए कार्य को सन् १८५७ में फिर निष्पन्न करने का प्रयत्न किया और वह उस विद्रोह में प्रधान विद्रोही बन गया।)

[illegible] उनके वह [illegible] हैं जिसने उनका यानी [illegible] अंगरेजों के मुकाबले में सिर्फ वेटिल [illegible] खान्दान के काम [illegible] किया।

[illegible] आते हैं। यह [illegible] है।

[illegible] (मुख्यतः) एक [illegible] हैं जो जिंदा [illegible] अपने खून से की है। [illegible] क्या है, [illegible] क्या है दशहरा [illegible] जी कौन थे, कृष्ण [illegible] कहते हैं कि हम [illegible] आता है, शर्म [illegible] ठंडे दिल से गौर करना चाहिये। मैं नहीं कहता [illegible] हमारी रगों में खून है तो हम कुछ न कुछ [illegible] हम धमकी नहीं देते हैं। हम [illegible] नहीं हैं। अगर हमने हिन्दुस्तान की खिदमत के लिये अपना खून बहाया है और अगर आपको कुछ ख्याल है तो हम लोगों का भी कुछ थोड़ा सा लिहाज़ होना चाहिये।

श्री विष्णुशरण दुबलिश—श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, आज कल एक बड़ी भारी क्रांति का युग है और मैं समझता हूँ कि तमाम इतिहास में इतनी बड़ी क्रान्ति की लहर इस दुनिया में कभी नहीं आई। अब तक दुनिया में जितनी क्रान्तियां हुई हैं उनका एकही मार्ग रहा है और वह था हिंसा का। मगर महात्मा गांधी जी ने क्रान्ति में भी क्रान्ति कर दी। उन्होंने हिंसात्मक मार्ग को हटा कर दुनिया के सामने अहिंसात्मक मार्ग को रख दिया। हिन्दुस्तान में दोनों तरीके मौजूद हैं। कांग्रेस का तरीका, गांधी जी का तरीका अहिंसात्मक क्रान्ति का है। हिंसात्मक क्रान्ति और अहिंसात्मक क्रान्ति में बहुत बड़ा अन्तर है, दोनों के आदर्श, काम करने का तरीका अलग-अलग हैं। इन दोनों के मुताल्लिक, इनकी आइडियालोजी, इनकी टेक्टटिक्स, इनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस (मौलिक भेद) है। हिंसात्मक क्रान्तिकारी को विश्वास होता है कि पाप का अगर हमें नाश करना है तो बिना पापी के नष्ट किये पाप का नाश नहीं कर सकते।

वे अपने विरोधियों को हत्या करते हैं और उनके खानदान वालों को तड़पते हुए देख खुश होते हैं क्योंकि वे हिंसात्मक क्रान्तिकारी तरीकों में विश्वास करते हैं। अहिंसात्मक तरीकों में विश्वास करने वाला अपने विरोधी के सामने सहानुभूति की भावना से अप्रोच करता है। और उसको भी वह ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करता है जिससे कि वह अपना पाप छोड़ कर एक अच्छा नागरिक बन जाए। वह आदमी की इनहैरेन्ट गुडनेस (स्वाभाविक अच्छाई) में विश्वास करता है। रूस का तरीका हिंसात्मक क्रान्ति का तरीका था

[श्री विष्णुशरण दुबलिश]
लेकिन भारत अहिंसात्मक तरीके में विश्वास करता है भारतवर्ष में हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास करने वाली पार्टियाँ हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी तथा और भी छोटी-छोटी दूसरी पार्टियाँ हैं जो हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास करती हैं। लेकिन अहिंसात्मक क्रान्ति की प्रतिनिधि संस्था केवल एक संस्था है और वह कांग्रेस है। एक और संस्था ऐसी है जो किसी हद तक अहिंसा में विश्वास करती है लेकिन कभी वह गांधी वाद में विश्वास करने लगती है और कभी वह मार्क्सवाद में विश्वास करती है। कभी वह कम्पेन्सेशन देने को बिलकुल तैयार नहीं होती और कभी कहती है कि ५० लाख से ज्यादा न दिया जाय। उसका कोई बँधा हुआ प्रिंसपल नहीं है। मेरा मतलब सोशलिस्ट पार्टी से है। इसके अतिरिक्त आर० एस० एस०, हमारे भवन की जनता पार्टी जो मुस्लिम लीग का ही बिगड़ा हुआ रूप है, ज़मीदार पार्टीज़ हैं। इन्हें मैं रिवेल्यूशनरी पार्टी नहीं समझता, यह तो reationary (प्रतिगामी) पार्टी हैं। रिवोल्यूशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। महात्मा गांधी ने काँग्रेस के ज़रिये से अहिंसा को अपनाया। यह इसकी ही वज़ह है कि आज जो ज़मींदारी अवोलीशन हम करने जा रहे हैं उसमें एक सहानुभूति की भावना हमारे दिल में है। हमारे दिल में हिंसा की आग नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़मीदारों को मुआवज़ा दें। हम उनको तथा उनके बच्चों को तंग करना नहीं चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ज़मीदारों में कोई निकम्मापन न रहे। अंग्रेजों के साथ भी हमारा यही व्यवहार था। रूस में ज़ार का तमाम ख़ानदान मौत का शिकार बना। किसी रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ा। तमाम प्रिन्सेज और ताल्लुकदारों को खत्म कर दिया। सिवाय उनके जो भाग गये, कोई नहीं बचा। लेकिन यहाँ उसके बिलकुल विपरीत व्यवहार हुआ। हमारी क्रान्ति विरोधी को मजबूर कर देती है कि वह हमारे तरीके को इख्तियार करे और यह कि उसको यह ज्ञात हो जाता है कि उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजों से हमें कितनी नफ़रत और घृणा थी। लेकिन १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जब कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गये और उन्होंने हमारे रास्ते को इख्तियार कर लिया और महसूस किया कि इससे मुनासिब और सही रास्ता और कोई नहीं हो सकता है, नतीजा यह हुआ कि वह बालबच्चों सहित राज़ी से यहाँ से चले गये। उस दिन से हमारे दिल में उनके प्रति जो गुस्सा था एकदम गायब हो गया। दूसरा क़दम अहिंसात्मक क्रान्ति का सरदार पटेल ने रियासतों के सिलसिले में उठाया। रियासतों के वे राजे महाराजे और नवाब जिनसे कि पब्लिक बहुत ही ज्यादा नाराज थी जिन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़े जुल्म किये थे, जो भी इन रियासतों के अन्दर रहे हैं या गये हैं जिन्होंने वहां की हालत को देखा है, वही इन जुल्मों का अन्दाजा लगा सकते हैं। अगर यह राजा लोग मुकाबिला करते तो नतीजा इसका क्या होता ? वह उन फ़ोर्सेज़ की मदद करते जो हिंसात्मक क्रान्तिकारी फोर्सेज हैं और फिर नतीजा यह होता कि प्रजा उनके खिलाफ उठ जाती और उनका खात्मा कर देती। आज उनकी प्रजा के दिल में उनके प्रति कोई ख़ास गुस्सा नहीं है। इसी तरह अब दूसरा बड़ा जबर्दस्त क्रान्तिकारी कदम ७ जूलाई को पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने उठाया है और वह यह है कि उन्होंने इस बिल को इस

हाउस के सामने पेश किया है। मेरे एक भाई ज़मींदारों की दुहाई देने के लिये खड़े हुये थे। मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों के और स्टेट्स के अत्याचार से कहीं ज्यादा अत्याचार ज़मींदारों के थे। ज़मींदारों के अत्याचारों को अगर लिखा जाय तो हिमालय से केप कमोरिन तक वह लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। मैं एक नमूना रखता हूँ उनके अत्याचारों का उनके सामने और इसी तरह के बहुत से अत्याचार होते थे। काकोरी केस में सजा होने के बाद जब मैं सेंट्रल जेल में था तो वहां मुझे एक शख्स मिला। मैं डाकूमेंटरी चीज आपके सामने रख रहा हूँ। उसका नाम श्याम किशोर था। वह अवध की एक बड़ी रियासत का जिलेदार था। मेरे पास वह आया। उसको आजन्म कैद की सजा हुई थी। उसने यह कहा कि मेरी रहम की दरख्वास्त लिख दीजिये। मैंने उससे कहा कि अगर आप अपने फैसले की नकल ले आइये तो मैं आपकी दरख्वास्त लिख दूंगा। वह जजमेंट की नकल ले आया। उसका मुकदमा यह था कि गांव के किसी गरीब किसान की लड़की के साथ उसका नाजायज ताल्लुक हो गया था। उस बेचारे किसान ने अपना मामला पंचायत के सामने रक्खा। इससे जिलेदार रुष्ट हो गया। उसने कुछ गुण्डों को लगाकर उस किसान के साथ यह सलूक किया कि उसकी ज़बान तराश दी गई, उसके कानों के पर्दे फाड़ दिये गये, उसकी आँखें फोड़ दी गईं और उसके दोनों हाथ और पैर काट दिये गये। इत्तफाक की बात है कि वह आदमी मरा नहीं। जज ने उस फैसले में यह लिखा था कि अगर कोई कानून की ख़ामी मुझे नजर आती है तो आज, और वह यह है कि मैं उसे फाँसी की सज़ा नहीं दे सकता हूँ। मैं कौन गया और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तो ईश्वर ही रहम दे सकता है मैं यह मानता हूँ कि वह एक व्यक्ति का खेल था और वह भी ज़मींदार नहीं था मगर बाद में ताल्लुकेदार साहब ने उसकी रहम दरख्वास्त दिलाई और वह उसमें छूट गया—इस तरह की चीजें रोज हुआ करती थीं। इन्सान की इन्सानियत का खून होता था। मेरे मेरठ के ज़िले में एक गाँव ऐसा है जिसमें ज़मींदारी दूसरों की है और एक गाँव ऐसा भी है जिसमें भाई चारे की ज़मींदारी है। आप को दोनों का अन्तर मालूम हो जायगा लोग सिर उठाने के काबिल नहीं हैं दूसरे के लोग आत्माभिमानी हैं। १०-१५ साल पहले अगर आप अवध के गांवों को देखते तो आपको पता लगता कि ज़मीदारी से लोगों की क्या हालत है। मैं ज़मीदार और ज़मीदारी को अलग-अलग रख रहा हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह ज़मीदारी के लिये कह रहा हूँ। इसलिये ज़मींदारों को इसे बुरा नहीं मानना चाहिये। शायद उनकी जगह मैं अगर होता या और कोई होता तो मुमकिन है कि उनका भी रवैया यही होता। मैं अपने ज़मींदार भाइयों से यह बात कहना चाहता हूँ कि आपने पहले कितनी ही बहादुरी दिखलाई हो लेकिन जब से अंग्रेजों का इस सूबे में क़दम पड़ा है तब से आप उनके साथ रहे हैं और हर बात में उनका साथ दिया है। मैं आप से यह कहता हूँ कि आप उनका एक चीज में और साथ दीजिये और वह यह है कि अंग्रेजों का जो आख़िर इस मुल्क में हुआ है वह काफी शानदार हुआ है। जिस शान के साथ वह गए हैं उसी शान के साथ आप भी जाइये। अगर कांग्रेस जमीदारी ख़त्म नहीं करेगी तो वह अपने रेवोल्यूशनरी रोल को पूरा नहीं करेगी और हमारे प्रान्त के और देश के किसान उन क्रान्तिकारी शक्तियों से मिल कर ज़मीदारी को ख़त्म कर देंगे। नवाब

[श्री विष्णुशरण दुबलिश]

मुहम्मद यूसुफ ने एक धमकी दी थी कि अगर ज़मींदारी ख़त्म की गई तो मैं कम्यूनिस्ट बन जाऊंगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कम्यूनिस्ट जिस तरह ज़मींदारी के ख़िलाफ़ हैं उसी तरह ज़मींदार के भी हैं। आपके यह कहने से कि आप कम्यूनिस्ट बनने जा रहे हैं वे आपको बख़्शेंगे नहीं।

आप ख़ामख़ा चिल्ला रहे हैं। मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। आपको जितना मुआवज़ा मिल रहा है, मैं साबित कर सकता हूँ फ़िगर्स से कि यह ठीक है और आप की नेट (असली) इन्कम से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर ५ सौ के मालगुज़ार को लेता हूँ, उसको ८ गुना देते हैं मुआविज़ा और रीहैबिलिटेशन ग्रांट ८ गुना। किसी की आमदनी एक सौ रुपया है तो १६ सो रुपया उसको मिलेगा। वह १६ सो रुपया किसी इन्डस्ट्री में लगा सकता है और शेअर्स खरीद लेता है तो उसकी आमदनी डेढ़ से सौ के लगभग हो जाती है। इसी तरह ५ सो के मालगुज़ार की ज़मींदारी जाने से कोई नुक़सान नहीं है। २५ रुपये की मालगुज़ारी वाले ज़मींदार अपना रुपया इण्डस्ट्री में इनवेस्ट करेगा उसकी आमदनी एक रुपये के बजाय एक रुपया १२ आने हो जाती है। ढाई सौ रुपये का जो जमींदार है उसकी आमदनी भी एक रुपये के बजाय एक रुपया तीन आने हो जाती है। बड़े से बड़े जमींदार की जो नेट इनकम अगर सौ रुपये है तो ५० रुपये फिर भी रहते हैं। वह अपनी मुआविज़ी की रकम रोज़गार में इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आपके सीर, खुदकाश्त और बागात तो नहीं लिये जा रहे हैं। उनकी आमदनी में तो कोई कमी होगी नहीं। उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े जमींदार जैसे महाराजा बलरामपुर हैं उनकी आमदनी एक रुपये के बजाये १२ आने रह जायगी। बेशक नज़राने वग़ैरा की जो इल्लीगल और गैर कानूनी आमदनी है, उसका सवाल नहीं। एक रुपये में १२ आने जमींदार को मिलते हैं और वह जमींदारी के झंझट से छूट जाता है। दूसरे कामों से वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ किसानों की सद्भावना उनके साथ रहेगी। यह ठीक है कि कुछ जमींदार घर हैं, जिनकी बहादुरी की पुरानी हिस्ट्री है। आज़ाद भारत की फ़ौज़ें हैं उनमें उनके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, उनके लड़के डाक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, देश के वफ़ादार नागरिक बन सकते हैं। जमींदारी एबालिशन से उनका कोई नुकसान नहीं। ९९.५ जमींदार ऐसे है जिन्हें कि किसी तरह का नुकसान नहीं। बड़े-बड़े जमींदार हैं उनका कुछ नुकसान हैं मगर वह इतना कम है कि वह आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त जमशेदअली खाँ ने कहा कि किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुँवर जगदीश प्रसाद के नोट मैंने देखे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान का इतना फ़ायदा है। ५ परसेंट सूद पर सरकार उनसे रुपया ले रही है। ५ परसेंट सूद मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इस ऐक्ट के बनने से पहिले ८% किसान १० गुना रुपये दाखिल करेगा। क्योंकि किसान का इतना जबरदस्त माली फायदा है जो खुद काश्तकार की ज़मीन है मेरठ के जिले में ४ सौ रुपये कच्चा बीघा पानी की और ३ सौ रुपये कच्चा बीघा खाकी उसके दाम हैं। औसतन ३ सौ रुपया

बीघे देता है। जब लगान छूट जायगा तो खर्चा कम हो जायगा और ज़मीन का दाम और बढ़ जायगा जो मैं समझता हूँ डेढ़ सौ वाला है। उसके पास ६० बीघा मेरठ में है जहाँ ऊँचा लगान है क्योंकि मेरठ जिले में सबसे ऊँचा लगान है। दूसरे जिस जिले में ७०-८० बीघे होते किसान ३० बीघे का मालिक बन जाता है। उसको ट्रान्सफर का राइट मिल जाता है तो वह तीन बीघे डेढ़ सौ लगान का दस गुना अदा करेंगे। और ५७ बीघे उसके पास रह जायेंगे। इस तरह से किसान से जो कुछ लिया जा रहा है उससे २० गुना ज्यादा उसे मिल रहा है। वह १ हज़ार देता है तो २० हजार का मालिक बन जाता है। यह बिल जो हमारे सामने आया है इसको मैंने किसानों के जलसे में उनके सामने कहीं मेरा ख्याल है कि जिस वक्त तक यह ऐक्ट होगा, उस वक्त तक ९८ फीसदी रुपये किसान जमा कर देंगे

इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है कि ९५ फी सदी किसान अपना रुपया जमा कर देंगे। मैं देखता हूँ कि जब किसान अपना मुआविजा दे देंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि बड़ा भारी फायदा है। और सब से ज्यादा साइकोलोजिकल फायदा है। उनके दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा कि वे किसी की रियाया हैं। किसानों की बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में है। इस तरह से उनके अन्दर सेल्फ रेसपेक्ट का भाव आयेगा। जब किसानों के अन्दर सेल्फ रेसपेक्ट का भाव आयेगा तो वे अपना सर उठा सकेंगे और हम दुनिया के सामने अपने सर को ऊँचा कर सकेंगे। रुपया जमा करने से किसानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि बड़ा भारी फायदा है। एक दूसरी किस्म शिकमी काश्तकारों की है उनके ऊपर एक भारी एतराज उठाया गया है कि जब आप पांच वर्ष के बाद भूमिधर बना देंगे तो पांच वर्ष पहले ही बना देने में क्या नुकसान है? अगर उनको इसी वक्त ये राइट्स दे दिये जायँ और वे भूमिधर बना दिये जायँ? एक बात यह है कि जो सीर या शिकमी के या मौरूसी किसान के शिकमी हैं उनका जो जमींदार था और जिसकी जमीन लगान पर थी तो उस वक्त उसने यह समझा कि कोई दिन ऐसा आवेगा जब उसकी जमीन वापस मिल जावेगी। वह इसी आशा में था कि कुछ अरसे बाद शायद उसकी जमीन आइन्दा मिल जाय। तो ऐसी हालत में उसका कोई नुकसान न हो इसी का ख्याल करके यह रखा गया है कि अगर पांच साल में वह शिकमी अपना मुआविजा अदा कर दे तो वह भूमिधर हो जायगा। ५ साल के अन्दर वह अपना गुजारे का कोई और प्रबन्ध कर लेगा। इस तरह से मैं कहता हूँ कि यह बात बिलकुल न्याय पूर्ण है। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। एक साहब ने अनइकनामिक होल्डिंग और लैंड लेस लेबरर के बारे में कहा है। मैं इन दोनों चीजों को साथ साथ ही लेता हूँ। एक मेरे दोस्त जो मेरे करीब बैठे हुये हैं उनसे मैंने यह कहा कि लैंडलेस लेबरर का नाम जमीन की मिल्कियत के सिलसिले में नहीं लेना चाहिये। इस पर वे नाराज हो गये और उन्होंने मुझको रीऐक्शनरी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मैं एक रेवोल्यूशनरी के नाते ही इस चीज को रखता हूँ कि लैंडलेस लेबरर का नाम जमीन की मिल्कियत के सिलसिले में नहीं लेना चाहिये। आजकल हमारे देश में खेती करने वालों की तादाद ५१ प्रतिशत है और २४ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर कहलाते हैं। यानी इस तरह से ७५ प्रतिशत आदमी खेती पर मुनहसर हैं। अगर

[श्री विष्णुशरण दुबलिश]
हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो हमें चाहिये कि खेती करने वालों की तादाद कम करें। अगर जमीन के मामिलों की तादाद हम कम नहीं करते तो हमारा मुल्क कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, और न दुनिया के सामने सर उठा कर खड़ा हो सकता है। दुनिया के और किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद खेती करने वालों की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में खेती करने वालों की तादाद ३३ फी सदी से अधिक न हो। खेती करने के लिये कोई दूसरा अच्छा तरीका निकाला जाय जिससे हमारे यहां अन्न की पैदावार काफी हो। जो लैंडलेस लेबरर हैं उनसे मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं समझता हूँ कि आज वे हमारे यहां सबसे ज्यादा परेशान सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा नंगे हैं और सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमारे गाँवों में जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको रेहैबिलिटेट करने का ठीक तरह से सही तरीका जमीन नहीं है। श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ने कुलियों के आँकड़े लेकर नक्शा आपके सामने रखा है कि अगर सब फालतू जमीन उनमें बांट दी जाय तो आधा बीघा हर एक के हिस्से में पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जैसा हमारे एक दोस्त ने कहा, शायद लारी साहब ने कहा था कि अनइकनामिक होल्डिंग का लगान बिलकुल माफ कर दिया जाय। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में किसानों की आदत कुछ ऐसी है कि अगर बीस बीघा एक के पास जमीन है और उसके दो लड़के हुये तो दोनों आपस में दस-दस बीघा बांट लेंगे। अगर दस ही बीघा हुआ तो पांच-पांच बीघा बांट लेंगे। उसको चिपटे रहेंगे और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। हम इस तरह की टैंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज उनको दी जायं जिससे वे अपनी अपनी अलग अलग होल्डिंग में चिपके रहें। जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है उसके मुताबिक तो मैं सोचता हूँ कि जो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं जो रोजमर्रा के कंज्यूमर्स गुडस बनाने वाली इन्डस्ट्रीज हैं, उनका डिसेन्ट्रलाइज़ेशन होगा।

मैं समझता हूँ कि कपड़े की इन्डस्ट्री डिसेन्ट्रलाइज होगी, और चार-चार पांच-पांच गांवों के बीच में एक-एक फैक्टरियां होंगी और इस तरह से हम काम करेंगे जिसमें कि हमारे लैंडलेस लेबरर्स और अनएकनामिक होल्डिंग रखने वाले काश्तकार अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्थापित करें और उनके जरिये से अपनी रोजी पैदा करें। इन्डस्ट्रीज़ डिसेन्ट्रलाइज़ होने से उनकी देहातों की सारी गरीबी सारे प्राबलम्स खत्म हो जायेंगे और जो लेबर के सिलसिले में हाउसिंग वगैरह के प्राबलम्स खड़े हुये हैं वह भी खत्म हो जायेंगे क्योंकि लोग अपने छोटे छोटे कारखाने कायम करेंगे और हमारे गांव हमारे शहरों को भी चीजें बना कर जो उनकी एरियाज़ से फालतू होंगी भेजेंगे। इस तरह से मैं यह समझता हूँ कि यह सारे प्राबलम्स हल हो जायेंगे। लोग कहते हैं कि यह लान्ग टर्म प्लान है मैं कहता हूँ कि आप कोई शार्ट टर्म प्लान निकालिये। मेरा यह ख्याल है कि लैंडलेस लेबरर्स का मसला एक बिल्कुल दूसरे ढंग से साल्व (हल) करना होगा जमींदारी अबालीशन से वह साल्व नहीं होगा। इतनी जमीन में ही आप सबको खपा नहीं सकते। हमें इस तरह की फैक्टरीज़ बनानी होंगी जिसमें लोगों को काम दिया जाय। गाँवों में छोटी-छोटी फैक्टरी

मे लैंडलैस मजदूरों को उसमें कहीं ज्यादा मजदूरी मिलेगी जो उन्हें आज खेत पर काम करने में मिलती है—लिहाज़ा बड़े-बड़े होल्डिंग वालों को मजदूर नहीं मिलेंगे और इन बड़े होल्डिंग के डिस इन्टिग्रेशन (छोटे होने) का पोसेस खुद शुरू हो जायगा जो जितनी जोत सकेगा उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकेगा। ऐसी ही एक बात और है जो मुझे बड़ी मुनासिब मालूम होती है और वह यह है कि जहाँ तक हो सके लैंड पर एक यूनीफार्म रेट रेवेन्यू का होना चाहिए। आज हमने प्रोक्योरमेंट में भी देखा है। मुझे पूर्वी जिलों का तो इल्म नहीं है लेकिन मैं अपने जिले मेरठ की कहता हूँ कि कहीं कच्चे बीघा पर १५, १८ रुपए २० रुपए हैं और कहीं कुछ और है। मेरे ख़्याल से यूनीफार्म रेट होना चाहिए। कुछ भाई कहते हैं उनका एतराज था कि चालीस साल तक का बन्दोबस्त कर दिया गया है कि चालीस साल तक कोई चेन्ज नहीं होगा। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने यह गारन्टी दी है कि चालीस साल तक कोई भी रेएट किसी तरह से बढ़ाया नहीं जाएगा। कमी करने में, घटाने में कोई भी दिक़्क़त नहीं रहेगी। एक बात और कहना है कि आप म्यूनिसिपल बोर्ड, नं.टीफाइड एरिया और टाउन एरिया के लिए बिल अलग ला रहे हैं। ठीक है म्यूनिसिपल बोर्ड और नोटीफाइड एरिया की बात ही दूसरी है। लेकिन जहाँ तक टाउन एरिया का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि वे भी बड़े-बड़े गाँव से हैं इसलिए उनका इसी बिल में समावेश होना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं ज़्यादा डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाना चाहता। जो मोटी-मोटी बातें हैं उनको देखते यह बिल बहुत सुन्दर और ठीक मालूम होता है। मैं आखिर में फिर अपने जमींदार भाइयों से अपील करूँगा कि वे खुशी-खुशी इस कानून को पास होने दें और जैसा राजा जगन्नाथ बख़्श सिंह ने अमेंडमेंट रखा है कि इसको पबलिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट किया जाय। उससे ४ महीने के लिये अगर रोक दिया जाय; यह डाइलेटरी टेकटिक्स का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर जमींदार इसे नहीं छोड़ेंगे तो किसान तुले बैठे हैं कि जमींदारी जल्द तोड़ी जाय। वह परेशान हैं। अगर हम चार महीने के लिए और छोड़ देंगे तो वह ज़्यादा नाराज हो जायँगे। और चूंकि उन्हें इस बात का दावा रहा है कि वे किसानों के हमदर्द हैं और किसान उनके पूरी तरह साथ हैं लिहाजा मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी विलेज पंचायतो के चुनाव के सिलसिले में क्या हुआ। क्या यह सही नहीं है कि छोटे किसान और गाँव के मजदूर मिल गये और उन्होंने तय कर लिया कि हम इन हवेली वालो को हरगिज गाँव सभा का प्रधान नहीं बनायेंगे। इससे आपको पता लग गया होगा कि किसान आपसे कितने चिढ़े हुये हैं उन्हें और अधिक चिढ़ा कर अराजकता की सीमा तक न पहुँचाइये। उसका फल आपके लिये अच्छा न होगा।

काश्तकार परेशान हैं, वह बेताब हैं कि जल्द से जल्द जमींदारी को खतम किया जाय। जब पिछली कांग्रेस मिनिस्ट्री ने टेनेन्सी बिल पास किया था तो उससे उनको कुछ राहत मिली थी। इसी तरह से इस बिल के पास हो जाने पर उसको बहुत परेशानियो से छुटकारा मिल जायगा। जिस तरह से अंग्रेजों की हालत यहाँ पर १४ अगस्त की रात को थी क्योंकि सुबह ही उनका बिस्तरा बोरिया यहाँ से बँधने वाला था उसी तरह से आज

[श्री विष्णुशरण दुबलिश]
हमारे जमींदारों की हालत है। जब जमींदारी का खातमा हो जायगा तब आप देखेंगे कि जो किसान आज आपका दुशमन हैं, कल आपका दोस्त हो जायगा, आपके पुराने अत्याचारों को भूल जायगा। जैसे हम अँग्रेजों के पुराने अत्याचारों को भूल गये हैं। आप उनकी आँखों में धूल झोंकना चाहें यह नहीं हो सकता। अब मौका है कि जमींदार ऐसा रास्ता पकड़े कि जिसमें कोई उनकी नीयत पर सन्देह न करें और वह एलान कर दे कि हम जमींदारी मिटाना चाहते हैं और इस बिल को खुशी से मंजूर करते हैं तो यह आप देखेंगे कि इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग आपको अच्छी नजर से देखेंगे और आपको अपना लीडर बनाने को तैयार हो जायँगे और आपकी पोजिशन ऊँची उठ जायगी। मैं और समय लेना नहीं चाहता हूँ, जैसा डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए ताकि और लोगों को भी बोलने का मौका मिले। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि पन्त जी ने जो यह प्रस्ताव किया है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं इसकी ताईद करता हूँ और राजा जगन्नाथ बख्श सिंह का जो अमेंडमेंट है उसकी मुखालफत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा।

श्री राजाराम शास्त्री—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय पन्त जी की तरफ से जो बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ और राजा जगन्नाथबख्श सिंह की तरफ से जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ।

इस बिल का जब मैं स्वागत करता हूँ तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि यद्यपि मैं इस बिल को अपूर्ण समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि गरीब किसानों को या मज़दूरों को इससे इतना फायदा नहीं होगा जितना कि आज वे इससे आशा लगाये बैठे हैं फिर भी मैं यह सोचता हूँ कि मौजूदा जो हालत है, आज हमारे किसानों की जो दुर्दशा है या जो कुछ भी जमींदार हालत करते जा रहे हैं उन तमाम बातों को देखते हुए मैं यह सोचता हूँ कि यद्यपि यह बिल नाकाफी है फिर भी मौजूदा हालत से यह एक कदम आगे बढ़ता है और इसी नीयत से मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं इस बिल का स्वागत खास तौर से इस बात के लिये भी करना चाहता हूँ कि इस बिल के पास हो जाने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायगी और वह यह कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसानों और देहात के मज़दूरों के दिल में एक भावना यह पैदा की है कि कांग्रेस की पार्टी गरीबों की पार्टी है, मज़दूरों की पार्टी है, गरीब किसानों की पार्टी है। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद कुछ दिनों तक तो किसानों में बड़ी खुशी मनायी जायगी, जिस तरह से १५ अगस्त के बाद "आजादी मिली, आजादी मिली" का ढिंढोरा पीटा गया, उस समय सारे हिन्दोस्तान की जनता में उल्लास और उमंग पैदा हुई लेकिन जब जनता को आजादी का स्वाद चखने को न मिल सका तो जनता निराश होने लगी। वैसे ही मेरा यह अकीदा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सारे देहातों में दीवाली मनायी जायगी, किसानों में ढिंढोरा पिटेगा कि हमने जमींदारी को खत्म कर दिया तो किसानों में एक खुशी की लहर आयेगी, लेकिन इस बिल

पर ४.५ बरस तक जब काम हो चुकेगा तो गरीब किसान इस बात को देखेगा देहात का गरीब मज़दूर देखेगा कि हमने इस लिये दीवाली मनायी थी, इसी लिये खुशी मनायी थी कि ज़मींदारी मिटेगी. ज़मींदारी के मिटने के बाद हमारी मुसीबतें खत्म होंगी. देहातों का जुल्म कम हो जायगा. लेकिन यह क्या है ? तब मेरा विश्वास है एक बार उसमें असंतोष की लहर ज़रूर आयेगी क्योंकि जो आर्थिक संकट है, जो उत्पादन की समस्या है वह इस बिल के पास हो जाने के बाद किसी भी हालत में ठीक तौर से हल नहीं हो सकती, जैसा कि अभी श्री अलगू राय शास्त्री ने कहा कि इस बिल में जिस तरह से रूस के अन्दर स्टैलिन के ज़माने में सन् १९०५ से ११ ई० तक ऐसा ही कानून आया जिसमें छोटे-छोटे किसानों को ज़मीनें और और चीज़ें दीं लेकिन उसके बाद में भी किसान संतुष्ट नहीं हुए और एक क्रान्ति की बुनियाद पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप रूस से सबक लें। अगर आप किसानों की पूरी क्रान्ति नहीं करते हैं. अधूरी क्रान्ति करते हैं तो आप एक दूसरी क्रान्ति के लिये दरवाजा खोलते हैं। आज अगर किसानों के अन्दर आप यह भावना पैदा करते हैं कि हमने ज़मींदारी को खत्म किया अब उत्पादन बढ़ायेंगे, गरीबों को खाना मिलेगा तो दो में से एक बात कीजिये। या तो ऐसा काम मत कीजिये, ऐसी आशाएं पैदा मत कीजिये या फिर इस बात के लिये तैयार रहिये कि एक और क्रान्ति आवे। यदि क्रान्ति-कारी भावना आप किसानों में पैदा करते हैं, आधे दिल से करते हैं, किसानों और जमींदारों दोनों को खुश करना चाहते हैं तो नतीजा क्या होगा ? अगर अधूरी क्रान्ति हुई तो देहात के किसान आगे आयेंगे, दूसरी क्रान्ति होगी और जो राजनीतिक क्रान्ति पूर्ण नहीं हुई है उसको देहात के इंकलाबी किसान पूर्ण करेंगे। इस लिये मैं समझता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो किसानों के चेहरे पर पर्दे पड़े हुए होंगे वह हट जायेंगे और किसान इस बात को समझ लेगा कि वास्तव में कांग्रेस की पार्टी की तजवीज़ क्या है और उसके बाद ही सही राजनीतिक क्रान्ति इस देश में आयेगी। मेरा विश्वास है कि किसानों की जो मनोभावनायें हैं, देश की जो हालत है उस पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बिल इस लिये पेश नहीं किया गया है जैसा कि पंत जी ने उस रोज कहा कि देश की बड़ी बुरी हालत है, गरीबों की बहुत बुरी हालत है, गरीबों को उठाने के लिये कांग्रेस ने उन पर मेहरबानी की और उनको रहम आया और इस लिये इस बिल को पेश किया।

यह बात नहीं है मैं यह देखता हूँ कि इस बिल के दो उद्देश्य हैं और वह यह कि चूंकि किसान ज़मीदारों के ज़ुल्मों से आजिज हो गया है। वह जानते हैं कि अगर ज़मींदारी न मिटाई गयी और कांग्रेस गवर्नमेंट नाना प्रकार के वादे करती गयी और उसकी आशा पूर्ण न हुई तो उसका एक ही लाजिमी नतीजा होगा कि फिर किसान कांग्रेस की तरफ नहीं देखेगा, फिर वह अपनी ताकत और लाठी का भरोसा करेगा और ज़मीनों पर कब्जा करने के लिये आगे बढ़ेगा। काँग्रेस यह समझती है कि हम कानून के जरिये से जिस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं बढ़ कर चाहे ज़मींदारी पूर्ण रूप से न समाप्त करें, लेकिन किसानों में आशा पैदा किये जायं।

महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि जिस वक्त कोई मौका

[श्री राजाराम शास्त्री]
आयेगा जमींदारी को खत्म करने का, अगर किसानों ने अपनी ताकत के जोर से खत्म किया तो न तो शान्तिपूर्ण तरीके से होगा और न कोई मुआविजा होगा। आपको याद होंगा कि सन् १९४२ ई० में लुई फिशर ने महात्मा गाँधी से पूछा कि अगले आने वाले आन्दोलन में किसान कैसे शामिल होंगे? महात्मा गाँधी ने कहा कि किसान अगर जमींदारी खत्म करने के लिये आगे बढ़ेगा तो वह कोई कानून नहीं बनायेगा वह अपनी ताकत के जोर से जमीनों पर कब्जा कर लेगा और एक पैसा भी मुआविजा देने के लिये तैयार नहीं होगा। जब महात्मा जी से पूछा गया कि क्या बिला मुआविजा के ज़मींदारी ले ली जायगी, तो महात्मा गाँधी ने कहा कि किसान भूखा है, नंगा है उसके पास पैसा नहीं है, इस लिए उससे यह उम्मीद करनी कि वह पैसा देगा यह बिल्कुल ग़लत बात है। आप यह अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसानों को आशा न दिलाई जाय तो मेरा ख़्याल है कि ऐग्रेरियन क्राइसिस (कृषिविषियक संकट) और सख़्त हो जायगा। मुझे आशा है कि इस अहमियत को जो बुरी हालत आ रही है इसको कांग्रेस ने महसूस किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के ३६७ पृष्ठ पर लिखा है "यदि ज़मींदारी का उन्मूलन कुछ वर्षों के लिए और रोक दिया जाय तो उस हालत में उन्मूलन का अर्थ बिना मुआविजा के ज़मींदारी की अधिकारच्युति हो सकता है, और बहुत सम्भव है कि खून खराबी तथा हिंसा भी हो।" वे आगे कहते हैं 'जैसा कि प्रोफ़ेसर हेरोल्ड जे० लास्की ने कहा है, इतिहास को दृष्टि में रखते हुए क्रान्ति के खतरे को दूर करने का एक ही उपाय हो सकता है। वह उपाय ऐसे सुधार करना है जिनसे उन लोगों में आशा और प्रसन्नता का संचार हो सके जिनको, विपरीत अवस्था में, क्रान्तिकारियों की बातें अनिवार्य रूप से पसन्द आ जाती हैं।" कांग्रेस इस बात को देखती है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस पर से जनता का विश्वास हटता जा रहा है और जो उसके दिल में आशा थी उसमें कमी आती जा रही है और देश के अन्दर समाजवाद जोर पकड़ता जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस यह भी देखती है कि देहातों और खास कर शहरों में कलकत्ते और बम्बई के अन्दर आपने देखा कि एक के बाद दूसरी जगह चुनाव में कांग्रेस पराजित होती जा रही है। कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है कि शहरों की जनता हमारे हाथ से जा रही है। अगर देहातों की जनता भी हमारे हाथ से चली गयी तो हम कहीं के न रहेंगे। इस लिये कांग्रेस इस सिद्धाँत पर चल रहीं है कि जब क्रान्ति का भय, मालूम हो तो जनता के दिल में आशा का संचार करो। ऐसी हालत में कांग्रेस को इस बात की फ़िक्र है कि वास्तव में अगर देश को इन चीजों से बचाना है तो एक ही तरीका है कि जनता के बीच में आशा का संचार कर दो। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूँ और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि यह बिल इस भवन के सामने इस लिये पेश किया गया है कि किसानों के साथ कोई उदारता की जा रही है, कोई दान दिया जा रहा है, या किसानों पर कोई मेहरबानी की जा रही है।

मैं यह समझता हूँ कि जब कभी चाहे वह अंग्रेज हो, चाहे वह फ्रांसीसी हो, चाहे वह डच हो या कोई भी साम्राज्यवादी लोग जब दुनिया के किसी मुल्क को गुलाम बनाते है या राष्ट्रवादी पार्टी पावर में आती है तो वह भी यही कहा करती है कि हम फलां काम

तुम्हारे हित में करते हैं। इसी तरह से अंग्रेज भी कहते थे कि हमने रेलें हिन्दुस्तानियों के लिये चलाई हैं, सड़कें हिन्दुस्तानियों के लिये बनवाई हैं लेकिन असलियत यह थी कि उन्हें विदेशी माल हिन्दुस्तान में बेचना था। इसके लिये उन्हें रेलें खोलना और सड़कें बनवाना ज़रूरी था, जिसमें कि हिन्दुस्तान से कच्चा माल ले जायं और वहां से पक्का माल यहां बेचने के लिये आ सके।

आज हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और हिन्दुस्तान पर पूंजीवादी वर्ग शासनारूढ़ है। आज वह समझता है कि उसके लिये विदेशी बाजार तो बन्द है इसलिये उसको हिन्दुस्तान की मंडी को खोलना है। जब वह हिन्दुस्तान का बाजार खोलने लगता है तो देखता है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और देहात का बाजार बंद पड़ा है क्रय-शक्ति काफी नहीं है। यदि इसको बढ़ाया न जायेगा तो पूंजीवादी वर्ग के लिये हिन्दुस्तान का बाजार भी बंद हो जायेगा। बिना इसके पूंजीवादी वर्ग को फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये एक ही मार्ग है कि पूंजीवादी वर्ग में जो रोड़ा है उसको हटा दिया जाये। सब से बड़ा रोड़ा यही है कि हिन्दुस्तान की क्रय शक्ति काफी नहीं है और ज़मीदारी प्रथा एक खास रोड़ा है। इसलिये यदि पूंजीवादी वर्ग का उद्धार करना है तो इसके लिये सीधा सादा रास्ता यही है कि इस को बिलकुल हटा दिया जाये।

आज यह बात कहना कि कांग्रेस के दिल में रहम आ गया और कांग्रेस देहाती जनता की भलाई के लिये यह चीज करने जा रही है। ठीक नहीं है। मैं पूंछता हूँ कि किस मुल्क में पूंजीवादी वर्ग ने ज़मींदारी खत्म करने की कोशिश नहीं की। फ्रांस में हम देखते हैं कि जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो फ्रांस के किसानों ने सामंतशाही को उलट दिया एक दिन में पार्लियामेंट ने पूरी सामंतशाही को फेंक दिया। रूस में किसानों ने सामंतवाद को उलट दिया। रूस में भी जब सामंतशाही को उलट दिया गया तो पूंजीवादी वर्ग आगे बढ़ा। हर एक मुल्क में आप देखेंगे कि प्रत्येक पूंजीवादी वर्ग ने यह कोशिश की है कि ज़मींदारी प्रथा को हटा कर किसानों का शोषण करके अपनी तरक्की करे।

मैं मानता हूँ कि आपने जो तरीका इख़्तियार किया है वह आपको पीछे ले जाने वाला नहीं है बल्कि इससे मुल्क आगे बढ़ेगा लेकिन यह कहना कि गरीबों की भलाई के लिये, रहम के लिये हम यह करने जा रहे हैं यह बात गलत है। वास्तव में पूंजीपतियों के हित में यह चीज है। इसलिये आप यह काम करने जा रहे हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि देश में अगर पूंजीवादी वर्ग आगे बढ़ता है तो किसान भी आगे बढ़ेंगे और किसान जमीन पर खुद बखुद कब्जा कर लेंगे, तब कांग्रेस को फिक्र पड़ी है कि कोई नया चक्र व्यूह बनाया जाये जिससे आने वाली शक्तियों का मुकाबला किया जा सके।

मैंने इस बिल पर काफी गोर किया है। मैंने इस बिल को समझने की कोशिश की है। मैंने इसकी धाराओं पर गौर किया है। मेरे ऊपर एक ही असर पड़ा है कि जब तक हिन्दुस्तान गुलाम था तब तक राजे महाराजे, जमींदार और अंग्रेज एक तरफ थे और हिन्दुस्तान के किसान, पूंजीवादी, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ थे अब अंग्रेजों का परदा हट गया है। अब पूंजीवादी वर्ग आगे आया है। हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर तथा निम्न मध्यम वर्ग एक खीमे में होंगे और दूसरी तरफ़ राजे

[श्री राजाराम शास्त्री]

महाराजे, साहूकार तथा पूंजीवादी लोग दूसरे खीमे में नजर आयेंगे। हिन्दुस्तान का संघर्ष अब नया रूप धारण करता है। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में दो पार्टियाँ मैदान में आयेंगी जब कांग्रेस शासनारूढ़ हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप यहां की परिस्थिति को देखें तो पता लगेगा कि यहां की जो भविष्य की राजनीति है उस से नजर आता है कि इस बिल के जरिये से कांग्रेस यह करेगी कि जिस तरह से उसने पूंजीपतियों के सम्बन्ध में नीति अख्त्यार की है और उनकी पीठ ठोंकी है और मजदूरों को तबाह किया है और देशी रियासतों की जनता को तबाह करके आज राजे महाराजाओं को राज्यप्रमुख बनाकर उन्हें जेब खर्च के लिये ३३ लाख और ४० लाख रुपए तक दिया है और इस तरह से पूंजीपतियो और राजे महाराजाओं को मिलाया है इस कानून की दफात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह बात स्पष्ट है कि जितना पुराना जमींदार वर्ग है और जितने बड़े धनी काश्तकार हैं उनको इस कानून के जरिये से कांग्रेस ने अपनी तरफ खींचा है लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदार भाई क्यों कांग्रेस के और इस बिल के खिलाफ हैं। अगर मेम्बरान इसकी भाषा पर गौर करें तो वह इसको जमींदारी एबालिशन बिल न कहकर जमींदारी रक्षक बिल कहेंगे। अगर आप सचाई और ईमानदारी के साथ इस पर गौर करें इसकी दफाओं को देखें ती यही बात पायेंगे। मेरा ख्याल है कि आज जमींदार इस बिल का हाउस के अन्दर भले ही विरोध करें और कहें कि सरकार ठीक नहीं कर रही है और हमें तबाह कर रही है लेकिन वह हृदय में इसको जानते हैं कि अगर उनका कोई हमदर्द या साथी है तो वह पन्त जी और कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरा नहीं है और इसीलिये मैं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह की इस बात की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने सफाई के साथ कहा कि "अरे पन्त जी, अपने दोस्तों को दुश्मन न बनाइये" जो आपके लिये तलवार चलाने को बन्दूक चलाने को तैयार हैं और कह सकते हैं कि हम आपकी मदद करें आप हमारी मदद कीजिये और यह ठीक है कि किसानों मजदूरों और सोशलिस्टों के खिलाफ और कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ वह तलवार उठा सकते हैं और उनका आफ़र ठीक है वह तुम्हारे कन्धों पर अपनी बन्दूक चला सकते हैं। पन्त जी खुल्लमखुल्ला उनको अपना न कहें लेकिन भविष्य में यह जरूर साथ देंगे। आप तवारीख़ उठा कर देखें कि फ्रांस में १८वीं सदी में राज्य-क्रान्ति हुई और वहां पूंजीवादी और सामन्तशाही वर्ग को क्रान्ति द्वारा उलट दिया गया लेकिन हिन्दुस्तान में जिस तरीके से क्रान्ति हुई वह आपको मालूम है कि सत्याग्रह के द्वारा हुई। लेकिन फ्रांस में यह नहीं हुआ कि सामन्तशाही को जैसे रूस में उल्टा गया वैसे वहां नहीं उल्टा गया। फ्रास की क्रान्ति जिस प्रकार पहले विफल रही उसी प्रकार रूस में भी दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता पड़ी और उसका केवल एक यही कारण था कि पहली क्रान्ति के द्वारा किसानों की समस्या का पूरा-पूरा हल नहीं किया गया था और सरमायेदारों को समाप्त नहीं किया जा सका था और न पूंजीवादियों को ही समाप्त कर सके थे तब रूस के किसानों ने स्वयं तैयार होकर पूंजीवाद और सामन्तशाही के खिलाफ लड़ाई की और उसमें उनको सफलता मिली। लेकिन आज इस देश में जिन तरीकों से

कांग्रेस कानून के जरिए से किसानों की समस्या को हल करना चाहती है वह तरीके यह नहीं हैं कि जो इस बिल में दिए गए हैं। इस कार्य के लिए कानून भी क्रान्तिकारी होना चाहिए और वह ऐसा होना चाहिए कि जो सामंतशाही को पूर्णतः नष्ट कर सके और किसान व मजदूरों की समस्याओं को हल कर सके और उनको शक्तिशाली बना सके और यदि आप ऐसा कानून लावेंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि किसी तरह भी और देशों की तरह यहां दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता न होगी। लेकिन जिस रूप में यह कानून आज हमारे सामने है। उसको देखने से हमारी यह सम्भावना कुछ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही नजर आती है।

लेकिन जिस तरीके से कानून हाउस में पेश किया गया, मैंने शुरू ही में कह दिया कि एक कदम आगे अवश्य है लेकिन जिस तरह से पूरी क्रान्ति का मतलब होता है कि जमींदारी समूल नष्ट हो, एक साथ नष्ट हो, गरीब किसान और खेतिहर मज़दूर इनके हाथ में ताकत दी जाय और वह महसूस करें कि हमें कुछ मिला तब तो उसे क्रान्ति कहा जा सकता है वर्ना मेरा ख्याल है कि इस कानून के पास हो जाने से भूमिधर अवश्य बन जायेंगे और जैसा कि राजा जगन्नाथबख़्श सिंह ने कहा कि नाम बदला जा रहा है इन जमींदारों को भूमिधर के नाम से पुकार लिया जायगा और किसानों के तबके में से एक तबके को खींचकर भूमिधर बनाने की कोशिश की जायगी। नतीजा यह होगा कि आइन्दा भूमिधर और कांग्रेस पार्टी एक तरफ होंगे और यह खेतिहर मज़दूर, शिकमी काश्तकार दूसरी तरफ़। आप यह देखेंगे कि कोई संतुष्ट नहीं होगा। लड़ाई के मैदान में कांग्रेस भूमिधर को मैदान में रख देगी।

गांधी जी ने कहा था कि हम वर्ण विहीन समाज बनाना चाहते हैं। हमारा समाज वर्णाश्रम पर अवलम्बित है, वह पुरानी चीज है। नये समाज की रचना शुरु करने के पहले एक नया वर्ण शुरु किया जा रहा है। उसमें ४ वर्ण होंगे पहला भूमिधर, दूसरा सीरदार, तीसरा असामी और चौथा होगा अधिवासी। चूँकि पूँजीवादी युग है, जिस वर्ग के पास जितनी पूँजी होगी उसकी उतनी ही कद्र होगी। सबके ऊपर होंगे भूमिधर। उनके साथ यह रियायत की गई है कि जितनी खुदकाश्त है पुराने जमीदारों के पास उसको नहीं छुआ जायगा। पंतजी ने कहा कि हमने इस बात का ख़्याल रखा है कि जो जितना ही बड़ा है उसके साथ हमने उतना ही बड़प्पन का बर्ताव किया है। जो राजा है, नवाब है जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है वही यहाँ के पूँजीवादी हैं इतने बीघे जमीन, खुदकाश्त और सीर के रखनेवाले सबसे बड़े जमीदार हैं और जो जितना बड़ा है उसके साथ उतना ही बड़प्पन का बर्ताव किया जायगा। उनसे कह दिया गया कि अपनी जमीन अपने पास रखो, हम न सीर छुएँगे, न खुद काश्त छुएँगे, जितनी हो अपने पास रखो, जिसने जिस पर कब्जा कर रखा है वह अपना कब्जा रखे, न हमारी सरकार और न हमारा कानून कुछ उनसे बोलेगा। इतने बड़े जमींदार, सैकड़ों बीघा सीर रखनेवाले जमींदार भूमिधर बनेंगे। जो कानून है उसके मुताबिक उनसे एक पैसा नहीं लिया जायेगा। यह पूँजीवादी युग है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जिसके पास जितना पैसा हो उसके साथ उतनी ही रियायत की जायगी और जो कंगाल है, गरीब है उसके ऊपर उतना ही बोझा लादा जायगा। केन्द्रीय सरकार के बजट को ही देख लीजिये कि अमीरों

[श्री राजाराम शास्त्री]
के सब टैक्स माफ लेकिन गरीबों के लिये पोस्ट कार्ड, लिफाफे सब चीजों पर दाम बढ़ा दिये गये। इस तरह से बड़े जमींदार भूमिधर बन जायेंगे बगैर कुछ दिए हुए लेकिन जो बेचारे सीरदार हैं वे भूमिधर बनने की कोशिश करेंगे तो उनसे कहा जायेगा कि अपने लगान का १० गुना हमको दो तो भूमिधर बन सकते हो और उसके नीचे जो शिकमी काश्तकार है वह ५ वर्ष बाद चाहे कि मैं भूमिधर बन जाऊँ तो उसे भूमिधर बनने के लिए १५ गुना लगान एक साथ अदा करना पड़ेगा। यह इसी तरह से है जिस प्रकार पंतजी जिस बँगले में रहते हैं और लखनऊ के किसी भिखारी से कहा जाए कि तुम भी अगर ३ हजार रुपया माहवार किराया दे सकते हो तो तुम भी उस बँगले में रह सकते हो, मना कौन करता है। मेरा ख्याल है कि उन गरीबों से जिनके पास एक पैसा नहीं है उनसे यह कहना कि तुम १० गुना दो और १५ गुना दो तब भूमिधर बन सकते हो और इधर यह राजा साहब बैठे हैं सैकड़ों बीघा जमीन लिये हुए और बगैर कुछ दिये लिए ही भूमिधर बन बैठेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ तक मुनासिब है।

यह जो नया वर्णाश्रम धर्म आ रहा है इसमें आप मार्क कीजिये कि जिनके पास कमती पैसा है, और जो खेतिहर मज़दूर हैं, जिनके पास कुछ नहीं लंगोटी लगाये फिरते रहते हैं, उनसे कहा गया है कि तुमको जमीन से क्या वास्ता। श्री दुबलिश जी ने अभी कहा कि अगर सभी लोग काम करने लगें तो कैसे काम चलेगा। जमीन की मिल्कियत सब को कैसे दे दें। मतलब यह है कि देहातों में पूंजीवाद को फैलाना है। अगर ऐसा नहीं करते तो देहातों में जो बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी-अपनी फैक्टरियाँ खोलने को सोच रहे हैं उन्हें मज़दूर कैसे मिलेगें, उनका काम कैसे चलेगा। चाहें १५ गुना रुपया दें लेकिन वे जमीन नहीं पा सकते। उनको मज़बूरन नौकरी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। अगर दुनिया उसी तरह चला करे जैसा आप चाहते हैं तो आप कोई भी कानून पास करा लें, लेकिन दुनिया की हवा देखिये, एशिया की रंगत देखिये, अपने हिन्दुस्तान की रंगत देखिये। आपका यह कहना कि ये खेतिहर मज़दूर ज़मीन को छोड़ दें, शिकमी कास्तकार ज़मीन को छोड़ दें, और दूसरे लोग भी बैठे रहें, इस तरह से काम नहीं चल सकता। याद रखिये अगर आपने खेतिहर मज़दूरों की समस्याओं को हल नहीं किया और दूसरे मजदूर लोगों की समस्या हल नहीं की तो यही वह क्षेत्र होगा जो हिन्दुस्तान में कम्युनिज़्म पैदा करेगा। आपने बिल पेश किया और उद्देश्य बताया कि कम्युनिज़्म की लहर को रोकना है। कम्युनिज़्म की लहर आप इन आने वाले भूमिधरों की सहायता से रोक सकेंगे, यह गलत बात है। राजा साहब ने कहा कि हमारी तोप तलवारें आपके साथ हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक नहीं हजारों तोप तलवारें लेकर यह आपके साथ आ जायँ, कुछ काम नहीं आयेंगे। उनके प्रयोग का जमाना अब मर चुका है। इन्हीं लोगों ने च्यांगकाई शेक से कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तोप तलवारें तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कम्युनिज़्म को नहीं रोक सके। च्यांगकाई शेक मिटा दिये गये, क्यूमिंतांग मिट गया, और कम्युनिज़्म का वहां दौरदौरा होता जा रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आपका कोई मददगार हो सकता है तो ये खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास कोई चीज़ नहीं, उन्हें आशा है कि कांग्रेस

इनकी भलाई कीजिये और अगर आपने इस आशा को निराशा में परिणत किया तो देश में एक ऐसी लहर पैदा होगी कि आप भी उसमें खत्म हो जायेंगे। हो सकता है कि कानून के पास होने के बाद दिवाली देहात में उसी प्रकार मनाई जाय जिस प्रकार १५ अगस्त मनाया गया था परन्तु १५ अगस्त के बाद जो दशा देश की हो रही है वह आपसे छिपी नहीं है वह दशा देहातों के अन्दर भी होगी।

मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक बात कहूँगा, और वह यह है कि जहां तक आपका बिल जाता है वहां तक मैं आपके साथ हूं, लेकिन जब तक खेतिहर मजदूरों को, गरीबों को खेत नहीं मिलेगा, उनके साथ इन्साफ नहीं होगा, तब तक देहातों में सोशलिस्ट पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारा नारा होगा, खेतिहर मज़दूरों को ज़मीन दो। मैं जानता हूं आप हमें दबा सकते हैं, आपके पास ताकत है। लेकिन क्रान्ति की लहर इस तरह से दबाई नहीं जा सकती, रोकी नहीं जा सकती।

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बड़ी आलोचना इस बात की की गई है कि आप लोगों की नीति समझ में नहीं आती कि आप मुआविज़ा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते।

लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में सोशलिस्ट पार्टी के साथ में न पंत जी ने इंसाफ किया है और न त्रिपाठी जी ने। सोशलिस्ट पार्टी की आधी बात तो हाउस के सामने पेश की गई और आधी बात पेश नहीं की गई। सोशलिस्ट पार्टी का हमेशा यह सिद्धाँत रहा है कि वह जायदादों का मुआवज़ा देने के लिये कतई और किसी हालत में भी कभी भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर समझौता होता है तब आपसी कम्प्रोमाइज़ के लिये इस तरह से उसने रखा है कि ज़मीदार जो ग़रीब हैं और काश्तकारों की हैसियत रखते हैं और ज़्यादा मालगुजारी नहीं देते हैं और जिनकी हालत ज़मींदारी की समाप्ति के बाद ख़राब होने का डर है उनको पुनर्वास के लिए सहायता देने को हम तैयार हैं। लेकिन आप इतनी बात ही कहते हैं कि सोशलिस्ट के कहने के मुताबिक ही मुआवज़ा दिया गया लेकिन आप आधी बात को क्यों छिपा जाते हैं। जब आप जमींदारियों का बटवारा नहीं करते हैं तो मुआवजा किस बात का ? जहाँ तक बड़े ज़मींदारों का ताल्लुक है जो इतनी बड़ी मालगुज़ारी देते हैं, मैं पूछता हूँ कि अगर आप उनको मुआवज़ा नहीं देंगे तो उनमें से किसका घर तबाह हो जायेगा या कौन भूखों मर जायगा लेकिन आपके दिल में उनके लिए रहम आता है वह रहम उन खेतिहर मज़दूरों के लिये क्यों नहीं आता जिसके पास ज़मीन नहीं है, दौलत नहीं है और मकान नहीं है। आप कहते हैं ज़मीन नहीं है। चूंकि इतनी ज़मीन नहीं है जो सबको दी जा सके इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि किसी को न दें। जब उनके पास इतनी सीर और खुद काश्त है और आगे आनेवाले भूमिधर ३० एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकेंगे तो फिर यह आप क्यों नहीं रखते कि जिनके पास सैकड़ों हज़ारों बीघा ज़मीन है वे ५० एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन यह चीज़ आपको रुच नहीं सकती। यह केवल आपकी दरियादिली है। आपके दिल में उनके लिए रहमहै और फिर भी मैं तो यह कहता हूँ कि आपका ज़मींदारों के साथ यह पक्षपात है। यह दिल आपका गरीबों के लिये इतना क्यों नहीं पसीजता। जैसा कि कहा गया है कि बड़ों के लिये आपका बड़प्पन का सा वर्ताव है और छोटों के लिये छोटे

[श्री राजाराम शास्त्री]

ढंग का बर्ताव है। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से इंसाफ हो तो सोशलिस्ट पार्टी की बात मान लीजिये। त्रिपाठी जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात का साफ़ तौर से एलान किया जाना चाहिए। हम सोशलिस्ट जमींदारी को जायदाद मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह कमीशन एजेन्टी अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई। किसी ने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ १८५७ में या किसी और जमाने में कोई देश की सेवा नहीं की। १८५७ में कितने जमींदार ऐसे रहे जिन्होने बेशक मुल्क की खातिर कुरबानी की। जिन्होंने ऐसा किया मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अगर आज कांग्रेस सरकार यह नियम बना दे कि जिस किसी ज़मींदार ने १८५७ की जंगे आज़ादी में मुल्क का साथ दिया सन् १९२०,३० या ४२ में अपनी कुरबानी की हम उसको मुआवजा देने को तैयार हैं। हम उस देश भक्त की तारीफ करते हैं। मेरा विश्वास है कि राजा साहब भी इस बात के लिये तैयार होंगे कि देश भक्तों को मुआवजा दिया जा सकता है। क्या ऐसे जमींदार नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में तलवार चलाई? क्या ऐसे जमींदार नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस को कुचलने के लिए अंग्रेज़ो का साथ दिया। क्या आप उन देशद्रोही जमींदारों को भी मुआवजा देना चाहते हैं।

डिप्टी स्पीकर—मैं समझता हूँ कि आप दो एक मिनट में तकरीर खत्म कर देंगे।

श्री राजाराम शास्त्री—जी नहीं। अभी मुझे काफी कहना है।

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि कल शुरू से ही इस बहस को ले लिया जाय और सवालों को कल न लिया जाय तो बेहतर होगा।

(भवन की अनुमति से निश्चित हुआ कि कल प्रश्न नहीं लिये जायँगे और प्रारम्भ से ही वाद विवाद जारी रहेगा।)

(इसके बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर मंगलवार १२ जुलाई, १९४९, ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त

लखनऊ
११ जुलाई, १९४९

नत्थी (क)

देखिये ६ जुलाई, १६४६ के प्रश्न

सं० ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर

सरकारी प्राइमरी स्कूल	लड़कों की पाठशाला	कन्या पाठशाला	सरकारद्वारा सहायता
१६४६....४७	....	....	६०८६८
१६४७....४८	२६	४	
१६४८....४६	४५	८	
बोर्ड के प्राइमरी स्कूल			
१६४६....४७	१५	२	२११६४
१६४७....४८	३	१	
१६४८....४६	....	१	
बोर्ड के मिडिल स्कूल			
१६४६....४७	२	....	२२४७
१६४७....४८	१	....	
१६४८....४६	....	....	
प्राइवेट मिडिल स्कूल			
१६४६....४७	....	....	५००
१६४७....४८	४	....	
१६४८....४६	२	....	
हायर सेकेन्डरी स्कूल			
१६४६....४७	....	....	६७००
१६४७....४८	....	....	
१६४८....४६	५	....	

नत्थी (ख)

देखिये ६ जुलाई १९४९ के प्रश्न * ५५ के उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर

गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर के १९४७-४८ ई० और १९४८-४९ ई० के कामों के बारे में एक नोट

गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर जनवरी, १९४७ ई० में नियुक्त किये गये थे। उन्होंने १९४७-४८ ई० में इस प्रान्त की सब गौशालाओं को देख लिया और गौशालाओं के प्रबन्ध करने वालों से स्वयं मिले जिससे कि वह उनकी कठिनाइयों को समझ सकें और दूर कर सकें। गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर की सलाह से बहुत सी गौशालाओं की रजिस्ट्री कराई गई।

२. गौशालाओं को देखने के समय उन्होंने उनके प्रबन्ध करने वालों को यह सलाह दी कि वे बूढ़ी और बेकार गायों को दूध देने वाली गायों से अलग रक्खें। बूढ़े और बेकार मवेशियों का पालन थोड़े खर्च में करने के लिये सरकार ने श्रीमती मीरा बहन के चार्ज में ऋषिकेश में एक पशुशाला (कन्सेन्ट्रेशन कैम्प) खोलने के लिये एक स्कीम मंजूर की है।

३. इस प्रान्त में गौशालाओं के संगठित रूप से सुधार करने में सहूलियत पैदा करने के लिये गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर एक प्रान्तीय गौशाला फेडरेशन बनाने में सफल हुये हैं जिसकी शाखायें हर जिले में खोली गई हैं। गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर ने गौशालाओं के सुधार के लिये एक पंचसाला स्कीम भी तैयार की है और उसे सरकार के पास भेज दिया है। इस स्कीम में यह तजवीज किया गया है कि हर स्वीकृत गौशालाओं को आधे दामों पर औसतन् २० गाय असली हरियाना नस्ल की दी जायं। मथुरा जिले में ५ छः गौशालाओं को आधे दामों पर गायें दी जा चुकी हैं।

४. मथुरा और पीलीभीत जिलों में पशुशालायें (कन्सेन्ट्रेशन कैम्प) खोलने के लिये गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर ने स्थान तय कर लिये हैं और स्कीमें तैयार कर ली हैं।

५. दूध न देने वाली गायों का उद्धार करने के लिये एक स्कीम हापुड़ और गाजियाबाद के शहरों के लिये श्री कृष्ण गौशाला गाजियाबाद, जिला मेरठ में चलाई गई है।

६. गौशाला फेडरेशन, मेरठ पर खर्च किये जाने के लिये सरकार ने १०,००० रुपये का एक अनुदान (ग्राण्ट) पशु पालन विभाग के डायरेक्टर के अधिकार में भी रख दिया है। अस्ली नस्ल के मवेशियों को मोल लेने के लिये १५,००० रुपये का ऋण काशी गौशाला बनारस को मंजूर किया था। पर वह अपनी कुछ कठिनाइयों के कारण इस रक़म को काम में नही ला सकी।

७. आल इंडिया कैटिल प्रोटेक्शन कानफरेन्स के अधीन आगरे में गौशाला के कार्य कर्त्ताओं के लिये एक ट्रेनिंग क्लास खोला गया था और उसमें १८ कार्य कर्त्ताओं को काम सिखाया गया है।

८. ऊपर बताये हुये कामों के अलावा गौशाला डेवलपमेण्ट अफ़सर ने एक गौशाला सुधार बिल (Gaushala Improvement Bill) का भी मसविदा तैयार किया है जिस पर आजकल सरकार विचार कर रही है।

नत्थी (ग)

देखिये ६ जुलाई १९४९ के स्टार्ड प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर

विवरण सरकारी अनुदान जो दिसम्बर १, १९४८ से फरवरी २८, १९४९ तक जिला विकास बोर्ड मैनपुरी से दिया गया।

नाम उस सज्जन का जिसको रु० दिया गया	उनका पूरा पता	उनकी हैसियत लगान माल गुजारी आदि संबन्धी क्या है	किस काम के लिये दिया गया	कितना रुपया दिया गया	सम्बन्धित सज्जन दलित या पिछड़े वर्ग के हैं या नहीं	विशेष विवरण
श्री चेतराम काछी	ग्राम उफैया फकीरपुर डा० ज्योती जि० मैनपुरी	किसान ६ रु० लगान देते हैं	नये कुएँ के लिए	१३३)	पिछले वर्ग में हैं।	
श्री हृदय नारायण	ग्राम नादऊ डा० कुचेला जि०मैनपुरी	किसान ५० रु० लगान देते हैं	मरम्मत कुआँ	२६६॥)	सम्पूर्ण जनता के लिए	यह रुपया सन् १९४२ के सामुहिक जुर्माने का था

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, १२ जुलाई, सन् १९४९ ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८९)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स
अम्मार अहमद खां
अल्फ्रेड धर्मदास
अलगूराय शास्त्री
असगर अली खां
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उबैदुर्रहमान खां शेरवानी,
ऐजाज़ रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रज़ा खां
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द पुरी
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
कृष्णचन्द्र गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
केशव गुप्त
खुशवक्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गङ्गाधर
गङ्गा प्रसाद
गङ्गा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जमशेद अली खां मुहम्मद
जवाहरलाल रोहतगी
ज़ाकिर अली
ज़ाहिद हसन

जुबुल फ़िशा
जैपाल सिंह
जयराम वर्मा
दयाल दास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
नफ़ीसुल हसन
नवाज़िश अली खां
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्राणनारायण
परागी लाल
प्रेमकिशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फ़ज़लुर्रहमान खां, उपनाम छोटे खां
फ़तेह सिंह राणा
सिंह

बंशगोपाल
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बाबूराम वर्मा

बृजमोहन लाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारतसिंह यादवाचार्य
भीमसेन
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाज़ी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुज़फ़्फ़र हुसैन
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रज़ा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री
मुहम्मद शौकत अली खां
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राघवदास
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री

[illegible] सिंह
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र [illegible]
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पांडे
रामनारायण
[illegible] मिश्र
राममूर्ति
[illegible]
रामशरण
रामस्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फअली खां
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विनयकुमार मुकर्जी
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णुशरण दुब्लिश
वीरेन्द्रशाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकरदत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिवकुमार पांडेय
शिवकुमार मिश्र
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्यामलाल वर्मा
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सईद अहमद
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन
सालिग्राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुल्तान आलम खां
सूर्यप्रसाद अवस्थी
हबीबुररहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हसन अहमद शाह
हसरत मुहानी
होतीलाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये श्री अज़ीज़ अहमद खां का प्रार्थना पत्र

माननीय स्पीकर—पहला मद आपके सामने कार्यक्रम में यह है कि श्री अज़ीज़ अहमद खां के प्रार्थना पत्र पर आप विचार करें। वह बीमार हैं। ४७ दिन वह इस सभा से अनुपस्थित रह चुके हैं। आज ४८वां दिन है। उनका प्रार्थनापत्र कार्यक्रम में नत्थी 'क' के रूप में छपा हुआ है। उनकी इच्छा है कि असेम्बली के नियम ६ के अनुसार उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति आपकी ओर से हो। यही विषय आपके सामने है।

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अज़ीज़ अहमद खां की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि श्री अज़ीज़ अहमद खां की भवन से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संयुक्त प्रान्तीय डिस्चार्ज्ड प्रिज़नर्स एड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्द्रिकालाल के रिक्त हुए स्थान पर संयुक्त प्रान्तीय डिस्चार्ज्ड प्रिज़नर्स एड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रिकालाल के रिक्त हुए स्थान पर संयुक्त प्रान्तीय डिस्चार्ज्ड प्रिज़नर्स एड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—मैंने ऐसा विचार किया है, यदि आप लोगों को इसमें कुछ कहना है तो मैं सुनने के लिये तैयार हूं, मेरा विचार यह है कि कल ही—आज १२ तारीख है-कल १३ तारीख इस काम के लिये रख दूं। नामांकित पत्र आ जाय। इसमें कोई असुविधा तो आपको नहीं है?

(कुछ ठहर कर)

मैं कल की तिथि नियत करता हूं। नामांकित पत्रों की प्राप्ति के लिए १२½ बजे दिन तक परसों यानी १४ तारीख मैं नियत करता हूं। नाम की वापसी के लिये दो बजे दिन तक और १५ तारीख को १२ बजे से २ बजे तक लाइब्रेरी रीडिंगरूम में चुनाव होगा।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

माननीय स्पीकर—संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव और श्री जगन्नाथ बख्श सिंह जी के संशोधन पर अब विचार जारी होगा।

श्री राजाराम शास्त्री—कल मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मुआविजे के सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी की क्या नीति है। आचार्य नरेन्द्रदेव की गवाही का जिक्र किया गया है। जिस गवाही को उन्होंने कांग्रेस की एक कमेटी के सामने दिया था। उसके सम्बन्ध में यह बात कही गयी है कि समाजवादी लोगों की कोई नीति नहीं है। किसी वक्त कोई बात कहते हैं किसी वक्त कोई। किसी वक्त में तो आचार्य जी कांग्रेस में थे। जब समाजवादी कांग्रेस से बाहर हो गये तब वह और बात पेश करते हैं।

हमारा ख्याल यह है कि समाजवादी पार्टी की जो नीति उस वक्त में जाहिर की गई थी उसमें कोई विशेष अन्तर मुझे तो दिखलाई नहीं पड़ता। मेरा अपना ख्याल यह है कि आचार्य जी ने गवाही में जो कुछ कहा था अगर उसे ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मालूम होगा कि दो तीन चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट थीं। एक चीज तो यह कि जहां पर उन्होंने जमींदारों को दस गुना से लेकर पचीस गुना तक मुआविजा देने की बात कही वहां पर उन्होंने यह भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी जमींदार को पांच लाख से ज्यादा मुआविजा न दिया जाय। जब पांच लाख की बात स्पष्ट कर दी गयी है तो फिर इस बात पर जोर देना कि दस गुना से लेकर पचीस गुना तक मुआविजा देने की बात कही गयी है, इसको मैं ठीक नहीं समझता। क्योंकि जब ५ लाख की एक मियाद मुकर्रर कर दी गयी है तो उसी पर सब को ध्यान देना चाहिये। इसके बाद मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर आचार्य जी ने पांच लाख तक मुआविजा देने की बात कही थी वहां पर उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से ही यह कहा था। उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग हुई तो पार्टी ने यह पालिसी अख्तियार की कि एक लाख से ज्यादा किसी को भी मुआविजा देना ठीक नहीं है। उसी वक्त आचार्य जी ने अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि गवाही के सामने जो कुछ मैंने कहा था वह मेरी व्यक्तिगत राय थी। पार्टी की नीति यह है कि किसी जमींदार को भी एक लाख से ज्यादा मुआविजा नहीं देना चाहिये। अब मुआविजे के सम्बन्ध में हमारी पार्टी की जो नीति है वह यह है कि जहां तक जमींदारों को मुआविजा देने का सवाल है, हम उनके इस नैतिक अधिकार को मानते नहीं हैं। हम समझते हैं कि यह गलत बात है। मेरा अपना निजी ख्याल यह है कि जमींदारों को मुआविजा पाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एग्रेरियन रिफार्म के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान वीकली' लखनऊ, में एक आर्टिकल मैंने देखा है। उसके सम्बन्ध में बाबू सम्पूर्णानन्द का भी एक लेख है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जमींदारों को जहां तक मुआविजा देने का ताल्लुक है उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरह से हम भी उनके इस अधिकार को नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जमीन का बटवारा समझौते से होता हो तो भी हमारी पार्टी की नीति यह है कि किसी भी जमींदार को एक लाख से ज्यादा मुआविजा नहीं दे सकते। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस बात पर भी गौर किया जाय और देखा जाय तो मालूम

[श्री राजाराम शास्त्री]
होगा कि जितने यू० पी० के जमींदार हैं, उनमें शायद ही कोई बच गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ८ अगस्त सन् ४६ ई० के बाद, जब से यह प्रस्ताव आपने पास किया है कि हम जमींदारी को खत्म कर देंगे तब से जमींदारों ने देहातों मे खूब पैसा लूटा है। जमीनें लूटी हैं, पेड़ों को लूटा है, तालाबों को लूटा है और रास्तों को लूटा है। जिस किसी तरह से भी हो सका है उन्होंने लूटा है। अगर सरकार इस बात की जांच करावे कि ८ अगस्त सन् ४६ से लेकर आज तक यू० पी० में जमींदारों ने कितना लूटा है और कितना नजराना लिया है, कितना अपने घरों को भरा है तो मेरा अपना ख्याल यह है कि शायद किसी को मुआविजा देने की जरूरत आपको महसूस न हो। क्योंकि जितना मुआविजा आप देंगे उतना मुआविजा तो उन्होंने किसानों को मारपीट कर या गैरकानूनी तरीके से वसूल कर लिया है। और मेरा अपना ख्याल यह है कि जबतक यह कानून पास होगा और पास होकर ऐक्ट बनेगा तब तक देहातों में वे एक भी पेड़ को बाकी न छोड़ेंगे। किसी पेड़ को अगर उन्होंने छोड़ दिया तो यह बड़ी गनीमत की बात होगी। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि देहातों की किसी तरह से रक्षा हो सके और आगे कोई पेड़ नहीं कट सकें तो जितनी जल्द हो सके इस सम्बन्ध में एक आर्डिनेन्स पास करें कि आज के बाद कोई पेड़ कटने नहीं पावे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि लाठियों से सर फूटने तक की नोबत आ जायगी। और यह देखा गया है कि अक्सर जमींदार लाठी के जोर पर गैरकानूनी कार्यवाहियां करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि किसान भी तैयार होते हैं और इस तरह से झगड़ा बढ़ता है और इस तरह की सब चीजें होती हैं।

(एक आवाज...... इस तरह का आर्डर भेज दिया गया है।)

अगर इस तरह का आर्डर भेज दिया गया है तो यह बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ... को इसी तरह से रोकना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जमींदारों ने बहुत काफी मुआविजा वसूल कर लिया है और अब अगर उनको मुआविजा नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आयी कि हमेशा कांग्रेस अपनी तमाम जिन्दगी चिल्लाती आयी कि ढाई सौ रुपये तक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों की हैसियत किसानों की है, वे गरीब हैं, काश्तकार हैं, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन जब मुआविजा बांटने का सवाल आया तब मैं देखता हूं कि आप मालगुजारी की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं कि ५ हजार तक जो मालगुजारी देते हैं उनको इतना मुआविजा मिलेगा। यह तो मैं नहीं कहता कि आप जो ढाई सौ रुपया तक मालगुजारी देते हैं उनको मुआविजा न दीजिये। मैं जमींदारों को तबाह नहीं करना चाहता। आप जिस तरह से दूसरे लोगों की मदद करते हैं, शरणार्थी लोगों की सहायता करते हैं, जो जमींदार गरीब हैं और उनकी जमीनें लेते हैं तो आप उनकी अवश्य सहायता कीजिये, उस वक्त तक जब तक कि वह दूसरे धंधे में न लग जायं। लेकिन आप तो जमींदारों की, बड़े जमींदारों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। त्रिपाठी जी ने यह बात कही कि हमारी समझ में नहीं आता कि मुआविजे में और पुनर्वासन में क्या फ़र्क है। आप की समझ में न आवे लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अगर आप जमीन का बटवारा करने को तैयार हैं तो मुआविजा देने का सवाल है। अगर आप जमीन का बटवारा करते हैं तो हम मुआविजा देने को तैयार हैं और अगर आप जमीन का बटवारा करने को तैयार नहीं है तो

हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि मुआविजा दिया जाय। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो लेकिन हम इसको सही मानते हैं और अगर आप दूसरी पार्टी की बात सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने इसी के साथ यह मंजूर किया है कि यू० पी० की किसान व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी जो है वह है अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ की। आज देहातों में बहुत सी अनएकनामिक होल्डिंग्ज़ हैं। आपके यू० पी० के अन्दर ऐसे जोतें बहुत हैं जो लाभकर नहीं हैं। किसान उसमें रुपया भी खर्च करता है और मेहनत भी लगाता है। सब कुछ लगाता है लेकिन उसके पास इतना भी नहीं होता कि वह अपना पेट भर सके। स्वयं जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट पृष्ठ २१ पर आपने यह स्वीकार किया है कि इस समय जैसी कृषि-व्यवस्था है उसके अनुसार छोटे और दूर दूर स्थित खेतों में किसान और हल खींचने वाले बैलों की शक्ति और श्रम का उतना उपयोग नहीं होता जितना होना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकतम लाभ नहीं हो पाता। प्रान्त की कृषि-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है। साधारणतः इस दुर्व्यवस्था से उन्नति में बाधा पहुंचती है और कहीं कहीं तो प्रगति एकदम रुक हो जाती है। तो हमने इस बात को देखा कि जब आप इस बात को मानते हैं कि आज देहातों में यह अवस्था हो गई है तब भी आप इसको दूर करने के लिये ऐसी अधूरी कोशिश कर रहे हैं। किसान खिदमत करते करते आज इस नतीजे पर पहुंचा कि आज उसकी हालत यह है कि वह लगान भी नहीं भर पाता। हमें इस बात को मानना पड़ता है। दूसरी ओर इसी रिपोर्ट के पृष्ठ २८ पर भी यह बात मानी गई है। आज कहा यह जाता है कि लड़ाई के जमाने में चीजें बहुत तेज हो गई हैं, किसान बहुत मालामाल हो गये, किसान की हालत बहुत अच्छी हो गई इसलिये अक्सर जनता का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अगर किसान गल्ला नहीं देता है तो वह बड़ी बेईमानी करता है और शहरों के लोगों को भूखा मारना चाहता है। लेकिन इस रिपोर्ट के पृष्ठ २८ पर यह मान लिया गया है—"यह सब देखते हुए हम बेखटके कह सकते हैं कि चीजों के दाम बढ़ने से किसी भी तरह लाभान्वित होने की कौन कहे अधिकतर किसानों में इतना दम नहीं रह गया कि वे थोड़े समय तक भी गल्ला दबाकर रख सकें। प्रान्तीय सरकार की गेहूं की खरीद सम्बन्धी रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग ४० प्रतिशत खेतिहरों के पास बेचने को कुछ बचता ही नहीं। शेष ६० प्रतिशत लोगों में ३३ प्रतिशत को लगान, कर्ज और अन्य प्रकार का भार उतारने के लिये समूचा गेहूं बेच देना पड़ता है। इस प्रकार केवल २७ प्रतिशत किसान ऐसे बच जाते हैं जो अतिरिक्त गल्ला दबाकर रख सकते हैं।" आज लड़ाई के जमाने के बाद काश्तकारों की हालत यह है कि तमाम मेहनत करने के बाद भी, पैसा लगाने के बाद भी और सब कुछ करने के बाद भी उनके पास इतना भी नहीं बचता कि वह लगान अच्छी तरह से चुका सकें। ६० फी सदी ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ गल्ला पैदा कर सकते हैं और लगान दे सकते हैं, लेकिन और जो उनकी जरूरियात हैं उनको वह पूरा नहीं कर सकते। हमारी समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट किस लिये तैयार की जाती है। रिपोर्ट इसलिये तैयार की जाती है कि जांच हो और आंकड़े तैयार किये जायं। उससे जो हालत मालूम पड़े उस हालत को देखकर उसके अनुसार उसका इलाज निकाला जा सके और जो मुसीबत है वह दूर हो सके। जब जांच करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि लोगों के पास मौजूदा अनएकनामिक होल्डिंग के

[श्री राजाराम शास्त्री]
होते हुए भी गरीबी मिट नहीं सकती तो उसका प्रबन्ध करना भी जरूरी है। जब आप किसानों की इन सब बातों को लेकर इस बिल को यहां पर लाये हैं तो जितनी अनएकनामिक होल्डिंग हैं उनको एकनामिक बनाया जाय। मेरा कहना यह है कि इस बिल में सिर्फ कोशिश यह होनी चाहिये कि अगर कोई आदमी खेती करता है तो कम से कम उसको इतना तो मिल सके जिससे कि वह अपना और अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर सके। अगर इस प्रकार आप नहीं कर सकते तो फिर इससे कोई लाभ उनको पहुंचने वाला नहीं है। और यू० पी० के अन्दर आज आपको जितने किसान खेती करने वाले दिखाई देते हैं उनमें से कितने ही किसान ऐसे होंगे जो अपनी खेती-बारी के काम को छोड़ देंगे और कितने को तो अपनी ज़मीन ही बेच देना पड़ेगी या किसी कारखाने वगैरा में भागना पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह जाकर कोई काम करेंगे क्योंकि खेती के अन्दर उनको कोई उल्लास पैदा नहीं होगा। इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि जितनी अनएकनामिक होल्डिंगस् हैं उन सब को एकनामिक होल्डिंग बनाया जाय। अब इसका तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो यह है जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो जमींदार हैं उनके पास जो सीर था खुदकाश्त हैं उसके लिए आप एक मियाद मुकर्रर करें कि १० एकड़ या २० एकड़ या ३० एकड़ से ज्यादा कोई जमींदार नहीं रखेगा। उनसे जो जमीन बच जाती है वह ज़मीन उनसे ले लीजिये। मैं जानता हूं कि उनके जमीन देने के बाद भी कुछ किसान ऐसे बच जायंगे कि जिनको जमीन नहीं मिल पायेगी, लेकिन मैं यह दलील नहीं मानता हूं कि सब को नहीं मिल सकती है, इसलिये हम यह न करें। मैं बड़े अदब से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि किसी काम को करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि कोई भी काम करने की वजह से जनता पर प्रभाव क्या पड़ता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि कोई भी काम करें उससे जनता पर बहुत असर पड़ता है। कहा जाता है कि अगर उनसे जमीन आप ले लेंगे तो इससे क्या होता है। १०-५० एकड़ जमीन लेने से क्या होता है। लेकिन आप यक़ीन मानिये कि एक परसेंट या दो परसेंट जमीन आप यदि उनसे लेते हैं तो जिस दिन यह ऐलान होगा कि कोई जमींदार इतनी ज़मीन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकेगा और अगर रखेगा तो उससे वह ज़मीन छीन ली जायगी तो इससे जनता के अन्दर, किसानों के अन्दर बहुत बड़ा उत्साह पैदा होगा। यह बात तो है कि ज़मींदारी के खातमे से किसानों के अन्दर, उत्साह पैदा होगा लेकिन मेरा यह दावा है कि चाहे एक या दो परसेंट ही क्यों न हो जिस दिन आप यह ऐलान कर देंगे कि ज़मींदारों की जमीन ले ली गई है जिन पर कि उनका बहुत पुराना कब्ज़ा था, जब यह किसानों को मालूम होगा, चाहे थोड़े आदमियों को मालूम हो, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा। इससे आप नई खेती भी कर सकेंगे और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी आप दे सकेंगे। तीसरी बात यह है कि जब ज़मीन का बटवारा हो तो मेरी राय यह है कि उसमें कोशिश यह होनी चाहिये या आप कोई ऐसा संशोधन कर सकें कि कोई भी काश्तकार अगर अपनी ज़मीन को बेचता है तो खरीदने का पहले हक उसको होना चाहिये जिसके पास जमीन नहीं है। बहुत सी ज़मीन ऐसी हैं जिसमें हमारा काम पूरा नहीं होता, जो पूरी तरह से पैदावार नहीं करती हैं। तो पहले हक उस व्यक्ति को होना चाहिये कि जो व्यक्ति उस अनएकनामिक होल्डिंग को लेकर उसको एकनामिक होल्डिंग बना ले। अगर उसके बाद भी कोई ज़मीन वैसी हो तो वह फिर

उससे ले ली जाय। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर सब अपनी कोशिश में उस जमीन को एकानॉमिक होल्डिंग बना लेंगे और वह बराबर अपनी कोशिश करते रहेंगे। जिसके पास अनएकनॉमिक होल्डिंग होगी वह एकनॉमिक होल्डिंग बना लेगा। अगर आप इस तरह से कोई संशोधन कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ मदद मिल सकती है। एक बात कही गई कि जमीन का बंटवारा एकदम से नहीं हो सकता, अगर जमीन के बंटवारे के और तमाम दलीलें हैं तो मैं मान सकता हूं। लेकिन बड़े मार्के की बात यह है कि इसमें यह दलील दी गयी है, पृष्ठ २१७ पर कहा गया है, ऊपर कहा है कि हम समझते हैं कि बिना जमीन के बंटवारे के कैसे काम चल सकता है, जमीन का बटवारा बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर में दलील दी जाती है—"इसके विरुद्ध हमें इस तथ्य के सम्बन्ध में यह सोचना विचारना है कि इसके फलस्वरूप समृद्ध खेतिहरों, जमींदारों और काश्तकारों में विरोध की भावना उत्पन्न होगी, जमींदार लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जायंगे और उनकी आय जमींदारी उन्मूलन की हमारी योजना से, किसी भी हालत में घट जायगी।" जहां कहीं समस्या के सुलझाने का प्रश्न आया गवर्नमेंट रिपोर्ट देखिये, कानून देखिये, हर जगह यही लिखा हुआ है कि जमींदार नाराज हो जायगे और जमींदारों के बीच में कठिनाइयां पड़ जायंगी, बेचारों को जो रुपया मिलने वाला है उसमें कमी हो जायगी। अगर आपका कहना यह है कि जमीन नहीं बंट सकती है क्योंकि कहीं जमींदार कठिनाई में न पड़ जायं, चाहे किसान कठिनाई में पड़ जायं या न पड़ें, तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। जब तक देहातों में आप इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि जमीन का बंटवारा हो तब तक एक नहीं दस उपाय आप सोचिये देहातों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। जो हमारी काबिल सरकार दुनिया के बड़े बड़े कानूनों को पास कर लेती है उसकी समझ में कोई बात इस समस्या को सुलझाने के लिए न आवे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरी एक बात और समझ में नहीं आती है कि जहां कहीं कोई इन्कलाब होता है, इन्कलाब होने के बाद जब कोई पार्टी पावर में आती है वह जमीन का कैसे बांट लेती है। परन्तु जो की हमेशा दलील यही होती है कि "जमीन कोई रबड़ नहीं है कि हम उसको बढ़ा लें। आज तो जमीन रबड़ नहीं है, कल, मैं पूछता हूं कि फ्रांस की क्रांति जब होती है और वहां के क्रांतिकारी नेता जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो कैसे किसानों में जमीन का बंटवारा करने बैठते हैं, जब कि हिन्दोस्तान की जमीन रबड़ नहीं बन सकती है तो क्या वहां की रबड़ बन सकती है? अगर यह समस्या आप नहीं सुलझाते तो किसान खुद आ कर सुलझा लेंगे। तब आप देख लीजियेगा कि कैसे रबड़ की तरह बढ़ती हुई नजर आती है। आज तो आप इस तरह की बहस करते हैं कल आप सोचिये कि सन् ४२ का आन्दोलन सफल हो गया होता और आप पार्लियामेंट में बैठे होते और यहां पर क्रान्तिकारी किसान बैठे होते और किसानों के बीच में जमीन का बटवारा होता तो क्या यही दलील दी जाती कि जमीन क्या रबड़ है? राजा जगन्नाथ बख्श सिंह को नाराज मत करो, क्योंकि जमींदार बेचारे कठिनाई में पड़ जायंगे, क्या यह दलील मुनासिब होती? जमीन रबड़ हो या नहीं हो, लेकिन किसान जब गद्दी पर बैठेगा तो वह जमीन को रबड़ की तरह खींच कर और बांट कर दिखा देगा। मालूम यही होता है कि आपमें वह जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है, वह भावना नहीं है जो क्रान्तिकारियों में होती है, जिनका खयाल होता है कि हमें यह समस्या इस प्रकार से हल करनी है जिसमें जनता और गरीबों का हित हो। जिस वर्ग का नाश करने के लिए आप बैठे हैं उसी के

[श्री राजाराम शास्त्री]
लिए आप सुबह से शाम तक सोचते हैं, ५ हजार और ऊपर तक वालों को मुआविजा देने की बात करते हैं, उनको नुकसान न हो, वह कठिनाई में न पड़ें इसलिये जमीन न घटे। अगर उन्हीं की नाराजगी का सारा ख्याल है तो यह जो जोश आप पेश कर रहे हैं किसानों में कि इस मसला को आप हल करना चाहते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यह इस तरह से हल नहीं होगी। यह तभी हो सकती है जब कि कांग्रेस सरकार इस भावना को लेकर बैठे कि हमको यू०पी० की गरीबी को मिटाना है, देहात की हालत को ठीक करना है। इसके लिए अगर जमींदार को नाराज भी करना पड़े और समस्या हल करने के लिये यह जरूरी हो तो यह भी करके इनको इसे हल करना चाहिये। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है उससे तो यह अधूरी ही रह जायगी।

साथ ही साथ मैं यह देखता हूं कि कल सवाल उठा कि आखिर ये बाग बगीचे जमींदारों के पास क्यों रहने देते हैं? एक जगह रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बाग जमींदारों से इसलिये नहीं ले सकते क्योंकि जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें अभी इतनी काबलियत नहीं है कि वह जमींदारों के बाग का इन्तजाम कर सकें। इन ग्राम पंचायतों को आपने विलेजरिपब्लिक की सूरत में कायम किया है। उनमें इतनी अक्ल है कि वह देहात का पूरा प्रबन्ध कर सकती हैं और लगान भी आप उनसे वसूल करवायेंगे। यह काम करने की अक्ल उनमें आ सकती है, मगर एक बात की अक्ल उनमें नहीं है कि जमींदारों के बाग बगीचों का इन्तजाम कर सकें। फिर वही बात आ गयी। सब कुछ होता है। लेकिन जो हमदर्दी उनके लिए आपके दिल में छिपी है, वह हर मुकाम पर, हर मौके पर आ जाती है, हर जगह पर, ऊपर से नीचे तक उनके लिए हमदर्दी, हमदर्दी, हमदर्दी। तो यह चीज जब तक है, तब तक मेरा यह कहना है कि आप चाहे जितनी डुग्गी पीटिये, १५ अगस्त मनाइये, दिवाली मनाइये, लेकिन किसानों के हृदय में प्रकाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक आप इस बिल में यह सुधार नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी।

साथ साथ लगान का सवाल भी आता है। हमने देहातों में यह नारा बुलन्द किया है कि जिन किसानों की अनएकानामिक होल्डिंग है उनका लगान और आबपाशी आधे कर दिये जायं। हमारे कांग्रेस पार्टी के दोस्त रोजमर्रा कहते हैं कि नारों से काम नहीं चलेगा। नारों की बात गैर-जिम्मेदारी की बात है। सारी जिन्दगी गैर जिम्मेदारी का काम करने के बाद, आज गद्दी पर बैठते ही आपको अक्ल आने लगी। अगर कोई यह कहे कि जमीन को इस ढंग से बांटो, बाग बगीचों और सीर का इस तरह इंतजाम करो, लगान आधा करो, तो यह गैरजिम्मेदारी की बात है। सारी जिम्मेदारी की बात वह है जो मैंने आपके सामने अभी पेश की है। किसी काम को करने का ढंग भी होना चाहिये, अगर आज आप यह ऐलान कर दें कि जो अनएकानामिक होल्डिंग, गरीब किसानों की है, जिनके बारे में लिखा है कि किसानों का दम निकल गया है, वे मुर्दा हैं, अगर आप यह ऐलान कर दें कि हमने उनका लगान आधा कर दिया है जो मुर्दा हो चुके हैं, तो देहात के किसान को क्या महसूस होगा? सचमुच वह महसूस करेगा कि अब जमींदारी का खात्मा हुआ, और हमें आजादी मिली। काम को इस ढंग से कीजिए, जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू अक्सर यह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि "ग्लो आफ फ्रीडम" हो जाय। आजादी का प्रकाश उसके दिल में आलोकित हो जाय, और वह अनुभव करने लगे कि अब हम आजाद हो गये।

हमेशा यह कहना कि कमिश्नर के पास जाइये, कलेक्टर के पास जाइये, तहसीलदार के पास जाइये, पुलिस इन्स्पेक्टर के पास जाइये, उनमें सबमें आपको वह 'ग्लो आफ फ्रीडम' मिलेगी। लेकिन मैंने वह 'ग्लो आफ फ्रीडम' मजदूर और किसान में नहीं देखी। इस बात को कहते हुए मुझे याद आया श्री शिवनारायण त्रिपाठी ने कहा कि "एक दिन पन्तजी महाराज ने मुझसे पूछा कि 'क्यों भाई त्रिपाठीजी हमारे राज्य में जनता का क्या हाल है? उनको आजादी का प्रकाश मिला या नहीं?' मैंने उनसे कहा, आपके राज्य में आजादी की किरणें घर घर में, हर किसान के यहां फूट निकली हैं।" मुझे यह सुन कर याद आया। (एक आवाज़), बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि करीब करीब मतलब यही रहा होगा। शायद उसका जिक्र आपने जरूर किया था। (एक आवाज़)। अच्छा अब समझ लीजिए कि मैं गलत ही कह रहा हूं, पर त्रिपाठीजी की बात सुन कर मुझ पर यह असर पड़ा कि एक जमाना था जब कि राजा महाराजा बाहर निकला करते थे तो अपने मुसाहिबों से पूछते थे कि "कहो हमारी प्रजा का क्या हाल है?" तो वह कहते थे कि 'जहांपनाह भला आपके राज्य में कहीं तकलीफ हो सकती है, जहां देखिये दूध की नदियें बहती नज़र आ रही हैं।" वही हाल यहां हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब आप ज़रा सुन लीजिये क्योंकि आपने भी बहुत कुछ कहा है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जमींदारी का अगर आप खात्मा करते हैं तो दो चार बातें ऐसी कर दीजिये जिनकी वजह से गरीब दुखी किसान यह महसूस करें कि जिन्दगी भर कांग्रेस के लिये मरे, अपनी जमीनें कुर्क कराईं तथा बेदखल हुये, ऐसी हालत में कांग्रेस ने कुछ रियायत की है और कुछ ख्याल भाल किया है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जो किसान गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनका अगर आप आधा लगान कर दें तो इस बिल के पास करने के बाद उनके दिलों में एक बड़ा भारी उत्साह पैदा होगा।

एक बात मैंने इस कानून में और खूबी की देखी और वह यह है कि अगर यह कानून पास भी हो जायेगा तब भी इसके लागू करने का नुस्खा ऐसा निकाला गया है कि कांग्रेस सरकार यदि चाहे तो इसको रोक दे। इसकी दफा ५ या शायद ६ में लिखा है कि जिस जगह सरकार मुनासिब समझेगी गजट में निकालेगी वहां पर यह लागू होगा लेकिन वैसे दिखाई यह पड़ता है कि जिस दिन यह कानून पास होगा उसी दिन से सारे यू० पी० में जमींदारी खत्म हो जायेगी, लेकिन वास्तव में जब गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी और गजट में छापेगी वहां लागू होगा। इसमें लफ्ज 'मुनासिब' लिखा हुआ है। मुझे डर है कि इसका भी कहीं नशाबन्दी सा हाल न हो कि नशाबन्दी हो रही है और उधर सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है। वैसे ही कहीं कहीं जमींदारी खत्म हो जाय और मुमकिन है जगह २ दिखाई पड़े कि फलां जिले के फलां परगने में अभी जमींदारी बाकी है। अगर कांग्रेस की ओर से कहीं यह प्रोपेगन्डा कर दिया गया कि जो कांग्रेस का विरोध करेगा उसका खात्मा ही है, फौरन उसी जगह कानून लागू हो जायगा। कोई शख्स अगर मुखालिफत करेगा तो पहले वहीं यह कानून लागू किया जायगा। ऐसी हालत में आप यह ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि फलां तारीख से सारी यू० पी० में यह लागू होगा। अंग्रेज गये तो यह नहीं हुआ कि दिल्ली से चल कर कानपुर रुक गये हों या लखनऊ रुक गये, या बनारस या कलकत्ते रुक गये हों वह तो एकदम चले गये और आपका हिन्दुस्तान एकदम आज़ाद हो गया है। अगर देहातों से आप जमींदारी खत्म करते हैं तो ऐसा

[श्री राजाराम शास्त्री]

ही कर जैसा कि और कानूनों में करते हैं कि फलां तारीख से यह कानून सारे यू० पी० में लागू होगा। इसमें क्या खास बात है आपने तीन साल में जमींदारों को किसानों के रहने का मौका दिया है। फिर अब भी यह बात है कि यह कानून हर जगह एक साथ लागू न होगा। यह गलत बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को पास करके देहात में लोगों के दिलों में आशा का काफी संचार कर दिया है और किसान आशा लगाये हुये हैं। इसलिये इसकी दफायें ऐसी हों उनमें ऐसे सुधार हों जिनसे गरीब किसानों को कुछ राहत मिल सके। मैं कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों से अपील करता हूं कि वोट आप कांग्रेस को देंगे ही, जरूर दीजिये लेकिन जो लोग देहात की समस्याओं को समझते हैं, अपना कुछ अनुभव रखते हैं और इसमें माहिर हैं और मैंने सुना है कि दारुलशफा में लोग ऐसा कहते भी हैं कि इसमें यह कमी है, वह कमी है, लेकिन पार्टी अनुशासन के कारण बोल नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि आप वोट चाहे कांग्रेस को ही दीजिये लेकिन आपका जो अनुभव है, जो आपकी काबलियत है उसके आधार पर आप इस हाउस में अपने सजेशन्स तो जरूर दें। यह कोई आप लोगों के खिलाफ वोट आफ सेन्सर नहीं हो जायेगा। इसलिये मैं कुछ मेम्बरों से उम्मीद करता हूं कि वह ज़रा हिम्मत दिखायें, कुछ साहस का संचार करें क्योंकि यह गरीबों का मामला है। जो शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर्स बैठे हुए हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल से खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। आज ज्यादातर जो खेतिहर मजदूर हैं वह अछूत जाति और शिड्यूल्ड कास्ट ही के हैं और उनके लिए आप २० मेम्बर ही सब कुछ करा सकते हैं यह मुझे यकीन है। चाहे मेरा ऐसा कहने का मतलब यह भले ही लगाया जाय कि मैं कांग्रेस के बाहर का हूं और कांग्रेस में फूट डालने के लिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर अभी इतने कमजोर हो गये हैं कि वह मेरे या किसी के बहकावे में आ सकें। उनके पास इतनी अक्ल है और इतनी ताकत है कि वाकई अगर वह २० मिलकर हाउस में खड़े होकर कहें कि अछूतों के मसलों को लीजिये तो मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस पार्टी उनके लिये कुछ करने को तैयार न होगी। मैं नहीं जानता कि सेलेक्ट कमेटी में शिड्यूल्ड कास्ट के कितने मेम्बर थे या कोई नहीं था लेकिन मेरा विश्वास है कि शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर उसमें नहीं रहे होंगे और अगर होते तो मेरा दावा है कि बिल में उन गरीब खेतिहर मजदूरों की समस्या ऐसे न छोड़ दी जाती और कुछ न कुछ तरमीम जरूर होती। मैं शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बरों से कहता हूं कि आप खूब कांग्रेस की भक्ति कीजिये, चाहे मुझे गालियां सुनाइये लेकिन गरीब खेतिहर मजदूर जो आपके भाई हैं उनके लिये कुछ तो कीजिए। चाहे आपके विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी शुरू से आखिर तक पन्त जी की मिनिस्टरी के गुणगान करते रहें और एक दफा भी नेता जी, आजाद हिन्द फौज और पुराने जमाने का जिक्र तक न करें और न पुराने जमाने का और समाजवाद वगैरा किसी चीज का भी जिक्र करें। उन्होंने भी आखिर में खेतिहर मजदूरों के लिये दो अश्रु बहाए हैं। जब ब्राह्मण होते हुए श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी को उनका ख्याल है और उनकी भक्ति है तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बरों को अपने भाइयों का भी ख्याल न होगा। मैं उनको याद दिलाता हूं कि त्रिपाठी जी ने इस बात की तरफ जोर के साथ इशारा किया था। इसके अलावा और भी पैंतरेबाज़ी दिखलाई कि हमने आपके महारथियों को धराशायी कर दिया, और यह बहादुरी दिखलाई और

[illegible] कि [illegible] । लेकिन [illegible] वकील [illegible] कि [illegible] कांग्रेस के [illegible] १० [illegible] मुझे [illegible] और [illegible] लेकिन [illegible] के [illegible] के आदमी [illegible] नहीं किया जाता [illegible] में [illegible] है, [illegible] पुराने [illegible] में [illegible] के [illegible] सूबे और [illegible] के [illegible] चले आ रहे हैं, लेकिन [illegible] नहीं है और न वह [illegible] है, [illegible] ठीक है कि आप अपने [illegible] के नाम पर वोट ले सकते थे और बकाई उनमें कुछ ऐसे थे कि जिनमें [illegible] मुझे [illegible] कि न [illegible] नहीं [illegible] के [illegible] अगर [illegible] नहीं था कि उनके [illegible] लेकिन [illegible] कोई [illegible] की बात नहीं [illegible] उन्होंने [illegible] देश [illegible] अभी [illegible] कि [illegible] फायदा उठा सकते हैं और उनके नाम पर वोट मांग सकते हैं। [illegible] दयाल त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि क्या [illegible] चुनाव में [illegible] के लिये [illegible] होने का सवाल है ?

मेरे कहने का मतलब यह है कि [illegible] के नाम पर [illegible] । देश की जनता ने [illegible] करेंगे कि जनता को [illegible] के नाम पर भी [illegible] है, [illegible] है, [illegible] हम सुनने के लिए [illegible] में [illegible] के [illegible] हैं। [illegible] मैं कहता हूं [illegible] है [illegible] को [illegible] । [illegible] इसी [illegible] हुकूमत को दें, [illegible] नहीं जानते कि इस तरह की [illegible] दूसरे लोग भी [illegible] सकते हैं। [illegible] अगर [illegible] की बात कीजिये, मैं कभी [illegible] कि सोशलिस्ट पार्टी में इस तरह के आदमी नहीं घुस आये हैं, जब किसी बड़ी पार्टी का [illegible] दरवाजा खुल जाता है, अवसरवादी और बेईमान लोग अक्सर घुस ही जाते हैं लेकिन इस तरह से उसका प्रोपेगेंडा करना और हाउस के सामने रखना मुनासिब नहीं मालूम होता। जो लोग इस तरह से कहते हैं वह भी जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें। आप कांग्रेस पार्टी के अन्दर देख लीजिये कि उसमें क्या हो रहा

[श्री राजाराम शास्त्री]

है। लखनऊ में और उन्नाव में जाकर पूछिये कि वहां क्या हो रहा है। जो आदमी खुद कांच के मकान में रहता हो वह दूसरे पर ढेला फेंके, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि पर्सनल बातें यहां हाउस में उठाई जायें। आप में खराबी हो सकती है और हम में भी खराबी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को ही लीजिये। फलां ने रिश्वत ली, फलां ने चोरी की। एक आदमी अगर बदमाश साबित होता है तो इसके लिये कांग्रेस पार्टी को बदनाम नहीं किया जा सकता। इस तरह से काम नहीं चल सकता। इसके हल करने का तरीका यही हो सकता है कि एक भी व्यक्ति जो बेईमान हो और कांग्रेस पार्टी में घुस आया हो आप उसकी निन्दा करें कि उसे निकाल दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को चाहे वह कांग्रेसी हो या सोशलिस्ट उसे कोई जगह नहीं मिलना चाहिये लेकिन अगर कोई सोशलिस्ट गलती करे और हाउस में खड़े होकर सारी पार्टी और जयप्रकाश को एक ही घाट पर उतार दें यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता। सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में खड़ी है गरीब जनता के हित में, आप जैसे हजारों आदमी कोशिश करें फिर भी वह मर नहीं सकती, वह जिंदा रहेगी और उसे मिटा नहीं सकते। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि इस हाउस में और कोई कहे तो कहे, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी ने इस तरह की स्पीच दी। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने कौन से घाट का पानी नहीं पिया। आप नेताजी के भक्त रहे, और न जाने किस किस के भक्त रहे। आखिर वक्त तक आप जोर दे देकर कहते रहे कि हम क्रांतिकारी हैं, नेताजी के साथी हैं, कांग्रेस गद्दार है, हम कांग्रेस को छोड़ देंगे। हमसे कहा कि आप विश्वास रखिये ४ दिन के बाद ही चला आऊंगा लेकिन जब विश्वास हो गया कि नेताजी जिन्दा नहीं हैं और अब उनके नाम पर ज्यादा दिनों तक दुकान नहीं चल सकती तो सोचा चलो भाई कांग्रेस ही में रहो। जब तक यह विश्वास था कि नेता जी जिन्दा हैं तब तक बड़ी बड़ी बातें बनाते रहे। यह बहुत गलत तरीका है। इस तरह की बहस हाउस में नहीं होना चाहिये। बहस इस बात पर हो कि भूमिधर को क्या हक दिये जा रहे हैं और सीरदार को क्या हक मिल रहे हैं। बहस इस बात पर हो कि इसमें सुधार कैसे हो। जिस दिन पंत जी ने तकरीर की उस दिन से सब पर सोशलिस्टों का भूत सवार है। बिल पर किसी शख्स ने कोई बहस की होती तो बात थी, शुरू से आखीर तक जितने सज्जन बोले केवल इसलिये कि अखबारों में खबरें छप जाय। यह छप जाय कि सोशलिस्ट बदमाश, भ्रष्टाचारी और धूर्त हैं। यह छप जाय कि कांग्रेस इस जमींदारी बिल को लाई है, कांग्रेस ने अंग्रेजों का नाश किया है। न मालूम क्यों यह डुग्गी पिटवाने का शौक चर्राया हुआ है। मेरा तो कहना है कि अगर सही काम होगा, किसानों का फायदा होगा, मजदूरों को लाभ होगा, तो खुद तुम्हारी डुग्गी पिटेगी, इस तरह की बेकार बातें करना मुनासिब नहीं है।

दूसरे कनारवादी आये, वह थे श्री अलगूराय शास्त्री। इनको तो सबसे ज्यादा जोश सवार हो गया था। मुझे तो भूतपूर्व सनजवादियों से बड़ा क्षोभ होता है शर्म भी लगती है। अलगूराय जी ने अपनी स्पीच में बड़ी बड़ी बातें कहीं। मार्क्स से लेकर, लेनिन और स्टैलिन तक हवाला दे डाला और फिर जाकर हवनकुंड में गिरे। ऐसी स्पीच दी कि हाउस में मालूम पड़े कि वह पक्के सोशलिस्ट हैं लेकिन फिर भी जो संस्कार पड़े हैं वे कैसे छूट सकते

हैं। अन्त में इन्कलाबी मजदूरों ही निकले, मार्क्स, लेनिन और स्टैलिन का नाम ले आखीर में रोता ही रहा। मेरा कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा।

इसी तरह से आपने कांग्रेसी दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि आप अपना एक दृष्टिकोण बना लें, तो उसका भी भला हो और मुल्क का भी भला होगा। जब तक एक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आपका भी नुकसान है और मुल्क का भी। जब कोई कांग्रेसी भाई स्पीच देने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हमने यह कुरबानी की, यह किया वह किया, १९२१ में यह किया, १९३० में वह किया, १९४२ में यह किया, जितनी भी बातें हो सकती हैं गाए जाते हैं। यह इसलिये कि मुल्क में यह धारणा पैदा हो जाय कि जब इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया है तो अब मुल्क के आजाद हो जाने के बाद अगर ये चार पाप भी कर लेते हैं तो क्या बात है। धुलेकर जी ने अपनी स्पीच में और भी रंगत दिखाई। बड़ी बड़ी बातें सुनाईं। आपने बताया कि कितना जादू इन लोगों ने किया, कितना कमाल किया। आपने कहा कि जब एक दिन रात को सोये तो सुबह उठकर क्या देखते हैं कि मुल्क आजाद हो गया। कैसा बड़ा जादू टोना हुआ! यानी यह जादू टोना कांग्रेसियों का किया हुआ था कि रात को ये कांग्रेसी सोये और सुबह मुल्क आजाद दिखलाई पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि १८५७ से लेकर जन देशभक्तों ने अपना खून बहाया, जो फांसी के तख्ते पर झूले, क्या उन्होंने देश की आजादी के लिये कुछ नहीं किया? हिन्दुस्तान के हजारों किसान और मजदूरों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें कुरबान कर दीं उनका इन कांग्रेसियों को कोई खयाल नहीं है। क्या जो हजारों मजदूर मरे उनका कोई असर देश की आजादी लाने में नहीं पड़ा? क्या आप समझते हैं कि इस जादू टोने से ही आपने हिन्दुस्तान को आजाद कराया है? कौन नहीं जानता कि आपकी वजह से हिन्दुस्तान जाग्रत हुआ, आजाद हुआ, लेकिन यह बड़े स्वार्थ की बात है कि आप अपना ढिंढोरा पीटें और कहें कि हमारे इस जादू की वजह से ही हिन्दुस्तान आजाद हुआ। यह इसलिये है कि कांग्रेसी जनता में यह साइकालाजी पैदा करना चाहते हैं, कि जिस जादू के जोर से एक रात में अंग्रेजों को भगा सके, उसके ऊपर यकीन रखें और धीरे धीरे उसी जादू के बल से पूंजीपतियों को हटा देंगे, जमींदारी को हटा रहे हैं, और समाजवाद देखते देखते एक दिन में पैदा कर देंगे। इससे जनता का कोई हित नहीं हो सकता, इस जादू टोने की बात से काम नहीं चलेगा।

अंत में मैं कांग्रेसी दोस्तों से यह कहूंगा कि आप जो बिल लायें और जिसे आपने हाउस के सामने पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा ख्याल है कि इससे सूबा आगे बढ़ेगा, हमारा सूबा आगे बढ़ेगा, परन्तु जो कदम आपने उठाये हैं वह कदम उतना आगे नहीं जाता, जितनी कि भयंकर स्थिति देश के सामने उपस्थित है। इस क्रान्तिकारी कदम को जब आपने उठाया है तो इसमें जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है उसको देखते हुए मेरा कहना यह है आप उन वर्गों को अपने साथ लेने की कोशिश कीजिये जो वर्ग इस कानून के पास हो जाने से असंतुष्ट होंगे। और जब आप उनको उठाने की कोशिश करेंगे तभी वे संतुष्ट हो सकेंगे। अब जो नयी राजनीति आ रही है उस राजनीति में ऐसी संकीर्णता काम नहीं होगा और बढ़ेगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी साथ में आगे बढ़ें। मेरा यह भी विश्वास है कि आज की हालत में [illegible] जब मैं आपकी आलोचना करता हूं तो मेरी निगाह इस बात पर रहती है हमारा देश ऊपर को उठे। कांग्रेस पार्टी का

[श्री रामानन्द शर्मा]

विरोधी होते हुए, सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर होते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहे कितनी ही आपकी मुखालिफत करें, और हालांकि ऐक्सनिया आपको गद्दी से उतारना चाहते हैं लेकिन अगर आप अच्छी तरह राज्य करते हैं तो बढ़ते रहिये कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो अवश्य ही गद्दी से उतारे जायगे। अगर हिन्दोस्तान के राजे महाराजे अगर हिन्दुस्तान के पूंजीपति और जमीदार, अगर हिन्दुस्तान के आर०एस०एस० वाले और कम्युनिस्ट अगर राष्ट्र का विरोध करेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी अपनी पूरी ताकत से हर एक का विरोध करेगी और आपकी रक्षा में सदा उद्यत रहेगी। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान में कोई खून खराबी हो, जो आज़ादी हमने प्राप्त की है वह गड़बड़ में पड़ जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बीड़ा आपने उठाया है और जो बात हम कहते है उस पर आप विचार करें। हम दावे के साथ कहते हैं और इसलिए कोई बात कहते हैं कि आप एक कदम और आगे बढ़ जायें। पन्तजी ने अपने इस बिल को पेश करने का उद्देश्य बतलाया कि हम हिन्दोस्तान में कम्युनिज्म को रोकना चाहते हैं। हम भी कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं लेकिन उसकी इस पालिसी को कि राजसत्ता को उलट दिया जाय, राष्ट्रीय सरकार को उलट दिया जाय, इसमें हम विश्वास नहीं करते, अच्छा नहीं समझते। अगर राष्ट्रीय सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो हम भी चाहते हैं कि वह उलट दी जाय लेकिन कायदे और कानून से। ताकि उसकी जगह दूसरी पार्टी आ जाय और काम को संभाल ले। और कांग्रेस के गद्दी छोड़ने पर मुल्क में अराजकता न फैल जाय। आलोचना होने से कोई कमजोर नहीं होता है। आप आलोचनाओं से घबराइये नहीं। लेकिन अगर आप विरोधी पार्टियों को दबायेंगे तो प्रकृति अपना काम करती है। आपने सोशलिस्ट पार्टी को अलहदा कर दिया इससे क्या हुआ। आपके बीच और बहुत सी कमजोरियां आ रही हैं। कल भी अखबारों में यही रोना था और आज भी। आप अगर यहां लोगों को नहीं बोलने देंगे तो क्या। हाउस के अन्दर ही ६० आदमी ऐसे बैठे हुये हैं जो यहां नहीं तो बाहर निकल कर आपके खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं, इतना क्यों दबाते हैं कि वह चीज फूट ही निकले। आप कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं यही करप्शन पार्टी न बन जाए। इस तरह की पार्टीज़ बन जाया करती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है आपको जनता को उठाना है। विरोध को बर्दाश्त करना है। मैं केवल एक भीख कांग्रेस पार्टी से मांगता हूं। जिस तरह हमने कहा कि हम हर तरीके से इस मसले में आपके साथ हैं उसी तरह से आपसे भी हम यह आशा करते हैं कि आप जो भी काम करें वह ज़रा डेमोक्रेटिक ढंग से करें। हमने देखा कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स जब स्पीच करते हैं तो कहते हैं कि जनता ठीक नहीं है। सरकार का साथ नहीं देती है। जनता बदमाशी करती है। सब खराबी जनता में है आपमें कोई खराबी नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको भी यह महसूस करना चाहिए कि हम में भी कोई खराबी हो सकती है। जनता हमारी खराबी को कहे और इस तरह से दूर करे जिस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उसकी ५० प्रतिशत आजादी हमें दीजिए। हम सत्याग्रह की लड़ाई लड़ा करें और सत्य और अहिंसा को अपनाकर डेमोक्रेटिक तरीके से सार्वजनिक आन्दोलन चलायें, जन संघर्ष को चलायें, जनता को आगे बढ़ाएं तब जाकर यह चीज

होता है । वरना मैं आपसे कहता हूं कि काग्रेस कमेटियों का नाश हो रहा है, काग्रेसियों का नाश हो रहा है जिसने वह कुछ न करने पर बाध्य हैं । इसलिये अगर आप यह चीज़ करें और मैं आपसे कहता हूं कि किसानों के असंतोष को दूर करें और उनमें बदअमनी फैलने से रोकें तो मेरा विश्वास है कि शान्तिमय तरीकों से जनता आगे बढ़ सकेगी । इस ओर आप विरोधी पार्टियां भले ही हों लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और मेरा यही यकीन है कि अगर देश की आर्थिक हालत खराब हुई और हिन्दुस्तान के अन्दर गरीबी और बढ़ी और आपने इस पूंजी-वाद और इस जमींदारी का मसला को [illegible] ढंग से हल नहीं किया तो एक दिन आयेगा जब आप महसूस करेंगे कि केवल [illegible] काम नहीं चलेगा तो आपके दिल में यह महसूस होगा कि [illegible] । [illegible] और [illegible] चीज़ें बहुत हैं । ऐसी बातें बहुत [illegible] । [illegible] काम करिये और सही रास्ते पर आइये । आपको भी [illegible] है और हमको भी जनता के हित का ख्याल है । लेकिन अगर [illegible] हुई तो मुल्क में लड़ाई और तबाही का रास्ता खुल [illegible] । [illegible] चाहते हैं वही चीज़ें [illegible] कानून के ज़रिये आप [illegible] [illegible] है । [illegible] । [illegible] हिन्दुस्तान के अन्दर [illegible], अगर आप [illegible] करेंगे तो देश की जनता [illegible] ; तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता आपका साथ देगी और तभी देश की आज़ादी की रक्षा हो सकती है । लेकिन अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो यह जमींदारी उन्मूलन कानून और त्रिपाठी जी की हुमाकिरायेगी और [illegible] प्रोपेगेन्डा कम्यूनिज़्म के रास्ते को नहीं रोक सकता है । अगर हिन्दुस्तान में कम्युनिज़्म बढ़ रहा है तो कांग्रेस की गलत पालिसी की वजह से । इसलिये मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस सही रास्ते पर चलेगी और इस बिल की खराबियों को दूर करेगी । कांग्रेस अगर सही रास्ते पर आयेगी तो कम्युनिस्ट रोके जा सकते हैं । अगर आप चाहते हैं कि आम किसान इस कानून से कुछ फायदा उठायें तो आप ऐसा कानून बनाइये जिससे जितनी अन-एकनामिक होल्डिंग्स हैं वह सब एकनामिक होल्डिंग्स बन जायं । आप हर एक की जमींदारी की लिमिट बांध दीजिये, चाहे १० एकड़ हो चाहे ५० एकड़ हो । और यह भी कानून बना दीजिये कि अगर जमीन बिके तो पहला हक खरीदने का उनका होना चाहिये जिनके पास अनएकनामिक होल्डिंग है । इसके बाद औरों को दी जाय । जिनके पास अनएकनामिक होल्डिंग्स हैं, जो मर रहे हैं, उनके लिये आप कानून बना दीजिये कि जब तक उनकी होल्डिंग्स एकनामिक न हो जायं आप उनकी अनएकनामिक होल्डिंग्स पर आधा लगान लेंगे । मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेज़ देश से चले गये मगर जनता के ऊपर बोझा वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा कि श्री कुमारप्पा ने कहा है । ऐसा क्यों है, क्रान्ति के लक्षण देश में हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश में क्या हो रहा है । जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जनता असंतुष्ट है । जे० सी० कुमारप्पा कहते हैं कि देश में क्रान्ति के लक्षण हैं । आचार्य कृपालानी कहते हैं कि नेता सन्तुष्ट हैं और जनता असन्तुष्ट है ।

[श्री राजाराम शास्त्री]

ऐसी हालत में मैं कांग्रेस से यह उम्मीद करूंगा कि वह देश की सही परिस्थिति को देखते हुए सही क़दम उठायेगी जिससे किसानों की बहबूदी हो सके। जो सुझाव मैंने आपके सामने रक्खे हैं, मुझे आशा है कि कांग्रेस के मेम्बर उन पर संजीदगी से ग़ौर करेंगे और इस कानून में जो और खराबियां हैं उन्हें हाउस के सामने रक्खेंगे। मैं यह चाहता हूं कि कानून ऐसा बने जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में एक महत्वपूर्ण बिल पर बहस हो रही है। कई दिन से भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया और कुछ ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना है कि यह बिल कहां तक उपयुक्त है और कहां तक अनुपयुक्त है। मैं पहले जमींदार भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि यह बिल उनके हित में है और उनको इस बिल का स्वागत करना चाहिये। इस बात में मैं भी भाई राजाराम जी से सहमत हूं कि यह बिल जमींदारों के हित में है। अब प्रश्न यह है कि देश की राष्ट्रीय आजादी के बाद देश का आर्थिक ढांचा कैसा बने। कांग्रेस यह चाहती है कि एक वर्गहीन समाज बने और रामराज्य का उदय हो। इसी तरह सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि एक वर्गहीन समाज बने और कम्युनिस्ट पार्टी भी यही चाहती है कि एक वर्गहीन समाज हो। तीनों पार्टियों का दृष्टिकोण एक है परन्तु तीनों के रास्ते तीन हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलना चाहती है। गांधी जी ने कहा था कि हम किसी की बुराई नहीं चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से भी यह कहा था कि हम अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी हैं परन्तु हमारा अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं है। उसी तरह से कांग्रेस आज यह चाहती है कि समाज का ढांचा बिगाड़ने वाले न खत्म किये जायें। यदि जमींदार काश्तकारों के रक्षक बनते और यह समझते कि ज़मीन उनकी नहीं है बल्कि काश्तकारों की है तो शायद आज इस बिल को लाने की आवश्यकता न पड़ती। सन् ३१ में महात्मा गांधी ने ज़मींदारों से एक अपील की थी और उसमें उन्होंने ज़मींदारों से यह कहा था कि आप अपने खेतिहरों के प्रतिरूप होकर रहें। यदि आप उनके शब्दों को सुनें तो आपको मालूम होगा कि उनके हृदय में कितना दर्द था और उसी दर्द के कारण वह जमींदारों से कहते थे कि आप काश्तकारों के प्रतिरूप होकर रहें। उन्होंने टेनेन्ट की परिभाषा, श्री हूपर, सेटिलमेंट अफ़सर, के शब्दों में, जमींदारों से अपील करते हुए दिया है वह इस प्रकार है —

'One who is ready to live on one meal a day and, in native phrase, to sell his wife and children, to pay the highest possible rent on his holding, who is prepared to submit to any cesses which may please his landlord to demand and who is always willing to work for him without payment, to give evidence for him in court and, speaking generally, to do any conceivable thing he is told to do.

(असामी वह है जो केवल एक बार भोजन करके रहने के लिए और देशी भाषा में, अपनी जोत का आवक से अधिक लगान देने के लिये, अपनी स्त्री और बच्चों को बेचने के लिये तैयार है और जो किसी भी प्रकार का कर जो उसका जमींदार मांगे, देने को और उसका बिना कुछ लिए

कार्य करने को, उनके हेतु न्यायालय में गवाही देने को, या यों समझिये कि किसी प्रकार का भी कार्य जो उससे कहा जाय करने को तत्पर है।)

महात्मा गांधी के यह शब्द टैनेन्ट्स के बारे में थे। परन्तु महात्मा गांधी की यह अपील बेकार रही और आपके कानों पर जूं न रेंगी। मामला आगे बढ़ता गया और अन्त में परिणाम यह हुआ कि इस बिल को भवन के सामने आना पड़ा। जमींदारों के बारे में मेकेवली ने कुछ बातें कही हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है—

And of the nobles: "Gentiluomini are called those, who live fatly and lazily from the revenues of their land without even giving themselves the trouble of improving them. In every republic or provincia they are harmful, but especially where they have castles and vasals who obey them because there they are enemies of all civilization."

(रहा जमींदारों के विषय में—बड़े आदमी उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी जमीन की माल्गुजारी से आलस्य और विलास का जीवन व्यतीत करते हैं और कभी उस भूमि की उन्नति करने का कष्ट भी नहीं करते, ऐसे लोग प्रत्येक देश में हानिकर होते हैं और ऐसे देशों में तो वे विशेष रूप से हानिकर हैं जहां उनके महल बने हैं और उनकी आज्ञा पालनार्थ नौकरों का समूह विद्यमान है क्योंकि वे लोग सभ्यता के शत्रु हैं।)

मेकेवली के यह शब्द कहां तक आप पर लागू हैं आप स्वयं विचारें और सोचें, मैं नहीं कहता कि आप सभ्यता के विरोधी हैं किन्तु आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में यह शब्द कुछ हद तक सही प्रतीत होते हैं। आप काश्तकारों को अपना दुश्मन समझते थे और उनसे बेरहमी के साथ व्यवहार किया। मैं कहता हूं कि समाज की जो व्यवस्था गांधी जी के नेतृत्व में कायम हो रही है, उसका आप विरोध न करें। हम गांधी जी के आदेशों के अनुसार चलने वाले हैं। आपका नुकसान हो यह इस बिल की और कांग्रेस की धारणा नहीं है। हम जमींदारी को तोड़ेंगे लेकिन जमींदारों को नेस्तोनाबूद नहीं करेंगे। बिल में प्राविजन किया है कि मुआविज़ा दिया जाय। लेकिन सोशलिस्ट कहते हैं कि बगैर मुआविज़ा दिये हुए आपकी सारी सम्पत्ति ले लेवें। उनके विचारों में जो आपकी सम्पत्ति कहलाती है वह आपकी नहीं है। आप चोर के रूप में उसे पकड़े हुए हैं। उसको ले लेना समाज के हित में वह हितकर समझते हैं। एक तरफ कम्युनिस्ट भाई हैं जो कहते हैं कि मुआविजे का सवाल ही नहीं, उनको कोई हक इस संसार में कायम रहने और जीवित रहने का नहीं है। उनको मार कर और माल छीन कर वर्गहीन समाज कायम करें। तीन रास्ते हैं। एक रास्ता कांग्रेस का है जो कि उचित दाम देकर, बहुतों के खयाल में ज्यादा, आपका हक लेना चाहती है। दूसरा क्लास, वही चीज़ लेना चाहता है लेकिन बगैर कुछ दिये हुए, तीसरा क्लास आपको जड़ से मिटाकर भूमि खाली कराकर ले लेना चाहता है। आपको ध्यान करना चाहिये ये दो रास्ते हैं। यदि आपने संशोधन पर ज्यादा जोर दिया, डिवीजन कराया तो आपका जीवन कठिन हो जायगा। वह दिन आयेगा जब आप संसार से मिट जायंगे। हम इस हद तक मैं श्री राजाराम जी से सहमत हूं कि यह बिल आपको सुविधा देता है। हम आप मिलकर इसको पास करें। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप संशोधन उठा लें। इस प्रस्ताव को जो जमींदारी उन्मूलन का है एक मत से बिना किसी विरोध के स्वीकृत

[श्री सिंहासन सिंह]

करें। बिल जैसा है ठीक ही है। इस पर बहुत काफी बहस हो चुकी है, लेकिन अधिक बहस इस पर रही है कि जमींदारी प्रथा भली है या भली नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। इस बात पर कम रोशनी डाली गई है कि इस बिल में किन चीजों की कमी है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूं। इस पर सरकार ध्यान दे। पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव अगस्त सन् ४६ में पास हुआ था कि जमींदारी प्रथा तोड़ दी जाय और ८ जुलाई सन् ४९ को इसका मसविदा हमारे सामने पेश हुआ। सिर्फ तीन वर्ष में एक महीने की कमी है। पुरानी मुसलिम लीग पार्टी जो अब जनता पार्टी है वह कहती है कि यह बिल देर से आया। हम भी सहमत हैं कि बिल देर से आया। इसे बहुत आगे आना चाहिये था और अब तक पास हो जाना चाहिये था। देर हुई। शिकायत करने से काम नहीं चलता। इस कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो पता चलेगा कि जो मुसलिम लीग पार्टी और जनता पार्टी के लीडर हैं वे जमींदारी एबालीशन कमेटी के मेम्बर भी थे। बेगम एजाज रसूल भी इसकी मेम्बर थीं। इन चार व्यक्तियों ने सहयोग नहीं दिया जो मुसलिम लीग के मेम्बर थे। इस पर गौर कीजिये कि क्या करें। उस समय मुसलिम लीग जमींदारों का बनी हुई थी। वह इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने वाली संस्था थी। मुसलिम लीग जमींदारी प्रथा के खत्म होने की विरोधी थी। इसलिये आप उस वक्त जमींदारी एबालिशन कमेटी में नहीं आ सके। उस वक्त आपने जो कुछ किया वह देश की खून खराबी पर ही अधिक जोर दिया। और इस तरह से इस बिल को यहां आने में विलम्ब हुआ। इतना विलंब होने के बाद जब जनवरी सन् १९४८ ई० में आप कमेटी में गये उसके थोड़े दिनों के बाद ही रिपोर्ट निकली। और उस रिपोर्ट में चार मेम्बरों में से बेगम साहिबा ने तो बिल्कुल विरोध किया और यह राय दी कि जमींदारी टूटे ही नहीं। लारी साहब ने दबी जबान से इसको स्वीकार किया और यह राय दी कि अनएकनामिक होल्डिंग का लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाय। हमारे यहां ५७ फी सदी काश्तकार हैं। इस तरह से अगर ५७ फी सदी अनएकनामिक होल्डिंग का लगान माफ कर दिया जाय तो फिर हमारी माली हालत क्या होगी? लेकिन तो भी हम लगान कम करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बतायेंगे। अब बिल के मूल अंग पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बिल के क्लाज ५ में दिया हुआ है कि सरकार को अधिकार है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वह डिक्लेयर करे कि फलां तारीख से जमींदारी का हकूक महामहिम को वेस्ट करेगा। मेरा इससे विरोध है। आज तीन वर्ष के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस विधान की एक एक धारा इस हाउस के सामने पेश हुई है और इसके पास हो जाने के बाद फिर यह लागू कब होगा इसका अधिकार सरकार के ऊपर छोड़ देना कि वह जब चाहे तब इसको लागू करे उचित नहीं जान पड़ता। इससे विलम्ब होगा और अगर विलम्ब होगा तो श्री राजाराम शास्त्री के ही शब्दों में यह हमारे लिये घातक होगा, कांग्रेस के लिये घातक होगा। क्योंकि इस बिल के पास होने में भी अभी कम से कम एक साल का समय लग जावेगा। एक वर्ष के बाद फिर नया चुनाव होने वाला है। अगर नये चुनाव के पहले यह नहीं लागू होगा तो हमारे लिये बड़ी दिक्कत की बात पैदा हो जावेगी कि हम जनता के सामने यह कहें कि हम तो कानून

को पास करके चले आये हैं और फिर लौट कर जाने पर उसको लागू करेंगे। हम लोगों की इस बात का वे विश्वास भी करेंगे या नहीं इसमें मुझे सन्देह है। इस तरह से हाउस के अन्दर भी और बाहर भी हमारे प्रति अविश्वास की धारणा बन जायेगी। गवर्नमेंट जब चाहे तब इसको लागू करे यह चीज़ नहीं होनी चाहिये बल्कि जब गवर्नर का एसेन्ट मिल जाय उसी तारीख से महामहिम में सारी जायदाद वेस्ट हो जानी चाहिये। इसके बाद हमारे ऊपर किसी तरह का दोषारोपण नहीं होगा कि उस कानून को किस तारीख से लागू किया जायगा। मसलन एक कानून का हवाला मैं आपको देना चाहता हूं। आज दो वर्ष हुए इस सदन ने लैंड युटीलाइजेशन ऐक्ट पास किया। उसमें एक प्रोवीजन था जिसमें कलक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि ऐसी सारी परती जमीन और यहां तक कि जो सीर की जमीन दो वर्ष से परती पड़ी हुई हैं उसके लिये भी वह जमींदार को नोटिस देगा कि वह परती जमीन का १५ दिन के अंदर बन्दोबस्त कर दे। अगर जमींदार इसका बन्दोबस्त नहीं करेगा तो कलक्टर को अख्तियार होगा कि वह जमीन काश्तकारों के हाथ या जिस तरह से चाहे किसी अन्य के साथ बन्दोबस्त कर दे ताकि अन्न का अभाव जो अधिकता से है वह न हो। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह कानून जिस तेजी के साथ जिस उद्देश्य से पास किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी। जितनी परती जमीनें पड़ी हुई थीं उनमें शायद ५ फी सदी भी बन्दोबस्त नहीं हुई हैं। सारी परती जमीनें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। बहुत से जमींदार लोग कहते हैं कि हमारी जमीन सो रही है और वह सोयेगी। इसी तरह वे परती जमीनें सो रही हैं। ऐसी सूरत में एक तरफ तो आप कंट्रोल अफिसर मुकर्रर करते हैं, फूड प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में और दूसरी तरफ कलक्टर को परती जमीन के बन्दोबस्त का अख्तियार देने के बाद भी आप देखते नहीं हैं कि आया उस अधिकार का ठीक तरह से समुचित रूप से पालन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं, बन्दोबस्त न होने के कारण ही आज देश में इतनी जमीनें परती पड़ी हुई हैं जिससे अन्न का अभाव है। इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिये। इसीलिये मुझे डर लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद शायद गवर्नमेंट के अंदर सुस्ती आ जाय। इसलिये मैं हाउस से और प्रधान मन्त्री जी से यह अपील करूंगा कि वे इस पर गौर करें और इस बिल को पास करने में जितनी जल्दी हो की जाय। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल में से दफा ५ और ६ को निकाल दिया जाय और उसके बजाय यह रख दिया जाय कि जिस समय इस बिल पर गवर्नर जनरल का एसेन्ट मिल जायगा उसी वक्त से यह लागू होगा और यह महामहिम के अख्तियार में चला जायगा। अब इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम लोगों ने वर्गहीन समाज बनाने का विचार किया है और इस बिल में वह है भी, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्गहीन नहीं बल्कि एक बदला हुआ वर्ग कायम हो रहा है। अब तक जमींदार और काश्तकार थे। काश्तकार की चार पांच किस्में थीं। इस प्रकार ५-६ किस्मों को तोड़ कर आप सिर्फ ४ क्लास कर रहे हैं यानी भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी। यह ठीक है कि आगे चल कर दो ही क्लास रह जायंगे, यानी सीरदार और अधिवासी मुआविजे देकर भूमिधर हो जायंगे। केवल भूमिधर और असामी ये दो ही क्लासेज़ रह जायंगे। एक को पूरा अख्तियार रहेगा और एक को कुछ भी अख्तियार न रहेगा। मेरा सबसे पहला विरोध तो इन शब्दों से है। ये शब्द नये गढ़े गये हैं। इन शब्दों के लाने से या सिर्फ शब्दों के परिवर्तन से ही कोई लाभ नहीं होता। इससे हमारा

[श्री सिंहासन सिंह]

उद्देश्य जो वर्गहीन समाज के कायम करने का है उससे हट नहीं हो सकता है। इसको कहना चाहिये कि जो खेती करने वाला है वह काश्तकार है। इन नये शब्दों को सुन कर काश्तकार क्या समझेंगे। वह उनका कुछ मतलब नहीं समझ सकेंगे। आज तक हम केवल किसान सभा के नाम से काम करते रहे हैं, क्योंकि जो खेती करने वाले सब लोग हैं वे किसान हैं। और उस किसान सभा के अध्यक्ष हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वे ही हमेशा से रहे हैं। अब उनका भूमिधर और सीरदार हो जायगा। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आप भूमिधर और सीरदार के चक्कर में न पड़ कर यह कहिये कि जो खेत जोतने वाले हैं उनका नाम किसान होगा। अब किसान के बाद जो दूसरा उनका आता है और उन लोगों का जो मुआविजा देने के बाद भूमिधर बनेंगे उनको आप अ, ब, स या इस आदि नाम दे कि किसान कह सकते हैं। वह कहिये कि जब तक वे मुआविजा नहीं देते तब तक वह उस किसान रहेगा और मुआविजा देने के बाद वह किसान समझा जायगा। इसी तरह से अधिवासी के लिये भी सोचिये कि जिस समय वह मुआविजा दे देगा भूमिधर हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इन नामों में बदल देने से क्या कल्याण होने वाला है। यहां तक तो नाम के बारे में मैंने कहा। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अधिवासी और सीरदार का जो आपने फर्क किया है वह कुछ उचित सा नहीं मालूम पड़ता। आपने यह रखा है कि अधिवासी यदि पांच साल बाद १० गुना दे दे तो वह सीरदार हो जायगा। उसको पांच वर्ष तक वैसे ही रखा कि इस तरह से। ५ वर्ष तक उसके अख्तियार में कोई परिवर्तन नहीं इस बिल के पास हो जाने के बाद भी ५ वर्ष तक वह किसान शिकमी ही रहेगा। वह तलवार उसके गले में लटकी रहेगी। अगर वह १५ गुना लगान अपना नहीं दे पायेगा तो उसके हक में कोई परिवर्तन नहीं हो पायेगा, उसको कोई हक नहीं मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह धारा निकाल दी जाय तो अच्छा है। अधिवासियों को भी हक होना चाहिये कि वह भी आज की तारीख से यह महसूस करे कि उसे भी हक हो गया है लेकिन कानून के पास हो जाने के बाद भी ५ वर्ष में उसको कोई हक नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है, वह नहीं मालूम है कि वह १५ गुना लगान दे पायेगा या नहीं तो वह बेदखल हो जायगा। वह उस जमीन से कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा जिससे कि वह बेदखल हो जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ भी तवज्जह की जाय और उनको भी हक देना चाहिये। ५, ६ वर्ष तक उनके हक को मुल्तवी नहीं करना चाहिये। अब मुल्तवी का जमाना निकल गया है। आपने देखा कि अभी शास्त्री जी यहां पर बोल गये हैं। वह अपने लिये इन सब बातों का प्रयोग करेंगे और इसका प्रचार करेंगे। वह शिकमी काश्तकारों से कहेंगे कि तुमको क्या हक मिला। तुम्हारी किस्मत ५ वर्ष के लिये टल गई। और ५ वर्ष के बाद कौन जाने कौन गवर्नमेंट आवे और वह इन बातों पर कायम रहेगी या नहीं। जो बातें हम आज सोच रहे हैं वह पूरी हो सकेंगी या नहीं। यह कोई नहीं जानता है। आज वैसे भी हमारे खिलाफ काफी लोग कहते हैं कि हम जमींदारों से सहानुभूति रखते हैं और कैपिटलिस्टों की मदद करते हैं। ५ वर्ष तक उनको हक न देकर भुलावा दिया है और भुलावा देने के बाद फिर ५ वर्ष में गवर्नमेंट वापस आयेगी या नहीं

यह [illegible] है। इसलिये [illegible] देने में [illegible] और इनके विरुद्ध जो भाई [illegible] उनको [illegible] कि [illegible] इस प्रकार [illegible] तरह से प्रचार करना [illegible] किया जाय।

[illegible] ने भी अपने [illegible] किया है [illegible] कुछ [illegible] है। मैं तो यह [illegible] कि [illegible] को [illegible] पड़ेगा [illegible] एक प्रकार से [illegible] १०० देना है तो [illegible] और इनको [illegible] १० गुना देना पड़ेगा। [illegible] कोई [illegible] मालूम [illegible] है [illegible] और [illegible] बहुत [illegible] होगा [illegible] १० गुना [illegible] देने के बाद [illegible] लेकिन [illegible] अधिवासी को [illegible] तक पूरा [illegible] में कुछ [illegible] देना [illegible]। [illegible] कोई [illegible] नहीं हुआ है [illegible] हुआ [illegible] १०० [illegible] १० [illegible] उनको बहुत ज्यादा [illegible] होता है [illegible] में मैंने आप से [illegible]। मैं [illegible] इस बिल में [illegible] नहीं होगी और [illegible] लेकिन अभी तो हमने यह निर्णय नहीं किया कि [illegible] क्या होगी और ऊपरी सीमा अवश्य होनी चाहिये। जहां एक तरफ हम चिल्ला रहे हैं, इंग्लैंड की [illegible] रिपोर्ट है, और भाई चरण सिंह की भी रिपोर्ट है कि जो जितनी बड़ी खेती है उसकी उतनी ही पैदावार कम है, तो जानते हुए एक अहितकर भावना आप इस बिल में रखें, यह अच्छा नहीं मालूम होता। अगर बड़ी खेती पैदावार में कमी लाती है तो छोटी खेती पर हमें ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि ऊपरी सीमा क्या हो इसके लिये जांच होनी चाहिये। कोई कहते हैं कि ३० एकड़, कोई ५० एकड़, तो वह चाहे सौ एकड़ हो, २ सौ एकड़ हो लेकिन ऊपरी सीमा होनी चाहिये। जैसे बलरामपुर का है कि वहां एक लाख एकड़ सीर है जो एक आदमी के हाथ में है और एक तरफ यह हालत है कि रहने तक के लिए ठिकाना नहीं है तो यह ठीक नहीं मालूम होता। एक अनलिमिटेड सीमा होना ठीक नहीं, सौ, दो सौ एकड़ हो, चाहें तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आगे चलकर आप कहते हैं कि कोई सीरदार, भूमिधर, अधिवासी या आसामी अपनी खेती को उठा नहीं सकेगा। जब उठा नहीं सकेगा तो एक लाख एकड़ जोत नहीं सकेगा और अगर जोतेगा नहीं तो हमारे देश की पैदावार कम होगी और हमारी यही दुर्दशा कायम रहेगी। तो ऐसी हालत में बंटवारा होना आवश्यक है। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि बड़ी दिक्कत है, आप चाहते हैं कि बंटवारा हो, सीमा बांधी जाय लेकिन दिक्कत की वजह से जो जमीन बचे उसका बंटवारा न किया जाय यह ठीक नहीं मालूम होता। यह जो जमींदारी टूट रही है इसके लिये हमें बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ीं, चुनाव लड़े, इतना घूमे, प्रचार किया, कमेटी कायम की, बिल लाये और यह सब किया, तो इसलिये कि कोई दिक्कत

[श्री सिंहासन सिंह]

पैदा होगी, इसलिये उचित काम न किया जाय यह कुछ जंचता नहीं। तो मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि अभी तक कोई इस पर प्रकाश नहीं डाला गया, श्री राजाराम ने डाला है कि ऊपरी सीमा होनी चाहिये, वे भी अपना मत प्रकट करें। बहुतों ने कहा कि बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि आप सहमत हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की और भवन की राय का ख्याल करके ऊपरी सीमा अवश्य बंधेगी। इस हाउस के विशेष भाइयों की राय है कि ऊपरी सीमा होनी चाहिये। कितनी हो, यह हम आपस में साथ बैठकर तै कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें एक और बात रह गयी जो छोटे जमींदारों के संबन्ध की है। हम सन् ३७ में और ४५ में भी कांग्रेस की ओर से लड़े और हमने कहा था कि छोटे जमींदारों को हम किसानों की श्रेणी में रखते हैं और छोटे जमींदारों ने यह समझ कर हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और बराबर साथ रहे। आज भी उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं। उनको भी सीर और खुदकाश्त मिल रही है क्योंकि उनको शुरू से इसका ही सहारा रहा है। लगान से उनको बहुत कम मुनाफा हुआ करता था। छोटे जमीन्दार अक्सर नौकरी के कारण बाहर रहते थे और अपने खेतों को उठा देते थे। हमने सन् १९४० ई० के कानून में यह व्यवस्था कर दी थी कि जिसके पास पचास एकड़ से कम सीर हो वह अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल करके ५० एकड पूरा कर सकता है। लेकिन अब हमने उसको सवा छः एकड़ कर दिया है। यह हमने बिल के २२८ दफा में रखा है कि जिसके पास सवा छः एकड़ से कम हो, वह भूमिधर अपने अधिवासी को बेदखल करके सवा छः एकड़ जमीन काश्त करने के लिए पूरी कर सकता है। आप सवा छः एकड़ एकानामिक होल्डिंग रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि २० एकड़ रहे, ३० एकड़ रहे। बड़े बड़े राजाओं के पास लम्बी लम्बी सीरें रहती थीं, और उनके पास इस विधान के अनुसार रह भी जाती है लेकिन छोटों ने नौकरी करने के कारण बटाई पर खेत को उठा रखा था या लगान पर भी दे रखा था, उसको बटाई जोतने वाला यह सोचता था कि इसमें हमको कोई हक नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैदावार बट कर मिलेगी। इस भवन में कुछ भाइयों की राय है कि वह सवा छः एकड़ के बजाय, पंद्रह एकड़, २५ एकड़ या ५० एकड़ होना चाहिये। जो हो, यह एक गम्भीर मसला है। इसमें छोटे छोटे जमीन्दारों और काश्तकारों का ख्याल करना है। प्रान्त के पूर्वीय भाग में पहले से कुछ शरह मुअइयन काश्तकार चले आते हैं। जमीन्दार की तरफ से उनका भी मुस्तकिल हक हासिल है। उस हक के रहते हुए उन्होंने अपने खेतों को लगान पर दे दिया है और आज वह बेदखल हो जाता है। सवा छः एकड़ से ज्यादे जमीन होने की वजह से अगर वह भी बेदखल हो जाता है, तो वह मर जाता है। मैं राजाराम शास्त्री जी से कहता हूं कि वह काश्तकार हमारे साथ नहीं, बल्कि आपके साथ हो जायंगे। वह कहेंगे कि भाई हमारे पास १० एकड़, २० एकड़ जमीन थी, वह हमने बंटाई पर दे दी थी, और आज हम बर्बाद हो रहे हैं। और वह हमारे खिलाफ हो जायगे। इस विचार से ऐसे काश्तकारों को भी १०, २०, और २५ एकड तक जोतने का हक दें और मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस पर गौर करें।

अब आइन्दा चल कर हम खेत उठाने का हक केवल उसी भाई को दे रहे हैं जो अपाहिज, लंगड़ा, लूला, नाबालिग या पल्टन में है। इस तरह से कोई भी सरकारी मुलाजिम,

हैं, जो आपके इस सदन में बैठे हुए हैं। अगर उनके पास दस बीघा खेत है और वह चाहते हैं कि खेती न करें और नौकरी भी करें तो वह नहीं कर सकते हैं। जो सदन में नौकरी कर रहे हैं उनको आप अधिकार दें, [illegible] कोई [illegible] नहीं है कि [illegible] मुलाज़िमों [illegible] उन्हीं की तरह आप की सेवा करते हैं, उनको न यह अधिकार दिया जाय। अगर उनके पास १० बीघा खेत है तो उनका हक्क कि वह खेती न करें [illegible] यह अच्छा होगा कि किसी आदमी को उठा दे तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस धारा में जहां आपने रखा है कि [illegible] के [illegible] के जरिये दूसरे को खेत देने का हक्क होगा, वह सरकारी आदमियों को भी रख दें जो बोनाफाइड सरकारी मुलाज़िम हैं या लोकल बोर्ड्स के मुलाज़िम हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सदन वाले आपकी सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार वह भी आप की सेवा कर रहे हैं कोई वजह नहीं है कि उनको वह हक्क न मिले। मैं आपका ध्यान मुआवज़े की तरफ दिलाना चाहता हूं वह बहुत ज़्यादा मालूम हो रहा है। अब आप यह देख रहे हैं कि जमींदारों को खुदकाश्त और सीर का हक्क आप दे रहे हैं। आप सिर्फ उनका वसूली लगान का हक्क ले रहे हैं। जमींदार के अब तक दो हक्क थे। एक तो वसूली लगान करके गवर्नमेंट को दिया करते थे और उसमें से कुछ कमीशन के तौर से बचत किया करते थे और दूसरा हक्क था अपनी सीर और खुदकाश्त को जोतने का। इसके दो हक्क में से आप सिर्फ एक हक्क वसूली लगान को ले रहे हैं। वह सीर और खुदकाश्त को बगैर मुआवज़ा दिये हुए जोतेगा। जब कि वह लगान वसूल करने का मुआवज़ा पाता है। इसलिये जब उसे लगान वसूल करने के एवज़ में मुआवज़ा दिया जा रहा है तो सीर खुदकाश्त का बगैर मुआवज़ा लिए हुये उसको जोतने देना ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये उससे खुदकाश्त के जोतने के एवज़ में कुछ मुआवज़ा ज़रूर लेना चाहिए अन्यथा किसान यह कहेगा कि हमसे तो मुआवज़ा लिया जा रहा है लेकिन जमींदार से कुछ नहीं लिया जा रहा। वैसे वह खुशी से देगा लेकिन जमींदारों पर भी यह लगाया जावे कि इतने एकड़ जमीन जोतेगा तो इतना मुआवज़ा देना पड़ेगा। क्योंकि अब तो सारी जमीन जिस तारीख से सरकार घोषित करेगी सरकार की हो जायगी। इसलिए सरकार उस जमीन का मुआवज़ा लेगी। मुआवज़े के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि काश्तकार १० गुना नहीं देगा। मेरे ख्याल में यह तो बेजा क्रिटिसिज़्म है। काश्तकार तो बड़ी खुशी से रुपया देगा। गवर्नमेंट उससे जो दस गुना ले रही है वह एक तरह से कर्ज के रूप में ले रही है जो ४० वर्ष में मय सूद के वापिस कर देना चाहती है। आप हिसाब लगा लें। कोई काश्तकार ५ रुपये का है तो वह ५० रुपये इस बिल के मुताबिक अपना हक्क पाने के लिये गवर्नमेंट को देगा। ५ रुपये के दस गुने के हिसाब से ५० रुपये होते हैं। उसका लगान अब ढाई रुपया हो जायगा। इस तरह से कर्जे की अदायगी शुरू हो गई और ४० साल तक कोई बन्दोबस्त नहीं होगा। यानी ४० वर्ष में १०० रुपये लगान देगा और ५० रुपये पहले हक्क पाने के लिए देगा। इस तरह से कुल १५० रुपये सरकार को देगा। अगर वह ५ रुपये के हिसाब से ही लगान देता है तो २०० रुपये उसे लगान देना होगा। इस तरह से ५० रुपये सरकार ने उसको वापिस कर दिये। इसलिए यह कर्जा गवर्नमेंट का है। यह कोई तकावी या जब्र नहीं है। उसे हक्क मिल रहा है इसके लिये वह गवर्नमेंट को देता है। और गवर्नमेंट उसको जमींदार के पंजे से मुक्त करेगी। यह रुपया जो उनसे मांगा जा रहा है वह बड़ी खुशी के साथ रुपया देंगे। जिस दिन आपका बिल पास होगा वह रुपया देने लगेंगे। दूसरा बिल हाउस के सामने नहीं है। उसमें एक

[श्री सिंहासन सिंह]

स्वामी है। वह १० गुना रुपया देने के बाद आधा लगान जमीन्दार को देगा। यह ठीक नहीं है। जब किसान ने १० गुना रुपया दे दिया और लगान आधा हो गया तो उस के बाद उसका सीधा सम्बन्ध सरकारी खजाने से होना चाहिये और जमींदार से उनका कोई सम्बन्ध न रहना चाहिये। बाद में सरकार जमींदार से हिसाब किताब कर सकती है लेकिन रुपया जमा करने की तारीख से वह लगान जमींदार को दिया जाय यह उचित नहीं है। अगर उसका लगान दस गुना अदा करने पर ५ रुपये से ढाई रुपया भी हो जाता है लेकिन अगर वह उसे फेर भी जमींदार को ही अदा करता है तो उसके दिल में यह बात पैदा नहीं होती कि उसे कुछ आजादी या छुटकारा मिला और न वह समझ सकता है कि मैं आज से मुक्त हो गया। इधर कुछ भाई एतराज कर रहे हैं उनके कहने पर भी वह बहकाया जा सकता है अगर आपने किसान का कुछ भी ताल्लुक जमींदार से रखा। और वह गुमराह हो सकता है और समझ सकता है कि अभी यह चीज कुछ गोलमाल है। मूल ऐक्ट अभी पास नहीं हुआ है और उसमें यह भी है कि सरकार जब चाहेगी उसको लागू कर देगी और वह समझेगा कि अभी काश्तकार जमींदार के संबंध में कोई अन्तर नहीं हुआ। लिहाजा आप यह प्राविज़न कर दें कि रुपया जमा करने के बाद वह सीधा खजाने में लगान जमा करे और उसका कोई सम्बन्ध जमींदार से न रहे। एक बात मैं मुआवजे के बारे में और कहना चाहता हूं कि मुआवजा जमींदारों को दिया जा रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में जब से जमींदारी एबालिशन का सवाल उठा है और कांग्रेस सरकार आई है तब से उन लोगों के दिल में एक आशा सी हो गई है कि जिनकी जमींदारी सन् १८५७ में छीनी गई थी और जिनके पुरखाओं ने उस प्रथम आजादी की लड़ाई मे भाग लिया था उनके खानदान वालों को यह आशा हुई थी कि यह जो राष्ट्रीय सरकार और आजादी की सरकार कायम हुई है वह हमारा ख्याल करेगी और हमारे साथ न्याय करगी। यह ठीक नहीं है कि आप जो मुआवजा दे रहे हैं वह उन देशद्रोही लोगों को मिले कि जिन्होने उस जमाने में अंग्रेजों की मदद की थी. जिन्होंने अपनी जान देकर आजादी की प्रथम लड़ाई में हिस्सा लिया और फांसी पर चढ़े उनकी सन्तानों को आज कुछ भी न मिले यह ठीक नहीं है। आप सारी सीर और खुदकाश्त भी इन्हीं के हाथ में रहने देते हैं जो कि मुल्क के दुश्मन हैं उनको आज अपना दोस्त समझकर मुआवजा दे रहे हैं और जिन्होंने सन् ५७ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उनके लिये आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने विदेशी सरकार को निकालने की कोशिश में फांसियों की सजा पाई उनको आप आज भी कुछ नहीं दे रहे हैं यह मुनासिब बात नहीं है। आप जमींदारों को दो चीजें दे रहे हैं एक तो सीर व खुदकाश्त और दूसरे मुआवजा उस जमीन का जिसका कि वह लगान वसूल करते हैं। एक तो आप उनको सीर व खुदकाश्त पर कब्जा दे रहे हैं और दूसरे मुआवजा। अगर आप इन दोनों चीजों का बंटवारा कर दे और दोनों मे से एक चीज उनको दे दे तो ठीक होगा। जिन को आप मुआवजा दें उनको सीर व खुदकाश्त न दें, और वह उन लोगों की सन्तानों को दें जो कि सन् १८५७ में फांसी चढ़े। इसलिए खास तौर पर इस सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है कि जो सरकार देश के नाम पर विदेशियों को हटा कर कायम हुई है और आजादी हासिल की है उसके राज्य में वे लोग जो देश के लिये प्राण दिये उनकी सन्तान

भूखों मरे यह इनके लिये उचित नहीं है। इसलिये अन्त में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इन बातों पर ध्यान दे।

*श्री मुहम्मद असलम खां—जनाब स्पीकर साहब, जो मसविदा कानून आज हमारे सामने पेश है और जिस पर ४ दिन से बराबर तकरीरें हो रही हैं वह एक बहुत तारीखी बिल है। मैं इस सिलसिले में अपने ख्यालात का कुछ इजहार करके इस बात को बतलाना चाहता हूं और मुझे इसके बतलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूं। जहां तक जमींदारी अबालीशन का सवाल है मेरी अपनी राय यह है कि जो सूरते हाल मुल्क में और सूबे में पैदा हो गयी है और जिस मंजिल पर हम लोग पहुंच गये हैं वहां पहुंचने के बाद सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता कि जमींदारी को खत्म कर दिया जाय और इस मामले में न सिर्फ मैं समझता हूं बल्कि जमींदारों में भी एक काफी बड़ी तादाद जो इस मामले पर गौर से निगाह डालती है, उनकी भी यही राय होगी। लेकिन जमींदारी के मामले पर गौर करने से पहले हमें दो एक चीजें याद हो आती हैं। इसी भवन में ८ अगस्त १९४६ ई० को सरकार की तरफ से एक रिजोल्यूशन पेश किया गया था और इस रिजोल्यूशन में यह एलान किया गया था कि कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) को बहुत सूरतों में इस सूबे और इस मुल्क से खत्म कर दिया जाय। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनीफेस्टो निकला उसमें भी यह बात कही गयी थी कि जमींदारी को खत्म कर दिया जाय और कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाय। मुझे जाती तौर पर यह हक हासिल है कि मैं हुकूमत से यह सवाल कर सकूं कि जहां तक जमींदारी का सवाल है हम इस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि यह बिल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि कैपिटलिज्म की दूसरी सूरतों का ताल्लुक है उसमें उन्होंने अब तक क्या कदम बढ़ाया, क्या कोशिश की, उनके क्या एचीवमेंट्स रहे और वह आगे क्या करने वाले हैं। अगर जमींदार यह सवाल हुकूमत से दरयाफ्त करें तो हक बजानिब है। हुकूमत का फर्ज है कि वह इसका सही तौर पर जवाब दे। एक बात जिसे मैं महसूस करता हूं वह यह है कि हमारे मुल्क में खुशकिस्मती या बदकिस्मती से जब इलेक्शन आता है उस वक्त हम लोग बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर वाकयात की असली तौर पर जांच किये हुए बड़े बड़े स्लोगन्स दे देते हैं। उस वक्त हम भूल कर यह ख्याल नहीं करते कि जो वादा हम जनता से कर रहे हैं वह वादा कहां तक ईफा हो सकता है, कहां तक उन पर अमल हो सकता है। अगर हम दूसरे देशों को लें, खुद इंगलिस्तान में, जहां से हमारे मुल्क ने डेमोक्रेसी ली है वहां सोशलिस्ट हुकूमत बरसरे इक्तदार है लेकिन उसी सोशलिस्ट हुकूमत के जमाने में वह जमींदारी किसी न किसी सूरत में मौजूद है। लेकिन इस हुकूमत ने अब जो इलेक्शन लड़ने जा रही है उसने इस बात का कोई स्लोगन नहीं दिया है कि वह जमींदारी को खत्म करने जा रही है। लेकिन हमारे यहां यह दस्तूर हो गया है कि जो पार्टी इलेक्शन लड़ने जाती है वह बड़े से बड़े स्लोगन्स (नारे) देती है और ऐसा साबित हुआ है कि उन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता और हम लोगों को अक्सर कदम पीछे हटाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम लोग बराबर यह कहते आये हैं कि हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में नहीं रहेंगे। किन्तु अमली तौर पर दिक्कतें महसूस हुईं और फैसला हमें आज यह करना पड़ा कि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहे, चाहे उसका नाम ब्रिटिश कामनवेल्थ रहे या केवल कामनवेल्थ। इसी तरह से हम यह भी देख रहे हैं कि

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया, मुल्क में दूसरी जो पार्टियां हैं वह भी उसी के नक्शेकदम पर चल रही हैं। मैंने सुना कि सोशलिस्ट पार्टी यह कह रही है कि सूबे में ज़मीन की अज़सरेनौ तकसीम हो और इस तरह से तकसीम हो कि हर शख्स को २० बीघा ज़मीन मिले, एक गाय भी मिले और प्रीमियर साहब ने इस एतराज का जवाब देते हुए कहा कि एक गाय के साथ एक दो हाथी और एक मोटर भी मिले। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो मतालबात किये जा रहे हैं, जनता से जो वादे किये जा रहे हैं कहां तक ऐसे हैं कि पूरे होंगे। यही वजह है कि जो पार्टी मुल्क में ऐसे वादे लेकर आती हैं और जब उन वादों को पूरा नहीं कर सकती तो लोगों में उनकी तरफ से मायूसी पैदा होती है, लोगों में ऐतराज पैदा होता है जो कि नफरत की हद तक पहुंच जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि एलेक्शन (चुनाव) मे पार्टियों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इस मामले से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं लेकिन सूबे के एक बाशिन्दे की हैसियत से मैं महसूस करता हूं कि अगर कांग्रेस ने इस तरीके से बड़े बड़े वादे न किये होते और कांग्रेस वालों ने महसूस किया होता कि जमींदारी एबालीशन में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी दुश्वारियां हैं तो इस सिलसिले में जो इतने एतराजात किये जा रहे हैं वे न होते। उनको इस बात की जरूरत न महसूस होती कि इस बिल को ऐसे बेमौके लायें, जब मुल्क की हालत बहुत खराब है। इसी तरह से मेरे सोशलिस्ट दोस्तों ने, जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही थी, उस वक्त यह बात रक्खी थी, कि हम प्रोक्योरमेंट के खिलाफ नहीं हैं, पर प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट अफीशियलों के बजाय पंचायतों को करना चाहिये। क्या कोई शख्स, जो इस ऐवान में बैठे हैं या इसके बाहर हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि ये पंचायतें जो अभी बनी हैं इस पोज़ीशन (स्थिति) में हैं कि वे प्रोक्योरमेंट का काम आसानी से चला सकें। अगर हम ईमानदारी से समझते हैं कि प्रोक्योरमेंट की जरूरत है तो साफ साफ कहें और अगर प्रोक्योरमेंट के खिलाफ अपने को समझते हैं तो बैक डोर से उसकी मुखालिफत करना मुनासिब नहीं। इस किस्म की तरमीम सामने रख देना कि प्रोक्योरमेंट तो हो पर उसे गांव पंचायतें करें, इनकार भी है और इकरार भी है, जो किसी तरीके से मुनासिब नहीं मालूम होता।

अगर मेरी आवाज़ नक्कारखाने में तूती की आवाज़ न समझी जाय तो मैं हुकूमत को यह मशविरा दूंगा कि पेश्तर इसके कि वह कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर चले, उसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया से इस मामले में सबक लेना चाहिये। हमें मालूम है कि कांग्रेस ने अपने ऐलेक्शन मैनीफेस्टो में कैपिटलिज्म को खत्म करने की आवाज़ लगाई थी, पर मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इंडस्ट्रियलिस्टों से १० वर्ष का एग्रीमेंट कर लिया है। अगर इसी तरह से मौजूदा दुश्वारियों और मुश्किलात को देखते हुए इस किस्म की कोई सूरत पैदा की जाती तो मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब होता। जमींदारी के खात्मा के लिये जो वक्त तजवीज़ किया गया है वह बहुत खतरनाक है। हमें उन फोर्सेज (शक्तियों) को रोकना है जिन्होंने चीन, बर्मा और दुनिया के दूसरे मुल्कों में तबाही ला दी है। अगर हमें मुल्क को शांति और इतमीनान के रास्ते पर चलाना है, अगर वाकई इसे हम महात्मा जी के अहिंसा के वसूलों पर चलाना चाहते हैं तो जिस तरीके से भी हो हमें हिन्दुस्तान को उनकी लपेट में आने से रोकना है।

(इस समय १ बजे भवन [illegible] हुआ और ३ बजकर २ [illegible] पर भी [illegible] डिप्टी स्पीकर, [illegible] की अध्यक्षता में [illegible] पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुख्तार [illegible] खां—[illegible] वह [illegible] हुए थे तो मैं उन [illegible] के खिलाफ [illegible] जिम्मेदारी और उनका [illegible] है [illegible] कि जमींदारों के मुतअल्लिक यह [illegible] और [illegible] दोनों तरीकों से कहा गया। उनको [illegible] दी गई, [illegible] (एक [illegible]—और [illegible] भी की गयी। , तारीफ तो नहीं की गई लेकिन [illegible] सकते हैं उनके [illegible] भी नहीं हो और अगर थोड़ी देर के लिये [illegible] लेकिन [illegible] जरूरी होगी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे हम जमींदार को उनके पिछले गुनाहों के लिए सज़ा देने के लिये उनकी जायदाद को छीन लेवें और जो भी चाहें हम उनके साथ बर्ताव करें लेकिन उससे सिर्फ [illegible] का यह मतलब न होना कि जमींदारों के जो डिपेन्डेन्ट्स (आश्रित) हैं, उनके बच्चे हैं, जो [illegible] नस्ल है उसे किसी किस्म का नुकसान हो। मुझे याद है पंत जी ने तकरीर में फरमाया था कि "मैं जमींदारों से अपील करता हूं कि जिस तरह से राजाओं ने अपने हुकूक को छोड़ दिया है उसी तरह से आज फ्यूडलिज्म खत्म हो रही है। इसलिये जमींदारों को अपनी तौर पर अपने हुकूक को छोड़ देना चाहिये"। मैं प्रीमियर साहब की अपील से मुत्तफिक हूं लेकिन मैं उन्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं कि क्या यह वाकया नहीं है कि उन रूलिंग चीफ्स को बहुत बड़ी बड़ी प्रिवी पर्सेज दी गयी हैं जमींदारों को वह चीज़ नहीं दी गयी। मैं यह मानता हूं कि सोसाइटी के लिये हर शख्स को कुछ न कुछ कुरबानी करनी चाहिये लेकिन उस कुरबानी का यह मकसद न होना चाहिये कि जिस शख्स से कुरबानी करने के लिये कहा जा रहा है उसे ही कुरबानी में शामिल कर लिया जाय। हमें यह सोचना चाहिये कि यह किस तरह से मुनासिब हो सकता है कि जिस आदमी की आज १००० रुपया आमदनी है उसकी आमदनी आज घटा कर १००-१५० कर दी जाय अगर २५ फीसदी या ५० फीसदी आमदनी घटा दी जाय तो किसी तरह मुनासिब भी हो सकता है लेकिन सिर्फ १० या १५ कर दी जाय और कहा जाय कि अब इससे गुजर बसर कर तो [illegible] यह नामुमकिन है कि उनका गुजर बसर हो सके। जमींदारी को खत्म करने से मैं उम्मीद करता हूं उनका यह मकसद है कि वह एक क्लासलेस सोसाइटी (वर्ग-विहीन समाज) बनावें। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जिस तरीके से मुआवजे का [illegible] उससे जमींदारों की [illegible] (स्थिति [illegible]) ही होगी। वे क्लासलेस सोसाइटी बनाने के बजाय इस तरह से उसमें एक इजाफा ही होगा। [illegible] यह [illegible] का वर्स्ट क्रिमिनल (सबसे बड़ा अपराधी) होगा या वर्स्ट कोन्‍र (सबसे बुरा कोड़ा) होगा। हर शख्स बराबर हो जाय, ऊंचा और नीचा कोई न रहे [illegible] करके उनको बराबर किया जाय, इस बुनियाद पर अगर इस बिल को पास किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बिल हमारी नज़रों में गिर जायगा। यह बात भी साफ जाहिर है कि हमारा कभी यह मकसद नहीं है कि हम इंकलाब के जरिये से इस मुल्क में एक नया आर्डर कायम करें। अगर इंकलाब के जरिये से हम इस मुल्क में एक नया आर्डर कायम करना चाहते थे तो हमको वह थ्योरी अख्तियार करनी चाहिये थी जो रूस में की

[श्री सुल्तान आलम खां]

गई । मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है इसमें कोई यह फैसला नहीं है । वह बायलेंस के जरिये से या लाठी डंडे के जरिये से किसी भी किसी चीज में मशहूर नहीं बना सकती । अगर हम इस बात के तरफदार हैं कि हम अपने मुल्क में लेजिस्लेशन के जरिये से रिफार्म करें तो वह रिफार्म कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वह रेवोल्यूशन की तरह हो । अगर हम अपने मुल्क को रेवोल्यूशन से बचाना चाहते हैं तो फिर हमको बहुत ज्यादा डेमोक्रेट होना पड़ेगा । हमको जम्हूरी जामा पहनना पड़ेगा, जम्हूरी उसूल अख्तियार करने होंगे जो एक जम्हूरी तौर पर कदम बढ़ाना पड़ेगा और इसी तरीके से हर बात का फैसला करना होगा । इसका तरीका यही हो सकता है कि हम एक राउण्ड टेबिल कान्फ्रेंस में आपस में भाई चारे के तौर पर बैठ कर इसका फैसला करें। कोई भी फैसला जो अक्सरियत अकलियत के ऊपर नाफिज करे उसका बुनियादी उसूल जस्टिस, बैलेन्स और सच्चाई होना चाहिये । उसका उसूल वह नहीं होना चाहिए जो आम तौर पर लोग अकलियत और अक्सरियत में समझते हैं, यानी कम्युनल किस्म का नहीं होना चाहिये । अकलियतें और अक्सरियत अक्सर इकानामिक बेसिस पर होती हैं । कम्युनल सवाल तो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही है । अकलियत इकानामिक भी होती है और दुनिया में ज्यादातर इकानामिक ही अकलियतें है । ऐसी सूरत में अकलियत और अक्सरियत को बैठ कर इस बात का फैसला करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि महज वोटों के जोर पर या अक्सरियत के जोर पर हम एक बात का फैसला कर दें । अगर यह चीज बुनियादी न होती तो हमने इसको आईन में ही न रक्खा होता। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ में ऐसा प्राविजन मौजूद है कि किसी की प्राइवेट प्रापर्टी उस वक्त तक नहीं खत्म होगी जब तक कि एडिक्वेट कम्पसेशन न दे दिया जाय और इस बुनियादी हक को हमने माना भी है । उसकी सूरत यह है कि जब कान्स्टिट्यूएंट असेम्बली इस मुल्क के आईन का मसविदा तैयार करने के लिए बैठी तो सन् १९३५ के ऐक्ट में जो दफायें थीं उसी की नकल कर दी । अभी तक वह दफा मंजूर होकर असेम्बली से बाहर नहीं आई है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह दफा उसी तरह मंजूर होकर बाहर आयेगी । जब हम इस बुनियादी हक को तसलीम करते हैं तो उसके बाद जरूरत इस बात की रह जाती है कि जो बातें इस सिलसिले में तय हों वह अकलियत और अक्सरियत का सवाल बना कर न तय हों बल्कि निगोशियेशन (बातचीत) के तरीके से तय होना चाहिये । एक दिक्कत जरूर पैदा होती है और वह यह है कि हमने इतने बड़े बड़े वादे कर दिये हैं कि अब अगर जमींदारी का मसला हल नहीं किया जाता है जैसा कि हमने एलेक्शन मैनीफेस्टो में बतलाया था तो उसका पार्टी की पोजीशन पर असर पड़ता है । यह सही है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि अब हमारा मुल्क आजाद हो चुका है । १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद हम वहाँ नहीं हैं जहाँ पहले थे । अगर एक पार्टी अब बरसरे इक्तदार नहीं रहती है और दूसरी पार्टी उसकी जगह आती है तो वह भी इसी मुल्क की पार्टी होगी । अब हमारे मुल्क की जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कन्जर्वेटिव पार्टी हो, लेकिन सब इसी मुल्क की पार्टियाँ हैं । फर्ज कीजिये फार्म ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कांग्रेस को दिक्कतें होती हैं और कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है तो मैं यह कहूँगा कि इलेक्शन की हार भी उसकी कामियाबी है क्योंकि उसके बाद जो पार्टियाँ बरसरे इक्तदार होंगी अपने

वह बड़े वादों की बुनियाद पर तो मैं कह देता हूं कि कांग्रेस ने जो इतने दिनों तक हुकूमत कर ली है लेकिन वह पार्टियां उसके चौथाई दिन भी हुकूमत नहीं चला सकेंगी और फिर अगर कांग्रेस हुकूमत में आयेगी तो बहुत शानदार ढंग से आयेगी और फिर लोगों के साथ इंसाफ होगा और लोगों में वाजिबी के तास्सुबात पैदा किये जायेंगे।

जनाबवाला, अब मैं चन्द बातें इस बिल के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं जो इस वक्त हमारे सामने है। जो बिल इस वक्त हमारे सामने पेश किया गया है, उसके अगराज और मकासिद में यह भी बतलाया गया है कि यह बिल इसलिये लाया गया है कि ... और ... रुपया, टाउन एरिया और कैन्टोनमेंट बोर्ड के ... एक अमेंडिंग बिल ... किया जायगा जो बाद में इस भवन के सामने पेश होगा। इसके अलावा एक और बिल के आने की तवक्को है और वह ... के मुताल्लिक। कुजा, अगर वह दोनों बिल इस वक्त हमारे सामने पेश होते तो हम इस बात का अन्दाजा लगा सकते थे कि जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह कहां तक ठीक है और उसमें कौन २ सी कमियां हैं और उसमें कहां २ रंग भरना है। लेकिन हम नहीं मालूम है कि यह दोनों बिल कब लायेंगे और वह किस नवय्यत के होंगे और इस बिल से उनका क्या लगाव होगा। अगर वह दोनों बिल भी इस बिल के साथ आते तो हमें उन पर गौर करने का मौका मिलता। जाहिर है कि देहात में जो कर्जे की हालत है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने जो कुमारप्पा कमेटी बनाई थी उस कमेटी की सिफारिशात को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन जो कुछ मुझे पढ़ने को मिला है उससे मालूम होता है कि उस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि देहात का कर्जा खत्म होना चाहिये। जो बिल इस वक्त हमारे सामने है वह मई में तैयार हो गया था और कुमारप्पा कमेटी की रिपोर्ट उसके बाद तैयार हुई थी। हुकूमत और उसके कारकुन इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने उस रिपोर्ट को इस बिल में कहां तक इन्कारपोरेट कर लिया है, लेकिन बहरहाल कुमारप्पा कमेटी ने जो सिफारिशात कर्जों के माफी के मुताल्लिक की हैं वह ऐसी हैं जिन पर इस गवर्नमेंट को काफी गौर करना चाहिये। गोकि वह दोनों बिल इस वक्त नहीं आ सके हैं लेकिन बहरहाल जब वह बिल आयें तब मैं उनमें इन बातों की तवक्को रखता हूं।

जनाबवाला इस बिल के देखने से यह पता चलता है कि गवर्नमेंट की जो आम टेंडेन्सी बिल्स के बनाने के मुताल्लिक है वही इस बिल में भी नुमायां है। आम तौर पर जो मसौदे कानून पेश किये जाते हैं उनमें बहुत सी बुनियादी बातें रक्खी जाती हैं।

जहां तक बुनियादी बातों का ताल्लुक है वह बातें ऐक्ट में सफाई से आना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह बातें बिल में नहीं आई हैं और वह रूल्स में आयेगा। हम नहीं मालूम कि वह क्या है। मसलन मुआविजे का सवाल है। इसके मुताल्लिक बेस सफाई के साथ होना चाहिये। इस बात पर आम तौर पर आवाज उठाई जा रही है और महसूस किया जा रहा है जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है, वह तय किया जाय। मैंने चरण सिंह साहब का एक बयान पढ़ा है जिसमें यह तवक्को दिलाई गयी है। अगर अदायगी हो सकेगी तो नकद में की जायगी। ऐसा मैंने चरण सिंह साहब का स्टेटमेंट पढ़ा है, जिससे उम्मीद पड़ती है कि मुआविजा नकद में होगा। बुनियादी एतराज यह था जहां तक मुआविजे की अदायगी का

[श्री सुल्तान आलम खां]

ताल्लुक है उसको पूरी सफाई से आना चाहिये। ऐसा नहीं है रूल्स पर छोड़ दिया गया। कुछ डिटेल्स (तफसील) की बातें होती हैं कुछ बुनियादी और उसूली होती हैं। उसका इंतजाम होना चाहिये। दूसरी एक बात की आमतौर पर डेफीशेन्सी (कमी) है जिसकी झलक इसमें दिखलाई देती है। वह यह है कि बाज ऐसी चीजें हैं कि जिनका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (यानी पहिले वक्त पर असर) होगा। हमारे यहां जितने कानून बनते रहते हैं अक्सर ऐसे हैं जिनका असर पहिले से होता है। जहां तक कानूनसाज़ी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं यह मुनासिब तरीका नहीं है। कानून हमेशा इस तरह से बनाना चाहिये कि वह जिस तारीख को पास हो, गवर्नर जनरल की मंजूरी हो, उसी तारीख से लागू हो। ऐसा न होना चाहिये जिससे इस कानून का मंशा साल दो साल इधर उधर पूरा किया जाय। इस तर्ज से लोगों का एतबार हुकूमत में जाता रहेगा। इसलिये कानून इजाज़त देता है कि यू० पी० सरकार इस तरह का कानून लागू करे कि हमारी बुनियाद गैरकानूनी करार दी जायगी। अगर यह चीज़ आमतौर पर की जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस कानून की मांग करने के लिये कोशिश करेंगे आइन्दा ऐसा कानून सरकार लायगी कि पहला कानून गैरकानूनी बना देगी। इस वजह से हो सकता है कि दुश्वारियां और दिक्कतें हों और हमें इन दुश्वारियों को हल करना चाहिये। हमें यह ख्याल जरूर करना पड़ता है कि बुनियादी उसूलों को ठोकर न लगने दें।

जनाबवाला, जमींदारी अबालिशन बिल के सिलसिले में मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि इसमें जो दफा सबसे अहम है, वह मुआविजे की है। उसके मुताल्लिक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं। सोशलिस्ट लोग यह कहते हैं कि किसी किस्म का मुआविजा न मिलना चाहिये। जमींदारों का मतालबा है कि पूरा मिलना चाहिये। सरकार ने दरमियानी राह अख्तियार की है और मुआविजा दे रही है। मैंने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। उस कमेटी की रिपोर्ट में मुझे कोई चीज ऐसी न मिली जिससे मैं यह महसूस करता कि मुआविजा की वह सफाई करना चाहते हैं। इसमें क्या उसूल है? इसकी थ्योरी को नापसंद किया गया है। सोशलिस्ट की तरफ से कहा गया है कि मुआविजा न दिया जाय। आचार्य नरेन्द्र देव की जो शहादत हुयी है, उन्होंने इस बात को माना है कि मौजूदा हालात में मुआविजा मिलना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य जी ने इस सिलसिले में कोई बयान दिया है और वह अपनी जगह से हटे हैं। राजाराम साहब तकरीर फरमा रहे थे तो उसको पेश किया था। वह एक जिम्मेदार लीडर हैं। उन्होंने सोच समझ कर बात कही होगी। वह यकीनन अपनी बात पर कायम होंगे। मैं ज़ाती तौर पर इन चीजों का ज्यादा कायल नहीं हूं। सोशलिज्म, कम्युनिज्म कोई इज्म हो, मैं समझता हूं कि इस किस्म का सवाल आता है तो इंसाफ की रोशनी में, गांधी जी की तालीम की रोशनी में फैसला करना चाहिये। हर शख्स के साथ मसावात का बर्ताव किया जाय। मैंने जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है उसमें सिर्फ यह चीज़ मालूम हुई है कि कमेटी को ऐतराज नहीं होता अगर माली पहलू से मुआविजे को देखा जाता। दुश्वारी और दिक्कत यह है कि सरकार की माली हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती। कमेटी ने जो आर्गूमेंट (दलील) दिया है वह इस पर मबनी है। वह कहते

है कि गवर्नमेंट की फाइनैन्शल कण्डीशन (आर्थिक दशा) ऐसी है कि मुआविज़ा मार्केट वेल्यू से नहीं दे सकती।

यहां पर 'एक्वीटेबिल' का लफ्ज़ है। इसके लिये हमें सोचना चाहिये कि फाइनैन्शियल कंडीशन कैसे दुरुस्त हो, उसके लिये रुपया कहां से फ़राहम करें और किस सूरत में इन्तज़ाम करें। गवर्नमेंट बहुत से काम ऐसे करती है जिसके लिये मज़ीद रुपये की जरूरत होती है और जहां कहीं मज़ीद रुपये की जरूरत होती है उसके लिये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उसके ज़रिये से रुपया वसूल किया जाता है। पहले एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा था, सेल्स टैक्स लगा था और दूसरे दूसरे टैक्स लगे थे। इसलिये कि जो जरूरी काम थे उनके लिये रुपया फराहम करने की जरूरत थी। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि जमींदारों को मुआविज़ा देना चाहिये और जब उसने इस ट्रेडिशन (रिवाज) को स्वीकार कर लिया है तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिये। गवर्नमेंट कहीं से रुपया हासिल करे लेकिन जब आपने इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन देने को कहा है तो उससे किसी तरह भी कम नहीं देना चाहिये। इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहता हूं कि लफ्ज़ 'एक्वीटेबिल' इस कानून में ही नहीं दिया हुआ है बल्कि गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट में है और जो मौजूदा कांस्टीट्यूशन है उसमें भी दिया हुआ है। आखिर इसका कोई उसूल भी तो हो, एक्वीटेबिलटी की कोई तारीफ होनी चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसका फैसला किया कि आठ गुना मुआविज़ा दे देना ही एक्वीटेबिल है। इसको तो मैं आरबिट्रेरी समझता हूं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने बिल को पेश करते वक्त कोई ऐसी दलील नहीं पेश की है जिसके ज़रिये वह साबित कर सके कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से वह इसे इक्वीटेबिल समझती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इसमें फाइनैन्शियल काम्पलीकेशन है, इसको दूसरे तरीके से हल करना चाहिये। आपने इक्वीटेबिल मुआविज़ा देने का वादा किया था जो कांस्टीट्यूशन और कानून में मौजूद है; उसको पूरा करने के लिए आपको सही कदम उठाना चाहिये।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, जमींदारों को जो कम्पेसेशन मिलेगा उसमें उनके सीर और खुदकाश्त का कम्पेन्सेशन उड़ा दिया जायगा। मेरा मतलब यह है कि वह जमीन जो जमींदार के कब्जे में है, सीर है या खुदकाश्त है उसका कम्पेन्सेशन उनको नहीं मिलेगा। मैं सवाल करता हूं कि ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम है कि आपने ऐसा कोई फैसला किया था। कोई वजह है, यह ज़ाहिर है कि जमींदारी हर सूरत में इस सूबे से खत्म हो जायगी। इसके बाद कोई जमींदारी बाकी नहीं रहेगी। जमींदारी के जितने हकूक हैं वह सब गवर्नमेंट हासिल कर रही है। इसके बाद जो काश्तकार उसका रहेगा वह भूमिधर होगा, सीरदार होगा, आसामी होगा, अधिवासी होगा। बहरहाल भूमिधर किसी किस्म का हो, जमीन पर जमींदार का जो हकूक था उसको एक्वायर करके उसको दे दिया जायगा और उसके एवज़ में जमींदार को कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा जो दूसरे काश्तकारों के लिये दिया जाता है। दूसरा शख्स जो जोतता है, अगर भूमिधर रहेगा तो जमीन पर जमींदार का हक़ हासिल होगा। उसको तो न दिया जाय लेकिन भूमिधर एक काश्तकार है। उसकी हैसियत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी दूसरे काश्तकारों की है। जो जमींदार भूमिधर नहीं बन रहा है बल्कि दूसरे तरीके से बन रहा है उसके लिये यह अच्छाई नहीं होती है तो फिर मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती कि जो हकूक आप उससे हासिल

[श्री सुल्तान आलम खां]

कर रहे हैं उसका मुआविजा उसको न दे। मैं समझता हूं कि हर सूरत में वह दिया जाना चाहिये। जनाब वाला, मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि चाहे जमींदारों ने कुछ भी कसूर किया हो लेकिन न किसी का मकरूज हो सकता है और न होना चाहिये कि जो जमींदारों के बच्चे हैं वे तकलीफ में रहें या न उठें। मैं तो यह समझता था कि जब गवर्नमेंट इस किस्म का बिल लावेगी तो उसमें एक ऐसा प्राविजन रखेगी कि उन जमींदारों, जिनकी जमींदारी खत्म हो गई है उनके आने वाली नस्लों के अच्छे ढंग से रहने का प्राविजन हो जैसा कि काश्त की तरक्की के लिए एक पुछल्ला इस बिल में लगा हुआ है उसी तरीके से कोई प्राविजन जमींदारों के आने वाली नस्लों के लिये हो जाता तो अच्छा होता। मैं समझता था कि गवर्नमेंट शायद यह करे कि जो मुआविजा वह देना चाहती है उसमें से एक हिस्सा तो वह जमींदारों को दे दे और बाकी हिस्सा गवर्नमेंट अपने यहां जमा करे और उस रकम से जमींदारों के लिये एक इण्डस्ट्री स्टार्ट (उद्योग आरंभ) करे जिसको नेशनलाइज करने में भी मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर उन्हें और इंडस्ट्रीज को इनकरेज (उत्साहित) करने के लिये जमींदारों के बच्चों को और जमींदारों के डेपण्डेण्ट्स को ट्रेनिंग दी जाय और वे संभल जायं और उनके बारे में यह सब काम किया जाता। मेरे दिमाग में यह चीज है लेकिन मैं इस वक्त डिटेल्स तो उसको नहीं बयान कर सकता लेकिन इस किस्म की चीज़ होनी चाहिये थी ताकि वे अच्छे शहरी बन सकें और उनकी जिन्दगी बरबाद होने से बच सके।

एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं और वह औकाफ के मुताल्लिक है। जहां तक वक्फों का ताल्लुक है इस बिल में वक्फों को दो तरीके के वक्फों में तकसीम किया है। एक तो खैराती वक्फ हैं और जिनकी आमदनी खैराती कामों में सर्फ होती है। उनके लिये गवर्नमेंट ने यह इंतजाम किया है कि उन वक्फों की पूरी आमदनी जितनी अब है वह उनके मैनेजरों को दे दी जायगी ताकि वह खैराती कामों में सर्फ हो सके। उसके लिये मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं और मैं समझता हूं कि उसने सही फैसला किया है। दूसरे वक्फ अलल-उल औलाद हैं। यह वह है जो एक शख्स अपने औलाद को वक्फ कर देता है लेकिन उसका बुनियादी उसूल यह है ख्वाह वह खैराती हो, या मजहबी हो या वक्फ अलल उल औलाद हो उनमें अमूमन यह रहता है कि जो बेनीफिशरीज़ होते हैं उसमें उनके लिये यह प्राविजन रहता है कि उस वक्फ का इतना रुपया खैराती कामों में सर्फ हो। और अगर बेनीफिशरीज़ में कोई नहीं है तो सबका सब रुपया खैराती कामों में सर्फ कर दें। मगर तीनों में मजहबी हैसियत से इसके लिये कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि वाकिफ जो वक्फ करता है फर्ज कीजिये कि उसकी आमदनी पांच हजार रुपये है लेकिन उसके बेनीफिशरीज़ जो हैं वह पांच है। वह एक एक हजार रुपये बांट जाता है तो इस हैसियत से हर एक की आमदनी एक एक हजार रुपये होती है तो जाहिर है। कि जो शख्स उसकी जमींदारी के अबालीशन के बाद और उन राइट्स अक्वायर (अधिकार उपार्जन) करने के बाद उस पर काबिज होगा उसको क्या क्या प्रिविलेजेज़ (विशेषाधिकार) मिलेंगे। उसको कम मिलेगा और जो छोटे छोटे बेनीफिशरीज़ हैं उनको ज्यादा मिलेगा। तो क्या वजह है कि अगर बेनीफिशरी अलहदा रहता है तो महज़ इस वजह से कि वह वक्फ १० या १५ साल पहले कर दिया गया था वह उस हक से महरूम कर दिया जाय? मैं समझता हूं कि यह किसी सूरत में

मुनासिब और मुनिसफाना बात नहीं मालूम होती। कोई वजह नहीं है, फर्ज कीजिये कि उन लोगों ने अपना वक्फ नहीं किया होता और आज से पांच सात साल पहले वह जमीन बेच देता लेकिन वक्फ होने की वजह से वह जायदाद को अलहदा नहीं कर सका और अब वह पांच हिस्से में बराबर तक्सीम होगी तो उनको उनका मुनाफा मिलना लेकिन इसमें ऐसा नहीं है वह मुनासिब किसी तरीके से नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि जब सेलेक्ट कमेटी में यह सवाल उठाया जायगा तो इस पर गौर किया जायगा और इसमें मुनासिब तरमीम की जायगी। और भी चन्द खामियां इस बिल में मालूम होती हैं। मसलन् एक तो यह है कि दफा ? में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई टेनेन्ट बकिया लगान की बाबत से बेदखल नहीं किया जायगा; मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज़ है कि अगर चाहे हुकूमत हो या जमींदार हो या और कोई आदमी हो जिसको कि काश्तकार से लगान लेना पड़े उसके लिये कुछ दिक्कत नहीं है। अगर काश्तकार लगान देता है तो उसको हर एक रियायत देने के बाद भी यह जरूर होना चाहिये, कोई पाबन्दी जरूर होना चाहिये कि जिससे वह लगान आसानी से अदा करता रहे। इस बिल में एक चीज यह है कि लगान का जिम्मेदार भूमिधर और सीरदार को बनाया गया है कि वह वसूलयाबी मालगुजारी करके गवर्नमेंट को अदा करे। जब जमींदारों का खात्मा हो चुका, जमींदारी खत्म हो चुकी और हर शख्स अपनी अपनी काश्तकारी का अपने चाक पर मालिक है और जमींदारों को कोई हक नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में किसी एक या दो शख्स पर मालगुजारी अदा करने का जिम्मा डालना किसी सूरत में मुनासिब नहीं मालूम होता है। एक बात और है कि जो तरीका अब तक चला आता था कि नम्बरदार मालगुज़ारी वसूल करके गवर्नमेंट को दे वही कायम रखा जा सकता है। नम्बरदार मालगुज़ारी वसूल करके अदा करता जाय और उसको कुछ कमीशन गवर्नमेंट देती रहे तो यह भी ठीक हो सकता है। जबकि ज़मींदारी का खातमा हो चुका है तो फिर किसी एक या दो शख्स पर इसका जिम्मा डालना मुनासिब नहीं है। जहां तक वसूलयाबी का ताल्लुक है यह ठीक है कि गवर्नमेंट जब चाहे पंचायतों के जरिये से जैसे मुनासिब समझे वसूल करके या दूसरी तरह से वसूल करके मगर पंचायतों के जरिये से वसूल करके जैसा इस वक्त है और आगे चलकर जिस वक्त पंचायतें बेहतर तरीके पर फंक्शन (काम) करने लगें तो यह तरीका ठीक हो सकता है तब किसी कारिन्दे या जिलेदार के जरिये से वसूल किया जाय तो बाज लोगों को, मैं ज़ाती तरीके से यह समझता हूं कि एतराज होगा। मैं समझता हूं कि जिलेदार वगैरह से वसूल-याबी कराई गई तो इससे और भी खराबी होगी। वह गैर जिम्मेदार लोग होंगे २०-३० रुपया उनकी तनख्वाह होगी। वह जिम्मेदारी से इस काम को नहीं कर पायेंगे। आज भी वसूलयाबी का तरीका देहातों में जारी है। वे लोग इन्तहाई तरीके पर काश्तकारों को परेशान करते हैं और उनसे कोई आदमी वहां का खुश नहीं है। अच्छा है कि अगर उनके जरिये से वसूलयाबी न की जाय। मुझे खुशी है कि इस बिल में एक दफा ऐसी रखी गई है जिससे वाक़ई में वार्निंग (चेतावनी) दी गई जहां तक हमारी उपज की हालत दुरुस्त करने का ताल्लुक है और ऐग्रीकल्चर को बढ़ाने का ताल्लुक है इसमें जो तरीका रखा गया है यह इस बात की ज़मानत नहीं हो सकता कि इससे हमारी हालत बेहतर हो जायगी। इसके लिये गवर्नमेंट को २ ३ बातें लाज़िमी करनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि हमारे यहां एक ऐक्ट पास हुआ था कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज़ ऐक्ट।

[श्री सुल्तान आलम खां]

उसको पास हुए एक जमाना गुजर गया है करीब दस साल का अरसा हो चुका है। लेकिन वह आज तक डेड लेटर सा हो गया है और उसका सही तरीके पर अमलदरामद नहीं हुआ है। क्योंकि इकोनामिक होल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जब तक इकानामिक होल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की जायगी उस वक्त तक वह लाजिमी तौर पर कामयाब नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में वह काश्तकार जो आसामी है उनकी तरफ खास तौर से तवज्जह करने की जरूरत है। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी कि जो १० बीघे का काश्तकार है उसके लगान को १ रुपया से ६ रुपये तक कम हो जाना चाहिये। यह बात कही गयी कि उसका लगान कम नहीं हो सकता लेकिन बात मुझे दुरुस्त नहीं मालूम होती है। त्रिपाठी जी ने कल बड़े जोर से यह फरमाया था कि जब स्लम्प का जमाना था अब चीजों की कीमत बढ़ गई है अब कम नहीं किया जा सकता। आपने कम करने का वादा किया उसको पूरा करना चाहिये। चीजों की कीमत बढ़ जाने की वजह से आपको अपने वायदे को रोकना नहीं चाहिये। २३ साल के बाद स्लम्प आना तो लाजिमी है और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो तरीका आपने एक बार कायम कर दिया वह हमेशा के लिए कायम रहे। जो आपने वादा कम करने का किया है उसको पूरा करना चाहिये। अगर आप उस वायदे से हटते हैं तो यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती वह चीज कुछ मुनासिब और दुरुस्त नहीं मालूम होती। हाल में इस बिल के सिलसिले में मुझे मालूम हुआ है कि बोर्ड आव रेवेन्यु की तरफ से एक आर्डर भेजा गया है जिसमें बेदखलियां रोक दी गयी हैं और मेरे सुनने में यह भी आया है कि दफा १८० के मातहत बेदखली भी रोक दी गयी है इसलिए कि जमीनों का नया इन्तजाम होगा। तो इस सिलसिले में जिस किसी के पास जमीन है वह उसी के कब्जे में बनी रहेगी। लेकिन यह जो आर्डर बोर्ड आव रेवेन्यु के सेक्रेटरी की तरफ से निकाला गया है मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या मानी हैं। १८० में वह जमीन आती है जो गासिबों के कब्जे में होती है और जो जबरदस्ती दूसरा दखल कर लेता है। ऐसी सूरत में अगर कानूनी तौर पर अख्तियार मिल जाय और बेदखली न हो सके तो मैं समझता हूं कि किसी तौर पर इन्तजाम नहीं चल सकता और लोगों को एक लाइसेन्स मिल जायगा कि वह जो चाहें वह करने लगें। यह मुख्तसर बातें थीं जो मैंने उस वक्त पेश कर दीं। जब सिलेक्ट कमेटी से निकल कर यह बिल हमारे सामने आयेगा और इसके ऊपर क्लाज बाई क्लाज गौर होगा तो जो चीजें मेरे सामने आयेंगी वह उस वक्त पेश की जायेंगी लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया है वह मैं फिर कहूंगा और हुकूमत से इस बात की अपील करूंगा कि यह ऐसा मसला है कि जिसका ताल्लुक तमाम एकानामिक स्ट्रक्चर (आर्थिक ढांचे) से है और यह ऐसा कानून और बिल नहीं है जो हम रोजाना असेम्बली में बैठकर पास करते रहे। इस पर जहां तक हो सके हमें बुनियादी तौर पर गौर करना चाहिये जिससे कि इसमें लोगों की मैग्जिमम सपोर्ट और अग्रीमेंट हासिल हो। मैं समझता हूं कि जमींदार भी मौके की जरूरत और नज़ाकत को समझेंगे और ऐसा मौका नहीं देंगे कि लोगों को यह महसूस हो कि जिस वक्त मुल्क को उनकी जरूरत थी वह अपने फर्ज से पीछे हटे। जमींदारों में काफी पैट्रन्स हैं जो वक्त की जरूरत को समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत भी गौर करेगी और हमारे वजीर आजम जो दानिशमन्दी के लिये मशहूर हैं वह जरूर गौर करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी

मैं और जो यहां असम्बलियन में हैं उनसे अपील करूंगा कि वह ठंडे दिल से गौर करें और यह कोशिश करें कि सही अग्रीमेंट हासिल हो सके और इस तरह से इस कानून को पास करने की कोशिश करें जिससे लोगों की जिन्दगी का जो मियार है वह नाजायज़ तौर पर गिरने न पाये और मुल्क में अनइम्प्लायमेंट बढ़ने न पाये जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं वह सैक्रिफाइस करें लेकिन वह इस मुल्क में अमन से और बआसानी अपनी जिन्दगी गुजार सकें और हम मुल्क में एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें सब लोग मुसावी हैसियत रखते हों। क्लासलैस सोसाइटीज बनें। ऐसा न हो कि एक सोसाइटी को बिल्कुल आउटकास्ट करना पड़े बल्कि सब लोग इस बात की कोशिश करें कि जो यह बड़ा काम हमारे सूबे के सामने है उसमें सबकी हमदर्दी और कोआपरेशन हासिल हो और हम एक ऐसा निज़ाम बना सकें जिसमें सब लोगों को अमन चैन मिल सके और हकीकत में जैसा कि दावा किया जाता है उसी के मुताबिक सब लोग अच्छी तरह से रह सकें। यू० पी० का सूबा दूसरे सूबों को यह मिसाल दे सके कि उसने वाकई अपने यहां का लैंडलार्ड सिस्टम ऐसा बदल दिया जिसमें लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने पाती।

एक बात मैं और कहूंगा और उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, और वह यह है कि अगर हम यह चाहते हों कि सिर्फ जमींदारी के अबालीशन से मुल्क की ज़राई हालत बेहतर बन जाय तो यह नामुमकिन है। जब तक इस सिलसिले में हम कोई और जरूरी कदम नहीं उठायेंगे तब तक यह नहीं हो सकता ; जैसा कि मैंने कहा है कि कन्सालिडेशन आव होल्डिंग्स अनएकानामिक होल्डिंग्स का सवाल है, इनको हल करने की जरूरत है, और जब तक कि ऐसा बिल जैसा कि मद्रास में है यहां नहीं आता जिससे कि मुख्तलिफ किस्म की फसलें जो बोई जाती हैं उनके सिलसिले में लोगों को मार्केटिंग सहूलियतें दी जायं और उनको एडवाइस (सलाह) दी जाय कि कितनी फसल किस चीज की बोई जाय, जब तक यह चीजें प्लान के मुताबिक अमल में नहीं लायी जायंगी तबतक पीसमील (टुकड़े टुकड़े) लेजिस्लेशन, लाने से कोई फायदा नहीं।

मुझे उम्मीद है कि जो मुख्तसिर अल्फाज़ मैंने इस ऐवान के सामने पेश किये हैं उन पर हमदर्दी से गौर किया जायगा।

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर, जैसे कि हर बिल पर एतराज होते हैं, एतराज हुए हैं। और इस बिल पर अगर एतराज न होते तो ताज्जुब की बात थी, क्योंकि यह मसविदा कानून कोई मामूली मसविदा कानून नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सारे ढांचे को एकदम बदलने वाला है। इस लिये इस पर एतराज होना स्वाभाविक है। लेकिन उन एतराजात में से कुछ एतराजात ऐसे हैं जो गलतफहमी पर मबनी हैं, या जानबूझ कर राजनैतिक प्रचार के लिये किये गये हैं। इसके अलावा कुछ तफसीली बातें हैं, जिन पर एतराजात किये गये हैं। वे एतराजात जो तफसीली बातों पर हैं उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनके ऊपर सेलेक्ट कमेटी में गौर किया जायगा और उसके बाद इस हाउस में भी। लेकिन जो बुनियादी एतराजात उठाये गये हैं राजनैतिक प्रचार के विचार से या गलतफहमी की बिना पर, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

एक साहब ने यह फरमाया कि गवर्नमेंट ने इस बिल के लाने में बहुत देर कर दी है। यहां तो एक आधे साहब ने ही फरमाया है। लेकिन अब से पहले सारे देहात और प्रेस में, और

[श्री चरण सिंह]

बहुत से प्लैटफार्म्स पर यह कहा गया है कि कांग्रेस देर ही नहीं कर रही है, बल्कि उसकी नियत खराब है और वह जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहती, क्योंकि उनका जमींदारों से साजबाज है। एक पालिटिकल पार्टी जो अब तक कांग्रेस के अन्दर शामिल थी, उसने २१ मार्च, सन् १९४८ ई० को नासिक में बैठ कर एक प्रस्ताव पास किया। वह यह कह कर हम लोगों से अलहदा नहीं हुई कि इन लोगों का रास्ता गलत है बल्कि उन्होंने हमारी नीयत पर हमला किया। उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं, कि "यह लोग पूंजीपतियों के एजेंट हैं और इसलिये हम लोग अलाहदा होते हैं।" आखिर यह कहां तक मुनासिब और कहां तक अखलाक का तक़ाजा है और कहां तक जनतन्त्र के सिद्धांत पर आश्रित है। मैं इस का निर्णय समझदार लोगों पर छोड़ता हूं। जब से वह कांग्रेस से अलाहदा हुए रात दिन प्रोपैगैंडा किया गया कि दरअसल हमारा इरादा जमींदारी को खत्म करने का नहीं है। हम लोग महज किसानों को धोखा दे रहे हैं।

कहा जाता है कि इस बिल के लाने में तीन साल लग गये। देखना यह है कि तीन साल क्या बहुत ज्यादा अरसा है? मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत थोड़ा अरसा है। जब जमींदारी उन्मूलन का नाम लिया जाता है तो उसके नेगेटिव ऐस्पेक्ट (विध्वंसक पहलू) पर ही जोर दिया जाता है कि जमींदारी खत्म करने का ही महज काम है। मैं अर्ज करूंगा कि यह गुमराह करने वाली बात है। दरअसल जमींदारी को खत्म करना बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लाई जाय, इस पर हमें गौर करना था। अगर इस पर हमने तीन साल लगाये तो कुछ भी नहीं लगाये। एक मकान को ढा देना आसान है, लेकिन उस पर दूसरा मकान बनवाना जिसमें जो तकलीफ पहले मकान में थी वह न हो और आइन्दा आने वाली संतानें आराम से रह सकें, इसके लिये तो बहुत कुछ गौर करने की जरूरत होती है। जमींदारी को तो सिर्फ दो धाराओं के बिल से खत्म किया जा सकता था कि जमींदारों के जितने हकूक हैं आज से उनकी मालिक सरकार हो गई। लेकिन हम लोगों की तसल्ली इससे नहीं होती। हम यह चाहते थे कि वर्तमान जमींदार-आसामी व्यवस्था की जगह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक भूमि व्यवस्था कायम करें जो आपके आदर्श के मुताबिक हो, जिसमें किसानों का शोषण बन्द हो जाय, जिससे जनतन्त्र कायम हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और जिसमें फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। वास्तव में यह मसला हमारे सामने था। जो लोग कहते हैं कि देरी हुई, उनके सामने आम तौर पर उनके आदर्श देश रूस का नक्शा होता है। वह कहते हैं कि रूस में सन् १९१७ ही में एक दम जमींदारी खत्म कर दी गई। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं कि वहां बहुत जल्द जमींदारी खत्म कर दी गई लेकिन उसकी जगह आल्टरनेटिव सिस्टम (दूसरी व्यवस्था) तय करने में १० साल लग गये और पांच छै बार उनको अपनी नीति बदलनी पड़ी। अप्रैल, सन् १९१७ में जब केरेन्सकी की गवर्नमेंट आई तो उनका नारा यह था कि जमीन की मिलकियत पंचायत को दे दी जाये और किसानों के लिए जो पुराने उसूल थे कि एक जमीन किसान के पास १२ साल तक रहेगी उसके आधार पर उसको तकसीम कर दिया जाए। लेकिन इसके छः महीने बाद ही लेनिन ने नारा उठाया कि जो जमींदारों से चीज लूट ली गयी है अब किसानों को चाहिये कि उसे लूट ले। इसके ४ महीने

बाद फरवरी १९१८ में घोषणा हुई कि सारी जमीन लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाय। को जमीन के मुन्तकिल करने का हक हासिल नहीं होगा और न जमीन किसी को लगान पर उठाई जा सकेगी। इसके साल भर बाद फरवरी, सन् १९१९ में फिर यह ऐलान किया गया कि सारी जमीन सिंगिल स्टेट फंड (राष्ट्र की निधि) है और खेती बड़े २ सरकारी फार्मों या कलेक्टिव फार्म (सामूहिक खेत) के जरिये की जाय। इसके बाद सन् १९२१ में लेनिन ने एक न्यू एकोनामिक पालिसी (नयी आर्थिक स्थिति) की घोषणा की जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वह किसानों का समर्थन को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। पांचवीं बार सन् १९२५ ई० में फिर तब्दीली की गई और जमीन लगान पर उठाने, मजदूर रखने, कृषि की मशीनें खरीदने की इजाजत दे दी गई इसके बाद दो कम्युनिस्ट पार्टी के दो दल हो जाते हैं। सन् १९२५-१९२७ तक दोनों दलों में बराबर बहस जारी रही कि आगे के लिये कौन सी व्यवस्था हो। दिसम्बर सन् १९२७ ई० में यह तय किया गया कि कलेक्टिव फार्मिंग यानी सामूहिक खेती की जाय। इस प्रकार की खेती किसानों पर जबरदस्ती लादी गई और कई बार इसके नियमों में तब्दीली हुई। इस सबके कहने से मेरा मतलब यह है कि वहां पर जमींदारी तो एकदम खत्म कर दी गई लेकिन इसकी जगह दूसरी भूमि व्यवस्था क्या हो इसको तय करने में वहां पर पूरे दस वर्ष लगे थे। और इसके बाद भी जो व्यवस्था कायम की गई उससे किसान आज भी खुश नहीं हैं। यहां हमने केवल तीन साल लिये हैं और वह भी एक असाधारण संकट काल में जो सब पर जाहिर है। मैं चैलेन्ज के साथ वह मेरे मित्र दूसरी ओर बैठे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि संसार का वह कौन सा देश है जिसमें तीन साल के अन्दर जमींदारी खत्म कर दी गई हो और वह भी इस प्रकार जैसे हमारे यहां शत प्रतिशत किसान संतुष्ट हैं।

दूसरा ऐतराज यह किया गया है कि हम पूंजीवाद को मिटाना नहीं चाहते और जब हम पूंजीवाद को कायम रखे हुए हैं तो कोई वजह नहीं है कि जमींदारों को पूरा मुआविजा न दिया जाये। आप जरा इस दलील के औचित्य पर गौर फरमायें यह इल्जाम लगाना कहां तक ठीक है कि पूंजीवाद क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है जब कि हम सन् १९४६ ई० में ही इसको समाप्त करने को निश्चय कर चुके थे?

श्रीमान् स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिये अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस बहैसियत एक सरकार और बहैसियत एक संगठन प्रतिज्ञाबद्ध है कि वह पूंजीवाद को खत्म करेगी लेकिन कब, किस तरह से और किस ढंग से करेगी इसके बारे में कोई पाबन्दी नहीं है। जैसी कि स्थिति होगी और देश के हित का तकाज़ा होगा वैसे ही उसको खत्म किया जायगा। विचार यह करना है कि क्या जमींदारों और पूंजीपतियों को एक ही स्तर पर रखा जा सकता है? जमींदारों के जितने शुभ-चिंतक हैं उनकी तरफ से हमेशा यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कारखानेदारों को क्यों नहीं खत्म करते और पहले जमींदारों को ही खत्म करते हैं। इसका कारण यह है कि हम समझते हैं कि यह दो किस्म के शोषण जरूर हैं लेकिन जमींदारी और पूंजीवाद इन दोनों के शोषण करने के तरीकों में बड़ा अन्तर है। उदाहरणार्थ, जमींदार लोग स्वयं कोई कार्य या सेवा नहीं करते। बस यही है कि जमीन उनके नाम खेवट में है और वह उसका लगान वसूल करते हैं। किसान जमीन को जोतते बोते हैं। यानी जमींदार के अलहदा कर देने से पैदावार के घट जाने का कोई

[श्री चरण सिंह]

सवाल पैदा नहीं होता। इसके विरुद्ध पूंजीपति अपने परिश्रम और बुद्धि से एक कारखाना लगाता है और उन कारखानों को अपनी बुद्धि से चलाता है जो कि इस देश में पहले नहीं थे। वह अपने यहां सामान बनाता है अर्थात पैदावार करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वह देश की दौलत में इज़ाफा करता है परन्तु जमींदार ऐसा कोई कार्य्य नहीं करता। दूसरा कारण कि हम पूंजीपतियों को इस समय हाथ नहीं लगाते यह है कि जमींदारी के खत्म होने से किसान की पूरी जिन्दगी पर असर पड़ता है लेकिन फैक्ट्रीज़ और कारखानों के नेशनेलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण से यानी पूंजीवाद को इस तरह से खत्म करने से कि जिस तरह आज सोशलिस्ट चाहते हैं उन मजदूरों की जिन्दगी पर कि जो कारखानों में काम करते हैं कोई असर नहीं पड़ता और न कोई फर्क होता है। वह पहले भी मजदूर था और पूंजीपतियों के हुक्म का पाबन्द था और नेशनेलाइ-जेशन के बाद भी सरकार के हुक्म का बन्दा रहेगा और वही मजदूर का मजदूर ही रहेगा। इस-लिए आज जितनी जल्दी जमींदरी को खत्म करने की है उतनी अरजेन्सी देश के हित में पूंजीवाद ... खत्म करने की नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अभी हमारे पास टेकनिकल क्वालिफाइड परसनल (शिक्षित विशेषज्ञ गण) नहीं है जो कि कारखानों को चला सके। आगे चल कर हमें आशा है कि हमारे सरकारी नौकरों का चरित्र और सुधरेगा और उस वक्त हम पूंजीपतियों को खत्म करके वह प्रबन्ध उनके हाथ में दे सकते हैं। लेकिन आज जब चारों तरफ शिकायत है हालांकि मैं जानता हूं कि तीन चौथाई शिकायत बेजा है और किसी सही बात पर आधारित नहीं है लेकिन फिर भी शिकायत है कि सरकारी अफसर ठीक काम नहीं करते। इसलिये जब आप इन सरकारी अफसरों की बाबत ऐसी राय रखते हैं तो फिर किस तरह से उनके सुपुर्द अभी इतना बड़ा काम किया जा सकता है। मुझे डर है कि अगर आज सरकारी अफसरों के हाथ में यह कारखाने दे दिये जायं तो उनकी पैदावार जरूर गिर जायेगी और इस समय ऐसा खतरा मोल लेना देश के लिये हानिकर और अहितकर होगा।

चौथा कारण कि पहले जमींदारी को ही खत्म करने की आवश्यकता क्यों समझी गई यह है कि मौजूदा भूमि व्यवस्था से ७५ प्रतिशत देहाती जनता का वास्ता है और इस समय इस व्यवस्था को ठीक करने से ७५ प्रतिशत आदमी मौजूदा बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे कारखानों में मुश्किल से २५ लाख मजदूर काम करते हैं। अब एक तरफ सवाल यह है कि २५ लाख आदमियों की मुक्ति पहले की जाय या ७५ फी सदी करोड़ों इन्सानों की ? तो स्वभावतः यही बात माननी पड़ती है कि पहले वही काम करना चाहिये कि जिसके करने से करोड़ों आदमियों के भाग्य का निर्णय होता है। इसलिये आज जो लोग यह कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को खत्म करना नहीं चाहते वह जानबूझ कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिये यह दूसरा एतराज़ भी बिल्कुल निराधार है। और सही नहीं है। अब जमींदारी को खत्म तो होना चाहिये लेकिन किस प्रकार ? अब तक दुनिया के इतिहास में तीन तरीके बरते गये। एक तो जापान में बरता गया, दूसरा रूस में और तीसरा अन्य देशों में। जापान में ज़मींदारों की संख्या २५० थी। सन् १८७० ई० में एक सभा करके एक प्रस्ताव के

जरिये वह खुद अपने हुकूक और अधिकारों से दस्तबरदार हो गये। वहां मुआविजे का कोई सवाल ही नहीं उठा। दूसरा तरीका रूस में बर्ता गया। जर्मनी के मोर्चे पर रूसी फौजें हार गयीं और वहां की जनता पहले से ही जार और जमींदारों से परेशान थी। उसके हाथ में राजसत्ता नहीं थी: मजबूर होकर उसने तलवार उठायी और जमींदारों को खत्म कर दिया। तीसरा तरीका जर्मनी और आयरलैंड में बर्ता गया जो अहिंसात्मक था यानी कानून और कलम के जरिये। जहां तक शासन का सवाल है वह हमारे हाथ में अर्थात् सरकार के हाथ में नहीं। परमात्मा करे जमींदारों को इतनी सद्बुद्धि दे कि वह स्वयं त्याग व बलिदान का रास्ता अपनायें। यह हमारे देश के लिये बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी आशा उनसे की नहीं जा सकती। दूसरा रास्ता रूस का है। महात्मा जी ने हम लोगों को सिखाया था कि रूस का रास्ता मुनासिब नहीं है। वहां १२ लाख जमींदार मारे गये थे और उस अनुपात से यहां ४० लाख मारे जायंगे। हिंसा करना मुनासिब नहीं मालूम होता। उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर सारे समाज में हिंसक वृत्ति पैदा होने का अंदेशा रहता है जो हम देश के लिए हानिकर और अपनी संस्कृति के विरुद्ध समझते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि उसकी आज जरूरत भी नहीं है। रूस में उस समय राजसत्ता जनता के हाथ में नहीं थी: इस कारण वहां रक्तपात हुआ। लेकिन आज राजसत्ता यहां हमारे हाथ में है। हो सकता है कि हम गल्ती कर रहे हों, ऐसी दशा में जनता को अधिकार है कि वह अपने दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराये। परन्तु किसी भी सूरत में तलवार उठाना अनावश्यक है। तीसरा तरीका है कानून के जरिये जमींदारी को खत्म करना जिसको हम अपनाने जा रहे हैं। सवाल आता है कि मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय। जापान में मुआविजा नहीं देना पड़ा क्योंकि लोगों ने खुद ही त्याग दिया। रूस में लेने वाले रहे ही नहीं, दिया किसको जाता? तीसरा तरीका जो कानून के जरिये जमींदारी को खत्म करने का है उसके अनुसार दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां मुआविजा न दिया गया हो। कानून के अर्थ यह हैं कि सब बातों और पहलुओं को सामने रख कर देश के हित में नियम बनाना और मर्यादा बांधना। अगर मुआविजा नहीं देना है तो फिर कानून बनाने की ही क्या आवश्यकता है, तलवार के जरिये ही उसे खत्म किया जा सकता है। मेरे एक सोशलिस्ट दोस्त ने पूछा कि जब महात्मा जी ने सन् १९४२ ई० में लुई फिशर से कहा था कि वह मुआविजा देने के हक में नहीं थे फिर मुआविजा क्यों दिया जा रहा है। यह ठीक है। परन्तु मेरे मित्र को शायद यह मालूम नहीं है कि १२ दिसम्बर सन् १९४५ ई० को कलकत्ते में जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें इलेक्शन मेनीफेस्टो जिसमें चुनाव घोषणा-पत्र तैयार हुआ और मुआविजा देना निश्चय हुआ उस बैठक में खुद महात्मा जी मौजूद थे। पूछा जा सकता है कि सन १९४२ में महात्माजी मुआविजा देने के खिलाफ थे लेकिन फिर मुआविजा देने के माफिक क्यों हो गये।

बात मोटी सी और बहुत साफ है। सन् ३७ और ३८ में इस भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कानून यहां और दूसरी असेम्बलियों में पेश हुए तब तक महात्मा जी ट्रस्टीशिप थ्योरी में विश्वास करते थे लेकिन वह ज़मींदारों के एटीच्यूड (रवैये) को देखकर निराश हो गये। एक कारण तो यह मालूम होता है; लेकिन प्रधान कारण दूसरा था और वह यह था कि जो कुछ भी

[श्री चरण]

उन्होंने लुई फिशर से कहा वह आने वाली अगस्त सन् १९४२ की क्रान्ति के प्रोग्राम के रूप में कहा। उसी काण्टेक्स्ट (संदर्भ) में अमेरिकन पत्रकार ने सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि जो आगे आने वाला आन्दोलन है जिसके लिये आप देश को तैयार कर रहे हैं उसमें किसानों के लिए क्या रास्ता होगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया था कि वे अपने जोतों पर काबिज़ हो जायंगे। तब पत्रकार ने पूछा था कि क्या इससे अराजकता न फैलेगी, बदअमनी न फैलेगी, महात्मा जी ने फरमाया कि हो सकता है कि कुछ बदनामी फैले, लेकिन मुझे अपने कांग्रेस के सेवकों पर विश्वास है कि वे १५ दिन के अन्दर इस बदअमनी पर काबू पा लेंगे। जब महात्मा जी ने यह बात कही थी तो देश को क्रान्ति के लिए तैयार कर रहे थे, और क्रांति की अवस्था के लिए कही थी। होती वह क्रान्ति अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन अगर हिंसा भी होती तो महात्मा जी उसके कारण क्रान्ति को रोकते नहीं। अगर तभी हम जमींदारी का खात्मा कर देते तो मुआविजा देने का सवाल नहीं था।

एक बात मुआविजा देने के सिलसिले में और अर्ज करना चाहता हूं। कहा जाता है ज़मींदारों ने देश के साथ गद्दारी की, धोखा दिया, देश को बेचा। फिर उनको मुआविजा कैसा? लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने गद्दारी की थी वह सन् १८५७ में की थी, उनकी वजह से उनकी औलाद को सजा देना कहां तक न्यायानुकूल होगा? पूर्वजों के जुर्म की वजह से औलाद को सजा देना, मेरी तुच्छ राय में मुनासिब नहीं होगा। एक दूसरी बात यह है कि सब लोगों ने तो गद्दारी की नहीं थी और कुछ के देशद्रोह के लिये सबकी जायदादें बिना मुआविजा दिये छीन लेना न्यायोचित न होगा। हां, एक बात और है, वह यह कि अगर मुआविजा न दिया जाय तो कुछ ज़मींदार ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सीर और खुदकाश्त बिल्कुल न हो, तो क्या उन्हें निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया जाय, बिना उनका कोई इंतजाम किये, बिना किसी प्रबन्ध के। इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार को इस प्रकार के तरीके को कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट उचित नहीं मानती।

आज सवाल यह हो जाता है कि कितना मुआविजा दिया जाय। यह जो स्केल इस बिल में रक्खा गया है, उस पर एक साहब, शायद रोशन ज़मा खां साहब, फरमाते हैं कि पहले बड़े जमींदारों के लिये मुनाफे का दुगुना रक्खा था, अब मुनाफा का अठगुना रख दिया गया है। ठीक है उसका गुणक बढ़ा दिया है, लेकिन जो मुनाफे के दुगुने के हिसाब से मुआवजा जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मिलता, ठीक उतना ही मुआविजा इस स्केल में मिलेगा। हो सकता है दो चार लाख इधर या दो चार लाख उधर। गुणक आठ होने से भी मुआविजा पहले के बराबर ही इसलिये मिल रहा है, क्योंकि एग्रीकलचर इन्कम टैक्स को जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में आमदनी में नहीं घटाया गया था, और बिना इस टैक्स को घटाये दो गुना रक्खा गया था।

इस ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को जब जमींदार की इस आमदनी से निकाल दिया जाता है तो मुआविज़ा उतना ही होता है जितना कि पहले होता था। इसलिये यह कहना कि मुआविज़ा बढ़ा दिया गया है बिल्कुल गलत है। अब एक बात यह कही गई है कि सब जमींदारों को अर्थात् छोटे और बड़ों को मुआवज़ा एक दर से ही नहीं देना चाहिये।

परन्तु जैसा कि माननीय पंत जी ने उस दिन कहा था कि वह इंसाफ के अनुकूल नहीं मालूम होता । इसके बारे में किसी कानून के पंडित को भी एतराज हो सकता था । मान लीजिये एक ही स्टेट में एक छोटा जमींदार और एक बड़े जमींदार शामिल हैं। आलोचकों की बात मानी जाय तो छोटा जमींदार बड़ी तरह से मुआवजा पायेगा और बड़ा जमींदार उसी हैसियत की जमीन का थोड़ा मुआवजा पायेगा । स्पष्ट है, ऐसा करना न्यायानुकूल तो है ही नहीं। परन्तु शायद कानून विरुद्ध भी होता ।

इस सिलसिले में एक एतराज़ यह भी किया गया है कि एक लाख से ज्यादा मुआवजा न दिया जाय और वह भी इस शर्त पर दिया जाय कि रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाय । जब त्रिपाठी जी ने सामने या पहले पेश गैशन ज़नाब साहब का ध्यान उनके लीडर आचार्य नरेन्द्र देव जी की गवाही और बयान की ओर खींचा तो उसके जवाब में कहा गया कि उनका वह बयान बहैसियत एक सोशलिस्ट के नहीं है। क्या वे उस समय सोशलिस्टों के लीडर नहीं थे ? और अगर उन्होंने वह बयान समाजवादी होने की हैसियत से नहीं दिया था तो और किस हैसियत से दिया था ? उनकी लिखित साक्षी में जो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कमेटी के पास भेजी थी उसमें उन्होंने लिखा है :—

"We, therefore, lay the following principle :—

1. *Zamindars* paying land revenue upto Rs. 100/- to be paid 25 times their Revenue demand.
2. *Zamindars* paying land revenue between Rs. 100/-+250/- 20 times
3. „ „ „ „ „ 250/-+500/- 15 „
4. „ „ „ „ „ 500/-+1000/-12 „
5. „ „ „ „ „ Rs. 1000/-+ over -10 „

or Rs. 5,00,000/- which soever is less.

This scale is meant only for arable land but so far as waste land forests, tanks, pasture lands and abadi lands are concerned no compensation ought to be paid except the most nominal say Rs. 2/- per acre. Similar is the case for Sir and Khudkasht and land left in the possession of the intermediary.

According to this sale the total amount the state would be required to pay will come approximately to Rs. 100/- crores. It is not possible to pay it in a lump sum. To a large extent it has to be paid out of the rents realized from the peasantry. The total rental demand at present is approximately 24 crores. After the abolition of zamindari system we must give remissions to the tenants to the extent of 4 crores thereby reducing the total demand to Rs. 20 crores.

"इसलिये हम निम्नलिखित सिद्धांत रखते हैं:—

१—१००) तक मालगुज़ारी देने वाले ज़मींदार—उनको मालगुज़ारी की मांग का २५ गुना मिले ।

[श्री चरण सिंह]

२—१००) से २५०) तक मालगुजारी देने वाले जमींदार २० गुना
३—२५०) से ५००) ,, ,, ,, १५ ,,
४—५००) से १०००) ,, ,, ,, १२ ,,
५—१०००) से अधिक ,, ,, ,, १० ,, या
५,००,०००) दोनों में से जो रकम कम हो।

यह दर केवल कृषि योग्य भूमि के लिये है। ऊसर, वृक्षाच्छादित भूमि, जंगल, चरागाह और आबादी की भूमि के बदले किंचिन्मात्र अर्थात् २) प्रति एकड़ के अतिरिक्त और कोई हर्जाना देना नहीं चाहिये। यही बात सीर, खुदकाश्त और मध्यमों के कब्जे में छोड़ी हुई भूमि के विषय में है।

इस दर के अनुसार कुल रकम जो सरकार देगी वह लगभग सौ करोड़ रुपये होगी। इसको एकबारगी पूर्णतया चुका देना सम्भव नहीं है। किसानों से लगान वसूल करके उसी में से इस रकम का अधिकतर भाग देना होगा। इस समय कुल लगान जो वसूल होना चाहिये वह लगभग २४ करोड़ है। जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त हम लोग किसानों को इसमें से ४ करोड़ की छूट देंगे जिससे कुल लगान घट कर २० करोड़ रह जायगा।

आचार्य जी ने ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया है। उन्होंने अनुमान से एक अरब रुपया रक्खा है। परन्तु हिसाब फैलाया जाय तो उनकी रक़म हमारे निश्चित किये हुए प्रतिकर से कुछ कम न बैठेगी। रोशन ज़मा खां साहब २५ या ५० करोड़ से ज्यादा नहीं देना चाहते। लेकिन उनके लीडर साहब कहते हैं कि उसकी तादाद कम से कम १ अरब होगी। विरोधी दल के प्रोपेगण्डा की यह तो बिल्कुल सीधी सादी बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कितने ही माकूल काम क्यों न करे वह उसे मानने को तैयार न होंगे। कहा जाता है कि लगान घटाया जाय। हम अपनी स्कीम के मुताबिक़ जो रेंट वसूल कर रहे हैं वह साढ़े आठ करोड़ होता है। लेकिन आचार्य नरेन्द्र देव किसान से २० करोड़ वसूल करना चाहते थे। और फिर भी शिकायत है कि हमने लगान नहीं घटाया।

अब सवाल यह होता है कि मुआविज़ा दे कौन? मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूं कि तरीक़ा जो कोई भी हो अन्ततोगत्वा उसका बोझ उत्पादक पर ही पड़ेगा। जो भी टैक्स लगाये जायंगे वह सब उत्पादन करने वालों की जेब से ही आयेंगे। अब उनकी दो किस्में हैं एक तो सबसे बड़ा खेती में काम करने वाला किसान है और दूसरा फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर। तो चाहे जिस सूरत में ले लीजिये चाहे उसे किस्तबन्दी से ले लीजिये चाहे एक दम ले लीजिये। किसान को किसी न किसी रूप में अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादकों में किसान ही सबसे ज्यादा हैं, बल्कि ८५ फी सदी हैं, कभी न कभी या घूम फिर कर टैक्स किसान की जेब से निकलेगा।

लिहाज़ा यह कहना कि मुआविज़ा स्टेट अपनी तरफ से दे दे और किसान से न दिलाया जाय, यह अपने आपको धोखा देना है क्योंकि स्टेट कहां से देगी। स्टेट अपने जनरल रेवेन्यूज़ में से देगी लेकिन वह भी तो किसान की जेब से आया है। जो स्कीम इस बिल में रखी गयी है उसके मुताल्लिक यह एतराज़ किया जाता है कि किसान बड़ा ग़रीब है, वह नहीं दे सकता। मैं

इसे तसलीम करता हूं किसान गरीब है, लेकिन ग़रीबी और अमीरी रिलेटिव टर्म्स हैं (अपेक्षा से हैं)। किसान ग़रीब है बमुक़ाबिले पूंजीपतियों के और जमींदारों के। लेकिन देखना सिर्फ़ यह है कि आज जो फ़ायदा उसको पहुंचेगा, जो उसकी इच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खेतों की मिल्कियत लेने की चली आई है उसको पूरा करने के लिये जो प्रतिकर हम उसको, यानी जमींदार के लिये दिये जाने को कहते हैं, किसान उसको दे सकता है या नहीं। केवल ऐबसोल्यूट टर्म्स में यह बात कहना कि वह ग़रीब है इससे मसला हल नहीं होता। देखना यह है कि जितना रुपया जिस किसान से मांगा जा रहा है उसमें उसे देने की क्षमता है या नहीं। इसके जवाब में मुख़ालिफ़ीन ने ज़मींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा २८, २९ और ३० के उद्धरण दिये हैं और कहते हैं कि 'यू आर कण्डेम्ड आउट आफ़ योर ओन माउथ' आपकी रिपोर्ट में यह है कि किसान इस लड़ाई की वजह से गरीब हो गया है। उसकी हालत बजाय बेहतर होने के बदतर हो गई है। इसके मुताल्लिक़ मुझे यह अर्ज़ करना है कि बदतर हो गई हो लेकिन किसकी अपेक्षा? शहर के आदमियों की अपेक्षा। यह नहीं है कि उसकी आर्थिक दशा जो बमुक़ाबिले दूसरे वर्गों के पहले थी वह बदतर हो गई है। इसके अलावा एक बात और है। सिर्फ़ मदरास की रिपोर्ट पर और बम्बई प्रेसीडेन्सी के एक प्रोफ़ेसर की रिपोर्ट के ऊपर यह नतीजा निकाला गया है कि क्योंकि इन दोनों प्रेसीडेन्सी में किसान की ऐसी हालत है लिहाज़ा यू० पी० में भी हो गई होगी। यहां कोई खोज इस बात की नहीं हुई कि यू० पी० के किसान किसी प्रकार से रुपया देने के नाक़ाबिल हैं या उनकी हालत पहले से खराब हो गई है। कहा गया है कि मदरास में ऋण-बद्धता बढ़ गई है। मुमकिन है वहां ऐसा हो गया हो। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि यहां के किसानों की ऋण-बद्धता बढ़ गई है, क्या वह मक़रूज़ हो गया है? हरगिज़ नहीं। बल्कि उसके ऊपर जो क़र्ज़ा सन् १९३९ में था वह अगर सब नहीं तो ९९ फी सदी खत्म हो चुका है। मदरास में जो हालत हो उससे यह नतीजा निकालना कि यहां के किसानों की भी वही हालत है, बिल्कुल ग़लत है।

दूसरी युक्ति जो ज़मींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पेश करते हैं वह यह है कि इस कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उससे यह सरकार पाबन्द है। लेकिन यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के विचारार्थ रक्खी गई थी। इसलिये यह दलील करना उसमें कोई अर्थ नहीं रखता। वाक्या यह है कि सन् १९४० में हमारे देश में २ अरब ९० करोड़ की करेन्सी थी अर्थात् काग़ज के नोट थे और सन् १९४६ में ११ अरब ८० करोड़ के नोट हमारे देश में थे। वह करेन्सी कहां है? ब्लैक मार्केटियर्स के पास, प्राफ़ीटियर्स के पास होगी, यह ठीक है। अब दूसरा वर्ग रह जाता है मिडिल क्लास का। वह तो रो रहे हैं। मध्यम श्रेणी की हालत बहुत खराब है। आज मध्यम श्रेणी कोई बचत नहीं कर पाती है। इसीलिये उद्योगपति कहते हैं कि मिडिल क्लास के पास से कोई पूंजी उनको नहीं मिल रही है। अब रह गये मजदूर और किसान। उस १२ अरब रुपये में से बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि ७५ फी सदी हिस्सा, इन्हीं हमारे ग़रीब किसानों में बंटा हुआ है। मुझे यह रुपया अखरता नहीं है। हम यह चाहते हैं कि उनके पास रुपया चौगुना और पचगुना हो। उनके पास वह हवेलियां और पक्के मकानात हों जैसे कि शहरों में खड़े हुए हैं। और वह आज चाहता भी है। इसीलिये सीमेंट के लिये, लोहे के लिये, अर्थात् मकान बनाने के सामान के लिये और उपभोग की दूसरी वस्तुओं के लिए उसकी तरह तरह की मांग हैं। लेकिन

[श्री चरण सिंह]

उन चीजों की हमारे देश में कमी है इसीलिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है। आज हमको सामान पैदा करने की जरूरत है। महज करेंसी उसकी जेब में देने से सामान नहीं पैदा हो जायेगा। जितना माल हमारे देश में सन् ३९ में पैदा होता था उतना आज भी पैदा होता है। लेकिन करेंसी ठीक चौगुनी हो गई है। यही कारण है कि आज ३७८ प्रतिशत भाव बढ़ गये हैं। आज नोट या सिक्का बढ़ गया है लेकिन उत्पादन जहां का तहां ही है। करेंसी अर्थात् नोटों से किसानों का भला नहीं होगा। इसके अलावा जैसा माननीय पन्त जी ने अपने ७ तारीख के भाषण में कहा था और प्रेस कान्फ्रेंस में बतलाया था। इस वक्त हमारा एडवर्स ट्रेड बैलेन्स ९५ करोड़ रुपये का है। इसका मतलब यह है कि हम चीजें बाहर से मंगाते हैं लेकिन बदले में चीजें हम नहीं भेज सकते हैं। ज़रूरत यह है कि जितनी चीजों की हमें ज़रूरत है उनको हम अपने मुल्क में पैदा करें और उपभोग की वस्तुएं बाहर से न मंगायें। सिर्फ कैपिटल गुड्स अर्थात् कारखानों की मशीनें आदि ही बाहर से मंगा लें जो हमारे यहां नहीं बनती हैं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश का किसान अपनी पेटी कस ले जिस तरह हर देश के किसान वक्त पड़ने पर करते हैं। जो रुपया किसान के पास है उसका इस्तेमाल वह नहीं जानता है।

एक बात और है जो कुछ कड़वी सी मालूम होती है लेकिन कहना ही पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ जिलों में शराब-बन्दी तो हो गई, लेकिन शराब के टैक्स से कुछ प्रान्त की आमदनी बढ़ गई। यह सही हो सकती है। कम से कम मैं इसकी तरदीद करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपका यह मतलब है कि जिन जिलों में शराब-बन्दी हुई है वहां पहले से ज्यादा शराब पी जाने लगी है या आपका यह मतलब है कि सन् ३९ के मुकाबले में लोग शराब ज्यादा पीने लगे हैं। स्पष्ट सी बात है जहां शराब-बन्दी हो गई है वहां तो शराब की आमदनी ही बन्द हो गई। तो बावजूद कुछ जिलों में शराब-बन्दी हो जाने से कुछ प्रान्तों की आमदनी बढ़ जाने का केवल एक ही अर्थ है और वह यह कि अब पहले की अपेक्षा लोग शराब अधिक पीने लगे। परन्तु आज यह शराब कौन ज्यादा पी रहा है। आप देखेंगे कि गांवों में जो आबकारी की दूकानें हैं उनका ज़रे नीलाम चौगुना और पंचगुना हो गया है। अर्थात् जिस रुपये का दुरुपयोग होना चाहिये था उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर प्रतिकर किश्तों में या दस्तावेज के शक्ल में दिया जाय तो एक अरब और ४० करोड़ नई करेंसी पैदा करनी पड़ती और इससे कीमतें और बढ़ जातीं। बहरहाल इस बिल में जो अपने लगान का दस गुना रुपया देकर सदैव के लिए अपने लगान या मालगुजारी को आधा करवाने की बात रक्खी है उसमें दूकानदारी की दृष्टि से भी किसानों को नुकसान नहीं है। परन्तु यह सब तो मामूली चीजें हैं। असल चीज यह है कि अब किसान अपने खेत का मालिक हो जायगा। अब भूमिधर हो जाने के बाद जमींदार का जिलेदार उसके खेत पर डंडा लेकर नहीं जायेगा। जमीन की कीमत वही आदमी जानता है जो अपने खेत का मालिक नहीं है। इसकी कोई कीमत आंकी ही नहीं जा सकती है। जो किसान बाप दादों के जमाने से जुल्म सहता आया है और जो कभी अपने खेत को यह नहीं कह सका कि "मेरा" खेत है वह अब दस गुना रुपया दाखिल करने के बाद आराम की सांस लेगा।

वह सब नम्बरों की होगी उनको वह सन्तुष्टि होगी जिसके लिये सैकड़ों वर्ष से भूखा था। किसान के सामने दो रास्ते खुले हैं एक तो यह कि जमींदारी खत्म होती है, वह अपना पुराना लगान देता रहे और सिर्फ काश्त करता रहे; परन्तु अपनी जमीन का मालिक नहीं होगा, यानी बय न कर सकेगा, रेहन न कर सकेगा, और न तब्दील कर सकेगा। दूसरा यह है कि अपने लगान का दस गुना सरकार को दे दे तो वह अपनी धरती का मालिक हो जायगा। मेरा विश्वास है कि उसके पास नकद न होगा तो वह भैंस बेच देगा, गाय बेच देगा मगर वह रुपया अवश्य देगा और खेत का मालिक हो जायगा। मेरे इस विश्वास का कारण यह है कि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूं। किसान अपनी औरत का जेवर तक बेचना मंजूर करेगा परन्तु खेत की मिल्कियत हासिल करना पसन्द करेगा। यह किसान की मनोवृत्ति है। रहे जमींदार, उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि उनको मुआविजा नकद में मिलना चाहिये। हम आशा करते थे कि माननीय प्रीमियर साहब ने जब जमींदारी उन्मूलन कोष कायम करने का ऐलान किया था तो जमींदार यूनियन या ब्रिटिश इंडियन असोसियेशन की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बयान निकलता। परन्तु मालूम होता है आप लोग ऐसी बातें सोचते ही नहीं हैं। भावना का जवाब भावना से देना जमींदारों को आता ही नहीं है। उल्टे इस पर एतराज है। श्री जगदीश प्रसाद बड़ौत से आते हैं और तकरीर में कहते हैं कि दस गुना दाखिल करने से किसान को बड़ा नुकसान होगा। इस मनोवृत्ति की जितनी निन्दा की जाय वह कम है। जमींदारों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिये कि उन्हें मुआवजा नक़द देने का इन्तजाम किया जा रहा है। जमींदार भाई यहां असेम्बली में और कौंसिल में भी तकरीर करने खड़े हों तो इस बात का शुक्रिया अदा करें। सरकार को धन्यवाद दें। उनको अन्देशा था कि सम्भव है उनके किश्तबन्दी के बाण्ड्स कोई भावी सरकार कैंसिल कर दे तो वह इस खतरे से बच गये। अब वह कहते हैं कि मुआविजा बाजारी भाव से नहीं मिल रहा है। उनको केवल इतना ही प्रतिकर मिल रहा है जितना कि जनता के नुमाइन्दे उचित व माकूल समझते हैं। क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कोई सौदे की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश-हित की दृष्टि से किया जा रहा है। अतएव पूरी कीमत देने या लैण्ड एक्वीज़ीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के उसूलों पर चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तजवीज़ इस बिल में रखी गई है, उससे देश को एक लाभ होगा अर्थात् उद्योगीकरण में वृद्धि। पंजाब के बरबाद हो जाने वहां का हिंद पूंजीपति अब उद्योगों में पूंजी नहीं लगा सकता है, मध्यम श्रेणी के लोग कीमतें बढ़ जाने से कोई बचत नहीं कर सकते हैं जो कि उद्योगों में लग सके और सेठ व कारखानेदार कई कारणों से नये कारखानों में पूंजी लगाने में झिझक रहे हैं। मतलब यह हुआ कि पूंजी की कमी से देश का उद्योगीकरण रुक रहा है। मेरी राय में जो रुपया मुआविजे के रूप में जमींदारों को मिल रहा है उससे अब वह गुलछर्रे नहीं उड़ा सकते। वरन् दो तीन साल बाद उनके पास कुछ न बचेगा। यह जो एक अरब सैंतीस करोड़ रुपया मुआविजे के रूप में मिल रहा है, मैं समझता हूं कि हर जमींदार इसी फिक्र में होगा कि जो रुपया उनको मिल रहा है उसको बैंक में न रखें, लेकिन उद्योगों में लगावें। मैं बिल्कुल इनफारमल तरीके पर कहता हूं कि बहुत मुमकिन है उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन हो और प्रधान सचिव उसके मुताल्लिक कुछ फ़रमावें। खैर ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट की हो या न हो लेकिन आप लोगों के लिये

[श्री चरण

इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है कि उस रुपये को इण्डस्ट्रीज में लगा दें ? बेहतर यही है कि बजाय इसके कि रेस के घोड़े और अलसेशियन कुत्तों के खरीदने में रुपया लगावें, उद्योगों में ही सारे रुपये को लगा दें। यह जो एक अरब चालीस करोड़ रुपया मिल रहा है उसमें से हर सूरत में कम से कम एक अरब रुपया आप लोग इण्डस्ट्रीज में लगा दें। इससे देश का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। जो स्कीम आपके सामने है उस पर अगर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय तो एक पत्थर से कई चिड़िया मारने के अनुरूप उससे कई मसले हल हो जाते हैं।

अब इसके बाद एक एतराज यह है और खास तौर से अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है कि हम बीस लाख जमींदारों को तो खत्म कर रहे हैं लेकिन उनकी जगह एक करोड़ बाईस लाख नये जमींदार या कैपिटलिस्ट पैदा करने जारहे हैं। भूमिधर से मतलब तो उस आदमी से है जिसके पास जमीन है। लेकिन जिस तरह से जमींदारी अबालिशन कमेटी के सिलसिले में लोगों का यह ख्याल था कि जमींदारी को खत्म करना मात्र ही हमारा काम है और कोई दूसरा काम है ही नहीं, इसी तरह से जमींदार लफ्ज के मुताल्लिक भी लोगों में गलतफहमी है। जमींदारी अबालिशन का लफ्ज जब आता है तो लैंडलार्डिज्म और टिनेण्टशिप की व्यवस्था को खत्म करना ही उसका मतलब है। जमींदार और आसामियों की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम खत्म करने जा रहे हैं। हम ऐसे आदमियों को नहीं खत्म कर रहे हैं जिनके पास जमीन है। हम ऐसे आदमियों को खत्म कर रहे हैं जो निठल्ले बैठ कर महज दूसरे लोगों की कमाई पर अपनी गुजर करते हैं। जमींदार का माने के महज पूर्वी इलाके में और बीच के इलाके में यही लगाया जाता है कि जमींदार वही है जो लगान पर अपनी जमीन उठाता है। लेकिन अम्बाला और राजपूताने में जहां कहीं जमींदार शब्द का इस्तेमाल होता है उसके माने जमीन जोतने वाले से होता है। सन् १९३७ में जब जमींदारी अबालिशन की बात चली तो अम्बाला के गाँवों में किसान यही कहते थे कि क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सब जमीन ले लेगी ? हम लोगों से जमीन छीन ली जायगी ? जमींदार के माने लैंडहोल्डर से है। आप कहेंगे कि जब जमींदार के माने यही हैं तो जहां कहीं भी इस बिल में किसान का जिक्र आता है इस अर्थात् जमींदार शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? इसके लिये मैं यही कहूंगा कि उसका एसोसियेशन कुछ ऐसा बुरा रहा है जिसकी वजह से हम पिछली बातों को बिल्कुल भुला देना चाहते हैं। इस समय उसका इस्तेमाल अच्छे माने में नहीं किया जाता है। लोगों का कहना है कि हम कैपिटलिस्ट जमींदार पैदा कर रहे हैं। यह गलत है। चाहे बड़े जमींदार हों या छोटे जमींदार हों, हम लैंडहोल्डर को नहीं बल्कि लैंडलार्ड को खत्म करने जा रहे हैं। चाहे वह लैंडलार्ड एक बिसवे का ही लैंडलार्ड क्यों न हो। यही हमारा असली उसूल है। दूसरा उसूल क़ानूनी, शांतिपूर्ण कब्जे के सम्बन्ध में है। ख्वाह वह सब टिनेंट हो, या टिनेंट इन चीफ हो या मारगेजी हो या ठेकेदार हो या जिस किसी तरह का भी काश्तकार हो अगर उसका लाफुल पोजेशन है तो वह रहेगा।

अगर मेरे मित्र जो सामने बैठे हैं उनके पास सौ या दो सौ एकड़ या एक हजार एकड़ का फार्म है तो वह उनके पास रहेगा। पहली बात तो यह है कि जब आलोचक यह कहते हैं कि इतने बड़े फार्म्स, इन सबको रहने दोगे तो कितने बड़े फार्म्स हैं ? जमींदार अबालिशन कमेटी की

रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ९ हजार जमींदारों के पास ५० एकड़ से बड़े फार्म हैं लेकिन जिस हद तक वह काश्तकार है उस हद तक हम उसको नहीं छू रहे हैं और जो जमींदार हैं वह उस हद तक जड़ से जा रहा है। उसमें कोई भी रियायत नहीं है जरा सी भी और आगे के लिये भी जमींदार न पैदा हों इसके लिये भी यह कर दिया गया है कि भूमिधर सबलेटिंग नहीं कर सकते सिवाय उन विशेष सूरतों के, कौन सी सूरतें? वह सूरतें हैं नाकाबिलियत काश्त की। जैसे नाबालिगियत, विधवापन, अपाहज या पागल होने के कारण या अपने देश के हित के लिये तलवार लेकर लड़ने में जाने की वजह से हो, या किसी जुर्म की वजह से उसे सजा हो जाय और जेल में चला जाय। ऐसी सब सूरतों में उसे अपनी जमीन काश्त पर उठाने की इजाज़त हो। यह और रहन दखली दोनों किस्म के इन्तकाल को हमने खिलाफ-क़ानून कर दिया और ताकि वह धोखा देने की कोशिश न करे इसलिये हमने ज़ब्ती की सज़ा रखी है। तो मौजूदा जमींदार खत्म हुये और आगे के लिये जमींदार पैदा नहीं हो सकता। फिर कैसे कहा जाता है कि जमींदारी कायम रखी जा रही है। मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि ऐसा कहने वाले ईमानदारी से नुक्ताचीनी नहीं करते। क्या वह कह सकते हैं कि जमींदारी कायम हो रही है। अभी ९ तारीख को नेशनल हेराल्ड में सोशलिस्ट पार्टी का एक बयान निकला था कि जमीन नान कल्टीवेटिंग क्लास अर्थात् ग़ैर-किसान के हाथ में आ जायगी। नान कल्टीवेटिंग क्लास के पास कैसे चली जायगी? जो बड़े बड़े सेठ थे वह पैसा बड़े बड़े सूद पर देकर जमीन नीलाम करा लेते थे और इस तरह से शहरों में रहने वाला जो साहूकार था वह नीलाम करा कर जमींदार हो जाता था लेकिन खेती नहीं करता था। उसके हाथ में जमीन आगे आ नहीं सकती है क्योंकि वह जमीन नीलाम तो करा सकता है लेकिन स्वयं खरीद नहीं सकता क्योंकि जानता है कि या तो गाँवों में जाकर काश्त करनी पड़ेगी या फिर उसको बेचना होगा। इस तरह से जमीन उसके हाथ में नहीं आ सकती। पट्टा कर नहीं सकता, और काश्त करने के लिये तैयार नहीं है तो जमीन उसके पास रह नहीं सकती। गवर्नमेंट का एक विचार यह हो रहा है कि प्राइवेट मनीलेंडिंग अर्थात् निजी लेन देन बन्दकर दी जाय और सहकारी सोसायटियों के जरिये मनीलेंडिंग हो। खैर, अगर प्राइवेट मनीलेंडिंग भी जारी रहे तो प्राइवेट मनीलेंडिंग क्लास या कोई ऐसा क्लास लैंडलार्ड या ज़मीन्दार नहीं हो सकता क्योंकि खरीद तो सकता है लेकिन पट्टे पर ज़मीन उठा नहीं सकता। फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि नान कल्टीवेटिंग क्लास या ग़ैर-किसान के हाथ में लैंड एकट्ठा हो जायगी। इसके अतिरिक्त एक बात और कही जाती है कि खेती के अतिरिक्त जमीन दूसरे कामों में, जिनमें कोई पैदावार नहीं होती, इस्तेमाल होने लगेगी और इस प्रकार देश को हानि होगी। ठीक है भूमिधर खेती के अलावा दूसरे कामों के लिये जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे काम क्या हैं? कारखाने लगा सकता है, किराये के लिये मकान बनवा सकता है, कंकड़ की खान खोद सकता है। कौन ऐसा पागल निकलेगा जो हानिकर या लाभहीन कामों के लिये अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि जब किसी के पास इससे बेहतर प्रोग्राम न हो तो वह बेचारा क्या करेगा, गालियां देगा और बेजा आलोचना करेगा। विपक्षियों को जब इस बिल में कोई एतराज़ मिला नहीं तो उन्होंने इसको नान प्रोडेक्टिव चेनाल ज़मीन के चले जाने की बात कही। यह भी कहा गया है कि हम चतुर्वर्ण

[श्री चरण सिंह]
कायम करने जा रहे हैं। मैं उस लहजे में तो अपनी बात नहीं कह सकता जिस लहजे में राजाराम जी शास्त्री ने अपनी बातें कही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि चतुर्वर्ण कैसे क़ायम हो रहा है ? जहां तक अधिवासी का प्रश्न है वह तो ५ साल के बाद नहीं रहेगा। और जहां तक सीरदार की बात है या गवर्नमेंट को यह आशा है और हममें से हर एक को यह विश्वास है कि इस कानून के पास होने के तीन महीने के अन्दर यू० पी० में कोई सीरदार नहीं रहेगा। सब भूमिधर हो जायंगे। क्योंकि किसान समझता है कि मिल्कियत के हक़ के क्या माने हैं। लिहाजा सीरदार कोई नहीं रहेगा और अधिवासी जो वैसे ही अस्थायी होंगे या तो बेदखल हो जायंगे या सब भूमिधर हो जायंगे। और जो भूमिधर स्वयं काश्त करने के असमर्थ होंगे वही जमीन दूसरे को दे सकेंगे और ऐसी जमीन लेने वाले आसामी कहलायेंगे जिनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी।

अब लाभहीन जोतों का सवाल आता है। इनके दो इलाज बताये गये। एक तो यह कि अभी कानपुर जिले के किसी गाँव में दो महीने हुए जब हमारा बिल प्रकाशित हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी की एक कान्फ्रेंस हुई। उसमें आचार्य नरेन्द्रदेव साहब भी तशरीफ ले गये थे। तो उन्होंने वहां पर कहा कि प्रान्त भर की ज़मीन किसानों में बराबर तक़सीम होनी चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि रोशनज़मां साहब ने ४१ लाख किसानों के परिवार यहां पर बतलाये। लेकिन वास्तव में हमारे यहां ७५ लाख किसानों के परिवार हैं। ४१ लाख के हिसाब से तो कुल २ करोड़ की आबादी ही आती है। क्या हमारे यहां सूबे में ६ करोड़ में से २ करोड़ ही यानी ३३ फी सदी ही खेती करने वालों की संख्या है। मैं आपकी तवज्जह ज़मींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के पेज १४ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें सन् १९३१ ई० की जन-गणना की ओर संकेत करके लिखा है—

"At this census 53.2 per cent of male and famale earners (excluding market gardeners and growers of special crops), in British territory only, returned actual cultivation as the principal source of income. A further 3.8 per cent returned actual cultivation as their subsidiary source of income to some other principal occupation. This means that 57 per cent of the total population is dependent on the income derived from actual cultivation of holdings. This involves 5,781,000 families.

(इस जन-गणना में केवल ब्रिटिश राज्य के पुरुष और स्त्री उपार्जकों में से (उपज के विक्रयार्थ उद्यान लगानेवालों को और विशेष फस्लें बोने वालों को छोड़ कर) ५३.२ प्रतिशत थे। अपनी आय का प्रधान साधन खेती को ही लिखाया। इससे अलग ३.८ प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनका प्रधान व्यवसाय कुछ और था लेकिन खेती भी आय का सहायक साधन था। इसका अर्थ यह है कि कुल आबादी का ५७ प्रतिशत भाग जोतों की खेती से होने वाली आय पर आश्रित है। इसमें ५,७८१,००० परिवार सम्मिलित हैं।)

यह १९३१ के जन-गणना की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है। तब से अगर आप हिसाब लगायें तो १०० के पीछे आज जन संख्या १२९ हो गई है। इस हिसाब से किसानों के आज ७५ लाख परिवार से कम नहीं हो सकते। तो ७५ लाख परिवार में फिर से बराबर-बराबर ज़मीन बांट

देना क्या मुमकिन है ? दूसरी बात यह कि उन्होंने हिसाब लगा कर यह बतला दिया कि ४१ लाख परिवार हैं और १.१३ लाख एकड़ मजरूआ रकबा है और १७,९८ लाख काबिल-काश्त बंजड़, तो साढ़े चार एकड़ की परिवार आया। ५ करोड़ जमीन और साढ़े चार से तकसीम कर दिया, ४१ लाख आया परन्तु ४१ लाख से तो किसान परिवार कहीं अधिक हैं। ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन मजरूआ जमीन आती है और १८ लाख एकड़ बंजड़ बनते हैं क्या वह सारी काबिल काश्त की जमीन है और यह भी फर्ज कर लिया कि हो सकती है और ३५ लाख परिवारों में बांटा और कुछ [illegible] २ बट भी दिया तो क्या सबके पास [illegible] जोत हो जायगी ? नहीं, हरगिज नहीं।

कहा जाता है कि आप अगर इतना नहीं कर सकते, तो जितने बड़े बड़े खाते हैं उनको तो जमींदारों से लेकर बांट दिया जाय। १ हजार जमींदारों के पास ही बड़े खाते हैं और उनके पास कुल १ लाख एकड़ जमीन है। ५० एकड़ जो जमींदार अगर छोड़ी गयी तो साढ़े चार लाख एकड़ तो उनके पास रहे, साढ़े चार उनसे ले ली। लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के लीडर श्री जहूरुल हसनैन लारी साहब ने फरमाया है कि २ लाख एकड़ जमीन फाजिल है और उसमें कम से कम [illegible] लाख किसानों को जमीन दी जा सकती है। २५ लाख एकड़ उनको कहां से मिल गयी ? जमींदारी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट की जिल्द २ में पेज ६ पर २५ एकड़ से बड़े रकबे के जितने खाते हैं वे १,१४,३५५ हैं जिनका क्षेत्रफल कुल ५३,१०,५३२ एकड़ है। २५ एकड़ से ज्यादा रकबे का खाता कोई २६ एकड़ का हो सकता है और कोई ५१ एकड़ का। इसमें किसान भी हैं और जमींदार भी। लेकिन अधिकतर ये खाते ५० एकड़ से छोटे मालूम होते हैं क्योंकि अगर इन एक लाख १४ हजार आदमियों को ५०-५० एकड़ देना चाहें तो ५७ लाख एकड़ रकबा पहुंचता है, जबकि यहां ५३ लाख ही है। चार लाख तो लारी साहब को देना चाहिये।

इस सिलसिले में एक बात यह भी है कि जमींदारी उन्मूलन का बड़े खातों के काटने और उनकी जमीन को बांटने से कोई वास्ता नहीं है। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन फर्ज कर लीजिये कि बांटना ही चाहें तो मैं अर्ज करूंगा कि जिन खातों को हम तोड़ेंगे, उनमें से ५० एकड़ का पहला टुकड़ा तो जमींदार के लिये अलग उसकी मरजी का निकालना होगा उसके बाद बाकी जमीन के बराबर बराबर हैसियत के टुकड़े करने होंगे। मान लो अढाई अढाई एकड़ के पन्द्रह टुकड़े हो गये। लेकिन मांगने वाले हर गांव में होंगे सौ। तो फिर किस को दिया जाय और किस को न दिया जाय ? नतीजा यह होगा कि हमारे कर्मचारी इसी काम में फंस जायंगे और इस काम की वजह से जिससे कोई समस्या भी हल नहीं होती जमींदारी अबालिशन का काम रुक जायेगा।

एक वर्ग है जिसके लिये बहुत जोर दिया गया है, वह वर्ग है भूमि-हीन लोगों का। मालूम होता है कि इन लोगों के लिये सारा दर्द हमारे सोशलिस्ट भाइयों के दिल में ही केन्द्रित हो गया है और हम कांग्रेस-जन गरीब आदमियों की भावनाओं से रहित हो चुके हैं। इसके लिये भविष्य-वाणी की गयी है कि खून खच्चर होगा। सोशलिस्ट पार्टी गरीब किसानों और भूमि-हीन लोगों को लेकर लड़ेगी और न मालूम क्या क्या करेगी।

हमारे लायक दोस्त ने कहा कि श्री अलगू राय शास्त्री ने वेदों और न मालूम कहां कहां

[श्री चरण सिंह]

का जिक्र कर डाला, जिसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि फिर रूस और चीन के कम्युनिज्म का जिक्र क्यों किया गया। सोशलिस्ट पार्टी वाले वेदों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं लेकिन कम्युनिज्म का जिक्र करना जरूरी समझते हैं। हर बात में मर्क्सिज्म का नाम लिया जाता है। पहली बात तो मैं यह पूछूंगा कि क्या चीन में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दे दी गयी है? रूस में हमारे यहां से ४० प्रतिशत आबादी है, जब कि हमारे यहां से साढ़े पांच गुना रकबा है। रूस में आबादी कम है और ज़मीन ज्यादा है। और हमारे यहां आबादी ज्यादा है और जमीन कम है। बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। जहां तक चीन का सवाल है वहां कम्युनिस्ट लैंडलेस लेबर को जब जमीन दे दें तब आप यह ताना दें। अगर हमारे यहां जमीन तकसीम की जाय तो ३-४ एकड़, या ४ एकड़ या साढ़े चार एकड़ जमीन हर एक किसान-परिवार को मिलती है और ७५ लाख परिवारों में १८-१९ लाख परिवार मजदूरों के और जोड़ दिये जायं और सबको बराबर-बराबर तकसीम कर दी जाय तो सबको काफी मिल जायगी और सब खुश हो जायंगे? इसका इलाज सोशलिस्टों के दिमाग में कुछ और है। लेकिन जिसको कहने से डरते हैं। एक समाचार में दो बार उसका जिक्र किया गया और एक आध साहब ने यहां भी उस तरफ इशारा किया। और वह है ज़बरदस्ती सहकारी खेती। मेरे दोस्त फूल सिंह ने यह कहा था कि जबर्दस्ती कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती। जबरदस्ती और सहयोग—इनमें परस्पर विरोध है। कोआपरेटिव फार्मिंग का मतलब यह है कि रजामन्दी से, सहयोग करके खेती की जाय। परन्तु इसके लिये तो हमारे बिल में गुंजाइश है। यही नहीं बल्कि इस किस्म के आलोचक और इस किस्म के लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्ण रज़ामन्दी के सिद्धांत को थोड़ा सा छोड़ भी दिया है। अगर दो-तिहाई छोटे काश्तकार सहकारी फार्म बनाना चाहते हैं तो हम एक-तिहाई को मजबूर करेंगे। यह हमने इस बिल में रख दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने साफ लिख दिया है कि हम उनको प्रोत्साहन देंगे। यानी टैक्स में कमी करेंगे और तकावी देंगे और भी बहुत सी बातें हैं जो इस बिल में दी गई हैं। एक बात तो यह हुई।

परन्तु चाहे भूमि-हीन लोग हों या लाभ-हीन जोतों वाले किसान, देखना तो यह है कि असल समस्या क्या है। वह यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। मान लीजिये कि सौ आदमी हैं उनके पास ढाई सौ एकड़ जमीन है तो अगर उनकी ज़मीन को इकट्ठा कर दें तो क्या वह लोगों को ज्यादा काम दे सकेगी। हर्गिज नहीं। बस बेकारी सब में बराबर बंट जायेगी। पहली बात यह है कि जहां तक ऐच्छिक आधार पर कोआपरेशन का ताल्लुक है वह तो हमने इस बिल में रख ही दिया है। लेकिन जहां तक मजबूरी का आधार है वहां मुझे यह अर्ज करना है कि किसान काम नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोग आपके मामूली कोआपरेटिव स्टोर्स नहीं चला सकते हैं। अपने देश का तजुर्बा है कि बी० ए० एम० ए० इकट्ठा हुए कि हम कोआपरेटिव स्टोर्स चला लेंगे। बेकार बनिये को पैसा क्यों दें। लेकिन साल भर भी नहीं चला सके। तो फिर गांव वालों से जो अनपढ़ हैं कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह इस काम को कर लेगा। किसानों पर जबरदस्ती सामूहिक खेती लादने से उनका मन मारा जायगा। इसके अलावा और भी जो नुकसानात होंगे उनका मैं यहां जिक्र करना नहीं चाहता हूं।

मैं जहां तक सहकारी खेती का सम्बन्ध है इस बात के हक में हूं कि वह ऐच्छिक आधार पर हो। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह चाहते हैं कि पूरा कम्पल्शन (compulsion) रखा जाये और उन किसानों पर यह जबरदस्ती लाद दिया जाये। तो यह चीज़ नामुमकिन है। वह कभी चल नहीं सकती है। हमारे देश में भूमि हीन लोगों की समस्या का एक ही इलाज है और वह यह है कि गांव गांव में बिजली हो जाये और उनके जरिये छोटे पैमाने पर नये नये उद्योग-धंधे चलाये जायं। उद्योग-धन्धों में वैसे भी खेती से चौगुनी आमदनी होती है। यदि देश को मालदार बनाना है तो इसका उद्योगी-करण चाहिये। और जिनके पास आज लाभ-हीन खेत हैं उनसे भी ज़मीन छुड़ाकर उनको दूसरे रोज़गारों में लगाना होगा, न कि भूमि हीन और अन्य सब लोगों में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े बांट दिये जायं और सब को खेती से बांधकर देश को और गरीब बना दिया जाय।

कल मेरे एक मित्र ने कहा था कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए ही आप लैंडलेस लेबरर को ज़मीन दे रहे हैं ताकि वह फैक्टरियों में काम करें लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि हम तो जिन सूरतों में बड़े उद्योग अनिवार्य हैं उन सूरतों को छोड़कर बाकी सब में छोटे पैमाने के रोज़गारों पर ही जोर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गावों से हटकर लाखों और करोड़ों आदमी शहर में आवें। बल्कि हम चाहते हैं कि उन सब को वहीं गांव में रोज़गार मिले। अमेरिका में केवल २० फी सदी, इंग्लैंड में ९ फी सदी और फ्रान्स में २८ फी सदी खेती में लगे हुए हैं। इन और दूसरे उन्नतशील देशों में गत ७०-८० वर्षों में खेती करने वालों की तादाद घटती चली गयी है और दूसरा रोज़गार करने वालों की संख्या बढ़ती गई है। इस कारण वह देश मालदार होते चले गये हैं। यहां भी आज जहां फैक्टरियां हैं वहां कोई भी मजदूर खेतों में काम करने के मुकाबले में कारखानों में काम करना अच्छा समझता है। मेरठ जिले में मोदी फैक्टरी है और वहां मजदूर खेतों पर काम करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि शुगर फैक्टरी में उस को ५५ रुपया मिल जाता है। सब जगह मजदूर इण्डस्ट्रीयल लेबर के बमुकाबले एग्रीकल्चरल लेबर को पसन्द करता है क्योंकि वहां अधिक आमदनी होती है। आज बहुत से देश ऐसे हैं कि जो अपने देश की जरूरत के मुताबिक भी गल्ला पैदा नहीं करते और कतई तौर पर उद्योग धंधों में लगे हुए हैं और वहां के राजनीतिज्ञों ने अब "बैक टू लैंड" अर्थात् फिर कृषि की ओर पर जोर दिया है और लोगों को खेती की आमदनी से टैक्स हटाकर उधर रागिब किया है। लेकिन हमारे बदकिस्मत देश में उल्टा हुआ कि जितने लोग सन् १८८० में इंडस्ट्रीयल एम्पलायमेंट में लगे हुए थे सन् ३१ में उनकी तादाद और कम रह गई बजाय इसके कि बढ़ती। सन् १९३१ की जन-गणना की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में ९.७ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में लगे हुए थे, जब कि सन् १८८० के अकाल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस समय १२-३ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं।

रायल एग्रीकल्चर कमीशन के अनुसार खेती पर एम्पलायमेंट सन् १८७१ में ५३ प्रतिशत और सन् १९२८ में वह बढ़कर ७१ प्रतिशत हो गयी। इस तरह से दूसरे देशों में उद्योग-धन्धे बढ़े और खेती घटी। लेकिन हमारे यहां ठीक उल्टा हुआ। लिहाजा देश इस कदर खराब और खराबतर होती चली गयी। हमारी समस्या है कि लोगों को उद्योग-धन्धों में कैसे लगाया जाय।

[श्री चरण सिंह]

परन्तु इस बिल के आलोचक देश-हित को ध्यान में न रखकर उल्टा ही मशवरा दे रहे हैं। यह भी कहा गया है कि इस बिल से पैदावार नहीं बढ़ेगी और गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिये मोटी सी बात है पैदावार बढ़ाना चाहिये और पैदावार बढ़ाने के दो स्थान हैं अर्थात् खेत व कारखाने। खेत के लिये पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है और बीज की जरूरत है। यहां तीनों चीजें इस बिल में नहीं रखी जा सकतीं यानी पानी, खाद और हाइड्रो-एलेक्ट्रिक जिससे ट्यूबवेल लगाये जाएं। जहां यह पैदावार बढ़ाने का सवाल आता है वहां हमें किसान की मनोवृत्ति को भी देखना है। किसान अपनी जमीन का मालिक होगा। दुनिया भर के आंकड़ों मे पता चलेगा कि मजदूरों के और शिकमी काश्तकारों के मुकाबिले में वह किसान जो अपने खेत का मालिक होता है ज्यादा मेहनत करता है। जमीन के अपनेपन की भावना हम किसान को दे रहे हैं। अपनी जमीन समझ कर वह खूब मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी चीज है इंसेण्टिव। इस बिल के द्वारा हम किसान के अन्दर वह भावना पैदा कर देंगे कि जिससे वह अपने खेत में अधिक मेहनत करेगा। इससे ज्यादा हम इस बिल में और कुछ नहीं कर सकते। अब मै ज्यादा समय न लेकर अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं। बस एक दो बातों का और जिक्र करके मैं बैठ जाऊंगा। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब ने कहा कि इतने लम्बे चौड़े बिल की क्या जरूरत थी। एक छोटा सा बिल ले आया जाता जिससे काश्तकारों को यह इजाजत दी जाती कि दस गुना लगान खजाने में जमींदार के नाम दाखिल कर दो और अपने खेत के मालिक हो जाओ। यह झझट करने की क्या जरूरत थी। सन् ३७ में यह आफर करते तो उसका स्वागत होता लेकिन वह वक्त निकल गया। अब बिल आने के बाद आपने बड़ी मासूमियत के साथ कह दिया कि छोटा सा बिल ले आइये, इस बिल की क्या जरूरत थी। आपके सुझाव का नतीजा यह होगा कि बड़े जमींदारों को ज्यादा मुआविजा मिल जायेगा क्योंकि ज्यादा जमीन उनके पास होगी लेकिन छोटे जमींदार जिनको मुनाफ़े का २८ गुना दिया जा रहा है वह इससे घाटे में आ जायेंगे। दूसरी हानि यह होगी कि गांव समाज को कोई जमीन नहीं मिलेगी। तीसरा जो बड़ा नुक्स है वह यह कि जो वक्फ व धर्मार्थ संस्था को है उनकी आमदनी कम हो जायेगी। हम तो उनकी मौजूदा आय की गारण्टी करते हैं, राज्य की तरफ से।

मेरी तुच्छ राय में इससे बेहतर तजवीज़ जमींदारों के लिये और कोई नहीं हो सकती। यह जो हमसे कहा जाता है कि सामाजिक विद्रोह होगा, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि १९४७ के बाद अगर कोई अहिंसात्मक रेव्युल्यूशन हो रहा है तो यह है। इससे बड़ी क्रान्ति यू० पी० में हमारी जिन्दगी में नहीं हो सकती, रूस की मिसाल दी जाती है। रूस में सन् १९१६ के दिसम्बर में केवल १०.७ फीसदी किसान अपनी जमीन के मालिक थे। इसलिये वहां रेव्युल्यूशन हुआ। दूसरा कारण जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, यह था कि राजसत्ता जनता के हाथ में नहीं थी। यहां तो खूनी क्रान्ति का कोई सवाल ही नहीं है। जमींदार लोग अपने कार्यों से हिंसा को नियन्त्रण दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम उनकी रक्षा करेंगे। हम देश के अन्दर हिंसा नहीं होने देंगे। अब सोशलिस्ट भाई जो कहते हैं उस पर मैं आता हूं। मुझे ताज्जुब होता है कि इख्तिलाफ राय कितनी ही हो, लेकिन अगर मामूली सी इख्तिलाफ राय पर नियत पर हमला

किया जा रहा है [illegible] देश के जनतन्त्र का भविष्य अंधकारमय है [illegible] कहना कि इस बिल देश के [illegible] के लड़ाई के लिये नहीं लाया जा रहा है, बल्कि राजनैतिक लड़ाई की तरह से, पूंजीवाद को बढ़ाने के लिये लाया जा रहा है। क्योंकि हम छोटे लोगों को बड़ा बनाते हैं, ठीक नहीं है। अपने [illegible] की कमी की पूर्ति [illegible] नहीं कर सकते और [illegible] कोई चीज [illegible], जनतन्त्र का भविष्य [illegible] है। और उसका [illegible]। [illegible] में विश्वास नहीं रखता, न [illegible] में, न [illegible] में, न [illegible] में। जो हमारा उद्देश्य था वह यह है, [illegible] और मैं फिर कहता हूं कि भूमि [illegible]; वह पहली चीज है। दूसरी यह कि [illegible] यह कि [illegible] का सर्वोत्तम [illegible]। इससे भी [illegible] चीज जो कि आज भी देश की अवस्था है, वह यह कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। चौथी चीज यह कि इच्छाओं का समन्वय हो [illegible] समाज के अधिकार और व्यक्ति के [illegible] मित्र देखेंगे कि इन सब उद्देश्यों की पूर्ति इस बिल से होती है। आज इस बिल द्वारा काश्तकारों को और भूमि-हीन व्यक्ति को भी एक अधिकार दिया जा रहा है जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और अपने गांव के शासन में उसका का हिस्सा होगा। किसान अपने हाथ से मेहनत करेगा, परन्तु अपनी भूमि का स्वामी होगा। मैं ऐसे किसानों का स्वागत करता हूं और सब लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि हम सब लोग एक तरीके से हिस्सेदार हैं इस किस्म के कानून बनाने के। अन्त में मैं माननीय प्रीमियर साहब द्वारा पेश की गई तजवीज की ताईद करता हूं।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर बहस का आज चौथा दिन है। मेरे लायक़ दोस्त चौधरी चरण सिंह साहब ने एक वाजह और साफ़ तक़रीर इस बिल के मुताल्लिक की है और उससे उन्होंने बहुत से शुबहात को रफ़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ और जो बाक़ी रह जाते हैं, उनको मैं इस ऐवान के सामने बयान करना जरूरी समझता हूं। अब हमारे सामने मसला यह है कि आया यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय या इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। एक तरफ से यह तजवीज़ पेश हुई है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। मेरा ख्याल है कि पब्लिक ओपीनियन तो इस मसले के मुताल्लिक इतनी छन कर साफ हो चुकी है कि अब कोई मजीद चीज़ रोशनी में आने की उम्मीद नहीं है और न आयेगी। इसलिये मैं इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने की मुखालिफत करता हूं और मैं समझता हूं कि अब भी काफी देर हो गई है। चाहे हमारे कांग्रेस दोस्त उस देरी को किसी बिना पर समझते हों, लेकिन यह जरूर है कि तीन साल का अर्सा हुए रिजोल्यूशन को पास हुए हो गया जो कि ८ अगस्त सन् ४६ को पेश हुआ था और आज जुलाई सन् ४९ है। तीन साल के बाद यह बिल आया है लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर आसानी से भी चाहा जाता तो इससे पहले आ सकता था। बहरहाल सोया हुआ अब भी जाग गया तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाउस ने तो यह तजवीज पास कर दी थी कि जमींदारों वगैरा और इंटरमिडियरीज़ के अख्तियारात को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाय। चौधरी चरण सिंह साहब ने यह फरमाया कि हमारा मक़सद

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

सिर्फ जमींदारी को खत्म करने का था। मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूं। जमींदारी खत्म करने के साथ साथ दूसरा निज़ाम लाना भी लाजिमी है। हम देखते हैं कि इस बिल के दो असरात हैं। एक तो यह कि जमींदार अब खत्म किये जा रहे हैं। बहरहाल जमींदार भी इसी मुल्क के रहने वाले इ इसी कौम के हिस्से हैं। उनके अख्तियारात क्या थे, वे किस तरीके से खत्म किये गये हैं और उनके असरात मुल्क व सोसाइटी पर किस हद तक पड़ेंगे यह देखना लाजिमी है। दूसरी बात जो देखने की है वह यह है कि गांव के किसानों की बाहरी तरक्की और मुल्क की पैदावार बढ़ाने का हमारा जो मक़सद है वह इस नये निज़ाम में कहां तक पूरा होता है। सबसे पहले जमींदारी के निज़ाम को खत्म करने में यह मसला तो बिल्कुल खारिजअज़ बहस है कि जमींदार किस तरह से आये क्योंकि यह मसला तो उस दफ़ा बिल्कुल तय हो चुका था। सवाल तो यह है कि जमींदार इस वक्त मौजूद हैं और मुल्क की सियासी हालत को देखते हुए हमें इस बात की ज़रूरत है कि इससे बेहतर निज़ाम जमीन के मुताल्लिक़ हम लायें। यह तभी हो सकता है जब कि हम इस निज़ाम को खत्म कर दें। लेकिन हमारे दोस्त चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा है कि जो निज़ाम इसके बदले में आवेगा उसका इस वक्त बतलाना मुमकिन नहीं है। आप एक इमारत को ढायेंगे तो इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कोई दूसरी इमारत का नक्शा उसकी जगह तैयार करें। यह नक्शा जो तैयार किया गया है पूरे तरीके से उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता। यही मेरा एतराज़ है।

मेरे ख्याल में जमींदारों के साथ सबसे पहली चीज़ जो है वह यह है कि उनको मुआविज़ा दिया जा रहा है मुआविजे के लिये इस वक्त क़ानून में है कि यह जरूर दिया जाय। लिहाजा यह भी कहना कि मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय यह भी यक़ीनी है कि आप बगैर मुआविजा दिये ले ही नहीं सकते। लिहाज़ा मुआविजा देना तो कानूनन जरूरी है और वह मुआविज़ा मुनासिब होना चाहिये। वह मुनासिब मुआविज़ा क्या होगा इसको तय करने के लिये बहुत सी रायें हो सकती हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि २० गुना और २५ गुना हो, दूसरी तरफ तजवीज में ८ गुना लिखा है। मेरे ख्याल में मुनासिब न तो २० गुना है न २५ गुना है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह ८ गुना भी कम है। अगर जमींदार इस पर यह शिकायत करते हैं कि ८ गुना मुआविज़ा कम दिया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं है, जैसा कि कानून ने हमें हक़ दिया है कि हम मुनासिब मुआवज़ा पायें तो यह कहना ठीक है। इसलिये मैं यह ख्याल करता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी स्टेज में इसमें ८ गुना की जगह १० गुना कर दिया जाय तो बेजा न होगा और यह क़ानूनी लिहाज़ से भी ठीक होगा। क्योंकि कानून जो कुछ है उसका भी मतलब किसी तरह से पूरा करना जरूरी है।

एक सबसे बड़ा नुक्स जो हम देखते हैं वह यह है कि उस वक्त भी यह वादा किया गया था और बार बार यह कहा गया है कि कर्ज़ का सवाल जो जमींदारी के साथ इस तरह बंधा हुआ है कि उसके लिये यह कह देना कि हम इसके लिये एक नया कानून लायेंगे यह किसी तरह तशफ्फीबख्श नहीं है। जहां यह कानून बना था वहां कर्ज के मुताल्लिक़ भी कानून बनना जरूरी था ताकि जमींदार के सामने एक सही तस्वीर आ जाय और उसको यह यह अहसास हो जाय कि इतना मुझे मुआविजा मिलेगा और इतना कर्ज है वह कम हो जायेगा, लिहाजा मुझे इतना

मिलेगा। ऐसे करने में आपने इस चीज को छोड़ दिया है कि यह नहीं कहा जा सकता कि बाद में उसे आप पूरा करेंगे या नहीं या कब करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि यह सबसे बड़ी कमी इस बिल में है जो गवर्नमेंट ने कर रखी है। और यह इसलिये कर रखी है कि आइन्दा के लिए इस चीज को बिल्कुल अपने हाथ में रखा जाय और जैसा मौका हो उसके मुताबिक काम किया जाय। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और जल्द से जल्द कोई मस्विदा कर्जे के मुताल्लिक लायेगा क्योंकि वह भी ऐसा ही जरूरी है जैसा कि यह मस्विदा खुद।

दूसरा जो सबसे बड़ा नुक्स है वह यह है कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने भी बड़े बड़े कानून बना कर मुकदमेबाजी का दरवाजा खोल दिया था और रिश्वतसतानी का बाजार गर्म कर दिया था। लेकिन जब हमें आजादी मिल गई और मुल्क आजाद हो गया तो न मुकदमेबाजी कम हुई और न रिश्वतसतानी कम हुई है। मेरे दोस्त इससे इन्कार न करेंगे कि इस भवन में एक मर्तबा हमारे लायक वजीर आजम साहब ने खड़े होकर कहा कि ७० फीसदी रिश्वतसतानी कम हो गई है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर इसका शुमार किया जाय तो मैं यह कहूंगा कि रिश्वत ७० फीसदी नहीं बल्कि १०० फीसदी बढ़ गई है। यह एक जरिया और रिश्वतसतानी का होगा। हमें यह मालूम है कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया गया तो उसमें क्या हो रहा है। हमें यह भी मालूम है कि प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है। यह बात तो आप को और साफ रखना चाहिये थी कि जो मुआवजा आप देंगे वह मुआविजा मिलनेवाले को बगर रिश्वत के और बगैर किसी दिक्कत के मिल जायेगा ताकि यह न हो कि ५ फीसदी उसके पास रिश्वत में जा रहा है और दस फीसदी उसके पास रिश्वत में जा रहा है। इससे होगा यह कि जो अपने मोरेल को नीचा कर लेगा और रिश्वत देगा वह तो फायदा उठा लेगा लेकिन जो रिश्वत नहीं देगा वह किसी घर का नहीं रहेगा। इससे मुकदमेबाजी इतनी लम्बी होगी कि शायद वर्षों मुकदमेबाजियां खत्म नहीं होंगी। जब मुकदमेबाजी का यह आलम है कि मामूली माल के मुकदमे में एक एक साल की मुद्दत की तारीख पड़ती है तो पता नहीं को लोगों को मामला तै कराने में कितने दिन लगें। अगर कहीं यह कर दिया गया कि जो कम्पेन्सेशन की लिस्ट तैयार होगी वह सन् ५१ में मुकम्मल होगी तो तातो बमन मीरसी मन बखुदा मीरसम, "(जब तक तुम मुझ तक पहुंचोगे मैं अल्ला मियां के यहां पहुंच जाऊंगा), इस दरमियान में आपकी दफा ६ नाफिज हो ही जायेगी। ऐसी हालत में फिर जमींदार क्या करेगा, उसे आपने प्रोवाइड किया है कि कुछ इन्ट्रीम सब्सीडी मिल सकती है यानी इस दरमियान में जमींदार पहले दरख्वास्त दें, कुछ रिश्वत दे और किसी कांग्रेसी नेता की सिफारिश लाये तब जाकर उसका काम बनेगा। इस तरह से जो क्लर्क हो उसको भी वह कुछ दे तब कहीं ९ महीने में उसको कुछ मिलेगा। यह तो एक अजीब मजाक है। आप फरमाते हैं कि हमें जमींदारी खत्म करना जरूरी है। वैसे तो जमींदारी ८ अगस्त सन् १९४६ को ही खत्म हो चुकी है, सवाल यह है कि जमींदारी खत्म करने में आप जमींदारों को परेशान या मफलूस क्यों कर रहे हैं। इस की जगह कोई निजाम सही ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं! छोटे २ जमींदारों के बारे में मैं कहता हूं, कि बड़े २ जमींदारों के मुन्शी और कारिन्दे तो जाकर रिश्वतें भी दे सकते हैं और मुकदमा-बाजी भी कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे जमींदार हैं जिनका आपके दिल में इस कदर दर्द है वह क्या करेंगे! जिस की पांच रुपया, दस रुपया की मालगुजारी होगी उसको अगर मुकदमाबाजी

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

करना पड़ा तो उसको जो मुआविजा मिलेगा वह उसी में खत्म हो जायगा। उसको उम्मीद तो होगी कि कुछ मिलेगा। लेकिन जब वह अपना बही खाता देखेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इस चीज को जितना आप आसान कर सकते हैं उतना आसान कीजिये। जितनी दिक्कतें आप कम कर सकते हैं आप कम कीजिये। अच्छी सोसाइटी की सबसे बड़ी जो रोशन दलील होती है वह यह है कि इन्सान दुश्वारियों को मिटाता है और आसानियों को पैदा करता है। लेकिन आप तो आसानियों को मिटा रहे हैं और दुश्वारियों को पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यह एक बड़ा नुक्स और एक बड़ी खामी इस बिल में है जिसका दूर होना लाजिमी और ज़रूरी है वरना मैं कहूंगा कि इसके यह माने हैं कि अपने क्लर्कों, अम्मालों और वकीलों के लिये एक बड़ी खूराक का सामान आप बहम पहुंचा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं इसके मुताल्लिक यह कहूंगा और यह अर्ज करना जरूरी है कि जिस सूरत से यह पेश किया गया है इस तरह से सेलेक्ट कमेटी स्टेज में इसके कम्पेन्सेशन के तरीके में तबदीली की जरूरत है और इसके तरीके को सादा और मुख्तसिर किया जाय। यह ऐसा कानून है जिसमें ३१० दफात हैं। मेरे ख्याल में सरकार ने पिछले कानून जो पास किये हैं जैसे टेनेन्सी ऐक्ट पिछली असेम्बली में आया था। मुन्शी की तारीफ पढ़े लिखे यह किया करते हैं (मुमकिन है कि चौधरी चरण सिंह साहब को मालूम हो चूंकि वह मकतब में पढ़े हैं) कि जो थोड़े अल्फाज में ज्यादा मतलब अदा कर दे, वह मुंशी है। इस कानून की दफात को हिफ्ज करना मेरी जैसी उम्र के आदमी के लिये नामुमकिन है। दूसरी बात यह अर्ज करनी थी कि सरकार ने यह वादा किया था कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स इसमें मुजरा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी असलियत है। मैंने सुना है चौधरी चरण सिंह साहब ने अभी फरमाया था कि काश्तकारों के पास रुपया है, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है। अगर मैं सही सुन सकता हूं तो उन्होंने कहा यह था कि मिडिल क्लास के पास बचत नहीं है। मुझे उम्मीद है अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वह तशरीह कर देंगे। मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास जमींदार पर होता है। यह बात मैं साबित करूंगा। जो २५ रुपये का मालगुजार है जाहिर है कि उसका जरिएमाश सिर्फ जमींदारी नहीं हो सकता इसलिये कि २५ रुपये मालगुजारी देने के यह माने हैं कि उसका मुनाफा जमींदारी से ज्यादा से ज्यादा ३० रुपया हो सकता है। ३० रुपये सालाना के हिसाब से २½ रुपया होता है। दुनिया का कोई भी अक्ल और अक्लमन्द इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा कि कोई इन्सान ढाई रुपया महीने पर रह सकता है। वह कुछ और काम भी जरूर करता है। और तभी वह अपनी गुजर कर सकता है। उसको २० गुना मुआविजा दिया जा रहा है। जरूर दिया जाय। खुदा आप के हाथ को वसी करे। इससे भी ज्यादा दीजिये अगर इस बिना पर दिया जाय कि वह गरीब है। लेकिन चूंकि वह उजड़ गया इसलिये बहाली का मुस्तहिक है यह बिल्कुल गलत है। हरगिज नहीं उजड़ा। अगर मेरी आमदनी का चार या पांच फी सदी हिस्सा कम हो जाता है तो मैं उजड़ता नहीं। मैं उस वक्त उजड़ता हूं जब मेरी आमदनी का बेशतर हिस्सा ले लिया जाय। बेशक मैं उजड़ता हूं। जब उजड़ता नहीं तो किसी बहाली की मदद का मुस्तहिक नहीं हूं। मेरी यह दलील २५ रुपये से कम मालगुजारी देने वालों पर लागू होती है और उनकी तादाद

१० लाख है और यह सब ? करोड़ से ज्यादा मालगुज़ारी देते हैं। इस तरह से उनकी बहाली का रकम ७० करोड़ से ऊपर होगा। इतनी बड़ी रकम इस वक्त पर खर्च करना ज़रूरी है या नहीं, इस पर गौर करना चाहिये।

अगर किसी का सालाना एक लाख रुपये के मुनाफे का बन्दोबस्त बढ़ता रहा और उसको दो हज़ार रुपये की ज़मींदारी की आमदनी का नुकसान हुआ तो उनको बहाली का कोई हक हासिल नहीं है। इसलिये कि दरअसल उनके दो हज़ार के मुनाफे के कम हो जाने की वजह से वह उजड़ नहीं जाता। तो लाख के मुनाफे वाले काश्तकार को बहाली देने की क्या ज़रूरत है? बहाली की नियत तो यह होनी चाहिये थी और बहाली सिर्फ उन्हीं को देनी चाहिये थी जिनकी गुज़ारे ज़िन्दगी सिर्फ ज़मींदारी की आमदनी के ऊपर ही है, और जो किसी दूसरी चीज़ से अपनी आमदनी को पूरा नहीं कर सकता हो। यह कह देना बहुत आसान है कि कोई वकील और उसकी आमदनी साल में २० हज़ार की है और वह एक हज़ार का मालगुज़ार भी है तो उसको भी रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देने की ज़रूरत है। मुआविज़ा तो इन्साफन हर शख्स को देना ज़रूरी है और ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मुआविज़ा देना चाहिये लेकिन जहां तक रिहैबिलि-टेशन ग्रान्ट देने की ज़रूरत है, अगर यह कहा जाय कि अपने लोगों को बढ़ाने के लिये उनका नाम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट रखा है तो कोई मुनासिब न होगा। इससे हमारा मतलब कुछ और ही है। हो सकता है कि कई किस्म मिस्टेक की वजह से इनको बहाली में रख दिया गया है तो मेरे ख्याल में बहाली की ग्रान्ट के लिये इस चीज़ को जांचने की ज्यादा ज़रूरत थी कि वह शख्स किस हद तक अपनी आमदनी से हमेशा के लिए महरूम कर दिया गया है और वह किस हद तक उजड़ गया है। आपकी यह बहाली ग्रान्ट तो सर पदमपत सिंहानिया को भी मिलेगी और जो ज़मींदार २५ या ५० रुपये का मालगुज़ार होगा उसको भी मिलेगी। इन्साफ की बात तो यह थी कि जो शख्स महज़ ज़मींदारी की आमदनी पर ही अपनी मआश का इनहिसार रखता था और उनकी आमदनी आप ले रहे हैं तो उसको बहाली देने की ज़रूरत थी। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि यह अजीब हिसाब दानी है। मैं कुछ हिसाब का माहिर तो नहीं हूं लेकिन चौधरी चरण सिंह ज़रूर उसके माहिर हैं। यह अजीब हिसाब है कि जो २५ रुपये का मालगुज़ार है उनको तो २० गुना बहाली मिले। मैं थोड़ी देर के लिये फर्ज़ कर लूं कि एक २५ रुपये का मालगुज़ार है और उसको मारा अखराजात वगैरह काट कर जिसको २५ रुपया बचता है तो उसको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट ५०० मिलेगा यानी बीस गुना और अगर एक आदमी २६ रुपये की आमदनी वाला है तो उसे ४४२ रुपये मिलेगा यानी १७ गुना।

श्री चरण सिंह—५०० रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगा।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—आपने एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में एक दफा रखी है, शायद इस वक्त अब समझा गया हो कि यह गलत लिखा गया था तो उसको ठीक कर दिया गया हो। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी हालत में पिछले से कम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर आप इसको सही फरमायेंगे। जिस वक्त चौधरी चरण सिंह लगान वगैरह का फीगर्स दे रहे थे तो इन पर्दों के लगने की वजह से ठीक से मैं उनको सुन व समझ नहीं सका। यहां से अच्छा तो लाबी में ही सुनाई देता है। जो फीगर्स उन्होंने दिया उनको मैं ठीक से समझ नहीं सका हूं लेकिन अपने आप जो फीगर्स मैंने इकट्ठे किये हैं उनको बिना पर मैं कहता हूं कि

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

इस वक्त १७ करोड़ के करीब लगान काश्तकार दे रहे हैं। तो अगर आपके ख्वाब की ताबीर पूरी होती है, जिसके मुताल्लिक में आगे अर्ज करूंगा तो इसका माने यह हुआ कि दस गुना के हिसाब से १७० करोड़ रुपया गवर्नमेंट के खजाने में आ सकता है। आपने मुआविजे का अन्दाजा किया है कि वह १४० करोड़ है। तो इसके माने यह है, मैं चौधरी चरण सिंह साहब को नहीं कह सकता क्योंकि वह भी एग्रीकल्चरिस्ट मेरी ही तरह से हैं लेकिन अगर कोई और साहब होते तो मैं कहता कि थोड़ी डण्डी जरूर मारी है। यह तीस करोड़ मुनाफे निकाला है। यानी आपने जमींदारी को भी खत्म कर दिया और काश्तकारों से भी बादशाही ले ली और खजाने आमरा में भी ३० करोड़ आ गया। कांग्रेस की यह जीत रही, बड़ी मुबारक है अगर यह हिसाब सही है। आपने हर तरफ फायदा ही फायदा किया। दूसरा सवाल यह है कि १७ करोड़ में से भी जो मालगुजारी के लेन हो जायगे उनमें साढ़े आठ करोड़ आमदनी होगी। लेकिन इन साढ़े आठ करोड़ में से साढ़े ६ करोड़ आपने पेश किया है तो इसके माने यह हैं कि आपने मालगुजारी की आमदनी में से भी एक या दो करोड़ अलग कर दिया।

श्री चरण सिंह—एक करोड़ अबवाब का भी इसमें शामिल है।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैं तो डण्डी मारी में माहिर नहीं हू मेरी समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। मैं तो सीधा सादा किसान हू। यह जानता हूं कि जमीन को किस तरह से जोतना चाहिए और किस तरह से उसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिये। अब हमें यह देखना है कि यह बिल काश्तकारों के लिए किस हद तक मुफीद हो सकता है। दो फायदे हैं: एक तो एक्तसादी और दूसरा सेण्टीमेण्टल यानी जजबाती। तो किसानों का जजबाती फायदा हो गया कि जमींदारी खत्म हो गई हालांकि मुझे इसमे भी ताम्मुल है क्योंकि मैं गांवों के रहने वाले काश्तकारों से वाबस्ता हूं, किसानों से मिलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगो को जमींदारी के खात्मे से जोश आया हो तो हो लेकिन जो जज्बा काश्तकारों के दिलों में था उसका २० फी सदी भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जमींदारी खत्म नहीं कर रहे हैं। उसके लिये हम कमिटेड हैं लेकिन हो क्या रहा है। मैं उसके लिये क्या कहूं? अब यह बिल जिसके लिए सन् १९३७ से लेकर यह कहा जा रहा था कि एक जमाना आयगा जब ऐसा बिल आयगा तो इन्कलाब ऐसा होगा जो दुनिया भर में कभी भी न हुआ हो, लायक वजीर साहब, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त इस बिल पर तकरीर करने खड़े हुये तो शायद किसी तरफ से भी क्लैपिंग नहीं हुई। यह मालूम होता था कि शहरे खमोशा के मकीं हैं। मालूम होता था कि यह मारे बाघे बजार लगाई जा रही है। गैलरीज भी अगर देखी जाती तो वह भी खाली थीं। मामूली मामले होते है तो लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते है और १० हजार किसानों के गिरोह आ जाते हैं। यहां इस इतने अहम बिल पर कम से कम दो लाख आदमियों का मजमा होना चाहिए था। (एक आवाज) करीब २० आदमी गैलरीज में रहे होंगे। क्या वजह है, कभी आपने इसकी तरफ गौर किया। इसकी वजह साफ और बेयअन है। मैं किसी तल्खी के लिये नहीं कह रहा हूं या किसी ताने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन यह बात सही है कि अब आपके वादों में

[illegible]

... हो जायगा और तीस वर्ष तक वह अपना [illegible] लगान देता रहेगा। अगर वह [illegible] है तो नहीं देगा और अगर किसी [illegible] में आ गया तो [illegible] भी देगा। मुझे सैकड़ों किसानों [illegible] का मौका मिला है। [illegible] ने सोचा कि [illegible] मालिक ने [illegible] देने में क्या हर्ज है [illegible] दे दे। [illegible] वह सोचते हैं कि [illegible] १०० [illegible] देंगे फिर [illegible] सूद [illegible] होगा। [illegible] जानते हैं कि १० रुपये [illegible] २० [illegible] में कितना होगा। १०० [illegible] २० [illegible] में तो [illegible] और ६० [illegible] सूद में [illegible] तो [illegible] में आ [illegible] को [illegible] है वह तो [illegible] किसी [illegible] रुपया नहीं अदा करेगा। और [illegible] ने ऐसा कभी नहीं करने [illegible] अपने घर [illegible] निकाल कर दे दूं। तो अब [illegible] है कि जब आप यह तसलीम [illegible] हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिये कि काश्तकारों पर जो मौजूदा [illegible] लगान की है वह इस जमाने में बड़ा बोझ है। जो ज्यादा बोझ है उसको [illegible] करना जरूरी है। लगान का बोझ ज्यादा है। लेकिन आप तो यह सोचते हैं कि [illegible] १० गुना [illegible] आ जाये चाहे कोई मरे या कुछ भी हो। आपको यह करना चाहिये कि उसका बोझ हल्का हो। अगर हमारे [illegible] के मौरूसी का औसत लगाया जाय तो कोई ५ रुपया देता है कोई सवा [illegible] बीघा पर [illegible] लगान देना है जिसमें वह मजे से चैन करता है बोझ ज्यादा है तब तो यह कहिये कि [illegible] किसी मुआविजे के काम किया जायगा। किसी मुआविजे की जरूरत नहीं है। [illegible] जब मुआविजा ज्यादा है तो [illegible] नहीं होगी। [illegible]

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

अगर आप यह कहें कि बोझ हल्का है तो आपका मुआविजा मांगना सख्त गलत है। कौन सी वजह है कि सूबे के खजाने में १७ करोड़ क्यों न जायं, ८ करोड़ क्यों जायं ? तो मैं बहैसियत एक जिम्मेदार एम. एल. ए. के यह पूछूंगा कि यह आमदनी साढ़े आठ करोड़ की क्यों कम किये देते हैं ? और अगर आपको रुपये की जरूरत है तो कर्जा फ्लोट कर लें। ऐण्टी इंफ्लेशन वाली बहस में तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर है कि यह १० गुना मुआविजा वसूल करने की है किसी शातिर की तजवीज़ ! और यह यकीनी बात है कि अगर यह चुपके से, खामोशी से पूछा जाय तो चौधरी साहब भी बतला देंगे कि यह नजराना लेने का हथकण्डा उन्होंने किसी जमींदार ही से सीखा है। गवर्नमेंट आज नजराना ले रही है। जमींदार तो नजराना लेकर हमेशा के लिये दस्त बरदार हो जाता है। नवाब साहब ने नजराना लिया, फिर नवाब साहब का कोई सरोकार न रहा लगान लेने के सिवा। लेकिन आप ४० बरस के बाद बढ़ा देंगे। नवाब साहब बढ़ायेंगे तो बमंजूरी गवर्नमेंट के, जो रेट होगा वही लिया जायगा, लेकिन आप खुद ही हाकिम होंगे, खुद ही वकील होंगे, खुद ही जज होंगे और खुद ही मुहासिल लगान होंगे। जो जी चाहे कीजिये। जब अगला इलेक्शन आवेगा तो फिर कोई नया स्टंट सोचेंगे और वोट लेने के लिये नये तरीके अख्तियार किये जायंगे। तो अगर तरकीब के लिहाज से देखा जाय तो मैं फड़क गया, बहुत अच्छी सूझ है ! लेकिन जैसा कि हमें मामलेदारी रखनी चाहिये, उसके एतबार से देखा जाय तो यह कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मालूम होती। इसलिये कि अगर आप यह कहेंगे कि साहब यह काश्तकार के लिये मुफीद है तो उसको ऊंच नीच समझाने वाले भी बहुत से पैदा हो गये हैं जिनका भूत हमारे दोस्त त्रिपाठी जी को सताता रहता है। वह भी समझायेंगे और मैं भी समझाऊंगा कि अपने पास ही रखो। अब तो हम और वह एक से ही हो गये।

दूसरी बात यह कि हम यह सुनते चले आ रहे हैं कि यह स्लोगन है, यह वाकया है। हम पर भी वह जमाना गुजरा है कि हम भी स्लोगन से बहुत मरऊब हुए हैं और कभी दिमागी ईक्विलिब्रियम भी खो दिया करते थे। हमें भी कांग्रेस की बातें अच्छी मालूम हुआ करती थीं जब तक कि कांग्रेस को अन्दर से नहीं देखा था, औरों को भी अच्छी मालूम होती थीं। तो कहा तो [illegible] जाता था कि मियार ऊंचा होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी लेकिन हकीकतन तो आपने [illegible] क्लासिज रखीं जो पहले थीं, कोई नई बात किसी तरीके से नहीं की। हां यह अख्तियार जरूर दिया है कि अगर वह खुद चाहे तो एक क्लास से दूसरे क्लास में आ सकता है। मेरा [illegible] तो यह था कि एक क्लास होती टेनेण्ट्स की, एक लगान होता। एक अजीब इत्तिफाक है कि फर्ज कर लीजिये कि कोई दखीलकार काश्तकार आपके इस कानून के निफाज के बाद उसका लगान तो मैं अपने यहां की शरह से कह रहा हूं--४ रुपया पक्का बीघा होगा और जो मौरूसी काश्तकार उसी किस्म की जमीन का, उसी जगह के बराबर, मेंड से मेंड मिली हुई वह ७ रुपया लगान अदा करेगा। तो इसके मानी यह हैं कि उनमें भी तफरीक रही। और अगर इत्तिफाक से उनके पास रुपया भी हुआ और उन्होंने बगैर अपना हिसाब लगाये, महज जज़्बात के अंदर आकर आपको १० गुना भी दे दिया तो उस १० गुना देने के बाद उसको तो साढ़े तीन रुपया रहेगा और जो पहला दखीलकार है उसका २ रुपया रह जायगा।

तो ड्योढ़ा फर्क तो तब भी होगा। इसकी कोई दलील आप पेश कर सकते हैं कि बिल्कुल एक सां खेत है, एक सां हालात हैं, सारी चीजें एक सां हैं, मगर एक शख्स दो रुपया लगान देता है और दूसरा शख्स साढ़े तीन रुपया देता है। क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि लगान एकसां हो? मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट कमेटी इसके ऊपर गौर करेगी।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह बय करने का अख्तियार भी देते हैं और पाबन्दियां भी लगाते हैं। तीस एकड़ से ज्यादा कोई न ले सके। हमारे पास पचास एकड़ जमीन है। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि मैं खेती न करूंगा। मेरे हाथ पैरों में दम नहीं रह है। मैं तो घर बैठ कर खाऊंगा। और अपनी जमीन को फरोख्त कर डालूंगा। भूमिधर अपनी जमीन को फरोख्त कर सकता है। लेकिन खुदा के वास्ते बतलाइये तो सही कि मैं आप से कहता हूं कि मेरी पचास एकड़ जमीन ले लीजिये। आप कहते हैं कि हमारे पास पचीस एकड़ मौजूद ही है पांच ही एकड़ मैं ले सकता हूं। पांच एकड़ आपको दिया और फिर तलाश कर रहे हैं कि तीस एकड़ से कम का काश्तकार कौन है। उससे कहा कि बाबा तुम ले लो। वह कहता है कि बीस एकड़ मेरे पास है दस ही एकड़ ले सकता हूं। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्ज़ तो आज तक नहीं हुआ। यह कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्ज़ होगा या डिसइंटीग्रेशन आफ होल्डिंग्ज़ होगा? आप दस गुना लेकर उसको भूमिधर तो बना देते हैं और कहते हैं तुम जमीन के मालिक हो गये हो और अगर चाहो तो फरोख्त कर सकते हो। उसने भी कहा कि वाह वाह कैसी अच्छी गवर्नमेंट है जो ऐसा अख्तियार दे दिया। बहुत से हमारे दोस्त कानून पेशा हैं। उनके पास गया और कहा कि वकील साहब मैं बय कराना चाहता हूं। उन्होंने अपनी फीस चार्ज की और कहा कि शर्त यह है कि जिसके पास तीस एकड़ से ज्यादा न हो उसी के हाथ बेच सकते हो। दो तीन चार एकड़ बेचेगा। उसकी कीमत कैसे आयेगी? आपने उससे दस गुना ले लिया और कह दिया कि तुम मालिक हो लेकिन उसकी वैसी ही हालत हुई जैसी कि हमारे यहां एक मसल है घर बार का मालिक तो है, लेकिन कोठी कोठलियां में हाथ मत लगाइयो। भूमिधर जमीन का मालिक तो है लेकिन बेच उसी के हाथ सकता है जिसके पास तीस एकड़ से कम हो। फिर उसकी मर्जी पर है। उस गिरोह में सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है जिसके पास तीस एकड़ से कम जमीन है। इसलिये वह कहेगा कि मैं पांच रुपये देता हूं। आप यह पाबन्दी क्यों लगाते हैं, और वह उस जमीन का मालिक है? आप कह सकते हैं कि ज्यादातर तीस एकड़ से कम ही हैं। लेकिन जहां के मैं और चौधरी चरण सिंह रहने वाले हैं वही सिर्फ यू० पी० नहीं है। चौधरी साहब ठीक कहते हैं, यह तो मेरठ के रहने वाले हैं, यह तो जमींदारी की जमींदारी खरीद सकते हैं अगर काश्तकार हों। लेकिन दूसरी जगहें ऐसी हैं जहां यह दिक्कतें पेश आएंगी। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पचास एकड़ की एक कम्पैक्ट होल्डिंग है। फर्ज कीजिये कि मिल भी गया खरीदार तो वह टुकड़े टुकड़े होगी या नहीं। मैं उस जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस जिम्मेदारी से एक इन्सान अपने पेशे के मुताल्लिक कह सकता है जैसे डाक्टर किसी मर्ज़ के मुताल्लिक कह सकता है और वकील कानून के मुताल्लिक कहता है, उसी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि कम पैदावार के जो वजूहात हैं उनमें एक बड़ी वजह यह है कि खेत मुतफर्रिक हैं। चरण सिंह साहब ने कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग जबरदस्ती लाई नहीं जा सकती।

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

जबर्दस्ती और लाजिमी किया नहीं जा सकता और रज़ामन्दी से होता नहीं है फिर तो मायूसे इलाज है। फिर जनाब वाला, गौर फरमायें कि जब इलाज कुछ है ही नहीं तो नुस्खा लिखना बेकार है। फिर साफ कहें कि को आपरेटिव फार्मिंग कभी आयेगी ही नहीं और साफ कहें कि होल्डिंग्स जितनी मुंतशिर हो सकेगी की जायगी। मेरा ख्याल है कि सेलेक्ट कमेटी में आप इसको तरमीम कर दें कि यह पाबन्दी एक हद तक हटा दी जाय। मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसी हालत में मुल्क में बड़े २ काश्तकार हों। हालांकि अभी यह चीज़ बहस तलब है कि आया बड़े काश्तकार पैदावार के लिये बेहतर हैं या छोटे काश्तकार। मैं भी समझता हूं कि जब तक हमारे यहां इण्डस्ट्रीज़ नहीं खुलेगी तब तक बड़े काश्तकार हमारे लिये ठीक नहीं है। लेकिन एक हद तो मुकर्रर की जायगी। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मशविरा लें तो वह आपको बतलायेगा कि इस हद तक खेती इस रकबे में की जाती है तो फी एकड़ इतनी पैदावार ज्यादा आती है अगर इसमें इतना बढ़ा दिया जाय तो इतनी पैदावार कम हो जायगी। आगे जाकर आपको मालूम होगा कि एक दरम्यानी चीज़ ऐसी आती है जब कि दोनों का तवाज़ुन हो जाता है और वह फायदेमन्द हो जाता है। आप फिक्स कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही यह पाबन्दी लगाना कि बेच नहीं सकते ज्यादती है।

एक बड़ा बहस तलब मसला यह है कि आजकल लोगों का ख्याल है कि किसान के पास आजकल बहुत दौलत है। शुरू में यह स्लोगन पूंजीपतियों से निकला। आप रेलों में जाइये वहां आप सुनेंगे कि किसान सोने के बिस्तर पर लेटता है और चांदी की जमीन पर सोता है। मैं उन किसानों में से हूं जो कमाते खूब हैं और खर्च भी खूब करते हैं लेकिन जमा कुछ नहीं कर पाते। जिनके रकबे फैक्ट्री एरिया से लगे हुये हैं वह किसान बेशक मालदार हैं। जिनके रकबे फैक्ट्री एरिया में नहीं है वह मालदार नहीं है। यह हमारी हुकूमत की होशियारी है कि फैक्ट्री एरिया में दो रुपये मन गन्ना था। हम लोग भी कहा करते थे कि हमारे पास अलादीन का चिराग होता तो हम लोग भी अपनी जमीन वहीं उठा ले जाते। वैसे आमतौर से काश्तकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह जमींदारी के हुकूक हासिल कर सके। अगर देते हैं तो उसी तरह से कि जिन्होंने इस तरह से कमाया है कि न खाने को अन्न और न तन ढकने को कपड़ा और मुश्किल से गुजर की है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसकी तरदीद कर दें और वह मोटे से मोटा अनाज जो जिन्दगी के लिए काफी हो सकता है वही खाता है। ऐसा मुतबर्रक पैसा आप जमींदारी में लगा रहे हैं मेरे ख्याल में वह जायज़ नहीं है और इस पैसे को देखते हुए उसकी आत्मा कितनी दुखेगी। मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि वह हज्म नहीं होगा लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत में अच्छा बुरा सभी कुछ हज्म करने की ताकत है लेकिन आप उसे बड़ी अहतियात से लीजिये। चौधरी चरन सिंह साहब ने कहा कि मकानों की क्या जरूरत किसानों को है। वह कोठी में नहीं रह सकते और मैं और आप ही दशहरी के आम खा सकते हैं। उसने ऐसी चीजें देखी भी नहीं है और वह तो एक साधू की सी जिन्दगी बसर कर रहा है। अगर आपको इनफलेशन दूर करना है तो एक तरफ तो आप उसको सीमेंट, लोहा और ईंट मोहैया कीजिये और उसे बतलाते जाइये कि रहायश का तरीका यह है और उसे बतलाइये कि खाने का और रहने का और पैदावार करने का यह तरीका है। अब तो सिर्फ यह है कि सरकार को कहीं से पता चल गया

है कि किसान के पास पैसा ज्यादा है उन्होंने कहा कि हम इतना लगान लेते, [illegible] कर दो तो हम तुम्हारा लगान आधा कर देंगे।

ये अल्फाज़ों के ताल्लुक इलेक्शन से था। मेरी हुकूमत से मुराद कांग्रेस हुकूमत से नहीं है बल्कि कांग्रेस की हुकूमत है, कल मेरी, राजा साहब [illegible] सिंह की किसी की भी आ सकती है लेकिन हुकूमत की सूरत बदलने के लिये और आइन्दा आने वाली नस्लों की सूरत बदलना इसके लिये जरूरी है [illegible], मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। दूसरा बड़ा जरूरी सवाल यह था कि इस वक्त मुल्क के सामने प्रोडक्शन को बढ़ाने का सवाल है और यह कि ज्यादा पैदावार कैसे बढ़े। जो कुछ इस बारे में चरण सिंह साहब ने कहा है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जमीन पर किसान का बोझ बहुत ज्यादा है और किसानों की तादाद बढ़ रही है। इसलिये आपने जो इनहैरिटेन्स वाली दफा रखी है उस पर एक खास तौर से गौर की जरूरत है ताकि किसानों की तादाद न बढ़े और होल्डिंग्ज के आइन्दा डिवीजन को रोकने की जरूरत है। जब [illegible] मैंने इसका इस बात पर जोर दिया था, मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि आप दूसरे लोगों को किसान न बनाइये, दूसरे शहरों को किसान न बनाइये और दूसरे इन्सान को किसान न बनाइये। २ बीघा जमीन उनके पास हुई और हो गई और वह भी किसान हो गया। अगर लोहार से इस को पूछा जाता है तो वह कहता है कि मैं तो अब किसान हो गया मैं अब यह काम नहीं करता। इसलिये यह जरूरी है कि आप इस चीज को किसी तरह [illegible] करें। मेरी मुश्किल यह है कि दुनिया में तमाम को छोड़कर हर चीज को खरीदा जा सकता है इस से मैं अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकता। मुमकिन हो तो मैं मदद करने को तैयार हूं। अब मेरा मश्विरा यह है कि इसका अख्तियार रखा जाय कि होल्डिंग्ज के टुकड़े २ न होने दिये जाय, ज्यादा किसान न पैदा किये जायं। मेरा ख्याल यह है कि मैं तो इस बात का इस कदर कायल हूं कि बजाय २२८ मेम्बर्स के २८ ही होते तो मुल्क का काम बेहतर चलता मेरे दोस्त माफ करें क्योंकि मेरा तो यह ख्याल है कि किसान अच्छे १० हों तो बुरे १०० किसानों से बेहतर हैं। वह आप के लिए ज्यादा पैदावार करके देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी जमीन काश्त में है उसमें पहले कुछ भी पैदा नहीं होता था। अगर मैं गलत कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसका कारण यह है कि वह खेती करना नहीं जानते। मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि बड़ी जरूरत मुल्क में पैदावार बढ़ाने की है लेकिन मैं बिल में यह कहीं नहीं देखता कि कोई चीज पैदावार बढ़ाने के लिए रखी गयी हो। मुल्क की दौलत दूसरे मुल्कों को जा रही है, अंग्रेज़ों के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि वह हम पर हुकूमत करते थे और हमारे माल को ले जाते थे। वह कम्बख्त तो अब चले गये लेकिन दौलत हमारी अब भी जाना बाक़ी रह गयी। यह चीज गलत है कि हमारे मुल्क की जमीन हमारे खाने भर के लिये पैदा नहीं कर सकती। अगर फीगर्स ले लीजिये तो पता चलेगा कि काफी पैदावार हमारे मुल्क में बढ़ सकती है। सिर्फ हम सबको मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। हां किसी कानून के जरिए से आप उस पैदावार के बढ़ाने में मदद दे सकते हैं जैसे होल्डिंग्ज को एक जगह कर दिया जाय, गोबर और किसी काम में न लाया जाय तभी ज्यादा कारामद होगा। बदकिस्मती से हमारे काश्तकार अभी इतने समझदार नहीं हैं और उनके पास अभी तक इतना इल्म नहीं पहुंचा है कि उन तमाम चीजों को पूरे तौर से समझ सकें दूसरे अल्फाज में कुछ कन्जरवेटिव हैं। प्रोडक्शन का बढ़ाना यह बहुत अहम

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]
मसला है। मैंने काफी वक्त ले लिया हालांकि मेरा ऐसा इरादा कदापि नहीं था। मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं कि बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री हीरालाल अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो बिल उपस्थित है उसके लिये मैं अपनी कांग्रेस सरकार और खास तौर से माननीय प्रधान सचिव को बधाई देता हूं। यह बिल एक ऐसा बिल है जो देहात की, जिस तरह से हमारे मुल्क में जब आजादी आई उसने सारे मुल्क की काया पलट दी, एकदम से काया पलट देगा। आज तमाम किसान प्रसन्न हैं। जो किसान आये दिन इस बात की शिकायत करता है कि जमींदार हमें तालाब से मिट्टी नहीं लेने देता, लगान लेता है तो रसीद नहीं देता आये दिन इस बात की शिकायत होती है कि जमींदार हमारे खेत जबर्दस्ती बेदखल कर लेता है और दरख्तों को काटा जाता है और अगर मकान इजाज़त लेकर बना लिया, रुपया देकर बनाया है, नज़राना देकर बनाया है तब भी जमींदार दावा कर देता है और बेचारे पर अदालत से डिग्री हो जाती है और उसका मकान ढा दिया जाता है। यह शिकायतें प्रस्तुत कानून के बनने पर खत्म हो जायंगी।

हाउस के सामने जो बिल पेश है, उसके लागू होने के बाद किसान अपनी सच्ची आजादी अनुभव करेंगे और उनकी आज तक जो बहुत सी दिक्कतें थीं वे सब दूर हो जायंगी। मैं कहता हूं कि इसके बिना देहात में कोई किसान अपने को आज़ाद नहीं समझ सकता था। यह एक ऐसा बिल है जिसके बिना देहातों में राम राज्य नहीं आ सकता। इस असेम्बली में पहले भी दो बातें ऐसी हो चुकी हैं, जिनसे कि राम राज्य की स्थापना हम देख सके हैं। एक बात तो हरिजनों के साथ जो बुरे कानून थे उनको बदल कर उनकी दिक्कतों को हटा देना और दूसरी बात है पंचायत ऐक्ट का पास करना। यह बिल भी इसी तरह का होगा। इन तीनों बिलों के बिना देहातों में राम राज्य नहीं आ सकता था।

पांच दिन से इस बिल पर जो बहस हो रही है उसमें तरह-तरह की बहस हुई है। मेरा ख्याल यह है कि बहुत सी बहस प्रोपेगेण्डा और गलतफहमी के आधार पर हुई है। गलतफहमी यह है कि बिल के मकसद को ही समझने में लोगों ने गलती की है। मेरे ख्याल से बिल का पहला मकसद यह है कि ज़मींदारी खत्म हो और जो भूमि व्यवस्था की बात है वह तो बाद में आती है। इस भूमि व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत रह जाय तो यह बाद में दूर की जा सकती है। यह ख्याल कि यह अंतिम भूमि व्यवस्था है, गलत है और इस विचार से भी बहुत सी मुखालिफत बिल की की गई है। हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी में इस भूमि व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातों पर विचार हो और यह शिकायत न रहे, जो इस समय हम कह रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारी बहुत सी अनएकनामिक होल्डिंग्स हैं, जिन्हें एकनामिक बनाना है। मैं कहता हूं कि इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें रखी गई हैं जिनसे कि अनएकनामिक होल्डिंग्स खत्म हो जायंगी और एक दिन वह आयेगा, जब हमारे सूबे में कोई अनएकनामिक होल्डिंग न रहेगी।

डिप्टी स्पीकर—अब आप अपनी तकरीर कल जारी रखियेगा।

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—कल भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मुनासिब समझें, और हाउस मुनासिब समझे तो सवालात न हों, ताकि बहस के लिये ज्यादा वक्त मिल सके। दूसरी मेरी यह भी दरख्वास्त है कि कल हर हालत में चार बजे तक बहस समाप्त हो जाय ताकि मुझे बोलने का मौका, आपकी इजाजत से मिल सके।

डिप्टी स्पीकर—इस वक्त तो यही दरियाफ्त करना है कि कल के लिये सवाल रक्खे जांय या न रक्खे जांय।

(भवन की अनुमति से तय हुआ कि कल के लिये सवाल न रक्खे जांय)

माननीय प्रधान सचिव—४ बजे बहस समाप्त करने वाली बात भवन की इत्तिला के लिये मैंने बता दी और भवन भी रजामन्द मालूम होता है।

डिप्टी स्पीकर—यह ठीक है।

(इसके बाद भवन ५ बज कर १६ मिनट पर बुधवार १३ जुलाई १९४९, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

मंगलवार, १२ जुलाई, सन् १९४९ ई०

कैलाशचन्द्र भटनागर,

मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,

संयुक्त प्रान्त।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बुधवार, १३ जुलाई, सन् १९४९ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८६)

अजित प्रताप सिंह
अदील अब्बासी
अब्दुलग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स
अम्मार अहमद ख़ाँ
अल्फ्रेड धर्मदास
अलगूराय शास्त्री
असग़र अली ख़ाँ
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ऐजाज़ रसूल
करीमुर्रज़ा ख़ाँ
कालीचरण टण्डन
कुंजबिहारीलाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
कृष्णचन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
ख़ुशवक़्त राय
ख़ुशीराम
ख़ूब सिंह
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगाप्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरणसिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल

जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जवाहरलाल रोहतगी
ज़ाकिर अली
ज़ाहिद हसन
जुगुल किशोर
जैपाल सिंह
जैराम वर्मा
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीपनारायण वर्मा
नफ़ीसुल हसन
नवाज़िश अली खाँ
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेमकिशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फ़ज़लुर्रहमान खाँ
फ़तेहसिंह राणा
फूल सिंह
बदन सिंह
बंश गोपाल
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बीरबल सिंह
बृजमोहन लाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवान दीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
मंगला प्रसाद
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खाँ
मिज़ाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुज़फ़्फ़र हुसैन
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ
मुहम्मद जमशेद अली खाँ
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याक़ूब
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रज़ा खाँ
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री
मुहम्मद शौकत अली खाँ
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर

रघुवीर सहाय
रघुवंशनारायण सिंह
राघव दास
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधा कृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधश्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पाण्डे
राम बली
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लाल बहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली ख़ाँ
लोटनराम
विजयानन्द मिश्र
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पाण्डे
शिव कुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिव मंगल सिंह
शिव मंगल सिंह कपूर
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद ख़ाँ
साजिद हुसैन
सालिग्राम जैसवाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीताराम अष्ठाना
सुलतान आलम ख़ाँ
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हुकुमसिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

*श्री होती लाल अग्रवाल—माननीय स्पीकर महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि बहुत सी बहस जो इस हाउस में हुई है वह इस ख्याल से हुई है कि इस बिल की जो नेचर (प्रकृति) है उसको समझने में थोड़ी सी भूल हुई है। मैं यह समझता हूँ कि यह बिल साधारणतः ज़मींदारी के अबोलीशन (विनाश) का बिल है, ज़मींदारी के ख़त्म करने का मसविदा है। जहाँ तक भूमि की व्यवस्था का ताल्लुक है यह अभी प्रारम्भ की ही बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से यह अंतिम बात नहीं है। सारी बहस जो की गई है, उसमें कहा गया है कि मालगुज़ारी साइंटिफिक बेसिस (वैज्ञानिक आधार) पर नहीं है, उसका उसूल वैज्ञानिक नहीं है और यह कि वह केवल अन्दाज़े से रख दी गई है। और यह कि हर हैरिडेटरी (मौरूसी) को आधा लगान देना होगा। हर ज़मींदार की आधी मालगुज़ारी होगी। भूमिधरों को आधा लगान देना होगा और सीरदारों को पूरा लगान देना पड़ेगा। यह कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन यह भूमि व्यवस्था का अन्तिम बिल नहीं है, इस लिये इन चीज़ों का अभी ख्याल नहीं करना चाहिये। अगर यह सब बातें की जातीं तो ज़मींदारी खत्म करने में देर होती। इसलिये इस बिल से यह उम्मीद नहीं करना चाहिये कि मालगुज़ारी जो इस बिल में कायम की गई है वह साइंटिफिक होगी। और यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि सारे सूबे की भूमि-व्यवस्था ऐसी हो जाय जिसमें आइन्दा किसी किस्म की तरक्की करने का मौक़ा न हो। इन बातों के लिये थोड़े दिनों के लिये वेट (प्रतीक्षा) करने की ज़रूरत है। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि ४० साल के बाद जो सेटिलमेंट (बंदोबस्त) होगा उसमें यह सब चीज़ें की जायेंगी। लेकिन इसी समय इन सब चीज़ों की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि अन ऐकोनामिक होल्डिंग्स पर जो लगान है वह भी कम होना चाहिये या यह कि अनऐकोनौमिक होल्डिंग्स नहीं रहना चाहिये। यह सब बातें आगे चलकर हो जायँगी। जो टेनेन्सी का बिल है उससे कुछ ऐसी सहूलियतें हो जायँगी जिनसे अनएकनौमिक होल्डिंग्स कम हो जायेंगी।

ज़मींदारों के मुताल्लिक भी बहुत सी बातें कही गई हैं। किसी ने कहा है कि वह बहुत बुरे थे। उन्होंने यह किया वह किया, और ज़मींदार पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने देश के लिये बड़े बड़े काम किये। यहाँ तक कहा गया कि सन ५७ की लड़ाई में अँगरेज़ों के खिलाफ लड़ने में, ज़मींदार ही सबसे आगे थे। जो हिस्सा उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लिया है, वह ठीक है। लेकिन जिन ज़मींदारों ने हिस्सा लिया था उन बेचारों का नाम तक नहीं है। वे आज ऐसी हालत में पड़े हुये हैं कि उनका नाम तक कोई नहीं जानता। मेरे ज़िले में एक शंकरनगर रियासत

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

है, जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और इसमें उन्होंने अपने को मिटा दिया। आज उनकी संतति को मैं जानता हूँ। शंकरनगर में १०-२० बीघा ज़मीन भी उनके पास नहीं है। उन थोड़े लोगों को जाने दीजिये, लेकिन बाकी जो ज़मींदार लोग हैं उन्होंने देश का कोई ज्यादा लाभ नहीं किया। इन बातों को छोड़िये, ये इस समय कहने की नहीं हैं। आज तो यह विचार करना चाहिये कि हमारे देश के लिये कौन-सी चीज़ ज्यादा उपयुक्त होगी और कौन-सी चीज़ अनुचित होगी और हमारे देश की तरक्की किस व्यवस्था से हो सकती है या किससे नहीं। देखना यह है कि जो ज़मींदारी व्यवस्था कायम थी, उससे देश की कोई तरक्की हो सकती थी। यह ज़ाहिर है कि ज़मींदारी की जो व्यवस्था थी उससे देश की कोई तरक्की नहीं हुई बल्कि नुक़सान ही हुआ है। अगर ज़मींदारी प्रथा को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसकी वजह से हमारे सूबे की पैदावार में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ बल्कि यह साफ़ ज़ाहिर है कि उसकी वजह से हमारे यहां की पैदावार कम हो गई। वे जो मुनाफ़ा ज़मींदारी से लेते थे, उसके एवज़ में उन्होंने कोई काम खेती की तरक्की के लिये नहीं किया। अगर उन्होंने खेती की तरक्की में हाथ बटाया होता तो ज़मींदारी की वजह से हमारी पैदावार में कमी न हुई होती और फिर यह भी नहीं हो सकता था वह आज हटाई जाती। वास्तव में ज़मींदारों ने प्रोडक्शन (पैदावार) के बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। वास्तव में यह ऐसी संस्था थी, जिसके होते हुये तरक्की की कोई आशा न थी।

आज हम यह देख सकते हैं कि आया इकनामिकली (आर्थिक दृष्टि से) यह व्यवस्था रही है। मैं देखता हूँ कि काश्तकारों से लगान इतना बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई। उनके पास खेती की तरक्की करने के लिये कोई पैसा या साधन नहीं रह गया। तो ऐसी सूरत में यह बात नहीं है कि ज़मींदारी प्रथा इसलिये मिटाई जा रही है कि उनसे कोई द्वेष है या उन्होंने कोई देश-द्रोहिता की है या देश के ख़िलाफ़ काम किया है जिसकी वजह से यह ज़मींदारी प्रथा हटाई जा रही है। वास्तव में अब ऐसा वक़्त आ गया है कि बिला इसके हटाये काम नहीं चलता। हम यह कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे मुल्क की तरक्की के लिये ज़रूरी है। इसीलिये यह व्यवस्था ख़तम की जा रही है।

तो अब सवाल यह है कि जब इस व्यवस्था को ख़तम करने के लिये ज़रूरत है। तो वास्तव में ज़मींदारों को मुआवज़ा मिलना चाहिये या नहीं। सोशलिस्ट की तरफ़ से यह कहा गया है कि कोई मुआवज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ़ से ज़मींदार लोग बाज़ार रेट (दर) से मुआवज़ा चाहते हैं। देखना यह है कि वास्तव में मैं यह कहूँगा कि इन सब बातों को देखते हुये हमें यह उचित है कि हमारी तरक्की के लिये, हमारे मुल्क में अमन व अमान रखने के लिये और हमारी ग्रामीण जनता की आर्थिक दशा सुधारने के लिये जो चीज़ उचित समझी जाय, वही होनी चाहिये। अगर यह देखा

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

जाय कि बाजार रेट पर हम उनको मुआवजा दें तो यह हमारे लिये नामुमकिन है। हम बाजार रेट पर मुआवजा नहीं दे सकते। जो उनका मुनाफ़ा है, उस पर अगर ढाई रुपया सैकड़ा सालाना सूद के हिसाब से, यानी मुनाफ़े के हिसाब से अगर हम हिसाब लगायें और यह मान लें कि क़रीब १० करोड़ के उनका मुनाफ़ा है तो १० करोड़ के माने यह होते हैं कि हमें ४०० करोड़ रुपया जमींदारों को मुआवजे में देना चाहिये। अब यह ४ अरब रुपया कहाँ से आये। अगर यह रुपया काश्तकारों से, जैसा कि इस ऐक्ट में प्रबन्ध किया गया है लिया जाय, तो इसके माने यह होंगे कि एक काश्तकार से उसके सालाना लगान के तौर पर बजाय १० गुने के ४० गुना लगान लें तो यह रुपया हम उनको अदा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। अगर यह कहा जाय कि ४० साल में क़िश्तों के जरिये से यह दे दिया जाय तो भी हमारे लिये यह नामुमकिन है कि हम इसे बिना काश्तकार की आर्थिक दशा को खतम किये कर सकें। इस वक़्त हमें जमींदारी के हटाने से जो लगान आता है, और उसमें जो मालगुजारी का फ़र्क़ है, उसको निकाल दें तो वह क़रीब क़रीब ६ करोड़ रुपया साल में होता है। अगर जमींदारों को ४०० करोड़ रुपया मय सूद के अदा करें तो ४० साल में १४ करोड़ अदा करने से कहीं अदा होगा। जो मुनाफ़ा इस वक़्त हमें होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा १० करोड़ रुपये बचते हैं। जमींदारी खतम करने के बाद जो सरकार को देना होगा वह अगर साढ़े नौ करोड़ रुपये के हिसाब से देखें तो हमें ४ या साढ़े चार करोड़ रुपया साल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर लगान का इजाफ़ा काश्तकार पर किया जाय तो उनकी दशा और खराब हो जायगी। इसलिये जमींदारों को ज्यादा देने के लिये तमाम काश्तकारों की हालत को बिगाड़ना ठीक नहीं है। यह तो तभी हो सकता था जब विदेशी राज्य था और जमींदारों ने उनसे मिलकर बातचीत की होती। आज तो यहाँ पर किसानों की और मजदूरों की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। यह सरकार ऐसा कदापि नहीं कर सकती कि करोड़ों आदमियों की जिन्दगी बर्बाद करके चन्द आदमियों को इतना पैसा दे। इसलिये यह तो सही बात है कि इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्या करना चाहिये। जाहिर है कि हमने जो प्रस्ताव ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को पास किया था, उसमें सिफ़ारिश की गई थी कि हम इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन (न्याय संगत मुआविजा) दे सकते हैं। यानी हम ऐसा कम्पेन्सेशन दे सकते हैं जिससे जमींदारों की जिन्दगी भी ठीक चल सके और हमारे ऊपर बोझा भी न पड़े। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

तो यह कहना कि इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन (उचित मुआविजा) अदालतें ही तै करेंगी और व्यवस्थापिका सभा नहीं तै करेगी उचित नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूँ कि कम्पेन्सेशन को दुनिया में हमेशा व्यवस्थापिका-सभाओं ने ही तै

किया है। आयरलैंड को देखिये, वहाँ पर हाउस ऑफ़ पार्लियामेंट ने जमींदारी खत्म करने के वक़्त २० गुना मुआविज़ा देना तै किया था। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जो मुआविज़ा देना तै किया है वह काफ़ी उचित है। अगर आप पूरी तौर से देखें तो मालूम होगा कि जमींदारों ने जमींदारी खरीदने में कोई क़ीमत नहीं लगाई है। शुरू में अंगरेजों से मिल कर उन्होंने ऐसे क़ानून बनवाये, जिनसे जमींदारियों की क़ीमत पैदा हो गई। अंगरेजी सरकार बराबर जमींदारियों का मुनाफ़ा बढ़ाती गई और धीरे-धीरे हालत यह हो गई कि पहले जिसे १० फ़ीसदी मुनाफ़ा मिलता था, उसको आज ३० फ़ीसदी मिल रहा है। इस तरह धीरे-धीरे जमींदारी की क़ीमत बढ़ाई गई है। मैं समझता हूँ कि जमींदारों को कोई मुआविज़ा नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई क़ीमत अदा नहीं की है। अगर किसी ने बीच में कोई क़ीमत अदा की है तो वह उसके लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि अगर कोई अन्धा होकर व्यापार करता है और अपना रुपया बरबाद करता है तो उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है। बल्कि उसको खुद उसकी ज़िम्मेदारी लेना होगी। इसी तरह अगर जमींदारों ने ऐसी चीज खरीदी है, जिसकी पहले कोई क़ीमत नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि वह इस क़ीमत के लेने के हक़दार नहीं हैं। उसके अलावा जो उनके कारनामे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देहात बरबाद हो गया है, उस ख्याल से भी उन्हें कोई मुआविज़ा नहीं मिलना चाहिये। अगर किसी वजह से वह मुआविज़े के हक़दार हो सकते हैं तो वह यह है कि इस वक़्त जो २२ लाख जमींदार हैं, उनमें से जो २५ रुपया से कम मालगुजारी देनेवाले जमींदार हैं, उनकी तादाद १७ लाख है। इस तरह १७ लाख का असर पड़ता है करीब ८५ लाख आदमियों पर और हमको यह देखना पड़ता है कि कहीं इन ८५ लाख आदमियों की ज़िन्दगी ऐसी दूभर न हो जाय कि वह अपनी ज़िन्दगी गुजर कर ही न सकें। यही वजह है, जिसकी वजह से वह ज़रूरी हो गया है कि उनको मुआविज़ा दिया जाय। जहाँ तक बड़े बड़े जमींदारों का ताल्लुक है, उनको मुआविज़ा देना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने बड़ी जनरासिटी (उदारता) के साथ उनको मुआविज़ा देना तै किया है। मुआविज़ा के लिये एक और हमारे ऊपर बंधन है। जो इस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि बिला उचित मुआविज़ा दिये हम किसी की सम्पत्ति को नहीं ले सकते हैं और जो हमारा नया विधान बन रहा है, उसमें भी यह चीज रक्खी गई है। इस चीज को नये विधान में रखने का एक कारण है। अगर हम बिना मुआविज़ा दिये कोई चीज छीन लें तो फिर आगे चलकर हमें दिक्कत होगी। ऐसा करने से जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है लोग अपनी पूँजी लगाने में हिचकेंगे। जब हम बाहर की पूँजी लगाने के लिए तैयार हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि हम उचित मुआविज़ा देने की व्यवस्था न रक्खें। पूँजीवाद

[श्री छोतीलाल अग्रवाल]
को हम खत्म करेंगे, लेकिन अभी उसका मौक़ा नहीं है। अभी ऐसा करने से हमारे देश को नुक़सान होगा। जब हमारे देश को फ़ायदा होगा तभी हम पूँजीवाद को खत्म करेंगे। इसलिए हमें मुआविज़ा देने की जरूरत है। बिना मुआविज़ा दिये हुये हम अपना काम नहीं चला सकते हैं।

एक बात मैं यह अर्ज करूँगा कि किसी तरह से ज़मींदारी अबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट में और बिल में भी एक बड़ा आइटम ग़लती से लिख गया है। ५ हज़ार और १० हज़ार के यह बीच के जमींदार हैं। इन्हें ८ गुना मुआविजा मिलना चाहिये। उन्हें ८ गुना मिलेगा और इस पर इन्कमटैक्स लगेगा। इसलिए बड़े-बड़े जमींदारों को ज्यादा मिल जायगा। इस श्रेणी के जमींदार ५ हजार से १० हजार मालगुजारी देनेवाले, बीच के जो जमींदार हैं, उनको कम मुआविज़ा उससे मिलेगा जो जमींदारी अबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर ग़ौर कर लिया जाय।

दूसरी बात यह मुझे अर्ज़ करना है कि सन् १८५७ ई० में जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने बग़ावत की और देश के ख़िलाफ़ अँगरेजों से मिले और इन पेटरीआट्स (देश भक्तों) के खिलाफ युद्ध में कार्यवाहियाँ कीं। वह ऐसी बात है कि हमें उसका ज्यादा ख्याल करना चाहिये। दक्षिणी पूर्वी योरप के कई मुल्कों में जमींदारियाँ खत्म हुई हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को, जिन्होंने देशद्रोही का काम किया था तो मुआविजा नहीं दिया या बिल्कुल कम दिया है। मैं समझता हूँ इस चीज का ज़रूर ख्याल होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे काम किए वास्तव में उनको कोई हक़ नहीं है। वह लोग ज़िन्दा हैं तो उनको या अगर मर गए तो उनके वारिस को मुआविज़ा देते वक़्त इस बात का ख्याल करना चाहिए। और अगर उनकी जमींदारी दूसरों के पास चली गई तब तो दंड देने और मुआविजा देने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर वह जमींदारी उसी के घराने में है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी डकैत को क्या हक़ है। अब हमारे हाथ में ताकत है। हम इन्साफ करें। इन्साफ कहता है कि उन्हें मुआविज़ा न दिया जाय। अगर दिया जाय तो थोड़ा दिया जाय। उनके एवज उन लोगों का ज्यादा ख्याल किया जाय, जिन लोगों की जायदाद इस तरह से दूसरों को दे दी गई है। वह आज भी ग़रीबी में परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के वारिसों को, जिन्होंने प्राण दिये, लड़ाई से निर्जीव कर दिये गए। उनका कोई ख्याल होना चाहिये, इस तरह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार ने सब लोगों का ख्याल किया है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस उन जमींदारों का जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में बहुत काम किया, कोई ज्यादा ख्याल किया जाय। उनको थोड़ा सा ज्यादा मुआविज़ा दिया जाय।

कोई और डिस्टिंक्शन (फ़र्क़) न किया जाय, जिन ज़मींदारों ने आज़ादी की लड़ाई में काम किया उनको कुछ ज्यादा मिले। मुझे इसके सिवाय कम्पेन्सेशन के बारे में

ज्यादा अर्ज करना नहीं है। वास्तव में जो कुछ किया गया है काफी अच्छा है। एक बात रह गई है जो मुझे खास तौरसे मुआविजे के संबंध में कहना है, मैं चाहूँगा कि चौधरी चरणसिंह जी इस बात पर गौर कर लें। जहाँ तक दूसरी जमीन का ताल्लुक है, वहाँ मुआविजा जो जमींदारों को दिया गया है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी गई है वह ठीक है। लेकिन जितना सीर और खुदकाश्त का रकबा है, वह जमींदारों को भूमिधर बना दिया गया है। बिला उनसे कुछ लिये ठीक है उसके लिये मुआविजा नहीं दिया गया लेकिन यह छोटे जमींदारों के साथ ज्यादती होगी। असल बात यह है जो जनरल स्कीम है मुआविजे की उसमें बड़े जमींदारों को ८ गुना मिलेगा और छोटे जमींदारों को २८ गुना लेकिन जो सीर और खुदकाश्त की जमीन है वह काफी है, सारी जमीन का पाचवां हिस्सा है। करीब २० फीसदी है। इस सम्बन्ध में बड़े जमींदारों को जमीन का एकसा मुआविजा मिल जाता है, वह उनके पास रहती है। जनरल स्कीम को देखिये। मुआविजा सीर और खुदकाश्त का बड़े जमींदारों को कम और छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलेगा।

और मैं यह भी जानता हूँ कि बड़े जमींदारों के पास जो सीर और खुदकाश्त का रकबा है, वह बहुत ज्यादा है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस पर काफी गौर किया जाय और इसको जेनरल स्कीम में मिला दिया जाय। सीर और खुदकाश्त के अलावा जमींदारों को जो मुनाफा काश्त से होता है, उस मुनाफे में उन लोगों को जिस तरह से जेनरल स्कीम है, उसी तरह से मुआविजा दे दिया जाय और फिर उसके बाद उन लोगों से जो साकितुल मिल्कियत का रेट है, उस रेट के हिसाब से दस गुना ले लिया जाय और तब मालगुजारी आधी कर दी जाय तो मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी बात है, जिससे छोटे जमींदारों को राहत मिलेगी और जो बड़े-बड़े जमींदार हैं जिनकी हालत अच्छी है, जिनके पास बहुत सीर है, उनको कोई दिक्कत न होगी। एक सवाल यह उठता है कि यह रुपया जो दिया जाय वह आए कहां से। एक साहब ने तो यह कहा कि कम्पेन्सेशन टैक्स लगा दिया जाय। अगर आज हम टैक्स लगाने के लिये बैठते हैं और उससे रुपये की उम्मीद करें तो मैं समझता हूँ कि फिर जमींदारी कम्पेन्सेशन के लिये हमें कई साल तक इन्तजार करना पड़ेगा और कई साल तक हमारा सूबा जमींदारी की बला से नहीं बच सकेगा। इसलिये यह बात भी प्रेक्टिकल (क्रियात्मक) नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर रुपया कहाँ से आवे। लारी साहब ने तो कहा है कि न तो किसानों से लगान का दस गुना लिया जाय और न असामियों से पन्द्रह गुना लिया जाय बल्कि एक जादू ऐसा किया जाय जिससे ज्यादा रुपया आ जाय और जमींदारों को कम्पेन्सेशन दे दिया जाय। कम्पेन्सेशन के खिलाफ वे नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों से रुपया न लिया जाय। तो सवाल हुआ कि रुपया कहाँ से आवे ? क्या गवर्नमेंट और लोगों पर टैक्स लगावे ? अगर और टैक्स लगाया जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे की

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

व्यवस्था बिलकुल खराब हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह चीज बिल्कुल गलत है कि किसानों से रुपया न लिया जाय। आज यह कहा जाता है कि किसानों की हालत खराब है। मैं समझता हूँ कि यह आँख मीच कर कहनेवाली बात है। यह ठीक है कि किसानों की हालत जमींदारों के बराबर नहीं है। यह भी ठीक है कि उनकी हालत दूकानदारों और दूसरे लोगों के बराबर नहीं है लेकिन यह भी ठीक है कि आज से दस वर्ष पहले जो किसानों की आर्थिक दशा थी, उसमें कुछ तरक्की हुई है। उनका लगान तो उतना ही रहा जितना कि पहले था, लेकिन पैदावार की जो कीमत है उसमें चौगुना और पाँचगुना तक इजाफा हुआ है। और इसकी वजह से वे कई साल से रुपया बचाकर रक्खे हुये हैं। आज उनके पास जो पैसा है वह पैसा उनका मकान बनाने में नहीं लगेगा, क्योंकि सीमेंट और ईंटें उनको नहीं मिलेंगी और दूसरे तरक्की के कामों में वे रुपया नहीं लगायेंगे लेकिन एक बड़ी तरक्की का काम जो उनके लिये आवश्यक है वह यह कि वे जमीन के मालिक हो जायँ और वह रुपया जो आज उनके पास है अगर उसमें लगाया जाय तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत न होगी। बहुत लोग काश्तकारों की हालत जानने का दावा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका यह दावा बिलकुल गलत है। जिस पार्टी से लारी साहब ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी के लोग शायद ही कभी देहातों में जाते होंगे। लेकिन हम कांग्रेसवाले तो एक एक घर की बात जानते हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जब यह प्रस्ताव काश्तकारों के सामने रक्खा गया तो उन्होंने इस चीज का हृदय से स्वागत किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी काश्तकार ऐसा नहीं बचेगा, जो अपने लगान का दसगुना रुपया नहीं देगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवा इसके कि हम काश्तकारों से रुपया ल। आप जानते हैं कि काश्तकारों के लिये जमीन कितनी जरूरी है। आज काश्तकार एक एक बीघा जमीन को एक एक हजार रुपये तक नजराना देकर लेते हैं। जब एक एक हजार रुपया जमींदारों को नजराना देकर किसान जमीन लेते हैं तो जिस जमीन का लगान ५-६ रुपया हो उसके लिये ५०-६० रुपये देने में उनको क्या दिक्कत होगी जब कि उनको जमीन पर सारा हक मिल जायगा? मैं समझता हूँ कि काश्तकार इससे इन्कार नहीं करेगा और इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो व्यवस्था है वह निहायत ही अच्छी व्यवस्था है।

मान लिया जाय कि अगर इस वक़्त किसी तरह से टैक्स लगाकर जमींदारों को रुपया दिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि जमींदारों की परचेजिंग पावर (क्रय-शक्ति) बहुत ज्यादा बढ़ जायगी और काश्तकारों की तो बढ़ ही चुकी है तो इसका नतीजा यह होगा कि आज जो गिरानी की मुसीबत है वह और ज्यादा बढ़ जायगी और उससे देश की आर्थिक व्यवस्था के ढाँचे के बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह चीज़ जो की गई है, यह बहुत ही सोच-

समझ कर की गई है और यही एक चीज है जिससे हम जमींदारी को खत्म कर सकते हैं। मान लीजिये यह रुपया न लिया जाय तो फिर कोई और तरीका नहीं समझ में आता कि जमींदारी कैसे खत्म हो सकती है। जब यह क़ानून हो गया है कि जमींदारी उस वक़्त तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक उचित मुआविजा उन को न दिया जाय और मुआविजे के लिये रुपया नहीं है, तो फिर वह कैसे खत्म होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस के साथ ही काश्तकारों के सामने यदि यह रक्खा जाय कि तुम इतना रुपया देना चाहते हो या जमींदारी को ऐसे ही बिना रुपया दिये रखना चाहते हो तो मैं आप से कहता हूँ कि वे अपने भाग्य की सराहना करेंगे और परमात्मा को धन्यवाद देंगे और इस बात को कबूल करेंगे कि १० गुना रुपया दे दिया जाय और जमींदारी खत्म कर दी जाय। इस लिये इधर-उधर की बातें कहकर काश्तकारों को बरगलाने की कोशिश से और किसी और बात से कोई फ़ायदा नहीं है। असल बात तो देखना चाहिये कि हमारा जो मकसद है वह इस बिल से पूरा होता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद बिना काश्तकारों से रुपया लिये हुये पूरा नहीं हो सकता और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता। अब सवाल यह है कि आया जो भूमि-व्यवस्था हम इस बिल के जरिये से करने जा रहे हैं वह व्यवस्था कैसी हो। आया वह मकसद जो हम चाहते हैं, वह इस बिल से पूरा होगा या नहीं। कहा यह जाता है कि हम वह भूमि-व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अगर दो तीन बातें हो जायँ तो वह भूमि-व्यवस्था अच्छी हो जायेगी। एक तो यह कि गाँवों में कोई इनइक्वालिटी (असमानता) पैदा न हो और सब लोग बराबर हो जायँ। रामराज्य तभी हो सकता है, जब सब की अवस्था करीब-करीब एक सी हो। अगर उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, तो वह रामराज्य हरगिज नहीं हो सकता। दूसरी बात, ऐसी भूमि-व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमें हमारे यहाँ खेती की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। अगर पैदावार में कमी रह जाती है तो मैं समझता हूँ कि वह भूमि-व्यवस्था अच्छी नहीं कही जा सकती। भूमि-व्यवस्था के लिये जितना ज्यादा हम पैदा कर सकें वह भूमि-व्यवस्था उतनी अच्छी है। मैं यह मानता हूँ। तीसरी बात यह होनी चाहिये कि बेकारी बढ़ने न पावे, कम हो सके हो जाय लेकिन बढ़ने न पावे। तो हमें इन्हीं सब बातों पर गौर करने से पता चलेगा कि इस बिल में जो भूमि-व्यवस्था है वह हमारे लिये फायदेमंद और उचित है। मैं समझता हूँ कि अगर एक एक चीज को लिया जाय तो यह बिल उन सब बातों को पूरा करता है। देखना यह है कि इस बिल से देहात में बराबरी बढ़ेगी या नहीं। इस समय जमींदार हैं और बीच में हक वाले और कई तरह के लोग भी हैं। इसके अलावा और कई तरह के काश्तकार हैं। कोई शिकमी काश्तकार है, कोई फिक्स्ड रेट टेनेंट है, कोई आकूपेन्सी टेनेंट है, कोई हेरीडिटरी टेनेंट है और तरह तरह के लोग हैं तो आज देखा जाय इन

[श्री होतीलाल अग्रवाल]
सब हकवालों के हक एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। मैं समझता हूँ कि आज यह बात कोई नहीं कह सकता कि इनइक्वालिटी नहीं है। बड़ी भारी इनइक्वालिटी है। पड़ोसी का एक काश्तकार जो लगान देता है ठीक उसी तरह का दूसरा पड़ोसी उसका ठीक दुगुना या तिगुना लगान देता है तो मैं समझता हूँ कि यह चीज जो है वह इनइक्वालिटी की है वह इस बिल में हमने कम की हैं जिससे इनइक्वालिटी खत्म हो। जाहिर है कि सरकार और काश्तकार के बीच में जमींदार नाम की कोई चीज तो अब रहेगी नहीं। बिल में न कोई ऐसा प्राविजन है जिसमें वह मौजूद रहे और न भविष्य में पैदा होने के लिये कोई जगह है।

कहा जाता है कि भूमिधर तो जमींदार लफ्ज का ट्रांसलेशन है। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वह भूमिधर कितने होंगे। आज जमींदार कितने हैं। ५० रुपये से कमवाले को हम जमींदार नहीं कहते हैं। बड़े जमींदार चन्द थोड़े से हैं। देहातों में अगर आप देखें तो मालूम होगा कि एक फीसदी भी नहीं हैं। और अगर अब काश्तकारों में ६० फ़ीसदी हो जायँ तो कोई बेजा बात नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। जो भूमिधर के राइट्स (हक़) दिये जा रहें हैं वह आम तौर पर मजारिटी (बहुसंख्यक) को दिये जा रहे हैं। मजारिटी को हुकूक दे देना बहुत अच्छी बात है। तो अब देखना यह है कि आगे कितने तरह के काश्तकार होंगे। चार तरह के काश्तकार होंगे। दो तरह के काश्तकार तो ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों के लिये रहेंगे। इस बिल के मुताबिक अधिवासी ५ साल तक के लिये रहेंगे लेकिन मैं तो यह चाहता था कि जो कुछ भी होना है उसके लिये ५ साल के लिये यह नहीं टालना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि जो इस वक्त में काश्तकारान हैं वह चाहे सीर का हो या असली हो, जो कुछ भी उनको देना है वह आज ही दे दिया जाय। आगे ५ साल के लिये ससपेन्स (असमंजस) में डाले रखना कोई फायदेमन्द बात साबित नहीं हो सकती है। इसमें न जमींदार का फायदा है और न काश्तकार ही का फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से यह चीज बहुत दिनों तक चलाना कि कोई शिकमी बना रहे, कोई असली बना रहे और कोई सीर का मालिक बना रहे और उसका शिकमी काश्तकार उसको लगान देता रहे यह उचित नहीं जान पड़ता। इसका अन्त अभी हो जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि बजाय १० गुने के १५ गुने उनसे ले लिया जाय और इस वक्त उनको अधिकार दे दिये जायँ। भूमिधर के अधिकार उनको दे दिये जायँ तो एक क्लास आज ही खतम हो सकती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बात पर गौर करे। अगर आप यह समझते हैं कि ५ साल तक सीरदार या असली काश्तकार को लगान का फायदा हो जायगा तो यह बात भी कुछ जँचती नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि १० फीसदी कर दें या और ज्यादा करा दें लेकिन खातमा उसका आज ही कर दें। वह गरीब आदमी है। अगर १५ फीसदी न रक्खें तो ठीक है। १० फीसदी रक्खें तो अच्छा है या २० फीसदी रक्खें। जो कुछ भी हो सरकार जिस नतीजे

पर पहुँचना चाहती है उस नतीजे पर आज ही पहुँच जाना चाहिये और इस अधिवासी की क्लास को खतम कर देना चाहिये और वह आज ही खतम हो सकती है। मैं समझता हूँ कि १० गुना रुपया लेने के बाद आप भूमिधर को कुछ अख्तियार दे रहे हैं। वह इतने ज्यादा अधिकार हैं जो काफी हैं। वह अपनी जमीन को चाहे किसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वह उसको बेच सकता है, वह उसको रेहन कर सकता है, तो जो आपने यह बड़े अख्तियार उसको दिये हैं इसके माने यह हैं कि हमारी पैदावार में यह बड़ा काम देगा। आज तक काश्तकारों के पास जितनी काश्त थी उसकी वह हैसियत नहीं थी। बाजार से उसको जो कर्जा लेना पड़ता था उसका भारी सूद उसको देना पड़ता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब उसको यह अख्तियार मिल जायँगे तो उसकी हैसियत बहुत अच्छी हो जायगी। और उसको जरूरत पड़ेगी, या खेती की तरक्की के लिये जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त वह रुपया ले सकता है और कम सूद पर पर उसको रुपया मिल सकता है। यह चीज देखने में आती थी कि कोआपरेटिव सोसाइटी के होते हुए भी आज जब काश्तकार को जरूरत पड़ती है तो उसे दो रुपया सैकड़ा सूद देना पड़ता है लेकिन इस बिल के पास होने के बाद मैं समझता हूँ कि काश्तकारों की करजे की समस्या, उसकी बैल की समस्या, बीज की समस्या वगैरह यह सब समस्यायें हल हो जाँयगी, क्योंकि उसको रेहन और बय करने का अख्तियार हो जायगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो उसको रेहन और बय करने का अख्तियार दिया जा रहा है एक बहुत बड़ा अख्तियार है। इस तरह के अख्तियार के होते हुए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सीरदार न होगा जो इस चीज को मंजूर न करे। ४० साल तक यह व्यवस्था है जो आधा रुपया के हिसाब से उससे लिया जायगा। जितना रुपया वह देगा उसका दुगुना रुपया सरकार के पास हो जायगा। इस तरह से मैं यह समझता हूँ कि कोई सीरदार ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो सीरदार का रुपया देकर भूमिधर के अख्तियार न ले तब फिर केवल दो रह जायँगे। एक तो भूमिधर रह जायगा। सारे सूबे में भूमिधर लोग रह जायँगे, इसके अलावा अगर कोई रहेगा तो वह आसामी रह जायगा। आसामी भी एक जरूरी दिक्कत है। अगर वह दिक्कत न होती तो मैं समझता हूँ वह भी न रहते। लेकिन उनकी तादाद कितनी होगी? आम लोगों को तो शिकमी उठाने का अख्तियार नहीं होगा, केवल उनको होगा जो या तो माइनर नाबालिग हैं, या बेवाएँ हैं, या किसी तरह से डिसएबिल्ड (लाचार) हैं या जो हमारी फौज में इधर-उधर काम करेंगे वह। इनके अलावा किसी को अख्तियार नहीं होगा। तो उनका जो अख्तियार होगा वह आम तौर से बरतेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से लेकर के खेती ही करेंगे, क्योंकि खेती में फायदा होगा बनिस्बत शिकमी उठाने में। तो वे तो किसी न किसी तरह से इन्तजाम करके खेती करेंगे। तो इसलिये जो आसामी होंगे उनकी तादाद बहुत

थोड़ी होगी। मेरा खयाल है कि वह एक फीसदी भी नहीं हो सकते। तो जब ९९ फीसदी काश्तकार एक तरह के हो जायँगे, उनके हक एक तरह से होंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे ईक्वालिटी (समानता) लाने में बहुत मदद मिलेगी, तो इस बिल से हमारे देहात में भी अनईक्वालिटी जो भेद-भाव, जो असमानता फैली हुई है वह बिलकुल खत्म हो जायगी और सब लोगों की बराबरी हो जायगी।

अब सवाल यह है कि हम प्रोडक्शन (पैदावार) बढ़ा सकेंगे या नहीं। इस बिल के आने के पहले और पीछे की हालत में क्या तबदीली होगी ? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो होगी जो काश्तकार की पैदावार को बढ़ायेगी वह यह कि सारे संसार ने यह माना है जिस आदमी का यह ख्याल होता है कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ तो वह उसकी तरक्की करने में अपनी जान लड़ा देगा और जब उसकी हैसियत भी ऐसी होगी कि जो जरूरी चीजें हैं उनको मुहइया कर सके तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज से ज्यादा उसकी तरक्की क्यों नहीं होगी ?

दूसरी बात यह कही जाती है कि हमारे सूबे में ज्यादातर ऐसी जोत है जो बहुत छोटी छोटी हैं, एक एकड़ से कम की हैं, दो एकड़ से कम की हैं। ठीक है, आज ८७ फीसदी ऐसी जोतें हैं जो बहुत छोटी हैं, अनएकानामिक (अलाभकर) हैं, जिनमें इतनी पैदा नहीं होती कि काश्तकार को खाने के बाद कुछ बच जाय और ऐसी जोतों में मैं जानता हूँ कि बहुत कम पैदावार होती है, क्योंकि ऐसे काश्तकार के पास साधन नहीं होते। इसलिये वह इतना पैदा नहीं कर सकता जितना कि बड़े काश्तकार कर सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों के पास बड़ी २ जोतें हैं, ५०० बीघे की हैं, २००० बीघे की हैं उनके लिये भी आजकल बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिये उनके खेतों में सिवाय उन लोगों के जो मिकेनाइज्ड (यांत्रिक) ढंग से खेती करते हैं, इतनी पैदावार नहीं होती जितनी कि पैदावार बीच की जोतों में होती है। इसके मानी यह हैं कि सिवाय मशीन की खेती के ५० एकड़ के बाद औसत पैदावार कम हो जाती है। इसलिये मैं चाहता यह हूँ कि इस तरह की दोनों जोतों में कमी हो। तो देखना यह है कि इस बिल में इसके लिये कुछ है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भूमिधर को यह अख्तियार दिया गया है कि वह अपनी काश्त को बेच सकता है, रेहन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है तो इस राइट के जरिये से अपने आप ऐसी टेंडेंसी (रुझान) पैदा होती है कि यह कायदा है कि हर आदमी को अपनी चीज छोड़ने में बुरा लगता है वो जिसके पास एक एकड़ जमीन है, आध एकड़ जमीन है आज वहभी इस काम को छोड़ कर दूसरे काम को नहीं शुरू करेगा। सैकड़ों काश्तकारों से मेरी बात चीत हुई है वे ज्यादा फायदे का काम भी नहीं करते अगर इसके लिये उन्हें अपना काम छोड़ना पड़े तो इसलिये जो बेचने का हक उनको मिल गया है तो ऐसे लाखों आदमी जिनके पास एक-एक, दो-दो, पाँच-पाँच बीघे काश्त है वह अपनी काश्त दूसरे लोगों को दे देंगे ताकि वे दूसरी जगह जाकर अपनी गुजर करें। तो इस तरह से जो अनएकानामिक होल्डिंग्स हैं वह कम होंगी।

तीसरी बात जो इसमें रक्खी गयी है वह यह है कि वह काश्तकार उस काश्त में अपना हाथ नहीं खींच सकता; जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है।

तो इस लिये बड़ी-बड़ी जोतें नहीं होंगी। लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूँ; जहाँ तक कि नई जोत का ताल्लुक है हमारी सरकार ने बिल में रक्खा है कि नई जोत पहले उस आदमी को उठाई जाय जिसके पास अनएकोनामिक होल्डिंग है; उसको पहले मिलना चाहिये और उसके बाद खेती का जो मजदूर है उसको मिलना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि जो बय करने का अधिकार है, उसमें यह शर्त लगा दी जाय कि जो कोई बेचेगा, जिस तरह से तीस एकड़ से ज्यादावालों को दे नहीं सकता, उसी तरह से उन लोगों को बेचेगा जिनके पास अनएकोनामिक होल्डिंग है और उसके बाद उन लोगों को जिनके पास खेत नहीं होगा। तो इस का नतीजा यह होगा कि जितनी अनएकानामिक होल्डिंग्स हैं वह कम होती चली जायँगी और इसी तरह से बड़ी-बड़ी जोतें भी इस कानून के जरिये से ही धीरे-धीरे बँट कर छोटी हो जायँगी। आज हम देखते हैं कि बड़ी जोत वालों को बड़ी दिक्कत है। उन्हें मजदूर नहीं मिलते, जिससे वह अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकें। अगर बड़ी जोतों में ज्यादा पैदावार कर लें तो फिर एतराज ही क्या होता। लेकिन चूँकि नहीं कर पाते हैं, इसलिये वह भी सोचेगा कि जब मैं खेती कर नहीं पाता हूँ तो उस खेत की कीमत ही ले ली जाय तो अच्छा है। तो अगर वह बेचेगा तो अपने जोत के उसी हिस्से को बेचेगा, जिसमें वह अच्छी तरह से पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ शर्त यह रहे कि वह भी पहले उसी को बेचेगा जिन की होल्डिंग अनएकानामिक हैं और उसके बाद लैंडलेस लेबर (भूमि-हीन मजदूर) को बेचेगा। अगर ऐसा कर दिया जाय तो हमारी जो समस्या है वह हल हो जायगी। तो मैंने यह दिखाया कि हमारे यहाँ जो पैदावार में कमी है वह छोटी और बड़ी जोतों के कारण है, जिसके लिये मसाला इस बिल में मौजूद है। दूसरी बात मैंने यह बताई कि काश्तकार जब मालिक होगा तो यह भी बड़ी जबर्दस्त वजह होगी जिसकी वजह से जोत की पैदावार बढ़ जायगी। इस ख्याल से भी अगर देखा जाय तो यह बिल बहुत अच्छी चीज है।

अब उन लोगों का सवाल आता है जिनके पास खेत नहीं है और वह मजदूरी करते हैं। मेरा ख्याल यह है कि यह बात बिल्कुल साफ है कि जितने आदमी इस वक्त खेती में लगे हैं उनके लिये जमीन पर्याप्त नहीं है। जमीन इतनी नहीं है कि सबको दे दी जाय। तब सवाल यह आता है कि जमीन जितने लोगों को दी जा सकती है, जो अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं उससे ज्यादा को देने के माने यह होंगे कि अनएकानामिक होल्डिंग को बढ़ाया जाय।

बहस जो की गई है वह अजब तरीके की है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जितने लोग हैं सबमें बराबर-बराबर जमीन बाँट दी जाय और दूसरी तरफ इस बात पर भी बड़ा जोर है कि अनएकानामिक होल्डिंग्स न होने पाएँ।

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

मेरी समझ में नहीं आता कि यह दोनों चीजें तो ऐसी हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। अगर लैंडलेस लेबर को जमीन बाँट दी जाय तो यह न उनके फायदे की चीज होगी, न किसी के फायदे की चीज होगी और न सूबे के फायदे की चीज होगी। जोतों के छोटी छोटी हो जाने पर उसको उसमें फायदा नहीं हो सकता। असली हाल तो यह है कि बहुत से धंधे अपने सूबे में जारी करने होंगे और जो बड़े बड़े पैमाने पर काम होते हैं अगर वह देहात में चलाये जायँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे देहात की समस्या पूरे तौर से हल हो जायगी।

एक बात और यह कहता हूँ कि यह कहा गया है कि लगान कम नहीं किया जा रहा है गो कांग्रेस हमेशा इसके माफिक रही कि लगान कम किया जाय लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह कहा गया कि सन् १९२१ ई० में कांग्रेस चाहती थी कि लगान जो जमींदारों ने पिछले कई वर्षों में चार करोड़ के करीब बढ़ा लिया है उसे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिये यह माफ होना चाहिए और यह भी कहा गया कि कांग्रेस का यह बराबर दावा रहा है कि अनएकानामिक होल्डिंग्स का लगान कतई माफ कर दिया जाय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह ठीक बात है। लेकिन हमें देखना यह है कि आज लगान जैसा कि हम चाहते थे वैसा है या नहीं। जिन हमारे विरोधी दल के नेता श्री लारी ने यह बात कही कि हमने सन् २१ में क्या कहा था और सन् ३६ में क्या कहा था। जमींदारी कमेटी की रिपोर्ट के वक्त क्या कहा लेकिन उन्होंने यह नहीं फरमाया कि क्या आज भी रुपये की वही वैल्यू (मूल्य) है जो सन् १९२१ ई० में सन् १९३६ ई० में या जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के वक्त थी। मैं दावा करता हूँ कि सन् २१ में जो रुपये की कीमत थी वह आज चार आने से ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूँ कि जो १८ करोड़ रुपया लगता था आज साढ़े चार करोड़ रुपया लगता है तो मैं यह कहता हूँ कि आज क्या कांग्रेस ने जो कहा था उसके खिलाफ कोई काम कर रही है ? कांग्रेस ने यह कहा था कि अगर रुपये की वैल्यू यही रही तो चार करोड़ रुपया काश्तकार बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जब रुपये की वैल्यू बढ़ गई और वह मुसीबत जो सन् १९२१ ई० में थी वही अगर काश्तकार के लिये आयेगी तो हमारी गवर्नमेंट खूब समझती है कि बिना लगान घटाये काम नहीं चल सकता है। जब टाइम (वक्त) निकल जायेगा तो लगान और मालगुजारी को साइंटिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से कर देंगे। इसलिये इस वक्त लगान कम की बात करना ठीक नहीं है और यह बात समझ में भी नहीं आती है सिवाय इसके कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं उनको बरगलाया जाये। इसलिये हर एक बात खूब सोच-विचार कर कहना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं बैठ जाऊँगा। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। एक बात मुझे बहुत खटकती है जो इस बिल में काश्तकार से, मालगुजारी वसूल करने का तरीका रक्खा गया है वह मुझे कुछ जँचा नहीं। मालगुजारी वसूल करने में

सबसे पहली बात यह रक्खी गई है। मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हो जाये तो सबसे अच्छी बात है लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है और जैसी हमारी अवस्था है उस अवस्था में मैं इस चीज को उचित नहीं समझता। जो ज्वाइंट और इंडिवीजुअल रिस्पान्सीबिलिटी (सम्मिलित और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व) रक्खी गई है यानी सबको मिलाकर और अलग अलग जिम्मेदारी होगी। आज मैं समझता हूँ कि इस बात में बड़ी दिक्कत होगी और आज भी हमें बड़ी दिक्कत पड़ रही है। हमने प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूली) में देखा है कि जहाँ चार साझीदार थे उनके लिये ज्वाइंट रिस्पान्सीबिलिटी कर दी गई थी उनसे ही सबसे कम अन्न मिला। क्योंकि एक आदमी में तो इतनी सामर्थ्य होती नहीं है कि सबके हिस्से का अन्न दे सके और लोग यह देखते हैं कि पहले वह दे दे तो मैं दूँ। जो यह रिस्पान्सीबिलिटी (उत्तरदायित्व) रक्खी गई है इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। इससे वसूली में दिक्कत पड़ेगी और काश्तकारों में आपस में मनमुटाव तथा मुक़द्दमेबाज़ी होगी। मान लीजिये चार साझीदारों में से दो दे देते हैं और दो नहीं देते तो दीवानी में दावा दायर करना पड़ेगा। इन चीजों को खत्म करने के लिये मैं उम्मीद करूँगा कि इन पर गौर किया जाये और जहाँ तक मुमकिन हो सके इन चीजों को खत्म कर दिया जायगा।

इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होने का डर है। इसके बाद मैं बार बार यह कहता रहा हूँ कि रुपया वसूल करने के लिए किसी को गिरफ्तार करके डिटेन (हिरासत में) करना उचित नहीं है और अगर कानून में यह चीज रहेगी तो यह डर है कि उसका मिसयूज (ग़लत इस्तेमाल) जरूर होगा। थोड़ा पैसा होने पर मेरा ख्याल है कि यह नौबत नहीं आवेगी। और अगर ऐसा रहेगा तो लोगों की इज्जत पर बन आवेगी इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्राविजन को निकाल दिया जाय और रुपया वसूल करने के डिटेन्शन के अलावा दूसरे तरीके भी हो सकते हैं।

दूसरी चीज़ यह है कि सन् ३९ में यह रक्खा गया था कि सेना (सहना) बिठा कर फ़सल कुर्क की जाती है। यह चीज ऐसी है कि जिससे मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि अब वह मौक़ा नहीं है कि सरकार की तरफ से इस तरह से सेना मुकर्रर करके खड़ी फस्ल को कुर्क करने की जरूरत पड़े। इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था।

मैं आपका और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना वक्त भी मैंने इस लिये लिया क्योंकि यह बहुत इम्पारटेंट (महत्त्वपूर्ण) बिल था। आखिर में मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सब मिलकर कोशिश करें और इस बात का ख्याल न करें कि हम सोशलिस्ट हैं, या कांग्रेस पार्टी के हैं या इस फिरके या उस फिरके से सम्बन्ध रखते हैं। और फिजूल के आरगूमेंट्स (दलीलों) का सहारा लेकर लोगों को बरगलाइये नहीं और जमींदार भी यह ख्याल न करें कि हमारा ख्याल नहीं रक्खा गया है और

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

अगर कोई असन्तुष्ट भी हो तब भी सबको मिलकर ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हमारे देहातों की प्रजा का भला हो। अन्त में मैं फिर सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि यह एक ऐसा बिल है कि जिससे हमारे देहात के रहनेवाले खुश होंगे और सम्पन्न होंगे और हमेशा आपको धन्यवाद देते रहेंगे।

श्री मुहम्मद रज़ा खाँ——जनाबवाला, मैं न कांग्रेसी हूँ, न सोशलिस्ट हूँ, न कम्यूनिस्ट हूँ और न सरमाएदार हूँ, बल्कि एक गरीब शख्स हूँ और खेती करता हूँ और इसी उसूल के मातहत मैं जो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ करूँगा।

जनाबवाला, इस वक्त हमारे सामने जो मसला पेश है वह ऐसा मामूली नहीं है कि जिसको हम यह खयाल कर लें कि वह आसानी के साथ मामूली तरीके से हल हो सकता है। मेरा ख़याल है कि इस सूबे के करोड़ों आदमियों पर किसी न किसी तरह इसका असर पड़ता है जहाँ तक कि जमींदारों की तवारीख का सवाल है मैं उन की तवारीख बयान करना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करूँगा कि दुनिया आज तक मुख्तलिफ दौरों से गुजरी है और उसकी तारीख भी बदली है। एक जमाना वह था कि जब जमींदार नहीं थे और राजा थे और हर चीज राजा की मिल्कियत समझी जाती थी। उसके बाद जमाने और मौके ने जब मजबूर किया तब जमींदारी सिस्टम रायज हुआ और उसके बाद फिर आज जमाना मजबूर करता है तो जमींदारी सिस्टम को दूर किया जा रहा है और दुनिया में ऐसा हमेशा होता आ रहा है। मैंने सन् ३८ में इसी हाउस में अपनी एक तकरीर में कहा था कि जमींदारी को खत्म करना होगा। इसके बाद सन् ४७ में मैंने कहा था कि एक तरीका इसको खत्म करने का मुनासिब होगा और वह यह कि काश्तकारों से जमींदारों को मुआवजा दिलाया जाय। आज मुझे याद है कि एक साहब ने कहा था कि इस तरह बजाय लाखों जमींदारोंके करोड़ों जमींदार इस सूबे में बनजायँगे। मैंने उसका जवाब उनको यह दिया था कि आपको जमींदार के नाम से नफरत है या उसके अगराज से। मैं आज भी कहता हूँ कि भूमिधर काश्तकार क्या होगा। मैं उसको अगर उर्दू जबान या हिन्दुस्तानी में कहूँ तो उसे भी जमींदार कहा जा सकता है। जनाबवाला यह भी कहा जाता है कि इस सूबे के अन्दर कम्यूनिज्म को रोकने के लिये जमींदारी का खात्मा जरूरी है। मैं यह कहता हूँ कि जहाँ एक तरफ जमींदारी का खात्मा जरूरी है वहाँ दूसरी तरफ मैं यह भी कह सकता हूँ कि कम्यूनिज्म को रोकने के लिए सिर्फ जमींदारी का खात्मा ही जरूरी नहीं है इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी हम कम्यूनिज्म को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम अवाम के सामने रखना पड़ेगा जिसको वह यह ख्याल करे कि यह कम्यूनिस्टों के प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह निहायत जरूरी है कि हम ऐसा तरीका अख्तियार करें कि जिससे कम्यूनिज्म हमारे सूबे के अन्दर न फैले। मैं इसको बुरा समझता हूँ और इसकी मुखालिफत करता हूँ लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अगर हम कोई इस किस्म का फेल करते हैं जो हमको कम्यूनिज्म

के करीब ले जाना है तो करीब जाने के मानी यह हैं कि एक रोज ऐसा आयेगा कि हम उनके अमल करने पर मजबूर होंगे। जहाँ तक कम्यूनिज्म के उसूलों का ताल्लुक है वह ऐसे उसूल हैं जिसकी वजह से हमको अपनी तमाम तारीख से बिल्कुल अलेहदा हो जाना पड़ेगा। मगर हमें इस जमाने के अन्दर यकीन है कि अगर डेमाक्रेसियन के तरीके से शराफत के तरीके से और प्राइवेट प्रापर्टी को बरकरार रखते हुए काम चलाना चाहें तो चल सकता है और कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने सूबे के अन्दर कम्यूनिज्म को फैलने दें। मैं यह यकीन रखता हूँ कि यह जमाना जम्हूरियत का है और हम जम्हूरियत के उसूलों को अपना रहे हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत दरअसल हमारी है और वह जम्हूरियत के उसूलों की नुमाइन्दा है लेकिन अगर हमारी हुकूमत गलती करती है तो हमारा फर्ज है कि उसे मुतनब्बा करें कि वह गलती कर रही है और हुकूमत का फर्ज है कि उसे उस आदमी की बात, चाहे वह पार्टी से ताल्लुक रखता हो या न रखता हो, सुनना पड़ेगी। अगर हुकूमत गलती करेगी तो इस सूबे के ६ करोड़ आदमियों पर उसका असर पड़ेगा। जहाँ तक कि जमींदार और काश्तकार का सवाल है दोनो की ही यह हुकूमत है। मैं पूछता हूँ कि अगर एक तबके को तकलीफ होती और जम्हूरी उसूलों को मानते हुए इस मुल्क को एक यूनिट की हैसियत देना पड़ेगी तो क्या उस तबके की तकलीफ रफा करना सरकार का फर्ज नहीं होगा। जैसे जिस्म है और उसके एक हिस्से को काटा जाता है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। मैं इसी तरह से कम्यूनिज्म के फोड़े की मिसाल लेता हूँ कि वह फोड़ा पका हुआ है और हम उसका आपरेशन करना चाहते हैं तो यकीनन जिस्म के हर हिस्से में दर्द होता है लेकिन मजबूरी है कि उसका आपरेशन करें ताकि उसका असर और जहर जिस्म के अन्दर न फैले।

अब मुझे यह अर्ज करना है कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि छोटे और बड़े जमींदारों में कोई फर्क नहीं करना चाहिये। जहाँ तक कि मुआविजे का सवाल है, इसे जमींदारों और हुकूमत दोनो को मिलकर तय कर लेना चाहिए, और जिस नतीजे पर ये पहुँचें उस पर अमल करने के लिये काश्तकार तैयार हैं। यह कहना कि बड़े जमींदारों को मुआविजा कम दिया जाता है या छोटे को ज्यादा, बिलकुल फिजूल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वह मुआविजा इतना भी नहीं है कि एक छोटा जमींदार जिसकी मालगुजारी ५० या १०० रु० है, वह एक ट्रैक्टर भी खरीद करके आइन्दा खेती कर सके और अभी हुकूमत भी बहुत अर्से तक इस काबिल नहीं हो सकती है कि वह आम तरीके से, कोआपरेटिव सिस्टम के तरीके से फार्म्स बनाकर तमाम लोगों को उस पर लगा सके। मैं समझता हूँ कि देहात के काश्तकार इसके लिये तैयार न होंगे कि उन्हें बजाय काश्तकारी के और किसी मजदूरी के काम में लगाया जाय। इसलिये बेहतरीन सूरत यही हो सकती है कि जमींदार और काश्तकार के मामले को हुकूमत

[श्री मुहम्मद रज़ा ख़ाँ]
तय कर दे और जो मुआविजा हुकूमत तय करे उसे काश्तकार अदा कर दे। लेकिन मैं इस बात के बिलकुल खिलाफ हूँ कि काश्तकार से एक तरफ यह कहा जाय कि वह ज़मींदार या भूमिधर होगा और दूसरी तरफ उसकी मिल्कियत न मानी जाय, या हुकूमत यह कहे कि ये कौमी मिल्कियत बना दी गई है। मैं कहता हूँ कि कौमी मिल्कियत तो तमाम हिन्दुस्तान ही है। वह ज़माना गुज़र गया जब कौमी मिल्कियत का सवाल अँगरेजों के मुकाबिले में पैदा होता था, आज तो हर चीज़ कौमी मिल्कियत है। तो यह सवाल पैदा करना कि हर चीज़ कौमी मिल्कियत बना दिया जाय, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं मामूली होता। प्राइवेट प्रापर्टी का हक किसी तबके को न देना मेरे ख्याल में बड़ी गलती होगी।

छोटे काश्तकार के मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि १० एकड़ तक का काश्तकार ऐसा काश्तकार है जो अपने बच्चों के खाने के लिये और कपड़े के लिये भी पूरी आमदनी नहीं पैदा कर सकता है। इस गरानी के ज़माने में भी वह तकलीफ महसूस करता है। इसी तरह वह काश्तकार जो २५ बीघे का काश्तकार है, वह भी अच्छी हालत में नहीं है। बदकिस्मती से हमारे सूबे की हुकूमत और हमारे हिन्दुस्तान की हुकूमत यह महसूस करती है कि इस वक्त देहातों के काश्तकारों के पास रुपया बहुत है, और टैक्स की सूरत में या दूसरी वजह से उसे ले लें। मैं हुकूमत को यकीन दिलाता हूँ कि देहातों के अन्दर इस वक्त इसी प्रोक्योरमेंट में काश्तकारों को और जमींदारों को बहुत तकलीफ हुई है। मेरे जिले में ही गल्ले की पैदावार कम हुई और दूसरी बात यह थी कि जो पैदावार हुई थी वह अच्छे किस्म की नहीं थी, गेंहूँ पतले हो गये थे। बहुत से लोगों ने अपने मवेशी बेचकर, अपने जेवरों को बेचकर गल्ला दिया है और अपनी हुकूमत के हुक्म की तामील की है। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के लिये ऐसे तरीके अख्तियार किये जायँ जिनसे वे सही तरीके पर काश्तकारी पेशे से महरूम न हों। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को खेती से महरूम करना जायज़ न होगा। इसके लिये यह तरीका मुनासिब होगा कि अगर वह लगान अदा न करें तो उसकी कुछ ज़मीन को पट्टे पर दे दिया जाए जैसा कि पहले किया करते थे, लेकिन हक नीलाम का इसमें रखना मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे तमाम फ़ायदे सरमायेदार ही उठायेंगे। और तमाम ज़मीनें कुछ अर्से के बाद सरमायेदार तबके के पास चली जायेंगी काश्तकार लोग ग़रीब हो जायेंगे और मज़दूर हो जायँगे। मैं इस तरीके को नापसंद करता हूँ। मेरे ख्याल से यह बात बहुत मुनासिब नहीं है। कुछ काश्तकारों की बेदख़ली की रोक की गई है लेकिन अगर ५ बरस तक इन काश्तकारों की बेदख़ली की रोक की गई तो बाकी जो बाग़ात हैं वे सब ख़राब हो जायेंगे। काश्तकार लोग बागों को काट लेंगे और नतीजा यह होगा कि वे बेदख़ल भी न हो सकेंगे और बाकी बाग़ात ख़राब हो जायँगे। मुझे यह भी अर्ज करना है कि काश्त से मुसतस्ना होने की दफ़ा की सख्त ज़रूरत है। इस बिल में ऐसा रक्खा तो गया है लेकिन

बूढ़े, अंधे लूले और लँगड़े काश्तकारों को खेती से मुस्तस्ना करना चाहिये। अगर उनको मुस्तस्ना नहीं किया जायगा तो मेरे ख्याल से एक बहुत भारी खामी इस बिल में रह जायेगी। मैं एक बात और हुकूमत से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल में कोई ऐसा तरीका नहीं किया गया है कि हिन्दोस्तान के यहूदी लोग अपनी हरकात से बाज आ जायँ। मेरा ख्याल है कि इस बिल में ऐसी कोई दफा जरूर होनी चाहिये मैं यह देख रहा हूँ कि जब कि पहिले ? रु० सैकड़ा सूद लिया जाता था लेकिन वह अब बढ़ कर एक आना रुपया महीना हो गया है यानी एक रुपये पर १२ आना सूद हो गया है और जहाँ चीजों की गिरानी हुई है वैसे इस सूद की गिरानी बहुत तकलीफदेह हो गई है लेकिन खुशी इस बात की है कि काश्तकार लोग उसको समझ गये हैं और उससे बचने की कोशिश करने लगे हैं। इस साल में मनी आर्डर्स बहुत ज्यादा हुये हैं। जो वह सूद ? रुपये पर १२ आना लेते थे अब उनको मनीआर्डर्स की वजह से बहुत कम मौका मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि ऐसे तबके को रोकने के लिये हुकूमत की तरफ से कुछ किया जाना चाहिये। इस बिल के अन्दर ऐसी दफा फराहम करना चाहिये कि जिससे यह तबका गरीबों का खून न चूस सके। दुनिया के अन्दर जो नए निजाम या आईन आते हैं या अख्तियार किये जाते हैं लोग उससे हमेशा डरा करते हैं। बात कुछ ऐसी है—

"आईने नौ से डरना, तरजे कोहन पे अड़ना,
मञ्जिल यही कठिन है कौमों की जिन्दगी में।

मैं समझता हूँ कि जमींदारी को खत्म करना और काश्तकारों के लिये नये हुकूक देना कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें इतनी दिक्कत पैदा हो कि जो लोगों को महसूस हो। अलबत्ता ऐसी बात जरूर है कि जो बड़े बड़े रईस हैं, जिनकी यक़ीनन् बहुत बड़ी आमदनी थी वे उस आमदनी से महरूम रह जायेंगे। यह मुमकिन है कि उनको दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ तक आम जमींदारों का ताल्लुक है जमींदार भी गवर्नमेंट के हैं, जमीन भी गवर्नमेंट की है और काश्तकार भी गवर्नमेंट के हैं।

तो मैं कहता हूँ—

दिल तुम्हारा है, जाँ तुम्हारी है,
बोलो दोनों में किसकी बारी है।

जहाँ तक हुकूमत करने का सवाल है मैंने कहा है कि हुकूमत जम्हूरियत की मुहाफिज है। बाज बातें इस क़िस्म की हुई हैं कि जिनसे यह ख्याल होता है कि हुकूमत बाज मामलात में सही तरीक़ा अख्तियार नहीं करती। अब वह गुजिश्ता जमाना नहीं रह गया जिसमें लोगों का एजीटेशन और उनका गुस्सा हुकूमतों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाला करता था। अब तो हम एक जम्हूरियत और जम्हूरी हुकूमत बना चुके हैं। मैं अपनी हुकूमत से पूछने का मुस्तहक़ हूँ कि आप हमें

[श्री मुहम्मद रज़ा खाँ]

बतलायें कि आप इस सूबे के ऊपर कलम से हुकूमत करना चाहते हैं या बन्दूक से। आप वोटों के भरोसे पर हुकूमत करना चाहते हैं या फ़ौजों के। मैं इसका जवाब खुद देने का मुस्तहक़ नहीं हूँ। मेरी राय में इसका जवाब हुकूमत को अपनी अक़्ल से देना चाहिये। जहाँ तक कि हालात का तक़ाजा है, हुकूमत यह देख रही है कि उसको अब क्या तरीक़ा अख्तियार करना चाहिये। मैं हुकूमत से यह उम्मीद करता हूँ कि वह ऐसे तरीके अख्तियार करेगी जिनसे जम्हूरी उसूलों को तक़वियत हासिल हो। अगर उसने गलती की तो यक़ीनन् हम और हुकूमत दोनों मुश्किलात में मुब्तला हो जायँगे। मुझे कुछ और अर्ज करना नहीं है।

श्री भगवानदीन मिश्र—श्रीमन्, जो जमींदारी उन्मूलन बिल तथा भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार कई दिन से जारी है और जिस पर श्री जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने एक संशोधन भी पेश किया है कि ३१ दिसम्बर तक यह स्थगित कर दिया जाय उस पर भवन में हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी सम्मतियाँ प्रकट कीं। इस समय हर बात पर मैं भवन का समय नहीं लेना चाहता। केवल दो-चार आवश्यक बातें भवन के सामने रख देना उचित समझता हूँ।

पहली बात तो यह है कि ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को इस भवन ने यह प्रस्ताव पास किया था कि सूबे में जो जमींदारी प्रथा एक अर्से से जारी है और जिससे किसानों का शोषण चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं और उस समय से लेकर आज तक कुछ असुविधाओं के कारण और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यह बिल हाउस के सामने नहीं आ सका। लगभग तीन वर्ष हो गये। ऐसी अवस्था में सूबे के अन्दर एक बहुत बड़ी हलचल तथा बहुत बड़ी भावना, यह चल रही है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात भवन में आकर भवन के द्वारा पास होकर तीन वर्ष हो चुके, अभीतक खत्म नहीं हुई। जिसकी प्रतिक्रिया यह हो रही है कि जमींदारी के कारण बहुत से किसान बुरी तरह से सताये भी जा रहे हैं। इस पर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। यह ध्यान में रखने की बात है इसलिये मैं समझता हूँ कि अब इसको पुनः स्थगित करने का जो संशोधन है वह किसी तरह मान्य और उचित नहीं है। जहाँ तक जमींदारी प्रथा के पुराने और नये होने की बात है मैं समझता हूँ कि उसके अन्दर बहुत ज्यादा वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं। पुरानी प्रथा हो या नई प्रथा हो, मैं तो यह कह सकता हूँ कि हमारे वैदिक काल में जमींदारी प्रथा का कोई ज़िक्र नहीं है। किसान ही पृथ्वी का स्वामी माना गया है, यह मनु के वाक्य हैं। इसी के साथ साथ राज का अंश रक्षा करने के लिहाज से छठवाँ हिस्सा शास्त्रों में बताया गया फिर भी मैं कहता हूँ कि एक अरसे से यह प्रथा चली आ रही थी। लेकिन इस प्रथा को सर्वथा शोषण कार्य करने का श्रेय ब्रिटिश सरकार पर था जिसने इस प्रथा का पुनर्जीवन करके यहाँ की रहनेवाली जनता का शोषण करने में धीरे धीरे जमींदार भाइयों को मजबूत किया और जिसकी वजह से आज यह आवश्यक हुआ कि

जनतन्त्र राज्य में ऐसी जोतदार प्रथा एक मिनट के लिए भी रहना समुचित नहीं है। ऐसी अवस्था में इस प्रथा के उठाने में मैं समझता हूँ कि भवन के प्रायः सभी सदस्यों ने एक स्वर होकर यह कहा है कि यह प्रथा अब समाप्त होना ही चाहिये। यह बात अवश्य है कि इसके अन्दर जो व्यवस्था रक्खी गई है, उसमें भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये हैं। जहाँ तक इसमें प्रतिकार देने की बात है, उसके बारे में भी भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन सभी ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि प्रतिकार देना भी आवश्यक है और कितना देना चाहिये और कैसे देना चाहिये। इस पर भिन्न भिन्न राय अवश्य दी गयी हैं लेकिन प्रतिकार देने की बिल में ऐसी व्यवस्था की गई है वह बहुत सोच समझकर की गई है और छोटे बड़े सभी का ध्यान रख कर की गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिकार देने की व्यवस्था की गई है वह सर्वथा समुचित है। प्रतिकार देने में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ और वह बात कई बार भवन के सामने किसी न किसी रूप में आ चुकी है। छोटे जमींदार होने का जो स्वत्व है, उस स्वत्व के कारण (उस अधिकार के कारण) आज जनतंत्र राज्य की सरकार भी उनको प्रतिकार देना उचित समझती है। ऐसी अवस्था में सन १८५७ ई० में जो क्रान्ति हुई और जिस क्रान्ति में हमारे राजे महाराजे शामिल हुये जिनकी जायदादें अँगरेजों ने हड़प कर लीं आज मैं समझता हूँ कि यह शुभ अवसर है, जब उनके ऊपर भी विचार किया जाय। जब आप प्रतिकार देने की बात करते हैं, तो आपको विचार करना चाहिये कि कहाँ तक इन जायदादों में उनका हिस्सा है जिनकी जायदादें अँगरेजों ने हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करनेवाले लोगों को दी थीं। उनका कितना हिस्सा होना चाहिये इस पर हमारी सेलेक्ट कमेटी को अवश्य विचार करना चाहिये।

दूसरी बात हमारे भाई रोशन जमा साहब ने वक़्फ और ट्रस्ट के बारे में कही। उन्होंने गवर्नमेंट पर यह आक्षेप किया कि शायद महन्तों से आचार्य जी के चुनाव में यह वादा किया गया है कि आपकी जायदादें सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए वक़्फ और ट्रस्ट को इस बिल में पूरी पूरी सुविधा दी गई है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह आक्षेप बहुत ही हास्यास्पद है। ऐसी बात कहना किसी तरह उचित नहीं है। एक उचित सी बात को भी अनुचित बताकर पेश करना उचित नहीं कहा जा सकता। वक़्फ और ट्रस्ट के लिए अगर हमारी सरकार कोई सुविधा न रखती तो शायद हाउस के सभी मेम्बरान यह कहने के लिए तैयार होते कि यह तो बड़ी ज्यादती है। मैं भी यह कहूँगा कि इसमें वक्फ और ट्रस्ट के लिये जो सुविधा रक्खी गई है वह उचित है परन्तु इसमें एक बंधन लगाना आवश्यक है। वक्फ और ट्रस्ट की जायदाद का उपभोग जिस तरह से हमारे महन्त और मुल्ला कर रहे हैं वह अवश्य संशोधन करने के योग्य है।

इसमें जो प्रतिकार दिया जाय किसी तरह न खर्च न कर सकें। बिला डिस्ट्रिक्ट

[श्री भगवानदीन मिश्र]

जज की अनुमति के खर्च करने का अधिकार न हो। दूसरे जो सालाना खर्च वक्फ़ और ट्रस्ट को दिया जाय उसका हिसाब और देख-रेख सरकार को अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए जिससे वास्तव में ट्रस्ट करनेवालों की आत्मा को शांति मिले और समाज में उसका स्थान हो और ठीक सुधार हो सके। उसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के बारे में इस बिल में कहा गया है कि इन पर अलग क़ानून लाने की आवश्यकता है जिनका कृषि से संबंध है। मैं निवेदन करता हूँ कि जो बातें शहरों में देखने में आती हैं जो नाजायज़ टैक्स वसूल होता है किस तरह जमीनों की बिक्री होती है किस तरह लोगों को तंग किया जाता है, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो जमींदारी अधिकार म्यूनिसिपैलिटी के हैं जिस तरह आपने गाँव सभा के अधीन जितने परती तालाब, जितनी ऐसी सर्व उपयोग की चीजें हैं वह चीजें गाँव सभा के अधीन कर दी गई हैं। इसी प्रकार शहरों के अन्दर, नोटीफाइट एरिया के अन्दर जो ऐसी सम्पत्ति है जिनका सार्वजनिक सम्बन्ध है उस सम्पत्ति का अधिकार चुने हुए बोर्डों को दे देना आवश्यक है। उसका तरीका एक तो यह है कि मैं देखता हूँ कि उसके अन्दर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनमें केवल आदर्श की दुहाई दी गई है और वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं देखता हूँ कि जमींदारों के लिये सीर और खुदकाश्त की जो जमीनें हैं वह दी गई हैं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। बाग दिए गये हैं, ठीक है। दिए जाना चाहिये। कोई वजह नहीं है कि अगर एक ग्रूप को हटा रहे हैं तो उनके प्रति ऐसी भावनाएँ रक्खें कि वह अपनी बसर का अच्छा प्रबंध न कर सके। यहाँ आपने अवश्य रक्खा है कि जो सीर और खुदकाश्त है उनको मिलेगी। वास्तव में सीर और खुदकाश्त वास्तविक रूप में उनकी जोत में है। इस बात की देखरेख और छान-बीन करना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि जितनी जमीनें जमींदार भाइयों की हैं। ९५ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनका रेकार्ड में नाम है और किसान जोते हुए हैं। वह सारी सीर और खुदकाश्त देने के लिये तैयार हैं आपको यह भी विचार करना है कि अब तक जो बड़े किसान हैं जिनकी जोत में अधिक जमीनें हैं और वास्तव में हैं, इसी ख्याल से सरकार ने शिकमी देने का अधिकार दे रक्खा है। शिकमी अधिकार का फायदा उठाया है उनको आपको एक और अवसर और मौका देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि शिकमी काश्तकारों को हटाकर उनको बिला जीविका और बिला भूमि का बना दे। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भलना न चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि नौकरी पर हैं, जेल चले गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन की कमी है। बैल नहीं रख सकते। अगर उनकी जमीन लेंगे तो उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बन्द करते हैं। इसके साथ साथ जिनका जीवन निर्वाह केवल खेती से होता रहा है। उसके अलावा कोई साधन नहीं है। उनके लिये इतनी सुविधा दें जितनी एक परिवार के लिए जमीन

आवश्यक होती है, उनकी जमीन न हो, तो उसकी व्यवस्था की जाय। ऐसा न करना अन्याय होगा, ज्यादती होगी।

उनको भी देना मैंने आपको सेलेक्ट कमेटी के सामने जिस समय यह बात विचार के लिये आवे देने का अवसर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक और बात है और वह यह है कि मैं कह सकता हूँ, सम्भव है कि पच्छाहीं जिलों में इस बात की सम्भावना न हो लेकिन हमारे पूर्वी जिलों में आम तौर से यह है कि एक तो आजकल काम करनेवाला आदमी वैसे ही नहीं मिलता, दूसरी बात यह है कि कोई भी किसान जो भी आदमी हलवाहा या मेहनतदार रखता है तो उस किसान के लिये यह मसला होता है कि उसको नौकरी पर रखने के लिये वह उसके लिये खेत की भी व्यवस्था करे और खेत भी वह ज्यादातर किसान के ही हल बैल से जोतकर बोया करता है। आज अगर आपने यह व्यवस्था कर दी कि जो काश्तकार शिकमी जोतता है वह काश्तकार फिर असली काश्तकार बन जायेगा। अगर यह व्यवस्था आप सब जगह लागू करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि एक बार मैंने किसी आदमी को हलवाही के सिलसिले में ५ बीघे जमीन दे दी तो वह उसकी हो जायगी और अगर इसके बाद दूसरा आदमी रखता हूँ तो फिर ५ बीघे जमीन उसके पास चली जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि अन्त में हम कृषि-हीन होकर इतस्ततः भटकते फिरेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम ऐसी अवस्था में न पहुँच सकें। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कुछ जगहों में धार्मिक आधार पर सामाजिक बन्धन ऐसे हैं जिनकी वजह से कुछ लोग खेत का सारा काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, खेत काटते हैं, खेत बोते हैं लेकिन वे हल नहीं पकड़ सकते; वे हल नहीं जोत सकते। आज भी इस तरह की सामाजिक प्रथा मौजूद है। हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि यह बुरी बात है। हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन यह वास्तविक सत्य है कि धार्मिक आधार पर सामाजिक जो रीतियाँ चली आयी हैं उनके आधार पर बहुत जातियों के लोग ऐसे हैं, जो खेती के सब काम करते हुये भी हल नहीं जोत सकते हैं। अब अगर यह कहा जाय कि जो खुद नहीं जोतेगा उसकी जमीन नहीं होगी तो अव्वल तो आपकी जो ग्रो मोर फूड की स्कीम है जिसके जरिये आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, नये तरीके से हल जोतना सिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से चार वर्ष में वे हल जोतना सीखेंगे। फिर आप पैदावार कैसे बढ़ा सकेंगे? इसलिये मैं यह समझता हूँ कि विचार करने के समय इतनी सुविधा अवश्य देनी चाहिये कि फी हल ५ बीघा या जो आप उचित समझें उनको देने का आदेश दिया जाय जिसके आधार पर वे अपनी खेती को अच्छी तरह से करा सकें। यह कोई जिद करने की बात नहीं है, यह आदर्श के विरुद्ध बात नहीं है और वह इस शर्त के साथ है कि जो शिकमी काश्तकार हैं, जिनके पास जमीनें हैं वे पन्द्रह गुना देकर भूमिधर बन जायेंगे, लेकिन जो केवल इसलिये कि वह

किसान का काम करता है या जमींदार का काम करता है इसलिये उसको ५ बीघा या दस बीघा जो भी उचित समझें इस शर्त पर देना चाहिये कि जब तक वे काम करेंगे वह जमीन उनकी रहेगी। किन्तु इस कारण यदि वे जमीन से अलग हो जायँ और उनके पास जमीन न रहेगी तो हो सकता है कि वे कोई ऐसा पेशा अख्तियार करें जिससे समाज को हानि पहुँचे, क्योंकि वे लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होंगे। उनके लिये आपको ऐसी सुविधायें देनी चाहिये जिससे वे कोई गलत काम न कर सकें। मैं आपको उदाहरण के लिये यह कह सकता हूँ कि मान लीजिये कि किसी के पास दो बैल हैं और ऐसी अवस्था आ गयी कि एक बैल मर गया। आज बैल की कीमत एक हजार से कम नहीं है। तो जो बैल नहीं खरीदेगा वह या तो अपनी जमीन को परती डाले और परती डालने पर वह अपना और राष्ट्र का नुकसान करेगा क्योंकि इससे उत्पादन कम हो जायगा और इसलिये किसान स्वभावतः इस बात के लिये विवश होगा कि वह अपनी जमीन किसी दूसरे को उठा दे। लेकिन वह जमीन इस डर से नहीं उठायेगा कि हमारी जमीन छिन जायगी। ऐसी सूरत में उसके लिये कोई ऐसी सुविधा अवश्य रखनी चाहिये जिससे अगर ऐसी आपत्ति आ जाय जिससे वह मजबूर हो जाय तो उसे साल भर या दो साल का जैसा भी आप उचित समझें एक ऐसा मौका दें जिससे वह अपनी किसानी को फिर सँभाल सके।

इन बातों पर जो आवश्यक बातें हैं उन पर मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये। इसके अलावा कुछ और बातें कही गई हैं जैसे कि हमारे श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने कहा था कि अब तो जमींदार के बजाय भूमिधर बन रहे हैं और उसके भी वही माने हैं और वह बजाय २० लाख के १ करोड़ के तादाद में बन रहे हैं। लेकिन मैं राजा साहब से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो भूमिधर बन रहे हैं वह भूमिधर ऐसे भूमिधर बन रहे हैं जो अपने स्वत्व की रक्षा करके अपनी आर्थिक परतन्त्रता से छुटकारा पा करके आर्थिक स्वतंत्रता में अपने स्तर को ऊँचा बनायेंगे। वह जमींदार जो जनता का शोषण करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहे हैं उस जमींदारी प्रथा का अन्त होने के बाद हर काश्तकार अगर अपनी जमीन का मालिक बनता है, तो यह बड़े सुअवसर की बात है।

इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूँ और बिल का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूँ।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला—ईं चे शोरेस्त कि दर दौरे कमर मी बीनम। जनाब सदर अगर यह जंग और यह बहस मुबाहिसा और यह बातें सरमायेदारी के खिलाफ होतीं तो मुझे बड़ी मसर्रत होती और दिली खुशी होती। ज़माना बदल रहा है, हालत बदल रही है, मुल्क की हालत तबाह हो रही है ऐसे वक्त में जो मुल्क को बरबाद करनेवाले हैं अगर उनके साथ यह जंग होती तो मैं निहायत मसर्रत के साथ इसमें शरीक होती, लेकिन अफसोस है कि यहाँ चीज

कुछ और भी दिखाई देती है। आज यह हो रहा है कि उन लोगों के साथ यह सब किया जा रहा है जिनके साथ हजारों इन्सानों की जिन्दगी वाबस्ता है गो कि उनमें बुराइयां भी थीं। मैं यह नहीं कहती हूँ कि इन्सान में बुराइयाँ नहीं होतीं। मुझमें और आपमें कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि वह बुराई से बालातर है लेकिन उसकी इस्लाह की जा सकती है। तो इसी तरह से उन्हें भी बुलन्द बनाया जा सकता है। किसी मरीज की हालत इस तरह से बेहतर नहीं बनाई जा सकती कि उसका गला ही काट दिया जाय तभी वह सेहत पा सकता है। मैं तो यह समझती हूँ कि सिर्फ जमींदार ही नहीं बल्कि हजारहा इन्सान की जिन्दगी उनसे वाबस्ता है। जहाँ पर किसी को कोई मुलाजिमत नहीं मिली, किसी को कोई काम नहीं मिला तो वह किसी रियासत में चला गया वहाँ उसकी परवरिश हुई उसके बाल बच्चे बढ़े और पले। लेकिन इतने दिनों में मैंने कभी नहीं सुना किसी साहब ने एक लफ्ज भी उनके बारे में कहा होता जो उनमें अच्छाइयां हैं और किसी की जबान पर कभी एक लफ्ज भी उन लोगों के बारे में नहीं आया जो आज मुल्क को तबाह कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग के जरिये से मुल्क को बरबादी की तरफ लिये जा रहे हैं उनके खिलाफ आज तक मैंने नहीं देखा कि इस ऐवान में किसी ने एक लफ्ज भी कहा हो कि हमारी हालत को ये लोग किस तरह से तबाह कर रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी चाहिए। मैं तो यह समझती हूँ कि इस हुकूमत का सबसे पहला काम यह है कि इन तबाह करनेवालों के खिलाफ, जो आज मुल्क को भूखा मार रहे हैं और भूख से तबाह कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन्तजाम करे, और फिर यह देखे कि इन्तजाम जमींदारी का किस तरह से किया जाय। लेकिन सबसे पहले जो जद्दोजहद इस ऐवान में हो रही है वह यही कि जमींदारों की हालत को बदतर से बदतर और बुरी से बुरी करके दिखाया जाय और खौफनाक सूरत बनाकर उनको लोगों के सामने पेश किया जाय। उसमें सिर्फ आपका नफा है। आप अपने वोट के खातिर लोगों की तबाही और बरबादी का ख्याल नहीं कर रहे हैं और उनको बरबाद होने देखना चाहते हैं। आखिर यह लाखों इन्सान कहाँ जायेंगे कि जिस वक्त यह जमींदार तबाह हो जायेंगे और वह लोग बेचारे वहाँ से निकाल दिये जायँगे, उनके बाल-बच्चों का क्या होगा वह कहाँ जायेंगे। वह अपनी परवरिश कैसे कर पायेंगे। क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि वह मजबूर होकर वह चीज भी करने को तैयार हो जायँगे जो आपके लिये बहुत नुकसानदेह और खतरनाक साबित होगी क्योंकि इन्सान मजबूरी हालत में सब कुछ करने को उतारू हो जाता है। इस वास्ते इस वक्त हरएक चीज को सोचकर और बहुत समझकर करना चाहिये। हमारा मुल्क इस वक्त मुसीबत के दौर से गुजर रहा है बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिये। मैं तो यह समझती हूँ कि काश्तकारों की

[श्रीमती इनाम हबीबुल्ला]
बाबत जितना आप लोग बतलाते हैं कि उनके ऊपर जमींदारों ने इतने मजालिम किये हैं। मगर ऐसा नहीं है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अस्ल तो यह है कि उस वक्त जमींदारों ने अपने काश्तकारों के साथ वह बरताव नहीं किया, जैसा कि उनके साथ अब किया जा रहा है और आप लोग जबरदस्ती उनको तैयार कर रहे हैं कि वह इस चीज के लिये तैयार हो जायँ, जो मुल्क के लिये निहायत खतरनाक और नुक़सानदेह है। काश्तकारों से कहा जाता है कि तुम्हारे दर्द को दूर किया जा रहा है। जमींदारी को मिटाकर तुम्हारे लिये जन्नत बनाई जा रही है। जहाँ पर दूध की नदियाँ बहेंगी, बेफ़िक्री का आलम होगा, जहाँ पर अमनचैन होगी। मगर, जनाब, यह हवाई महल बनाकर उसको पूरा न करना एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा। यह समझ में नहीं आता कि काश्तकार बेचारा भोलाभाला जो अभी तक इस इन्तखाब के झगड़े में कभी पड़ा नहीं, वह आसानी के साथ अपनी गुजर-बसर कर रहा था। जमींदार के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना बरताव रखता था, इसलिये कि वह उनका सरपरस्त था, वह दुख, सुख और अच्छाई-बुराई हरएक चीज में हमेशा शरीक रहता था और उनका वह साथी था। उनको अब मैं समझती हूँ कि अब मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील किया जा रहा है, इसलिये कि लगान माफ नहीं किया गया है। लगान तो उनसे ही वसूल किया जायगा। लेकिन उसका तरीका मुमकिन है दूसरा हो, और तो कुछ नहीं हो सकता है। १० साल का लगान अगर वह अदा कर देगा, तो वह भूमिधर हो सकता है, उससे उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिसके पास रुपया नहीं है, तो वह १० साल का लगान किस तरह देगा, यानी वह उन हक़ूक से महरूम रहेगा। बरखिलाफ़ इसके अगर काश्तकार जमींदारान को अपना लगान अदा नहीं करते थे, तो जमींदार उनका लगान मुआफ़ कर देते थे। उनकी शादी-विवाह में मदद होती थी, उनकी तकलीफ में और उनकी राहत में जमींदार हमेशा शरीक रहता था। इस ऐवान में कभी उसकी बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया कि जमींदारों ने काश्तकारों के लिये क्या-क्या भलाइयाँ कीं। अब उनको इस चीज से महरूम किया जा रहा है। वह लगान अपना देंगे। मगर यह कि उसकी अदायगी उस तरह से नहीं होगी, उनके साथ वह बरताव नहीं होगा। आपके तहसीलदार वगैरा अब वहाँ होंगे, जिनके साथ उनकी हमदर्दी होना मुश्किल है। और फिर आप कैसे यक़ीन कर सकते हैं कि उसका बरताव उनके साथ वैसा होगा, जैसा कि अभी तक जमींदार करते आए हैं। यह नए लोग होंगे जिस तरह का बरताव करेंगे, जिस तरह से मेहरबानी करेंगे, जिस तरह से वह तकलीफ देंगे, इसका किसी तरह से पता भी आपको नहीं लग पायेगा। आप देखते हैं कि आजकल मुल्क की क्या हालत हो रही है। रिश्वतसतानी से दुनिया चीख उठी अगर है। पब्लिक नीम जान है अगर उसने १० साल का लगान अदा नहीं किया, तो उसको कोई अख्तियार उसको बेचने वग़ैरा का हासिल नहीं होगा, यानी वह कुछ वक्त

के बाद छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में तक़सीम होकर खत्म हो जायगी। दफ़ा २३० की रू से बड़े भूमिधर और सीरदार मजमुई और इनफ़रादी हैसियत से गाँव के कुल मालगुजारी के जिम्मेदार होंगे। अगर एक काश्तकार की मालगुजारी अदा नहीं हुई, तो दूसरे से वसूल की जायगी। इनके माने यह हैं कि एक के पास रुपया है तो उससे एक मर्तबा अदा करने के बाद फिर दूसरी मरतबा दूसरों की माल-गुजारी भी जबरदस्ती अदा करनी होगी और जिस नादेहन्द ने आपको नहीं दिया हुकूमत को नहीं दिया उससे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह किसी दूसरे शख्स को, मसलन भूमिधर को या किसी दूसरे सीरदार को दे देगा। लिहाजा नतीजा यह होगा कि सिवाय इसके कि वह मुकदमा लड़े, वहां दूसरों के सामने या आपके सामने फिर चाराजोई करे और फिर भी वह कामयाब हो या नाकामयाब हो तब उसके सर पर है। अलबत्ता आपके जो कारिन्दे हैं उनके लिये एक बहुत उम्दा रास्ता खुल जायगा, एक उम्दा चीज हाथ आ जायगी, कि वह जिस तरीके से चाहें उन गरीब लोगों के ऊपर ज्यादती करें और उसकी भी सुनवाई कुछ नहीं होगी तो यह तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं वह इस वक्त नामौजूं हैं। उनको आप थोड़े दिन के लिये मुलतवी कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वक्त तमाम हुकूमत और मुल्क की क्या हालत रही है इसको तो पहले देखिये, तब आप इस चीज को लाइये अभी आपने पंचायत राज्य कायम किया है। एक साथ ही जमींदारों को उनके हकूक से महरूम कर देना कहाँ का इन्साफ है। अभी आपको यह भी नहीं मालूम है कि पंचायत राज के नतायज क्या होंगे, उसका हश्र क्या होगा। लेकिन हमारे ऐवान के मेम्बरों को तो यह है कि नहीं, जिस तरह से हो, इसी वक्त यह गला काटें। अगर इस वक्त यह गला नहीं कटा, तो कोई मौका नहीं आयेगा। चाहे अपने ऊपर कुछ भी गुजर जाय, लेकिन इसी वक्त यह सब करना चाहिये। मैं समझती हूँ कि यह तो अजीब आलम है, इस वक्त यह किसी तरह मुनासिब नहीं है।

दूसरे मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह तो कोई इन्साफ की बात नहीं है कि एक को आप कम्पेन्सेशन का रुपया ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे को कम, यानी एकसा बर्ताव नहीं है। आपको किसी और चीज से क्या वास्ता? आपको तो सिर्फ अपने इन्साफ से और अदल से मतलब होना चाहिये। आपको तो यह करना चाहिये कि हरएक शख्स को जो बाजार का निर्ख है, उसी के मुताबिक कम्पेन्सेशन अदा करना चाहिये, जैसा कि आपने भूमिदारों से यानी आधी मालगुजारी १० गुना लगान लेना तै किया है। हुकूमत की निगाह में हर शख्स बराबर है। हरएक छोटा बड़ा आपकी नजर में एक होना चाहिये। आपके हाथ में हुकूमत है, ताकत है, जैसा आप चाहेंगे, वैसा आप करेंगे लेकिन आपका इन्साफ का तराजू बुलन्द होना चाहिये, आपको सबको बुलन्दी से देखना चाहिये कौन कैसा है, किसी के घर में क्या है, इसकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिये। आपको बुलन्दी से देखना चाहिये

[श्रीमती इनाम हबीबुल्ला]
कि किसके साथ क्या सलूक करना है, क्या फेयर डील है। अफसोस है कि मैं यह देख रही हूँ कि उल्टा हो रहा है। इधर से कहा जाता है कि पब्लिक की राय लेने के लिये छ महीने का मौक़ा दे दिया जाय। तब आपकी तरफ से इख्तलाफ आवाज उठती है। टाइम देने में बहुत से फ़वायद हैं, क्योंकि आम पब्लिक को इस पर सोचने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने जो तजवीज़ पेश है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। हुकूमत को हर पहलू पर ग़ौर करने का मौक़ा मिलेगा, क्योंकि यह मामला बहुत संगीन है। मैंने अपने बचपन में यह सुना था कि एक जमाना होगा कि ऐसी आफतें आएँगी जैसी कि एक माले के टूट जाने से उसके दाने एक के बाद दूसरे गिरते हैं। इस वक्त यह आफतें कहिये या रहमत कहिये अच्छा कहिये या बुरा कहिए, यही हो रहा है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आफ़तें नाज़िल हो रही हैं।

अभी साल भर हुआ, जमींदारी के ऊपर टैक्स लगाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि इस टैक्स का, जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब जमींदारी पर टैक्स लगाने का बिल पेश था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि जमींदारों की जायदादों की क़ीमतों को घटाने के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि कम्पेन्सेशन कम देना पड़े। उस वक्त आपने इसकी तरदीद की थी। मगर अब आज जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, उसमें टैक्स का भी लिहाज नहीं रख रहे हैं। कम्पेन्सेशन आप उसी तरह से रखिये, जैसा कि आपने कहा था।

दूसरी चीज जो मुझे बहुत परेशानी में डाले हुए है, वह यह है कि जिन जमींदारों की जमींदारियाँ खत्म की जा रही हैं, उनके मुताल्लिकीन की तादाद तकरीबन् एक करोड़ होगी, या इससे ज्यादा होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि एक करोड़ इन्सानों के लिये आपने क्या सोचा है, कहाँ पर रक्खे जायँगे, उनके लिये क्या किया जायगा, या जिससे वह आइन्दा अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे या बेकारों की इतनी बड़ी जमात और बना दी जायगी, जिससे तमाम मुल्क में बद-अमनी पैदा हो। इस हालत में कोई मुल्क खुशहाल व खुश इन्तजाम नहीं कहा जा सकेगा। जिसके करोड़ों आदमी अनएम्पलवायड (बेकार) होंगे या क्या? मुझे इससे बड़ी तशवीश है। आपने यह एक करोड़ इन्सान जो बेकार हो जायँगे उनके लिये क्या सोचा है? मैं यह समझती हूँ कि आप लोग जमींदारों के खिलाफ जो नाखुशगवार और बुरे-भले अल्फाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहरबानी करके इस को छोड़ दीजिये। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि आपस के ख्यालात बुरे हो रहे हैं। इस लखनऊ में, इस यू० पी० में जमींदारों की ही बदौलत यह यूनिवर्सिटी, यह कालेज, यह रिफाहेआम और दूसरे इदारे हैं, जिनमें हजारों लड़के इस वक्त तालीम पाकर निकल रहे हैं। यह सब किसकी बदौलत है, यह सब जमींदारों की ही बदौलत है। यह तो अहसानफरामोशी है, यह तो बहुत बुरी बात है। मुझे बताइये कि किस तबके ने, किस सरमायादार ने ऐसा किया है, जो

तालुकेदारों ने किया है, और इस वक्त करना चाहते हैं? तो यह जबर्दस्ती और बेकारी का जो मज़ाहरा किया जा रहा है यह बेहद ही बुरा है। इसकी वजह से यह तबका रिवोल्ट कर गया तो फिर मुश्किलात हो जायेंगी। यह आपको सोचना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये जो इन्साफ और हकीकत से दूर हों। मेरे ख्याल में सबसे पहले यह इन्तज़ाम होना चाहिये कि पब्लिक इन परेशानी और दर्द से नजात पावे। आज सवा सेर का अनाज बिक रहा है। कोई इंसान सवा सेर का अनाज लेकर अपनी जिन्दगी आसानी से बसर नहीं कर सकता है। पब्लिक आपके साथ है, लेकिन जब इस किस्म की बातें आप लोग करेंगे, तो उनके हाथ से सब्र का दामन छूट जायेगा और आपके बारे में भी यह चीज अच्छी नहीं होगी। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती हूँ। मैं इन अल्फाज के साथ आपको बतलाना चाहती हूँ कि आपको जमींदारों को पूरा पूरा और इंसाफ के साथ कम्पेन्सेशन देना चाहिए और आप इसका भी ख्याल कीजिये कि उनको काफी वक्त सोचने समझने के लिये दिया जाये, ताकि वह सोच और समझ सकें कि उन्हें क्या करना है। आप यह कहते हैं कि वक्त की क्या जरूरत है, जमाना बहुत हो चुका है। जमाना तो क़यामत के लिये भी मुकर्रर है, जो एक दिन सबको मर जाना है। लेकिन मतलब तो यह है कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं इसे बग़ैर सोचे समझे न करें, क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज है। यह इतनी बड़ी तब्दीली है कि यह बहुत जरूरी है कि जमींदारों के लिये भी और आपके लिये भी सोचने और समझने के लिये काफी वक्त होना चाहिये, ताकि मुतमइन होकर सब लोग ग़ौर कर सकें। आप ग़ौर कीजिए, फिक्र कीजिए, समझिये, जमाना क्या है, क्या होनेवाला है और क्या होगा। इस पर हम और सोचेंगे और समझेंगे। मैं तो यह चाहती हूँ कि इसके लिये ६ महीने से ज्यादा वक्त दिया जाये। आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि हम किसी तरह ऐसा कदम न उठायें जो हमारे लिये और आपके लिये नाजेबा हो। आप जो यह कहा करते हैं कि एक दिन वह आयेगा, जब दुनिया की जन्नतें यहाँ पर टूट पड़ेंगी। यह तभी होगा, जब हम और आप ठंडे दिल से एक दूसरे को समझ कर मुत्तहिद होकर किसी से इख्तिलाफ न रखकर जब कोई काम करेंगे, तभी फायदा होगा। ये जो लम्बी लम्बी तकरीरें की जाती हैं और बड़े से बड़े और खराब से खराब अल्फाज ढूँढ़ ढूँढ़कर जमींदारों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। यह निहायत बुरा है, इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।

श्री बदन सिंह—माननीय सभापति जी, आजकल आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि जमींदारों की तरफ से बड़े-बड़े मजामीन निकल रहे हैं और एक साहब तो सीरीज पर सीरीज निकाल रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी जायदाद बड़े जायज तरीकों से हासिल की गई है। मैं इन साहब का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह स्टेट इनको ग़दर में मिली थी। आप

[श्री बदन सिंह]

उनके बुजुर्गों के कारनामे सुन लीजिये कि किस तरह से यह स्टेट उनको दी गई थी।

यह ताल्लुकेदार मुरादाबाद जिले के रहनेवाले हैं।

"The services rendered by the Chowbey Ghanshyam Dass, though differing in their nature, were not inferior to those that have been just described. He had long been connected, as Tehsildar and officer of Police, with Koel and Hathras, but struck by paralysis and quite blind, he had retired from the service of the Government. Gifted with singular sagacity and wisdom, he was implicitly relied upon both for his intelligence and his advice by the civil and military authorities, who continued to occupy portions of the district and maintained our communication with the east during the months of May and June. Compelled with them to fall back upon Agra, he continued to render the same invaluable aid to the authorities there during July and August. He spared no expenses to procure the most accurate information by sending spies from among his own faithful retainers in all directions, and he was daily at the fort to communicate the result, and to offer the suggestions which his experience and tried knowledge qualified him to give. It was first by his counsel that toward the end of August the expedition to Allygurh was plannned; and though unable from his disease to stand without support he accompanied our troopts into action. Thenceforward he remained with Mr. Cock in the district, and eventually preffered his services in watching the ghats north of Khasgunga, with his followers and the aid of loyal zamindars. Here he was mainly instrumental in aiding the escape of several Christian refugess from Rohilkhand. As the insurgents continued to press forward fom Farrukabad the position of the Chowbey became critical, and he was for some time urged by Cock to return to Allygurh, but he refused to desert his post, and shortly before the relief of the district by Brigadier Seaton's force, he was surprised at Khasgunge and cut to pieces.

Had Chowbey Ghanshyam Dass survived, His Lordship would have conferred upon him the highest distinction. It has

now been proposed that the favour of the Government be marked by honours conferred upon his heirs, who are not unworthy of them.

Chaubey Jaikishan Das, the eldest brother of the deceased, has been Tehsildar at Hathras, throughout the disturbances and by his courage and prudence contributed to the security of the district. A younger brother was also Tehsildar, having accepted office in a neighbouring Purganah at a time when the distinction was a dangerous one.

("चौधरी घनश्यामदास की सेवाएँ, यद्यपि वे विभिन्नता रखती थीं, इन वर्णित सेवाओं से किसी प्रकार कम न थीं। वह चिरकाल तक तहसीलदार तथा पुलिस-अफसर के रूप में कोल और हाथरस में रहे, किन्तु कालिज का उन पर आक्रमण हुआ, और वे बिलकुल अन्धे हो गये। वे सरकारी नौकरी से पेंशन पर चले गये। उनको असाधारण बुद्धिमत्ता प्राप्त थी और उनकी बुद्धिमत्ता तथा सम्मति के लिये सिविल और मिलिटरी के अधिकारी उनका विश्वास करते थे, जिन्होंने जिला के हिस्सों पर अधिकार रक्खा और मई और जून के महीनों में हमारे यातायात संबंध को पूर्व के साथ प्रचलित रक्खा। उनके साथ आगरा जाने के लिए मजबूर होकर उन्होंने जुलाई और अगस्त में अधिकारियों की अमूल्य सेवा की उन्होंने प्रत्येक दिशा से अपने विश्वासी रिटेनर्स को गुप्तचरों के रूप में भेजकर बिल्कुल ठीक सूचना को प्राप्त करने में व्यय की चिंता न की और परिणाम को भेजने के लिए वह नित्य किले में रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता तथा अनुभव के आधार पर सुझाव देते थे। उन्हीं की राय पर प्रथम अगस्त के अन्त में अलीगढ़-आक्रमण की योजना बनाई गई थी और यद्यपि वह बीमारी के कारण सहारे के बिना खड़े नहीं रह सकते थे, वे हमारे सैनिकों के साथ कार्यवाही करने में भी रहे। इसके बाद वे मिस्टर काक के साथ जिले में रहे और अन्त में उन्होंने स्वामिभक्त जमींदारों तथा अनुयायियों के साथ खसगंगा के उत्तर में घाटों की निगरानी करने के लिये अपनी सेवाएँ दीं। यहाँ अनेक ईसाई शरणार्थियों को भगाने में वे सहायक रहे। जैसे ही उपद्रवकार फर्रुखाबाद से आगे बढ़ने लगे, चौबे की दशा बड़ी चिन्ताजनक हो गई और उन पर काक ने जोर दिया कि वे अलीगढ़ आ जायँ, किन्तु उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया और ब्रिगेडियर सीटन के सिपाहियों द्वारा जिले की मुक्ति होने से पूर्व उन पर अचानक आक्रमण किया गया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये।

यदि चौधरी घनश्यामदास जीवित होते तो हिज लार्डशिप उनको सर्वोत्तम उपाधि प्रदान करते। अब यह सुझाव रक्खा गया है कि सरकार की कृपा उनके उत्तराधिकारियों पर हो, जो उसके योग्य हैं।

चौबे जैकिशनदास मृत के बड़े भाई समस्त गड़बड़ी तक हाथरस में तहसील-

[श्री बदन सिंह]
दार रहे और उनके साहस और बुद्धिमत्ता से जिले में शान्ति रही। उनका छोटा भाई भी तहसीलदार था, उन्होंने पड़ोसी परगने में आकर उस समय स्वीकार किया जब कि डिस्टिंक्शन एक खतरनाक चीज थी।")

मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि राजा जयकृष्णदास कुँवर सर जगदीश-प्रसाद के दादे थे।

Ch. Mohanlal, nephew of the deceased, used to be in constant attendance with him when he visited the authorities to communicate information, and when his uncle left Agra he continued to supply his place in that respect. His intelligence was trustworthy and valuable.

Ch. Jai Kishandas and Ch. Mohanlal are thus themselves worthy of reward and worthy of bearing the honours which would have been conferred on their noble relation. Had he survived.

It is suggested that the title of Raja be conferred upon Chaubey JaiKishan Das and an estate suitable to support the dignity of the title will be provided for him if possible in Moradabad district, to which district the family belongs; and a similar grant will be made to Chaubey Mohanlal of an estate of smaller extent.

("चौधरी मोहनलाल, मृत के भतीजे, लगातार उनके साथ रहते थे जब कि वे सूचना देने के लिए अधिकारियों के पास जाते थे और जब उनके चाचा ने अलीगढ़ छोड़ा तो वे उनके स्थान में कार्य करते रहे। उनकी बुद्धिमानी विश्वसनीय और अमूल्य थी।

चौबे जैकृष्णदास और चौबे मोहनलाल पारितोषिक के पात्र हैं और उस सम्मान को प्राप्त करने के योग्य हैं, जो कि उनके सम्बन्धी को मिलता, यदि वह जीवित रहता।

यह सुझाव दिया गया है कि राजा की उपाधि चौबे जैकृष्णदास को दी जायगी और उपाधि के अनुकूल कोई जागीर यदि सम्भव हो तो मुरादाबाद में उनकी सहायता के लिए दी जाय, जिस जिले में वह परिवार है और एक उसी प्रकार की जागीर चौबे मोहनलाल को दी जायगी।")

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर १ मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बदन सिंह—हुजूर मैं पहले मैं मुरादाबाद जिले के एक ताल्लुकेदार साहब का जिक्र कर रहा था कि जो सरकार के एक बहुत ऊँचे ओहदे पर रह चुके हैं. उनके बारे में कुछ जिक्र इस किताब में लिखा हुआ है वह मैं पढ़ रहा हूँ।

"Raja Chaubey Jai Kishan Dass, and Chaubey Mohanlal, Brahmins, [illegible].

These persons rendered valuable service to Government in A[illegible]. Their rewards have been sanctioned by the Government.

The title of Raja and a jagir of the following 17 villages have [illegible] upon Chaubey Jaikishan Dass, and [illegible]—upon his brother Mohanlal, under [illegible] Government."

(राजा चौबे जैकृष्णदास और चौबे मोहनलाल.ब्राह्मण. मुरादाबाद।

इन दोनों ने अलीगढ़ जिले में सरकार की अमूल्य सेवा की. सरकार ने इनको पारितोषिक दिये हैं।

राजा की उपाधि और १७ निम्नलिखित गाँवों की जागीर चौबे जयकृष्णदास को पहले ही दी जा चुकी है और १००० रुपये की इसी प्रकार की जागीर उनके भाई मोहनलाल को सरकारी आदेश के अनुसार दे दी गई है।')

अब मैं उन १७ देहातों के नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ। वह इस प्रकार हैं—मुकनपुर, वीरपुर, बरयार, डकरौली, कहौली, बुरन, पुतरौआ, कुरैली, कोकावास मूई, पालनपुर, इमानपुर, भूखनपुर, फतेहउल्लापुर, पीपली, रामपुर मैंगल, फुरेहटी, लोर्ड्पुरवानू, जाफरपुर।

बहुत से मेम्बर साहबान कह रहे थे कि आप यह कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह एक किताब में है. जिसमें रिकार्ड रक्खा गया है और मैं उसी से आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई गलतकहनी की बात नहीं है। यह इसलिए रक्खा जाता है ताकि अच्छे लोगों के अच्छे कारनामे सोने के लफ्जों में और बुरे लोगों के बुरे कारनामे काले लफ्जों में रक्खे जा सकें। अब मैं बुन्देलखण्ड की एक स्टेट का जिक्र कर रहा हूँ. वह अँगरेजों के जमाने के नहीं हैं, बल्कि पुराने हैं। यह मरहठों की अमलदारी के वक्त की बात है. लेकिन जब १८०३ में लड़ाई हुई तो इन्होंने मरहठों का साथ अँगरेजों के मुकाबले पर नहीं दिया. इसके सबंध में भी आप एक चिट्ठी सुनें—

"Rup Shan, Raja Jagmanpur

This is the chief of the Sengar clan in this district. It appears from a Sanad, dated the 21st Nov. 1852, signed by Major W. E. Erskine, Supdt. of Jalaun. that the taluka of Jagmanpur, consisted of 46 villages said to yield a yearly revenue of Rs 65,000 but in reality not yielding more than

[श्री बदन सिंह]
Rs. 32,000 was granted to Raja Bapuka in the year 1100 by Raja Tej Chandra of Kanauj as dowery when his daughter married the former. In 1717 Raghunath Rao Balajee Peshwa continued the grant to Ratan Sah, grandfather of the late Raja Mohbat Sah. The grant is in perpetuity to his heirs on payment of a yearly quit-rent of Rs 4,574.

रूपशाह जगमनपुर के राजा

यह इस जिले में सेंगर जाति के मुखिया हैं। एक २१ नवंबर, १८४२ की सनद जिस पर मेजर डब्लू० ई० एस्काइन, सुपरिटेंडेंट, जालौन, से विदित होता है कि जगमनपुर का ताल्लुका जिसमें ४६ गाँव हैं, जिसकी वार्षिक आय ६५ हजार रु० कही जाती है किन्तु वास्तव में ३२ हजार रु० से अधिक नहीं है सन् ११०० में कनौज के राजा तेज इन्द्र ने अपनी लड़की की शादी के समय उनको दहेज में दिया। सन् १७१७ में रघुनाथ राव बालाजी पेशवा ने स्वर्गीय राजा मुहब्बत शाह के दादा रतन शाह को वह ग्रांट जारी रक्खी। उनके उत्तराधिकारियों के पास वह जागीर ४.५७४ रु० वार्षिक लगान पर निरंतर चली आती है।")

अब मैं जमींदार एसोशियेशन के प्रेसीडेंट जो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका कुछ किस्सा सुनाता हूँ। इनका नामेनामी रानी फूलकुमारी है और चौधरी उमरावसिंह और चौधरी वसंत सिंह इन के ससुर के पिता थे:—लीजिये इस संबंध में भी आप एक चिट्ठी सुनें—

Chowdhrys Omrao Singh and Bussunt Singh, Chauhan Rajpoots of Sherkot, Zamindars, the forefathers of the present Rani of Sherkot, President of the Zamindars' Association.

These Chowdhrys, as being reputed the wealthiest of the landholders in the district, and at the same time the best able to make opposition, were the first to feel the power of the rebels, who on their requisition for revenue being refused on the ground that the Nawab had no authority to make such a demand, attacked and plundered their property, keeping possession of their gurhee for several days until they were driven out by a combined attack on the part of the Hindus. Like the rest of the loyllay disposed these men had to fly the district, leaving their villages at the mercy of the rebels, but before doing so they joined with others in sending a supply of money to Naini Tal, their share being Rs. 1,000. They re-entered the district with me and made themselves very useful in re establishing order in their part of the district.

For the good service rendered I would recommend that outstanding balances amounting to Rs. 46,741, be remitted, that confiscated villages paying an annual Jumma of not less

than Rs. 1500 be transferred to them, and that khillut be conferred on each of them.

("चौधरी उमरावसिंह और बसंतसिंह चौहान, शेर कोट के राजपूत चौहान, वर्तमान शेर कोट की रानी, जमींदार एसोसिएशन की सभानेत्री के पूर्वज ।

ये चौधरी जिले में सबसे अमीर जमींदार प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ विरोध करने में भी उन्होंने सर्वप्रथम क्रान्तिकारियों की शक्ति का अनुभव किया, जिन्होंने लगान की मांग की जाने पर इन्कार कर दिया, इस कारण कि नवाब को इस माँग करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी मांग करने पर उनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया तथा लूटा और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी गद्दी पर क़ब्जा रक्खा, जबतक कि उनको हिन्दुओं ने मिलकर निकाल नहीं दिया। अन्य लोगों की भाँति ये भी जिले से भाग गये और अपने गावों को उपद्रवियों के पास छोड़ गये, किन्तु इसके पूर्व उन्होंने दूसरों के साथ धन को नैनीताल भेजते रहे, उनका हिस्सा १००० रु० था। वे मेरे साथ जिले में आये और जिले में शांति स्थापन में बड़े सहायक सिद्ध हुए।

जो अच्छी सेवा उन्होंने की मैं सिफ़ारिश करता हूँ कि ४६,५४१ की उनके ऊपर जो रक़म है, माफ़ की जाय और जब १,५०० रु० जमावाले गाँव उनको दे दिये जायँ और उनमें से प्रत्येक को खिलत दे दी जाय।")

डिप्टी स्पीकर—अगर आपको कुछ कहना है तो कहें। इतिहास पढ़ने का मौक़ा नहीं है। आज अन्तिम दिन है, और लोग भी बोलना चाहते हैं जो कुछ आप कहना चाहें, कहें इतिहास छोड़ दें।

श्री बदन सिंह—यह इतिहास बुलन्दशहर के बड़े से बड़े जमींदार हैं, उनके बारे में है। सुन लीजिए—

"Estates of Bulandshahr District.

The Talukaidars of Chatari, Pahasu, Danpur and Dharampur, Mahmood Ali Khan, Faiz Ali Khan, Imdad Ali Khan and Zahoor Ali Khan, the first and last brothers and the other two sons of Mardan Ali Khan have proved themselves as the family always has right loyal subjects. As at the cession their ancestors gave in their allegiance to and assisted Lord Lake, while the ancestors of Raham Ali Khan and Mazhar Ali Khan of Khaitia opposed Government for which part of the estates of the latter were confiscated and made over to the former. So now the descedants have acted in each case following the examples of their forefathers. Raham Ali Khan and Mazhar Ali Khan have become rank rebels while Murad Ali Khan till his death and his brother and sons have most resolutely taken the Government side, and the reward and punishment should again be awarded.

[श्री बदन सिंह]

जिला बुलन्दशहर की रियासतें

छतारी पहरू, दामपुर और धरमपुर के ताल्लुकेदार महमूद अली खाँ, फैयाज अली खाँ, इमदाद अली खनंद जहूर अली खाँ, प्रथम और अंतिम कई और मर्दान अलीखाँ के दूसरे दो लड़कों का परिवार सदैव राजभक्त रहा। क्योंकि सुर्दंगी में उनके पूर्वजों ने लार्ड लाका को अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित की तथा सहायता प्रदान की और रहम अलीखाँ तथा मजहर अलीखाँ के पूर्वजों ने सरकार का विरोध किया अतः रहम अली खाँ तथा मजहर अली खाँ की रियासत का भाग जब्त किया गया तथा मुराद अली खाँ आदि को दे दिया गया। इस कारण इन लोगों के उत्तराधिकारियों ने अपने पूर्वजों का अनुकरण किया। रहमत अलीखाँ और मजहर अली खाँ कट्टर विद्रोही बन गए और मुराद अली खाँ ने मृत्यु-पर्यंत तथा उसके भाइयों और पुत्रों ने पूर्ण रूप से सरकार के साथ योग दिया अतः पारितोषिक तथा दंड पनः दिये जाने चाहिए।")

सबसे पहले उनको जायदाद दी गयी। फिर रहमअली खाँ से मजहर अलीखाँ को दे दी गयी। १८५७ का जब गदर हुआ तो इनकी औलाद से छीनकर, उनकी औलाद को दे दी गयी। एक ही खानदान के यह लोग थे।

"It is to be hoped that not a single member of the disloyal family will be left alive to repeat the offences. Their estates should be entirely transferred to the relations of Murad Ali Khan and dress of honour should be bestowed on each member of the family" Mahmood Ali Khan well deserved the grant of estates and a dress of honour.

("यह आशा की जाती है कि राजद्रोही परिवार का कोई भी आदमी जीवित न रहने दिया जायगा, जिससे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सके। उनकी समस्त जमींदारियाँ मुरादअली खाँ के सम्बन्धियों को दे देनी चाहिए और उनके परिवार के लोगों को खिलतें दे देनी चाहिए। महमूद अली खाँ सर्वथा इस योग्य है कि उसे जमींदारी और खिलत दी जाय।")

यह आपने सुना। इस तरह से यह बड़े बड़े जमींदार मजा उठा रहे हैं और इस तरह से उन्होंने जायदादें पैदा कीं। तीन-चार तरीके से उन्होंने जायदादें पैदा कीं।

जब अँग्रेज अमलदारी आई, तो उन्होंने अँग्रेजों की मदद की और अँग्रेज भी चाहते थे कि कुछ लोग उनकी मदद करने के लिये मिल जायँ, इसलिये इनको क़ायम रक्खा। दूसरे उस समय हुये, जब ग़दर हुआ। गदर में इन लोगों ने अँग्रेजों का साथ दिया और अपने भाइयों को कटवा दिया। तीसरे गदर के बाद ये लाला लोग जमींदार हुये। ये सूद दर सूद से हुये। मुझे ऐसी बहुत सी मिसालें मालूम हैं जिनमें एक लाख कर्जे के लिये १॥ लाख की डिग्री हुई। खैर, ये तीन क़िस्म के जमींदार हैं, जो इस समय एक हो रहे हैं। मेरा तो कहना है कि उन्होंने कोई जायज तरीके से इसे हासिल नहीं किया है, इसलिये इसे खत्म करने में किसी को

एनाउन्स न होना चाहिये। जैसे इन्होंने [illegible] आई थी वैसे ही वह जा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बिल के लिए जो इतना [illegible] मच रहा है, बिल्कुल [illegible] कि ज़मींदारों ने क्या किया। [illegible] ने सिवाय एक दो [illegible] छोड़कर किसी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। [illegible] कलेक्टर साहब के साथ हैं या डिप्टी कलेक्टर साहब के साथ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ और [illegible] जिक्र इस वक्त मैं नहीं करूँगा. बाकी बातें तो सुना चुका हूँ। लेकिन ज़रूरी हैं और वक्त से [illegible] भी हैं इसलिये इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ।

*श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ शेरवानी—जनाब सदर, इस बिल के ऊपर, जो इस ऐवान के सामने है आज जोश से बहस हो रही है। हर शख्स अपने [illegible] ख़यालात की वकालत कर रहा है। अभी चौधरी [illegible]सिंह ने चन्द ख़ानदानों का हवाला बयान किया, लेकिन मुझे यह सवाल चौधरी साहब से करना है, जिन ख़ानदानों ने [illegible] के साथ गदर के ज़माने में [illegible] हुए थे, [illegible] थीं और उनके बुज़ुर्गों को गोलियों से उड़ाया गया था, आज उनके लिये वह क्या सिला तजवीज़ कर रहे हैं, यह इन्होंने अपनी तकरीर में नहीं फ़रमाया। काश, वह यह भी बतला देते कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुरबानी मुल्क के ख़ातिर की थी, उन्हें क्या सिला मिलना चाहिये। उन्होंने सिर्फ उन्हीं ख़ानदानों का हवाला दिया, जिन्होंने गद्दारी की पर जिन्होंने मुल्क के ख़ातिर मुसीबतें उठाई, जिनकी जायदादें ज़ब्त हुईं, उनका कोई ज़िक्र नहीं किया। बहरहाल ऐसे भी लोग हैं कि उन्हें अगर जायज़ मुआविज़ा दिया जाय तो गवर्नमेंट के सामने वे लाये जा सकते हैं। चुनांचे रहमत खाँ साहब का नाम इस तवारीख़ में लिखा हुआ है। उन्होंने जो कुरबानी की उससे कोई भी शख्स बेख़बर नहीं हो सकता। आज उनकी औलाद जिस हालत में है, उससे लोग वाकिफ़ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से, इस पार्टी से जो बरसरे इक्तदार है कि क्या वह उसको कोई सिला अदा करेंगे या यह महज़ ज़बानी जमाख़र्च है ?

हुज़ूरवाला, मुझको यह अर्ज़ करना था कि एक तजवीज़ इस वक्त वज़ीर आज़म साहब की इस ऐवान के सामने है, वह यह कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय। दूसरी तजवीज़ राजा जगन्नाथ बख़्शसिंह साहब की है कि यह राय आम्मा मालूम करने के लिये सरक्युलेट किया जाय। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सरियत इसके माफ़िक है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जनाबवाला, आपकी इजाज़त से मैं यह तरमीम पेश करना चाहता हूँ कि १५ अगस्त, सन् १९४९ तक पब्लिक की राय सेक्रेटरी साहब सेलेक्ट कमेटी की ख़िदमत में भेज दी जाय, ताकि सेलेक्ट कमेटी उन रायों पर

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद उबेदुर्रहमान खाँ शेरवानी]
गौर कर सके। मैंने १५ अगस्त, सन् १९४९ कसदन् रक्खा है, वह इसलिये कि वह योमे आज़ादी है और लोगों को अभी एक महीना बाकी है। जब कि इस ऐवान में काफ़ी बहस-मुबाहिसा हो चुका है, दूसरे ऐवान में भी मुबाहिसा होनेवाला है, अख़बारों को भी राय देने का मौक़ा मिला है, इसलिये पब्लिक को भी और पब्लिक बॉडीज़ को भी यह हक़ हासिल होना चाहिये कि वह अपनी राय ज़ाहिर कर सकें। इस तरह से पब्लिक की राय आने का भी मौक़ा मिल जायेगा और देरी लगाने का जो सवाल है, वह भी दूर हो जायेगा।

एक और अहम मसला जो काबिले गौर है वह यह है कि इस ऐवान में लैण्डलेस लेबरर्स के मुताल्लिक भी तज़किरा किया गया है, उसके साथ एक गौरतलब बात यह भी है कि एक बड़ी जमाअत उन लोगों की भी है, जो ज़मींदारों के ऊपर मुनहसिर थे या उनके यहाँ मुलाज़िम थे, वह सब बेकार हो जायँगे। उनके पास कोई ज़मीन न होगी, न उनके पास कोई तिजारत होगी, उनमें से बहुत लोग ऐसे कमज़ोर भी हैं, जो तिजारत भी नहीं कर सकते हैं और न उन लोगों के पास कोई ज्यादा पैसा ही है। उन लोगों के लिये क्या सोचा गया है। उनकी माश का क्या ज़रिया होगा ? मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की पार्टी अक्सरियत में है और उसी अक्सरियत की वजह से बरसरे इक्तिदार हैं, लेकिन क्योंकि वह इस सूबे के वज़ीर आज़म हैं, इसलिये हर शख्स को यह हक हासिल है कि वह उनके सामने अपने मतालिबात पेश करे, अपनी तवक्को को उनके सामने रक्खे और उनका भी यह फ़र्ज़ है कि वे हर एक की तकलीफ़ात को दूर करें। इसलिये मैं वाज़ह तौर पर वज़ीर आज़म साहब के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ कि जब सेलेक्ट कमेटी बैठे तो इस पर भी गौर कर लिया जाय। इस गिरोह की माश का ज़रिया पैदा करने के लिये कोई कदम ज़रूर उठाया जाय। अगर वह बेकार रहा तो एक बहुत बड़ा तबक़ा तकलीफ़ से अपनी जिन्दगी बसर करेगा। बाज लोग ऐसे हैं, जो नस्लों से अपनी जिन्दगी तकलीफ़ से वहाँ बसर कर रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हर एक आदमी अपना बोझ उठाया करता है, दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। अपनी ख़ता की सज़ा खुद उठा सकता है, दूसरा उसका हकदार नहीं। सवाल यह है कि इन हज़रात की माश का ज़रिया क्या होगा, इस पर गौर फ़रमाया जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बिल में जो कम्पेंसेशन का तरीका पेश किया गया है, वह एक ऐसा तरीका है कि अगर उसकी तमाम दफ़ात को गौर से पढ़ा जाय, तो यह मालूम होगा कि कम्पेन्सेशन की बड़ी मुद्दत रक्खी गई है। उसमें यह ज़रूर कहा गया है कि नौ महीने के बाद इण्टरिम कम्पेंसेशन दिया जायगा। लेकिन ९ महीने की मियाद भी एक बहुत बड़ी मियाद है। यह सोच लेना कि हरएक ज़मींदार पर इस कदर सरमाया मौजूद है कि वह नौ महीने तक निहायत इत्मीनान से अपनी गुज़र-

बसर कर सकता है और अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर सकता है, सही नहीं है। बहुत से जमींदार ऐसे भी होंगे, जो अपनी आमदनी के अन्दर सिर्फ गुजर-बसर ही कर पाते हैं, और उनमें से बहुत से कर्जदार भी हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह आमदनी उसकी बन्द हो गई और वह महीनों इस कम्पेन्सेशन के चक्कर में पड़ा रहा, तो उसका नाश कैसे चलेगा, वह अपने बच्चों की तालीम कैसे जारी रख सकेगा, अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो उसके इलाज के लिये वह कहाँ से पैसा लायेगा और क्या सूरत ऐसी हालत में वह अख्तियार करेगा। उसके पास कोई जायदाद भी नहीं रह जायगी, ताकि उसको कर्जा मिल सके। इसलिये यह बेहद जरूरी है, जैसा कि नवाब साहब ने फरमाया था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने निहायत माकूल बात कही थी कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाय कि जिस वक्त उनसे जायदाद ली जाय उसी वक्त उनके हवाले मुआवजा कर दिया जाय। दुनिया में यही तरीका मुनासिब और माकूल खरीदारी का हुआ करता है कि इस हाथ दाम दिया जाय और उस हाथ चीज ली जाय। इतनी बड़ी चीज जब आप ला रहे हैं और उनके नाश का जरिया कुछ न रहेगा तो वे कैसे अपनी गुजर करेंगे।

इसके अलावा यह जो रुपया होगा यह इन्सान की परवरिश के लिये काफी नहीं हो सकता। इस जमाने में शरह सूद इस कदर कम है कि वह किसी के गुजर के लिये काफी रकम नहीं दे सकती है। यानी ढाई फीसदी। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह भी हुकूमत का फर्ज है कि इसके साथ-साथ जब कि वह यह फैसला कर रही है कि जमींदारी खत्म की जाय तो वह ऐसी बात करे, ऐसे तरीके अख्तियार करे, जिनसे उन लोगों की आशायश भी बनी रहे और रुपया भी सही मसरफ से सर्फ हो।

बिल का एक फायदा यह भी बताया गया है कि यह प्रोडक्ट (पैदावार) को बढ़ायेगा। जो लोग बेकार हैं, उनको कारआमद बनायेगा। लेकिन मैं फिर अदब से यह अर्ज करूँगा कि नकद मुआवजा देने से वे कारआमद नहीं बन सकते लिहाजा मेहरबानी करके यह सोचिये और इसके लिये इस बिल के अन्दर कोई ऐसी दफा रखिये, जिससे कि वे हकीकतन् कारआमद हो सकें। इसलिये जब आपके हाथ में हुकूमत है तो उस तबके को जो अब तक बेकार था, उसको काम से लगाया जाय। यह आपका एक कारनामा होगा। लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे कि उन्होंने एक जरिया कानूनन अगर खत्म किया तो दूसरा जरिया उनके वास्ते ऐसा अच्छा तजवीज कर दिया कि वे कारआमद बन गये और आराम से और राहत से अपनी जिन्दगी बसर करने लगे। अगर वही तरीका, यानी जो दफात इस बिल में कम्पेंसेशन देने के मुताल्लिक रक्खी गई हैं, मुआवजा देने का रहा, तो मुझे अन्देशा है कि मुकदमेबाजी होगी, इसलिये कि स्पेशल आफीसर मुकर्रर किये जायँगे जो पूरी-पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद

[श्रीमुहम्मद उबेदुर्रहमान ख़ाँ शेरवानी]

मामज़ात हाईकोर्ट में जायँगे। तो जो कुछ उनको मिलेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वकीलों, अहलकारों और उनके सफ़र खर्च की नजर हो जायगा।

एक तरफ़ तो आपने १५ फ़ीसदी तजवीज किया है कि आप उसमें से कलेक्शन चार्जेज मुजरा करेंगे और दूसरी तरफ़ आप फ़रमाते हैं कि ऐग्रीकलचरल इनकमटैक्स, जो कि अभी हाल ही में आयद हुआ है, इस बिल से मालूम होता है कि मुजरा किया जायगा। और बाज लोगों का इसके मुताल्लिक जो ख्याल था जब कि वह पेश हो रहा था, वह सही हुआ यानी यह कि इस गरज से इसको किया जा रहा है कि जिस वक्त मुआवजा देने का वक्त आवेगा तो एक बड़ी रकम मुजरा हो जावेगी। अगर हिसाब लगाया जाय तो मेरे ख्याल में करोड़ों रुपयों का इससे फ़र्क पड़ जायगा। मैं तो यह समझता हूँ कि यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है कि आप ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स को मुआवजे से वजह करें। अगर आपने इन दफ़ात को नहीं बदला और उनको वैसी ही कम्प्लीकेटेड रक्खा जैसी कि वे अब हैं, तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक बड़ा हिस्सा उनकी रकम का वकीलों की जेब में जायगा और अहलकारों की जेबों में जायगा और सफ़र खर्च में खर्च हो जायगा।

मुझे एक बात यह भी अर्ज़ करनी है कि कुछ लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जमींदारियाँ अँगरेजों ने पैदा कीं, लिहाज़ा उनको खत्म किया जाय। खैर यह तो वाक़यात तारीखी हैं जैसा कि बेगम ऐजाज रसूल साहिबा ने अपने नोट ऑफ़ डिसेंट में बतलाया है कि बहुत सी जमींदारियाँ उस वक्त भी थीं जब कि अँगरेजों का यहाँ वजूद भी नहीं था और मिसाल के तौर पर उन्होंने मैनपुरी और दूसरी रियासतों का जिक्र भी किया है।

इन्साफ का जो तरीका अँगरेज यहाँ छोड़ गया है, वह निहायत ही खराब है। स्टाम्प बेचे जाते हैं, कोर्ट फीस वसूल की जाती है और वकीलों को बड़ी-बड़ी फीसें दिलवाई जाती हैं। हर शख्स इस बात को मानेगा कि यह तरीक़ा किसी तरह दुरुस्त नहीं है। गाँव पंचायत ऐक्ट के कुछ दफात की मुझे याद आती है। उनमें यह चीज साफ कर दी गयी है कि वकीलों को पंचों के सामने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं इस बिल की कुछ दफात की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। कम्पेंसेशन के सिलसिले में इतनी दफात का रखना गोया इस मसले को और भी कम्प्लीकेटेड (उलझा हुआ) बनाना है। बहुत से कम्पेंसेशन लेनेवाले इस दुनिया में न रहें, बहुत से बीमार ठीक इलाज न होने की वजह से मर जायें, बहुत से बच्चे तालीम से महरूम रह जायें। इस तरह यह ऐसा नुकसान होगा, जो कौम और मुल्क का नुकसान होगा और हमें इसको किसी तरह बरदाश्त नहीं करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जो हज़रात सेलेक्ट कमेटी में इस बिल पर ग़ौर करने के लिये बैठेंगे, वह ज़रूर यह कोशिश करेंगे कि जो नुक़ायस इन दफात के अन्दर हैं वह दफा हो जायें, और दुबारा जब बिल इस ऐवान में आये तो उसमें कम्पेंसेशन

देने का तरीका बहुत ही निन्दित हो। बेहतरीन तरीका यह होगा कि पहले आप जायदाद का एक्वीज़ीशन न करें उसके बाद नोटिस दें कि यह जायदाद हुकूमत के कब्ज़े में आ गई आप यकीन जानिये कि हमारा इसमें हरगिज़ यह मकसद नहीं है कि इसमें देर लगे जो चीज़ जानी है, उसको जाने दिया जाय और प्रेम के साथ जाने दिया जाय मैं इसका बिल्कुल कायल हूँ. लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अगर ज़िबा करना है तो तेज़ छुरी से ज़िबा किया जाय. कुन्द छुरी से ज़िबा न किया जाय इसलिये कि न वह मरने पायेगा और न जिन्दों में होगा और यह बड़ी ज्यादती होगी मुझे यकीन है कि आप भी इसको गवारा नहीं फरमायेंगे।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज़ करनी थी कि मेरा यह खयाल था कि ज़मींदारी के खत्म होने के बाद कोई ऐसा दूसरा निज़ाम अख्तियार किया जायेगा, जो मौजूदा सिस्टमसे हकीकतन बेहतर होगा। कल चरण सिंह साहब ने अपनी तक़रीर में यह फ़र्माया था कि इस बिल के पेश करने में जो देर लगी है, उसकी वजह यह थी कि यह सोचा जा रहा था कि जो मौजूदा सिस्टम है, उसके खत्म होने के बाद कौन सा सिस्टम लाया जाय। मैंने निहायत गौर के साथ पूरे बिल को पढ़ा और उन तमाम तक़रीरों को देखा, जो उसके सिलसिले में की गई हैं और जो इसकी मुआफ़िकत में मज़मून लिखे गये हैं, उनको भी पढ़ा लेकिन मुझे निहायत अफ़सोस के साथ अर्ज़ करना पड़ रहा है कि कोई माकूल सिस्टम मौजूदा सिस्टम की जगह तजवीज़ नहीं किया गया है। आपका सिर्फ़ यह खयाल है कि जो मौजूदा इमारत है, उसको अगर गिरा दिया जाय, तो जो इसकी बुराइयाँ हैं, वह खुदबखुद दूर हो जायेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह ऐसा खतरनाक उसूल है और अगर इसे इस्तेमाल किया तो यकीनन नुक़सान पहुँचने का अन्देशा है। मालगुज़ारी वसूल नहीं होगी तो इससे ज़रूर इसका अर्ज़ मुश्शान असर बजट पर पड़ेगा। इस वक्त बजट में इतनी गुंजायश नहीं। वह स्कीमें जो आपके पेशे नज़र हैं लैंड रेवेन्यू का जो आइटम है उसमें खराबी पैदा हो गई और वक्त पर मालगुज़ारी वसूल न हुई, तो यकीनन इसका नतीजा होगा कि बहुत सी दिक्कतें हुकूमत के खज़ाने में पेश आ जायँगी। मैं इसके साथ एक बात और अर्ज़ करने की ज़रूरत समझता हूँ। यह तो सही है कि आप बार-बार इरशाद फरमाते हैं कि यह आपकी पार्टी का फैसला है कि ज़मींदारी खत्म की जाय। इससे यह तवक्को नहीं की जाती कि ज़मींदारी खत्म होने से काश्तकार की बहाली होगी। तरक्की हो लेकिन देखा यह गया कि जो आप ज़मीन काश्तकार के सिपुर्द फरमा रहे हैं तो काश्तकार की पैदावार उसके अख्तियार में नहीं है। प्रोक्योरमेंट की जो स्कीम है उसके तहत में एक खास हिस्सा काश्तकार अपनी पैदावार का उन दामों में जो यहाँ से मुकर्रर हो जायँगे वह हुकूमत के हाथ फरोख्त करेगा। जो बेइनसाफ़ियाँ इस प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में हुई हैं रोज़ रोशनी की तरह चमक रही हैं। मुख्तलिफ़ मुकामात पर सवालात हो रहे हैं। बहस-मुबाहिसा हो रहा है। कई रोज़ से अखबारों में खबर आ

[श्री मुहम्मद उबेदुर्रहमान ख़ाँ शेरवानी]
रही है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर दूसरी पार्टी बन रही है। जो बेउनमानियाँ हैं, उनको आप रफा करें। मेरे अर्ज करने का मकसद है कि जो सीरदार हैं, असामी हैं, जो किसान हैं अगर ज़मीन उनकी रहे, लेकिन पैदावार पर उसका कोई हक न रहे, अपनी पैदावार को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक़ बेच न सके यह निहायत नामुनासिब होगा। आज दुनिया के अन्दर क्या हालत है। अब तो जमींदारों को भी काश्त करना है, वह जमींदार खुद अपनी पैदावार की तरक्की की कोशिश करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया काश्त है। अलावा मुआविजे के अगर वह फ़ार्मिंग करेंगे, पैदावार बढ़ाएँगे, तो यकीनन् उनके लिए यह मुफ़ीद साबित होगी। यह जरूर गौर करना पड़ेगा कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जमींदार से लिया जा रहा है, जिससे उसका नुकसान हुआ है। अख़राजात वही हैं, कैसे पूरे हो सकेंगे। लेकिन एक बड़ी वजह है, आपको गरानी भी दूर करना है। क्या आप यह बता सकेंगे कि गरानी दूर करने की क्या सूरतें अख्तियार की और जो सूरतें अख्तियार कीं, उनसे कितनी गरानी दूर हुई? इस वक़्त तक जो मुसीबतें मुल्क पर मुसल्लत हैं, वह हटीं नहीं। आपकी जो ख्वाहिश है कि शहद और दूध की नहरें बहने लगें, यकीनन् हम यहाँ के रहनेवाले मुसीबत से छूट जायँ और हमारी तमन्ना है कि कम से कम पानी ही की नहरें इफरात से बहने लगें और यही एक बड़ा ज़रिया ज़राअत की तरक्की का है। सवाल यह है कि जब तक गरानी न जायगी, यह मकसद हासिल नहीं हो सकता।

जनाबवाला, आपस में इस वक़्त तक इख्तिलाफ़ात हैं और यह उसी का नतीजा है कि इस वक्त दुनिया में जो मुसीबत फैली हुई है, यह गरानी जो दुनिया में छाई हुई है, हमें सोचना यह है कि इसे रफ़ा करने के लिए क्या करें। इसके साथ यह भी हमें सोचना चाहिए कि इस गरानी को रफा करने की क्या शक्ल अख्तियार करनी होगी। मुझे अर्ज करना है कि वक्फ अलल उल औलाद का कोई प्राविजन बिल में नहीं है। दो क़िस्म के वक्फ़ आपने रक्खे हैं। एक तो चैरिटेबुल और दूसरे प्राइवेट, वक्फ़ अलल उल औलाद जो शरअन् और कानूनन् इस सूबे में किए गए हैं, उनकी गरजोगायत यह है कि एक हिस्सा कारे ख़ैर के वास्ते रक्खा जाय।

तो बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ अलल उल औलाद कारे खैर के वास्ते किए हैं। जाहिर बात है कि इससे बहुत से मदरसों, बहुत से गरीब तालिबइल्मों, बहुत सी बेवाओं और बहुत से यतीमों की मदद हो रही है। सवाल यह पैदा होता है कि वक्फ अलल उल औलाद के साथ क्या बर्ताव किया जाय। मेरी नाचीज राय यह है कि सेलेक्ट कमेटी को खास तौर से इसकी तरफ़ गौर करना चाहिए। वक्फ अलल उल औलाद एक ऐसी अज़ीमुश्शान चीज़ है, जिसकी निस्बत ख़ास तौर से गौर करना चाहिये कि उसका क्या इन्तजाम हो, उसको किस तरह से बरतना चाहिये जिससे कारे ख़ैर की मदद जारी रह सके। और उन लोगों को जो मुहताज हैं, जो वाकई में हाजतमन्द हैं और जिनकी इमदाद वक्फ मुद्दत से चल रही है उनको

नुकसान न पहुँचे, बल्कि वह बदस्तूर जारी रह सके। इसके साथ ही साथ वक्फ अलल औलाद के लिये जिस तरह का कानून है, उसके लिये भी जो हमने रक्खी है, उसका भी पूरा लिहाज रखना है। लिहाजा वक्फ अलल औलाद के लिये बिल में एक प्रोवीज़न की निहायत जरूरत है, जिससे उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हो सके। आपने एक यह भी तवक्को दिलाई थी बिल में, कि जो मकरूज जमींदार हैं, उनके कर्ज को घटा दिया जायगा, उसको कम किया जायगा और उसके लिये कोई बिल लाया जायगा। लेकिन मैं यह चाहता था कि वह बिल भी इस बिल के साथ ही साथ इस ऐवान के सामने आ जाता, तो बहुत अच्छा होता। इसलिये कि जब उनके पास कोई जायदाद ही नहीं रहेगी, जिसके ऊपर वह कर्जा था तो वे कर्जा अदा कहाँ से करेंगे? और वह जो कर्ज का बार है, वह उनकी जान पर रहेगा या जान उससे मुस्तस्ना हो जायगा या जो मुआविजा वे पायेंगे, वह उस कर्ज के बदले में कुर्क हो सकेगा? सवाल यह पैदा होता है कि इस बिल के साथ ही साथ वह बिल भी आ जाता, तो पूरा पिक्चर सामने आ जाता। मेरा ख्याल यह है कि जितने बिल इसके मुताल्लिक हैं वे सब इस ऐवान के सामने रहते और इस पर बहस-मुबाहिसा जारी रहता, ताकि सब लोग आसानी से अपने ख्यालात को जाहिर कर सकते। इस बिल में किसी भी बिल के लिये आगे कोई प्रोवीज़न नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि तमाम बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने आ जाने चाहिये, ताकि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को पूरी तौर पर गौर करके अपनी राय देने का मौका मिले।

अब एक सवाल यह पैदा होता है कि इस बिल में जो जमीन उठाने का काश्तकारों को दिया गया है, वह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है, जो बेवा औरतें होंगी, जो नाबालिग बच्चे होंगे और जो फौज में मुलाजिम होंगे।

अब सवाल यह पैदा होता है कि बाज लोग ऐडमिनिस्ट्राटिव सर्विस में होंगे और उनके घर पर भी कोई नहीं होगा तो उनको अपनी जमीन उठाने का हक होगा या नहीं? मेरे ख्याल में कोई इसको पसन्द भी नहीं करेगा कि वह काश्त की हाजत ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मुलाजमत को छोड़ कर घर पर बैठ और काश्त करना शुरू कर दें। इससे मुल्क को भी बहुत नुकसान होगा। बाज लोग बहुत एफिशियण्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वे भी देश की खिदमत कर रहे हैं तो उनको भी इससे महरूम कर देना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा। बाज लोग ऐसे हैं, जो और ही शक्ल में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर भी यह पाबन्दी आयद कर दी जाय कि वे अपने घर पर बैठ कर काश्त करें, तो मेरी नाचीज राय में यह भी नामुनासिब होगा। ऐसे ईमानदार, मेहनत करने वाले, समझदार और खिदमत करनेवाले से मुल्क महरूम होगा तो यह मुल्क की बदकिस्मती ही होगी। बाज लोग तो ऐसे हैं, जो अपना नुकसान बर्दाश्त करके भी आज मुल्क की खिदमत अन्जाम दे रहे हैं और वे उसे छोड़ना हरगिज

[श्री मुहम्मद उबेदुर्रहमान खाँ शेरवानी]

गवारा नहीं कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर पाबन्दी लगा दी जाय, तो यह बिल्कुल नामुनासिब होगा। हो सकता है कि उनके जवान बेटा न हो जो उनके घर पर रह कर खेती करा सके, तो उस सूरत में उसको कम से कम अपनी काश्त उठाने का हक देना चाहिये। और बहुत सी बातें ऐवान के सामने कही जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त इस पर गौर किया जाय तो इस नजर से किया जाय कि हकीकत में मुल्क की बेहतरी हो। एक तबके को अगर आप मिटा रहे हैं तो कम-से-कम उसको यह तसफ़ीन हो कि मुल्क बेहतरी का काम हुआ, उसको यह इत्मीनान हो कि उसकी तबाही ने दूसरों को फायदा पहुँचाया और वह उसी शक्ल में हो सकता है जब आप सब का बराबर लिहाज रक्खें और साथ ही इस ऐवान में जितनी बातें कही गई हैं उन्हें रद्दी की टोकरी में न डाल दें बल्कि आजादी के साथ सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान साहबान उस पर गौर करें और इत्मीनान के साथ बहस-मुबाहिसा करें और जो मुनासिब समझें फैसला करें और अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह बतायें कि जो प्वाइंट्स इस ऐवान में उठाये गये हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया तो मेम्बरान को भी इतमीनान होगा कि उनकी जो राय होती है उसकी वक़त की जाती है और वह जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं उसका कोई फायदा होता है या महज वक्त का जाया करना होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर आजम साहब का कि उन्होंने इतना मौका हम लोगों को दिया कि हम लोग अपने ख्यालात का इत्मीनान के साथ उनके सामने इजहार कर सकें। मुझे इसका जरूर अफ़सोस है कि बाज लोगों ने इसे अपने पार्टी प्रापेगेंडे का जरिया समझा। मैं समझता हूँ कि यह बिल इतना अहम है कि इसे किसी पार्टी प्रोपैगेन्डे का जरिया बनाना किसी तरीके से मुनासिब नहीं था। इस वक्त तो करोड़ों आदमियों की रोजी का, उनकी बेहतरी का, उनकी इस्लाह और एक चीज जो असली बैकबोन है इस सूबे की यानी जराअत की तरक्की का सवाल पैदा है। यहाँ अशखास को भूल जाना चाहिये। यहाँ पार्टी को पसेपुश्त डाल देना चाहिये। इस वक्त तो सबको मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो कर सूबे को, यहां के रहने वाले लोगों को और जराअत की तरक्की की तमाम तजवीजों को सोचना चाहिये ताकि वह तमन्ना जो एक अरसे से सबके दिलों में रही है मुमकिन है कि इस तमन्ना के हुसूल के लिये बाज लोगों ने ज्यादा सरगरमी दिखाई हो और बाज ने कम लेकिन एक अरसे से लोगों में और सब के सब लोगों के दिलों में तमन्ना थी कि इस तरह की जिन्दगी बसर हो कि उसमें इत्मीनान हो, सुकून हो, फायदे की बातें हों और इस मुल्क को जो आजादी मिली है उसको कायम रखते हुये उसकी इज्जत दूसरे मुल्कों में कायम हो, बढ़े और तेजी से बढ़े। इस वक्त हर शख्स को यह चाहिये कि दूसरे मुल्कों में इस मुल्क की कद्र हो। इसमें यह सूरत पैदा हो कि दूसरे मुल्कों के लिये यह मिसाल होकर रहे और लोग यह महसूस करने लगें कि हकीकतन यह लोग मुस्तहक हैं और इन्होंने अपनी तरक्की किस तरह से

हासिल कर ली है। अब भी आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू इस वक्त इस मुल्क की बेहतरी के लिये हर तरह की कुर्बानी उठाने को तैयार हैं और वह यह चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों में यह मुल्क वह तरक्की हासिल करे और वह बुलन्दी हासिल करे कि दुनिया का वह चमकता हुआ सितारा हो कर रहे, तो उनमें इनको और उनको मिलकर मदद करना चाहिये और आपसी झगड़ों और आपसी इख्ति [illegible] अपने शिकवों को दूर कर देना चाहिये। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इसकी ताईद करता हूँ और चाहता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और १५ जनवरी तक इस पर राय आम्मा ली जाय और उसके बाद यह सेकेंड सेलेक्ट कमेटी में जाय ताकि वह इन पर गौर कर सकें और किसी को यह कहने का मौक़ा न मिले कि ऐसे अहम बिल पर उनकी राय जरूरी नहीं समझी गई और अगर इस तरह से उनको मौक़ा मिल जायेगा तो उन्हें पूरा इत्मीनान हो जायगा।

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बिल के ऊपर आज ६ रोज से बहस हो रही है। काफी सामग्री मेम्बरान के सामने आयी है। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के जो कुछ बातें इस के खिलाफ उठाई गई हैं, उन के बारे में कहना चाहता हूँ। बिल के बारे में दो तरफ़ से मुखालिफ़त की आवाज आयी। एक जमींदार साहबान की तरफ से, जिनका कहना था कि यह बिल कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं था, जमींदारी तुम्हें अभी खत्म नहीं करनी चाहिये थी। इसके करने से हमारा नुक़सान हुआ और किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। नवाब यूसुफ साहब ने यह भी कहा था कि अगर तुम हमें जिबह करोगे, तो याद रक्खो तुम भी जिबह हो जाओगे। दूसरा सोशलिस्ट दोस्तों की तरफ से आया। उनका कहना था कि यह बिल मुकम्मिल नहीं है। किसानों का कुछ थोड़ा-सा फायदा हो जाएगा।

लेकिन लाखों-करोड़ों जो मजदूर हैं, उनका फायदा नहीं होगा। यह अनइकानामिक होलिंडग के सवाल को हल नहीं करता है। इसलिए यह बिल कोई क्रान्तिकारी बिल नहीं है। कांग्रेसी नेता जिन्होंने इस बिल को बनाया है, उनके अन्दर रेवोल्यूशनरी स्पिरट नहीं है। कोई क्रान्तिकारी स्प्रिट इस बिल के बारे में इस्तेमाल नहीं की गई है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस जमींदारी-प्रथा का सवाल है, यह एक बुनियादी सवाल है। आखिर इस प्रथा को क्यों खत्म किया जाय। क्या इसलिये कि जमींदार लोग जो हैं वह कांग्रेस के खिलाफ थे, या इसलिये कि उन्होंने अँग्रेजों की हुकूमत का साथ दिया था या इसलिये कि एक बड़ी वजह थी और बड़ी वजह यह है कि हम चाहें या न चाहें कि सामाजिक संस्था का विकास होता है सामाजिक संस्था प्रारम्भ से फलती फूलती है और उन्नत होती है और आखिर में उसकी तनज्जुली होती है। इसी तरीके से एक जमाने में जमींदारी प्रथा

[श्री गोविंद सहाय]

दुनिया के अन्दर फली-फूली और अन्त में उसका खात्मा हुआ। यह हो सकता है कि एक दुनिया ऐसी रही हो कि जमींदारी प्रथा का नाम रहा हो, लेकिन जिन मुल्कों में जमींदारी प्रथा जबरदस्ती रखने की कोशिश हुई, उन मुल्कों में आप देखेंगे कि वाक़ई में वहाँ आखिर में ऐसी हालत पैदा हुई कि अन्त में वहाँ पर तबाही के जरिये से, मारकाट के जरिये से उस जमींदारी संस्था का सत्यानाश हुआ। यही हालात यहाँ पर भी हैं कि आप लोग इसको चाहें या न चाहें कि जमींदारी प्रथा को कायम रक्खा जाय, लेकिन इसके अन्दर जो पारस्परिक विरोध के कारण हैं, जो बुनियादी इख्तलाफात हैं, वह खुद ही इसको खत्म कर देंगे, इसका नाश कर रहे हैं। अब ऐसे दोष इसके अन्दर पैदा हो गये हैं कि जिससे यह खुद ही खत्म होकर रहेगी। इसीलिये दुनियाँ के अन्दर यह संस्था खतम हुई है। अब सवाल आता है और आप देखेंगे कि जिन मुल्कों में इस नेचुरल ला को लोगों ने रोकना चाहा वहाँ पर इन्क़लाब हुआ। जो मार्क्सवाद साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से कहा जाता है, उसकी थीसिस केवल इसी वजह से ग़लत साबित हुई है कि दुनिया में जहाँ इन्क़लाब होना चाहिए था, वहाँ न होकर खेती प्रधान देशों में हुआ। जहाँ पर इंडस्ट्रियलिज्म का विकास हुआ, वहाँ पर इन्क़लाब नहीं हुआ। आपके सामने इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि जिन मुल्कों में इंडस्ट्रियलिज्म पूरे तरीके से पनपा है, वहाँ पर इन्क़लाब नहीं हुआ; रूस एक एग्रिकलचरल कंट्री है वहाँ पर इन्क़लाब हुआ। क्योंकि वहाँ पर जारशाही ने जबरदस्ती एक गिरती हुई संस्था को कायम रखना चाहा। दुनिया के और मुल्कों में जिनके अन्दर जमींदारी प्रथा है, वहाँ पर क़ानून के जरिये से इस प्रथा का खात्मा हुआ और दूसरी जगहों पर इन्क़लाब हुआ है। इसलिये जो कदम हिन्दुस्तान में उठाया गया है, मैं समझता हूँ कि वह बुनियादी तरीका है और वही बहुत-से मुल्कों ने अपनाया है उससे कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है कि जो चीज खत्म होने वाली थी उसको कैसे खत्म किया जाय। खत्म करने के दो-तीन तरीके हो सकते हैं—एक तो म्युचुअल कन्सेन्ट, दूसरे मारकाट और तीसरे क़ानून। हो सकता है कि जमींदार लोग यह समझें कि यह वक़्त का तक़ाजा है हमें खुद ही अपनी जमींदारी को अपनी मरजी से ही खत्म कर देना चाहिये। दूसरा तरीक़ा कुश्तोखून का है। जो रूस में हुआ और आज चीन में हो रहा है। तीसरा तरीक़ा नेगोशिएशन से हो सकता है। पार्लियामेंट के जरिये कानून बनाकर उस कानून के जरिये से खत्म किया जाय, सलाह के जरिये से, एक दूसरे को समझने के जरिये से इस चीज को खत्म करें। अब देखना यह है कि जो तरीका आज हिन्दुस्तान में इस चीज को खत्म करने का बरता जा रहा है, उससे बेहतर तरीका बरता जा सकता था या नहीं, हर मुल्क ने जिसने जिन्दा रहना चाहा है, उसने इसी तरक़े से अपने यहाँ सोशल आर्डर के जरिये इस चीज को खत्म किया है। मैं इस बात को मंजूर करता हूँ कि कांग्रेसी मिनिस्ट्री की तरफ से

कोई गल्ती कही जा सकती है. प्रधान सचिव को कसूरवार ठहराया जा सकता है तो इसी बात पर कि इन्होंने इस बात की कोशिश क्यों की कि जमींदारी को मुआवजे के साथ खत्म किया जाय, लेकिन दुनिया में जिस तरह से यह सिस्टम खत्म किया गया है. उनमें सरकारी और नेगोशियेशन का तरीका ही अख्तियार रहा है और इसी लेजिस्लेशन के जरिये से हम यहाँ यह चीज़ खत्म कर रहे हैं. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा. मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। तफसील में आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। इस बिल की बुनियादी बातें क्या हैं, मैं उनको आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक एतराज किया गया है कम्पेन्सेशन के बारे में एक सवाल आता है कम्पेन्सेशन का। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं अगर कोई यह कहे कि कुछ मत दो ठीक है. नादिहन्दों की तादाद दुनिया में ज्यादा रही है और यह स्लोगन हमेशा लोगों को अपील करता है कि बिल्कुल मत दो, लेकिन जब आप कोई चीज़ किया करते हैं, किसी दिमागी नजरिये से किया करते हैं तो आपका सही तरीका यह है कि उसे पुरअमन तरीके से करें सुलह से करें. मेल से करें तो इसका लाजिमी नतीजा यह है कि जब आप लोगों की जमीनें लें तो इस तरह से लें कि उनके साथ इन्साफ हो और उन्हें यह महसूस हो कि उनके साथ इन्साफ करने का प्रयत्न किया गया है, अगर समाज के मुट्ठी-भर आदमियों के दिल में यह चोट और कसक रही कि हमारे साथ में बेइन्साफी हुई, तो यह डिस्सैटिस्फाइड (असंतुष्ट) तबका किसी भी राज्य के लिये खतरनाक हो सकता है। तो जब हम इन्साफ करने बैठते हैं तो हमें यह देखना होगा कि जिन लोगों ने अपना रुपया इन्डस्ट्री (रोजगार) में नहीं लगाया, जमीनों में लगाया और यह समझकर लगाया कि यही बेहतर इनवेस्टमेंट है और हिन्दोस्तान-जैसे कृषि प्रधान देश में यही बेहतर है, तो आज इख्लाकी तरीक़े से मैं कहता हूँ कि वह उनके साथ जुल्म होगा कि उन जमीनों को बिना कम्पन्सेशन के लें, उनकी औलादों को सजा दें कि उनके बुजुर्गों ने ऐसे जगह रुपया क्यों लगा दिया जो संस्था खत्म होने जा रही है। तो कम्पेंसेशन की बात उस दिमागी नजरिये के साथ मेल खाती है जिसके मातहत जमींदारी प्रथा को आप खत्म कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उसकी हद एक लाख हो या आठ लाख हो तो यह तो प्रेक्टिकल कन्सिडरेशन की बातें हैं। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता है वहाँ लोगों को मौका है कि वह इस चीज को तय करें, लेकिन जहाँ तक उसूल का ताल्लुक है और जिस तरह यहाँ पोलिटिकल इवाल्यूशन हुआ है, जिस तरह से हमारा देश आजाद हुआ है, पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन का विकास हुआ है, उसके साथ कन्सिस्टेंट यह है कि हम कम्पन्सेशन के उसूल को मानें। उसके बाद उसकी तादाद पर बहस हो सकती है, हरएक आदमी को कहने का हक़ है।

तीसरी बात जो इस बिल के बारे में उसूली तरीक़े से उठाई गई, वह यह कि इस

[श्री गोविन्द सहाय]

बिल के से कोई खास फायदा नहीं होनेवाला है। जमींदारों की तबाही होनेवाली है, काश्तकारों को कोई खास फायदा नहीं होगा और कई बातें इसके सिलसिले में पैदा की गई कि इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, आप इतना तो सोचिये कि इससे मँहगाई पर क्या असर पड़ेगा। इसमें शक नहीं कि यह सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बिल के अन्दर कमाल की बात यह है कि दोनों उसूलों का, आइडियलिज्म (आदर्शवाद) और प्रेक्टिकल रियलिज्म (क्रियात्मक यथार्थवाद) आदर्श और वास्तविकता का व्यावहारिक रूप इस बिल में मौजूद है। इसमें स्लोगन नोट नहीं है। इसमें हर बात पर विचार करके इस बात का ख्याल रक्खा गया है कि सबके साथ इन्साफ हो और समाज की तरक्की कैसे हो। यह इन्सानी फितरत है कि इन्सान अपनी जरा सी चीज के लिये अपनी जान भी दे देता है। इसी वजह से इस बिल के बनानेवालों के दिमाग़ में यह हर अमली चीज भी थी कि प्रचलित प्राइवेट प्रापर्टी का सिद्धान्त किसी तरह से उसको कायम रक्खें और जो आने वाला युग है, जो सोशलिज्म का युग है, जिसमें कल्टिवेटिड फार्मिंग होगी उसके लिये इस उसूल की प्रगति के लिए कैसे प्रोत्साहन दें। इस तरह से दोनों चीजों को कायम रक्खा गया, ताकि दोनों सिद्धान्तों को मिलाकर दोनों का समन्वय हो। साथ ही एक चीज और है कि हमारे दिमाग इस तरह से बदल गये हैं कि जिस चीज की कीमत न देनी पड़े वह ठीक नहीं मालूम पड़ती, उसमें खराबियाँ नजर आती हैं और शक होता है कि यह चीज अच्छी है या नहीं। अगर कोई डाक्टर फीस कम लेता है, दवा के दाम कम लेता है तो मरीज के दिमाग में यह बात आती है कि वह दवा ठीक है या नहीं। हर चीज जो तकलीफ उठाने और दाम देने के बाद मिलती है, वह अच्छी मालूम होती है। लोग इस बिल के बारे में शक यह करते हैं कि इस बिल से जमींदारों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, जमींदारों को इस तरह से कि उसे जो रुपया मिलेगा, उसे वह इंडस्ट्री में लगायेगा, तो जमींदार का फायदा, किसान का फायदा और गाँव-पंचायत का फायदा, सबको तो फायदा हो नहीं सकता, यह नामुमकिन है कि सबका फायदा हो जाय।

यह हमारी दिमागी जहनियत का नतीजा है। हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में कोई इन्सान ऐसी चीज कर सकता है जिसमें सभी वर्गों का हित हो सके, क्योंकि हम समझते हैं कि किसानों के फायदे के मानी जमींदारों का अन्त है, मजदूरों के फायदे के मानी सरमायादारों का अन्त है। जब हमारे दिमाग में यह चीज बैठ गयी है कि एक के फायदे के मानी दूसरे का अन्त है तो हमारी समझ में यह बात नहीं आ सकती। मैं इस को इन्सानी दिमाग का करिश्मा समझता हूँ।

इस बिल में जितने भी इन्सेंटिव (प्रोत्साहन) हो सकते थे, जमींन से ज्यादा पैदा करने का इंसेंटिव, किसानों की बहबूदी करने का इंसेंटिव, कोआपरेटिव फार्मिंग

करने का प्रोत्साहन इंसेंटिव गाँव की तरक्की करने का ख्याल सारे के सारे प्रोत्साहन इनमें दिये गये हैं। इस लिये जब इस बिल पर गौर किया जाय तो इसके असली पहलू पर भी गौर किया जाय। जब कोई चीज बनाई जाती है, तो उसमें जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए।

इस में कोई शक नहीं कि हम ने आर्डिनेंस के जरिये से जमींदारी खत्म कर दी और जमीनों पर कब्जा कर लिया। यह कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। डा० लोहिया का कहना है कि चौबीस घंटे के अन्दर जमींदारी खत्म हो सकती है। मैं कहता हूँ कि एक मिनट के अन्दर खत्म हो सकती है। लेकिन किसी चीज को खत्म करने से वह खत्म नहीं हो सकती है उसके बनाने का सवाल आ जाता है। मुझे इल्म है कि इतने पेचीदे सवाल के ऊपर रूस-जैसे मुल्क को जहां पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी डिक्टेटरशिप थी, सारी सुविधाएँ थीं, के होते भी उस जैसे मुल्क को दस साल लगे और मैं अपने जाती तजुर्बे से कहता हूँ कि सन् १९३९ ई० तक रूस के किसानों के अन्दर यह प्रवृत्ति थी कि वह यह सुनना नहीं चाहते थे कि वह जमीन उनकी नहीं है, वह उसका मालिक नहीं है। मैं एक गाँव में गया और उन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कलेक्टिव फार्मिंग होती है तो छुप-छुप कर किसान कहते थे कि जमीन पर हमारा ही नाम लिखा हुआ है। यह इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति कि हमारी प्राइवेट जमीन है जब से इंसान कायम हुआ है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह आप जबान से दूर नहीं कर सकते। इस बिल में इन तमाम बातों का ख्याल रक्खा गया है जिस से यह एक व्यावहारिक तरीके का बिल बन सके। श्री राजाराम शास्त्री ने कल बड़ी मजेदार बातें कहीं निस्संदेह जब कोई स्पीच देता है तो उसको अख्तियार है कि वह ऐसी बातों का जिक्र भी कर सकता है जिस का मजमून से ताल्लुक हो या न हो। लेकिन मैं यह तवक्को करता हूँ और इसलिये ज्यादा तवक्को करता हूँ क्योंकि सोशलिस्ट लोगों का कहना है कि वह कांग्रेस वालों के मुकाबले में ज्यादा साइंटिफिक और कलचर्ड होते हैं। इस लिये जो बोलने का तरीका होना चाहिये, एक्सप्रेशन का तरीका होना चाहिये, और जो दलीलें होनी चाहिये, उनमें हमारे मुकाबले में ज्यादा वजन होनी चाहिये। कल स्पीच सुनकर मुझे हैरत हुई, हालाँकि कुछ लोग हँस रहे थे। लेकिन यह कोई एलेक्शन हाउस नहीं है न वोटर बैठे हैं, जिन को तोड़ने का सवाल हो। जो उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि बुनियादी तरीके पर वह उनकी पालिसी के अनुकूल है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की पालिसी एक खास किस्म की है। गाँव में जाकर किसानों से कहेंगे कि गल्ला मत दो और शहर वालों से कहेंगे कि राशन जरूर होना चाहिये अगर छः छटाँक मिलता है, तो आठ छटाँक करवाओ। इस पालिसी के मातहत जहाँ भी मौका मिलता है, वह चूकते नहीं। इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि पहले वे कहते हैं कि जमींदारी खत्म नहीं करेंगे और मुझे यकीन है कि जब जमींदारी खत्म हो

[श्री गोविन्द सहाय]
जायगी तो यही सोशलिस्ट जाकर जमींदारों से कहेंगे कि आप के साथ यह बेइन्साफी हुई है, आप की जमीन छिन गयी है इस लिये अब आप सोशलिस्ट हो जाइये वह तो दोनों तरीकों से काम लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो पालिसी की बात कही है मैं तवक्को करता था कि कोई ऊँची चीज होगी। लेकिन इस बिल के अन्दर बुनियादी तरीके से जो बात कही गयी वह इस के सिवा कुछ न थी कि अनएकोनामिक होल्डिंग्ज़ हैं, अनएकोनामिक होल्डिंग्ज़ है। यह एक वाक्या है। लेकिन इस के बजाय अगर आप यह कहते कि आप अपनी ज़मीन में उतना पैदा नहीं करते जितना पैदा करना चाहिये तो आप देखते कि क्या हालत होती।

अगर अनइकोनामिक होल्डिंग्ज़ मिटाना है तो लोगों में इस चीज़ का अहसास होना चाहिये कि इस तरह की खेती नुकसानदेह है। इस लिये खेती कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के बेसिस पर करनी चाहिये। पहले जब जमींदारी बिल नहीं आया था तो कहा यह जाता था कि यह बिल कभी नहीं लायेंगे क्योंकि यह ज़मींदारों से मिल गये हैं लेकिन जब बिल भवन में आ गया है तो यह कहा जाता है कि किसानों को तो फायदा हो गया लेकिन मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ है। हालाँकि गाँव की इकानामी किसान के इधर उधर ही घूमती है। अगर किसान तरक्की करता है तो मजदूर की तरक्की जरूर होती है। गाँव में किसान के पास पैसा आता है और उसके घर में रौनक आती है तो स्वभावतया मजदूर पर भी असर पड़ता है उसे भी खुशी होती है कि किसान के घर में आज रौनक आई है। तो कल मेरे घर में भी रौनक आवेगी और उसकी मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है यह एक ऐसा इंटर कनैक्टेड प्राबलम है कि एक दूसरे से इसको काटा नहीं जा सकता। इनको तो स्लोगन्स लगाना ही अच्छा मालूम देता है। मैं यह कहता हूँ कि यह कोई प्रेक्टिकल तरीका नहीं है। बावजूद इसके कि सोशलिज्म अच्छा है या नहीं। लेकिन जो तरीका सोशलिस्ट पार्टी बर्त रही है उन तरीकों से तो अगर यह अच्छी चीज़ भी है तो भी उसको बड़ा नुकसान पँहुचा रहे है। मेरा यकीन है कि दुनिया भर में, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं यह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलते। सोशलिस्ट का रोल हमेशा एक ही रहा है।

"Either sappers and miners of communists or active agents of fascism."

अर्थात् या तो कम्यूनिस्टों के लिये रास्ता साफ करने वाले हैं सेपर्स या मायनर्स का काम करते हैं या फासिज्म को लाते है। और यह किसी पार्टी के वफादार नहीं रहते। मैं उनकी बात को समझना चाहता था कि उनकी इन तमाम बातों का और क्या अर्थ है। अगर उसके माने अवाम के फायदे के हैं, अगर इसके माने समाज के अंदर तरक्की करने के हैं, तब तो उनका हमारा मतभेद नहीं होना चाहिये। आखिर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने डिटेल्स को आवाइड किया है।

जो मुआविजा देने की बात रक्खी गई है और जो किसान को इंसेन्टिव दिया गया है, वह ऐसा असली तरीका यानी [illegible] है जिससे वह जो काम चाहे कर सकता है। वैसे आप मुआविजा कहाँ से देंगे? अगर [illegible] करेन्सी बढ़ा कर देंगे तो देश में इंफ्लेशन आ जायेगा। इस लिये जो मुआविजा दिया गया है, उससे समाज की चौतर्फा तरक्की होनी चाहिये। इससे इंफ्लेशन ([illegible]) भी नहीं बढ़ेगा। जिनको दिया जाना है उनके अंदर प्रेरणा होती है कि इतना रुपया हमारे पास है इसको किसी न किसी उद्योग धंधे में लगायें। इससे देश की चौतरफा तरक्की होती है। क्योंकि उद्योग-धंधों में रुपया लगाने से कल-कारखाने बढ़ते हैं। समाज के अंदर काश्तकार को अगर फायदा होता है, तो मजदूर को भी फायदा होगा। गाँव का मजदूर खेती करना चाहता है, लेकिन आज उसके पास जमीन नहीं है। विलेज पंचायत जमीन एक्वायर (प्राप्त) कर सकती है और उसमें [illegible] पैदा कर सकती है। गाँव के अंदर जो दिक्कतें हैं, उनको दूर कर सकती है [illegible] के रास्ते को तय कर सकती है। जमींदारों को भी एक मौका यह बिल देता है कि एक सोशल आर्डर जा रहा है चाहे उसे खुशी से जाने दीजिये या नाराजगी से, वह तो जायेगा ही। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि दुनिया हवा के बहाव को रोक नहीं सकती है। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि आप लैंड लार्डस को तो खत्म करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट (पूँजीपतियों) को खत्म क्यों नहीं करते।

ठीक है आजकल मूवमेंट बनाए जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यह लैंडलार्डिज्म (भूमि स्वामित्व) या कैपिटलिज्म (पूँजीवाद) ऐसी चीजें हैं कि जिन के खिलाफ दुश्मनी रखने से कुछ नहीं होता और इन दोनों को किसी ताक़त से भी खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन एक वक्त आता है कि जब यह एक आर्डर में ठीक नहीं बैठते और समाज का तकाजा होता है उसी वक्त खुदबखुद इनमें मिटने के कारण पैदा हो जाते हैं। आज जमींदारी सिस्टम की वही हालत है कि आज का आर्डर खुदबखुद उस को नहीं क़ायम रख सकता। लेकिन अभी कैपिटलिज्म उस हालत को नहीं पहुँचा है उस परिपक्व स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है और जब वह उस परिपक्व स्थिति को पहुँच जायगा तो विनाश के कारण स्वयं ही पैदा हो जायँगे। आज योरप में वह उस दशा को पहुँच गया है लेकिन अभी एशिया में वह अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुँचा है कि जिस मंज़िल पर उसको यहाँ का सोशल और एकानामिक आर्डर खुद ही मिटा दे। जिस तरह से जिस वक्त पेड़ में लगा हुआ आम पक जाता है, तो थोड़े से इशारे में ही गिर पड़ता है, लेकिन अगर आप कच्चे को ही गिराना चाहें तो वह मुश्किल से गिरता है और वह जायकेदार न होकर दाँतों को भी खट्टा कर देता है। कोई भी संस्था हो, संस्थाएँ उसी समय खत्म होती हैं कि जब उन में तरक्की करने के कारण लोप हो जाते हैं और गिरावट और विनाश के कारण बढ़ जाते हैं और उस का विनाश प्रारंभ हो जाता है। मुझे ताज्जुब होता है कि जब हमारे पढ़े-लिखे सोशलिस्ट भाई

[श्री गोविन्द सहाय]
ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने सोशलिज्म पढ़ा है, मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने पढ़ा है या नहीं। सोवियट रशिया में भी पूँजीवाद से सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने कोई तजुर्बा एकदम शुरू नहीं कर दिया, बल्कि उन्होंने जब नई जनरेशन को तैयार कर लिया उस वक्त यानी करीब २२ साल के बाद उन्होंने कहा कि अब हम सोशलिस्ट एकानामी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से स्लोगन्स से कैपिटलिज्म खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आप को एक आर्डर में तब्दीली पैदा करनी होगी। लोग यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे देश में कैपिटलिज्म का मसला कैसा है। कैपिटलिज्म एक एकानामिक आर्डर से ही नहीं आता है। उसका विकास बड़े पेचीदा तरीके से हुआ है—उसने लोगों के जीवन को बदला है और अपनी प्रणाली पर आश्रित बनाये रखने के लिये एक प्राचीन इनसीक्योरिटी का वातावरण पैदा कर दिया है—आदमी को बाजार में बिकने की सामग्री बना दिया है। आज महज जबान से कहने से या स्लोगन लगाने से कैपिटलिज्म दूर नहीं हो सकता। जब उस के खिलाफ समाजवादी सिद्धान्त और विचारधारा लोगों में आ जायगी तब वह एक दिन भी नहीं ठहर सकता। आज आप यह हालत देखते हैं कि कोई भी स्टेट की चीज हो तो उस को लोग मुफ्त का माल समझते हैं और हर एक की नीयत होती है कि सरकार का माल है, आप का क्या जाता है एक बोरी सीमेंट दे दीजिए, उसमें क्या बनता-बिगड़ता है। जब यह हालत है तो आप कैसे अभी स्टेट इन्डस्ट्री की बात कह सकते हैं। जब तक हर एक के दिल में यह भावना पैदा नहीं होती कि स्टेट अपनी है और हम जो कुछ भी ईमानदारी से करते हैं वह अपनी स्टेट के लिए करते हैं और अपने ही फायदे के लिये करते हैं तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि यहाँ पर स्टेट की इंडस्ट्री होनेसे कोई फायदा हो सकता है। सोवियट रूस ने इन्डस्ट्री पर कब्जा करने के बाद उस जनरेशन के लाखों आदमियों को ट्रेन किया और उस ने एक साथ कब्जा नहीं किया बल्कि आंशिक तरीके से और दूसरे तरीकों से किया। लेकिन यह सब इस तरीके से नहीं होता कि जिस तरह से यहाँ समझा जाता है कि गाली दो स्लोगन लगाओ और जिस तरह से भी हो, जो कुछ स्टेट करे उस की मुखालफत करो और वह समझते हैं कि यह तो क्या इस तरीके से ही अँग्रेज जैसे जबरदस्त लोग चले गए। यह स्लोगन मूवमेंट का जो प्रोसिज्योर है मैं समझता हूँ कि किसी के भी हित में नहीं हो सकता। ऐसी चीज को दिमाग से निकाल कर हम लोगों को चाहिए कि वास्तविकता को देखते हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना चाहिए, न कि यह कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाय।

मैं कबूल करता हूँ कि मैं कानून नहीं जानता यह भी श्री चरण सिंह जी की मेहरबानी है जिससे मैं कुछ जान सका और जो कुछ समझा इस कानून से, जो खूबी मालूम होती है वह यही मालूम देती है हर प्वाइंट ऑफ व्यू से इंसानी दिमाग

से जो कुछ सोचा जा सकता था और जिनको समाज की फिलासफी के साथ और अनुशासन के साथ मानते हुए एक आदर्श की रचना की जा सकती थी. एक किसी आदर्श की रचना की जा सकती थी. वह सब इसमें है. इन सब बातों का समन्वय इसमें है। एक ऐसा बिल पेश किया जा सकता जो नैतिक हो. जिनकी जमीन छिने वह भी महसूस करे कि सारी छिनने वाली थी. इतनी नेकी की कि कुछ बच गयी; इन सब बातों का ख्याल रख कर इस बिल को पेश किया गया है. दुनिया में एक फ्रस्टेशन पैदा करके, एक जलन पैदा करके कोई भी समाज को बचा नहीं सकता है. अपने पक्ष के समर्थन के लिए इस बात की जरूरत है कि आप एक नैतिक समर्थन प्राप्त कीजिए जिसके लिए किया जाए वह महसूस करे कि कुछ किया गया इससे अधिक हो नहीं सकता था और जिसके खिलाफ हो वह कहे. हालांकि खिलाफ है लेकिन इससे ज्यादा यह बेचारे कर नहीं सकते थे, यह भाव पैदा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जिस बुनियाद पर आप सोशल आर्डर रखना चाहते हैं. उसकी बुनियाद मजबूत होगी. वह ज्यादा दिन तक कायम रहेगी वह कम्यूनिज्म के तूफान को और फासिज्म का मजबूती से मुकाबला करेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और प्रधान सचिव को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिल के द्वारा वह सारी चीजें रक्खी हैं जिससे समाज में जो आर्थिक प्रश्न है, जो नफरत है, द्वेष-भावना है. इस किस्म की बातें जो लोगों में फैली हुई हैं, उनका खात्मा होकर लोगों में यूनिटी बढ़े। लोग मेल की बातें करें। इसी ख्याल से मैं कहता हूँ कि इस बिल में सब चीजें रक्खी गयी हैं, जो कमियाँ हैं वह तो क़ानून के पंडित बतलायेंगे, लेकिन जहाँ तक बिल की बुनियादी बातों का ताल्लुक है इससे ज्यादा गौरव की बात और नहीं हो सकती थी यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बिल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूँ इससे पहले मैं इस ऐवान से माफ़ी का तलबगार हूँ क्योंकि ७ तारीख को मैं उपस्थित नहीं हो सका और विशेष कारण उसका यह था कि मेरी लड़की की शादी थी और मैं अस्वस्थ भी था। मुझे आशा है कि आप सब साहेबान मुझे माफ करेंगे।

जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है करीब ६ रोज से इस पर बहस-मुबाहसा हो रहा है और हमारे बहुत से साथियों ने अपनी-अपनी रायजनी की है और हमारे माननीय प्रीमियर साहब ने जो मोशन सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने का इस हाउस के सामने पेश किया है, उसकी मुखालफत जमींदार पार्टी की तरफ से हुई है। एक तरमीम इस बात की लाई गयी है कि जन-मत जानने के लिये इस बिल को प्रकाशित कराया जाए। मैं इस सम्बन्ध में कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता। जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है मैं अपने राजा साहब से यह अर्ज करूँगा कि वह इस तरमीम को वापस ले लें, क्योंकि आम राय सूबे में यही है कि

[माननीय माल सचिव]

जितनी जल्दी यह मसला तय हो जाये, उतना ही ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह बात ग़लत नहीं है कि जमींदार तबके के कुछ लोग उसमें बहुत से मेरे दोस्त भी हैं इस जमींदारी के खात्मे के सवाल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अगर राजा साहब की तरमीम मंजूर होती है, तो उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी, जिनकी नुमाइंदगी राजा साहब करने का दावा करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं उस तरमीम की मुखालिफत भी करना अपना फर्ज समझता हूँ।

अब जहाँ तक बिल की उसूली बातों का ताल्लुक है, माननीय प्रीमियर साहब ने बिल को इण्ट्रोड्यूस करते वक्त बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मुख्तसरन चन्द बातें मैं कह देना जरूरी और अपना फर्ज भी समझता हूँ। यह सूबे की माँग थी, देश की माँग थी, किसानों की माँग थी कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाय और यह माँग बिला वजह नहीं थी। उसके वजूहात थे, सैकड़ों प्लेटफार्म से उन वजूहातों का इजहार भी किया गया। कांग्रेस ने भी इस बात का ऐलान किया था कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जायगा। उसने अपने एलेक्शन मैनीफैस्टो में इसे रक्खा था। उसी को पूरा करने के लिये यह बिल इस ऐवान के सामने लाया गया है। लोग भले ही कहें कि एलेक्शन मैनीफैस्टो में ऐसी बात नहीं थी, किसी की जबान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वह मैनीफैस्टो देखा जाय, तो उसमें इस बात का साफ ऐलान है कि एलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस की मजारिटी हुई, तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया जायगा। लिहाजा उसकी पूर्ति के लिये, जैसा मैंने कहा, यह बिल इस ऐवान के सामने है।

यहाँ बहुत सी बातें इस बिल के सम्बन्ध में कही गई। जमींदार पार्टी की तरफ से कहा गया, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया, जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी की तरफ से भी कहा गया, तमाम खामियाँ बयान की गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे इतने काबिल दोस्त साहबों ने तकरीरें कीं, खराबियाँ बताई, लेकिन किसी ने कोई कान्सट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं बताई जिस पर हम ग़ौर कर सकते और जो खराबियाँ हों उन्हें दूर करने की कोशिश करते। अगर मुझे कोई शिकायत अपने दोस्तों से है तो वह इस बात की है। यह शिकायत आपसे ही नहीं, सेलेक्ट कमेटी से भी है। हमने मुस्लिम लीग पार्टी के काफी तादाद में और बहुत काबिल आदमियों को उसमें मेम्बर रक्खा था और मेरा ख्याल था कि वे उस कमेटी में जा कर अपनी राय से हमें इस बात का मौक़ा देंगे कि इस सवाल की जो दूसरी साइड है वह भी हम जान सकें और उस पर विचार करें। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती थी कि उन्होंने पसन्द नहीं किया कि उस कमेटी में शिरकत की जाय। शिरकत की गई, लेकिन आखीर में, जब तमाम फंडामेंटल बातें तय हो चुकी थीं। उस वक्त वह

कोई हमें मुन्तख़ब नहीं दे सकते थे, जिससे कि हम पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकते। जैसा कि मैंने कहा हर क़दम पर दिक्कतें हमारे सामने पैदा की गईं। आज भले ही हमारे रोशन ज़मां साहब बहुत सी बातें कहें कि इसमें यह ख़ामी है। मुझे ख़ुशी है कि उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब की ताईद की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो तक़रीर की, वह गैलरी के लिये थी, इस ऐवान के लिये नहीं थी। महज़ प्रोपेगेन्डा के ख़्याल से, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिये और अवाम में अपना नाम पैदा करने के लिये ये बातें उन्होंने कहीं। जिस तारीख़ से उन्होंने कमेटी में शिरकत की, उस तारीख़ से इसी तरह की बातें करने आये हैं, और अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में भी इसी तरह की बातें कीं।

मैं तफ़सीलात में नहीं जाना चाहता। न मेरी तबियत मौज़ू है, न इतना वक़्त ही है, और दूसरे सदस्यों का वक़्त मैं लेना भी नहीं चाहता। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें काम की मदद नहीं दी, हमेशा वे इधर-उधर की बातें करते रहे और अपना प्रोपेगेन्डा करते रहे।

अब आते हैं सोशलिस्ट भाई। हमारे भाई श्री गोविन्द सहाय को श्री राजाराम से शिकायत होगी। मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं। उनकी ऐसी आदत ही है। वे ऐसा ही कहा करते हैं। वे स्लोगन लगाना जानते हैं। असलियत से उन्हें कोई ताल्लुक नहीं है। वे नहीं देखते कि उनके अल्फ़ाज़ मौज़ूँ कहाँ पर हैं और नामौज़ूँ कहाँ पर। उनको पूरा लाइसेन्स (स्वच्छंदता) है। उनकी ज़बान की कोई पाबन्दी नहीं। उनके लिये मौज़ूनियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उनसे कोई शिकायत ही नहीं है। वे हमेशा यही कहते हैं कि इससे लेबरर्स को ज़रा भी फ़ायदा नहीं है। वह ५ को ५ कभी कहेंगे ही नहीं; अगर कांग्रेस वाले ५ को ५ कहें तो वह कहेंगे नहीं यह तो १० हैं चाहे वाक़ई वह ५ ही हों। सोते हुये आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुये को कोई नहीं जगा सकता। इसलिये राजा रामसाहब की बातों को मैं ज़्यादा अहमियत देना नहीं चाहता हूँ और इस बात में ज़्यादा वक़्त भी सर्फ़ करना नहीं चाहता हूँ। रोशन ज़माँ ख़ाँ साहब ने भी कुछ कहा। बद-क़िस्मती से मैं उस समय गैर हाज़िर था और मुझे यहाँ की बहुत सी और तक़रीरों को सुनने का फ़ख़्र हासिल नहीं हुआ। अख़बारों में जो पढ़ा उसी की बिना पर कहता हूँ। रोशन ज़मा ख़ाँ साहब ने बड़ी लंबी तक़रीर की। ग़ालिबन वे गोंडा से सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और उस पार्टी की ओर से पटना कांग्रेस में नुमाइंदा होकर भी गये थे। अगर यह ठीक है तो कल तक तो वकीलों में भी उनका नाम रोशन नहीं था और वे मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से इस हाउस में आए और उस समय वह किस तरह की तक़रीर करते थे, वह भवन को रोशन ही है। उनकी हर स्पीच से साम्प्रदायिक भावना टपकती थी और हर स्पीच कम्युनल होती थी आज वे सोशलिस्ट होकर क्लासलेस सोसाइटी के हामी हो गये हैं। कितनी जल्दी कम्युनलिस्ट से सोशलिस्ट हुये। हमारे भाई अगर यहाँ होते तो मैं कहता।

[माननीय माल सचिव]

जो इतनी जल्दी कायापलट करता है, वह कैसा हो सकता है, मैं इतनी जल्दी कायापलट नहीं करता। आदमी को हमेशा कान्सटेन्ट (एकसाँ) होना चाहिये और जो वह आज है उसको वहीं रहना चाहिये। यह नहीं कि आज लीग के हैं तो कल को जनता पार्टी के बन गये। फ़खरुलइसलाम साहब अभी आपके बारे में तो कहा नहीं है आप क्यों परेशान होते हैं। जब लीग ख़त्म हुई तो जनता पार्टी बना ली अगर आज यह गड़बड़ हो जाती है तो कोई दूसरी पार्टी बना लेंगे। अभी कहीं सोशलिस्ट चुनाव में कामयाब हो जाते तो देखते कि कितने सोशलिस्ट होते। रोशन ज़माँ ख़ाँ साहब ने जो बातें कही हैं, बदकिस्मती से उनमें एक भी बात ऐसी नहीं कही जो कन्सट्रक्टिव हो। ज़रा साफ़-साफ़ कहिये। हमें सोचने और आगे काम करने का मौक़ा दीजिये। अगर आपकी बातें मुनासिब हों तो हम उन पर ग़ौर करेंगे। सेलेक्ट कमेटी में बिल जा रहा है, इसी वजह से कि गवर्नमेंन्ट इस बिल को ज़बरदस्ती नहीं ठूँसना चाहती है। वह जानती है कि यह करोड़ों आदमियों कि रफ़ा दफ़ा का सवाल है। एक दूसरा ही आर्डर चेन्ज करना है और उसकी जगह एक नया ऑर्डर लाना चाहते हैं। हम उसे इसी ऐवान में नहीं कर देना चाहते हैं, बल्कि सब को बहुत काफ़ी मौक़ा देना चाहते हैं, जिससे कोई गल्ती न हो। और जो बात हो, सही हो। यही मतलब हमारे इस बिल का यहाँ पेश करने का है और इसी वजह से गवर्नमेंन्ट की तरफ से इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव यहाँ रक्खा गया।

लिहाज़ा यह कोई नहीं कह सकता है कि गवर्नमेंट इस बिल को ज़बर्दस्ती पास करना चाहती है। इसलिये जब यह सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है, तो हमारे सामने कान्स्ट्रक्टिव सजेशन्स होने चाहिये। मैं अब भी दरख्वास्त करूँगा जो मेम्बरान सेलेक्ट कमेटी में होंगे उनको, वे तैयार होकर आवें और कान्स्ट्रक्टिव सजेशन्स हमको दें। हम उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने राजा साहब से और ज़मींदार पार्टी से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको अब कम से कम प्रिन्सेज से सबक़ ले करके इस ज़मींदारी अबालिशन के उसूल को मान लेना चाहिये और उसूल को मानने के लिये वे बाध्य भी हैं। इस ऐवान ने ८ अगस्त, सन् १९४६ को जिस वक़्त ज़मींदारी अबालिशन प्रस्ताव पास किया और उसके बाद जब कमेटी क़ायम हुई तो इस ऐवान में जितने भी मेम्बरान हैं, उस उसूल को मान चुके हैं और उसको मानने के लिये बाध्य भी हैं। लिहाज़ा मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि उस उसूल को मान करके आप सेलेक्ट कमेटी में आयें और जो कुछ भी आप कान्सट्रेक्टिव सजेशन्स कर सकते हैं करें। अगर आप आज इस यूनियन के प्लैटफार्म से, कल बारादरी से, परसों उन्नाव से और कहीं-कहीं से, जगमनपुर से, इस तरह से मीटिंग्स करके उस उसूल को भी नहीं मानते तो आप ज़मींदारी अबालिशन की ही मुख़ालिफ़त करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आप क्या कान्सट्रक्टिव सजेशन दे सकेंगे आपकी कार्रवाई एक तरफ़ा होगी। यह मैं आप को

यक़ीन दिलाना चाहता हूँ, यह बाज़दायर नहीं हो सकती। क्योंकि इस ऐवान के फ़ैसले में कोई बाज़दायर नहीं हो सकती। अदालतों के फ़ैसले में बाज़दायर हो सकती है। जब आप हाज़िर हैं और आप जवाबदेही नहीं करते हैं तो बाज़दायर नहीं हो सकते।

अब मैं दो-एक बातें और करके ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इस बिल में हम लोगों ने और इस ऐवान के सदस्यों ने सबने काफ़ी वक़्त सर्फ़ किया, अक़्ल भी ख़र्च की और काफ़ी इनर्जी ख़र्च की। सोच-साच करके हम लोगों ने इसको बनाया। किसी साहब ने कहा, नाम मुझे याद नहीं, कि यहां तो सूबों में कम्पटीशन (होड़) है कि कौन सूबा पहले अबालिशन करता है। यह इल्ज़ाम यू० पी० के सूबे पर नहीं हो सकता और सूबों ने चाहे जल्दी की हो, लेकिन हमने नहीं की। हमारे ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात भी लगाये गये। डाक्टर लोहिया साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम इलेक्शन के ज़माने में लगाया था कि वह होते तो २४ घंटे में ज़मींदारी को ख़त्म कर देते और यह यू० पी० की गवर्नमेंट इसको ख़त्म करना नहीं चाहती। हमने काफ़ी वक़्त ज़मींदारी अबालिशन कमेटी में भी सर्फ़ किया। हर सवाल पर हर पहलू से देख करके रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी वक़्त उसमें लिया और बिल तैयार हुआ। बिल में हमने इण्टरमिडियरीज़ (मध्यवर्ती वर्ग) का ख़ात्मा किया जैसा कि हमारे उस रेज़ोल्यूशन में था जो इस ऐवान ने पास किया था। और जो मौजूदा ज़मींदारी का टेन्योर है उसको ख़त्म किया। हमने वहीं क़नाअत नहीं की उसकी जगह हमने नया लैंड टेन्योर सिस्टम भी रक्खा, अनइकॉनामिक होल्डिंग्सके इकॉनामिक होने की गुञ्जाइश रक्खी और यह भी ख़्याल रक्खा कि एक आदमी के पास बहुत सी ज़मीन अक्यूमुलेट न हो जाय जिससे फिर वही लैंडलार्ड और टेनेंसी सिस्टम कायम न हो जाय। ट्रान्सफ़र पर भी हमने पाबन्दी लगाई। कोआपरेटिव और करेक्टिव फ़ार्मिंग की भी हमने गुञ्जाइश रक्खी है। हमने ज़मीदारों की बड़ी-बड़ी फ़ार्मिंग और मैकेनिकल कल्टीवेशन को भी टच नहीं किया और इसको भी हमने गुञ्जाइश रक्खी है कि कम्पेन्शेसन के सवाल के बारे में जहाँ तक स्टेट की केपैसिटी है, वी हैव गान टु दि अटमोस्ट। हमने बड़े ज़मीदारों को आठ गुना कम्पेन्सेशन देने की कोशिश की है। हमने छोटे ज़मीदारों को भी आठ गुना दिया है। लेकिन उनके साथ एक रियायत उनको रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट देने की रक्खी है। एक साहब ने अभी कहा है कि दोनों में डिफ़रेन्स न होना चाहिये। ज़रा रहम कीजिये उन छोटे ज़मीदारों पर। आप बड़े हैं। आपको आठ गुने में काफ़ी मिल जायगा और आप अपनी जीविका का इन्तज़ाम कर सकेंगे। लेकिन उन छोटे ज़मीदारों का क्या होगा, जिनकी आज हमारे ज़मीदार पार्टी के कुछ लोग नुमाइन्दगी करने को कहते हैं। ज़मीदार साहबान साफ़ तो नहीं कहते, लेकिन भावना इस बात की है कि छोटे ज़मीदारों को अगर रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिले तो हमको क्यों न मिले। वे छोटे हैं, ग़रीब

[माननीय माल सचिव]

हैं। उनको अगर हम रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट नहीं देते तो वे अपनी जीविका निर्वाह नहीं कर सकते। लिहाज़ा अगर उनको इतना मिलता है तो इससे आपको ग्रज नहीं करना चाहिये बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिये और शाबाशी देना चाहिये कि छोटे गरीब तबक़े के ज़मींदारों का इस तरह से खयाल किया गया। ऐसी सूरत में इन सब बातों को देखते हुये आप जानते हैं कि १४० करोड़ रुपया का ख़र्च हो रहा है। ज़मींदार भाई यह भी कहते हैं कि हमको नक़द दिया जाय और यह भी कहते हैं कि आप तो ज़मीन किसानों के हाथ बेच रहे हैं। आप परेशान क्यों हैं। आप रुपया लीजिये और अपने घर जाइये। आज किसान रुपया देने के लिये तैय्यार हैं। किसानों की नब्ज़ को हमने टटोला है। हम जानते हैं कि वह रुपया देकर के ज़मीन लेना चाहता है। १० गुना रुपया देना उसके लिये बिल्कुल एक खेल है। लिहाज़ा आप ऐसा प्रोपेगेंडा और स्लोगन न उठायें कि आप उनके साथ रियायत क्या करते हैं, आप तो उनके हाथ ज़मींन बेचना चाहते हैं। आप यह भले ही कहते रहिये कि किसानों का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन यह सब बातें किसान खूब समझता है। किसानों को मुझसे भी बात करने का मौक़ा मिलता है। वह समझता है कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। आजकल यह बार बार कहा जा रहा है कि प्रोडकशन (पैदावार) की बड़ी कमी है, इस लिये प्रोडकशन बढ़ाया जाय, लेकिन सवाल यह है कि प्रोडकशन बढ़ाया कैसे जाय ? आज हमारे सामने प्राइवेट प्रापर्टी (निजी सम्पत्ति) का सवाल है। जैसा गोविंद सहाय जी ने कहा। यह इन्सानी फितरत है कि जब तक आदमी अपने को किसी चीज़ का मालिक नहीं समझता है तब तक उसका जी नहीं लगता है। जब हम यह समझते हैं कि जो खेत आज हमारे पास है, उससे कल सुल्तान आलम खाँ साहब बेदखल कर देंगे तो हम उस खेत में काफी दिल नहीं लगा सकते हैं। अब अबालिशन (उन्मूलन) के बाद कोई काश्तकार बेदखल नहीं होगा। लिहाज़ा अब जब खेत उसकी प्रापर्टी (जायदाद) होगी तो वह हर तरह की कोशिश कर के प्रोडकशन बढायेगा। इससे जो हमारा आपका मतलब है, वह भी पूरा हो सकता है।

कुँवर गुरुनारायण साहब ने दो सफ़ा पायनियर में निकाल दिये कि कम्युनिस्टों का जोर ज़मींदारियाँ खत्म होने के बाद और बढ़ जायेगा। मैं यह कहता हूँ कि जिन किसानों को वह बहकाकर फायदा उठाते हैं, अगर हम उनको मुतमइन कर देते हैं और वह अपनी-अपनी ज़मीन के मालिक हो जाते हैं जैसाकि उनको होना चाहिये तो वह भले ही प्रोपेगेंडा करते रहें, लेकिन वह नाकामियाब होंगे, नाकामियाब होंगे, इस तरह की बातें करना मुझे ग़लत सा मालूम होता है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। ज़मींदारी खत्म करने के कई वजूहात हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ वह भी एक वजह है, लेकिन वह कोई

नई बात नहीं है। यह बात इस फ्लोर पर कई मर्तबा रिपोर्ट की गई है। हमारे चरन सिंह साहब ने तकरीरें पढ़ीं। जिनका इससे ताल्लुक रहा होगा वह उनको ज्यादा समझे होंगे मैं तो ज्यादा समझ नहीं सका लेकिन उससे यह जरूर मालूम हुआ कि बहुत सी जमींदारियें अंग्रेज़ों ने क्रियेट (निर्माण) की थीं उन्हों ने ऐसा जरूरतन किया था। जब उनकी सल्तनत कायम हुई तो इतने करोड़ आदमियों से लगान वसूल करना उनके लिये नामुमकिन सी बात थी इसके अलावा जब तक घर का कोई भेदी नहीं होता है तब तक लंका भी फतेह नहीं हो सकती है। तो अंग्रेज़ों ने एक जमींदार क्लास क्रियेट करके उनके सुपुर्द एक काम किया कि आप हमारा इतने करोड़ आदमियों से लगान वसूल करते रहिये अगर मेरी याददाश्त ठीक काम करती है तो मैं यह बतलाऊँगा कि शुरू शुरू में गालिबन १० फीसदी लगान वसूल करने के लिए जमींदारों को मिलता था लेकिन जैसे जैसे जमींदार जोर पकड़ते गये और उनका सिक्का गवर्नर, बड़े बड़े आफिसर और वाइसराय पर जमता गया वैसे वैसे परसेंटेज (प्रतिशत) बढ़ता गया इस वक्त परसेंटेज ५० से ६५ तक है।

इस ६५ फ़ीसदी से ३५ फ़ीसदी गवर्नमेंट रेविन्यू आता है। अब समझ लीजिये कि यह जिलेदारी कितनी मँहगी है। १९ करोड़ के क़रीब या १८ करोड़ कुछ लाख रेन्टल सूबे में वसूल होता है। मालगुजारी वसूल होती है ७ करोड़ ८० लाख के करीब और १२ करोड़ के यह जमींदार फायदा उठाते हैं जिन के सुपुर्द कलेक्शन का काम किया गया है। कोर्ट आफ़ वार्ड्स को कलेक्शन के लिये १० फीसदी मिलता है। ६६ फीसदी वसूली चार्ज कहाँ तक वाजिब है, मुनासिब है। अँग्रेज़ी हुकूमत इसे कर सकती थी। इस क़ीमती एजेंसी को जनता की हुकूमत कायम नहीं रख सकती। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना रुपया नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सर्फ हो सकता है। और इस से अवाम का फ़ायदा हो सकता है इससे न देश का हित है न जनता का हित है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अँग्रेज़ी हुकूमत आई तो देश गुलाम हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने जमींदार तबका पैदा करके ऐक्चुअल टिलर आफ़ दी स्वायल यानी काश्तकार थे उनको गुलाम बनवाया है। उनकी गुलामी की कोई हद नहीं। मैं बयान नहीं कर सकता। जब कांग्रेस के आन्दोलन हुए तो किसान कांग्रेस के कहने के मुताबिक और पूज्य महात्मा गांधी के अहकाम के मुताबिक अमल किया और अँग्रेजी सरकार के खिलाफ़ जेलों को भर दिया। यह उन्हीं किसानों की सहायता की वजह से हम लोग आसानी से अँग्रेजों को यहाँ से १२ बजे रात को रवाना कर सके। देश को आजाद कर सके। उनको आजाद होना चाहिये। इस जमींदारी का खात्मा करके हम किसानों की गुलामी को दूर करना चाहते हैं ताकि वह आजादी का पूरा पूरा फायदा उठा सके लिहाज़ा इस वजह से भी यह बहुत जरूरी अम्र है कि जमींदारी जल्द से जल्द खत्म की जाय। मैं

[माननीय माल सचिव]

अपने दोस्त राजा साहब जगमनपुर से फिर इल्तदुआ करूँगा कि जो मैंने छोटी मोटी टूटी फूटी सलाह दी है, उसपर अमल करेंगे। वह कोशिश करें और यह देखें कि प्रिन्सेज़ ने कितनी बड़ी सैक्रीफाइसेज़ (कुर्बानी) की हैं, उन्होंने उफ़ नहीं की। देश के हित और कल्याण के लिए बड़ी बड़ी रियासतें आनन फानन में देश के सामने पेश कर दीं सारी जिम्मेदारी सरकार के सिपुर्द करदी। वह नादान नहीं थे। वह बड़े समझदार हैं। उन्होंने यह समझा कि जाती फायदे के मुकाबले में देश का फायदा होना बहुत जरूरी है तो उन्होंने ऐसा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे सूबे के जमींदार और अवध के ताल्लुकेदार उन से पीछे नहीं रहेंगे। वह अपनी उदारता का परिचय जरूर देंगे। जरूर उनसे किसी तरह कम न रहेंगे न पीछे रहेंगे। जो सैक्रीफाइसेज उन्होंने की हैं वह भी आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाएँगे। हमारे नवाब साहब जमशेद अली खाँ ने अपनी तकरीर में कहा कि किसान वोटर न होते तो कौन उन को पूछता ? जमींदारी कौन मिटाता ? जिन लोगो ने कांग्रेस का इतिहास देखा है, वह जानते हैं कि किसान जब वोटर नहीं था तब कांग्रेस उसकी हामी थी। जब हमा शुमा को वोट देने का अख्त्यार नहीं था। राजों महाराजों के दस पाँच वोट हुआ करते थे उस वक्त भी कांग्रेस ने किसानों की मदद को तैयार रही। उनके तहफ्फुज के लिए लड़ी। उसी की कोशिश का यह नतीजा हुआ कि वक्तनफवक्तन किसानों को भी वोट देने का हक़ मिला। यहाँ तक कि अब हर बालिग को वोट देने का हक मिला। लिहाजा उनका वोट नहीं था जब भी उनके पैरोकार थे। उन्हें वोटर बनवाया। अब भी उनके पैरोकार हैं। किसान हमारे सूबे की बैकबोन हैं। किसान की हालत अच्छी न हुई तो हमारे सूबे की हालत कभी अच्छी नहीं हो सकती। लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि वह समझेंगे। पुराने तरीके जो भी रहे हों नए ढंग से सब को चलना है। उन की खिदमत करने के शौक में लग जायेंगे।

हमको भी उनकी खिदमत करनी चाहिये। लिहाजा इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि कांग्रेस किसानों की मदद के लिये चूँकि वे वोटर्स हैं इसलिये ऐसा करना चाहती है। मैंने आप साहबान का ज्यादा वक्त ले लिया इसलिये मैं अब ज्यादा कुछ न कह कर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

डिप्टी स्पीकर—कल भवन ने तय किया था कि ४ बजे तक और तकरीरें हों और ४ बजे माननीय प्रधान सचिव जवाब देने के लिये खड़े हो जायगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसके लिये प्रस्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है।

(इस अवसर पर श्री ऐजाज रसूल बोलने के लिये खड़े हुये।)

डिप्टी स्पीकर—आप यह समझ लें कि ४ बजे आपको अपनी तकरीर खत्म कर देनी होगी।

श्री एजाज़ रसूल—इसमें कोई रूल तो नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—कल भवन ने तय कर दिया था और मैं समझता हूँ कि भवन के फैसले के बाद अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री एजाज़ रसूल—जनाबवाला, कोई रिज़ोल्यूशन पास हुआ था।

डिप्टी स्पीकर—मैंने कहा कि यह भवन का फैसला है। अगर आप मौजूद होते तो आपको भी इसका इल्म होता।

*श्री एजाज़ रसूल—जनाबवाला, मुख्तलिफ मुअज्जिज मेम्बरान ने अपने मुख्तलिफ ख्यालात को इस ऐवान के सामने पेश किया और अपने नुक्तेनजर को रक्खा। कांग्रेस गवर्नमेंट इस वहज से कि जरायती और इक्तसादी हालत अच्छी करे और काश्तकारों की हालत अच्छी हो, जमींदारी को खत्म करना चाहती है। जमींदारी एबालिशन रिपोर्ट में भी इस मसले पर काफी कोशिश की गयी, लेकिन मैं चन्द बातें इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ कि आया इसके करने से फायदा होगा या नुकसान।

अगर आप देखें तो मालूम होगा कि स्कैटर्ड होल्डिंग (नितरे बितरे खेत) हमेशा के लिये कायम रही। कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग (खेतों की चकबंदी) के नाम पर एक काश्तकार की एक बीघा जमीन ले ली जाय और उसकी बिना पर वह काश्तकारी में तरक्की कर सके तो यह इस बिल में बिलकुल नामुमकिन हो गया है। फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग (खेतों के टुकड़े) भी कायम रहे और अनइकनामिक होल्डिंग भी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो जायगी लिहाजा उसका नतीजा यह होगा कि काश्तकारों में पार्टीशन (बटवारा) बराबर होता रहेगा और भूमिदार और सीरदार मिल जुल कर काम करेंगे। यही जो दो बातें मैंने आप को बतलायीं उस से आप को साफ जाहिर होगा कि जिस जगह काश्तकारी कायम थी वही रहेगी। फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग और स्कैटर्ड होल्डिंग भी कायम रही। नतीजा यह हुआ कि कोई भी इम्प्रूवमेंट (सुधार) सूबे के किसानों की हालत में जाहिर नहीं हुआ। अब रहा यह कि बिल मेरे ख्याल में काश्तकारों और सूबे के फायदे के लिये नहीं बनाया गया है, बल्कि एक खास मकसद के लिये इसलिये बनाया गया है कि आइन्दा के लिये भूमिधरों और सीरदारों की एक आर्मी (फौज) पैदा की जाय ताकि इससे पोलिटिकल राजिनीतिक फायदा उठाया जा सके।

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री ऐजाज़ रसूल]

मेरे ख्याल में जब जमींदारी खत्म हो जायेगी तो कम्पेन्सेशन उसे बहुत दिनों में मिलेगा। नतीजा यह होगा कि जमींदारों को उनकी औलाद को उनके रिश्तेदारों को और उनके मुलाजिमीन को बहुत परेशानी होगी और उसका नतीजा यह होगा कि कम्यूनिज्म बढ़ेगा और इस सूबे में लोग बजाय इत्मीनान के जिन्दगी बसर करने के जिन्दगी एक नर्क और परेशानकुन हो जायेगी। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि कम्पेन्सेशन को एक साथ फौरन अदा कर दे, बजाय इसके कि बाद को यह रक्खा जाय कि वह लिटीगेशन (मुकदमें बाजी करे) और तमाम और कार्यवाहियाँ करें और उसकी वजह से तमाम और बहुत सी मुसीबतें उठावे। दूसरी बात यह है कि इससे खुशहाल काश्तकारों को बढ़ाया गया है यानी वह काश्तकार जो भूमिधर होने के लिये १० गुना दे सकता है उनको राइट्स हकूक मिल जायेंगे वरना और जो और काश्तकार हैं उनकी हालत वही रहेगी। जो गरीब काश्तकार हैं, जो अधिवासी हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स भूमिहीन मजदूर हैं उनके पास रुपया है नहीं इसलिये उनकी हालत अभी खराब ही रहेगी क्योंकि जमीन किसी तरह निकाली नहीं जा सकती।लिहाजा ज्वाइंटली (सम्मिलित रूप से) और सेपरेटली (व्यक्तिगत रूप से) उनका उसमें खर्चा होगा। अगर वह लगान नहीं अदा कर सकेगा तो गवर्नमेंट तो अपना लगान वसूल कर ही लेगी। जो जमीन जिसके पास है वह करीब करीब कायम रहेगी और अनएकनामिक होल्डिंग्ज का मसला बिलकुल हल न हो पायेगा। जो मौजूदा काश्तकार है अगर वह अपने लगान का १० गुना अदा करता है तो भूमिधर हो जाता है और नहीं करता है तो काश्तकार की सूरत में कायम रहेगा। हाँ, भूमिधरों को इस बिल में बढ़ाया गया है। उनको राइट्स आफ ट्रांसफर (हस्तांतरण का अधिकार) मिल गये। ट्रांसफर के राइट्स पंजाब और एन० डब्लू० एफ० पी० में भी दिये गये थे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों आदमियों की जमीनें खत्म हो रही हैं तो उनको मजबूरन लैंड एलियनेशन ऐक्ट जारी करना पड़ा। वही आपको भी करना पड़ेगा वरना कुछ दिनों के बाद इस तरह से एक के बाद दूसरे के पास जमीन चली जायगी और आपको कोई फायदा नजर न आवेगा।

अब इसके साथ यह भी देखना है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोपोजल (प्रस्ताव) कर्जे के बाबत नहीं किया है अगरचे इस सूबे में रिजोल्यूशन भी पास हो चुका था। अगर आप कोई उस पर कार्यवाही नहीं करते और कोई बिल ऐसा नहीं लाते तो जो जमींदार मकरूज हैं और जिन्हें न कम्पेंसेशन मिलेगा उसकी हालत वैसी ही उसी सूरत में चली जायगी। हमारे आनरेबिल प्रीमियर साहब ने बहुत मेहरबानी से यह कहा था कि ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। मुझे डर है कि कहीं वह कम्पेन सेशन उसी के अन्दर न मान लिया जाय। इस सूरत में कहीं यह न हो कि परेशानी बढ़े और हमें आप को इसका नतीजा बुरा भोगना पड़े। और इधर यह है कि कर्जे की डिगरी हो जायगी। उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वह

फाके मस्त हो जायँगे। लिहाजा इसकी तरफ भी आनरेबिल प्रीमियर साहब को तवज्जह करनी चाहिये और भी बहुत सी चीजों के बारे में काफी कहा जा चुका है। लिहाजा वक्त कम होने की वजह से मैं कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब की यह इजाजत है कि १५ मिनट से ज्यादा कोई साहब न लें। मैं बहुत सी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और वह है फाइनेन्स (अर्थ) के बारे में। गवर्नमेंट को फाइनेन्स में किस तरह से फायदा होगा। सरकार पहले १० गुना काश्तकार से लेगी। आनरेबिल प्रीमियर ने अपनी तकरीर में खुद फरमाया था कि चार करोड़ रुपया हमें अपने फंड से खर्च करना पड़ेगा और इसमें दो करोड़ रुपया और अपनी तमाम मशीनरी के तैयार करने में खर्च करना होगा। नतीजा इसका यह होगा मेरे ख्याल में कि बजाय फायदे होने के गवर्नमेंट को नुकसान होगा क्योंकि यह बिल जो बनाया गया है इसमें देखा जाय तो इसमें एक मशीन लिटिगेशन (मुकदमे बाजी) की कायम कर दी गई है। उसका नतीजा यह होगा कि उससे वकला को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि लैंड रिकार्ड तैयार किये जायँगे छोटे रेविन्यू मुलाजमीन जो हैं उनको ठीक करने के लिये रखने पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि फायदा हो और नुकसान होगा और खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट सिम्पुल सीधा तरीका अख्त्यार करे तो अच्छा है। उसके लिये एक सिम्पुल कानून बना दे और कम्पन्सेशन के लिये वक्त मुकर्रर कर दे, जमींदार खुद अपनी तरफ से अपने काश्तकार के हाथ अपनी जमीन बेच दे। सेलिंग प्राइस (क्रय मूल्य) गवर्नमेंट मुकर्रर कर दे कि उससे ज्यादा कोई न ले तो इससे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा होगा। रजिस्ट्री की इन्कम आमदनी हो जायगी और उससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फायदा उठायेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में बजाय इसके कि कोई काम्प्लीकेटेड उलझा हुआ, कानून बनाये उसके लिये एक सिम्पुल तरीका अख्तयार करे तो बहुत फायदा हो सकता है। हुकुमसिंह साहब ने कहा था कि कोई कन्स्ट्रक्टिव सजेशन (सक्रिय सुधार) नहीं पेश किया गया। लिहाजा मैं यह अपना सजेशन पेश करता हूँ कि इस पर गौर किया जाय। मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट कमेटी में इस मामले पर गौर किया जायगा। बजाय इसके कि गवर्नमेंट १० गुना वसूल करे और एक लम्बी मशीनरी बनाये और एक बिल पेश करे और दूसरी तरह की दिक्कत आवें और दूसरे किस्से पैदा हों गवर्नमेंट को चाहिये कि एक सिम्पुल बिल पेश कर दे कि जमींदार अपनी जमीन को अपने काश्तकार के हाथ बेच दे और जमीन की प्राइस सरकार मुकर्रर करदे तो इससे बहुत रुपया सरकार का बच जायगा और आसानी से यह काम हो जायगा और यह तमाम झगड़े जो कम्पन्सेशन के होंगे वह भी नहीं होंगे कि साहब ६ महीने तक अगर कम्पन्सेशन नहीं मिला तो फिर वह दरख्वास्त दे और कुछ उसको ढाई परसेण्ट का इण्टरेस्ट मिलेगा। और अगर

गुजारेदार अब दावा कर दे कि साहब हमारा हिस्सा है हमको भी कुछ

मिलना चाहिये, इनको पूरा कम्पेनसेशन न दिया जाय तो और भी लम्बे झगड़े पैदा हो जायँगे जिनमें बहुत देर हो जायगी और रुपया भी ज्यादा खर्च होगा। इसी तरीके से और भी किस्से बढ़ते जाँयगे और परेशान हाल हो जायँगे। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि डिप्टी साहब की नजर मेरी तरफ है और मेरी नजर घड़ी पर लगी हुई है। इसलिये मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ।

* **माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)**—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर छः दिन से बहस मुबाहिसा इस ऐवान में हो रहा है। मैंने इस बात की कोशिश की कि जो कुछ भी बातें इस बिल के बारे में कही गयीं उनको गौर से सुनूँ। मैं इस बिल को इस नजरिये से नहीं देखता जो कि आम तौर पर अपोजीशन के मेम्बरों की तकरीरों में झलकता था। मैं इसको एक बहुत गम्भीर और अहम मामला समझता हूँ और इस बारे में कोई सियासी, राजनीतिक या और तरह के किसी जज्बात को लाकर अपने दिमाग को सही नतीजे पर पहुँचाने में कोई रुकावट डालना, इस मामले में किसी तरह से मुनासिब नहीं समझता और मैं उम्मीद करता था कि कम से कम जमींदार साहबान और और लोग जिनके ऊपर कि इस बिल का असर पड़ता है वह काफी एक जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर अपने ख्यालात जाहिर करेंगे और अपनी तबियत को उसी तरीके पर रक्खेंगे। मगर जब गैर मुताल्लिक बातें कही जाती थीं, उनके ऊपर उनके क़हक़हों को सुनता था तो मालूम होता था कि वह इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि कितनी बड़ी अहम बातों का फैसला इस वक्त हाउस कर रहा है और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि हर बात पर जो कि यहाँ कही गयी उस पर गौर करें और सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को सुधारने की कोशिश करें। हमारी ख्वाहिश यह है कि इस बिल के जरिये इस सूबे की बहबूदी और बेहतरी हो। इस बिल के जरिये, आज चाहे न दीखे, आखिर में जमींदारों की भी तरक्की और बहबूदी होगी और आमतौर पर जो कि इस सूबे में करोड़ों की तादाद में किसान और काश्तकार रहते हैं जिनकी मेहनत से हम सब लोग पलते हैं और जिनके दिये हुए नाज से हम जिन्दा रहते हैं और जिनके दिये हुए पैसे से हमारी गवर्नमेंट चलती है, उनकी भी इससे भलाई है और वह बराबर आगे बढ़ते रहें इन ख्वाहिशात से, इन जज्बात से और इन मकसदों को सामने रख कर हमने इस बिल को पेश किया और जो भी बातें कही गयीं उनको इन्हीं कसौटियों में कस कर हम देखेंगे। अगर वह हमारे इन उद्देश्यों के पूरा करने में किसी तरह से मदद दे सकेंगे तो उनके ऊपर हमें हमदर्दी से गौर करना होगा और अगर उनका असर उनके खिलाफ हो तो इन्हें छोड़ना होगा। आज कोई कतई फैसला इस मसले पर हमें करना नहीं है, मगर तब भी जो कुछ बातें कही गयीं उनके सिलसिले में जो ज्यादा बुनियादी और ज्यादा अहमियत की बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वाक़यात

---

* माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आपके सामने पेश करूँ जिससे कि अगर कोई ग़लतफ़हमी बाकी हो तो वह दूर हो जाय। जहाँ ग़लतफ़हमी नहीं हो और जागता हुआ सोने का बहाना करे, वहाँ तो कितना ही उनको हिलाओ वह जागता नहीं। मगर दर असल कोई सोया हुआ हो तो उसको जगा कर, असलियत को उसे समझाना हर एक के लिये मुनासिब होता है।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने एक तजवीज यहाँ यह की कि इस बिल को दिसम्बर तक सर्कुलेशन (प्रचारण) में डाल दिया जाय ताकि उस पर गौर हो सके और उन्होंने कहा कि उन को वक्त नहीं मिला कि इस के ऊपर वह और दूसरे जमींदार गौर कर सकें। मुझे उन की तजवीज सुन कर ऐसा लगा कि अब भी जब कि जमींदारी के विनाश का वक्त आ गया है जमींदार चेते नहीं हैं। एक महीने के करीब वक्त मिल चुका ऐसे जरूरी बिल पर जिस का नतीजा उन के लिए आइन्दा जबर्दस्त हो सकता है...

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं अपनी सफाई में दो अल्फ़ाज कहना चाहता हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैंने बिल को देखा या समझा नहीं है। मैंने जो मोशन किया है, उन के सपोर्ट (अनुमोदन) में मैंने जो दलीलें प्रीमियर के सामने पेश कीं उन को मद्दे नजर रख कर मैं जवाब सुनने का मुस्तहक हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—राजा साहब ने जो बात कही है वह नयी नहीं है और न वह ऐसी है जिस की मुझे जानकारी न थी। अगर उन को इस बिल की अहमियत मालूम थी और उन्होंने इस की काफी जानकारी हासिल कर ली थी और जहाँ तक उनका ताल्लुक है उन को देरी से फायदा नहीं है तो जमींदार लोग तो हमेशा औरों की ही भलाई हर तरह से करते रहे हैं। तो अब मालूम हुआ कि यह भी जो तजवीज राजा साहब ने की वह जमींदारों की भलाई की नीयत से नहीं की, या उनको और वक्त देने की नीयत से नहीं की बल्कि इस लिए की कि जिस से गैर जमींदारों को मौका मिल सके कि वह जमींदारों के मसले को ज्यादा समझ सकें। अगर यह सही होता तो गैर जमींदारों की तरफ से यह उज्र आ सकता था और वह कह सकते थे कि हम को वक्त नहीं मिला, हम समझ नहीं पाए, हमारी ज्यादा हमदर्दी जमींदारों के साथ है और वह खुद इतनी अक्ल और समझ नहीं रखते कि किसी नतीजे पर पहुँच सकें, लिहाजा हम को वक्त दिया जाय ताकि उनकी मदद कर सकें। मगर किसी की तरफ से ऐसी आवाज आई नहीं। और जहाँ तक और तबकों का ताल्लुक है, चाहे वह जनता के नाम से कहा जाय, चाहे मुस्लिम लीग की पार्टी के नाम से कहा जाय, चाहे लारी साहब की पार्टी के नाम से कहा जाय या फ़ज़लुल इस्लाम साहब के नाम से कहा जाय लेकिन जहाँ तक राजा साहब के अमेंडमेंट का ताल्लुक है सब ने उस का विरोध किया है और कोई उस की ताईद करने वाला जमींदारों के बाहर मिला नहीं। तो औरों की फ़िक्र अगर राजा साहब

[माननीय प्रधान सचिव]
को थी तो अब उन को मालूम हो गया कि उन लोगों की ख्वाहिश नहीं है कि इस पर ज्यादा गौर करने के लिए इस को और ज्यादा मुल्तवी किया जाय। लिहाजा बेहतर यह है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

राजा साहब ने अपने संशोधन के सिलसिले में कहा कि मैंने इस को इस लिये पेश किया है कि जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट और इस बिल में फर्क है। मैं जानना चाहता हूँ कि राजा साहब को जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट ज्यादा पसन्द है या बिल ज्यादा पसन्द है। वह अब भी कह सकते हैं। अगर वह जमींदरी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को ज्यादा पसंद करें तो फिर हम बजाय इस बिल के जो जमींदारी अबालिशन कमेटी की सिफारिशात थीं उन्हीं के मुताबिक सेलेक्ट कमेटी में कार्यवाही करें।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं तो यह अर्ज करता हूँ कि मैंने जो फर्क बतलाया है रिपोर्ट और इस बिल में, उस के बारे में काश्तकारों की राय मालूम की जाय। इस की राय काश्तकारों से मिली है या किसी दूसरे से मिली है ?

माननीय प्रधान सचिव—तो सवाल है कि जहाँ तक जमींदारों का ताल्लुक है राजा साहब को कोई शिकायत नहीं है। इसके बारे में जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में जो तरमीमात इस बिल में की गई है उसके लिए राजा साहब कोई वक्त नहीं चाहते हैं। उन तरमीमों के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं है। मगर भेड़िये को हमेशा भेड़ ही की फिक्र रहती है। इसलिये राजा साहब को फिक्र है काश्तकारों की कि उन्होंने अभी इसको नहीं देखा लिहाजा उनको वक्त मिलना चाहिये ताकि वे इसपर राय दें। क्या मैं राजा साहब को बतला सकता हूँ कि काश्तकारों की राय बगैर इसको देखे हुये यह है कि मुआविजा कुछ न दिया जाये और उनको जमीन का मालिक बना दिया जाय ? अगर राजा साहब इसके लिये कोई प्लैबीसाइट (जनमत संग्रह) कराना चाहते हों तो मैं तैयार हूँ। जमींदार इस बात पर तैयार हो जायँ कि काश्तकारों से पूछा जाय कि जमींदारों से जमीन मुआविजा देकर ली जाय या बगैर मुआविजे के ली जाय और जो उनकी राय हो उस पर अमल किया जाये तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। अगर यह बात मान ली जाये तो मैं इस बिल को ही मुल्तवी करने के लिये तैयार हूँ।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं यह रिक्वेस्ट (प्रार्थना) करता हूँ कि जमींदारों को मुआविजा काश्तकारों से नहीं मिलेगा बल्कि सरकार से मिलेगा। इसलिये काश्तकारों की राय की जरूरत नहीं है।

माननीय प्रधान सचिव—तो जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है उनका ताल्लुक सिर्फ सरकार से है। कोई मतलब उनका काश्तकारों से नहीं है। लिहाजा जब काश्तकारों से उनका कोई मतलब नहीं है तो फिर सरकार के बारे में उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है और जो हम काश्तकारों

से रिश्ता या नाता रखते हैं वह इतना करीबी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह हमारा फर्ज है कि उसको वह जानता है और हम भी जानते हैं कि जो कुछ हम उसके लिये कर रहे हैं वह उनको पसन्द है। लिहाजा इसके बारे में उनको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब और किसी तबके की कोई बात रह नहीं जाती है।

दूसरी जो बातें इस बारे में कही गई उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बिल में जहाँ तक हो सका है इस बात की कोशिश की गई है कि मुआविजा बड़े और छोटे जमींदारों को एक शरह से दिया जाये यानी अठगुने के हिसाब से दिया जायेगा। राजा साहब राजा हैं, वह बहुत बड़े जमींदार हैं। अगर वह यह चाहते हों कि मुआविजा एक शरह से दिया जाना ठीक नहीं है और यह चीज उनकी शान के खिलाफ है तो जैसा कि बिल में पहले था यानी जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में था, वही उनकी शान को कायम रखने के लिये दुगुना ही कायम रक्खा जाये तो इसके ऊपर भी हम लोग गौर करने के लिये तैयार हैं। इसके अलावा इस बिल में यह तजवीज की गई है कि यह जो मुआविजा दिया जाये वह नकद देने की कोशिश की जाय और जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में था कि मुआविजा बौण्ड्स के रूप में दिया जाय, जो कुछ तो निगोशिएबिल बौण्ड्स हों और कुछ नॉन निगोशिएबिल बौण्ड्स हों। अगर आपको बौण्ड्स ही पसंद हों तो हम आपके हुक्म की तामील करने के लिये तैयार हैं। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिये क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में जिस वक्त आप यह तरमीम करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुखालिफत नहीं होगी। इसके अलावा इस बिल में जो कुछ मुआविजा और जमींदारों के लिये रक्खा गया है वह पहले से बहुत ज्यादा है। अगर जमींदार साहबान चाहते हैं कि इसको कम कर दिया जाये तो इसके लिये हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अब कौन सी बात बाकी रह जाती है जिसकी उन्हें शिकायत है, मैं नहीं जानता। विरासत के बारे में कहा गया है कि यह टेनेंसी ला के मुताबिक करीब करीब होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट पर वह भरोसा रखते हैं उसमें भी यही कहा गया है—

और अगर वह ५२३ पन्ने पर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि—

"The right of succession shall be governed not by personal law but by the provisions of the U.P. Tenancy Act to prevent fragmentation and subdivision of holdings".

(जोतों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने से बचाने के लिये, उत्तराधिकार वैयक्तिक कानून के अनुसार नहीं बल्कि संयुक्त प्रान्तीय कानून कब्जा आराजी की धाराओं के अनुसार नियमित होगा।)

लिहाजा अगर उनको इससे शिकायत थी तो मैं समझता हूँ कि उनकी शिकायत अब इससे दूर हो जायगी क्योंकि यह नई बात नहीं है, पहले की है। अब जिस

[माननीय प्रधान सचिव]

पहलू से भी देखा जाय कोई बुनियाद नहीं रहती कम से कम उस संशोधन के लिये, न तो पैर ही खड़े रहने को रह गए, न आधी टाँग न पूरी टाँग और कमर भी टूट गई बल्कि यों कहिए कि चारो खाने चित्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा साहब अब इस संशोधन को छोड़ देंगे।

अब सबसे पहले मैं हाउस को एक तरह से इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आम तौर से इस बिल को सब ने ही मंजूर किया है। राजाराम शास्त्री जी ने जिनके कि बोलने का एक खास तौर का लहजा है और उनको इस हाउस में लोग काफी गौर से सुनते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कम से कम यह तो कबूल किया है कि वह इस बिल का स्वागत करते हैं बल्कि वह इससे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं लेकिन उनको डर यह है कि कहीं इसके हो जाने से झगड़े न हों लिहाजा बहैसियत सोशलिस्ट के जो हमेशा वर्गवाद को चाहते हैं और संघर्ष को पसन्द करते हैं और इसीलिये वह उस संघर्ष को कायम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम यकीन करते हैं कि उनकी ऐसी नीयत न होगी। फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इतने ज्यादा जोशोखरोश से कहा कि उससे लोग यह समझते थे कि वह इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बिल का स्वागत करते हैं और वह एक अच्छी चीज है लेकिन उससे इतनी पूरी बेहतरी न होगी जितनी कि वह चाहते हैं ऐसा कहने में ज्यादा जोशोखरोश की जरूरत नहीं थी। फिर तो वह धीरे धीरे भी कहते कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो उनकी बात लोगों की समझ में आ सकती थी लेकिन इस कदर जोशोखरोश का नतीजा यह हुआ कि उनकी बात का तमाम वजन उनके जोश में गुम हो गया और दलीलके बजाय आवाज के जोर ने उसको दिमागों तक अच्छी तरह से न पहुँचने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो मसला उनके सामने है अगर उस पर वह अपने कलमए-खैर कम रखें तो वह सब के लिए ज्यादा फायदेमन्द होगा। हमारी जनता पार्टी को भी किसानों की बड़ी फिक्र है। वह कब से पैदा हुई मालूम नहीं। लारी साहब, ऐजाज रसूल साहब, और शौकत अली साहब को लफ्जों में किसानों की बहुत फिक्र मालूम होती है लेकिन उनकी तजवीजात किसानों के खिलाफ ही होती हैं। मालूम नहीं कि उनका अब भी वही ख्याल है या नहीं और आज हम भले ही भूल जायँ कि कुछ महीनों पहले वह मुस्लिम लीग में थे और इसको न सोचें लेकिन एक ही साँस में दो बातें कहना कोई ज्यादा असर नहीं रखता। यहाँ एक दूसरे से इख्तलाफ वाली बातें कहीं जायँ तो इससे कोई फायदा नहीं पहुँचता। यह ठीक नहीं कि पहले जुमले में कुछ और दूसरे में कुछ और तीसरे में बिलकुल मुख्तलिफ बात कही जाय।

लारी साहब एक तरफ जाते हैं, फखरुल इस्लाम साहब दूसरी तरफ, ऐजाज

रसूल साहब तीसरी तरफ और शौकत अली साहब चौथी तरफ। लिहाज़ा उसमें बहुत ज्यादा गुंजायश इन हज़रत को समझने की नहीं रहती कि यह चाहता क्या है। नतीजा यह निकलता है कि वह चाहता कुछ नहीं सिवाय इसके कि हम लोगों के खिलाफ कुछ कह कर कड़वाहट पैदा कर दे। लिहाज़ा इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता किस तरीके पर जवाब दूं. कोई भी दलील उनकी नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि उनकी पार्टी वाले बहुत माकूल आदमी हैं. मगर जब सन् १९४६ में यह मसला यहां पेश हुआ तब असल में इनकी मुखालिफत की गयी. वे अबालिशन के खिलाफ नहीं थे. इसकी मुखालिफत में जिस वक्त वोट देने का वक्त आया तो हाउस छोड़ कर चले गये. इस हद तक उनकी नाराज़ी थी कि वोट देना तो उनको नामुमकिन ही था, लेकिन उन्हें इतनी बुरी यह चीज मालूम हुई कि दूसरों का वोट देना भी नहीं देख सकते थे।

श्री ऐजाज रसूल— पोजीशन (स्थिति) यह थी कि हम लोगों ने एक अमेन्डमेंट पेश किया था जिसको सरकार ने मंजूर नहीं किया था।

माननीय प्रधान सचिव— गवर्नमेंट आपके कई अमेण्डमेंट मंजूर नहीं करती तो क्या आप छोड़ कर चले जाते हैं? माकूल या नामाकूल जो कुछ भी आपने अमेण्डमेंट पेश किया; ताकि उसको बहाना बना सकें इस बात का कि इस रेज़ोल्यूशन की ताईद न करें और उसकी मुखालिफत करने की आपकी जुरंत नहीं थी। साफ बातें जो हैं, कम से कम गुनाह करने के बाद जब काफी वक्त आदमी को तोबा करने का मिल जाए तब तो सही बात कह दी जाए। लिहाजा अब उसके लिए गलत बात कहने की कोई जरूरत नहीं रही।

अब यहाँ इस बिल के बारे में कुछ बातों पर उज्र किये गये हैं। एक तो मुआविजे के बारे में दो उज्र किए गये हैं। एक तो यह कि बहुत कम है, दूसरा यह कि बहुत ज्यादा है। जब इस तरह से दो आदमी लड़ें तो समझ लेना चाहिए कि जो जज है उसका काम बहुत आसान है और जो उसने किया वह सही है और जो लड़ रहे हैं वे एक दूसरे को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लिहाजा जब एक तरफ से कहा जाता है कि मुआविजा बहुत कम है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मुआविजा ज्यादा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ गुंजायश समझने की रह जाती है और खास कर जब इस बात को याद रक्खें कि कम्पेनसेशन इस बिल में इक्विटेबिल होगा और इक्विटेबिल कम्पेनसेशन के लिए अगर एक पार्टी वाले लोग कहें कि बहुत ज्यादा है और दूसरी पार्टी वाले लोग कहें कि बहुत कम है तो समझ लेना चाहिये कि वह इक्विटेबिल और जस्ट (सही) है और इसके बारे में कोइ दो रायें नहीं रहती। इसलिये वह मसला हल हो जाता है। मगर मैं इसके मुताल्लिक कुछ आगे बढ़ कर कुरेदना चाहता हूँ। क्या किसी फरीक को दरअसल

[माननीय प्रधान सचिव]

गुंजायश है कि उसको उज्र करना चाहिए ? जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें मुआविजा दिया गया है ८ गुने के हिसाब से, दूसरे रिहैबीलिटेशन ग्राण्ट दी गयी है २० गुने से लेकर २ गुने तक। मैं दोनों को जोड़ कर आपके सामने आँकड़े पेश करता हूँ। वह मुआविजा इस तरीके पर गालिबन १४० करोड़ के करीब होगा, यह तखमीना है। इसकी मालगुजारी ७ करोड़ से कम है। लिहाजा कुल मुआविजा जो जमींदारों को दिया जा रहा है उनकी सीर और खुदकाश्त को छोड़ कर, वह २० गुनी मालगुजारी से कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा है। मैं पूछता हूँ कि क्या इसको कोई नाकाफी बतला सकता है ? क्या कुछ अर्से पहले तक २० गुनी मालगुजारी पर प्रापर्टीज़ (जायदादें) नहीं बिका करती थीं ? इसको नाकाफी कहना कतई गलत है।

बावजूद इसके कि आज इसको हम पब्लिक परपजेज (सार्वजनिक प्रयोग) के लिये ले रहे हैं, बावजूद इसके कि जिन शोषितों ने जमींदारों को सैकड़ों वर्ष तक ऐशो-आराम करने का मौका दिया, उनको उनके कुदरती हकूक दिलाने के लिये ले रहे हैं तब भी हम उसका उतना मुआविजा दे रहे हैं जितनी कुछ दिन पहले आपकी जमीन की मिल्कियत समझी जाती थी, २० गुनी मालगुजारी से ज्यादा, फिर भला शिकायत, को कोई गुंजायश रहती है ? मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आवाज़ अब जमीदारों की तरफ से नहीं उठेगी। यह जरूर है कि सब जमींदारों को मुआविजा तो आठ गुना दिया गया, मगर रिहैबीलिटेशन ग्राण्ट मुख्तलिफ दी गई। यह सही है। आपने बार बार कहा कि हम तो छोटे जमींदारों की हिफाजत करते हैं, हम आप तो अपनी कार्यवाही खुद कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी फिक्र न करे, हम चाहते हैं कि किसानों की किसी तरह से परेशानी दूर की जाय, हम चाहते हैं कि छोटों को किसी तरह की तकलीफ न पहुँचे। आप, जैसा कि बड़े को होना चाहिये, इस बात को चाहते रहे कि छोटों को नुकसान न पहुँचे और आपकी फैयाज़ी कायम रहे। आपकी इस हिदायत के मुताबिक हमने काम किया और बड़ों को कोई रिहैबीलिटेशन ग्राण्ट नहीं दी, जिनकी शान उसको मंजूर ही नहीं कर सकती थी। उन्हें रिहैबीलिटेशन ग्राण्ट के बोझे से अलग करके छोटों को यह ग्राण्ट दी ताकि आपकी शान कायम रहे। बड़ों की शान बड़ी होती है, छोटों की छोटी ही होती है, जिसको गौर करना है। इसलिये इस तरीके से दोनों बातें आपकी होती हैं, और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई उज्र नहीं होना चाहिये।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कुछ सोसलिस्ट भाइयों की तरफ से कहा गया कि साहब यह तो बहुत ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। मैं जानता नहीं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की जो कई स्पीचें लिखी और ज़बानी, का हवाला दिया गया वह सही है या नहीं, मगर मैं उनसे कह सकता हूँ कि आचार्य जी ने अपने बयान में कहा है कि १० गुने से २० गुने तक मुआविजा दिया जाय और पाँच लाख से ज्यादा किसी को न

दिया जावे और जो कुछ वेस्ट लैंड हैं, उसका भी कुछ रुपया ऐड किया जाय। उनका तखमीना यह था कि इस तरीके पर करीब १०० करोड़ रुपया मुआविजा होगा। मैंने देखा कि आचार्य जी के तखमीने में और हमारे में कितना फर्क आता है। आचार्य जी ने सब के लिये, ऊपर वालों के लिये भी, दसगुना कहा, हमने इसमें बड़ों के लिये आठगुना ही किया है, लिहाजा सोशलिस्टों को धक्का लगने का मौका नहीं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि लोगों को पाँच लाख से ज्यादा न दिया जाय. मैंने देखा कि फर्क इतना आता है कि जितने को पाँच लाख से ज्यादा मुआविजा मिलेगा, उनकी कुल रकम करीब तीन करोड़ के आती है और अगर उनको पाँच लाख में ही रक्खा जाय तो करीब दो करोड़ आता है, यानी फर्क आता है, एक करोड़ या सवा करोड़ का। इतना ही फर्क जो आचार्य जी ने तरकीब बताई है उसमें आता है, और अगर उनके मुताबिक उन वेस्ट लैंड और दूसरी जमीन, जैसे बंजर वगैरा जो काम में नहीं आतीं, उनका दाम रुपया लगाया जाय तो एक करोड़ से बहुत ज्यादा हो जाता है। नतीजा यह है कि जितनी कुल मुआविजे की रकम आचार्य जी ने समझी थी, करीब-करीब वही हमने रक्खा है। इसलिये सोशलिस्ट दोस्तों को इसके बारे में कोई खास दिक्कत होने का मौका नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद वे किसी देहात में जाकर यह नहीं कहेंगे कि मुआविजा उससे ज्यादा दिया गया जितना कि उनके लीडर ने हमको हिदायत की थी, बल्कि यह कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, हालाँकि उसे छोड़कर वे चले गये हैं, उनकी हिदायतों के मुताबिक ही अमल किया है।

अब आप कहते हैं कि हमने अब राय बदल दी है। राय बदलने का अख्तियार तो आपको है ही और राय बदल कर जिस जगह पर आप हैं वहीं रहने का अख्तियार आपको है और फिर अब भी आप राय बदल सकते हैं और रोज ब रोज बदल सकते हैं लेकिन रोज ब रोज बदलनेवाली राय सही राय नहीं मानी जाती है। वह राय क्यों बदली उसकी वजूहात नहीं बतलाई जाती है। जहाँ तक वे अगर यह कहते कि मुआविजा सन १९४६ में ११०, १०० या १२० करोड़ आता था और रुपये की कीमत गिर गई है, लिहाजा हमने राय बदल दी और उसको आज बढ़ा देना चाहिये, तो किसी हद तक ठीक हो भी सकता था। लेकिन इस कमी के लिये कौन सी बात हो गई यह मेरी संकुचित बुद्धि में तो आता नहीं है। फिर यह कहा गया कि उनको तो देना न था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह देखा कि नहीं कि ७० फीसदी मुआविजा २५० रु० और उससे कम मालगुजारी देनेवालों को मिल रहा है गो कि उनकी कुल मालगुजारी २८७ करोड़ रुपया थी। यदि उनको ७० फीसदी मुआविजा मिलता है और जो कि ५ हजार से ज्यादा मालगुजारी देते हैं चाहे ५ हजार दें या १० हजार दें या १० लाख दें, उनको कुल का करीब-करीब ९ फीसदी मिल रहा है।

[माननीय प्रधान सचिव]

पर अब उनको कुल मालगुज़ारी और कुल आराज़ी पर २५० रु० मालगुज़ारी देनेवाले के मुक़ाबिले में ¾ से ज्यादा यानी ७० फीसदी हो जाता है, मगर उनको सिर्फ दसवाँ हिस्सा मिल रहा है, अगर उनको भी इस तरह से मिलता तो बहुत ज्यादा मिलता। नई कीमतों के मुक़ाबले में ११वाँ हिस्सा मिल रहा है यानी ९ फीसदी मिल रहा है। जहाँ तक उसूल की बात है आप लोगों को उसकी खबर भी नहीं है। इनमें भी कुछ किया गया है, वह सब इन्साफ के मातहत किया गया है। हर एक की हालत को देख कर काम किया गया है। इसलिये जिस तरीके से इस मुआविज़े पर अमल किया गया है, इसके लिये किसी को भी किसी शिकायत की गुंजायश नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा सोशलिस्ट्स को तो सबसे कम शिकायत होनी चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई है कि इसमें लेबरर्स (मज़दूरों) के लिये कुछ भी नहीं किया गया। इसमें ज़मीन की तक़सीम नहीं किया गया है, ज़मीन नहीं दी गई है। किन्तु यहाँ पर और इस भवन के बाहर सोशलिस्टों की तरफ से जो स्पीचें हुई हैं उनमें वे कहते हैं कि ५० एकड़ तक तो छोड़ दी जाय और जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा है उनसे ले ली जाय। मैंने देखा और आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि यदि उसके मुताबिक कार्यवाही की जाय तो जो हिन्दसे इसके बारे में मैंने जमा किये हैं उनसे यह लगता है कि ५० एकड़ से ज्यादा ज़मीन जिनके पास है, चाहे वे ज़मींदार हों या काश्तकार उनकी तादाद १,१४,६५५ है।

उनके पास कुल ज़मीन ५३,१०,५७२ एकड़ है। गरज़ यह कि अगर इन १,१४,००० को औसतन आप ५० एकड़ हर एक को दे दें तो जितनी ज़मीन है उससे ५० हज़ार एकड़ और चाहिए, यानी इसके लिये करीब-करीब ५७ लाख और कुछ एकड़ चाहिये। इसलिये इसमें कोई ४ लाख एकड़ की कमी रह जाती है। तो अगर आपके ही हिसाब को हम मान लें तो किसी दूसरे के लिये कुछ नहीं बचती और इन्हीं में सब ख़त्म हो जाती है। फिर शिकवा किस बात का। फिर इतनी बड़ी लम्बी २ बहसें और मज़दूरों के किस्से और जोशखरोश जिनको कि अगर बेचारे मज़दूर देखते तो समझते कि अगर एक दिन की रोटी मिल जाती तो बेहतर था, बमुक़ाबले इसके कि इतना जोश राजाराम जी दिखाते उसकी क्या बुनियाद रह जाती है। क्योंकि ५० एकड़ हर एक को देने के बाद तो एक टुकड़ा नहीं रहता, जो बाँटा जा सके तो फिर बाँटा क्या और कहाँ से जाय ?

अब दूसरी बात कही गई कि साढ़े ३ एकड़वालों से कुछ न लो और औसत फी काश्तकार कुल ३ ही एकड़ पड़ता है। तो लो किससे ? कहाँ से ले ? मज़दूरों को दें ? लेकिन मैं समझता हूँ कि राजाराम जी को यह हरगिज़ मंज़ूर न होगा तो

लें कहाँ से। इन बातों का सोच कर रखने की ज़रूरत होती है। इस बारे में आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने अपनी राय दी और कहा कि काश्तकार से जो लगान आता है उसमें से वह मुआविज़े का रुपया निकलना चाहिए। उन्होंने यह राय दी कि २० करोड़ रुपया सालाना लगान रहना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा २४ करोड़ में से ४ करोड़ छोड़ दिया, २० करोड़ रख दो। २० करोड़ में से ८ करोड़ तो मुआविज़ा देने में काम में लाइए, ४ करोड़ ख़र्च मुआवज़े के काम में लाइये और ८ करोड़ सरकारी मालगुज़ारी में ला। ग़रज़ यह कि दो बातें क़बूल हुईं। एक तो २० करोड़ रुपया सालाना लगान रहना चाहिये, दूसरी यह कि मुआविज़े का कुल रुपया काश्तकार से वसूल किया जाय और तीसरी यह कि इस दू-आकरान से सरकार को कम से कम ४ करोड़ रुपया सालाना का तो मुनाफ़ा करे ही और जब मुआविज़ा अदा हो जाय तो ८ करोड़ रुपया सालाना का मुनाफ़ा करे। यह तजवीज़ आचार्य जी की तरफ़ से हुई। तो इसमें एक यह बात तो तय हो गई कि किसानों को ही यह मुआविज़ा देना है और उनके अलावा किसी दूसरे को इसे नहीं देना है। अगर इस बात को मान लिया जाय तो सोचने की बात यह हो जाती है कि आया यह तजवीज़ किसानों के लिये फ़ायदेमन्द है या जो तजवीज़ हमने की वह फ़ायदेमन्द है। हमारी तजवीज़ के बाद किसान को सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा ८ करोड़ रुपया सालाना गवर्नमेंट को देना होगा २० करोड़ के बदले में, यानी १२ करोड़ का छुटकारा किसान का इससे होता है और यह छुटकारा किसान को कोई दो या चार दिन के लिये नहीं होता, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिये होता है। ऐसी हालत में फिर उसको २० करोड़ देना बेहतर है या ८ करोड़ बेहतर है। मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ा किसान के लिये हमने रक्खा है उसके अलावा अगर उससे १२ करोड़ रुपया सालाना लें तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात होगी। १२ करोड़ रुपया सालाना हम किसान से लें तो हमको क़रीब-क़रीब ६ करोड़ रुपया सालाना की बचत होगी। लेकिन जो तरीक़ा किसान से दस गुना लगान लेकर उसके लगान को आधा करने का हमने रक्खा है उससे हमको बहुत नफ़ा नहीं होता और सारा मुनाफ़ा १२ करोड़ रुपया सालाना का जो नरेन्द्रदेव जी के उस हिसाब में था वह किसान को ही मिलता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि कि सोशलिस्ट भाई हमारी इस तजवीज़ को देहात में फैलायेंगे और किसानों से कहेंगे कि यह बहुत मुफ़ीद तजवीज़ है, इससे तुम्हारा बड़ा फ़ायदा होगा और जल्द से जल्द इस बात की कोशिश करें जिससे यह रुपया जमा हो जाय।

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ वक़्त यह कहा जाता है कि लगान कम करना चाहिये। अब सवाल यह आता है कि लगान कम करना चाहिए या नहीं। यह तो एक ऐसी बात है, जिसके बारे में अगर कोई भी किसान के सामने जाय तो यह कहने की जुर्रत नहीं कर सकता है कि तुम्हारा लगान बढ़ना चाहिये

[माननीय प्रधान सचिव]

और हमने लगान बढ़ाया भी नहीं है। जब से हमने गवर्नमेंट सँभाला, लगान घटता ही आ रहा है। आपको मैं बतलाऊँ कि सन् १९३६-३७ से पहले कुल लगान जो इस सूबे में वसूल होता था, वह आज से ज्यादा था।

सन् १९१८, १९ में १७ करोड़ ८४ लाख।

सन् १९१९, २० में १७ करोड़ ९४ लाख।

सन् १९२५, २६ में १९ करोड़ १ लाख।

सन् १९२६, २७ में १९ करोड़ २४ लाख।

सन् १९२७, २८ में १९ करोड़ ३३ लाख।

१९२८, २९ में १९ करोड़ ४० लाख।

और सन् १९४५, ४६ में १७ करोड़ ५४ लाख।

ग़रज़ यह है कि अब गोकि काश्त की जमीनें बढ़ गई हैं, मगर कुल लगान जो आज वसूल होता है, पहले से कम है। लिहाज़ा काश्तकारों के लगान का बोझा आज पहले से कम हो गया है।

बाज लोग कहते हैं कि काश्तकार से जो यह १० गुना लिया जायेगा, वह कैसे लिया जायेगा? मैं आपसे कहता हूँ कि काश्तकार खुशी खुशी देगा। उसके लिए इससे बेहतर और कोई मौक़ा नहीं हो सकता है। आप एक काश्तकार को लीजिये जो मसलन एक रुपया लगान देता है, एक रुपया लगान देनेवाले काश्तकार को आज अपने भूसे से उतनी आमदनी होती है, जितनी कि गेहूँ से पहले होती थी। इस तरह वह आसानी से १० रुपया दे सकता है, अपनी जमीन के लिए, अपने लिए, अपने लड़कों के लिये और अपने लड़कों के लड़कों के लिए और इस तरह वह एक मौरूसी जायदाद छोड़ कर मरेगा। आज उसको कोई दिक़्क़त नहीं है। आज वह लगान में एक रुपया देता है, जबकि एक मन गेहूँ की क़ीमत उसको २२ रुपया और २० रुपया मिलती है, जिसकी क़ीमत उसको पहले ३ रुपया मिलती थी। अगर वह एक मन गेहूँ भी पैदा करता है और उसकी आधी क़ीमत दे देता है तो वह हमेशा के लिए अपने लगान को आधा कर लेता है और हमेशा के लिए अपनी औलाद के लिए बोझ हल्का करके मरने की उम्मीद करता है। आज आप देखिए, किसान पैसे का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह नोटों को छप्पर के नीचे रखता है जिससे होता यह है कि या तो चूहे उन नोटों को खा जाते हैं या वह पानी में भीग कर खत्म हो जाते हैं। बाज़ वक्त चोर-डाकू भी ले जाते हैं। काश्तकारों के पास पैसे ज्यादा हो गये हैं, इससे भले आदमी भी डाकू बन गये हैं। इस तरह इन चीजों से भी उसका पैसा बच जाता है और उसको पैसे के अच्छे इस्तेमाल का भी मौक़ा मिलता है। जो लोग उसके पास पैसा देखकर उसको मुग़ालते में डालते हैं और उसको बुरी आदत सिखलाने की

कोशिश करते हैं, उनको भी उसके पास जाने में नुकसान नहीं रहेगी। अगर कोई यह कहता कि काश्तकार अपनी जमीन को दे दे तब भी यह बात कही जा सकती थी कि जब काश्तकार जमीन दे देगा तो फिर वह क्या करेगा? लेकिन अगर वह पैसा दे देगा और जमीन उसकी हमेशा के लिए हो जायेगी तो उस पैसे का और अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और उस पैसे का और इज़ाफ़ा कर सकता अपनी औलाद के लिए और क्या कर सकता है।

इसलिये मैं आप से कहता हूँ कि इस वक्त जबकि पैसा की कीमत कम है जबकि जो चीज एक रुपया की मिलती थी अब ६ रुपये की मिलती है। इस तरह पर काश्तकार की तरक्की नहीं हो सकती जिस से उनके लगान का बारह गुना हमेशा के लिए कम हो जाय। अगर हमेशा के लिये वह मालिक हो जाय, जमीन का तो इसमें कई फायदे हैं। मालिक हो जाता है व उसकी आमदनी का सवाल होता है। इसको आप जानते हैं कि क्या लैंडेड प्रापर्टी (भूमि-सम्बन्धी सम्पत्ति) की इज्ज़त (मूल्य) है।

मैं आप से कहता हूँ कि यह ढंग है जिससे हम काश्तकारों की बेहतरी कर सकते हैं। फिर लोग यहाँ लैंडलेस लेबरर की बात कहते हैं। मैं आप से कहता हूँ कि किसी ने इस बिल को गौर से देखा है, किसी ने समझा है? मैं अर्ज करता हूँ कि लैंडलेस लेबरर के लिये जो इस बिल में किया गया है वह मुश्किल से कोई कर सकता है। लैंडलेस लेबरर अपने गाँव की कुल जमीनों का सिवाय उन जमीनों के जिन में काश्त होती है, हिस्सेदार है, औरों के साथ मिल्कियत रखने वाला है, इन्तजाम करने वाला है, जितनी वेस्ट लैंड है उसकी तमाम कार्यवाही और इन्तजाम का उनको भी यह हक हासिल है। लैंडलेस लेबरर को उठाने वाला कोई और बात हो सकती है आप उसको देखें, आप के ख्याल में यह चीज नहीं हो सकती। इनके अलावा कुएँ, तालाब वगैरा जो हैं उसका इंतजाम भी वह कर सकता है, वह गाँव का मालिक और लोगों के साथ रहेगा। यह कहना कि लैंडलेस लेबरर के लिये इस में कुछ नहीं है, यह बिलकुल गलत है। इसमें यह कहा गया है कि सबलेट नहीं कर सकता। सबलेट करने के क्या माने हैं। जितना आदमी असल में काश्त कर सकता है, जो नहीं कर सकता वह लैंडलेस लेबरर को और जिसका होलडिंग अनइकनामिक है, कुदरती तरीका पर बगैर जब्र के खुशी से करना चाहता है, जब्र से उसका जो नहीं लगता। फिर जो समझदार हैं, उनसे पूछता हूँ अगर वह कोई और तरीका कहें कि जमीन को सब में बराबर तकसीम कर दिया जाय जिससे सबको तीन एकड़ से ज्यादा पहुँचे, अनइकानामिक होलडिंग बाकी रहेगी। वह जिन मातहतान को मंजूर है वह उनको मिलेगा। हम उनके लिये रास्ता बन्द नहीं कर रहे हैं। यह तो कोई अक्लमन्दी नहीं है और न कभी हो सकती है। दूसरी बात इसने है कि इस जमीन को काश्त करने के लिये सबलेट नहीं कर सकता। कोई पाबंदियाँ नहीं हो सकता। राजाराम जी को हमारी नेकनीयती पर भरोसा नहीं है। यह ठीक है

हमारी ईमानदारी के प्रति उनको ऐसा समझाने का पूरा हक है। उनको हमें समझाना चाहिए कि हम लोग ईमानदारी पर अमल नहीं कर रहे हैं। अपनी स्पीच में कई दफा उन्होंने ईमानदारी लफ्ज का इस्तेमाल किया। यह उनको हक है। मगर मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या वह समझते हैं कि अगर इस बिल को हम जल्दी अमल में लाना चाहें तो जो तरीका वह चाहते हैं उसका क्या असर होगा ? इसका माने यह है कि सारे सूबे का सेटलमेंट आपरेशंस किया जाय। एक जिले का सेटलमेंट आपरेशन कराने में तमाम आफिसर्स को लगाने पर कम से कम ५ साल लगते हैं। एक वक्त में गवर्नमेंट कभी भी ४-५ जिले से ज्यादा सेटलमेंट आपरेशंस के लिये नहीं ले सकती। लिहाजा अगर उनके तरीके को बरतें तो कम से कम ५० साल लग जायगा, जिस जमींन्दारी को हम एक साल के भीतर एबालिशन करना चाहते हैं। इसलिये उनको सोच-समझ कर इस बात पर गौर करना चाहिये कि सेटलमेंट आपरेशन के बमुकाबिले तमाम किसानों में इस तरीके पर जमीन का बटवारा करें तो यह बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। लैंडलेस लेबरर की हमारे मुल्क में बहबूदी कैसे होगी, देहातों की हालत कैसे सुधरेगी, इसके ऊपर भी हमको गौर करना है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में खेती करनेवालों की तादाद क्या है ? जब कि पश्चिमी मुल्कों में बहुत मुद्दत से खेती करनेवालों की तादाद साल ब साल कम होती आयी, हमारे यहाँ खेती करनेवालों की तादाद बराबर बढ़ती हो गयी और जमीन पर पहले के मुकाबिले में बहुत ज्यादा बोझ हो गया। हमारे यहाँ सब से बड़ी मुसीबत अनबैलेंस्ड इकनामी (असमान आर्थिक स्थिति) की है। जरूरत है कि नेचरल तरीके पर रूरल एरिया को इंडस्ट्रीअलाइज (औद्योगीकरण) करें और हम यह चाहते हैं कि अगर हमें रक़म मिले और इससे रक़म बचा सकें तो हम रूरल एरिया में बिजली की रोशनी सब के लिये पैदा करें। हम मुल्क के किसानों के अंदर एक नई बिजली पैदा करें जिससे उनका हौसला ऊँचा हो और सूबे के अन्दर एक नयी दुनियाँ कायम कर डालें और उनके लिये हमें रूरल इकनामी की जरूरत है। आप जानते हैं एक जमीन्दारी एबालिशन फंड बनाया गया है। एक-एक पैसा जो काश्तकारों का हमें जमा होगा वह सिर्फ काश्तकारों की भलाई के काम में लाया जायगा और किसी काम में नहीं लाया जायगा। और हम चाहते हैं कि इस रुपये के जरिये से काश्तकारों के लिये देहातों में नयी इंडस्ट्रीज पैदा करें। हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनको रक्खें, ताकि जिस मोटर में वे चलें तो कह सकें कि यह मेरी मोटर है जो यहाँ चल रही है। जिस मोटर में हम बैठे हुये हैं वह हमारी गवर्नमेंट की है, जिसमें हमारा भी पैसा लगा हुआ है। यह हमारा इरादा है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि देहातों में नये-नये कारखाने बनें और नयी-नयी आबपाशी हो जिसमें रुपया लगे और अगर कहीं जरूरत हो और हम ज्यादा पैसा बचा सकें तो आबपाशी देने की जरूरत ही न हो ताकि काश्तकार भी समझें कि हमारे लिये नया दिन आया है। और इसलिये यही तरीका है जिससे

यहाँ जो अनअर्नेड इनकम है वो प्रिवेशन (वंचन) है वह दूर हो जाय और देहात फलें फूलें और उद्यम वालों की हालत भी सुधरे। इसलिये मैं पसन्द करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द हर एक मोहल्ले (देहात) में कोई इण्डस्ट्रीयल सर्वे किया जाय ताकि हम सब कि ज़मींदारी के खतम होने पर क्या करना है, उसको देखें कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनको कायम करने के लिये कोशिश करें, जिससे लोगों की लेबर को रोज़ी देते हैं. उनको भी देखने का मौका मिले कि वास्तव में जनता को कैसे इनसे क्या फायदा होता है? यहाँ कुछ यह भी ज़िक्र किया गया कि इस ज़मींदारी एबालिशन की बात तो होती है लेकिन नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) की बाबत कोई कुछ नहीं कहता। मैं नहीं जानता कि नेशनलाइजेशन का माने लोग पूरी तरह से समझते भी हैं या नहीं, क्योंकि नेशनलाइजेशन किस ढंग से हो लोगों को कहने के पहले यह समझ लेना चाहिये।

मान लीजिये कि कल को हम सब कल कारखाने ले लें, और बगैरह जो और मान लीजिये कि हमारे पास होशियार आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं तब भी उनके लिये रुपया कहाँ से आवे? आज यह भी कहा जाता है कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, अज़हर्बी (कुमबा पर्वरी) है और हमारे भाई भी उन आवाज़ों में अपनी आवाज़ मिलाते हैं तो फिर अगर हम सारी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइज कर दें तो आखिर किस दुनिया से आदमी काम करने के लिये आयगा? जब तक लोगों का मारल नहीं बनता और लोग सारे गवर्नमेंट के कामों को सारे मुल्क के कामों को अपना काम समझ कर नहीं करते, तब तक नेशनलाइजेशन सिर्फ लफ्ज़ों के आडम्बर से नहीं होता। आज कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये कहा जाता है लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम सब इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में ले लें, तो कैपिटल कहाँ से आवे। हम नेशनलाइजेशन करने या कैपिटलिज्म (पूँजीवाद) को खत्म करने का तरीका भी शायद अमल में लाना पसन्द करें, लेकिन किस तरीके पर, कम से कम मैं उनमें से नहीं हूँ जो कैपिटलिज्म के नाम से घबड़ाते हैं। मैं (प्रोडक्शन) पैदावार को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क के हर आदमी का स्टेटस और स्टैण्डर्ड और स्तर को ऊँचा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खुशहाल हो। लफ्ज़ों से मुझे घबराहट नहीं होती, मैं कैपिटलिज्म से घबड़ाता नहीं हूँ, न सोशलिज्म से और न कम्यूनिज्म से डरता हूँ बल्कि मैं तो मुहब्बत करता हूँ गांधीइज्म से, मगर डरता किसी से नहीं हूँ, न कम्यूनिस्ट आइडियालोजी से ही डरता हूँ। चाहे कम्युनिस्टों की हरकतों की वजह से सख्त से सख्त कार्यवाही करनी पड़ती है लेकिन मैं उनकी आइडियोलोजीज़ से डरता नहीं घबड़ाता नहीं हूँ। अगर वे लोग कैपिटलिज्म को बरबाद करने की बात कहते हैं तो उनको सोचना चाहिये कि कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये भी कैपिटल चाहिये। तो कैपिटल आवे कहाँ से? आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी

[माननीय प्रधान सचिव]

दिक्कत यह है कि नये काम हम करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं है। जो काम चल रहे हैं, उन्हीं के लिये वर्किंग कैपिटल नहीं है और कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं हैं, तो उस कैपिटल को जमा करने का और काम में लाने का जरिया यह जमींदारी अबालिशन फण्ड है, जिस से हम उस रकम को पावेंगे जिससे हम कैपिटलिज्म को खत्म करें। इसलिये जब आप लोग कहते हैं कि कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिये तो उसकी गहरी बुनियाद में जाना चाहिये और देखना चाहिये कि कैपिटल कहाँ से आये. जिससे कैपिटलिज्म खत्म हो सके।

श्री मुहम्मद शौकत अली खाँ—मैं तरकीब बता दूँ ?

माननीय प्रधान सचिव—आपको उसका मौका मिलेगा। जब आपका मौका आयेगा आप उसे करके दिखला दीजियेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि आज कल बड़ी दिक्कतें हैं, आज कल बड़े बड़े इकनामिक (आर्थिक) सवालात उलझे हुये हैं और बहुत बार तो ऐसा मालूम होता है कि उनको सुलझाना मुश्किल है लेकिन अब मैं इकनामिक्स के प्रोफेसरों से कह दूँगा कि शौकत अली साहब के पास चले जावें और जो कोई उनको दिक्कत हो उनके सामने पेश करें तो वह हल बतला देंगे। लिहाजा एक ही सवाल के लिये नहीं, जितने भी सवाल पैदा होंगे वह उनके पास रख दिये जायँगे। अगर इस वक्त एक बात वह बतला भी देंगे तो आइन्दा बहुत सी झंझटें आयेंगी। उस के ऊपर उनसे बराबर गुफ्तगू जारी रखना शायद उनके लिये फायदेमन्द न हो लेकिन मैं तो कुछ न कुछ सीखूँगा ही। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह भी एक तरीका है जिससे अगर यह बात हो सकती है तो हमें यह देखना है कि आज मुल्क की हालत क्यों दिक्कत तलब है, क्यों लोग इतना परेशान हैं, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। अगर आप एक छोटी सी फैक्टरी कायम करें तो उसके लिये भी कैपिटल चाहिये, उसके लिये आपको अमेरिका से प्लाण्ट मँगाना पड़ेगा, यूरोप से या और कहीं से तो उसके लिये भी कैपिटल चाहिये, मगर पैसा मिलता नहीं है। पैसा जिनके पास है वह देते नहीं हैं। जो गरीब हैं उनसे थोड़ा-थोड़ा करके लें तो उससे काम चलता नहीं है। इसलिये जो यह एक तरीका जमींदारी अबालिशन फण्ड का है यह ऐसा है जिससे यह सब बातें हल हो सकती हैं। और आइन्दा के लिये हम एक ऐसी बात करते हैं जिससे आइन्दा हमारे काम बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं इस बिल के बारे में और आपका बहुत वक्त लेना नहीं चाहता। यह सेलेक्ट कमेटी में जायेगा, मैंने सिर्फ कुछ बुनियादी सवालों के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कहने की कोशिश की है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने अर्ज किया है उससे आप चाहे इत्तफाक न करें मगर इसको मंजूर फरमायें कि जो कुछ हमने किया वह समझ बूझ कर किया है, बिना गौर के

नहीं किया है, बिना वाजिब ख्याल के नहीं किया है और ऊंचे हौसले को सामने रखते हुए ठोस जमीन पर खड़े होकर किया है। यहां पर कुछ यह भी जिक्र किया गया कि कई जगहों पर इसमें हिज मैजेस्टी का नाम आया है। हिज मैजेस्टी का नाम जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो कानून अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, जैसे कि गवर्नर के नाम पर हमारे यहां से सारे आर्डर जारी होते हैं उसी तरह से उनका नाम रहता है। अभी तो हम डोमिनियन में हैं और इस ऐक्ट के मुताबिक यह रक्खा गया है। जैसा मैंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि यह बिल जब सेलेक्ट कमेटी से वापस आयेगा और इस हाउस में पास होगा तो उसका ठीक होगा कि इस बिल में हिज मैजेस्टी की जगह 'सावरेन इंडिपेंडेंट इंडियन रिपब्लिक' लिखा होगा और इसके लिये यह दिन बहुत खुशी का होगा।

यहाँ कुछ ऐजाज रसूल साहब ने जिक्र किया मुआवजे का। ऐजाज रसूल साहब को बड़ी फिक्र थी कि साहब जमीन तो जमींदारों से ले ली जायगी मगर मुआविजा कभी मिलेगा नहीं। उनको शायद उन लोगों की आदत का ख्याल रहा जो चीज ले लेते थे मगर उसकी कीमत मुद्दत तक देते नहीं थे। वह किस वक्त के होते थे इसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर इस बिल में यह प्राविजन है कि ऐडजस्ट करने के ६ महीने के अन्दर बहुत हद तक देना पड़े। गवर्नमेंट ने खुद अपने ऊपर यह शर्त कायम की है, शायद दफा ७५ में इसका जिक्र है। मैं ठीक तो बतला नहीं सकता मगर हमने खुद यह ख्याल रक्खा है कि ऐडजस्ट होने के बाद ही मुआविजा मिलने में देरी न हो। इसीलिये हमने अपने ऊपर यह रोक रक्खी है ताकि ६ महीने के अन्दर जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसी तरह से ६ महीने के अन्दर यह कीमत मिल जाय। लिहाजा इसके बारे में जमींदारों को कोई पशोपेश की जरूरत नहीं है। जो कीमत उनको हो उससे उनको खुश होना चाहिये जैसे की एक अच्छे बच्चे के पैदा होने में होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जमींदारी अबालिशन होने के बाद जो नई नस्ल इस मुल्क में पैदा होगी, उनके दिल में वही जगह होगी जो कि अपने बच्चे के लिये एक आदमी को हुआ करती है। यह जमींदारी अबालिशन कोई एक निगेटिव तरीके पर नहीं किया जा रहा है। यह एक नई दुनिया में नया युग कायम करने के लिये किया जा रहा है। इसलिये मैंने इसको बच्चे की मिसाल इरादतन दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नये जमाने में हिन्दुस्तान में जो कि दो साल के करीब हुए आजाद हुआ है, यह एक नई नस्ल को पैदा करेगा। इस बिल के जरिये एक नया सोशल, स्प्रिचुअल और इकानामिक आर्डर हमारे मुल्क में कायम होगा और हमारे यहाँ के कामन मैन को ऊँचे से ऊँचे उठ कर गान्धी जी का नाम सुबह और शाम लेने का मौका मिलेगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी (अबालिशन) 'विनाश' और भूमि व्यवस्था बिल को ३१ दिसम्बर सन् १९४९ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—अब मैं मूल प्रस्ताव के ऊपर राय लेता हूँ। सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० का प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय प्रधान सचिव—मैं आपकी इजाज़त से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि ब रजामन्दी अपर हाउस के इसकी ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी ३१ मेम्बरों की बनायी जाय, जिसमें से २० मेम्बर इस हाउस के और १० अपर हाउस के और मिनिस्टर इन चार्ज, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हों। जो आवाजें चारों तरफ से आती हैं कि ज्यादा तादाद मेम्बरों की हो, अपर हाउस के और यहाँ के लोग भी चाहते हैं तो अगर मुनासिब समझा जाय तो इस तजवीज को मंजूर किया जाय।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं माननीय प्रधान मंत्री के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता कि रजामन्दी के साथ दोनो हाउसेज की ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी कायम की जाय। मैं इस पर कोई तकरीर भी नहीं करना चाहता, मगर मैं यह निवेदन जरूर गवर्नमेंट से और माननीय प्रधान मंत्री से करूँगा कि रजामन्दी के मानी यह हैं कि हम लोगों को मालूम हो कि कौन से मेम्बर जायँ।

माननीय प्रधान सचिव—जो मेम्बर कि यहाँ से २० होंगे तो इसके लिये तो हाउस के सामने तजवीज आयेगी कि ये २० मेम्बर इस हाउस से रक्खे जायँ और उनके नाम इस हाउस से मंजूर हों, कोई दूसरा तरीक़ा उनको चुनने का नहीं है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं इसमें इतनी दिक्कत देखता हूँ, कि इसमें अगर २० मेम्बरों की मंजूरी दे दें और किसी ग्रुप या पार्टी की हकतलफी हो तो वह इसके सिलसिले में कोई मेम्बर तजवीज नहीं कर सकती।

डिप्टी स्पीकर—आप गालिबन किसी गलतफहमी में हैं। इस वक़्त जो आपने अपने नियमों का संशोधन किया है, उसके मुताबिक सयुक्त विशिष्ट समिति के २४ सदस्य होने चाहिये. १६ इस भवन के और ८ कौंसिल के माननीय सचिव के अलावा। लेकिन इस बिल के सम्बन्ध में माननीय प्रधान सचिव यह प्रस्ताव करते

हैं कि इस बिल की विशिष्ट समिति के, बजाय २५ के ३० सदस्य हों, २० इस भवन से और १० कौंसिल से और माननीय माल सचिव भी उनके मेम्बर हों। तो इस तरह से बजाय २५ के ३१ सदस्यों की तजवीज है। तो अगर यह तजवीज यहाँ मंजूर होती है, तब कौंसिल की रजामन्दी के लिये वहाँ पेश होगी और वहाँ से पास होने के बाद यह भवन २० सदस्य चुनेगा। अभी उनके नाम नहीं पेश हुए हैं। जब नाम पेश होंगे तो आपको अधिकार होगा कि जो गवर्नमेंट नाम पेश करती है उसके मुकाबिले में आप और पेश करें और इस सम्बन्ध में भवन का जो तरीका है उस पर अमल किया जायगा। सवाल यह है कि २० हों या १६ हों। इस भवन से १६ के बजाय २० लिये जायँ और कौंसिल से ८ के बजाय १० लिये जायँ, यह प्रस्ताव का मतलब है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं सिर्फ इस बात को साफ कर लेना चाहता हूँ कि २० आदमियों के नाम पेश किये गये और उसके अलावा भी २१ वाँ नाम पेश कर दिया जाय तो एलेक्शन हो जाय। तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि २० नामों के अतिरिक्त नाम आने पर हम एलेक्शन कर सकेंगे ?

डिप्टी स्पीकर—चुनाव तो जरूर होगा, अगर २० नामों से ज्यादा नाम आयेंगे। सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल की संयुक्त विशिष्ट समिति में बजाय २५ के ३१ सदस्य हों, यानी माननीय सचिव के अलावा ३० सदस्य हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस के बाद भवन ५ बजकर ८ मिनट पर बृहस्पतिवार, १४ जुलाई, १९४९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ
बुधवार, १३ जुलाई,
१९४९

कैलासचन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

[illegible]

अस्पताल—
प्र० वि०—बलरामपुर ——,लखनऊ के कर्मचारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २८९,२९०।
प्र० वि०—रानीखेत की छावनी का——। खं० ५९, पृ० ३२।
प्र० वि०—रानीखेत तहसील के हेड-क्वार्टर में——का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।
अस्पतालों—
प्र० वि०—जौनपुर जिले में नये——का खोला जाना। खं० ५९, पृ० २६।
प्र० वि०—प्रान्तों के विभिन्न जिला बोर्डों के——का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० ३०—३१।
अस्वस्थता—
प्र० वि०—मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की——के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

आ

आन्दोलन—
प्र० वि०—सन् १९४२ ई० के——में पहाड़ियां तथा खमा ग्रामों की क्षतिपूर्ति। खं० ५९, पृ० १११।
आर्डिनेंस—
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज इवैकुई प्रापर्टी——की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

इ

इनाम—
प्र० वि०—पुलिस अधिकारियों को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए तरक्की और——। खं० ५९, पृ० ११३।
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४४६—४५१।
इलाज—
प्र० वि०—आगरे के थामसन अस्पताल में दांतों के——का प्रबंध। खं० पृ० ५९, १११।
इलेक्ट्रिक इनर्जी—
प्र० वि०—कस्बा डिबाई, जिला बुलन्दशहर में जन-कार्यों के लिये——(विद्युत् शक्ति)। खं० ५९, पृ० ११०।

उ

'उजाला'—
प्र० वि०—दैनिक पत्र——के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २४—२५।
उत्पत्ति—
प्र० वि०—प्रान्त में गेहूं, चना, मक्का इत्यादि की——तथा बाहर से आये हुए अनाज की मात्रा। खं० ५९, पृ० ५—७।

ए

एजेण्टों—
प्र० वि०—बाराबंकी के सीमेंट के——द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई। खं० ५९, पृ० १०२।

ऐ

ऐजाज रसूल, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५०, ४८३—४८६।

क

कमिश्नर—
प्र० वि०—लखनऊ स्थित——के आफिस को फैजाबाद ले जाने के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २३।
कमेटियों—
प्र० वि०—मैनपुरी जिला बोर्ड की——की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३, २९४।

कम्युनिस्टों—

प्र० वि०—फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च, सन् १९४९ ई० को——की संख्या। खं० ५९, पृ० १८७—१८८।

कर्जा—

प्र० वि०—धामपुर जिला बिजनौर के शुगर मिल पर काश्तकारों का——। खं० ५९, पृ० २९३।

कालेजों—

प्र० वि०—बनारस जिले के इंटरमीडिएट——में सैनिक शिक्षा। खं० ५९, पृ० ११०।

कुमायूं—

क़िस्मत, ——में मूक और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ८।

कृपा शंकर, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कृषि महाविद्यालय—

——कानपुर में अध्यापकों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १०६।

कृष्ण चन्द्र, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४८२।

केन कोआपरेटिव सोसाइटी—

प्र० वि०— ——पीलीभीत के कर्मचारियों का वेतन। खं० ५९, पृ० २७६—२७८।

क्षतिपूर्ति—

प्र० वि०—सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़ियों तथा अन्य ग्रामों को——। खं० ५९, पृ० १११।

ख

खुफिया रिपोर्ट—

प्र० वि०—प्रान्त के जिलों में——। खं० ५९, पृ० १२।

खुशवक्त राय, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

ग

गंगाधर श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

गंगा प्रसाद, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

गजाधर प्रसाद, श्री

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

गवर्नमेंट जुबिली कालेज—

प्र० वि०—लखनऊ विद्यालय कालेज और ——कालेज में वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा म्युजिक (संगीत शिक्षा)। खं० ५९, पृ० १०९।

गिरफ्तारी—

प्र० वि०—सुल्तानपुर पुलिस का एक बदमाश की——के लिए प्रयत्न। खं० ५९, पृ० १०५।

गिरोह—

प्र० वि०—विभिन्न जिलों में स्त्रियों को भगाने वाले संगठित गुंडों के——तथा उनकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १०—११।

गुंडों—

प्र० वि०— ——की संख्या बढ़ने के कारण। खं० ५९, पृ० १९९—२००।

प्र० वि०—प्रान्त में जिलेवार——की संख्या। खं० ५९, पृ० १९९।

गुप्ताज्ञा—

प्र० वि०—जिला अधिकारियों को शासन संबंधी मामलों के संबंध में——। खं० ५९, पृ० १०५।

गुमटियों—

प्र० वि०—फैजाबाद शहर में शरणार्थियों की——के कारण जनता को कष्ट। खं० ५९, पृ० २२—२३।

गूंगे—

प्र० वि०—प्रान्त में——और बहरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ७—८।

गोविन्द सहाय, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं ५९, पृ० ४६७—४७५।

गोशाला—
प्र० वि०———के सुप्रबंध के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति। खं० ५९, पृ० २८२, २८३।

ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों—
प्र० वि०—जिला अल्मोड़ा में———की दुबारा नियुक्ति का आधार। खं० ५९, पृ० ३२—३३।

घ

घोषणा—
सन् १९४८ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने के और गांठे बनाने के कारखानों के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की———। खं० ५९, पृ० २००।

च

चक्कियों—
प्र० वि०—टांडा जिला फैजाबाद की आटे की———को तेल का मासिक कोटा। खं० ५९, पृ० ३४।

चने—
प्र० वि०—बनारस व गोरखपुर में———का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४।

चेयरमैन—
प्र० वि०—मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के———की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

चोरबाजारी—
प्र० वि०—फैजाबाद जिले में चीनी की———। खं० ५९, पृ० २९२।

चोरियों—
प्र० वि०—जिला गोंडा में———, डकैतियों और हत्याओं की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

ज

जगन्नाथ दास, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५२।

जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री—
श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४७—४८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ७७—८५, ४८७, ४८८, ५०२ और ५०३।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

जंगल—
प्र० वि०—कुन्हरा जिला हमीरपुर के—से नेगी। खं० ५९, पृ० २१—२२।

जमींदारी—विनाश—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय—और भूमि व्यवस्था बिल खं० ५९, पृ० ३०—३१, १२०—१६१, २०२—२६०, २९—३८८, ३५७—४२२, ४२४—५०३।

जयराम वर्मा, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

जहीरुल हसनेन लारी, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २०८—२१४, २१५—२२४, २२५।

जिला अधिकारियों—
प्र० वि०——को शासन संबंधी मामलों के संबंध में गुप्ताज्ञा। खं ५९, पृ० १०५।

जिला बोर्डों—
प्र० वि०—प्रान्त के विभिन्न—के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० ३०—३१।

जुलाहों—
प्र० वि०—जिला सहारनपुर के—को सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७५।

जेल—
प्र० वि०—फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट—में १७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या। खं० ५९, पृ० १८७—१८८।

जेलों—
प्र० वि०—सेंट्रल तथा जिला—के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २८३, २८४।

ट

टी० बी० अस्पताल—
प्र० वि०—आगरा—में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किये गए मरीजों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

ड

डकैतियों—
प्र० वि०—[illegible] में डकैतियों, —और [illegible] की संख्या। खं ५९, पृ० ११२।
प्र० वि० —प्रतापगढ़ जिले में—की संख्या और उनकी रोकथाम खं० ५९, पृ० १८—१९।

डाकुओं—
प्र० वि०—प्रतापगढ़ सिटी के पास—की गिरफ्तारी। खं० ५९, १६—१८।

डिप्टी स्पीकर—
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ५१, ५२, ५३, ५५, ५६, ५७—६०।
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और गांठें बनाने के कारखानों के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ६०, ७९, ९१, १५२—१६५, २००, २१५, २६०, ३१३, ३२३, ३४८, ४५७, ४८२, ४८५, ५०२—५०३।

डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर—
प्र० वि०— ———की योग्यता तथा उनका वेतन। खं० ५९, पृ० २६ ।

डेपुटेशन—
प्र० वि०—मेडिकल लाइसेंशिएट संघ के ———की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

डेवलपमेंट बोर्ड—
प्र० वि०—मैनपुरी———के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

त

तरक्की—
प्र० वि०—पुलिस अधिकारियों की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के लिये———और इनाम। खं० ५९, पृ० ११३।

थ

थानेदार—
प्र० विं०—बलुवा, जिला बनारस के———के खिलाफ शिकायत। खं० ५९, पृ० १९९।

थामसन अस्पताल—
प्र० वि०—आगरे के———में दांतों के इलाज का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १११।

द

दान—
प्र० वि०—दियरा राज, जिला सुल्तानपुर के राजा साहब का सरकार को———। खं० ५९, पृ० १०४।

दूध—
प्र० वि०—बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से——— का क्रय व उसके विक्रय का भाव। खं० ५९, पृ० २८२।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

न

नत्थियां—
—खं० ५९, पृ० ९२—९७, १६६-१७३, २६१, २६२-२६३, २६४, २६५, २६६-२६७, २६८, २६९।

नदियों—
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से———की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

नायर नदी—
प्र० वि०— ———में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

नारायण दास, श्री—
देखिए "प्रश्नोतर"।

नियम—
प्र० वि०—गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के———। खं० ५९, पृ० १११।

निहालुद्दीन, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २५९-२६०, २९५-२९८।

नीलाम—
प्र० वि०—पुलिस सुपरिंटेंडेंट आजमगढ़, के मातहत (सरकारी) जीप कार का———। खं० ५९, पृ० ११५।

नुमायशों—
प्र० वि०—विभिन्न विभागों के इंतजाम में सरकार के अधीन———। खं० ५९, पृ० १९४—१९५।

प

पतरोल—

प्र० वि०— ——का कारनकारों में निर्वाचन लेना। खं० ५९, पृ० ३००।

पब्लिसिटी वान्स—

प्र० वि०— ——का जिलों में काम खं० ५९, पृ० १८३।

परमिट—

सन् १९५६—५७, १९५७—५८ ई० व इस साल में [illegible] बढ़ाई और उन्नानी के रहने वालों को सीमेंट व लोहे के——। खं० ५९, पृ० १९३—१९४।

परीक्षाएं—

प्र० वि०—महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेंट जुबली कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) ——। खं० ५९, पृ० १०९।

पशु विभाग—

प्र० वि०—श्री भंवर सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर,——की पेंशन का भुगतान खं० ५९, पृ० १८३—१८४।

पानी—

प्र० वि०—किसानों द्वारा खेतों की सिंचाई करते समय——का बेकार बहना। खं० ५९, पृ० २९।

पुलिस अधिकारियों—

प्र० वि०— ——की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिये तरक्की और इनाम। खं० ५९, पृ० ११३।

पुलिस सुपरिंटेंडेंट—

——आजमगढ़ के मातहत (सरकारी) जीप कार का नीलाम। खं० ५९, पृ० ११५।

पूछताछ—

प्र० वि०—कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों के संबंध में——। खं० ५९, पृ० १०६।

प्र० वि०—फीरोजाबाद में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बेंच बनाने के विषय में——। खं० ५९, पृ० १८९।

प्र० वि०—मिर्जापुर में विद्युत सप्लाई के बारे में ——। खं० ५९, पृ० २२१।

प्र० वि०—मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफसर के मकान के——। खं० ५९, पृ० १८६

प्र० वि०—रोडवेज की मोटरगाड़ियों के संबंध में—— खं० ५९, पृ० १२५, १२६—१२७।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

पेंशन—

प्र० वि०—श्री भंवर सिंह रिटायर्ड, इंस्पेक्टर पशु विभाग की——का भुगतान। खं० ५९, पृ० १८३—१८४।

प्रतिनिधित्व—

प्र० वि०—आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी में फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का——। खं० ५९, पृ० १८८—१८९।

प्र० वि०—मैनपुरी के नोटीफाइड एरियाओं में जनता का——। खं० ५९, पृ० २९४।

प्रतिलिपि—

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही को वैध करने के) अध्यादेश की——का मेज पर रखा जाना। खं० ५९, पृ० १२०।

प्रधान सचिव, माननीय—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३९।

[प्रधान सचिव, गवर्नमेन्ट]

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४१—४५, ५३—५५।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ६०—७६।

सन् १९४२ ई० के प्राइवेट प्रविलेज कमेटी की रिपोर्ट का मेज पर रखा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

प्रबंध—

प्र० वि०—जिला गढ़वाल में अन्न, बीज और ... का—। खं० ५९, पृ० २७८।

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिला जेल के मुर्दों के जलाने या दफनाने का—। खं० ५९, पृ० १०४।

प्रश्नोत्तर

अचल सिंह, श्री—

विभिन्न जिलों में स्त्रियों को भगाने वाला संगठित गुंडों का गिरोह तथा उसकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १०—११।

अब्दुल हमीद, श्री—

न्यू लेजिस्लेचर रेजिडेंस का फरनीचर। खं० ५९, पृ० १९२—१९३।

परगने मंगलौर की मुन्सफी 'देवबन्द' जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा। खं० ५९, पृ० १९२।

कृपा शंकर, श्री—

सचिवालय में हिन्दी का प्रयोग। खं० ५९, पृ० १८४—१८५।

खुशवक्त राय, श्री—

खीरी में सीमेंट का वितरण। खं० ५९, पृ० ९—१०।

प्रान्त में गेहूं, चना, मक्का इत्यादि की उत्पत्ति तथा बाहर से आये हुए अनाज की मात्रा। खं० ५९, पृ० ५—७।

रोडवेज की गाड़ियों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १९५, १९६—१९७।

गंगा प्रसाद, श्री—

जिला गोंडा में चोरियों, डकैतियों और हत्याओं की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

पुलिस अधिकारियों की तरक्की, बेहतर और ईमानदारी से काम करने के लिये तरक्की और इनाम। खं० ५९, पृ० ११३।

फीरोजाबाद में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की बेंच बनाने के विषय में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५—१८६।

गजाधर प्रसाद, श्री—

किछौछा शरीफ जिला फैजाबाद में बम-दुर्घटना। खं० ५९, पृ० २०—२१।

कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १०६।

गांव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था। खं० ५९, पृ० १९७—१९८।

गुंडों की संख्या बढ़ने के कारण। खं० ५९, पृ० १९९—२००।

तहसील पडरौना, जिला देवरिया के विभिन्न गांवों की मालगुजारी और लगान। खं० ५९, पृ० २४।

पुलिस सुपरिंटेंडेंट आजमगढ़ के मातहत (सरकारी) जप्त कार का नीलाम। खं० ५९, पृ० ११५।

प्रान्त में जिलेवार गुंडों की संख्या। खं० ५९, पृ० १९९।

बलुवा जिला बनारस के थानेदार के खिलाफ शिकायत। खं० ५९, पृ० १९९।

जगन्नाथ दास, श्री—
जिला सहारनपुर के कुम्हारों को सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २३५।
तहसील नकुड़ (सहारनपुर) में सिंचाई। खं० ५९, पृ० २३४—२३५।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री—
जिला गढ़वाल की ग्राम योजना के इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स की मुअत्तली। खं० ५९, पृ० १०७।
नयार नदी में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२—१८३।

जयराम वर्मा, श्री—
टांडा, जिला फैजाबाद की आटे की चक्कियों को तेल का मासिक कोटा। खं० ५९, पृ० ३४।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के नियम। खं० ५९, पृ० १११।
जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० २७।
जौनपुर जिले में अदालती पंचायतें और गांव अदालतों में चुने गये हरिजन। खं० ५९, पृ० ११०।
जौनपुर जिले में नए अस्पतालों का खोला जाना। खं० ५९, पृ० २६।
जौनपुर जिले में बेदखलियां तथा किसानों को भूमि की वापसी। खं० ५९, पृ० २७—२८।
जौनपुर जिले में सिंचाई का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७।
डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर की योग्यता तथा उनका वेतन। खं० ५९, पृ० २६।
नए प्रेसों तथा नए अखबारों के संबंध में सरकार की नीति। खं० ५९, पृ० २६।
मड़ियाहूं—केराकत सड़क का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० २८।
विभिन्न जिलों में अछूतों की सहायता के लिए जिला अफसरों की नियुक्ति। खं० ५९, पृ० २५—२६।
सन् १९४८-४९ ई० में पिछड़ी जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिये शिक्षा के मद में निर्धारित रकमें। खं० ५९, पृ० १८१।

नारायण दास, श्री—
महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेंट जुबली कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) परीक्षाएं। खं० ५९, पृ० १०१।
लखनऊ नगर के बहुत से मुहल्लों में रोशनी का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०१।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती—
प्रान्त में नए विधान के अनुसार मतदाताओं की सूची। खं० ५९, पृ० १८९।
फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या। खं० ५९, पृ० १८७—१८८।

बलभद्र सिंह, श्री—
कस्बा डिबाई, जिला बुलन्दशहर में जनकार्यों के लिए इलेक्ट्रिक इनर्जी (विद्युत् शक्ति)। खं० ५९, पृ० ११०।
प्रान्तीय रक्षक दल, बुलन्दशहर द्वारा राष्ट्रीय पताकाओं का खरीदा जाना और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचना। खं० ५९, पृ० १२—१३।
श्री भंवर सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पशु विभाग की पेंशन का भुगतान। खं० ५९, पृ० १८३—१८४।

बशीर अहमद, श्री—
जिला बिजनौर में लाइसेन्सदारों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११३।
धामपुर जिला बिजनौर के शुगर मिल पर काश्तकारों का कर्जा। खं० ५९, पृ० २१३।

[प्रश्नोत्तर]
शक्कर की उपज में कमी। खं० ५९, पृ० २९२–२९३।

बादशाह गुप्त, श्री—
गैर सरकारी किराए पर चलने वाली लारियों के किराए की शरह और सवारियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११६।
जिला विकास बोर्ड मैनपुरी तथा उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८, २८९।
पब्लिसिटी वान्स का जिलों में काम। खं० ५९, पृ० १८७।
मैनपुरी की सहकारी समितियों में गबन तथा चुनाव संबंधी शिकायतें। खं० ५९, पृ० २८६—२८८।
मैनपुरी के नोटीफाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० २९४।
मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफसर के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।
मैनपुरी जिला बोर्ड की सब कमेटियों की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३–२९४।
मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की, अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६–१८७।
वनस्पति घी में रंग देने के लिए जनता की मांग। खं० ५९, पृ० १४–१६।
वाहन विभाग का राष्ट्रीयकरण। खं० ५९, पृ० २९४।
सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ समाचार-पत्र निकालने की योजना। खं० ५९, पृ० १८७।

भारतसिंह यादवाचार्य, श्री—
किसानों द्वारा खेती की सिंचाई करते समय पानी का बेकार बहाना। खं० ५९, पृ० २९।
पतरौल का काश्तकारों से रिश्वत लेना। खं० ५९, पृ० ३०।
प्रान्त के जिलों से खुफिया रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १२।
प्रान्त में शरणार्थियों तथा युद्ध से लौटे सैनिकों के लिए भूमि की प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।
शेरपुर, जिला गाजीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच मनमुटाव। खं० ५९, पृ० १२।
सन् १९४७–४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरों के पदाभिलाषियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११।
सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी। खं० ५९, पृ० ३०।

मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री—
अयोध्या शुगर मिल राजा का सहसपुर और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५—२७६।
केन कोआपरेटिव सोसाइटी पीलीभीत के कर्मचारियों का वेतन। खं० ५९, पृ० २७६, २७८।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
राजनीतिक कैदियों के घरवालों को भत्ता। खं० ५९, पृ० २८—२९।
विभिन्न विभागों के इंतजाम में सरकार के अधीन नुमायशें। खं० ५९, पृ० १९४—१९५।
सन् १९४६–४७, १९४७–४८ व इस साल में शहर बदायूं और ऊझानी के रहने वालों को सीमेंट व लोहे के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३–१९४।

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री—
गुप्तकाशी (गढ़वाल) में फलों के बीज के वितरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।
गोशाला के सुप्रबंध के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति। खं० ५९, पृ० २८२, २८३।

चमोली तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी लोअर सेकेंड्री स्कूल और उन्हें सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७९—२८० ।

चमोली तहसील, गढ़वाल मे प्रान्तीय रक्षक दल के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८० ।

चमोली तहसील, गढ़वाल मे विकास योजना के अन्तर्गत कार्य। खं० ५९, पृ० २८०—२८१ ।

चमोली तहसील जिला गढ़वाल मे गत दो वर्षो में स्थापित संस्थाये। खं० ५९, पृ० २७८, २७९ ।

जिला गढ़वाल मे अन्न, बीज और शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७८ ।

बनारस जिले के इंटरमीजिएट कालिजों मे सैनिक शिक्षा। खं० ५९, पृ० १९० ।

बनारस तहसील में नए स्कूल और उनको सहायता। खं० ५९, पृ० २८१ ।

बनारस तहसील में बाढ़ पीड़ितों की सहायता। खंड ५९, पृ २८१ ।

बनारस तहसील मे सहकारी संस्था द्वारा किसानों से दूध का क्रय व उसके विक्रय का भाव। खं० ५९, पृ० २८२ ।

बनारस में प्रौढ़ शिक्षा। खं० ५९, पृ० २८६ ।

बनारस में बिजली की सप्लाई। खं० ५९, पृ० २८५ ।

बनारस व गोरखपुर मे चने का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४ ।

बनारस शहर में निजी बधागार व उनमे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या। खं० ५९, पृ० २८२ ।

बनारस शहर में बाढ़ पीड़ा। खं० ५९, पृ० २८६ ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और बनारस के बन्दी। खं० ५९, पृ० २८३ ।

रुद्रप्रयाग से बीरी तक की सड़क। खं० ५९, पृ० २७८ ।

सेंट्रल तथा जिला जेलों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २८३—२८४ ।

राजाराम मिश्र, श्री—

फैजाबाद के हवालाती कैदी। खं० ५९, पृ० २२०, २२१ ।

फैजाबाद जिले में चोरी की चोरबाजारी। खं० ५९, पृ० २२८ ।

फैजाबाद मे गेहूं के तेल का वितरण। खं० ५९, पृ० २२१, २२२ ।

फैजाबाद शहर में नागरिकों की गुमटियों के कारण जनता को कष्ट। खं० ५९, पृ० २२—२३ ।

राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री—

लखनऊ डिवीजन कमिश्नर के आफिस को फैजाबाद ले जाने के संबंध मे पूछताछ। खं० ५९, पृ० २३ ।

रामकृपाल सिंह, श्री—

गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ पर सरकारी व्यय। खं० ५९, पृ० १६ ।

रामचन्द्र पालीवाल, श्री—

आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी में फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—१८९ ।

फीरोजाबाद मे कांच के व्यवसाय का विकास। खं० ५९, पृ० ११४ ।

रामचन्द्र सेहरा, श्री—

आगरा टी० बी० अस्पताल मे दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किए गए मरीजों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२ ।

आगरे के थामसन अस्पताल मे दांतों के इलाज का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १११ ।

रामबली मिश्र, श्री—

जिला अधिकारियों को शासन संबंधी मामलों के संबंध मे गुप्ताज्ञा। खं० ५९, पृ० १०५ ।

बिजरा राज्य, जिला सुल्तानपुर के राजा साहब का सरकार को दान। खं० ५९, पृ० १०४ ।

सुल्तानपुर जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना। खं० ५९, पृ० १०४ ।

सुल्तानपुर जिला जेल मे मुर्दो के जलाने या दफनाने का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०४ ।

[प्रश्नोत्तर]

सुल्तानपुर जिले में क्षय रोगियों की सूची। खं० ५९, पृ० १०४।

सुल्तानपुर मे भ्रष्टाचार। खं० ५९, पृ० १०५।

सूबे मे बने हुए हवाई अड्डों को प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना। खं० ५९, पृ० १०५।

लाल बिहारी टंडन, श्री—
राष्ट्र भाषा विद्यालय, बहराइच खं० ५९, पृ० १९१।

विजयानन्द मिश्र, श्री—
गाजीपुर मे वर्तमान बिजली कम्पनी के ठेके की अवधि। खं० ५९, पृ० ११८।

मिर्जापुर जिले में बीज गोदामों के विषय में विवरण। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८०।

मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

मिर्जापुर में विद्युत् सप्लाई के बारे में पूछताछ। खं० ५९, पृ० ११९।

विद्याधर बाजपेयी, श्री—
सुल्तानपुर पुलिस का एक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न। खं० ५९, पृ० १०५।

सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा वालन्टियरों की भर्ती। खं० ५९, पृ० १०६।

विश्वनाथ प्रसाद, श्री—
मेयो मेमोरियल पुस्तकालय को सहायता। खं० ५९, पृ० १०६।

शिवदानसिंह, श्री—
दैनिक पत्र "उजाला" के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २४—२५।

श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री—
प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों की संख्या और उनकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १८—१९।

प्रतापगढ़ जिले मे बाढ़ से क्षति। खं० ५९, पृ० २०।

प्रतापगढ मे बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९, पृ० १९।

प्रतापगढ सिटी के पास डाकुओं की गिरफ्तारी। खं० ५९, पृ० १६—१८।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के कर्मचारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २७९—२९०।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—
मेडिकल लाइसेंशिएट संघ के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

श्रीपति सहाय, श्री—
कुल्हटा जिला हमीरपुर के जंगल में खेती। खं० ५९, पृ० २१—२२।

सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़ियां तथा खमा ग्रामों की क्षति-पूर्ति। खं० ५९, पृ० १११।

हरगोविन्द पन्त, श्री—
किस्मत कुमायूं में मूक और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ८—९।

ग्रामसुधार के सुपरवाइजर तथा आर्गेनाइजरों की योग्यता में भेद। खं० ५९, पृ० ३३।

जिला अल्मोड़ा मे ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों की दुबारा नियुक्ति का आधार। खं० ५९, पृ० ३२—३३।

प्रान्त के विभिन्न जिला बोर्डों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० ३०—३१।

प्रान्त में गूंगे और बहरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ७—८।

रानीखेत की छावनी का अस्पताल। खं० ५९, पृ० ३२।

रानीखेत तहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री—
प्रान्त में कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

बन्दरों तथा अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसल को हानि। खं० ५९, पृ० १०३।

बाराबंकी के सीमेंट के एजेंटों द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई। खं० ५९, पृ० १०२।

प्रान्तीयकरण—
प्र० वि०—जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का——। खं० ५९, पृ० २७।
प्र० वि०—मड़ियाहूं-केराकत सड़क का——। खं० ५९, पृ० २८।

प्रान्तीय रक्षक दल—
प्र० वि०—चमोली तहसील, गढ़वाल में——के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८०।

फ

फखरुल इस्लाम, श्री—
श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३९।
श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४५—४६।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५४—१६०।

फर्नीचर—
प्र० वि०—न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेंस का——। खं० ५९, पृ० १९२—१९३।

फलों—
प्र० वि०—गुप्त काशी (गढ़वाल) में——के बीज के वितरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।

फसलों की हानि—
प्र० वि०—बन्दरों तथा अन्य जंगली जानवरों द्वारा——। खं० ५९, पृ० १०३।

फूल सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १३५—१५३।

ब

बदन सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४५२—४५९।

बन्दूक—
प्र० वि०—प्रतापगढ़ में——के लाइसेन्सों के लिये प्रार्थना पत्र। खं० ५९, पृ० १९—२०।

बन्दूकों—
प्र० वि०—जिला बिजनौर में——के लाइसेन्सदारों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११३।

बम-दुर्घटना—
प्र० वि०—किछौछा शरीफ जिला फैजाबाद में——। खं० ५९, पृ० २०—२१।

बलभद्र सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

बशीर अहमद अंसारी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

बाढ़—
प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में——से क्षति। खं० ५९, पृ० २०१।
प्र० वि०—बनारस शहर में——पी।। खं० ५९, पृ० २८६।
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की—— से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

बाढ़ पीड़ितों—
प्र० वि०—गांव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के——की व्यवस्था। खं० ५९, पृ० १९७—१९८।
प्र० वि०—बनारस तहसील में——की सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

बादशाह गुप्त, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

बांध—
प्र० वि०—घाघर नदी मे——बांधने के संबंध मे सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

बिजली—
प्र० वि०—बनारस मे——की सप्लाई। खं० ५९, पृ० २८५।

बिल—
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और गांठ बनाने के कारखानों के——पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट)——पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २०० ।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था——। खं० ५९, पृ० ६०—९१, १२०-१६५, २००, २९५-३४८, ४२४—५०३।

बीज गोदाम—
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले के——के विषय मे विवरण। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८० ।

बेंच—
प्र० वि०—फीरोजाबाद में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की——बनाने के विषय में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५-१८६ ।

बेदखलियां—
प्र० वि०—जौनपुर जिले में——तथा किसानों को भूमिकी वापसी। खं० ५९, पृ० २७—२८।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४४२-४४६।

भर्ती—
प्र० वि०—सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा वालंटियरों की——। खं० ५९, पृ० १०६।

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

भुगतान—
प्र० वि०—श्री भंवर सिंह रिटायर्ड इंसपेक्टर पशु विभाग की पेंशन का——। खं० ५९, पृ० १८३—१८४।

भूमि—
प्र० वि०—प्रान्त मे शरणार्थियों तथा युद्ध मे लौटे सैनिकों के लिए——की प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।

भेंट—
प्र० वि०—मेडिकल लाइसेंशिएट संघ के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से——। खं० ५९, पृ० १०२।

भेद—
प्र० वि०—ग्रामसुधार के सुपरवाइजर तथा आर्गनाइजरों की योग्यता में——। खं० ५९, पृ० ३३।

म

मजिस्ट्रेट—
प्र० वि०—मैनपुरी के स्पेशल——व रेवेन्यू अफसर के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४ ।

मजिस्ट्रेटों—
प्र० वि०—फीरोजाबाद में आनरेरी——की बेंच बनाने के विषय में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५—१८६।

मड़ियाहूं—केराकत—
प्र० वि०— —— सड़क का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० २८ ।

मतदाताओं—
प्र० वि०—प्रान्त में नए विधान के अनुसार———की सूची। खं० ५९, पृ० १८९।

मनमुटाव—
प्र० वि०—शेरपुर, जिला गाजीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच———। खं० ५९, पृ० १२।

मरीजों—
प्र० वि०—आगरा टी० बी० अस्पताल में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किए गए———की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

महिला विद्यालय कालेज—
प्र० वि०——— ———और गवर्नमेंट जुबिली कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) परीक्षाएं। खं० ५९, पृ० १०९।

मालगुजारी—
प्र० वि०—तहसील पडरौना, जिला देवरिया के विभिन्न गांवों की———और लगान। खं० ५९, पृ० २४।

मिट्टी के तेल—
प्र० वि०—फैजाबाद में———का वितरण। खं० ५९, पृ० २९१, २९२।

मुअत्तली—
प्र० वि०—जिला गढ़वाल की ऊन योजना के इंसपेक्टर आफ एकाउन्ट्स की———। खं० ५९, पृ० १०७।

मुंसफी—
प्र० वि०—परगने मंगलौर की——— देवबन्द जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा। खं० ५९, पृ० १९२।

मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

मुर्दों—
प्र० वि०—सुल्तानपुर जिला जेल के———के जलाने या दफनाने का प्रबन्ध। खं० ५९, पृ० १०४।

मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड—
प्र० वि०—सुल्तानपुर में———के नेशनल गार्ड द्वारा वालंटियरों की भर्ती। खं० ५९, पृ० १०६।

मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४५९—४६७।

मुहम्मद जमशेद अली खां—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ३१३—३१८।

मुहम्मद यूसुफ श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १४३—१५२।

मुहम्मद रजा खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४३८—४४२।

मूक—
प्र० वि०—किस्मत कुमायूं में———और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ८।

मेडिकल लाइसेंसिएट संघ—
प्र० वि०——— ———के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

मेयो मेमोरियल पुस्तकालय—
प्र० वि० ———को सहायता। खं० ५९, पृ० १०६।

मोटर गाड़ियों—
प्र० वि०—रोडवेज की———के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १९५, १९६—१९७।
सन् १९३९ के———के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के ———के नियम

[मोटर गाडियों—]
७८ में किये गए संशोधन की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

मोमिनों—
प्र० वि०—सन् १९४८–४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और———के लिए शिक्षा के मद में निर्धारित रकमें। खं० ५९, पृ० १८९—१९०।

म्युनिसिपल बोर्ड—
प्र० वि०—आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी में फीरोजाबाद——— का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—१८९।

य

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

योजना—
प्र० वि०—चमोली तहसील गढ़वाल में विकास———के अन्तर्गत कार्य। खं० ५९, पृ० २८०, २८१।
प्र० वि०—जिला गढ़वाल की ऊन——— के इंसपेक्टर आफ एकाउन्ट्स की मुअत्तली। खं० ५९, पृ० १०७।
प्र० वि०—सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ समाचार-पत्र निकालने की———। खं० ५९, पृ० १८७।

र

रकमें—
प्र० वि०—सन् १९४८–४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिए शिक्षा के मद में निर्धारित———। खं० ५९, पृ० १८९—१९०।

रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १६१—१६४, २०१–२०८।

रघुवीर सहाय, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २५०–२५९।

राजनीतिक कैदियों—
प्र० वि०— ———के घरवालों को भत्ता। खं० ५९, पृ० २८—२९।

राजाराम मिश्र, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राजाराम शास्त्री, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ३२३, ३४०—३४८।

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम कृपाल सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम चन्द्र पालीवाल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम चन्द्र सेहरा, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम बली मिश्र, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राष्ट्र भाषा—
प्र० वि०— ———विद्यालय, बहराइच। खं० ५९, पृ० १९१।

राष्ट्रीय पताकाओं—
प्र० वि०—प्रान्तीय रक्षक दल, बुलन्द शहर द्वारा———का खरीदा जाना और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचना। खं० ५९, पृ० १२–१३।

राष्ट्रीय स्वयंसेवकों—
प्र० वि०— ———की गिरफ्तारी और बनारस के बन्दी। खं० ५९, पृ० २८३।

रिपोर्ट—
प्र० वि०—सायर नदी में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की———। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

रिश्वतखोरी—

प्र० वि०—सरकारी विभागों में——। खं० ५९, पृ० ३०।

रेजिडेंस—

प्र० वि०—न्यू रेजिडेन्सेस——का फरनीचर। खं० ५९, पृ० १९०–१९३।

रेवेन्यू अफसर—

प्र० वि०—मैनपुरी के रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट ——के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।

रोगियों—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिले में क्षय के——की सूची। खं० ५९, पृ० १०४।

रोडवेज—

प्र० वि०— ——की मोटर गाड़ियों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १९५–१९६, १९७।

रोशन जमां खां, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ८५—९१, १२०–१३५।

रोशनी का प्रबंध—

प्र० वि०—लखनऊ नगर के बहुत से मुहल्लों में——। खं० ५९, पृ० १०९।

ल

लाइसेंस—

प्र० वि०—जिला बिजनौर में बन्दूकों के——दारों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११३।

प्र० वि०—प्रतापगढ़ में बन्दूक के—— के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९, पृ० १९–२०।

प्र० वि०—प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को बिना——हथियार रखने की इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

लारियों—

प्र० वि०—गैरसरकारी किराए पर चलने वाली——के किराए की दर [illegible]। खं० ५९, पृ० १९३।

लालबिहारी टंडन, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लेवी—

सन् १९४९–५०, १९५०–५१ ई० व इस साल में [illegible] और [illegible] के [illegible] को सीमेंट व——के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३–१९४।

व

वधागार—

प्र० वि०—बनारस नगर में निजी—— व उनमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या। खं० ५९, पृ० २८२।

वनस्पति घी—

प्र० वि०——में रंग देने के लिये जनता की मांग। खं० ५९, पृ० १४—१६।

वाहन विभाग—

प्र० वि०— ——का राष्ट्रीयकरण। खं० ५९, पृ० २९४।

विकास—

प्र० वि०—फीरोजाबाद के कांच व्यवसाय का——। खं० ५९, पृ० ११४।

विकास बोर्ड—

प्र० वि०—जिला——मैनपुरी तथा उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८ २८९।

विजयानन्द मिश्र, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

विद्याधर वाजपेयी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

विद्यालय—
प्र० वि०—राष्ट्रभाषा———बहराइच। खं० ५९, पृ० १९१।

विद्युत् सप्लाई—
प्र० वि०—मिर्जापुर में———के बारे में पूछताछ। खं० ५९, पृ० ११९।

विधान—
प्र० वि०—प्रान्त में नए———के अनुसार मतदाताओं की सूची। खं० ५९, पृ० १८९।

विभागों—
प्र० वि०—विभिन्न———के इन्तजाम में सरकार के अधीन नुमायशें। खं० ५९, पृ० १९४—१९५।

विवरण—
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले के बीज गोदामों के विषय में———। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८०।

विशेषज्ञों—
प्र० वि०—नायर नदी में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत ———की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

विश्वनाथ प्रसाद, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २२४, २२५—२३८, २३९, २४०, २४१—२४४।

विष्णुशरण दुब्लिश, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ३३३—३४०।

वीरेन्द्र शाह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २४४—२५०।

वेतन—
प्र० वि०—केन कोआपरेटिव सोसाइटी, पीलीभीत के कर्मचारियों का———। खं० ५९, पृ० २७६—२७८।

व्यक्तिगत प्रश्न

भंवर सिंह, श्री—
———, रिटायर्ड इंसपेक्टर, पशु विभाग की पेंशन का भुगतान। खं० ५९, पृ० १८३, १८४।

व्यवस्था—
प्र० वि०—गांव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़ पीड़ितों की———। खं० ५९, पृ० १९७—१९८।

श

शक्कर—
प्र० वि०———की उपज में कमी। खं० ५९, पृ० २९२, २९३।

शरणार्थियों—
प्र० वि०—प्रान्त में———तथा युद्ध से लौटे सैनिकों के लिए भूमि की प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।

प्र० वि०—फैजाबाद शहर में———को गुमटियों के कारण जनता को कष्ट। खं० ५९ पृ० २२—२३।

शरह—
प्र० वि०—गैर सरकारी किराए पर चलने वाली लारियों के किराए की———और सवारियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११६।

शिकायत—
प्र० वि०—बलुआ, जिला बनारस के थानेदार के खिलाफ———। खं० ५९, पृ० १९९।

शिक्षा—

प्र० वि०—प्रान्त में गूंगे और बहरों की———का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ७–८।

प्र० वि०—बनारस जिले के इंटर-मीजिएट कालेजों में सैनिक———। खं० ५९, पृ० १९०।

प्र० वि०—बनारस में प्रौढ़———। खं० ५९, पृ० २८६।

प्र० वि०—सन् १९४८–४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिए———के मद में निर्धारित रकमें। खं० ५९, पृ० १८९–१९०।

शिवदान सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शुगर मिल—

प्र० वि०—अयोध्या———राजा का सहसपुर और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५, २७६।

प्र० वि०—धामपुर, जिला बिजनौर के——पर काश्तकारों का कर्जा। खं० ५९, पृ० २९३।

शोक-संवाद—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर———। खं० ५९, पृ० ३६—३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर———। खं० ५९, पृ० ३४–३६।

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ३१८—३२७।

श्रीपति सहाय, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

स

संस्थाएं—

प्र० वि०—जिला गढ़वाल की चमोली तहसील में गत दो वर्ष में स्थापित सहकारी———। खं० ५९, पृ० २७८, २७९।

संख्या—

प्र० वि०—प्रान्त में जिलेवार गुंडों की ———। खं० ५९, पृ० १९९।

प्र० वि०—फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च, सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की———। खं० ५९, पृ० १८७–१८८।

सचिव, माननीय उद्योग—

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ५१–५२।

सचिव, माननीय चिकित्सा—

प्र० वि०—मेडिकल लाइसेंशिएट संघ के डेपुटेशन की———से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

सचिव, माननीय पुलिस—

सन् १९३९ के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही को वैध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना। खं० ५९, पृ० १२०।

सचिव, माननीय प्रधान—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १६४, २२४, ३४८, ४७५–४८२, ४८६–५०१, ५०२।

सचिवालय—

प्र० वि०- —में हिन्दी का प्रयोग। खं० ५९, पृ० १८४—१८५।

सड़क—

प्र० वि०—रुद्रप्रयाग से गौरी तक को ——। खं० ५९, पृ० २७८।

प्र० वि०—बाराबंकी के सीमेंट के एजेंटों द्वारा दूसरे जिलों में सीमेंट की——। खं० ५९, पृ० १०२।

सब-इंस्पेक्टरी—

सन् १९४७-४८ ई० में——के पदाभिलाषियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११।

समझौता—

प्र० वि०—अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर और उसके नौकरों के बीच——। खं० ५९, पृ० २७५—२७६।

समाचार-पत्र—

प्र० वि०—सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ——निकालने की योजना। खं० ५९, पृ० १८७।

सरकार—

प्र० वि०—विभिन्न विभागों के इन्तजाम में——के अधीन नुमायशें। खं० ५९, पृ० १९४—१९५।

सरकारी व्यय—

प्र० वि०—गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ पर——। खं० ५९, पृ० १४।

सवारियों—

प्र० वि०—गैरसरकारी किराए पर चलने वाली लारियों के किराए की शरह और——की संख्या। खं० ५९, पृ० ११६।

सहकारी समितियों—

प्र० वि०—मैनपुरी की——में गबन तथा चुनाव संबंधी शिकायतें। खं० ५९, पृ० २८६—२८८।

साजिद हुसैन, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १३७, ३२७—३३३।

सिंचाई—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७।

प्र० वि०—तहसील नकुर (सहारनपुर) में——। खं० ५९, पृ० २७४, २७५।

सीमेंट—

प्र० वि०—खीरी में——का वितरण। खं० ५९, पृ० ९—१०।

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व इस साल में शहर बदायूं और उझानी के रहने वालों को——व लोहे के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३—१९४।

सुपरवाइजर—

प्र० वि०—ग्रामसुधार के——तथा आर्गेनाइजरों की योग्यता में भेद। खं० ५९, पृ० ३३।

सुल्तान आलम खां, श्री—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा अस्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४८—५०।

सूची—

प्र० वि०—प्रान्त में नए विधान के अनुसार मतदाताओं की——। खं० ५९, पृ० १८९।

सेक्रेटरी—

प्र० वि०—गांव सभा के——के चुनाव के नियम। खं० ५९, पृ० १११।

सेनीटोरियम जेल—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिला जेल का ——— बनाया जाना। खं० ५९, पृ० १०४।

स्कूल—

प्र० वि०—चमोली तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी———और उन्हें सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७९, २८०।

प्र० वि०—बनारस तहसील में नए ———और उनको सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

स्त्रियों—

प्र० वि०—विभिन्न जिलों में ———को भगाने वाला संगठित गुंडों का गिरोह तथा उसकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १०–११।

स्थानिक प्रश्न

अलमोड़ा—

जिला———में ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों की दुबारा नियुक्ति का आधार। खं० ५९, पृ० ३२–३३।

आगरा—

———के थामसन अस्पताल में दांतों के इलाज का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १११।

———जिले की हाउसिंग कमेटी में फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८–१८९।

———टी० बी० अस्पताल में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किये गए मरीजों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

आजमगढ़—

पुलिस सुपरिंटेंडेंट———के मातहत (सरकारी) जीप कार का नीलाम। खं० ५९, पृ० ११५।

उझानी—

सन् १९४६–४७, १९४७–४८ ई० व इस साल में शहर बदायूं और ———के रहने वालों को सीमेंट व लोहे के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३–१९४।

कानपुर—

कृषि महाविद्यालय,———के अध्यापकों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १०६।

किछौछा शरीफ—

———,जिला फैजाबाद में बम-दुर्घटना। खं० ५९, पृ० २०—२१।

कुन्हटा—

———,जिला हमीरपुर के जंगल में खेती। खं० ५९, पृ० २१–२२।

कुर्था—

गांव———,तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़-पीड़ितों की व्यवस्था। खं० ५९, पृ० १९७–१९८।

खीरी—

———में सीमेंट का वितरण। खं० ५९, पृ० ९–१०।

गढ़वाल—

जिला———की ऊन योजना के इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स की मुअत्तली। खं० ५९, पृ० १०७।

जिला———में अन्न, बीज और शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७८।

गाजीपुर—

———में वर्तमान बिजली कम्पनी के ठेके की अवधि। खं० ५९, पृ० ११८।

गुप्तकाशी—
———(गढवाल) मे फलो के बीज के वितरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।

गोंडा—
जिला———मे चोरियों, डकैतियों और हत्याओ की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

गोरखपुर—
बनारस ———में चने का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४।

चमोली—
———तहसील, गढ़वाल मे प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी स्कूल और उन्हें सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७९—२८०।

———तहसील गढवाल मे प्रान्तीय रक्षक दल के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८०।

———तहसील, गढवाल में विकास योजना के अन्तर्गत कार्य। खं० ५९, पृ० २८०, २८१।

जिला गढ़वाल की———मे गत दो वर्षों मे स्थापित सहकारी संस्थायें। खं० ५९, पृ० २७८—२७९।

जौनपुर—
———जिले मे अदालती पंचायतों और गाव अदालतो मे चुने गए हरिजन। खं० ५९, पृ० ११०।

———जिले मे नए अस्पतालों का खोला जाना। खं० ५९, पृ० २६।

———जिले मे बेदखलियां तथा किसानों को भूमि की वापसी। खं० ५९, पृ० २७—२८।

———जिले में सिंचाई का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७।

टांडा—
———,जिला फैजाबाद की आटे की चक्कियों को तेल का मासिक कोटा। खं० ५९, पृ० ३४।

डिबाई—
कस्बा———,जिला बुलन्दशहर में जन कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक इनर्जी (विद्युत् शक्ति)। खं० ५९, पृ० ११०।

तियरा इस्टेट—
———जिला सुल्तानपुर के, राजा साहब का सरकार को दान। खं० ५९, पृ० १०४।

देवबन्द—
परगने मंगलौर की मुन्सफी———,जिला सहारनपुर मे होने के कारण असुविधा। खं० ५९, पृ० १९२।

धामपुर—
———,जिला बिजनौर के शुगर मिल पर काश्तकारों का कर्जा। खं० ५९, पृ० २९३।

नकुर—
तहसील———(सहारनपुर) मे सिंचाई। खं० ५९, पृ० २७४, २७५।

पडरौना—
तहसील———,जिला देवरिया के विभिन्न गांवों की मालगुजारी और लगान। खं० ५९, पृ० २४।

पीलीभीत—
केन कोआपरेटिव सोसाइटी,———के कर्मचारियों का वेतन। खं० ५९, पृ० २७६—२७८।

प्रतापगढ़—
———जिले मे डकैतियों की संख्या और उनकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १८—१९।

———मे बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९, पृ० १९—२०।

———मे बाढ़ से क्षति। खं० ५९, पृ० २०।

———सिटी के पास डाकुओं की गिरफ्तारी। खं० ५९, पृ० १६—१८।

फतेहगढ़—
———डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या। खं० ५९, पृ० १८७—१८८।

फीरोजाबाद—

आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी में——म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८–१८९।

——के जांच के व्यवस्था का विवरण। खं० ५९, पृ० ११८।

——मे आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच बनाने के विषय मे पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५–१८६।

फैजाबाद—

प्र० वि०——के हवालाती कैदी। खं० ५९, पृ० २९०, २९१।

——जिले मे चीनी की चोरबाजारी। खं० ५९, पृ० २९२।

——मे मिट्टी के तेल का वितरण। खं० ५९, पृ० २९१, २९२।

——शहर मे शरणार्थियो की मढ़ियों के कारण जनता को कष्ट। खं० ५९, पृ० २२–२३।

लखनऊ-स्थित कमिश्नर के आफिस को——ले जाने के संबंध मे पूछताछ। खं० ५९, पृ० २३।

बदायूं—

सन् १९४६–४७, १९४७–४८ ई० व इस साल मे शहर——और उझानी के रहने वालों को सीमेंट व लोहे के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३–१९४।

बनारस—

——जिले के इंटरमीजिएट कालेजों में सैनिक शिक्षा। खं० ५९, पृ० १६०।

——तहसील मे नए स्कूल और उनको सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

——तहसील में बाढ़-पीड़ितों की सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

——तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से दूध का क्रय व उसके विक्रय का भाव। खं० ५९, पृ० २८२।

——मे प्रौढ़ शिक्षा। खं० ५९, पृ० २८६।

——मे बिजली की सप्लाई। खं० ५९, पृ० २८८।

——के [illegible] में चलने का विवरण। खं० ५९, पृ० २८४।

——शहर मे बाढ़ पीड़ित। खं० ५९, पृ० २८६।

राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और——के बन्दी। खं० ५९, पृ० २८३।

शहर में कसाईखाने व उनमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या। खं० ५९, पृ० २८८।

बलुआ—

——जिला बनारस के थानेदार के विरुद्ध शिकायत। खं० ५९, पृ० १९९।

बहराइच—

——राष्ट्र भाषा विद्यालय। खं० ५९, पृ० १६२।

बाराबंकी—

——के सीमेंट के एजेंटों द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई। खं० ५९, पृ० १०२।

बिजनौर—

जिला——में बन्दूकों के लाइसेन्सदारों की संख्या। खं० ५९, पृ० २९३।

बुलन्दशहर—

प्रान्तीय रक्षक दल——द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पीछा करना और उन्हें [illegible]। खं० ५९, पृ० १८–१९।

[illegible]री—

रुद्रप्रयाग मे——तक की सड़क। खं० ५९, पृ० २७८।

मंगलौर—

प्र० वि०——परगने——की कचहरी देवबन्द, जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा। खं० ५९, पृ० १८२।

मिर्जापुर—

——जिले के बीज गोदामों के विषय में विवरण। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८०।

———जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

———में विद्युत् सप्लाई के बारे में पूछ-ताछ। खं० ५९, पृ० ११९।

मेरठ—

गवर्नमेंट स्कूल,———पर सरकारी व्यय। खं० ५९, पृ० १४।

मैनपुरी—

जिला विकास बोर्ड,———तथा उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८, २८९।

———की सहकारी समितियों मे गबन तथा चुनाव संबंधी शिकायतें। खं० ५९, पृ० २८६—२८८।

———के नोटीफाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० २९४।

———के स्पेशल मैजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफसर के संबंध मे पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।

———जिला बोर्ड की सब-कमेटियों की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३, २९४।

———डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

राजा का सहसपुर—

अयोध्या शुगर मिल,———और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५, २७६।

रानीखेत—

———की छावनी का अस्पताल। खं० ५९, पृ० ३२।

———तहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।

रुद्रप्रयाग—

———से भीरी तक की सड़क। खं० ५९, पृ० २७८।

लखनऊ—

बलरामपुर अस्पताल,———के कर्मचारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २८९—२९०।

महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेंट जुबिली कालेज,———मे प्रैक्टिकल (आभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) परीक्षाएं। खं० ५९, पृ० १०९।

———नगर के बहुत से मुहल्लों मे रोशनी का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०९।

———स्थित कमिश्नर के आफिस को फैजाबाद ले जाने के संबंध मे पूछ-ताछ। खं० ५९, पृ० २३।

शेरपुर—

———,जिला गाजीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच मनमुटाव। खं० ५९, पृ० १२।

सहारनपुर—

जिला———के जुलाहो को सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७५।

सुल्तानपुर—

———जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना। खं० ५९, पृ० १०४।

———जिला जेल के मुर्दों के जलाने या दफनाने का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०४।

———जिले मे क्षय के रोगियों की सूची। खं० ५९, पृ० १०४।

———पुलिस का एक बदमाश की गिर-फ्तारी के लिए प्रयत्न। खं० ५९, पृ० १०५।

———में भ्रष्टाचार। खं० ५९, पृ० १०५।

———में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा वालन्टियरों की भर्ती। खं० ५९, पृ० १०६।

स्थायी आदेशों—

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा———में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४१—६०।

स्पीकर, माननीय—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३८।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४६, ४७।

सन् १९४८ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज स्टोरेज (रिक्वीजीशन कंटिनुएंस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दूकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १२०, २९५।

ह

हत्याओं—

प्र० वि०—जिला गोंडा में चोरियों, डकैतियों और———की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

हथियार—

प्र० वि०—प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस——— रखने की इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

हरगोविन्द पन्त, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

हरिजन—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में अदालती पंचायतों और गांव अदालतों में चुने गए———। खं० ५९, पृ० ११०।

हवाई अड्डों—

प्र० वि०—पूर्व में बने हुए———को प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना। खं० ५९, पृ० १०५।

हथकरघा कर्घा—

प्र० वि०—फैजाबाद के———। खं० ५९, पृ० २९०, २९१।

हाउसिंग—

प्र० वि०—आगरा जिले की———कमेटी में फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—१८९।

हानि—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से———। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

हिन्दी—

प्र० वि०—सचिवालय में———का प्रयोग। खं० ५९, पृ० १८४—१८५।

होतीलाल अग्रवाल, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४२४—४३८।

पी० एस० यू०—पी० १६७ एल० ए०—१९५१—६१०